क्रम संख्या-79 (ख)

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 मई, 2003 ई0

बैशाख 31, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 174/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 21 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को दिनांक 21-5-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2003 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के स्थान पर उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित :-

No. 174/Vidhayee & Sansadiya Karya/2003

Dated Dehredun. May 21, 2003

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Co-operative Societies Act. 2003. (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 05 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the governor on May 21, 2003.

UTTARANCHAL CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2003

(Act No. 05 of 2003)

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fourthy year of the Republic of India a replacing bill of Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 enacted to provied for Co-operative Society in the state of Uttaranchal.

It is Herby enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

CHAPTER - 1

PRE IMINARY

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है, कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई उपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होंगे और उस दशा में ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांको से प्रचलित होंगे, जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे।

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003.

(2) It extenda to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may by notification in the Gazette, Appointing in this behalf.

Provided that while appointing such date the State Government may declare that any provisions to be specified in the declaration shall not come into force from the date so appointed and in that case such provisions shall come into force from such date or dates as the State Government may similarly appoint in that behalf.

परिभाषायें

2. जब तक किसी प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(अ) ''सहकारी समिति'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है :

(ब) ''प्रारम्भिक समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो;

(ब-1) ''ऋण समिति'' का तात्पर्य उस समितिस से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो। प्रतिबन्ध यह है कि :-

(I) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं;

(II) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी;

(III) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरित करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हों।

(ब-2) ''केन्द्रीय समिति'' या ''केन्द्रीय सहकारी समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो;

(स) ''शीर्ष समिति'' ''शीर्ष स्तर समिति'' या ''राज्य स्तर सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है-

(1) जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में फैला हुआ है।

(2) जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने से सम्बद्ध सदस्य समितियों के मुख्य उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायता देना तथा सुविधायें एवं सेवायें प्रदान करना है तथा,

(3) जिसे निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(द) ''कृषि समिति'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि करना हो, जिसके

अन्तर्गत कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय, उद्यानीकरण, चाय की खेती, रेशम के कीड़े पालना एवं पशुपालन, जिसके अन्तर्गत शूकर-पालन, मत्स्य सम्बर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(य) ''मध्यस्थ मण्डल'' का तात्पर्य उस निकाय से है, जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो;

(र) ''उप-विधि'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित उप-विधि से है;

(ल) ''सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके समापित होने की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा सीमित हो;

(व) ''असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके सदस्य, उसके समापित होने की दशा में, उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की परिसम्पत्तियों में न्यूनता पाये जाने पर उनमें अंशदान देने के लिए संयुक्त रूप से था पृथक्-पृथक् उत्तरदायी हो तथा परिसम्पत्तियों की न्यूनता (डेफीसिट) में योगदान करेंगे;

(स) ''प्रबन्ध कमेटी'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नान से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ष) ''प्रबन्ध कमेटी'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(श) ''लाभांश'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की अंश-पूंजी में सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर, लाभ से दिये जाने वाली उस राशि से है, जिसे अंश-पूंजी के अनुपात में सदस्य को वितरित किया जायेगा;

(ह) ''वित्त पोषक बैंक'' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य, सदस्य अथवा अन्य सहकारी समितियों को रूपया उधार देना है, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1934 में परिभाषित अनुसूचित बैंक एवं अन्य निगमित निकाय (Corporate Body) व वित्तीय संस्थायें सम्मिलित होंगी, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है तथा जो सहकारी समिति को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करती है।

(ह-1) ''कोऑपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य उस समिति से है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5(1)(सीसी-1) की उपधारा एक (ख) में परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय करती हो;

(ह-2) ''अरबन कोऑपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋण समिति से भिन्न प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से है;

(1) जिसका प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय करना हो:

(2) जिसकी अंश पूंजी एवं रक्षित निधि एक लाख रूपये से कम न हो;

(3) जिसकी उप विधियों में किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य बनाना अनुमन्य न हो-

(क) परिसमापक का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यो को समापित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;

(ख) ''अधिकतम दायित्व'' का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो, इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नहीं है;

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हुआ हो, अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कहीं पर भी किसी अधिकार के रखने या उसका प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने या निवर्गहन करने के सम्बन्ध में ''सदस्य'' के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नहीं रखता या जिसका कोई दायित्व या कर्तव्य न हो;

(घ) ''सहकारी समिति का अधिकारी'' का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, मुख्य कार्यकारी प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से है, जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति के कार्यो का पर्यवेक्षण तथा निर्देशन करने के लिए चुना गया हो, सहकारी समिति द्वारा नामित किया गया हो अथवा नियोजित किया गया हो;

(ङ) साधारण सदस्य का तात्पर्य सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है, जिसको इस अधिनियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्या में मत देने का अधिकार हो;

(च) ''नियत'' का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) ''निबन्धक का तात्पग्र धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे अधिकारियों से भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें;

(ज) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(झ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(प) ''न्यायाधिकरण'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण से है;

(त) ''उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद'' (उत्तरांचल स्टेट कोऑपरेटिव काउन्सिल) का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के लिए अध्याय 13 ''क'' में अंकित प्राविधानों के अनुसार गठित परिषद् (काउन्सिल) से है lDefinition

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(A) "Co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under this Act;

(B) Primary Society is a Co-operative Society of which no member is a registered society;

(B-1) "Credit Society" means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members;

Provided That:

(i) a co-operative marketing society, the area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be deemed to be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary member;

(ii) a primary co-operative society any share whereof has been purchased under Chapter VI, by a central or apex society shall continue to be a primary society notwithstanding the purchase of such shares;

(iii) a co-operative society, the area of operation whereof is only a part of a district and the primary object whereof is to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilzers pesticides, agricultural appliances or consumer goods to its ordinary mambers and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member, shall be deemed to be primary society notwithstanding the membership of other co-operative society in it.

(B-2) "Central Society" or cantral co-operative society means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and is not a primary co-operative society;

(C) "Apex Society", "Apex level society" or "State level Co-operative society" means;

(i) The area of operation of which extends to the whole State of Uttaranchal.

(ii) The main object of which is to promote the principal objects of societies affiliated to it as members & to provide for the facilities & services to them.

(iii) Which has been classified as an apex society by the Registrar,

(D) "Agricultural society" means a co-operative society the majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation which shall include production, processing or marketing of agricultural crops, horiculture, Tea, Sericulture and animal hunsandry which includes piggery, pisciculture, poultry farming and dairying:

(E) "Arbitrator" means a person appointed under this Act to decide disputes referred to him by the Registrar:

(F) "Bye-laws" means the registered bye-laws of a co-operative society for the time being in force;

(G) "Co-operative Society with limited liability means a co-operative society in which the liability of its members for the debts of the society in the event of its being wound up is limited by its bye-laws;

(H) "Co-operative Society with unlimited liability" means a co-operative society the members of which are, in the event of its being wound up, jointly and severally liable for in respect of all its obligations and to contribute to any deficit in the assets of the society;

(I) "Committee of Management" means the committee of a co-operative society, by whatever name called, to which the management of the affairs of the society is entrusted:

(J) "Co-operative year" means the year commencing on the first day of April and ending on the thirty-first day of March next following;

(K) Dividend means the amount paid out of the profits of a society, to a member in proportion to the shares held

by him>

(L) "Financing Bank" means a Co-operative Society, the main object of which is to assist any affiliated or other co-operative society by giving loans or advancing money & includes any scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 & such other body corporate or financial institution as may be notified by the Govt. from time to time. which gives financial or other aid to a co-operative society.

(L-1) "Co-operative Bank" means a society which is doing the business of banking as defined in clause (CCI) of sub section (1) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949.

(L-2) "Urban Co-operative Bank" means a primary co-operative bank other than a primary agricultural credit society:

(i) the primary object of which is the tansaction of banking business:

(ii) the paid up share capital and reserves of which are not less than one lacs rupees, and;

(iii) the bye-laws of which do not permit admission of any other co-operative society as a member.

(M) "Loquidator" means a person appointed by the Registrar under this Act to wind up the affair of a co-operative society;

(N) "Maximum liability" means the maximum amount that can be borrowed by a co-operative society. It does not include share capital;

(O) "Mamber" means a person who joined in the application for registration of a society or a person admitted to membership after such registration in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws for the time being in force but a refarence to "Members" anywhere in this Act in connection with the possession or exercise of any right of power or the existence or discharge of any liability or duty shall not include reference to any class of members who by reason of the provisions of this Act do not possess such right or power or have no such liability or duty;

(P) "Officer of a co-operative society" means the President, Vice-President, Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Member of committee, of Management, Treasurer, Liquidator, Administrator or any other person employed by a co-operative society whether with or without remuneration to carry on the business of the society or to supervise its affairs;

(Q) "Ordinary member" means a member of a co-operative society having a right to vote in the affairs of the society in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;

(R) "Prescribed" means prescribed by rules;

(S) "Registrar" means the person appointed as Registrar of Co-operative Societies under sub-section (1) of Section 3 and includes any person appointed under sub-section (2) of that section when exercising all or any of the powers of the Registrar;

(T) "Rules" means rules made under this Act;

(U) "State Government" means the government of Uttaranchal;

(V) "Tribunal" means a Co-operative Tribunal under this Act;

(W) "The State Co-operative Council" means the council constituted for Uttaranchal State under chapter XII-A of this Act.

अध्याय–2

निबन्धक एवं निबन्धन

CHAPTER - II

REGISTRAR & REGISTRATION

निबन्धक अन्य अधिकारी तथा उसके अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है।

(2) निबन्धक को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन में सहायता देने के लिए राज्य सरकार ऐसी संख्या में अपर निबन्धक, संयुक्त निबंन्धक, उप निबन्धक, सहायक निबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों से जैसा वह उपयुक्त समझे, नियुक्त

कर सकती है।

(3) (अ) राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनकी नियुक्ति उप धारा 2 के अन्तर्गत हुई है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

(ब) सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति उप धारा (2) के अन्तर्गत हुई है, निबन्धक के सामान्य निर्देशों, अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगें;

(स) जहों इस अधिनियक के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उप धारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझे जायेगें।

Registrat and other officers & their powers

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the State Govt. may appoint a person to be the Registrar of Co-operative societies for the State.

(2) To assist the Registrar in his functions under this Act, the State Govt. may appoint such number of Additional Registrars, Joint Registrar, Dy. Registrars, Assistant Registrars and other persons with such designations as it may think.

(3) (a) The State Govt. may by general or special order, confer on a person or persons appointed under section 2 all or any of the powers of Registrar under this Act;

(b) Every person appointed under sub section(2) shall work under the general guidance and the suprintendence and control of the Registrar;

(c) Where any order has been made under sub section(2) conferring on any person all or any of the powers of the Registrar under any provision of this Act such order shall be deemed to confer on him all the powers under that provision as may be amended from time to time.

सहकारी समितियाँ जो निबन्धित की जा सकती हैं

4. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो इस अधिनियम के अधीन निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन नहीं किया जायेगा, जो निबन्धक की राय में आर्थिक रूप से सुस्थित (Economically sound) नहीं है, अथवा उसके निबन्धन से किसी अन्य समिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा वह समिति तथा उसके कार्य लोक नीति के विरुद्ध हैं।

सहकारिता सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे-

(1) स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता।
(2) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण।
(3) सदस्य की आथ्रिक सहभागिता
(4) स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता।
(5) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना।
(6) सहकारी समितियों के बीच सहयोग।
(7) समुदाय के लिए चिंता।

Socleties which may be registered

4. Subject to the provisions of this Act. a society which has as its objects the promotion of the economic interest of its members or their general welfare in accordance with Co-operative principles* or a Society established with the object of facilitating the operations of such a society, may be registered under this Act.

PROVIDED that it shall not be registered, if in the opinion of the Registrar, it is economically unsound, or its registration may have an adverse effect upon any other sociaty, or it is opposed to, or its working is likely to be in contravention of public policy;

*Co-operative Principles shall Include:

(1) Voluntary & open membership;

(2) Democratic mamber control;

(3) Member Economic participation;

(4) Autonomy & Independence;

(5) Education, Training & Information;

(6) Co-operation amongst co-operatives;

(7) Concern for community.

सीमिति अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन

5. (1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो सीमित हो सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द ''सीमित'' अथवा उसका अंग्रेजी पर्याय (Limited) होगा।

Registration with limited or unlimited liability

5. (1) A society may be registered as a co-operative society with limited or unlimited liability:

Provided that a society having another co-operative society as its ordinary member shall be registered only with limited liability.

(2) The word 'सीमित' or its equivalent in English "Limited" shall be the last word in the name of a society registered under this Act with limited liability.

निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र

6. (1) सीमित के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा, जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करे, तथा प्रार्थी सीमित के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे, जिसकी वह अपेक्षा करे।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूति की जायेगी, अर्थात:-

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी;

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र होगा।

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 17 के खण्ड (ख) से (च) तक के किन्हीं भी खण्डों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे;

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हो, तो दस से कम न होगी और अन्य दशाओं में पांच से कम न होगी;

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती गांव के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों;

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग मा माना जायेगा, यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों।

Application for registradon

6. (1) An application for the registration of a society shall be made in the manner prescribed by the Registrar in such forms as the Registrar may from time to time specify; and the applicants shall furnish to him all such informations about the society as he may require.

(2) Every such application shall conform to the following requirements namely-

(a) that it is accompanied by three copies of the proposed bye-laws of the society;

(b) that the applicants are eligible for membership under Section 17.

(c) that the application is duly signed by every applicant himself, if he is an individual, and by a duly

authorized person if the applicant is any of the persons mentioned in any of the clauses(b) to (g) of Section 17;

(d) that the number of applicants, who are to be ordinary members of the society, is not less than ten, if all the applicants are individuals, and is not less than five in all other cases;

(e) that where the objects of the society include the creation of funds to be lent to its members, all the applicants who are to be the ordinary members of society. if individuals reside in the same town or village or a group of contiguous villages, or belong to the same class;

Explanation : for the purposes of this clause any two or more persons shall be deemed to belong to the same class, if they pursue the same occupation or are under a common employers.

निबन्धन

7 (1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि–

(क) प्रार्थना–पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है;

(ख) प्रस्तावित सहकारी समिति के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार है;

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं ; तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया अथवा समितियों के उस वर्ग के जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं कीह तथा सुस्थित कारोबार (Sound Business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं, तो निबन्धक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक यदि प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से दो महीने के भीतर समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश नहीं देता तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, जो किसी समिति को निबद्ध करने से इन्कार करने के निबन्धक के आदेशों के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील सुनने के लिए सक्षम हो और यदि ऐसा प्राधिकारी निबन्धक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात समिति का निबन्धन करने के लिए आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गई समझी जायेगी।

(2) यदि निबन्धक सिी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना–पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा।

Registration

7. (1) If the Registrar is satisfied-

(a) that the application complies with the provisions of this act and the rules;

(b) that the object of the proposed society are in accordance with Section 4;

(c) that the proposed bye-laws are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules; and

(d) that the proposed society complies with the requirements of rules in regard to the existence of any conditions in general or for the class of societies to which the particular society belongs and with the requirements of sound business and has reasibavke cgabces if success.

The Registrar shall register the society & its bye-laws. However, if the Registrar does not pass final orders thereon either registering the society or refusing its registration within two months from the date of the reseipt of the application by him, the applicants may make a representation to the authority competent to hear under Section 98 appeals against Registrar's order of refusal to register a society and if such authority, after calling for a report from the Registrar, passes an order for registration of society, the society shall be deemed to have been duly registered from the date of communication of such order to the Registrar.

(2) Where the Registrar refuses to register a society, he shall communicate the order of refusal together with the reasons to such applicant as has been named in the application for this purpose and in default of such naming, to any one of the applicant.

निबन्धन प्रमाण–पत्र

8. (1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाय, तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण–पत्र जारी करेगा। जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है, तब तक उक्त प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है।

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक समिति के लिए उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप में भागी होगा।

Registration certificate

8. (a) Where a society is registered under this Act or deemed to be registered under the provison to sub-section (1) of Section 7, the Registrar shall issue a certificate of registration signed by him which, unless the registration is proved to have been cancelled, shall be conclusive evidence that the society therein mentioned is a co-operative society duly registered under this Act.

(b) No person or society shall commence business in the name of, or professing to be, a co-operative society unless a certificate of registration has been obtained under sub-section(1) for such society and every person or member of society carrying on business in contravention of this sub-section, shall be personally liable for all liabilities incurred in such business.

सहकारी समितियाँ नियमित निकाय होंगी

9. निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबन्धित हुई हो, निगमित निकाय हो जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी। उनका सम्पत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विभिन्न कार्यवाहिंया संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिए वह संगठित हों, उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

Co-operative societies to be bodies corporate

9. The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and acommmon seal, and with power to hold property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purpose for which it was constituted.

सहकारी समिति का नाम परिवर्तन

10. (1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है, तो निबन्धक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धन प्रमाण–पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायादों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायेगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गयी हो या आरम्भ की गयी हो, उसके नये नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है।

Change of name of Co-operative society

10. (1) A co-operative society may, by amending its bye-laws, change its name.

(2) Where a co-operative society changes its name, the Registrar shall enter the new name on the register of co-operative societies in place of the former name and shall amend the certificate of registration accordingly.

(3) The change of name of a co-operative society shall not affect any rights or obligations of the society or of any of its members, past members, officers, past officers, or the heirs of any of them, if deceased, or render defective any legal proceeding by or against the co-operative society and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the society by its former name, may be continued

or commenced by its new name.

दायित्व में परिवर्तन

11. (1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति, अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयती में परिवर्तन कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प पारित किया हो तो वह उसको लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति अपने अंशों, जमा की गयी धनराशि या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे, यह समझा जायेगा कि उसने परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति में परिवर्तन किया गया हो, उस समय तक निबन्धि नहीं किया जायेगा जब तक कि–

(क) उसके लिए समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करे, पूरी तौर से न कर दी गई हो।

Change of liabilities

11. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, a co-operative society may be an amendment of its bye-laws, change the form or extent of its liability.

(2) Where a co-operative society has passed a resolution to change the form or extent of its liability, it shall give notice thereof in writing to all its members and creditors and notwithstanding any bye-law or contract to the contrary, any member or creditor shall, during a period of three months from the date of service of the notice upon him, have the option of withdrawing, subject to the provisions of Section 41, his shares, deposits or loans as the case may be.

(3) Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub-section(2), shall be deemed to have assented to the change.

(4) An amendment of the bye-laws of a co-operative siciety changing the form or extent of its liability shall not be registered until, either-

(a) it has been assented to or deemed to have been assented to by all the members and creditors; or

(b) all claims of members and creditors who exerise the option referred to in sub-section(2) within the period specified therein have been met in full.

सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन

12. (1) सहकारी समिति इस अधिनियकम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।

(2) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबन्धक के पास भेजा जायेगा और यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन–

(1) अधिनियम की धारा 4 ममें निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, तथा

(2) अधिनियम या नियमों के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है तो वह संशोधन को निबन्धित कर सकता है।

(3) यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधन को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा।

Amendment of bye-laws of a co-operative society

12. (1) A co-operative society may, subject ot the provisions of his Act and the rules, amend its bye-laws in the

manner prescribed:

Provided that no such amendment shall be vild and operative unless it has been registered under this Act.

(2) The proposal for an amendment of the bye-laws shall be forwarded to the Registrar and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment-

(i) is not contrary to the object specified in Section 4 of the Act; and

(ii) is not contrary to the other provisions of the Act or the rules, he may register the amendment.

(3) Where the Registrar refuses to register an amendment of the bye-laws of a co-operative society, he shall communicate the order of refusal, together with the reasons thereof, to the society.

उपविधियों के संशोधन कब प्रचलित होंगे

13. यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबन्धित हुआ हो।

When amendments of bye-laws come into force

13. An amendment of the bye-laws of a co-operative society shall, if it is expressed to come into operation on a particular day after registration, come into force on that day, but in all other cases on the day on which it is registered.

उपविधियों में संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार

14. (1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की राय यह हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जाये, पंजीकृत डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संशोधन को निबन्धित कर सकता है तथा समिति को पंजीकृत डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गइ हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबन्धित कर दिया गया है तथा इसके विरूद्ध अपील यदि कोई की गयी है, के अधीन समिति एवं उसके सदस्यों पर लागू होगा।

Power to direct amendments in bye-laws

14. (1) Where the Registrar is of the opinion, whether on the representation of a member of a co-operative society, or otherwise, that an amendment in the bye-laws of a co-operative society is necessary or desirable in the interests of such society or in public interest, he may, under such circumstances as may be prescribed, by order in writing issued to the society by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in the order.

(2) If the society fails to make the amendment with in the time specified, the Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendment and issue to the socity by registered post a copy of the amendment certified by him which shall be conclusive evidence that the amendment has been du,ly made and the bye-laws as amended shall, subject to appeal (if any) be binding on the society and its members.

सहकारी समितियों का समामेलन और विलयन

15.(1) निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अपनी-अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिए उनके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक समिति में समामेलित ( ) होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती है। ऐसे संकल्प (जिसे आगे प्रारम्भिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति समामेलन या विलयन के समस्त ब्यौरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होतु हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा

(4) में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दिया जायेगा, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी, अर्थात् :-

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकृत की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।

(3) (I) ऐसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर नोटिस द्वारा उस समिति की जिसका व सदस्य हो, समामेलन की दशा में नयी समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है;

(II) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता इसके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध होते हुए भी उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत होने के पश्चात उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिए उन्हें कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए बुलाई जायेगी। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाये तो वह -

(1) समामेलन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नयी समिति और उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा तथा

(2) विलयन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''सदस्यों'' के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि (Delegates) भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए चुने गये हों।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (I) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (2) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान, अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नई समिति को यथास्थिति, निबन्धित करने या विलीन करने की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है।

(7) उपधारा (4) के अधीन नई समिति के निबन्धन अथवा विलयन की स्वीकृति, यथास्थिति, समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसम्पत्तियों अथवा दायित्वों के समामेलन की दशा में नई समिति में तथा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति, नई समिति के इस प्रकार निबन्धित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दी जाने पर, समामेलित समितियों या उस समिति अथवा उन समितियों का जिसे या जिन्हें अन्य समिति मे विलीन कर दिया गया हो, निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

Amalgmation and merger of co-operative societies

15. (1) Any two or more co-operative society may, after duly informing the Registrar, at their respective ordinary general meetings, called for the purpose, of which at least fifteen clear days' notice shall be given to their respective members, resolve, by a majority of at least two-thirds of the members presen, to amalgamate into one society or to merge into any of them. The Resolution (hereinafter called preliminary resolution) shall contain all particulars of amalgamation or merger, as the case may be, including the transfer of assets

and liabilities to the new society in case of amalgamation and to the continuing society in case of merger and also the by-laws of such a society.

(2) Notwithstanding any other provision of this act or of any bye-laws of any society, notices of any meeting refeerred to in sub-section (1) or sub-section(4) shall be given to the members of the societies concerned, and copies of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of such societies in any one or more of the following manners, namely-

(a) by delivery in person under acknowledgement in writing, or

(b) except in respect of any person who has acknowledged receipt in writing under clause(a), by post under certificate of posting at the address of each such person as noted i the society's records, and also by publication in a newspaper having circulation in the area of operation of the society.

(3) (i) Any member of any such socity may notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice to the society of which he is a member [within a period of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause(a) of sub-section(2) or, as the case may be, from section] intimate his intention not to become a member of the new society in case of amalgamation, or to be a member of the continuing society in case of merger.

(ii) Any creditor of any such society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society of which he is a creditor within the said period, intimate his intention to semand a return of the amount outstanding to his credit.

(4) After the expiry of [the period referred to in clause(i) of sub-section(3)], a joint meeting of the members of such societies of which at least fifteen clear days' notice shall be given to them, shall be convened for considering the preliminary resolution. If, at such meeting, the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members, present, either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar, are not material which shall be final, he may-

(i) in the case of amalgamation, subject to the provisions of sub-section(5) and (6) and Section 7, register the new society and the bye-laws thereof; and

(ii) in the case of merger, give subject to the provisions of sub-section(5) and (6). his sanction thereto.

Explanation : for the purpose of this sub-section the term "members" shall include any delegates of members selected for the purpose in accordance with rules, made in this behalf.

(5) While confirming the preliminary resolution under sub-section (4), provision shall be made by anotherresolution for--

(i) the repayment, subject to the provision of Section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause(i) of sub section(3); and

(ii) the-satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If, within such time as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members, referred to in sub-section(5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not safisfied, the Registrar may refuse to registere the new society or to sanction the merger, as the case may be.

(7) The registration of a new society or the sanction of merger under subsection(4) shall be a fufficient conveyance to vest in the new society in the case of amalgamation and in the continuing society in the case of merger, all the assets and liabilies of the amalgamated societies or merged society or societies, as the case may be, anything contained in any other law for the time being in force to the contrary notwithstanding; and on such registration of a new society or sanction or marger, as the case may be the registration of the amalgamated societies or of the society or socleties which has or have merged into another society, shall be deemed to have been cancelled.

सहकारी समितियों का विभाजन

16.(1) कोई सहकारी समिति, निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो और जिसके लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायेगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है। इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में प्रारम्भिक ''संकल्प'' कहा गया है) समिति की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उन नयी समितियों में विभाजित करने के प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हो और उसमें प्रत्येक नई समिति का कार्यक्षेत्र नियत किया जा सकता है और उसे संगठित करने वाले

सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा मे निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस समिति के सदस्यों को दिया जायगा और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी।

(3) (I) समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुए भी (धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा को उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, यथास्थिति उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से, 30 दिन की अवधि के भीतर) समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नई समिति के द्वारा समिति का सदस्य न बनने के लिए अपने विचार की सूचना दे सकता है; (II) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबन्ध के होते हुए भी, उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4)उपधारा (3) के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के, व्यतीत होने के पश्चात् प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक बुलायी जायगी, जिसके लिए उसके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगा), महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा। इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी।

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन समस्त सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (II) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबन्धित करने से इन्कार कर सकता है।

(7) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पत्तियों और दायित्वों का नयी समितियों में उपधारा (4) के अधीन पुष्टीकृत प्रारम्भिक सकल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

Division of Co-operative societies

16. (1) Any co-operative society may, after duly informing the Registrar, at a general meeting called for the purpose of which, at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, resolve to divide itself into two or more societies. The resolution (hereinafter in this section referred to as the preliminary resolution) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the society among the new societies into which it is proposed to divide it and may prescribe the area of operation of the specify the members who will constitute each of the new societies.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of such society, notice of any meeting referred to in this section shall be given to the members of the society and a copy of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of the society in any one or more of the manners specified in sub-section (2) of Section 15, which shall mutatis mutandis apply.

(3) (i) Any member of the society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the society [within a period of thirty days fpr, tje date of receipt of a copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section(2) of Section 15 as applicable by virtue of sub- section(2) of this section, or as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) thereof]. Intimate his intention not to become a member of any of the new societies.

(ii) Any creditor of the society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within the said period, intimate his intention to demand a return of the amount outstanding to his

credit.

(4) After the expiry of [the period referred to in clause (i) of sub-section(3)] a general meeting of which at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, shall be convened for considering the preliminary resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present, either without changes or with such changes, as in the opinion of the Registrar are not material, he may, subject to the provisions of sub-section(5) and (6) and Section 7, register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration, the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) While onfirming the preliminary resolution under sub-section (4), provisions shall be made by another resolution for;

(i) the repayment, subject to the provisions of Section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause(i) of subsection(3); and

(ii) the satisfaction of the ciaims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If, within such times as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members, referred to in sub-section(5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not satisfied, the Registrar may refuse to register the new societies.

(7) Notwithstanding any thing in any other law for the time being in force, the registration of the new societies shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the original society in the new societies in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed under subsection (4).

सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन का निर्देश देने का निबन्धक का प्राधिकार

16.(क) (1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन उनकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है तो वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्त पोषक बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समितियां ऋणी हैं, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, समामेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियं ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेंगी जो धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के समामेलन या विलीन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में समामेलित या विलीन होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 15 की उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जा इस धारा के द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समितियों की निधियों से, धरा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 15 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के यथास्थिति समामेलन या विलयन की घोषणा करेगा तथा समामेलन की दशा में इस प्रकार की बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन विलयन या नयी समिति के निबन्धन की घोषणा से धारा 15 के अधीन विलयन या निबन्धन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

Powers of Registrar to direct amalgamation or merger of co-operative societies

16-A (1) Where in the opinion of the Registrar amalgamation or merger of two or more co-operative Societies is necessary or desirable for increasing their strength or usefulness, he may, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the societies are indebted, call upon such societies by order in writing, to amalgamate or merge, within such time as may be specified by him, into one society, and thereupon the societies shall take all such steps, as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of Section 15.

(2) On the failure of the societies to amalgamate or merge in accordance with the order passed under sub-section (1), the Registrar may, by order in writing, direct amalgamation or merger of the societies into one

society.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the societies concerned for the purpose of sub- sections(2) and (3) of Section 15, and the Registrar shall take such further steps as required by that section.

(4) After the expiry of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section(2) of Section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) of that sub-section, the Registrar shall, from the funds of the societies concerned, repay, subject to the provisions of Section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all the creditors, who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub- section (3) of section 15 and thereafter declare the amalgamation or merger, as the case may be of the societies and in the case of amalgamation register the new society so formed and its bye-laws.

(5) A declaration of merger or registration of the new society under sub- section (4) shall be deemed to be a merger or registrateion under Section 15 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to it.

किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों के विभाजन करने का निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार

16.(ख)-(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हिम में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनाई जाने के लिए किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये या वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समिति ऋणी है, ऐसी समिति का दो या अधिक समितियों में ऐसे संघठनों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, अ धिकारों, कर्तव्यों और आभारों के साथ जो आदेश में, निर्दिष्ट किये जायें विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है और तद्परान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहिया करेगी जो धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 16 के लिए सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा, और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समिति की निधियों के धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 16 की उपधारा (3) के क्रमशः (1) या (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त नयी समितियों तथा उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा। इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सभी समितियों का निबन्धन, धारा 16 के अधीन निबन्धन समझा जायेगा, और उस धारा की उपध ाारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे।

Power of Registrar to direct division of a co- operative society into two or more co-operative societies

16.B (1) Where in the option of the Registrar it is essential in public interest or in the interest of the co-operative movement, or desirable for the purpose of securing better management of a co-operative society, that any co-operative Society should be divided to form two or more societies, he may notwitrhstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the society is indebted, call upon such society by order in writing to divide itself into two or more societies with such constitutions, assets, liabilities, rights, duties and obligations as may be specified in the order, and thereupon the society shall take all such steps as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of Section 16.

(2) On the failure of the society to divide itself in accordance with the order passed under sub-section (1), the Registrar may by order in writing, direct division of the society into two or more societies.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the

society concerned for the purpose of Section 16, and the Registrar shall take such further steps as are required by that section.

(4) After the expiry of [thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of Section 15, or as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause(b) of that sub-section], the Registrar shall, from the funds of the society concerned repay, subject to provision of Section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all the creditors who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub-section (3) of Section 16, and thereafter register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) The registration of the new societies under sub-section (4) shall be deemed to be registration under Section 16 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to them.

अध्याय–3

सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

CHAPTER - III

MEMBERS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES AND THEIR RIGHTS AND LIABILITIES

सहकारी समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं

17. (1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्–

(क) धारा 18 की उपधारा (3) धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) तथा स्कूल, कालेज तथा यनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लाभार्थ बनाई समिति में सदस्यता के लिए की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार संविदा करने के लिए अर्ह हो;

(ख) अन्य कोई सहकारी समिति;

(ग) राज्य सरकार;

(घ) केन्द्रीय सरकार;

(ङ) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 (ऐक्ट सं0 58, 1963) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन);

(च) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म;

(छ) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खण्ड के अन्तर्गत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाममात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया गया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिए उपयोगी है;

(ज) स्वयं सहायता समूह जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमैन्ट) द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करते हों;

(झ) विद्यार्थियों के हितार्थ गठित की गई सहकारी समितियों में सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में जो नियत किया जाये, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

Person who may be mambers of a co-operative society

17. (1) No person shall be a member of a co-operative society except the following namely-

(a) an Individual, who is competent to contract unser the Indian Contract Act, 1872 excepting the provisions contained in Section 18(3) (a), Section 80 & sub-section 2 of Section 81 & in respect of an Individual seeking admission to a society exclusively formed for the benefit of students of a school, college or University.

(b) any other co-operative society;

(c) the State Government;

(d) the Central Government;

(e) the State Warehousing Corporation established or deemed to be established under the Warehousing Corporation Act, 1962(Act L Vill of 1962);

(f) a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932;

(g) a body corporate not covered by any other clause and approved by the Registrar, for ordinary or norminal membership of co-operative societies in general or any particular co-operative society or class of co-operative societies on the ground of its being useful in the development of such societies, society or class of societies;

(h) self help groups which fulfil the parameters approbved by NABARD (National Bank for Agriculture & Rural Development);

(i) there shall be no restriction as to minimum age limit in societies constituted for the benefit of students.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-section(1) a joint-stock company or an individual shall not be admitted as an ordinary member in such co-operative society or societies or class of a co-operative societies as may be prescribed.

सदस्यों के वर्ग

18. (1) सहकारी समिति में साधारण सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं :

(क) नाम मात्र सदस्य

(ख) सम्बद्ध सदस्य

(2) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है;

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा, और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता का पात्र होगा।

(3) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अव्यस्क भी है जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थाई कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है,

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(4) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किये जायें।

Classes of members

18. (1) A co-operative society may, in addition to ordinary members, have the following kinds of members-

(a) Nominal members;

(b) Associate members.

(2) (a) A person with whom the co-operative society has or proposes to have business dealing may be admitted as a nominal member;

(b) A nominal member shall have no right to share in the profits of the society nor shall be eligible for the membership of the committee of management.

(3) (a) any individual including a minor who is a seasonal or temporary worker or apprentice in the business of the society or who is otherwise Interested in such business may be admitted as an Associate member.

(b) An associate member shall not be ellgible for the membership of the committee of management nor have a right to share in the profits otherwise than as wages and bonus.

(4) Save as provided in this section or elsewhere in this Act, a nominal or Associate member shall have such privileges and rights of a member and be subject to such liabilities of a member, as may be specified in the bye-laws of the society, or the rules.

सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय

19. सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध

में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

Member not to exercise right till due payment made

19. No member of a co-operative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payment to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society as may be specified in the rules or the bye-laws of the society.

सदस्यों के मत

20. सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा,

(क-क) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि-

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छ:मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखण्ड (I) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण-

(1) इस खण्ड के प्रयोजनाथ्र शब्द ''बाकीदार'' का तात्पर्य-

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से हैं; जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शब्द 'देय दिनांक' का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा।

(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा यदि वह उस धनराशि का जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो-

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व ;

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो (नियम रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा;

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा; और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यो मे प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

Vote members

20. A member of a co-operative society shall, notwithstanding the quantum of his interest in the capital of the society, have one vote in the affairs of the society.

Provided further that-

(a) no nominal or associate member shall have the right of vote;

(aa) a member shall have no right of vote if-

(i) he is dafaulter and has been a defaulter for a period of not less than six months; or

(ii) he is a delegate of a society which is such defaulter as is referred to in sub-clause(i)

Explanation I- For the purpose of this clause, the word "defaulter" means:-

(i) a member (whiether individual or body corporate) who has failed to pay any dues of the society concerned on the fue date. or

(ii) a member co-operative society which has failed to pay not less than 75 percent of the total dues on the due date.

Explanation II- In the case of a transaction between a society and its members where there is no documents evidencing the transaction in which the due date is specified the expression 'due date', for the purposes of the preceding explanation shall mean the date of expiration of six months trom the date of transaction.

Explanation III- A member shall cease to be treated as defaulter if he pays the sum for non-payment of which such member became defaulter-

(i) in the case of an election, on or before the date fixed under the rules for deciding objections against the provisional voters ' list;

(ii) in any other case, before the commencement of the meeting;

(b) where a co-operative society, the State Warehousing Corporation or a body corporate is a member of such society, each delegate of such co-operative societies, State Warehousing Corporation or body corporate, (appointed in the prescribed manner) to the general body of such society shall have one vote;

(c) where the State Government or the Central Government is a member of such society, each person nominated according to the laws by the State Government or the Central Government on the committee of management or the general body of the co-operative society shall have one vote;

(d) the rules or the bye-laws may provide for a group of members or any class of members partaking in the affairs of the society through a delegate or delegates, each delegate having one vote;

मतदान की रीति

21. प्रत्येक व्यक्ति, विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

Manner of exercising vote

21. Every individual member, every delegate and every nominee shall exercise his vote in the affairs of a co-operative society in person and no member, delegate or nominee shall be permitted to vote by proxy.

अंश धारण करने पर निर्बन्धन व्यक्ति विशेष सदस्य

22. (क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाये, अधिक धारित करेगा और

(ख) न (ऐसी धनराशि जो नियत की जाय) अधिक अंकित (Nominal) मूल्य के अंशें में कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा।

Restriction on holding of shares

22. A member who is an individual shall-

(a) neither hold more than such portion of the total share capital of the society, no exceeding one-fifth thereof, as may be prescribed;

(b) nor have or claim any interest in the shares of the society exceeding (such amount as may be prescribed) in nominal value.

अंश या हित के संक्रमण पर निर्बन्धन

23. (1) किसी सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तो और निर्बन्धन के अधीन होगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अपने अंश या हित का संक्रमण वैध न होगा, यदि–

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो;

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो या

(ग) संक्रमण का अनुमोदउन समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) में किसी वाद के होते हुए भी सहकारी समिति, ऐसी शर्तो के रहते हुए जो नियत की जाय, समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है।

Restriction on transfer of shares or interest

23, (1) The transfer of a share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall be subject to such conditions and restrictions as to the maximum holding as are specified in Section 22.

(2) No transfer by a member of his share or interest in the capital of a co-operative society shall be vild unless-

(a) the member has held such share or interest for not less than one year;

(b) the transfer is made to the society or a member of the society, and

(c) the transfer is approved by the committee of management of the society.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section(2) a co-operative society may, subject to such conditions as may be prescribed, permit the transfer of acqyire or retain the share or interest of any member in the capital of the society.

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हित का संक्रमण

24. (1) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्रूक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति कोई ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रूप से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और सीमित दायित्व के बने रहने के लिए धारा 25 में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के 3 माह के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी।

(3) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाय, यथास्थिति, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि को करेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति के द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के विरूद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां की हुई किसी बात का अधिकार सम्पन्न दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे इस धारा के अधीन कोई संकल्प या भुगतान किया गया हो।

(5) उपधारा (2) और (3) की किसी बाता का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्यों के विरूद्ध अपने अवशिष्ट दावों की मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य या अन्य धनराशियों के वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा।

Transfer of interest on death of member

24. (1) On the death of a member of a co-operative society, the society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person or persons nominated in the manner prescribed, or if no person has been so nominated, to such person as may appear to the Committee of Management to be the heir or legal representative of the deceased member;

Provided that no such transfer shall be made unless such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is admitted as a member of the society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), any such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require the society to pay to him the value of the share or interest of the deceased

member ascertained in the manner prescribed and the society shall pay the amount due within three months from the expiry of the period provided in Section 25 for the continuance of liability.

(3) A co-operative society shall pay all other moneys which may be found due to the deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be.

(4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person;

Provided that nothing herein shall effect the right of the rightful heir or legal representative to make any claim against the persons to whom any transfer or payment has been made under this section.

(5) Nothing contained in sub-sections(2) and (3) shall prejudice the right of society under this Act to realize its outstanding claims against the deceased member out of the value of share or interest of, or other moneys due to, the deceased member,

भूतपूर्व सदस्य की और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व

25. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा का, समिति के ऐसे ऋणों के लिए दायित्व जो –

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही न रह गया हो, और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को विद्यमान थे, उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा।

(2) यदि धारा 72 के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाये, ता ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो समापन आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्ष के भीतर, यथाास्थिति, सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाये, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे।

Liability of past member and estate of deceased member

25. (1) Subject to the provisions of sub-section(2) the liability of past member or of he estate of a deceased member of a co-operative society for the debts of the society as they existed-

(a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member; and

(b) in the case of a deceased member, on the date, of his death; shall continue for a period of two years from such date.

(2) Where a co-operative society is ordered to be wound up under Section 72, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died within two years immediately prewinding up proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of his ceasing to be a member or death, as the case may be.

सदस्य बनाना अथवा सदस्यता छोड़ना

26. (1) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

(2) यदि किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाए तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायेगी।

(3) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत न हो, समिति को कम से कम एक माह का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो, जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है। सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, जो नियत रीति से सुनिश्चित किये गये हों, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का हकदार होगा।

Adnission to and withdrawal from membership

26. (1) A person may be admitted as a member of a co-operative society subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.

(2) Where a person is refused admission as a member in a co-operative society, the decision refusing admission shall be communicated by the society to that person within seven days of the date of the decision.

(3) A member of a co-operative society, if he is not in debt to the society or is not a surety for any unpaid debt, may withdraw from the membership of the society after giving at least one month's notice to the society, provided that he has put in such minimum period of membership, if any, as may be laid down in the bye-laws of the society which may also provide for a longer period of notice not exceeding six months. After the expiry of the period of notice of withdrawal he shall be deemed to have withdrawn and after the expiry of the period specified under Section 25, he shall be entitled to repayment of his dues outstanding against the society in respect of his shares as ascertained in the manner prescribed.

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

26. (क) (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिये अर्ह है और किसी प्रारम्भिक ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना-पत्र देता है तो यह समझा जायेगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति के सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात किसी समय यह पता लगे कि संबद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होतु हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वत: या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाये, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा।

Universal membershop for primary agricultural credit society

26-A. (1) Any individual who is qualified for admission to membership under the provision of this Act, the rules and the bye-laws and makes an application in the manner prescribed, for membership of a primary agricultural credit society shall be deemed to have been admitted to the membership of such society from the date of receipt of such application in the office of the society.

(2) If at any time after the date of admission of the individual under subsection (1), it is discovered that the individual concerned is not qualified, under this Act, the rules or the bye-laws, to become a member of such society, the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, either suomoto or on the application of the concerned society within a period of three months from the date of such discovery give notice to such individual to show cause why he should not be removed from the membership of the society, and upon an order of the Registrar made in this behalf such individual shall, from the date of the order, cease to be the member of such society.

सदस्य या समिति का निबन्धक द्वारा हटाना या निकाला जाना

27. (1) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, हटा या निकाल सकती है।

(2) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है:-

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिए अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्हित हो जाय, और सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाय, उसे उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार निबन्धक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाये या निकाले, या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित न किया जायेगा जब तक

कि सम्बन्धित सदस्य को उन कारणों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर उसे हटाये या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिए समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प या उपधारा (2) के अधीन आदेश का, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के विरूद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार हटाये गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा।

Removal or expulsion of a member by a society ro the Registrar

27. (1) A co-operative society may, by resolution, remove, or expel a person from its membership in accordance with such proceduer and for such causes and within such period as may be perscribed.

(2) The Registrar may also remove or expel a person from the membership of a co-operative society-

(a) if the person has ceased to fulfil the qualifications required for membership, or is disqualified to be a member under this Act or the rules or the bye-laws of the society, and the co-operative society, even when required by the Registrar by order in writing, fails to remove or expel him, in accordance with the provisions of sub-section(1) within thirty days from the receipt of the order of the Registrar; or

(b) if the person was admitted to the membership of the society in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the spciety.

(3) No resolution under sub-section(1) and no order under sub-section (2)[shall be passed unless the member concerned has been afforded reasonable opportunity of being heard in respect of the grounds on which his removal or expulsion is proposed to be made.

(4) A resolution under sub-section(1), or an order under sub-section(2), shall, subject to the result of appeal, if any against the resolution or the order, as the case may be, with effect from the date of communication of the resolution or the order, have the effect of termination the membership of the member so removed or expelled, but without prejudice to his rights and liabilities under this Act, the rules or the bye-laws of the society, as a past member.

(5) No member of a co-operative society, expelled under sub-section(1) or sub-section(2), shall be eligible for re-admission as a member of that society for a period of two years from the date the resolution or order of expulsion takes effect and the shall further be not eligible to hold any office under that society, or to seek election to its committee of Management for a period of three year from the date of his re-admission as a member.

अध्याय–4
समितियों का प्रबन्ध
CHAPTER - IV
MANAGEMENT OF SOCIETIES

सहकारी समिति में अन्तिम प्राधिकार

28. इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाय (अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा) और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे।

Final authority in co-operative society

28. subject to the provisions of this Act and the Rules the final authority of a co-operative society shall vest in the general body of its members in general meeting;

Provided that, in such circumstances as may be prescribed, (the final authority shall vest in the delegates of such members alected in the manner prescribed), and assembled in general meeting and in such case all references in this Act, the rules or the bye-laws to the general body and general meeting shall be deemed to be references to the body consisting of such delegates of members and to the general meeting of such delegates.

प्रबन्ध कमेटी

29. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संगठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें।

(2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा।

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन, निर्वाचन करने के लिये निबंधक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 4 माह पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा 2 के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे, यदि किसी कारणवश प्रबन्ध समिति कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व से निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करती है तो निबन्धक का दायित्व होगा कि वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन करा दे।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव या प्रबन्ध निदेशक जिस नाम से भी हो का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिए अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजें।

(5) (क) जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में 'कमेटी' कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाये वहां उसमें एक सभापति और पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवक होगा।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाये।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव या प्रबन्ध निदेशक कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण- जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सकें हों, वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक समय-समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पूव्र यथास्थिति प्रबन्ध लेने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाये, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी।

Committee of Manage ment

29. (1) The management of every co-operative society shall vest in Committee of Management constituted in accordance with this Act, the rules and the bye-laws, which shalll excrcise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed by this Act, the rules and the bye-laws.

(2) The term of every Committee of Management shall be five years and the term of the elected members of the Committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

(3) Election to reconstitute the Committee of Management of a co-operative society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the Registrar at least four months before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section(2); If the committee of management fails to do so then Registrar will conduct the election before two month of expiry of the term of Management committee.

(4) It shall be the duty of Chief Executive (Secretary/G.M./Managing Director by whatsoever name he is designated) of the Co-operative society to send to the Registrar, four months before the expiry of the term of Committee of Management, a requisition for conducting the election and to furnish all such information as may be required by him within such period as may be fixed by him.

5.(a) Where, for any reason whatsoever, the election of he elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before the expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act or the rules, or the bye-laws of the society, cease to exist on the expiry of such term.

(b) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator or a Committee of Administrators (hereinafter, in this section, referred to as the Committee) for the management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the Rules and the bye-laws of the society, and the Registrar shall have the power to change the Administrator or, as the case may be, any member of the Committee or to apppoint a Committee in place of an Administrator or vice verse from time to time.

(c) Where a committee is appointed under clause(b), it shall consist of a Chairman and such other members not exceeding five as may be nominated by the Registrar, out of which at least one shall be Government servant.

(d) The procedure for summoning and holding of meetings of the Committee, the time and place of holding such meetings, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form quorum thereof shall be such as may be prescribed.

(e) So long as no administrator or, as the case may be, the Committee is appointed under clause (b), Chief Executive i.e. the Secretary/G.M. or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation - Where results of the election of mambers of the committtee of management have not been or could not be declared, for any reason whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee of Management, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place within the meaning of this sub-section.

(6) The Admistrator or the Committee appointed under sub-section(5) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management and the Chairman of such Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman of the Committee of Management.

(7) The Administrator or the Committee, as the case may be, appointed under sub-section(5), shall as soon as may be, but not later than the expiry of ony year from the date of appointment, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management of the society from the Administrator or the Committee, as the case may be;

Provided, that where an administrator is replaced by a Committee or a Committee by an Administrator as provided in clause(b) of sub-section(5), the period of one year shall count from the date the Administrator or the Committee, as the case may be was originally appointed.

सभापति

30. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उपसभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) सभापति उपस्थित रहने पर :

(अ) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ब) किसी मामले में प्रबंध कमेटी एवं सामान्य निकाय में निर्णय के समय बराबर मत होने की दशा में एक और मत देने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में उपसभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट न हो जाये।

Chairman

30. (1) Every co-operative society shall have a Chairman and Vice-chairman elected or nominated in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.

(2) The chairman shall, when present-

(i) Preside only the meeting of the general body and the Committee of Management; and

(ii) have a second vote in the event of equality of votes on any matter being decided by the Board & General Meeting and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by this Act. the rules, the bye-laws and the reslutions of the Committee of Management.

(3) The Vice-chairman shall preside, in the absence of the Chirman, at the meeting of the general body or the Committee of Management and shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him in writing by the Chairman subject to the bye-laws.

(4) In the event of occurrence of any vacancey in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or removel or otherwise, the Vice-chirman shall perform the duties of the Chairman until the date on which a new Chairman is duly elected or nominated.

सभापति य उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

30. (क)(1) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियत व्यवस्था के अनुसार लाया और चलाया जा सकेगा।

(2) जब सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से वह अपना

पद छोड़ देगा और उसका स्थान नियत व्यवस्था के अनुसार उसी बैठक में उसके स्थान पर चुने गये प्रतिस्थानी द्वारा ले लिया जायेगा।

Motion of noconfidence against Chairman of Vice-chairman

30.A. (1) A motion expressing no-confidence agains the Chairman or the Viace chairman of a Co-operative society shall be made and proceeded with in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) When a motion for no-confidence is carried, the Chairman or the Vice- chairman against whom it is carried shall cease to hold that office forthwith and shall be succeeded by his successor, who shall be elected by another resolution in the same meeting in the manner as may be prescribed.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं उसकी उपलब्धियां और कृत्य

31. (1) प्रत्येक सहकारी समिति में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) होगा, जिसका पदनाम प्राइमरी कृषि ऋण समिति में सचिव तथा जनपद स्तर के नीचे स्थित केन्द्रीय समितियों एवं गैर कृषि ऋण प्राइमरी समितियों में सचिव, प्रबंधक या सामान्य प्रबन्धक तथा जनपद स्तरीय केन्द्रीय सहकारी समितियों में सामान्य प्रबन्धक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं शीर्ष सहकारी समितियों में प्रबन्ध निदेशक होगा। शीर्ष समिति के प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) चाहे जिस पद नाम से हों (सचिव प्रबंधक, सामान्य प्रबन्धक या चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर) नियमों एवं धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों में नियत की जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी वर्ग के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव-सचिव आदि) के पद के लिए सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122 (क) के अधीन किया गया हो, वहां पर ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिसमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के अधिकार एवं कर्तव्य (शीर्ष समिति को छोड़कर)

समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) (शीर्ष समिति को छोड़कर) निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे :

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा :

(ख) समिति की उप-विधियों के एवं प्रबंध- कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा :

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्ज्ञर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(घ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा;

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा।

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा;

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा;

(य) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप-विधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उन पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

(3) कोई सहकारी समिति, नियमों, उपविधियों और धारा 121, 122 या धारा 122(क) के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की सहायता के लिए यदि आवश्यक हो, एक या

अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और उसे या उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे।

(4) किसी सहकारी समिति के निबद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की नियुक्ति न हो जाये अथवा 6 महीने तक, जो भी पहले हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाये।

Chief Executive & his Emoluments & functions

31. (1) There shall be a Chief Executive in every Co-operative society who will be designated as Secretary in Primary Agricultural credit societies & Secretary, Manager or General Manager or by any other designation in Non-agricultural Primary Societies & central societies below the district level, General Manager or Chief Executive in the District level central co-operative societies & Managing Director in the case of Apex level coorperative societies.

Except the Managing Director of Apex level co-operative societies, all other Chief Executives of societies by whatever name they are designated (Secretary, Manager, General Manager or Chief Executive officer) shall be appointed & be removable by the society subject to the provision of rules & regulations framed under section 121 & 122. The emoluments & other conditions of service of the Chief Executive shall be such as may be prescribed in rules & regulations made in this behalf.

Provided that where a service for the post of CHief Executive common to any class of co-operative societies has been created under Section 122-A, the recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to such posts, including persons appointed to such posts before the creation of such service, shall be governed by the provisions of that section and the rules made there under.

(2) Powers & functions of Chief Executive (other than Apex), The Chief executive of societies (other than Apex level societies) shall exercise the powers and discharge the functions, specified below, namely

(a) be responsible for the sound management of the business of the society and its efficient administration;

(b) operate the accounts of society singly or jointly in accordance with bye-lawprovision & resolutions of the committee of management & make arrangement for safe custody of cash;

(c) sign & authenticate all documents on behalf of the society;

(d) making arrangements for the proper maintenance of various books and records of the society & correct preparation, timely submission of periodical statements & returns in accordance with the provisions of the Act, the rules & the bye-laws;

(e) convening meetings of the general body of society, the Board & the Executive Committee & other committees or sub-committees constituted by the Board & maintaining proper records for such meetings;

(f) assisting the Board in the formulation of policies & objectves and planning;

(g) making appointments to the posts in co-operative society in accordance with rules & Regulations;

(h) furnishing to the Boards periodical information necessary for appraising the operations & functions of society; and

(i) perform such other duties & exercise such other powers as may be imposed or conferred on him under the rules, bye-laws & Board resolutions of the society.

(3) A co-operative society may, subject to the provisions of the rules and the bye-laws and the regulations made under (Section 121, Section 122 or Section 122-A) appoint, if necessary, one or more persons to assist the Chief Executive and to entrust him or them with such powers and duties of the Chief Executive as the society may deem fit.

(4) After a co-operative has been registered and till such time as its Chief Executive is appointed under sub-section (1) or for six months, whichever is earlier, the functions and duties of the Chief Executive shall be performed by such member of the society as may be provided in the rules and the bye-laws of the society.

शीर्ष समितियों के लिए प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

31. (क)(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिए एक प्रबन्ध निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी सहकारी सेवा का अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग का श्रेणी एक से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, उसकी सेवाएं

समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझाी जायेंगी। शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक हो सकेगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।

(3) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा अर्थात्:

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम, नियमावली, उपविधियों तथा प्रबंध समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करेगा;

(ख) समिति की उप-विधियों एवं प्रबन्ध-कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा;

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा;

(घ) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा :

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा;

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा,

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा;

(प) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्ष्ज्ञण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना;

(फ) वचन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रमण करना;

(ब) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना,

(भ) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्त प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है;

(म) समिति के कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना;

(य) समिति द्वारा या उसके विरूद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना;

(र) ऐसे विनियमों से, यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, के अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रू0 तक की प्रत्येक और उसके पश्चात 5 लाख रू0 तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना;

(ल) अपना अन्तिम नियन्त्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना;

(व) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप-विधियों एवं प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उस पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

Appointment of Managing Director instead of Secretary for Apex Societies

31-A. (1) For every apex society there shall be, a Managing Director who shall be government servant or co-operative service not below the rank of a Class I officer or a Government servant not below the rank of Class I officer

of the concerned department, and his services shall be deemed to be on deputation with the society. In apex co-operative bank an experiences bank officer may also be appointed Managing Director.

(2) The Managing Director shall be ex-officio member of the Committee of Mamagement.

(3) The Managing Director shall exercise the powers & discharge the functions, specified below, namely-

(a) be responsible for the sound management of the business of the society and its efficient administration, Chief Executive Officer will be work according to Co-operative Act. Rules, bye-laws and decisions of management Committee;

(b) operate teh accounts of society singly or jointly in accordance with bye-laws provisions & resolutions of the committee of management & make arrangement for safe custody of cash;

(c) sign & authenticate all documents on behalf of the society;

(d) making arrangements for the proper maintenance of various books and records of the society & correct preparation, timely submission of periodical statements & returns in accordance with the provisions of the Act, the rules & the bye-laws;

(e) converning meetings of the general body of society, the Board & the Executive Committee & other committees or sub committees constituted by the Board & maintaining proper records for such meetings;

(f) assisting the Board in the formulation of policies & objectives and planning;

(g) making appointments to the posts in co-operative society in accordance with rules & Regulations;

(h) fumishing to theBoard periodical information necessary for appraising the operations & functions of society;

(i) to receive all moneys and securities on behalf of the society and to make arrangements for the proper maintenance and custody of properites of the society;

(j) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign and negotiete cheques and other negotiable intruments on behalf of the society;

(k) to sign all bonds and agreements in favour of the society;

(l) to create subject to provision contained in the budget of the society, class III and Class IV posts for a period of three Months and to make, as appointing authority, recruitment thereto through the Board as provided in the regulations framed by the State Government in exercise of the powers, under sub-section(2) of Section 122;

(m) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society;

(n) to institute, conduct, defend, compound or abandon any suit or other legal proceeding by or against the society or otherwise concernig the affair of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society;

(o) to enter into negotiations and sanction contracts upto the value of Rs. 10 lakhs each during the constructon phase and upto Rs. 5 lakhs each thereafter and to incur contingent expenditure upto Rs. One lac subject to Budget provisions and to do all such acts, deeds and things in the name of and on behalf of the society in relation to any of the matters aforesaid for the purposes of the society;

(p) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employees of any society, subject to the ultimate control and authority being relatined by him; and

(q) perform such other duties & exercise such other powers as may be imposed or conferred on him under the Rules, bye-laws & Board resolutions of the society.

वार्षिक सामान्य बैठक

32. (1) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये, एक बार होगी :-

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप का अनुमोदन;

(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो;

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़-पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट

अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो;

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करन;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार, और

(ज) ऐसी किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाये।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

Annual general meeting

32. (1) A meeting of the general body of a co-operative society (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held, once in a co-operative year within such period as may be prescribed, for the purposed of-

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the Committee of Management for the ensuing co-operative year;

(b) election of members of committee of management under the provisions of rules and by-laws of the society, if due;

(c) consideration of the balance-sheet and and the annual report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the period specified in the rules;

(d) consideration in the prescribed manner of the audit certificate and the audit report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the prescribed period;

(e) fixation of the maximum liability of the society for the ensuing co-operative.

(f) disposal of the net profits;

(g) consideation of the budget for the ensuing co-operative year; and

(h) consideration of any other matter as may be brought before it in accordance with the bye-laws.

(2) Notwithstanding anythingcontained in section 31, it shall be the duty of the Chief executive to call the annual general meeting in accordance with the provisions of sub-section(I), failing which the Registrar, or any person duly authorized by him in this behalf, may call the annual general meeting,

अन्य सामान्य बैठक

33. (1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब-जब आवश्यक हो, समिति की सामान्य बैठक (जिसे साधारण बैठक कहा जाये) बुला सकती है।

(2) प्रबन्ध कमेटी निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय में कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण बैठक कहा जायेगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थान अथवा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

Other general meetings

33. (1) The Committee of Management may as often as may be necessary for the transaction of business of the co-operative society call a general meeting of the general body of the society (to be called ordinary general meeting).

(2) Committee of Management shall call a general meeting of the general body of the society (to be called extra ordinary general meeting) within one month after the receipt of the requisition in writing from the Registrar or from at least one-fifth of the members of the general body of the society. In default of the Committee of Management to call a meeting the Registrar or any person duly authorized by him in this behalf shall have the power to call the extra ordinary general meeting at such place and time as he may direct.

प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति

34. (1) यदि राज्य सरकार ने-

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, जिसमें पेशवर (Professional) भी सम्मिलित सेवक या पेशेवर समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और-

एक- राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

दो - समिति की अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

तीन - राज्य सरकार से समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार को ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी या सभापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा,

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किस ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जय सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति समझी जायेगी।

Nominees of the Government on the Committee of Management

34. (1) Where the State Government has-

(a) subscribed directly to the share capital of co-operative society under Chapter VI, or

(b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI, or

(c) given loans or made advances to a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of the interest on debentures issued by a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society.

The State Government shall have the right to nominate on the Committee of Management of such society not more than two persons one of whom shall be a government servant, (which will include a professional also if nominated by the Govt.) so, however, that the government servant shall not vote at an election of an office-bearer of the society.

Provided that where the society is engaged in production of suger, and-

(i) the share capital subscribed to by the State Government is not less than one crore rupees: or

(ii) the share of the State Government in the share capital of the society exceeds fifty percent of the total share capital of the society; or

(iii) the State Government has given loans of made advances to the society or guaranteed the repayment of principal or payment of interest on debentures issued by the society or guaranteed the repayment of principal and interest on loans and advances to the society and the amount exceeds fifty percent in the aggreagate of the total amount so borrowed by the society.

The State Government shall also have the right to nominate the Chairman of the Committee of Management, who shall be a Government servant.

(2) A person nominated under sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) The right of nomination vested in the State Government under this section may be delegated by it to any authority specified by it in that behalf.

Explanation : for the purpose of this section any guarantee given by the Central Government on the recommendation of the State Government shall be deemed to be a guarantee given by the State Government.

प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण व निलम्बन

35. (1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश देकर प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है :

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय, निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो, वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरान्त कार्य करना बन्द कर देगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यों के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त न की जाये उसे पुन: स्थापित किया जायेगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(3) यदि निबन्धक के उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर 6 माह से अनधिक अवधि के लिए, जो अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है :-

(क) एक नई कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसका या जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है;

प्रतिबन्ध है कि निबन्धक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु एक बार में बढ़ाई गयी अवधि 6 महीने से अधिक न होगी और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्ति कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और यथास्थिति उसके या उनके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायेगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबंध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था, आपत्ति नहीं की जायेगी;

(4) निबन्धक को उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त अथवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को स्वमति से उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा;

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये जो निबन्धक, समय समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का अधिकार होगा और वे इस अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे;

(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेंगे ;

(7) धारा 29 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

Supersession or suspension of the Committee of Management

35. (1) Where in the opinion of the Registrar, the Committee of Management of any co-operative society persistently makes dafault or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the rules or the bye-laws of the society or commits any act which is prejudical to the interest of the society or its members, or is otherwise not functioning properly, the Registrar after affording the Committee of Management a

reasonable opportunity of being heard and obtaining the opinion of the general body of the society in a general meeting called for the purpose in the manner prescribed may, by order in writing, supersede the Committee of Management;

(2) Where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section (1) is of opinion that suspension of the Committee of Management during the period of proceeding is necessary in the interest of the society, he may suspend the Committee of Management which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the society till the proceedings are completed:

Provided that if the Committee of Management so suspended is not remained suspended shall not count towards its term.

(3) Where the Registrar has susperseded the Committee of Management under sub-section(1), he may appoint in tis place, (for a period not exceeding six months) to be specified in the order of supersession:

(a) a new committee consisting of one or more members of the society, or

(b) an administrator or administrators who need not necessarily be members of the society:

Provided that the Registrar may, with the previous approval of the State Government extend the period of supersession, so however, that any single extension does not exceed six months and the total extension does not exceed one year :

Provided further that the committee or an administraror or administrators appointed (before the commencement of Uttaranchal co-operative societies Act 2003) shall be deemed to have been duly appointed and no action taken or power exercised or functions performed by it or him, as the case may be, shall be deemed to be invalid or shall be called in question in any court on the ground of any defect in its or his appointment as such the Committee of Management was not reconstituted within time or the period of supersession or the term of its or his office was not duly extended.

(4) The Registrar shall have the power to change the committee or any members thereof or the administrator or administrators appointed under clause(a) or (b) of sub-section(3) at his discretion during the period specified under that sub-section.

(5) The committee, administrator or administrators appointed under sub-section (3) and (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to exercise all or any of the function of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management.

(6) Before the expiry of the period specified under sub-section (3), the committee, administrator or administrators, appointed under sub-sections (3) and (4) shall arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the bye-laws of the society to takeover the management of the co-operative society on the expiry of the said period.

(7) The provisions of Section 29 shall apply in respect of reconstitution of the Committee of Management under this section.

कतिपय समितियों की प्रबन्ध कमेटी व उनके सभापति का कतिपय बकाया की हालत में पद रिक्त होना

35(क) (1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है)

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का साठ प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाये, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के साठ प्रतिशत से अधिक हो जाये,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।

(2) उपधारा 1 के उपबन्ध जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं वित्तपोषक बैंक पर भी लागू होंगे।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में जैसा उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्ध ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे, और धारा 35

की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

35.A (1) Without prejusice to other provisions of this chapter, where for two sucessive co-operative years (including any period before the commencement of his section) -

(a) more than sixty per cent of the total dues of any primary society, which is a credit society against its members during any co-operative year, remain unpaid at the end of such year; or

(b) the number of defaulting members exceeds sixty percent of the total number of indebted members of such society, at the end of any such year. then, the Chairman and all members of the Committee of Management of any such society shall, upon an order coming into effect under sub-section(3), vacate their respective offices as such.

(2) The provisions of sub-section (1); as they apply to a primary credit society, shall mutatis mutandis apply to a financing bank.

(3) In relation to any society or banks as referred to in sub-section (1) or sub-section(2), the Registrar may make such arrengements as he thinks fit and the provisions of sub-section(3), (4), (5) and (6) of Section 35 shall mutatis mutandis apply.

अभिलेख आदि कब्जे में लेना

36. (1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जाये अथवा यदि धारा 72 के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जाये और प्रबन्ध कमेटी के बर्हिगामी सदस्य, समिति क अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार, यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3) और (4) के अधीन कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

(2) उपधारा (1) अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति का कब्जे में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायेगी।

Securing possession of records etc.

36. (1) When the committee of management of a co-operative society is suspended or superseded under Section 35 or if the society is ordered to be wound up under Section 72 and putgoing members of the Committee of Management fail to hand over charge ofthe records and property of the society to a nominee of the Registrar or the committee, the administrator or administrators appointed under sub-section (2), (3) and (4) of Section 35, or theLiquidator, as the case may be such nominee of the Registrar, or the committee, the administrator or administrators or the Liquidator may apply to any Magistrate within whose jurisdiction the society functions for securing the records and property of the society.

(2) On receipt of an application under sub-section(1) the Magistrate shall take such action as may be necassary to take possession of the record and property of the society and may authorize any police officer by warrant to take possession of such records and property and the records and property seized shall be handed over to the applicant;

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में निबन्धक के आपतिक अधिकार

37. (1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाये कि सहकारी समिति की बहियों तथा अभिलेखों में हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और सम्पत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुष्प्रयोग किये जाने की सम्भावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द कर देंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता

देगा।

Registrar's emergency powers to seize records, etc.

37. (1) When the Registrar is satisfied that the books and records of a co-operative society are likely to be tampered with or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar may issue an order directing a person dully authorized by him in writing, to seize and take possession of such books, records funds and property of the society and the officer or officers of the society responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so suthorized.

(2) A person suthorized by the Registrar under sub-section (1) may, for the purpose of execution of the said order, request the officer in charge of the nearest police station to give him necessary police help and such police officer shall thereupon give him such help.

सहकारी समिति के अधिकारी को हटाया जाना

38. (1) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या उसका पालन नहीं किया है, या पद धारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति से ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाये जाने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कोई पद धारण करने के लिए अनर्हित भी करने के लिए कह सकता है, जिसके उपरान्त समिति, सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) से अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी का सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, हटा सकती है, या हटाने के साथ-साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकती है।

(3) उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा।

Removal of an officer of a co-operative society

38. (1) If in the opinion of the Registrar, any officer of a co-operative society has contravened or omitted to comply with, any provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the society, or has forfeited his right to hold office, the Registrar may, without prejudice to any other action that may or can be taken against him, call upon the society to remove, within a specified period, such officer from the office held by him and where necessary also to disqualify him from holding any office under that society for a period not exceeding three years, where upon the society shall, after affording opportunity of being heard to the officer concerned, pass such orders as it may deem fit.

(2) On the failure of the society to take action under sub-section(1), the Registrar may, after affording opportunity of being heard to the officer and for reasons to be recorded and communicated to the person and the society concerned, remove, or remove and disqualify for a period not exceeding three years, the officer from holding any office under that society.

(3) An officer removed under sub-section(1) or sub-section(2), shall, with effect from the date of commuication of the order, cease to hold that office and, if disqualified, shall not be eligible to hold any office under that society for the period specified in the order.

अध्याय-5

सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

CHAPTER - V

PRIVILEGES OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

सहकारी समिति का कतिपय परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार

39. प्राविंशियल एन्सालवेंसी ऐक्ट, 1920 अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 अथवा तत्समय प्रचलित भौमिक अधिकार विषयक

किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण या अदत्त मांग का, जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरूद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुए जो समिति द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व, न किस उसके पश्चात् उसके (सरकार के) द्वारा दिये गये ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के सम्बन्ध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया की रूप ममें वसूल करने योग्य होई धनराशि हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभारत होगा–

(क) यदि उक्त ऋण या समांग बीज, खाद, श्रमित निर्वाह, पशुओं के लिए चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के, जो कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के लिए प्रासंगिक हो, सम्भरण के सम्बन्ध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर;

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो यथास्थिति उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर;

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु या पशुधन के सम्भरण या उसके क्रय के साधनों की व्यवस्था करने या कृषि उपकरणों, परिवहन या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा संधारण करने। फार्म हाउस या पशु अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या क्रय करने के सम्बन्ध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार क्रय किये गये अथवा संधारित या बनाये गये सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या औसारा पर और यदि ऋण गृहीता क्षेत्रपति हो तो उसकी भूमि पर भी ऋण की अन्तिम किश्त प्रतिदेय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय;

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू–गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय से निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर;

(ङ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि के क्रय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जो इस प्रकार क्रया विमोचन की गई हो;

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसीमकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार क्रय, निर्मित या सम्भारित किया गया हो; और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिए अथवा भूमि पर सुधार करने के लिए अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिए या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों के क्रय के लिये, लिये गये 500 रुपये या उससे अधिक के ऋण के सम्बन्ध में देय हो और उस भूमि पर जिसके प्रयोग के लिए उपकरणों या मशीनों का क्रय करना हो और पशु क्रय करने की दशा में ऋण गृहीता की किसी भूमि पर,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ–साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य सम्पत्ति, जिसके अर्न्तगत समिति, जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा उसकी देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

First charge of co-operative society on certain assests

39. Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920(Act V of 1920), or in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), or in any other enactment relating to land tenure for the time being in force, any debt or outstanding demand due to a co-operative society by any member, past or present, or standing against the estate of any deceased member, shall subject to any claim of the Central Government or the State Government arising from a loan granted by it before but not after, the grant of the loan by the society, or in respect of land revenue or any sum recoverable as arrears of land revenue, be a first charge-

(a) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan to provide the means for, seed, manure, labour subsistence, fodder for cattle or any other thing incidental to the conduct of agricultural operations, upon the crops and agricultural produce of such members;

(b) if such debt or demand is due in respect of any loans to provide the ties, upon the land whose rent or

revenue has been so paid or, as the case may be, on which the irrigation facilities have been provided;

(c) if such debt or demand is due in respect of supply of, or any loans to provide the means for the purchase of cattle, or other livestock, or for the purchase, repair or maintenance of agricultural implements, transport equipments or equipment for dairy or for other activities relating to animal husbandry, or for making, repairing or purchasing of farm-house or shed for cattle or for other livestock or for making, repairing or purchasing or warehouse for storage of agricultural produce, then upon the farm-produce of such members and also upon the cattle, livestock so purchased.

or upon the equipments, warehouse, farm-house or shed so purchased, repaired, maintained or made wholly or partially out or any such loan, and if the borrower is a landholder, then upon his land also, at any time within three years from the date on which the last instaiment of such loan becomes repayable;

(d) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan for the purchase of raw material, industrial implements, plant and machinery, workshop, warehouse or business premises, upon the raw material or other things so supplied or purchased by such member and in the case of a debt or demand in respect of the supply, or for the purchase of raw materials also upon the articles manufactured from such raw material;

(e) If such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or redemption of land, upon the land so purchased or redeemed;

(f) if such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or construction of any house or building or any portion thereof, or in respect of the supply of materials for such constructions upon the house or building or materials so purchased or constructed or supplid; and

(g) if such debt or demand is due in respect of any loan of Rs. 500/- or more for reclaiming or protecting land or for effecting improvement or land or for preparation of land for orchard or plantation or for purchase of cattle, agricultural implements, machinery, upon the land so sought to be reclaimed, protected improved or prepared, or upon the land for the use of which the implements or machinery are sought to be purchased and in case of purchase of cattle, upon any land of the borrower:

Provided that along with the charge created under this section all other property of the indebted member including any amount payable to him by a society shall be liable to attachment and sale in execution of a decree in favour of the society irrespective of the object of the loan.

कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती

40. (1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हयु भी, किन्तु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें, सरकारी समिति का कोई सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवायोजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवायोजक द्वारा उसे देय हो, उक्त अनुबन्ध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिए समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि देने के लिए सक्षम होगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे, उपधारा (1) के अधीन निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार कीगई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(3) यदि सेवायोजक, बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (2) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का जितना कि उसने यथास्थिति कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा।

Deduction from salary to meet society's claim in certain cases

40. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to such conditions, if any, as may for time to time be laid down by the State Government, a member of a co-operative society may execute an agreement in favour of the society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member of the society.

(2) Notwithstanding anything in any law for the time being in force, the employer shall, if so required by the co-operative society by requisition in writing and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make the deduction in accordance with the agreement executed under subsection (1) and pay the amounts so deducted to the society within fourteen days from the date of the deduction.

(3) An employer who without sufficient cause fails to make the deduction in terms of sub-section(2), or havving made, any such deduction fails to pay the amount so deducted to the spciety within fourteen days from the date of deduction, shall be liable to the society to the extent of the amount which the employer has failed to deduct or to pay, as the case may be.

सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई

41. सहकारी समिति की देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि भुजरा कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का, जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्तपोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि के रूप में कुल जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशियों में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसे धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

Charge and setoff in respect of shares or interest of members in the capital of a co- operative society

41. A co-operative society shall have a charge on the share or interest in the capital and on the deposits of a member, a past member or a deceased member and on any dividend, bonus or profits, payable to a member or a past member, or the heirs or legel representatives of a deceased member in respect of any debt or outstanding demand owing to the co-operative society and may notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, set off any sums so credited or payable to such member or his heirs or legal representatives towards payment of any such debt or outstanding demand;

Provided that no financing bank to which a co-operative society is affiliated shall have a charge upon any sum invested in financing bank as reserve fund by the society if the bank's share in the total amount of loans taken by the society is less then 75 percent, or be entitled to set off any such sum credited or payable to the society towares any debtdue from such society.

Attachment shares- Under this section, the share of a member is not liable to sale and attachment.

अंश या हित की कुर्की न हो सकेगी

42. धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा अपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा और न बेचा जा सकेगा और ऋण शोध क्षमता (इन्सालवेन्सी) से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन कोई सरकारी अभ्यर्पित या आदाता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर कोई दावा होगा।

Share or interest not liable to attachement

42. Subject to the provisions of Section 31, the share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall not be liable to attachments or sale under any decree or order of a court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member or past member and an official assignee or a recoiver under any law relating to insolvency shall not be entitled to, or have any claims on, such share or interest.

Insolvency effect- A person does not cease to be a member of the society by his adjudication as an insolvent.

संलेखों के अनिवार्य निबन्धन से मुक्ति

43. इण्डियमन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16 वर्ष 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी–

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से सम्बद्ध कोई संलेख भले ही समिति की परिसम्पत्तियां पूर्णत: अथवा अंशत: अचल

सम्पत्ति के रूप में हो; या

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋण–पत्र जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी को ऐसे निबन्धित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति न अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णत: या अंशत: न्यासधारियों को ऐसे ऋण–पत्र धारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बन्धक या हस्तान्तरित कर दिया गया हो, या अन्यथा संक्रमित कर दिया हो अचल सम्पत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, घोषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो; या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संक्रमण।

Exemption from compulsory registration of instruments

43. Nothing in chauses (b) and (c) of sub section (1) of Section 17 of the Indian Registration Act 1908 (Act XVI of 1908), shall apply to-

(a) any instrument relating to shares in a co-operative society, notwith standing that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or

(b) any debenture issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property, except insofar as it entitles the holder to the security afforded by a registered istrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holder of such debentures; or

(c) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society.

सदस्यों का रजिस्टर

43. (क) सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाये, उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी–

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया हो;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो।

Register of Members

43. A Any register or list of Members kept by any co-operative society shall be prima facle evidence of any of the following particulars entered there in, namely :-

(a) The date on which a person become a member;

(b) The date on which any such member ceased to be a member &

(c) The No. of shares held by such member and the date from which so held.

बंधक एवं प्रभार के रजिस्टर

43. (ख) कोई रजिस्टर या बंधक एवं प्रभार की सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाय, उसमें अंकित निम्नलिखित विवरणों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी–

(क) दिनांक जब सदस्य बंधक या प्रभार, समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो,

(ख) भूमि या अन्य अचल संपत्ति जिसका बंधक या प्रभार रखा गया हो का विवरण, एवं

(ग) दिनांक जब निष्पादित किये गये बंधक या प्रभार उपरजिस्ट्रार या माल विभाग के प्राधिकारी को जैसा भी हो, भेजा गया है।

Registers of Mortages & Charges

43. B. Any Register or list of Mortgages & charges kept by any co-operative society shall be prima facie evidence of any of the following particulars entered therein, namely-

(a) The date on which the Mortgage or charge was created by a member in favour of the society;

(b) Particulars of the Land or other immovable property mortgaged or charges; &

(c) The date on which declaration of the mortgage or charge was sent to the sub-registrar or Revenue Authority,as the case may be

सहकारी समितियें की बहियों में प्रविष्टियों की रीति

43. (ग) (1) किसी सहकारी समिति की बही, जो उसके कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी

प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह उस रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाये, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेख्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती।

(2) कोई सरकारी समिति किसी ऐसे लेख्य की किन्हीं प्रतिलिपियों जो उसने अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किया और रखा हो, या उस लेख्य की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गई कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गई हो, जो नियत की जाये, किसी भी प्रयोजन के लिए उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

(3) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो समिति की बहियां या लेख्य, जिनकी अन्तर्वस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष कारण के न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबन्धक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो।

Proof of the entries in books of co-operative societies

43. C (1) A copy of any entry in a book of a co-operative society regularly kept in the course of its business shall, if certified in such manner as may be prescribed, be received in any suit or legal proceeding as prima facie evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry itself is admissible.

(2) A co-operative society may grant copies of any document obtained and kept by it in the course of its business or of any entries in such document and any copy granted shall, when certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence for any purpose in the same manner and to the same extent as the original documents, or the entries therein, as the case may be are admissible.

(3) No officer of a co-operative society and no officer, in whose office the books of a co-operative society are deposited after its winding up shall, in any legal proceedings to which the society or the liquidator is not a party be compelled to produce any of the society's books or documents, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a withness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, Tribunal, the Registrar or the arbitrator made for special cause.

सदस्यों की पासबुक

43. (घ) (1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती या कोई सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पासबुक उपलब्ध करायेगी, जिसमें सदस्य के साथ हुए संव्यवहारों का ब्यौरा जैसे कि संव्यवहार दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा दी गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धनराशि और ऐसी अन्य प्रविष्टियां जैसी कि नियत की जायं, अन्तर्विष्ट होंगी। पासबुक की प्रविष्टियां समय-समय पर अद्यावधिक की जायेंगी और सहकारी समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करें, और इस प्रयोजन के लिये ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पास-बुक प्रस्तुत करेगा, यदि पासबुक को प्रविष्टियां करने के लिए रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा।

(2) पासबुक में सम्यक रूप से की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

Pass book to members

43. D(1) A co-operative society which gives loans to its members or a co-operative society or a class of co-operative societies, as may be notified by the State Government, shall provide to each mamber a such as, the date of the transacion, the amount of loan advanced the rate of interest, the repayments made by the member, the amount of the principal and interest due and such other particulars as may be prescribed. The entries of the pass book shall be made upto date from time to time and shall be countersigned by such officer of the co-operative society as may be authorized by it in this behalf and for this purposes such member shall present

the pass book to such officer who shall issue a receipt thereof, if the pass book is required to be detained for making entries therein.

(2) The entries in the pass book duly made shall until the contrary is proved, be prima facie evidence of the transaction of the co-operative society with the member.

करों, फीस एवं शुल्कों से छूट

43. (ङ) (1) सरकार, किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) स्टाम्प शुल्क से जो किसी प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समिति य उसकी ओर से अथवा उसके अधिकारी या सदस्य द्वारा समिति के व्यवसाय के लिए दस्तावेज या दस्तावेजों अभिनिर्णय या आदेश के लिये देय होगा, या

(ब) किसी शुल्क या कोर्ट फीस जो किसी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए देय होगा

(2) सरकार किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) मालगुजारी से एवं

(ब) सामानों की बिक्री एवं खरीद पर लिये जाने वाले करों से।

Exemption from certain Taxes, fees & duties

43.E (1) The Govt. may, by notification, remit in respect of any class of co-operative societies-

(a) The Stamp duty chargeable under any law for the time being in force. in respect of any instrument executed by or on behalf of a cooperative society or by an officer or member thereof and relating to the business of such society; or

(b) Any fee payable under any law for the time being in force relating to the registration of documents or court fees.

(2) The Govt. may by notification, exempt any class of co-operative societies from-

(a) Land Revenue &

(b) Taxes on sale & purchase of goods.

अध्याय-6

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

CHAPTER - VI

STATE AID TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

राज्य सरकार की समितियों में सीधे सहभागिता

44. (1) राज्य सरकार सीमित दायित्व वाली समिति की अंश पूंजी में से ऐसी शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन जिसमें सहमति हो सीधे अभिदान कर सकती है।

राज्य सरकार की समितियों में परोक्ष सहभागिता-

(2) राज्य सरकार किसी शीर्ष सहकारी समिति को सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों को सीधे या परोक्ष रूप से क्रय के लिए धन दे सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दिन से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

Direct partnership of State Govt. in societies

44. (1) (a) The State Govt. may subscribe directly to the share capital of a society with limited liability, upon such terms & conditions as may be agreed upon;

(b) Indirect partnership of State Govt. in societies-

The State Govt. may provide money to an Apex Society for the purchase directly or indirectly; or shares in other societies with limited liability.

44. (2) The State Government shall be entitled to dividend on its shares in any such co-operative society at the

same rate as paid to other shareholders of the society.

प्रमुख राज्य भागिता निधि

45. (1) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाये, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''प्रमुख राज्य भागिता-निधि'' कहा जायेगा।

(2) शीर्ष समिति ''प्रमुख राज्य भागिता-निधि'' का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं-

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय ;

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता मं अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना, जिससे कि वह समिति सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हें आगे इस अध्याय में ''प्रारम्भिक समितियं'' कहा गया है) अंश क्रय कर सके;

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना;

(घ) ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हें राज्य सरकार उपखंड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णत: पूरा होने के पश्चात अनुज्ञात करे।

Principal State Partnership Fund

45. (1) An apex society which is provided with moneys by the State Government under Section 44 shall with such money establish a Fund to be called the Principal State Partnership fund.

(2) An apex society shall utilize the Principal State Partnership Fund for the purpose of-

(a) Directly purchesing shares in other co-operative societies with limited liability;

(b) Providing moneys to a co-operative society which includes in its membership other co-operative societies, to enable that society to purchase shares in other affillated co-operative societies with limited liability (hereinafter in this Chapter referred to as primary societies);

(c) making payments to the State Government in accordance ith the provisions of this Chapter;

(d) making such other payment as may be permitted by the State Government after the requirements in sub-clause (a), (b) and (c) have been met in full, and for no other purpose.

सहायक राज्य भगिता निधि

46. (1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्रू भागिता-निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''सहायक राज्य भागिता-निधि'' कहा जायेगा।

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य भागिता-निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं-

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना।

Subsidiary State Partnership Fund

46. (1) A central society which is provided with moneys by an apex society from the Principal State Partnership Fund shall, with such moneys, establish a fund to be called the subsidiary State Partnership fund.

(2) A cantral society shall utilize the subsidiary State Partnership fund for the purpose of

(a) purchasing shares in primary societies;

(b) making payments to the apex society in accordance with the provisions of this Chapter, and for no other purpose.

अंशों के क्रय के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

47. प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायेगा।

Approval of State Government for purchase of shares

47. No shares shall be purchesed in a co-operative society from the moneys in the Principal State Partnership

Fund or the Subsidiary State Partnership Fund, except with the previous approval in writing of the State Government.

कतिपय अंशों के सम्बन्ध में दायित्व का सीमित होना

48. यदि किसी सहकारी समिति में–

(क) राज्य सरकार द्वारा; या

(ख) प्रमुख राज्य भागिता–निधि से शीर्ष समिति द्वारा;

(ग) सहायक राज्य भागिता–निधि से केन्द्रीय शीर्ष समिति द्वारा अंश क्रय किये जायें, तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा।

Liability to be limited in respect of certain shares

48. Where any shares are purchased in a co-operative society by-

(a) The state Government; or

(b) an apex society from the Principal State Partnership Fund; or

(c) a central society from the Subsidiary State Partnership Fund; the liability in respect of such shares shall, in the event of the co-operative society being wound up; be limited to the nominaly value of the shares.

लाभांश की धनराशि पर निर्बन्धन

49. शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता–निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता–निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होगी जा सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाय और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

Restrictions on amount of dividend

49. An apex society which has purchased hares in other co-operative societies from the moneys in the Principal State Partnership fund and a central society which has purchased shares in primary societies from the moneys in the subsidiary State Partnership Fund shall be entitled only to such sividend on the said shares as is declared by the society concerned and is payable to other shareholders of that society.

शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षतिपूति

50. (1) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाय, तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार, यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी।

(2) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जायें तो, न राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरुद्ध जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर दिया जायगा।

Indemnity of apex and central societies

50. (1) If a co-operative society in which shares are purchased from the Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, the State Government shall not have any claim against an apex society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the State Government shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the apex society in winding up proceedings or on dissolution, as the case may be.

(2) If a co-operative society in which shares are purchased from the subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, neither the tate Government nor the apex society shall have any claim against the central society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the apex society shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the central society in winding up proceedings or on dissolution, as the case may be, and such moneys shall be credited to the

Principal State Partnership Fund.

अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण

51. (1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूम में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा;

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमत: उक्त निधि में जमा किया जायेगा और तत्पश्चात् उस शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायगा, जो उसे प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर देगी;

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को दिया जायेगा;

(4) उपधारा 3 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

Disposal of share capital and dividends, etc.

51. (1) All moneys received by an apex society in respect of shares of other co-operative societies purchased from the moneys in the Principal State Partnership fund on redemption of such shares, or by way of dividend or otherwise shall be credited to that fund.

(2) All moneys received by a coentral society in respect of shares of primary societies purchased from the moneys in the Subsidiary State Partnership Fund on redemption of such shares or by way of dividends or otherwise, shall in the first instance be credited to that fund and then transferred to the apex society which shall credit them to Principal State Partnership Fund.

(3) All moneys and dividends referred to in sub-section (1) and (2) shall, notwithstanding that the shares stand in the name of the State Government.

(4) Save as provided in sub section(3), the State Government shall not be entitled to any other return on the moneys provided by it to an apex society under Section 44.

शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य भागिता-निधि तथा सहायक रज्य भागिता निधि का निस्तारण

52. (1) यदि काई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

(2) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित य विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य भागिता-निधि को किया जायेगा तथा उसके नाम में जमा किया जायेगा जिससे कि उसने धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया हो।

Disposal of Principal State Partnership Fund and Subsidiary State Partnership Fund on winding up of an apex or a central society

52. (1) If an apex society which has established a Preincipal Partnership Fund is wound up or is dissolved, all moneys to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid to the State Government.

(2) If a central society which has established a Subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, all money to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid and credited to the Principal State Partnership Fund from which it received moneys under clause (d) of sub-section (2) of Section 45.

प्रमुख राज्य भागिता- निधि परिसम्पत्तियों तथा सहायक राज्य भागिता-निधि के भाग न होंगे

53. प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के नाम में जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति की परिसम्पत्तियों की भागी न होगी।

Principal State Partnership Fund and Subsidiary Stare Partnership Fund not to form part of the assets

53. Any amount to the credit of a Principal State Partnership Fund or a Subsidiary State Partnership Fund shall not form part of the assets of the apex society or the central society as the case may be.

धन की व्यवस्था करने के लिएनिर्बन्धन और शर्त

54. इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए-

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी:

(ख) कोई भी शीर्षी समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य भागिता निधि से धारा 46 की उपधारा 92) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी।

Terms and conditions for providing moneys

54. Subject to the foregoing provisions of this Chapter-

(a) The State Government may enter into an agreement with a apex society setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to the apex society for the purpose specified in Section 45;

(b) an apex society may, with the previous approval of the State Government, enter into an agreement with a central society, setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to that society from the Principal State Partnership Fund for the purpose specified in clause (1) of sub-section (2) of Section 46.

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां

55. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार–

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है।

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है।

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिनमें ब्याज रहित रिवालविंग फण्ड एवं अनुदान भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता दे सकती है।

Other forms of State aid to co-operative societies

55. Subject to the rules made in this behalf, the State Government may-

(a) give loan or make advances to co-operative societies;

(b) guarantee the repayment of principal and payment of intrest on debentures issued by a co-operative society;

(c) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society; and

(d) give financial assistance in any other form including revolving fund(Interest Free Loan) & subsidies, to a co-operative societiy.

इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों को अभिभूति करेंगे।

56. तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

Provision of this Chapter to override other laws

56. The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything inconslstent therewith contained in any other law for the time being in force.

अध्याय–7

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

CHAPTER - VII

PROPERTIES AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

निधियों का विभाजन नहीं होगा

57. इस अधिनियम में विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों मं बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिए की हो उपविधियों में दिये

गये मानक के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

Fund not to be divided

57. Except as otherwise specifically provided in this Act, no part of the funds other than the net profits of a co-operative society shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members :

Provided that a member may be paid remuneration on such scale as may be laid down in the bye-laws for any services rendered by him to the co-operative society.

शुद्ध लाभ का निस्तारण

58. (1) किसी सहकारी वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ, उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जयेगा।

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस

(च) चालू व्यय जिसमें मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का हशस सम्मिलित है;

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान,

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है।

(1-क) सहकारी समिति उपधारा (1) में अधीन यथा संगणिक किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को, जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी-

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जायगी, जिसे रक्षित निधि कहा जायेगा।

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय, जमा की जागयी और वह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो:

(ग) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो जैसी विहित की जाय, एक निधि में एकत्रित की जायगी जिसे Equity Redemption Fund कहते हैं व इस सहकारी समिति द्वारा उपयोग मं जैसा विहित की जाय, लाई जायगी जिसमें सरकार की अंश पूंजी लगी है।

प्रतिबन्ध यह है कि वह कुल राशि जो सहकारी समिति ऐसी निधि में लगाये, उस राशि से अधिक नहीं होगी जितनी अंशपूंजी सरकार द्वारा उस समिति में लगाई गई हो।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्-

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान;

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अंशदान,

(घ) चेरीटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट 1890 की धारा 2-क में तथा परिभाषित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन का दान में नहीं दी जायगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्–

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान;

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अंशदान,

(घ) चेरीटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट 1890 की धारा 2–क में यथा परिभाषित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन को दान में नहीं दी जायगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।

(3) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक, किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है या ऐसी निधि में अंशदान के प्रतिशत को कम कर सकता है; जैसा कि उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित है या उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है।

Disposal of net profits

58. (1) The net profit of the Co-operative society in a co-operative year shall be computed after deducting the following from its gross profit in that year-

(a) interest that is overdue;

(b) managerial expenses;

(c) contributions to the provident fund or the gratuity fund of the employees:

(d) interest on loans and deposits:

(e) audit fee;

(f) working expenses which include repairs, rents, taxes and depreciation of property;

(g) contribution to the fund created for writing off unadjusted bad debts and losses-

Provided that a co-operative society may add to the net profit of a year, the interest which accrued in the previous year but which was recovered in the year.

(1-A) A co-operative society shall distribute the net profits of a year as computed under sub-section (1), including the net profits brought forward from the previous years, in the following manner-

(a) an amount not less than twenty five percent shall be transferred to a fund called the reserved fund:

(b) not less than such amount as may be prescribed, shall be credited to a co-operative education fund to be established in the manner prescribed, and this shall be applicable to such co-operative societies also which incur loss in the year;

(c) an amount not exceeding twenty percent as may be prascribed shall be transferred to a fund called the Equity Redemption Fund to be established and utilized in the manner prescribed by such co-operative society which has the subscription of the State Government in its share capital:

Provided that the aggregate amount transferred by a co-operative society to such fund shall not exceed the amount subscribed by the Strate Government in the share capital of that co-operative society.

(2) Subject to such conditions as may be prescribed, the balance of the net profits may be utilized for all or any of the following purposes, namely-

(a) payment of divident to mambers on their paid-up share capital at a rate not exceeding towenty percent;

(b) payment of bonus to mambers on the amount or volume of business done by them with the society, to the extent and in the manner specified in the rules or the bye-laws;

(c) constitution of, or contribution to, building fund rural improvement fund or any other fund as may be specified in the rules or the bye-laws;

(d) donation of amounts not exceeding 5 percent for any charitable purpose as defined in Section 2 of Charitable Endwoments Act. 1890 (Act VI of 1890):

Provided that no amount shall be donated to any organisation established for anycharitable purpose, which has an object, whether directly or indirectly to further the interest of any political party or a religious faith.

(3) Subject to the provisions of any rules made in this behalf, the Registrar may, on the request of a co-operative society, exempt the society from contributing towards any of the funds, or lower the percentage of contribution to such funds, as mentioned in sub-sections (1) and (2) or enhance the percentage of dividend mentioned in clause (a) of sub-cection(2).

निधियों का विनियोजन

59. नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है–

(क) इण्डिया ट्रस्ट ऐक्ट 1882 (एक्ट संख्या 2, वर्ष 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में, या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार के नियमों द्वारा अनुज्ञात अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश से हो, जो नियमों की भांति प्रभावी होगी।

Investment of funds

59. Subject to the provisions of the rules, a co-operative society may invest or deposit its funds-

(a) in any of the securities specified in Section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Act II of 1882); or

(b) in the shares or debentures of any other co-operative society; or

(c) with any bank approved for this purpose by the Registrar; or

(d) in any other mode permitted by the rules, or by general or special order of the State Government which will have the effect of Rules.

उधार लेने पर निर्बधन

60. सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें।

Restrictions on borrowings

60. A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

ऋणों का निर्बन्धन

61. (1) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक को उसके निक्षेप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सोने और चांदी के जेवरात एवं अन्य बंधक की गयी अचल सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिभूति पर जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमैन्ट)/रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत हों, की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है।

Restrictions on loans

61. (1) A Co-operative Society shall advance loans to its members, it will also advance loan to its employees under a scheme approved by the Registrar;

Provided that with the general or special sanction of the Registrar a co-operative society may make loans to another co-operative society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a co-operative society may make a loan to a depositor on the security of this deposit N.S.C., K.V.P., Gold & Silver ornaments & other immovable property on Mortgage & on other modes of security as permitted by Nabard/RBI.

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बधन

62. धारा 60 और 61 में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहेंगे जो नियत किये जायें।

Restrictions on other transactions with non-members

62. Save as provided in Sections 60 and 61 the transactions of a co-operative society, including making of deposits of its funds, with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

भविष्य निधि

63. (1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए सामान्य भविष्य निधि अथवा एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी। अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये अंशदान को जमा किया जायेगा जबकि सामान्य भविष्य निधि में केवल कर्मचारियों का आंदा जमा होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित भविष्य निधि-

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में नहीं लायी जायेगी,

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होंगी,

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी, और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त माँग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी।

यदि कोई सहकारी समिति राज्य सरकार की सहमति से कोई पेंशन योजना अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है तो भविष्य निधि में समिति के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) जहाँ भी कहीं इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी वह योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं होगी। यदि कोई पेंशन योजन आशय के साथ लागू की जाती है कि अंशदायी भविष्य निधि से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी समिति के अंशदान को नहीं लेंगे तथा वापस कर देंगे यदि वे उक्त पेंशन योजना अपनाना चाहते हैं।

Provident Fund & Pension

63. (1) A co-operative socitey having such number are class of employee as may be prescribed shall establish a P.F. which may be G.P.F. with pension or C.P.F. for the benefit of employees. In case of C.P.F. all contributions made by the employees and the equal amount by the society will be credited in accordance with the provident fund act while in case of G.P.F. only employees contribution will be credited.

(2) Provident fund established by a co-operative society under sub-section(1) shall not-

(a) be used in the business of the society;

(b) form part of the assets of the society;

(c) be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority; and

(d) be subject to a charge or liable to be set off towards payment of any debt or outstanding demand owing to a co-operative society under Section 41.

However if a co-operative siciety introduces a pension scheme with the approval of Govt. for its employees, societies contribution to P.F. will not be required.

(3) Where however a contributory Provident fund scheme was in operation before the commencement of this Act the same will not be altered without the consent of concemend employees of the schame if a Pension Scheme is introduced with the stipulation that C.P.F. vebefucuart enokitees wukk gave ti firegi/refund the society contribution if they want to avail of Pension Scheme.

अध्याय-8

लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण और निर्धारण

CHAPTER - VIII

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SURCHARGE

लेखा परीक्षा

64. (1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित समान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो चार्टड एकाउन्टेन्ट सहि ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में वीतकाल ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, राकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखा, लेख्यों, पत्रादि प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हो या जो इसके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(5) इस धारा के अंतर्गत समिति के लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक समिति निबंधक अथवा अंकेक्षण को जैसी भी स्थिति हो, अंकेक्षण शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगी:

(I) ऐसी अवधि के लिये जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से खंड दो के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश की तिथि से तत्काल पहले की तिथि तक की होगी, वर्तमान दरों पर,

(II) अन्य किसी अवधि के लिये ऐसी दरों या परिणाम के अनुसार हो राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें।

(6) राज्य सरकार यदि ऐसा करना जनहित में समझे, तो कारणों का विशेष उल्लेख करते हुये किसी समिति या किसी वर्ग की समितियों को पूर्ण तौर से या आंशिक तौर पर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर अंकेक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है।

(7) किसी समिति द्वारा देय अंकेक्षण शुल्क की धनराशि चाहे वह इस अधिनियम लागू होने के पूर्व या पश्चात की किसी अवधि की हो, राज्य सरकार को देय धनराशि मानी जायेगी।

(8) धारा 64 के अंतर्गत हुये अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप समिति की कारगुजारी में यदि कोई दोष प्रकाश में आते हैं, समिति अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के तीन माह के भीतर निबंधक को अंकेक्षण द्वारा इंगित किये गये दोष या अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण भेजेगी तथा दोषों एवं अनियमितताओं को दूर करने/समाधान हेतु कदम उठायेगी और निबन्धक को उस पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी।

Audit

64. (1) The Registrar, or any other person appointed by the State Government, shall audit or cause to be audited by a person authorized by him by general or special order in writing and possessing such qualifications including that of chartered accountant as may be psecified by the State Government in this behalf, accounts of every co-operative society, at least once in each co-operative year. Central and Apex societies will be audites by a C.A. other Co-operative societies with are viable and can afford the cost of C.A. caon also be audied by C.A.

(2) The audit under sub-section (1) shall include an examination of overdue debts, ifany, the verification of the cash balance and securities, and a valuation of the assets and liablities of the society.

(3) The Registrar, or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any other person authorized by him or the Registrar, as the case may be, shall, at all times, have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of, the society and may summon any person in possession of, or responsible for the custody of, any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at the headquarters of the society or branch thereof.

(4) Every person who is or has at any time been an officer or employee of a society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Registrar or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any person authorized by him or the Registrar, as the case may be, may require.

(5) For auditing the accounts of a society under this section, every society shall be liable to pay to the Registrar or as the case may be to the auditor, audit fee-

(i) in relation to any period beginning from the date of the commencement of this act and ending on the day immediately before the date of general or as the case may be special order made under clause (2) at th existing rates.

(ii) in relation to any other period at such rates or scale as the State Government may from time to time by general or special order determine.

(6) The State Government may if it considers necessary to do so in public interest exempt by notification in official Gazette and for reasons to be specified therein any society or class of sociaties wholly or partially from payment of Audit fees.

(7) the amount of audit fees payable by any society for any period, whether before or after the commencement of this act shall be deemed to be a sum due to the Government.

(8) if the result of the Audit held under section 64 discloses any defects in the working of the society, the society shall within three months from the date of the audit report explain to the Registrar that defects or the irregularities pointed out by the auditor and take steps to rectify the defects and remedy irregularities and report to the Registrar the action taken by if thereon.

निबन्धक द्वारा जांच

65. (1) निबन्धक स्वत: या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संघटन, कार्य संचालन और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप से उक्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना-पत्र पर की जायेगी-

(क) सहकारी समिति जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो :

(ख) समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य;

(ग) समिति की प्रबन्ध कमेटी के अधिकांश सदस्य ।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात-

(क) वह सभी समयों पर समिति की, या समिति की अभिरक्षा में रखीं गयी सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्ति हों या जो उनके लिए उत्तरदायी हों, उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहत कर सकता है;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध मे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालयों में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर उपस्थित होनें लिए आहूत कर सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है :

(ग) वह ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुये भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, समिति के अधिकारियों से, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निदेश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करें या न बुलायें, तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा : और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है।

(4) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बुलायी गई किसी बैठक को, समिति की उपविधियों के अधीन यथास्थिति, सामान्य

बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उपविधियों द्वारा विनियमित होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की गई तो निबन्धक जाँच कर परिणाम समिति को संसूचित करेगा और ऐसी दशा में जब उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने पर जांच हुयी तो प्रार्थना-पत्र देने वाली समिति को भी जांच का परिणाम संसूचित करेगा।

Inquiry by Registrar

65. (1) The Registrar may, of his own accord, himself, or by a person authorized by him by order in writing hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a co-operative society.

(2) An inquiry of the nature referred to in sub-section (1) shall be held by the Registrar or by a person authorized by him in writing in this behalf on the application of-

(a) a co-operative society to which the society concerned is affiliated;

(b) not less than one-third of the total members of the society;

(c) a majority or the members of the committee of management of the society.

(3) The Registrar, or the person authorized by him under sub-section(1) shall, for the purposes of any inquiry under this section, have the following powers, namely-

(a) he shall, at all times, have access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of sible for the custody of any such books, accounts, documents, securities cash or other properties, to produce the same at any place at the head quarters of the society or any branch thereof;

(b) he may summon any person who, he has reason to believe, has knowledge of any affairs of the society to appear before him at any place at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath;

(c) he may notwithstanding any rule or bye-law specifying the period of notice for a general meeting of the society require the offices of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society or any branch thereof and to determine such matters as may be directed by him and where the officers of the society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself; and

(d) he may in th manner and for the purpose mentioned in clause (c) require to be called or himself call, a meeting of the committee of management.

(4) Any meeting called under clause (c) or clause (d) of sub-section (3) shall have the powers of the general meeting or meeting of the committee of mamagement as the case may be under the bye-laws of the society and its proceedings shall be regulated by such bye-laws.

(5) When an inquiry is made under this section the Registrar shall communicate the result of the inquiry to the society and in the case of inquiry on an application under clause (a) of sub-section (2), also to the applicant co-operative society.

सहकारी समिति की बहियों और सम्पत्ति का निरीक्षण

66. (1) निबन्धक स्वत: या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, समिति की बहियों, नकदी, तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो,

प्रबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी निबन्धक को यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर यह अदा नहीं की गई है।

(2) निबन्धक किसी ऐसे निरीक्षण या परिणाम निम्नलिखित को संसूचित करेगा-

(क) जब वह स्वत: निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख) जब किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर निरीक्षण करे, तो ऋण-दाता और समिति को।

Inspection of books and property of a co-operative society

66. (1) The Registrar may of his own motion, or on the application of a creditor of a co-operative society, inspect or direct any person authorized by him by order in writing in this behalf, to inspect books, cash and other property of the society :

Provided that no such inspection shall be made on the application of a creditor unless the applicant satisfied the Registrar that a debt is still due to him and that he has demanded payment thereof and has not reveived satisfaction within a reasonable time.

(2) The Registrar, shall communicate the results of any such inspection-

(a) where the inspection is made of his own motion, to the society; and

(b) where the inspection is made on the application of a creditor, to the creditor and the society.

जांच का व्यय

67. यदि धरा के अधीन जांच की जाय, और ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर धारा 66 के अधीन निरीक्षण किया जाय तो निबन्धक व्यय की अथवा व्यय के उतने भाग का, जो वह उचित समझें सहकारी समिति, जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, समिति, सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि-

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश का देनदान ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जायेगा।

Costs of Inquiry

67. Where an inquiry is held under section 65, or an inspection is made under Section 66 on the application of a creditor, the Registrar amy apportion the cost, or such part of the costs as he may deem fit, between the co-operative society to which the society concerned is affiliated, the society, the members or creditor demanding an inquiry or inspection and the officer or former officer of the socierty;

Provided that-

(a) no order for such apportionment shall be made untess the society or person sought to be made liable to pay the costs thereunder has been afforded a reasonable opportunity of being heard;

(b) the Registrar shall state state in writing the grounds on which the costs are apportioned.

अधिभार

68. (1) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा-परीक्षा, जाँच, निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इन समितियों के संघटन का प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया है या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचायी है या उक्त समिति के किसी धन का अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रखा है तो निबन्धक स्वत:, अथ्वा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ रूप से अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का आदेश दे सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य-लोभ के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जांच की जाये तो निबन्धक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का या प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुगतान करने, जिसे निबन्धक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है ;

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिस्मपत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्ण ढंग से रोके रखने के लिए अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति में किसी पद पर

बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा।

Surcharge

68. (1) If in the sourse of an sudit, inquiry, inspection or the winding up of a co-operative society it is found that any person, who is or was entrusted with the organisation or management of such society or who is or has at any time been an officer or an employee of the society, has made or caused to be made any payment contrary to this Act. the rules or the bye-laws or has caused any deficiency in the assets of the society by breach of turst or willful negigence or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may of his own motion or on the application of the committee, liquidator or any creditor, inquire himself or direct any person authorized by him by an order in writing in this behalf to inquire into the conduct of such person:

Provided that no such inquiry shall be commenced after the expiry of twelve years from the date of any act or omission referred to in this sub-section.

(2) Where an inquiry is made under sub-section (1) the Registrar may, after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, make an order of surcharge requiring him to restore the property or repay the money or any part thereof with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such an extent as the Registrar may consider just and equitable.

(3) Where an order of surcharge has been passed against a person under sub-section(2) for having caused any deficiency in the assets of the society by branch of trust or willful negligence, or for having misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, such person shall, subject to the result of appeal, if any filed against such order, be disqualified from continuing in or being elected or appointed to an office in any co-operative society for a priod of five years from the date of the order of surcharge.

त्रुटि सुधार के आदेश का निबन्धक का अधिकार

69. यदि धारा 64 के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा 65 के अधीन की गई जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुव्यवस्थित रूप में कार्य कर रही है अथवा उसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण है तथा अंकेक्षण में इंगित त्रुटियों का समाधान धारा 64 (8) में अनुबंधित समय में नही हुआ है, तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों के आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे जो उस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

Registrar's power to order remedying of defects

69. If an a result of audit held under Section 64 an inquiry under section 65 or an inspection under Section 66 the Registrar is of opinion that the society is not working on sound lines, or its management is defective & defects pointed out by Audit have not been remedied with in the stipulated period as laid down in Section 64(8) he may, without prejudice to any other action under this Act, make an order directing the society or its officers to take such action not inconsistent with this Act, the rules and the bye-laws as may be specified in the order to remedy the defects within the time specified therein.

अध्याय–9

विवादों का निपटारा

CHAPTER - IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं

70. (1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद,

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच; अथवा,

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिर्दिष्ट किया गया है अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या

कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच; अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति किसी भूतपूर्व कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्ता कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच: अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समिति के बीच उत्पन्न हो :

तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिर्दिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाये।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे; अर्थात–

(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और वह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों;

(ख) प्रतिभू द्वारा ऋणों के विरूद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के सम्बन्ध में हो जो उसे मुख्य ऋणों द्वारा देय हो, कोई धनराशि मुख ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या माँग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं;

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिये दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, सभिकर्ता अथवा कर्मचारी भी हैं, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गयी हो या सामूहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं; तथा

(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी विषय और पदाधिकारी (Office bearers) के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि इस धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

Disputes which may be referred to arbitration

70. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society other than a dispute regarding disciplinary action taken against a paid servant of a society arises -

(a) among members, past mamber orany person claiming through a member, past members and deceased members; or

(b) between a member, past member or any person claiming through a member, past member or deceased member, and the society its committee of management or any officer, agent or employee of the society, including any past officer, agent or amployee of the society, including any past officer, agent or employee; or

(c) between the society or its committee and any past committee, any officer, agent or employee or any past officer, past agent or past employee or the nominee, heir or legal representative ofany deceased office, deceased agent or deceased employee of the society; or

(d) between a co-operative society and any other co-operative society or societies :

such dispute shall be referred to the Registrar for action in accordance with the provisions of this Act and the rules and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of any such dispute:

Provided that a dispute relating to an election under the provisions of this Act or rules made thereunder shall

not be referred to the Registrar until after the declaration of the result of such election.

(2) For the purpose of sub-section (1) the following shall be deemed to be included in dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, namely--

(a) claims for amounts due when a demand for payment is made andis either refused or not complied with whether such claims are admitted or not by the opposite party;

(b) a claim by a surety against the principal debtor where the society has recovered from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor or whether such debt or demand is admitted or not;

(c) a claim by a society for any loss caused to it by a member, officer, agent, or employee including past or deceased member, officer, agent, or amployee including past or deceased member, officer, agent, or employee, whether individually or collectively and whether such loss be admitted or not; and

(d) all matters relating to the objects of the society mentioned in the bye-laws as also those relating to the election of office-bearers.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is a dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court,

मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश

71. (1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोइ हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है; अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिए अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है; अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिए ऐसे मध्यस्थ मण्डल को अभिदेश कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे:

(2) निबन्धक, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है और उसे दूसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है।

(3) निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्यायहित में ऐसे विवादकालीन आदिश (Interiocutory order) जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(4) इस धरा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिया गया निर्णय आगे अभिनिर्णय कहा जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

(6) निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल इस धारा के अधीन विवाद के निस्तारण में गवाहों तथा इच्छुक पक्षकारों या उनमें से किसी को बुलाने, हाजिरी सुनिश्चित करने एवं शपथ, अभिपुष्टि या हलफनामे पर साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने हेतु उन्हीं माध्यमों एवं यथा सम्भव उसी प्रकार बाध्य किया जा सकता है जैसा दीवानी न्यायालय के मामले में सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में प्राविधानित है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अधिकारी को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जो प्रकरण से किसी प्रकार से सम्बद्ध रहा हो।

Reference of dispute to arbitration

71. (1) On receipt of a reference under sub-section (1) of Section 70, the Registrar may, subject to the provisions of the rules, if any-

(a) decide the dispute himself; or

(b) refer it for decision to an arbitrator appointed by him; or

(c) refer it, if the parties so request in writing, for decision to a board of arbitrators consisting of the persons to be appointed in the prescribed manner.

(2) The Registrar may, for reasons to be recorded, withdraw any reference made under clause (b) or (c) sub-section (1) and refer it to another arbitrator or board of arbitrators or decide it himself.

(3) The Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators, to whom a dispute is referred for decision under htis section may, pending the decision of the dispute make such interlocutory order including attachment of property as he or they may dem necessary in the interest of justice.

(4) The decision given by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators under this section shall hereinafter be termed as award.

(5) The procedure to be followed by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators in deciding a dispute and making an award under this section shall be as may be prescribed.

(6) The Registrar, arbitrator, or the Board of Arbitrators shall have power to summon & enforce attendance of witnesses including the parties interested or any of them & to compel them to give evidence on oath, affirmation or affidavit & to compel the production of documents by the same means & as far as possible in the samc manner as is provided in the case of a civil court by the code of civil procedure 1908.

Provided that the officer who has been directly involved in the matter, shall not be appointed as arbitrator or a member of the board of arbitrators.

ऋणात्मक समिति का ऋण समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार

71.क (1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक की है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरूद्ध (धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95-क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं कर सकती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरूद्ध ऋणदाता समिति स्वयं (यथास्थित धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95-क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उपविधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हो।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋण समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरूद्ध धारा 92 से निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसक अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनके प्राप्य ऋण की मांग तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है।

Powers of creditor society against debtor society and its members

71.A (1) If a co-operative society is unable to pay its debts (hereinafter in this section referred to as the debtor-society) by reason of its members defaulting in the payment of the moneys due to another co-operative society (hereinafter in this section referred to as the creditor-society), and the Committee of Management of the debtor-society omits or neglects to take necessary steps for recovery of money due from its members, the creditor-society may, notwithstanding anything in this Act, direct the said committee by a notice in writing to proceed against the defaulting members in accordance with the provisions of Section 70, Secion 91, Section 92 or Section 95-A, as the case may be.

(2) If teh Committee of Management of the debtor society fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of thirty days from the date of service of such notice, the creditors-society may itself proceed against such defaulting members in accordance with the provisions of Section 70, Section 91, Section 92 or Section 95-A, as the case may be, as if they were members of the creditor-society, and in that event, the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye laws of the debtor society shall so apply as if all reference to the debtor-society and its Committee of Management and officers in the said provisions were reference to the creditor-society and its Committee of Management and officers.

(3) Where th creditor-society has in respect of any money due from the debtor-society, obtained an award or order referred to in Section 92 against the debtor-society the creditor-society may proceed to recover such money in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, either from the assets of the debtor-society or from the members thereof to the extent of the debts due from them to the debtor-society or from both.

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1965 से छूट

71. ख इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट, संख्या 34, वर्ष 1963) में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय सिकी धनराशि को जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिए वादों को संस्थित करने के निमित्त अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय।

Exemption from Indian Limitation Act. 1963

71-B. Notwithstanding any provision in the Indian Limitation Act, 1963 (Act XXXIV of 1963). the period of limitation for the institution of a suit to recover any sum, including interest thereon due to a co-operative society by a member thereof, shall be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society.

अध्याय-10

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

CHAPTER - X

WINDING UP AND DISSOLUTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

सहकारी समितियों का समापन

72. (1) यदि धारा 65 के अधीन जांच हो जाने अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापित कर दिये जाने के आदेश दे सकता है।

(2) निबन्धक स्वत: तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो नियत किया जाय, निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है :

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो; अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा 6 द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिए व्यवस्थित है; अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो; अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

Winding up of Co-operative societies

72. (1) If the Registrar, after an inquiry has been held under Section 65, or an inspection has been made under Section 66, or on receipt of an application made by not less than three fourth of the members of a co-operative society is of the opinion that the society ought to be wound up, he may pass an order directing it to be wound up.

(2) The Registrar may of his own motion and after giving such notice as may be prescribed pass an order directing the winding up of a co-operative society--

(a) Where the registration of the co-operative society was obtained by fraud or mistake : or

(b) where the number of ordinary members has been reduced to less than such minimum as provided in Section 6 for the registration of such society; or

(c) where the co-oerative society has not commenced working within a reasonable time or has ceased to function; or

(d) where the co-operative society is not longer fulfilling its objects or complying with the requirements of clause (d) of sub-section (1) of Section 7.

परिसमापक

73. (1) यदि निबन्धक ने धारा 72 के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए सहकारिता विभाग के किसी सहकारी सेवक को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है।

(2) नियुक्त होने पर परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों ( ) को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपने अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावा की हानि या ह्रास और क्षति रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे। परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा:

(3) यदि धारा 72 के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील की गई हो तो परिसमापन सम्बन्धी आगे की कार्यवाही तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावा को अपनी अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रखे रहेगा और उसका उक्त उपधारा में अभिर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा।

(4) यदि सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाय तो समिति, समिति की सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे।

Liquidator

73. (1) Where the Registrar has made an order under Section 72 for the winding up of a co-operative society, he may appoint a Govt. Servant of Co-operative department to be a liquldtor for the purpose and, if necessary fix his remuneration.

(2) A liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control all the property, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedlent, to prevent loss or deterioration of or damage to, such proverty, effects and claims, the liquldator shall keep full accounts of all such property, effects and actionable claims and be responsible for their safe custody.

(3) Where an appeal is preferred under Section 98 against an order of winding up of a co-operative society passed under section 72, the further winding up proceedings shall be stayed by the liquidator until the order is confirmed in appeal;

Provided that the liquldator shall continue to have custody or control or the property; effects and actionable claima mantioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) Where an order winding up a co-operative society is set aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall revest in the society.

परिसमापक के अधिकार

74. (1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिनके सम्बन्ध में समापन का आदेश दिया गया हो, सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां धारा 73 के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और परिसमापक को ऐसी परिसम्पत्तियों को बेचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे परिसमापक को निबन्धक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये यह भी अधिकार होगा कि वह :

(क) अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका प्रतिवाद करे;

(ख) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय-समय पर अंशदान की, जिनके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय भी हैं, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा

अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परिसम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो;

(ग) उस समय जो निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीस दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दें;

(घ) सहकारी समिति के विरूद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णय करे;

(ङ) सहकारी समिति के विरूद्ध दावों का भुगतान, उनकी पारस्परिक पूर्वता यदि कोई हो, के क्रमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा-पूरा अथवा अनुमानत: जैसा कि समिति की परिसम्पत्तियों के अनुसार सम्भव हो, करें और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक से तथा उसके (परिसमापक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायेगा;

(च) यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे;

(छ) समिति की परिसम्पत्तियों के संग्रह और वितरण के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दें जो उसे समिति के कार्यों के समापन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(ज) अध्याय 9 के अन्तर्गत आने वाले विवादों को मध्यस्थ निर्णय के अभिदिष्ट कराये तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में जिसमें समिति एक पक्ष हो, समिति का प्रतिनिधित्व करे;

(झ) समिति के लाभप्रद समापन के लिए जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करें;

(ञ) ऋणदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिसका कोई दावा हो अथवा जो अभिकथन करें कि उनका दावा है, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबन्ध करें; और

(ट) सभी आहूतियों (Calls) अथवा आहूत और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के सम्बन्ध में जो परिणामत: ऋण में परिवर्तित हो सकते हौं तथा वर्तमान अथवा भावी निश्चित या घटनाक्षेप सभी दावों के सम्बन्ध में, जो समिति तथा अंशदायी तथा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने ऊपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हों या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में जो किसी भी रूप में परिसम्पत्तियों से समिति के समापन से सम्बन्धित हो अथवा उन पर प्रभाव डालते हों ऐसी शर्तों पर तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहूति, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लें और उसके सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति दें।

(3) जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबन्धक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबन्धक निदेश दे जमा करेगा।

(4) ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (2) के अधीन समिति की परिसम्पत्तियों के लिए अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) यह समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हो, वसूली के लिए परिसमापक की प्रार्थना पर निबन्धक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

(5) कोई ऋण या दावा जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इन अधिकार को वापस न करते हुये कि वह पर्याप्त कारण बताये जाने पर उपयुक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दें, उन्मोचित समझा जायेगा।

Power of Liquidator

74. (1) Subject to any rules made in this behalf the whole of the assets of a co-operative society in respect of which an order for winding up has been passed, shall vest in the liquidator appointed under Section 73 from the date on which the order takes effect and the liquidator shall have power to realize such assets by sale or otherwise.

(2) Such liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar-

(a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the co-operative society by the name of his office;

(b) to determin from time to time the contribution (including debts and other dues) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officer or past officer, to the assets of the society, after giving to the person or persons concerned an opportunity to answer the claim;

(c) to fix the time, which will not be less than thirty days in any case, within which the creditors shall prove their debts and claims or be included for the benefit of any distribution made before these debts or claims are proved, and to give notice of such time in the manner prescribed;

(d) to investigate all claims against the co-operative society and subject to the provisions of this Act, to decide question of priority, arising between claimants;

(e) to pay claims against the co-operative society including interest up to the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or rateably, as the assets of the society may permit, the surplus, if any, remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;

(f) to determine by what persons and in what proportion the costs of the winding up are to be borne;

(g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the essets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;

(h) to get disputes covered by Chapter IX raferred to arbitration and to represent the society in any arbitration proceading to which the society is a party;

(i) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficlal winding up of the same;

(j) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable; and

(k) to compromise all calls or liablltles to calls and debts and liabllitles capabel of resulting in debts, and all clalms present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability of the co-operative society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society, on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liabilty, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof.

(3) When the affairs of a co-operative society have been wound up the liquldetor shall make a report to the Registrar and deposit the record of the society in such place as the Registrar and deposit the record of the society in such place as the Registrar may direct.

(4) Any sum ordered under sub-section (2) to be recovered as contribution (including debts and other dues) to the assets of the society or as costs of winding up may be recovered in the same manner as arrears of land revenue on requisition being made in this behalf to the Collector by the Registrar on a reguest by the liquldetor for revcovery.

(5) Any debt or claim not proved within the time fixed for it under clause (c) of sub-section (2) shall subject to the power of the liquldator to allow it to be proved beyond trhat time in case of sufficlent cause being shown, be deemed to be discharged.

परिसमापक के लेखों का अंकेक्षण

74. क (1) परिसमापक अपने कार्यकाल की अवधि में प्रत्येक वर्ष दो बार नियत प्रारूप पर प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, निबन्धक द्वारा लेखों का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे कराया जायेगा।

(2) परिसमापक द्वारा अंकेक्षित लेखों का सारांश तैयार कराया जायेगा और इस सारांश की प्रति प्रत्येक अंशदायी (Contributory) को भेजी जायेगी।

(3) परिसमापक द्वारा नियत रीति से लेखों और लेखे सम्बन्धी पुस्तकों के अंकेक्षण हेतु निबंधक द्वारा निदेशित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(4) परिसमापक समिति के परिसमापन सम्बन्धी कार्य सम्भालने के पश्चात् अंकेक्षण के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप

पायी गयी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक अनियमितताओं के कारण तथा कर्तव्यों एवं कार्यो के निर्वहन में उपेक्षा और घोर चूक के फलस्वरूप समिति को घाटा हुआ हो या होने की सम्भावना हो।

Audit of Liquldator's Accounts

74-A.(1) The liquldator shall during his tanure of office, twice each year, present to the Registrar an account. in the prescribed form of his receiots and payments as liquidator, the Registrar shall cause the acounts to be audited in such manner as he thinks fit.

(2) The Liquldator shall cause as summery of audited accounts to be prepared and shall send a copy of such summary to every contributory.

(3) The Liquidator shall pay such fees as the Registrar may direct for the Audit of the account and books kept by him in the manner prescribed.

(4) The Liquldator shall be held liable for any irregulatritles which might be discovered in the course or as a result of Audit in respect of transactions subsequent to his taking over the affairs of the society:

Provided that no such action shall be taken unless the irregularities have caused or are likely to cause loss to the society due to gross negllgence or omission in carrying out the duties and functions.

शेष सम्पत्तियों का निस्तारण

74. ख ऐसी समिति जिसका परिसमापन हो चुका है कि परिसमापक द्वारा अपनी फाइनल रिपोर्ट मे दर्शायी गयी शेष सम्पत्तियों का निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से उसके सदस्यों में नियत रीति से वितरण किया जा सकता है या समिति की उपविधियों में हुये प्राविधान के अनुसार यदि उनमें विशिष्ट रूप से दिया हुआ है किसी या किन्हीं उद्देश्यों में प्रयोग किया जा सकता है अथवा दोनों उद्देश्यों के निमित्त प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां शेष को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता और समिति की उपविधियों में कोई व्यवस्था नहीं है। शेष सम्पत्तियां निबन्धक के अधिकार क्षेत्र में निहित हो जायेंगी जो उन्हें धरोहर (ट्रस्ट) के रूप में रखेगा तथा इसे ऐसी सहकारी समितियों के विकास के लिए अपने विवेकानुसार प्रयोग मे लायेगा।

Disposal of surplus Assets

74-B. The surplus assets as shown in the final report of the liquidator of a society which has been wound up may either be divided with the provious sanction of Registrar amongst its members in such manner may be prescribed or be devoted to any object or objects provided in the bye-laws of the society, if they specify that such a surplus shall be utilized for the particular purpose or may be utilized for both the purposes. where the surplus is not so divided amongst the members and the society has no such bye-laws, the surplus shall vest in the Registrar, who shall hold it in trust and shall use it accordingly to his prudence in development of society.

समापन और विघटन के मामलों में बाद पर रोक

75. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा और यदि समापन का कोई आदेश पारित हो गया हो तो समिति के विरूद्ध निबन्धक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तो के अनुसार अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

Bar of sult in winding up and dissolution metters

75. Seve in so far as is expressly provided in this Act, no civil court shall take cognizance of any matter connected within the winding up or dissolution of co-operative society under this Act and when a winding up order has been made, no suit or legal proceeding shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

सहकारी समिति के निबन्धन का रद्द किया जाना

76. यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी सहकारी समिति को जिसके लिए कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धक समिति के निबन्धन को रद्द करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गयी समझी जायगी और वह निगमित निकाय के रूप

में विद्यमान न रहेगी।

Cancellation of Registration of a co-operative society

76. Where in respect of a co-operative society which has been ordered to be wound up under Section 72, the Registrar is of opinion that it is not necessary to appoint a liquidator, or were the affairs of a co-operative society in respect of which a liquidator has been appointed under Section 73, have been yound up, the society shall be deemed to be dissolved and shall cease to exist as a corporate body from the date of such order of cancellation.

अध्याय-11

सहकारी कृषि समितियाँ

CHAPTER - XI

CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES

सहकारी कृषि समितियों का निबन्धन

77. (1) यदि पाँच अथवा अधिक व्यक्ति जो-

(क) किसी मण्डल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि को समुच्चय करना चाहते हों, अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मण्डल के क्रय द्वारा, पट्टे या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों:

कृषि उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ-साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे सहकारी कृषि समिति कहा गया है) यदि वह धारा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियायें समिति के सदस्यों द्वारा की जाती हों तो इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, भूमि के ही मण्डल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मण्डल का अभिदेश उन मण्डलों का अभिदेश समझा जायेगा जिनमें सदस्यों द्वारा धृत या प्राप्त किये जाने के लिए वांछित भूमि स्थित हो।

(2) निबन्धक, निबन्धन प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जायं, कलैक्टर की ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, जो नियत की जायें, भिजवायेगा।

Registration of Co- operative Farming Societies

77. (1) Where any five or more persons-

(a) holding bhumidhari or Sirdar reights in land in a circle, and desiring to pool it; or

(b) intending together to obtain, in the name of the society land in a circle, by purchase, lease or otherwise;

form a society with the object of jointly using such land for any purpose connected with agriculture, horticulture,sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and poultry farming or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose along with such purpose, such society (to be hereinafter called a "co-operative farming society") may, if it conforms to the requirements of Section 7, and if the bulk of the operations on such land relating to the aforesaid purposes are to be performed by members of society, be registered under this Act as a co-operative society :

Provided that the Registrar may, having regard to the circumstances of any particular case, grant an exemption from the requirement of the land being in one circle and in the case of such exemption, any reference to a circle hereinafter shall be deemed to be reference to the circle in which land held by the members or desired to be obtained lies.

(2) The Registrar shall cause a copy of registration certificate and such other documents as may be prescribed, to be forwarded to the Collector for such action, if any, as may be prescribed.

निबन्धन की कतिपय अपेक्षायें

78. कृषि समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:-

(क) अधिकार-अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो;

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनाएं;

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें।

Certain requirements of registration

78. An application for registration of farming society shall be accompanied by-

(a) extracts from the record of rights showing the total area with the recorded numbers of all fields which will be contributed to the society;

(b) in the case of a society covered by clause (b) of sub-section (1) of section 77, only a description of the land intended to be obtained and the manner of obtaining it and the plans for developing and using the same:

(c) such other documents and particulars, as may be prescribed.

निबन्धन के परिणाम

79. (1) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन निबन्धित हो तो मण्डल की उस समस्त भूमि जिसे कोई सदस्य धारण किये हों, यह समझा जायेगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चली गयी है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि को धारा 77 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र/गृह (Farm house) बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र-गृह से संलग्न ऐसी भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करें:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो जो उस जोत में उसके अंश के सम्बन्ध में जब तक कि उक्त जोत के समस्त सहांशी (Co-sharer) ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायेगा कि वह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बटवारा न करा ले अथवा जब तक कि उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में दी गई किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी भूमिधर या सीरदार का उस भूमि में जो उसके सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में दी हो, हित धारा 82 में की गई व्यवस्था को छोड़कर निहित नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण-

इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग-भूमि अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिनके अर्न्तगत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे प्रयोजनों में सहायक किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिए किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त प्रयोजनों में किसी के लिए धारण किये हों, यदि यह प्रयोजन समिति के प्रयोजनों में से भी एक हो।

(2) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (3) में की गयी है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि का कोई निस्तारण (Disposal) करने का हकदार न होगा।

(3) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों या विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे आभारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

(4) सहकारी कृषि समिति के निबधित हो जाने के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अबवाब, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी। उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं। समिति द्वारा सदस्य की ओर इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी।

Consequences of registration

79. When a co-operative farming society is registered under Section 77, all land in the circle held by a member shall be used by the society for any of the purposes mentioned in sub-section (1) of Section 77 :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any land on which a farm house has been built or to such land, not exceeding one half of an acre in area, appurtenant to the farm house as the member, at the time of applying for membership of the society, opts to reserve for his personal cultivation :

Provided further that where a member of a co-operative farming society has only a share in a joint holding, has share in that holding shall not, unless all the co-shares of that holding are members of society, be deemed to pass into the possession, control and menagement of the society, unless he gets his share partitioned or he is in separate possession of a part of that holding :

Provided also that nothing in this section shall be construed to mean that the interest of the bhumidhar in the land contributed by him to the co-operative farming society has except as provided in Section 82, ceased to vest in him.

Explanation - For the purposes of this dection, "land" shall not include groveland, or land held and used by the bhumidhar for purposes connected with horticulture, sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and pouitry farming, or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose, but shall include such land as is held by the bhumidhar for any of the aforesaid purposes if it is also one of the purposes of the society.

(2) No member of a co-operative farming society shall except as provided in sub-section (3), be entitled to make any disposition of any land contributed by him to the society.

(3) Every member of co-operative farming society shall be entitled to such rights and privileges, be subject to such obligations and liabilities, and be bound to discharge such duties as may be conferred or imposed upon him, by or under this Act.

(4) All cesses, local rates, rent or land revenue payable by a member of a co-operrative farming society, in respect of the land held by the society under sub-section (1) may, as from the date of registration of the society, be recovered from it. any amount so paid by the society on behalf of a member shall be recovered by it from that member.

सदस्य का पागल हो जाना

80. यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो अपने अभिभावक (Curator) के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।

Luancy of members

80. If a member of a co-operative farming society becomes a lunatic, he may continue to be a member through his curator who may act in his behalf as if he were the member himself.

नये सदस्यों का प्रवेश सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव

81. (1) कोई व्यक्ति, जो उस मण्डल का जिसमें सहकारी कृषि समिति बनाई गयी हो, निवासी हो या उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो।

(2) कोई अव्यस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक (Curator) के माध्यम से उस मण्डल में किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और एसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अव्यस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है, मानों स्वयं सदस्य हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कह वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि दे देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायेगी और धारा

79 के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

Admission of new members

81. (1) Any person who is a resident of the circle where a co-operative farming society has been formed or who intendes to settle down in the circle or who cultivates land therein, may be admitted as a member thereof, upon such terms and conditions as may be laid down in the bye-laws of the society.

(2) A minor or a lunatic holding lnd in the circle s bhumidhr. may through through his legal guardian or curetor. as the case may be, be admitted as a member of a co-operative farming society i that circle and in such a case the guardian or the curator amy act on behalf of the minor or the lunatic s if he were the member himself.

(3) Where a person is admitted as a member of the society on the condition of his conteributing land to the society, any land held by him in the circle as a bhumidhar shall stand transferred to the possession, control and management of the society and the provision of Section 79 shall apply to him.

दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

82. (1) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय, तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि उसे लौटा दी जायेगी अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता (Compact-ness) बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की अन्य भूमि दे दी जायेगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनियोग के लिए प्राप्त कर ली गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि अपने द्वारा किये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो अथवा जो उत्पादन में सहायक हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटायी जाने वाली भूमि धारा 86 के उपबन्धों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बन्धक के अधीन हो तो समिति बहिर्गामी सदस्य को भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे बन्धक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बन्धक-कर्ता समिति द्वारा बन्धक धन की अनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को छोड़ देगा, भले ही सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (एक्ट सं0 4 वर्ष 1882) में कोई प्रतिकूल बात दी हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि समिति औश्र बहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से, समिति ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति या किसी अन्य सदस्य को, उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को दी गई भूमि के विनियम में रखी गयी भूमि में वही अधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गई भूमि में समिति या सदस्य के थे।

(3) कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हो।

Effect of cassation of membership

82. (1) Subject to the other pprovision of this Act and the rules and the bye-laws, where a member who contributed land to the co-operative farming society ceases to be a member he shall be given back the land contributed by him, or. in the Interest of compactness of the land left with the society or of the land being returned to the member, any other land of equivalent value belonging to the society or any other member whose written consent to such exchange has been obtained:

Provided further that if the land to be returned is subject to a mortgage made by the society under the provisions of Section 86, the society shall, before returning the land to the outgoing member, secure redemption of the land from such mortgage and the mortgagee shall release such land from the mortgagor on payment of proportionate amount of the mortgaged money by the society notwithstanding anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Act IV of 1882):

Provided also that with the mutual consent of the society and the outgoing member such cash compansation as may be determined in the prescribed manner, be paid by the society in lieu of the land to such member.

(2) Any land received back under sub-section (1) by the outgoing member, shall be held by him in the same righ in which the land contributed by him to the society was held immediately before the cessation of his membership of the society, and the society or any other mamber, under sub-section(1) as the case may be, shall have the same rights in the land, if any, retained in exchange of the land given to the outgoing member.

(3) No member shall on the cassation of his membership, be entitled to claim any part of the land or other property acquired in any manner by the co-operative farming society, but nothing herein shall affect his right to get the value of any share to which he may be entitled under this Act.

दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

83. यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो, मृत्यु हो जाय, तो उसके दायाद ऐसी भूमि के सम्बन्ध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायाद अवयस्क या पागल हो, तो यथास्थिति उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मानो वह स्वयं सदस्य हो।

Heirs entitled to become members of the co-operative farming society

83. When a member whose land is held by a co-operative farming society, dies, his heir in respectr of such land, shall become members of the society and, if any such heir is a minor or lunatic, his legal guardian or curator, as the case may be, shall act in his behalf as if he were a member himself.

सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी

84. प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी (Consolidation) के लिए कार्यवाही करे।

Consolidation of land held by a co-operative farming society

84. It shall be the duty of every co-operative farming society to take steps for the consolidation of the land held by it.

लाभ का वितरण

85. (1) धारा 58 के उपबन्ध, जहां तक वे उपधारा (2) और (3) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।

(2) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(3) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति की अंशदत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है, जो नियत की जाय।

Distribution of Profit

85. (1) The provisions of Section 58, in so far as they are not inconsistent with sub-section (2) and (3), shall also apply to the utilization of the net profits of a co-operative farming society.

(2) A co-ioperative farming society shall carry at least one-twentieth of its net profits to a fund calted the reserve fund.

(3) A co-operative farming society amy out of its net profits pay to such extent and in such manner as may be prescribed, bonus to its members in respect of their land and labour contributions made to the society.

सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि बन्धक पर ऋण देने का अधिकार

86. ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को बिना कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

Power of a co-operative farming society to raise loan on the mortgage of land held by it

86. Subject to such conditions as amy be prescribed, a co-operative farming society may for the purpose of raising a loan from the State Government or any co-operative society, mortgage without possession any land held by it in its own name and, after obtaining an authorization in writing from the members concerned, the land contributed by its mamber under sub-section (1) of Section 79, anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act 1882, or any other law for the time being in force notwithstanding.

सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें

87. इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और उसके अर्न्तगत अन्य रियायतों, सुविधाओं और पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती हैं-

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिल आयल के क्रय पर बिक्री-कर में कमी,

(ग) तकावी देने में पूर्वता

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता,

(ङ) सिंचाई के लिए जल सम्भरण और बीज, उर्वरक तथा कृषि उत्पदन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता,

(च) कृषि उपज के क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता।

Concessions and facilities for co-operative farming societies

87. Without prejudice to any other concession admissible to co-operative societyies in general under this Act, the co-operative farming societies shall be entitled to such other concessions, facillties and priorities as may be prescribed and these may, amongst others, include the folowing-

(a) reduction in land revenue;

(b) reduction in irrigation charges, taxes by local bodies and sates tax on the purchase of diesel oil, petrol and mobil-oil, for agricultural purposes;

(c) priority in the grant of taqavi;

(d) priority in the grant of taqavi;

(e) priority in the supply of water for irrigation, seeds, manures, feritilizers and other articles necessary for farm production;

(f) priority in the marketing of farm produce.

नियम बनाने का अधिकार

88. (1) धारा 128 के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है;

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:-

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषिस समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा 79 के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण (Disposal) करने की अनुज्ञा कर सकती है;

(ख) वे सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा 82 के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायेगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी अथवा उसका भुगतान किया जायेगा;

(ग) वे प्रपत्र जिनमें धारा 84 के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी और प्रार्थना-पत्र तथा अपील के ज्ञापन-पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क, यदि कोई हों, की धनराशि;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जिनका अनुसरण धारा 84 के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनियम (Exchange) के निर्देश देने और प्रतिकर का भुगतान करने में किया जायेगा;

(ङ) बहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों (Implements) के विषयों में दावों को चुकता कना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है;

(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान तथा उसका मूल्यांकन और समायोजन (Adjustment);

(छ) सहकारी कृषि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने के सिद्धान्त;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों तथा नियत किये जा सकें।

Power to make rules

88. (1) In addition to rules framed under Section 128, the State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for--

(a) the gorunds on which a co-operative farming society may grant permission to a member for disposition of his land under section 79;

(b) principles on which and the manner in which cost and compensation shall be determined or reimbursed or paid under Section 82;

(c) the forms in which applications and appeals shall be filed under Section 84 and the amount of court-fee, if any, to be paid on applications and memorandum of appleal;

(d) the principles and procedure to be followed in the consolidation of holding in girecting exchange of land in payment of compensation under Section 84;

(e) satisfaction of the claim of an outgoing or pasl mamber as respects land, funds, agricultural stocks, and implements contributed by him to the co-operative farming society;

(d) the principles and procedure to be followed in the consolidation of holding in direction exchange of land in payment of compensation under Section 84;

(e) satisfaction of the claim of an outgoing or past member as respects land, funds, agricultural stocks, and implements contributes by him to the co-operative farmingsociety;

(f) the contribution by members ofproperty other than land and its evaluation and adjustment;

(g) pronciloes governing remuneration to be paid to members working on the farm of a co-operative farming society;

(h) any other matter which is to be oramy be prescribed under this Chapter,

89. इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

Provisions of Chapter to prevail over other law

89. The provisions of this Chapter shall take effect notwithstanding anything to the contrary in this Act or any other enactment for the time being in force.

अध्याय-11 - क
बीमाकृत सहकारी बैंक
CHAPTER - XI-A
INSURED CO-OPERATIVE BANKS

निर्वचन

90. इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपोजिट इंश्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1961 (ऐक्ट सं0 47 वर्ष 1961) जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है।

Interpretation

90. In this Chepter 'Insured co-operative bank' means a co-operative abk insured under the Deposil Insurance Corporation Act 1961 (Act No. 47 of 1961), hereinafter in this Chapter referred to as the said Act.

बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध

90. क इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात:-

(1) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प की स्वीकृति करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(2) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13-डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायेगा।

(3) यदि रिजर्व बैंक की राय हो कि लोकहित में या किसी बीमाकृत सहीकारी बैंक के कार्य-कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरूद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के

लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्य निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश द्वारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी।

(4) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35 (क) की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35 (क) के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश उक्त धारा के अधीन दिया गया हो।

(5) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना का संकल्प स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) यथास्थिज्ञति, परिसमापक या बीकाकृत सहकारी बैंक या अन्तररीति बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इंश्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रति संदाय करने के लिए बाध्य होगा।

Special provisions applicable to insured co-operative banks

90. A. Notwithstanding any thiing conteined in this Act, the following provisions shall apply to every insured co-operative bank namely ;-

(i) an order sanctioning a scheme or resolution for the amalgamation or merger or division or winding up of an insured co-operative abk amy be made by the Registrar only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank;

(ii) and order for the finding up of an insured co-operative bank shall be made under the provisions of this Act if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in Section 13-D of the Said Act;

(iii) if the Reserve bank is of opininon that it is necessary so to do in the public interes or for preventing the affairs of an insured co-operative bank being conducted in a manner deterimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of such co-operative bank, it may requird the Registrar to pass an order for supersession of the Committee of Management or other managing body (by whatever name called) of such co-operative bank and to appoint an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may from time to time, be specified by the Reserve Bank and the Registrar shall pass an order accordingly and the remaining provisions of Sections 35 and 36 shall apply in relation to such an order as if it were an order made under Section 35, but the requirements of that section to afford the Committee of Management an opportunity of being heard and to obtain the opinion of the general body of the society shall not be applicable;

(iv) in the event of the Chairman and members of the Committee of Management of an insured co-operative bank vacating their respective offices under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 35-A, the Reserve Bank may require the Registrar to make such arrangements as it thinks proper for the management of the affairs of such bank and the Registrar shall pass an order accordingly, and the remaining provisions of Section 35-A shall apply in relation to such an order as if it were an order made under that section;

(v) an order sanctioning a schame of or the resolution for amalgamation or merger or the division or winding up of an insured co-operative bank or of the supersession of the Committee of Management or other managing bodies (by whatever name called) of such bank and the applintment of an administrator thereof made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank shall not be called in question in any manner; and

(vi) the liquidator or the insured co-operative bank or the transferee bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation the sums mentioned in Section 21 of the said

Act in the circumstances and to the extent and in the manner referred to in that section.

अध्याय-12
अभिनिर्णय तथा आदेशों का निष्पादन
CHAPTER - XII
EXECUTIONS OF AWARDS AND ORDERS

प्रभार का प्रवर्तन

91. अध्याय-9 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु इस अधिनियम में व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना-पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान ऐसी सम्पत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसे हित को जो धारा-39 के अन्तर्गत प्रभार के अधीन हो बेच कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना-पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष भाग का भुगतान न कर दिया हो।

Enforcement of charge

91. Notwithstanding anything contained in Chapter IX, or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recvoery provided in this Act, the Registrar or any person subordinate to him and empowered by him in this behalf may, o the application of a co-operative society and on being satisfied of the existence of the debt or outstanding demand make an order directing the payment of such debt or outstanding demands due to the society by any mamber or past or deceased member, by sale of the property or any interest theirin, which is subject to a charge under Section 39;

Provided that no order shal be made under this section, unless the member, past member or the nominee, heiror legal representative of the deceased member, has been served with a notice of the spplication and has failed to pay the debt or outstainding demand within one month from the date of service.

कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन

92. धारा-71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय जो नीचे दी गयी रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा 67 या 68 की उपधारा (2) अथवा 91 के अधीन निबन्धक द्वारा या धारा 74 के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा 97 या 98 के अधीन अपील पर अथवा धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा 100 के अधीन विवादकालीन (Interlocutory) आदेश स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य प्रत्येक आदेश (या धारा 95 (क) के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र) का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो-

(क) मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को दिया जायेगा और उसके साथ निबन्धक द्वारा और उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण-पत्र भी रहेगा: प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र आदेश या अभिनिर्णय में भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो यथास्थिति आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर दिया जायेगा :

अथवा

(ख) निबन्धक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसके तदर्थ अधिकृत किया गया हो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरूद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्मपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायेगा, अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिया जायेगा, मानो ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डिग्री हो।

Execution of certain orders and awards

92. Every award made under Section 71, and capable of execution in the manner provided below and every order so capable of executiiion made by the Registrar under Section 67 or sub-section (2) of Sectio 68 or under Section 91, or by the liquidator under Section 74 or by an appellate authority on appeal under Section 97 or 98 or on review under Section 99 or as an interlocutory order underSection 100 or a certificate for recovery issued under Section 95-A shall, if not carried out, be executed--

(a) in the manner provided by law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue where the order is for the recovery of money:

Provided that an application for the recovery of any such sum is made to the Collector and accompanied by a certificate signed by the Registrar or any person authorized by him in this behalf :

Provided further that such application is made within 12 years from the date fixed for payment in the order or award and if no such date is fixed, from the date of the order or award, as the case may be; or

(b) by the Registrar or any other person subordinate to him and empowered by him in this behalf, by attachment and sate or sale without attachment of any property of the person or the co-operative society against whom the order or award has been made; or

(c) by the civil court having jurisdiction over the mattter as if the order or award were the decree of that court.

कतिपय प्रयोजनों के लिए निबन्धक या उके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय होगा

93. निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिए या ऐसी वसूली करने के सहायक उपाय अपनाने के लिए उसको दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देते समय इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट संख्या 36, वर्ष 1963) की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय समझा जायेगा।

Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes

93. The Registrar or any person empowered by him in this behalf shall be deemed, when exercisting any power under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking steps in aid of such recovery, to be civil court for the purposes of Article 136 of the Schedule to the Indian Limitation Act 1963 (Act XXXVI of 1963).

अभिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की

94. यदि निबन्धक को किसी प्रार्थना-पत्र, प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध दिया जाये प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से यथास्थिति, निबन्धक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा सका कोई भाग हटाने वालो है तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गयी हो।

Attachment of property before award or order

94. If the Registrar is satisfied on application report, inquiry or otherwise thatany person, with intent to delay or obstruct the enforcement of any order, decision or award that may be made against him under the provisions of this Act, is about to dispose of or remove from the jurisdiction of the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators or the liquidator as the case may be, the whole or any part of his property, he may unless adequate security is furnished, direct the attachment of the said property, and such attachment shall have the same effect as if made by a competent civil court.

सरकार की देय धनराशियों की वसूली

95. (1) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की जा सकती है।

(2) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा-1 के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमत: समिति की सम्पत्ति से द्वितीयत: ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए, और तृतीयत: अन्य सदस्यों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहेंगी।

Recovery of sums due to Government

95. (1) All sums due from a co-operative society or from an officer or member or past member of a co-operative society as such to the State Government or the Central Government including any costs awarded to any such Government under any provision of this Act, may, on certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the State Government or the Central Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered, firstly, from the property of the society; in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the mambers, past members or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability; and thirdly, in the case of other societies, from the members, past members, or the estate of deceased members:

Provided that the liability of past members and the estates of deceased members shall in all cases be subjecet to the provisions of Section 25.

कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध

95.क (1) निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और देयों का निश्चयात्मक सबूत होगा जिसे धारा 92 के अधीन निष्पादित किया जा सकेगा।

Special provision for recovery of certain dues of agricultureal society

95.A (1) The Registrar may, on an application made by society referred to in Section 34 or an agricultural credit society for the recovery of arrears of any loan advanced by it or any instalemnt thereof to any member and on its furnishing a statement of accounts in respect of such loan and after making such inquiries, if any, as he thinks fit, issue a certificate for revocery of the amounts due.

(2) A certificate issued by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be executable under Section 92.

अध्याय-13

अपील तथा पुनर्विलोकन

CHAPTER - XIII

APPEAL AND REVIEW

सहकारी न्यायाधिकत्व

96. (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के सम्पादन के लिए न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है जिसमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण गठित किये जायें तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसा मामलों का वर्ग जिसके ऊपर प्रत्येक न्यायाधिकरण, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

(2) न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले को नियत किये जायें तीन व्यक्ति होंगे।

(3) यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों तो, उसके कार्य निस्तारण के लिए किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को जिस पर मतभेद हो तीसरे सदस्य के समक्ष

रखा जायेगा और उस मामले पर जिस मत से वह सहमत होगा वही न्यायाधिकरण का मत समझा जायेगा। यदि किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो तो बहुमत अभिभावी होगा:

(4) न्यायाधिकरण के किसी सदस्य तथा स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।

(5) न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियत की जाय।

Co-operative Tribunal

96. (1) The State Government may constitute a tribunal or tribunals, each to be called co-operative Tribunal, to exercise the functions conferred on the tribunal under this Chapter and whare more than one tribunal is constituted, the State Government may fix, by order in writing, the area within which or the class of cases over which each tribunal shall exercise jurisdiction.

(2) A Tribunal shall consist of three persons possessing such qualifications as may be prescribed.

(3) Where the Tribunal consist of three members, any two members shall form the quorum for the disposal of its business:

Provided that in the event of a difference of opinion between them the matter over which there is a difference of opinion, shall be placed before the third member and the opinion with which the third member agrees, shall be deemed to be the opinion of the Tribunal. Where a matter is heard by all the three members of the tribunal and there is a difference of opinion, the majority opinion shall prevail.

(4) Any vacancy in the membership of the tribunal shall be filled by the State Government.

(5) The procedure for holding the meeting and disposal of business by a Tribunal shall be such as may be prescribed.

निबन्धक के अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील

97. (1) निबन्धक द्वारा धारा 71 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, पैंतालीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है, जो न्यायपूर्ण समझे।

Appeals against awares of Registrar

97. (1) Any person aggrieved by any award of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1), or sub-section (2) of Section 71 may within forty five days after the date on which the award is communicated to such person, appeal to the Tribunal.

(2) The Tribunal after hearing an appeal under this section may pass such order as it may deem just.

अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील

98. (1) निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील :

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार किया गया हो;

(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इन्कार किया गया हो अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो।

(ग) किसी सहकारी समिति का निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो : या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश;

(घ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबन्धक का कोई आदेश;

(ङ) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबन्धक का आदेश;

(च) धारा 65 के अधीन की गई किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षक के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश।

(छ) धारा 68 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश।

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(झ) धारा 72 के अधीन निबन्धक द्वारा किया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (Binding up) का निर्देश दिया गया हो;

(ञ) धारा 74 के खण्ड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश :

(ट) धारा 92 के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर जो कोड आफ सिविल प्रोसीजन, 1908 (एक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश;

(ठ) धारा 94 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए दिया गया आदेश;

(ड) निबन्धक का धारा 16 (क) के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन या विलयन का निदेश दिया गया हो या धारा 16 (ख) के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो:

(ढ) धारा 126 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिया गया आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से अपील की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ट) और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेंगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ) के अधीन, अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेंगी –

(क) यदि निर्णय का आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को;

(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के सम्बन्ध मे विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञाप्ति द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा, मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायें, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदोपरांत ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

Appeal against the awards, orders and decisions

98. (1) An appeal against-

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of Section 7 fefusing to register a co-operative society;

(b) an order of the Registrar under sub-section (2) of Section 14 registering an amendment in the bye-laws of co-operative society;

(c) a decision of co-operative society refusing to admit any person as a member ofthe society under sub-section (2) of Section 26 or expelling any member of the society under sub-section (1) of Section 27 or an order passed under sub-section (1) of Section 27 or an order passed under sub-section (1) of Section 38 for removing or disqualifying any officer of a co-operative society;

(d) an order of the Registrar under sub-section (2) of Section 27 expelling or removing a member or under sub-section (2) of Section 38 removing or disqualifying any officer of a co-operative society;

(e) an order of the Registrar superseding the Committee of Management of a co-operative society under Section 35;

(f) an order made by the Registrar, under Section 67 apportioning the cost of an enquiry held under Section 65 or an inspection made under Section 66;

(g) an order of surcharge made by the Registrar under Sectrion 68;

(h) an award made by an abbitrator or board of arbitrators under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 71;

(i) an order made by the Registrar under Section 72 directing the winding up of a co-operative society;

(j) any order made by the liquidator of a co-poerative society in exercise of the powers conferred on him by clause (b) and (g) of Section 74;

(k) any order made by the Registrar on a question arising between the partics or proceedings under clause (b) of Section 92 and of the nature referred to in Section 47 of the code of civil procedure, 1908 (Act V of 1908);

(l) an order for attachment of any property made by the Registrar under Section 94;

(m) an order of the Registrar underSection 16(A) directing amalgamation or merger, or under Section 16(B) directing division;

(n) an order passed by the Registrr under Section 126 annulling any resolution or canceling any order, may within forty five days of the communication of the order, decision or award to be appealed against, be preferred by the aggrieved party to the authorities mentioned in sub-section (2) in the manner prescribed.

(2) An appeal under clauses (c), (d), (e), (f), (g),(k) and (i) of sub-section (1) shall be preferred to the Tribunal, and an appeal under clauses-
(a), (b), (h), (i), (j), (m) and (n) of the said sub-section shall be preferred-
(a) if the decision or the order was made by the Registrar, to the State Government;
(b) if the decision or order or award was made by any other person or authority, to the Registrar;
(c) if the order or award was made on a disputer relating to an election, to the Tribunal,

(3) Notwithstanding any thing contained in clause (b) of sub-section (2) the State Government may by notification in the Gazette, direct that appeals against awards mentioned in clause (h) of sub-section (1) shall, in respect of such cases or class of cases, as may be specified in the said notification lie to the Tribunal, and thereupon any person aggrieved by such award, may appeal to the Tribunal.

न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण (Revision)

99.क- न्यायाधिकरण किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिसके विरूद्ध उसके यहां अपील की जा सकती हो, मंगा सकता है और उसका परीक्षण किसी निर्णय अथवा आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने हेतु कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे निर्णय अथवा आदेश को संशोधित किया जाना है, निरस्त किया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी-

(अ) यदि निर्णय या आदेश के विरूद्ध की जाने वाली अपील का समय समाप्त नहीं हुआ है अथवा

(ब) निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन उस समय तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

Revision by Tribunal

99-A. The Tribunal may call for and examine the record of any proceedings in which an appeal lies to it for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed and if in any case it shall appear to the Tribunal that any such decision or order should be modified annulled or revised, the tribunal may pass such order thereon as it may deem fit :

Provided that the Tribunal shall not take any action under this section if-

(a) the time for appeal against the decision or order has not expired, or

(b) the decision or order has been made the subject matter of an appeal:

Provided further that no order shall be made under this section unless notice has been given to all interested parties and they have been given a reasonable opportunity of being heard.

अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पुनर्विलोकन

99. ख- (1) यथास्थिति धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन, प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर, किसी भी मामले में आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि किसी ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता लगा है, जो उचित अध्यव्यवसाय के पश्चात भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं थी, अथवा वह उसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाये कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख

में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के, जिसका पुनर्विलोकन अवांछित हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर दिया जायेगा।

Review of order of appellate authority

99-B (1) The appellate authority under Section 97 or Section 98, as the case may be, may on the application of any party, review its order in any case and pass in reference thereto such order as it thinks fir:

Provided that no such application shall be entertained unless the appellate authority is satisfied that there has been a discovery of new and important matter of evidence which, after exercise of due deligence, was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason:

Provided further that no such order shall be made under this sub-section unless noice has been given to all interested parties and they have been afforded a reasonable opportunity of being heard.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party shall be made within thirty days from the date of communication of the order of the appellate authority sought to be reviewed.

निबन्धक एवं सरकार के पुनरीक्षण (रिवीजन) सम्बन्धी अधिकार

99. ग- (1) निबन्धक स्वत: अथवा किसी प्रार्थना-पत्र पर अपने अधीनस्थ किसी भी ऐसे अधिकारी के जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करता है, के विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख मांग सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है, सरकार स्वत: अथवा किसी प्रार्थना-पत्र पर निबन्धक तथा ऐसे अधिकारी जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, के ऐसे विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिनके विरूद्ध धारा 98 में न्यायाधिकरण को अपील का प्राविधान नहीं है मांग सकती है और उनका परीक्षण अपने को यह सन्तुष्ट करने के लिए किया जा सकता है कि लिया गया निर्णय या पारित, आदेश नियमित है, ठीक है, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण है, यदि निबन्धक अथवा सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी निर्णय या आदेश को संशोधित करना, आलोपित करना, परिवर्तित करना, पुनर्विचार हेतु वापिस करना आवश्यक है, तो निबन्धक अथवा सरकार तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक या सरकार को इस धारा के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा विधिक कार्यवाही, निर्णय या आदेश की प्राप्ति के 3 माह के भीतर प्रेषित किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना प्रतिवेदन देने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(3) निबन्धक या सरकार जैसा भी हो उपधारा (1) के अन्तर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग के लम्बित दशा में किसी निर्णय या आदेश के क्रियान्वयन को रोक सकता है।

(4) निबन्धक या सरकार जैसा उचित समझे समिति की धनराशियों से या ऐसे पक्षकार जिसके द्वारा पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया हो से इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही का व्यय भुगतान करने हेतु निर्णय दे सकते हैं।

Powers of revision of Registrar and Government

99-C (1) The Registrar may of his own motion or on application call for and examing the record of any officer subordinate to him being an officer exercising the powers of the Registrar, and the Government may of their own motion or an application call for and examine the record of the registrar including any officer exercising the powers of the Registrar in respect of which an appeal to the Tribunal is provided by Section 98 to satisfy himself or themselves as to the regularity of such proceedings, or the correctness, legality or propriety of any decision passed or order made thereon, and if in any case it appears to the Registrar or the Government that any such decision or order should be modified annulled reversed or remitted for reconsideration he or they may pass orders accordingly:

Provided that every applicatio to the Registrar or the Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding decision or order to which the application relates was communicated to the applicant.

(2) No order prejudicial to any person shall be passed under sub-section (1) unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(3) The Registrar or the Government as the case may, be any, suspend the execution of any decision or order pending the exercise of his or their power under sub-section (1) in respect thereof.

(4) The Registrar or the Government may award costs in proceedings under this section to be paid either out of the funds of the society or by such party to the application for revision as the Registrar or the Government may deem fit.

अन्तरिम आदेश

100. यदि अपील धारा 97 अथवा धारा 98 के आधीन की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिए अपील का निर्णय होने तक के लिए ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

Interim orders

100. Where an appeal is preferred under Section 97 or Section 98, the appellate authority may, in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal as it may deem fit.

अपीलों का संक्रमण

101. (1) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा (98) के अधीन कोई अपील करने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं करने को संक्रमित कर सकता है, और उसे निस्तारित कर सकता है।

Transfer of appeals

101. (1) The State Goveernment may, on the application of any party and after affording an opportunity to the other party of being heard, transfer an appeal filed under Section 97 from one Tribunal to another Tribunal.

(2) The State Government may transfer to itself an appeal filed under Section 98 pending before the Registrar of Co-operative societies appointed under sub-section (1) of Section 3 and dispose it of.

(3) The Registrar of Co-operative socities appointed under sub-section (1) of Section 3 may transfer an appeal pending before one officer exercising the powers of Registrar under sub-section (2) of Section 3 to any other officer exercising similar powers, or transfer an appeal pending before any such officer to himself and dispose it of.

आदेशों और निर्णय/अभिनिर्णयों का अन्तिम होना

102. धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति धारा 97 या धारा 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील न की गई हो तथा धारा 99 के अधीन रहते हुए उक्त धारा के अधीन होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

Finality of orders and decisions

102. Every award made underSection 71 and every order of the nature referred to in sub-section (1) of Section 98 where no appeal has been preferred against such award or order under Section 97 of Section 98, as the case may be, and every decision in appeal under the said sections, shall, subject to Section 99, be final and binding on the parties concerned and shall not be questioned in any court.

अध्याय-13 क

उत्तरांचल राज्य सरकारी परिषद

CHAPTER - XIII (A)

UTTARANCHAL STATE CO-OPERATIVE COUNCIL

उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद का गठन एवं उसके कार्य

102.(क) (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद के नाम से एक काउन्सिल (परिषद) होगी जिसमें सभापति एवं उप सभापति को सम्मिलित करते हुए उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय एवं नामित किये जायें।

(2) राज्य सरकार द्वारा काउन्सिल (परिषद) में एक सचिव की नियुक्ति की जायगी।

(3) उपधारा (1) में गठित काउन्सिल (परिषद) के निम्नांकित कार्य होंगे-

(क) राज्य सरकार को सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना,

(ख) सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना एवं राज्य की सहकारी समितियों के क्रियाकलापों में सम्मनवय स्थापित करने हेतु उपाय सुझाना,

(ग) सहकारी समितियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ मार्गदर्शन देना, एवं अन्य उपायों का संकेत करना,

(घ) ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संसूचित करना जो इसे संदर्भित किये जायें,

(ङ) राज्य के सहकारी आन्दोजन के विकास हेतु योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना,

(च) वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके,

(छ) राज्य सरकार को सहकारी ढंग से आर्थिक विकास की विशेष योजना के कार्यान्वयन में सुझाव देना एवं

(ज) उपरोक्त किन्हीं उद्देश्यों हेतु विभाग अथवा विशिष्ट संघटनों के माध्यम से अध्ययन करना।

(4) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्न के सम्बन्ध में प्राविधान करेगी-

(अ) काउन्सिल (परिषद) की बैठकें बुलाने एवं ऐसी बैठकों की कार्य पद्धति,

(ब) काउन्सिल (परिषद) सचिव के कर्तव्य,

(स) काउन्सिल (परिषद) की उप समितियां, एवं

(द) काउन्सिल (परिषद) कार्यालय के सदस्यों की अवधि, यात्रा एवं दैनिक भत्ता जो अनुमन्य होगा

I - परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

II- परिषद में अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

III- परिषद का एक सचिव होगा जो अपर निबन्धक सहकारी समितियां के पद से निम्न न होगा।

Constitution of State Cooperative Council, its functions etc.

102.A (1) There shall be a council to be called the Uttaranchal State Co-operative Council consisting of such number of members including the Chairman and the Vice-chairman, as the State Govt. may determine and nominate from time to time.

(2) The State Govt. shall appoint a Secretary in the council.

(3) The functions of the council constituted under sub-section (1) shall be as follows, namely-

(a) to advise the State Govt. on all matters relating to Co-operative follows, namely-

(b) to revive the co-operative movement and to suggest ways of co-ordinating the activities of co-operative societies in the State;

(c) to suggest ways and means to remove the difficulties experienced by the co-operative soieties;

(d) to report to the State Govt. on such matters as may be referred to it by the State Government;

(e) to recommend the plans and policies for the development of Co-operative movement in the State;

(f) to evaluate existing schemes and suggest new schemes for co-operative development especially for the development of backward classes and economically weaker sections of the society;

(g) to advise the State Govt. for the implementation of special scheme of economic development through co-operative methods; and

(h) to undertake studies for any of teh purposes aforesaid either throuh department or specialized bodies,

4. The state Government may by general or special order provide for-

(a) the calling of the meetings of the council and the procedure at such meetings;

(b) duties of the Secretary to the council;

(c) sub-committeeor committees of the council; and

(d) the term of office of members of the council and travelling and daily allownces admissible to the members

of the Council;

(i) State Co-operative Council's term will be 3 years;

(ii) There will be maximum Eleven members of the State Co-operative Council;

(iii) The State Co-operative council's Secretary will not be below the rank of Additional Registrar. Co-operative Societies.

अध्याय-14

अपराध और शाक्तियां

CHAPTER - XIV

OFFENCES AND PENALTIES

अधिनियम के अधीन अपराध

103. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि-

(अ) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी निबन्धक या निबन्धक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे, या

(ब) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभूतियों को कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, परिवर्तन करे या कूटकरण करे या उनके नाश, विकृति परिवर्तन, कूटकरण के लिए अभिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर, लेखा-बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिए अभिप्रेरित करें, या

(स) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां, अभिलेख या सम्पत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और सम्पत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिए विधित: हकदार हो, या

(द) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिए धारा 63 के अधीन अपेक्षित भविष्य निधि की स्थापना न करे,

(य) सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रखे जो नियत किये जावें, या

(र) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य, जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा परीक्षा के लिए धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अथवा निबन्धक या धारा 64, 65, 66, 73 या 123 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियां और पत्रादि प्रस्तुत न करें या सहायता न दे, या

(ल) कोई सेवायोजक पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से, जब वह कटौती की गई हो, 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे, या

(व) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड अ, व, य, ल या व के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, व नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष के अनधिक कारावास से या दस हजार रूपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (ब), खण्ड (स) या खण्ड (र) के अधीन अपराध करता है, दोष सिद्ध

पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

Offences And Panalties under the Act

103. (1) It shall be an offence under this Act, if--

(i) A committee of management of a co-operative society or a member or an officer thereof fails without reasonable cause to submit any return, report or information required under the provisions of this Act by the Registrar or by a person of a rank not below that specified by the State Government duly authorized by the Registrar in this behalf, or willfully makes a faise return or furnishes false information or fails to maintain proper account; or

(ii) an officer, employee or a member of a co-operative society fraudulently destroys, mutilates, alters, falsifies or abets the destruction, mutilation, alteration, or falsification of any books, papers, or securities, or makes or abets the making of any false entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

(iii) the committee of management of a co-operative society, or an officer in possession of the books, records and property belonging to the society to a person lawfully entitled to receive the same under this Act, the rules or the bye-laws; or

(iv) the Committee of Management of a co-operative society or an officer fails, without reasonable cause, to establish a Provident Fund for its employees as required by Section 63; or

(v) any officer of a co-operative societryfails to maintain such accounts and registers as may be prescribed; or

(vi) an officer or a member of co-operative society who is in possession of information, books and records, fails, without reasonable cause, to furnish such information or produce books and papers or give assistance to the person appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 64, or any person authorized by him to conduct audit, or to the Registrar or a person authorized or appointed by the Registrar under Section 64, 65, 66,73 or 123; or

(vii) an employer, without sufficient cause, fails to pay to a co-operative soceity the amount deducted by him under sub-section (2) of section 40 within a period of 14 days from the date on which such deduction is made; or

(viii) an officer or mamber of a co-operative society or any person does any act or omission declared by the rules to be an offence.

(2) (a) Whoever commits an offence under clauses (i), (iv), (v) (Vii), or (viii) of sub-section (1) shall on conviction be liable to be punished with fine which may extend to Five thousand rupees :

Provided that, any person who does an act in relation to elections which has been made an offence under the rules, shall be punishable with imprisonment for such term not exceeding two years, or with fine not exceeding rupees Ten thousand as may be provided in the rules or with both.

(b) Whoever commits an offence under clause (ii), Clause (iii) or clause (vi) of sub-section (1) shall on convivction be liable to be punished with imorisonment of either description which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to Five thousand rupees.

(c) Every offence referred to in clause (b) shall be cognizable and bailable.

अर्थदण्ड

104. कोई भी व्यक्ति जो धारा (8) की उपधारा (2) या धारा 106 (धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिए शास्ति) के उपबन्धों का उल्लंघन करें, अर्थदण्ड से दण्डनीय हो जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात अपराध जारी रखा जाय, एक सौ रूपया होगा।

Penalty for contravention of Section 8 or Section 106

104 Any person contravening the provisions of sub-section (2) of Section 8 or of Section 106 shall be punishable with fine which may extewnd to One thousand rupees and in the case of continuing offence with further fine

of One hundred rupees for each day on which the offence is continued after conviction therefor

अपराधों का शमन

104.क- (1) निबन्धक, इस अधिनियम और अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, शमन, अभियोग संस्थित किये जाने से पूर्व एवं पश्चात् प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है जैसा वह उचित समझे और वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ अपराध का इस प्रकार शमन-

(क) अपराध संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा,

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त को दोषमुक्ति होगा।

Compounding of Offences

104-A(1) The Registrar may, either before or after the institution of the prosecution, compound any offence punishable under this Act on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, and where such offence is punishable with fine only then such composition fee shall not exceed the maximum amount of fine fixed for the offence.

(2) Where the offence is so compounded-

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the accused.

अपराध संख्या

105. (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

(2) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन (Prosecution) संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।

Cognizance of offences

105. (1) No court, inferior to that of a stipendiary magistrate shall try any offence under this Act.

(2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous snction of the Registrar and such sanction shall not be given without affording to the person sought to be prosecuted an opportunity to represent his case.

अध्याय-15

विविध उपबन्ध

CHAPTER - XV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

शब्द ''सहकारी'' या ''को-ऑपरेटिव'' का प्रयोग करने की प्रतिषेध

106. सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द ''सहकारी'' या उसका अंग्रेजी पर्याय को-ऑपरेटिव हो व्यापार या कारोबार में नहीं करेगा।

Prohibition against the use of word "सहकारी" or "Co-operative

106. No person other than a co-operative society shall trade or acrry on business under any name or title of which the word ' सहकारी' or its equivalent in English, 'Co-operative', forms part.

सहकारी समिति का पता

107. (1) प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबन्धित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे

जा सकेंगे। समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसा परिवर्तन के 30 दिन के भीतर निबन्धक को भेजेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबन्धित कार्यालय का पता इस अधिनियम के अधीन निबन्धित शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उनका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी।

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में,

(ख) समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिए आदेशों, बीजकों, लेखा विवरणों, प्राप्तियों और साख पत्रों में, और

(ग) समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन लिये आदेशों में जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किये जाय।

Address of co-operative society

107. (1) Every co-operative society shall have an address registered in the prescribed manner and all notices and communications to the society may be sent at such address the society shall send to the Registrar notice of any change of such address within thirty days of the change.

(2) Every Co-operative society shall, at every office or place where it carries on business, display its name and address of its registered office along with the word "Registered" under this Act in legible character at a conspicuous place and shall also mention the same-

(a) in all notices and other publications authorized by it;

(b) in all business contracts, business letters, order for goods, invoices, statements of accounts, receipts and letters of credits; and

(c) in all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.

अधिनियम आदि की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपबन्ध रखा जाना

108. प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अन्तिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और असाधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर नि:शुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी।

Copies of Act etc. to be open for inspection

108. Every co-operative Society shall keep a copy of this Act, the rules made thereunder, its bye-laws, last audited annual balance-sheet, profit and loss account and minutes of the general meetings open to inspection, free of charge at the registered address of the society.

कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार

109. (1) किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषयों में से सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आपफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (ऐक्ट संख्या 5, वर्ष 1908) के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं; अर्थात-

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना,

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि और

(घ) साक्षियों के बयान देने के लिए कमीशन निकालना।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जोने वाले शपथ-पत्र पर शपथ यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबन्धक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है।

Powers of civil court to Tribunals Arbirators and others in certiain matters

109 (1) While deciding adispute, making an enquiry or inspection, hearing an appeal or investigating any claim, the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator shall have all the powers of a

Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908, in respect of the following matters namely-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) proof of facts by affidavits; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) An affidavit to be filed under sub-section (1) may be sworn before the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator, as the case may be, or before an officer appointed in this behalf by the Registrar or the Tribunal.

न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक

110. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा:-

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबन्धन;

(ख) किसी प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलम्बन;

(ग) धारा 70 के अधीन निबन्धक को अभिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित विवाद;

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय।

Bar of jurisdiction of court

110. Save as expressly provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jursdiction in respect of-

(a) the registraton of a co-operative society or its bye-laws or of an amendment of a bye-law;

(b) the supersession or suspension of a Committee of Management;

(c) any dispute required under Section 70 to be referred to the Registrar; and

(d) any other order or award made under this Act.

निबन्धन की शर्तो से समितियों को छूट देने का अधिकार

111. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।

Power ti exenot society from conditions of registration

111. Notwithstanding anything contained in this Act, the state Government may, by special order in each case and subject to such conditions, if any, as it may impose, exempt any co-operative society from any of the requirements of this Act as to registration.

अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील

112. सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिखकर और पंजीकृत डाक द्वारा ऐसा पत्र भेजकर, जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये वह तामील उस समय की हुई समझी जायेगी जब पत्र सामान्य क्रम में उसके पास पहुंच जाता।

Service of notice under the Act

112. Except where otherwise provided by or under this Act, every notice or order issued or made under this Act may be served on any person by properly addressing to the last known place of residence or business of such person and posting by registered post, a letter containing the notice or order, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course.

वादों के लिए नोटिस का होना आवश्यक

113. समिति के संघटन, प्रबन्ध या कारोबार से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वादकरण, वाद का

कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान और उसके द्वारा अभियाचित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद-पत्र में इस बात का प्राक्कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है एवं निबन्धक द्वारा उस पर आदेश पारित कर दिये गये हों।

Notice necessary in sults

113. No suit shall be instituted against a co-operative society or any of its officers in respect of any act relating to the constitution management or the business of the society until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the Registrar, or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims; and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left & the Registrar had passed orders on that.

कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियंत्रण

113.क- धारा 29, धारा 34, धारा 35, या धारा 35(क) के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के आदेश द्वारा जो आदेश दिया जाये या दिया जाना संभावित हो उसके विरूद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गई या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

Control of expenditure in litigation in certain cases

113-A No expenditure from the funds of a society shall be incurred without prior saction in writig of the State Government for the purposes of defraying the costs of any proceedigs filed or instituted in any court by any officer or Committee of Management of the society against any order made or purporting to be made by the Registrar or the State Government under Section 29, Section 34, Section 35 or Section 35-A.

कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायेंगे

114. किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नहीं समझा जायेगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था।

Act of co-operative societies not to be invalidated by certain defects

114. No act of a co-operative society or any committee of management or of any officer of a co-operative society shall be deemed to be invlid by reason only of the existence of any defect in the constitution of such society or committee or in the appointment or election of such an officer or on the ground that such officer was disqualified for such appointment or election.

प्रमुक्ति

115. कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक, कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यासी, निबन्धक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया संभावित हो।

Indemnity

115. No suit prosecution, or other legal proceeding shall lie against the trustee appointed under this Act, the Registrar or any person subordinate to him or acting on his authority, a liquidator, an arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or any member thereof in respect of anything in good faith done or purporting to have been done under this Act

सहभागिता एवं संयुक्त उद्यम

116. (1) समितियों की सहभागिता-

निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से कोई दो या दो से अधिक समितियां, जिनके प्रत्येक की सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों ने तीन चौथाई बहुमत से संकल्प पारित यिका हो कोई विशिष्ट व्यवसाय अथवा व्यवसायों को करने हेतु सहभागिता में प्रविष्ट कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सदस्य को पूरे दस दिन का लिखित नोटिस बैठक की तिथि एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया गया हो।

इस प्रकार की सहभागिता पर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का कुछ भी प्राविधान लागू नहीं होगा।

(2) समितियों द्वारा संयुक्त उद्यम–

(1) कोई समिति या समितियां राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों के साथ किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यवसायों जिसमें औद्योगिक विनियोग, वित्तीय सहायता या विपणन एवं प्रबन्धकीय दक्षता सम्मिलित हो संयुक्त उद्यम में प्रविष्ट हो सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी समिति या समितियों को उपधारा (1) के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निम्न विषयों पर यथाचित ध्यान देगी, जैसे:–

क– योजना आर्थिक दृष्टि से स्वाश्रयी है,

ख– इसका कार्यान्वयन संबन्धित समिति या समितियों के सहकारी चरित्र के बिना क्षरण के किया जा सकता है एवं

ग– योजना, समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित समितियों के हितों को आगे बढ़ाने में या जनहित में और सामान्य रूप से सहकारी आन्दोजन के हित में है।

Partnership & Joint ventures

116. (1) Partnership of societies :

(1) Any two or more societies may, with the prior apporval of the Registrar, by resolution passed by three fourths majority of the members present and voting at a general meeting of each such society, enter into partnership for acarrying out any specific business or businesses PROVIDED that each member has had clear ten days written notice or the resolution and the date of the meeting.

Nothing in the Indian Partnership Act 1932 shall apply to such partnership.

(2) Joint Venture by societies:

(i) Any society or societies may with the prior approval of the State Government enter into joint venture with any Government or Private undertaking for carrying on any specific business or businesses including industrial invastment financial aid or marketing and management expertise.

(ii) Before approving any such scheme of joint venture by any society or societies under sub-section (1) the State Government shall have due regard to the following matters namely-

(a) that the scheme is economically viable;

(b) that it can be implemented without any way, eroding the cooperative character of the society or the societies concerned; and

(c) that the scheme is in furtherance of the interests of the members of the society or societies concerned, oris in Public interest and in the interest of the Co-operative Movement in general.

सहायक संगठनों का प्रवर्तन

117. (1) कोई सहकारी समिति अपने स्थित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु सामान्य निकाय बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर सहायक संगठन या सहायक संगठनों का प्रवर्तित कर सकती है और इस प्रकार के संगठन सामान्य निकाय की सहमति के आधार पर वर्तमान में प्रभावी किसी कानून में पंजीकृत हो सकते हैं।

(2) ऐसे किसी सहायक संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख, प्रवर्तन करने वाली सहकारी समिति की वार्षिक बैठक में प्रतिवर्ष रखा जायेगा।

Promotion of subsidiary organisation

117. (1) Any Co-operative society may, by a resolution passed at general meeting by a majority of members present and voting promote one or more subsidiary organisation for the furtherance of its stated objective, and such organisation or organisations may be registered under any law for the time being in force, as agreed to by general body

(2) The annual reports and accounts of any such subsidiary organisation shall be placed before the general meeting of the promoting co-operative society each year.

पुनर्निर्माण परिषद

118. जब कोई शीर्ष/केन्द्रीय सहकारी समितियां निरन्तर घाटे पर हों, और घाटे जहां इतने हों कि उनके द्वारा समस्त अंशपूंजी खई जा चुकी हो और परिसम्पत्तियों में इतनी कमी आ चुकी हो कि दायित्वों का भुगतान करने में वह समर्थ न हो, तब ऐसी समितियों का विघटन करने के पूर्व उनके मामलों को निबन्धक द्वारा पुनर्निमाण परिषद को यह परीक्षण करने हेतु संदर्भित किया जा सकता

है कि क्या इस प्रकार की समितियां पूंजी विनिवेश एवं तकनीकी सहायता अथवा किसी अन्य तरीके से पुनर्जीवित की जा सकती हैं। पुनर्निमाण परिषद में निम्न समदस्य होंगे-

1- उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक सदस्य

2- संस्थागत वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-निदेशक के पद से नीचे का न हो सदस्य

3- अंकेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी से नीचे न हो। सदस्य

4- लीड बैंक का एक प्रतिनिधि जो सहायक प्रबन्धक पद से नीचे का न हो। सदस्य

5- राज्य सरकार के सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी, वर्ग-1 से नीचे का न हो। सदस्य

6- राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव पद से नीचे का न हो। सदस्य

7- निबन्धक सहकारी समितियों के मुख्यालय का उप-निबन्धक या सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां जिसे निबन्धक द्वारा नामित किया जाय। सदस्य-सचिव

पुननिर्माण परिषद अपने को संदर्भित किये मामलों में विचार करेगी और सुविचारित अपनी अनुशंसायें विस्तार में निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार को यह स्पष्ट करते हुए कि समिति का विघटन होना चाहिये अथवा इसका पुनर्गठन या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, भेजेगी। यदि पुनर्गठन या पुननिर्माण की अनुशंसा होती है तो पूरा पैकेज-पूंजी विनिवेश, तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं अन्य सरकारी एवं संस्थाओं की सहायताओं के विषय में परिषद द्वारा प्रस्ताव सरकार को निर्णय हेतु भेजा जायेगा सरकारी निर्णय के पश्चात् निबन्धक के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रारम्भिक समितियां जो निरन्तर हानि में चल रही हों, के पुनर्निमाण के लिए निबन्धक एक जिला पुननिर्माण समिति बनायेगा तथा उक्त समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप जिले की इस प्रकार की समितियों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।

Board of Reconstruction

118. When Central/Apex Co-operative societies are continuously in loss and where losses are so much that they have eaten the entire share capital and caused deficiency in Assests to the extent that the same exceed liabilities, before winding up, such societies their cases can be referred by the Registrar to the Board of Reconstruction for examining if such societies can be revived by infusing capital & Technological support or by any other manner. The Board of reconstruction will be composed of the following members-

(1) Managing Director of Uttaranchal State Co-operative Bank Chairman

(2) One nominee of Directorate of institutional finace not below the rank of Dy director Member

(3) One representative of Audit Department not below the rank of Class I officer. Member

(4) One representative of Lead Bank not below the rank of Asstt. General Manager. Member

(5) One representative of State Govt's. Co-operation Department not below the rank of Deputy Secretary Member

(6) One representative of State Finance Department not below the rank of Dy. Secretary Member

(7) Deputy or Asstt. Registrar, Co-operative societies at teh Head quarter of Registrar, Co-operative societies to be nominated by Registrar, Co-operative Societies as Member - Secretary

The Board will consider cases referred to it and send its duly considered recommendations in detail to the State Govt. through Rewgistrar, Co-operative Societies whether the Society should be wounded up or its affairs could be reorganized or reconstructed. In the latter course full package containing recommendations about infusion of capital, technology, Managerial and other support from Govt. & other institutions weill be proposed by the Board & send to Govt. for decision. Action will follow after Govt. decision at the level of Registrar. Co-operative Societies.

For revival of primary co-operative societies, which are incurring losses continuously, the revival of such societies in accordance with the decisions of the said committee.

शीर्ष समितियों के कृत्य

119. कोई शीर्ष समिति, अपने संघटकों/सदस्यों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात:-

(क) सहकारी सिद्धान्तों के पालन के लिए उपाय करना,

(ख) सहकारी समितियों को समाश्रित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए, मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना,

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना,

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य सहकारी समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना,

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना,

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिए प्रयास करना,

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं प्रदान करना,

(ज) प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में जिनमें सदस्य सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना,

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना,

(ट) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता विकसित करना,

(ठ) अपने सदस्यों के लिए समक्षमता के मापदण्ड विकसित करना,

(ड) अपने सदस्यों को विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करना,

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराना,

Functions of apex society

119. An apex society may, for servicing its constituents and in accordance with its bye-laws, perform the following functions, namely-

(a) to take measures for the observance of co-operative principles;

(b) to promote and organise co-operative societies and for this purposed frame model bye-laws, issue guidelines for making regulations and policies for consideration;

(c) to provide co-operative training, education and information and promote co-operative principles;

(d) to undertake research and evaluation and assist in preparation of perspective development plans of member co-operative societies;

(e) to promote harmonious relations amongst member co-operative societies;

(f) to represent the interest of member co-operative societies and to make efforts for policies and legislation favourasble to co-operative societies and to make efforts for policies and legistation favourable to co-operative societies;

(g) to provide business services on behalf of its members;

(h) to provide co-operation and management of development services to member co-operative societies including participation in board meetings where such member societies are invited;

(i) to assist member co-operative societies in regular conduct of general meetings;

(j) to evolve code of conduct for its members;

(k) to evolve the viability norms for its members;

(l) to provide legal aid and advice to its members;

(m) to provide any other service in the interest of its members.

सहकारी समितियें के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव, प्रबन्धक आदि के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताए

120. (1) कोई सरकारी समिति किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव, प्रबन्धक, लेखाकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो तब तक नियुक्ति न करेगी जब तक कि उसमें ऐसी अर्हताएं न हों, और ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबन्धक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबन्धक द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकेगा।

Qualifications for appointment as secretary manager etc. of co-operative societies

120.(1) No person shall be appointed by a co-operative society as a Chief Executive (other than Managing Director of Apex Society who wil be a Govt. nominee) secretary, manager, accountant or as any other officer to be paid or remunerated by the society unless he possesses such qualifications and furnishes such security, if any, as may be specified by the Registrar from time to time in respect of any co-operative society or class of societies.

(2) Any person appointed in contravention of the provisions contained in sub-section (1) shall be liable to removal from his office by the Registrar

निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार

121. (1) निबन्धक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिए समय-समय पर विनियम बना सकता है और कोई समिति, जिस पर वे शर्तें प्रवृत्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबन्धक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिये जायें, पालन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

Power of Registrar to determine terms of employment of society

121.(1) The Registrar may, from time to time, frame regulations to regulate the emoluments and other conditions of service including the disciplinary control of employees in a co-operative society or a class of co-operative societies and any society to which such terms are applicable, shall comply with those regulations and with any orders of the Registrar, issued to secure such compliance.

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be published in the Gazette and take effect from the date of such publication.

सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी

122. (1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाये, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संगठन कर सकती है कि वह या ऐसे कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी हैं, और धारा 70 के उपबन्धें के अधीन रहते हुये सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के विवादों में निपटाने के सम्बन्ध में विनियम बनायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा 121 के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण नहीं करेंगे।

(3) वर्ग 3, 4 में सीधी भर्ती हेतु चयन जिला स्तर पर निबन्धक द्वारा गठित कमेटी तथा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(4) वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन कमेटी में सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी समिति का सभापति भी एक सदस्य होगा।

Authority to control employees of co-operative societies

122. (1) The State Government may constitute an authority or authorities, in such manner as may be prescribed, for the recruitment, training and sisciplinary control of the employees of co-operative societies, or a class of co-

operative societies, and may require such authority or authorities to frame regulations regarding recruitment, emoluments, terms and conditions of service including disciplinary control of such employees and, subject to the provisions contained in Section 70, settlement of dispute between an employee of a co-operative society and the society.

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be subject to the approval of the State Government and shall, after such approval, be published in the Gazette, and take effect from the date of such publication and shall supersede any regulations made under Section 121.

(3) Direct recruitment of Employee of Class III and IV at Disrtrict level shall be made by the committee consliituted by the Registrar and procedure laid down by Registrar. Co-operative societies.

(4) In the Direct recruitment of Employees of Class I and II the Chairman of the concerned society shall be a member of selection Board/committee.

कतिपय सेवाओं का केन्द्रीकरण

122.क- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उसकी सेवा की अन्य शर्तो को नियत कर सकती है;

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थायी रूप से आमेलित समझा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसे नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति में ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो-

क- किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा,

ख- किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थाई रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाये और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिसे सेवा में आमेलित के लिये उपयुक्त न पाया जाये, विहित प्राधिकारी द्वारा और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाये निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेगी, और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) में निर्धारित प्रतिकर का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार हकदार होगा।

Centralisation of certain services

122-A.(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such cooperative societies or class of a cooperative societies as the State Government may think fit, common to such cooperative societies and prescribe the method of recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to any such service;

(2) When any such service is created, all employees of such societies existing on the date of creation of such service on the posts included in such service, shall be deemed to have been provisionally absorbed in the service with effect from the date of creation of such service:

Provided that any such employee may, by notice in writing to the prescribed authority within the prescribed period, intimate his option of not becoming a member of such service, and in that event his services in the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be-

(a) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less;

(b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all alownce) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

(3) An employee provisionally absorbed under sub-section (2) may be absorbed finally in the service if found suitable after screening in accordance with the instructions issued by the Registrar; and the services of any such employee as is not found suitable for absorption in the service shall stand determined with effect from the date of issue of orders in that behalf by the prescribed authority and until such authority is prescribed, by the officer specified by the Registrar in that behalf in such instructions and he shall be entitled to compensation as laid down in clause (a) or clause (b) of sub section (2) according as he was a permanent or a temporary employee.

सहकारी समितियों के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी संघ प्राधिकारी का संगठन या उसे मान्यता देना

123. (1) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को ऐसी रीति से जो नियत की जाये और शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संगठित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा अनुदान दे सकती है।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये जाने वाले सम्भाव्य व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति (Recoupment) करने के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबन्धक द्वारा निश्चित की जाय।

(3) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (2) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबन्धक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो तो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारीगण निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समिति वर्ग या निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (1) के अ धीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकार अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबन्धक के सामान्य पथ प्रदर्शन अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबन्धक को देंगे।

Constitution or recognition of co-operative federal authority to supervise working of co-operative societies

123. (1) The State Government may constitute or recognize one or more co-operative federal authorities, in such manner as may be prescribed and subject to such conditions as the State Government may impose, for the supervision of co-operative societies or a class of co-operative societies and may grant loans or subsidies to such authority or authorities in the manner prescribed.

(2) The State Government may, by general or special order, reguire a co-operative society or a class of co-operative societies to make contribution of such a sum every year as may be fixed by the Registrar, towards the full or partial recoupment of expenditure incurred or likely to be incurred in respect of supervision of societies by the federal authority or authorities mentioned in sub-section (1).

(3) A co-operative society to which sub-section (2) is applicable shall pay to such authority or authorities within such time as may be fixed by the Registrar, the contribution as may be fixed under the sub-section, and if it fails to make such payment within such time, the amount shall be recovered as arrears of land revenue on a requisition made by the authority or authorities through the Registrar to the Collector of the district in which the registered office of the defaulting co-operative society is situate.

(4) Any officer or officers of the federal authority or suthorities mentioned in sub-section(1) may be authorized by the Registrar by general or special order in writing to conduct inspection of a co-operative society or class of co-operative societies, the supervision of which has been entrusted to the federal authority or authorities under sub-section (1), provided that such officer or officers shall work under the general guidance,

superintendence and control of the Registrar in exercise of such powers and report the result of inspection to the Registrar.

निबन्धक तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे

124. निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा-परीक्षण करने के लिए या धारा 65 के अधीन जांच करने के लिए या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिए धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य जिस धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिर्दिष्ट किये जायें, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिए धारा 93 के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो इण्डियन पैनल कोड (एक्ट संख्या 45, वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे।

Registrar and other officers to be public servants

124. The Registrar, or any person appointed, or authorized to conduct audit unider Soction 64 or tohold enquiry under Section 65 or to make inspection under Section 66, or authorize under Section 123 to conduct inspection, an arbitrator or a member of the board of arbitrators to whom any disputer is referred under Section 71, or a member of the tribunal or a liquidator, or any person authorized by the Registrar under Section 93 to make attachment and sale [or any officer of co-operative society], shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (Act XIV of 1860).

वसूली न किये जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाला जाना

125. सहकारी समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सम्पत्तियों को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो अशोध्य हों, और वसूल न की जा सकती हो, प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के अन्दर इसकी स्वीकृति निबन्धक द्वारा दी जायेगी अथवा अस्वीकृति की दशा में कारण सम्बन्धित समिति को संसूचित किया जायेगा।

Writing off of non-recoverable assets

125. A co-operative society may, with the previous approval of the Registrar, write off such of the assets as are bad and cannot be recovered.

The Registrar shall give his approval with two month from the date of the receipt of proposal or in case of the refection proposal, the reason thereof shall be communicated to the concerned society.

कतिपय मामलों में सहकारी समिति के संकल्पों को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने का निबन्धक का अधिकार

126. निबन्धक

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प का निष्प्रभाव (Annul) कर सकता है; या

(2) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है;

यदि उसकी यह राय हो कि यथास्थिति, संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं है य अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल है तदुपरान्त प्रत्येक संकल्प या आदेश शून्य (Void) तथा अप्रवर्ती (Inoperetive) हो जायेगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध है है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम होगी, के भीतर यथास्थित, प्रस्ताव पर या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है।

Registrar's power to annual resolution of a co-operative society or cencel order passed by an officer of a co-operative society in certain cases

126. The Registrar may-

(i) annul any resolution passed by the Committee of Management, or the general body of any co-operative society; or

(ii) cancel any order passed by an officer of a co-operative society;

if he is of the opinion that the resolution or the order, as the case may be, is not covered by the objects of the society, or is in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-lews of the society, whereupon every such resolution or order shall become void and inoperative and be deleted from the records of the

society:

Provided that, the Registrar shall, before making any order, require the Committee of Management, general body or officer of the co-operative society to reconsider the resolution, or as the case may be, the order, within such period as he may fix but which shall not be less than fifteen days, and if he deems fit may stay the operation of that resolution or the order during such period.

Applicability- The Registrar can annual a resolution of the General body ifhe is of opinion that the resolution is in contravention of the provisions of the Act. A party aggrieved by such resolution is entitled to invoke the powers of the Registrar and request him to annul the resolution.

किसी सहकारी समिति को कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने का निबन्धक का अधिकार

127. निबन्धक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति या समितियों को कृषि एवं ग्राम्य विकास एवं सम्बद्ध क्रियाओं हेतु (जैसा अध्याय 16 में दिया हुआ है) ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा।

Registrar power to permit a co-operative society to function as an agency for disbursment of developmental Loans for Agriculture & Rural Development Schemes & Allied activities

127. It shall be competent for the Registrar to permit any co-operative society or societies carrying on the business of banking to disburse developmental loans for agriculture & Rural Development scheme & allied activities lald down in Chapter XVI.

नियम बनाने का अधिकार

128. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों से निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्याख्या की जा सकती है:-

1- प्रार्थी जिसको, और रीति जिसके अनुसार, सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सूचित किया जाये;

2- विषय जिनके सम्बन्ध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेंगी या बना सकती हैं;

3- सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथ शर्तें;

4- सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

5- प्रबन्ध कमेटियों का संगठन;

6- सहकारी समिति द्वारा ऐसी दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिए एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति;

7- साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के संगठन में ऐसे सदस्यों का, जो व्यक्ति विशेष हों और अन्य सदस्यों का अनुपात;

8- यदि अंश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो मतदान करने का अधिकार;

9- किसी सदस्य द्वारा उसे व्यक्ति को नाम-निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके;

10- रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य निश्चित किया जायेगा और उसका भुगतान;

11- किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कर्मटी के सदस्यों और सभापति और उपसभापति का निर्वाचन, जिसमें क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण, निर्वाचन, विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है;

11(अ) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामित करना;

12- सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी के बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति तथा प्रक्रिया;

13- कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवक्रान्त निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासक अथवा प्रशासकों को देय पारिश्रमिक;

14- सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अर्हताएं या अनर्हताएं;

15- सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हितबद्ध होने पर निर्बन्धन;

16- सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय;

17- लाभांश और बोनस के भुगतान प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ में से बांटने से योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदर्शन;

18- सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियन्त्रण सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ (Net Profit) से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उनके निस्तारण की रीति;

19- सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्तें;

20- सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्देश्य उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति;

21- सहकारी समिति के समापन होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरिक्त निधि (Surplus Fund) के निस्तारण की रीति;

22- सीमा तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए सहकारी समिति निक्षेप (Deposit) और ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

23- सहकारी समिति द्वारा असदस्यों (Non members) के साथ व्यवहार करने पर निर्बन्धन;

24- सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निबन्धन;

25- निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों (Fluid resources) का स्वरूप तथा मानक;

26- लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क का उदग्रहण;

27- इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां हैं, अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया;

28- इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय;

29- शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति की परिसम्पत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

30- सहकारी समिति को प्राप्त या देय धनराशि की वसूली प्रक्रिया;

31- निर्णय के पूर्व कुर्की करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

32- न्यायाधिकरण के सदस्यों की अहर्ताएं;

33- सहकारी समिति का पता, निबन्धित करने की रीति;

34- सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियां तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्टरों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिए निर्देश देने का, निबन्धक का अधिकार;

35- कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रखी गई बहियों में की गई प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति;

36- सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विरण पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां;

37- इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाल व्यक्ति पर निर्बन्धन;

38- लेख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए शुल्क का उद्ग्रहण;

39- केन्द्रीय बैंक द्वारा सहकारी समितयिों से लिये जाने वाले ब्याजत की अधिकतम दर;

40- सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों की अधिकतम दर;

41- अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और उनकी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान;

42- अधिनियम तथा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए, अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति; और

43- कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय अथवा जो नियत किये जाने के लिए अपेक्षित हो।

Power to make rules

128. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1), the rules to be made under this section may provide for all or any of the following matters-

1- the applicant to whom, and the manner in which, the order refusing the registration of a co-operative society may be communicated by the Registrar under sub-section (2) of Section 7;

2- the matters in respect of which a co-operative society shall or may make bye-laws;

3- the provedure and conditions for change in the form and extent of the liability of a co-operative society;

4- the procedure to be followed for amendment of bye laws by a co-operative society;

5- Constitution committees of management;

6- the appointment of co-operative society of one or more of its members to respresent and vote on its behalf at a meeting or another co-operative society of which it is a member;

7- rights and liabilities of ordinary members and the proportion of members who are individuals and other members in the constitution of the general body or the committee of management of a co-operative society having other cooperative societies also in its membership;

8- the exercise of the right of vote where a share is held jointly by more than one person;

9- the procedure for the nomination by a member of a person to whom the share or interest of such member on his death may be transferred or the value thereof may be paid;

10- the mode in which the value of the share of a deceased or past member shall be ascertained and its payment;

11- the election of the members and Chairman and Vice-chairman of the Committee of Management of a co-operative society, including delimitation of constituencies, reservation of seats for women and members belonging to weaker sections, settement of election disputes, and levy of fees in respect of any such matter.

11. A- the nomination of women and members belonging to weeker sections in the committee of management of a co-operative society;

12- the calling of a general meeting or a meeting of the committee of the management o a co-operative society and the quorum and procedure at such meetings;

13- the remuneration payable to a committee or administrator or administrators appointed in place of a committee of management superseded or suspended by the Registrar;

14- the qualifications or disqualifications for membership of committee of management of a co-operative society;

15- the restrictions against officers of co-operative suciety being interested in contracts with the society;

16- the matters connected with the direct and indirect partnership of the State Government in co-operative societies;

17- determintion of distributable profits out of net profits for purposes of payment of dividend and bonus, and allocation to funds of a society;

18- the establishment and control of Co-operative Educaton Fund, payment to be made to the Fund by a co-operative society out of its net profits and the mode of investment of the fund and its disposal;

19- the mode and conditions of investment of funds of a co-operative society and of establishment and investment of Provident Fund;

20- the object of reserve and other funds of a co-operative society may receive deposits and take loans;

21- the mode of disposal of reserve funds of a co-operative society, their utilization and mode of investment:

22- the extent and conditions subject to which a co-operative society may reveive deposits and take loans;

23- the restrictions on transactions by a co-operative society with non members;

24- the restictions on grant of loans by a co-operative society;

25- the form and standard of sluid resources to be maintained by co-operative societies accepting deposits and granting cash credits;

26- conduction of audit and levy of audit fees on co-operative societies;

27- procedure to be followed in various proceedings under this Act including proceedings before the Registrar, an arbitrator or board of arbitrators or before tribunals or other authorities in entertaining and disposing of appeals and reviews;

28- the fees and expenses that may be charged in proceedings under this Act;

29- the conditions subject to which assets of a co-operative society shall vest in a liquidator and the procedure to be adopted in winding up of a co-operative society;

30- the procedure for recovery of amounts due or payable to a co-operative society;

31- the mode of making attachment before judgment and the procedure for sale of property in proceedings under this Act;

32- the qualifications of members of the Tribunal;

33- the manner of registering the address of a co-operative society;

34- the account books and registers to be kept by a co-operative society and power of Registrar to direct the account books and registeres to be written up;

35- the manner of certification of copies of entries in the biiks and of documents kept by a co-operative society in the course of business;

36- the statements, reports and returns to be furnished by co-operative societies to theRegistrar;

37- restriction on persons appearing as legal practitioners in proceedings under this Act;

38- inspection of documents and levy of fees for granting certified copies thereof;

39- the maximum rate of interest to be charged by a Central Bank from the Co-operative societies;

40- the levy of supervision fees to be realized from the co-operative societies;

41- duties and functions of honorary organizers and honorary managers and payments of allowances and honorarium to them and to the office-bearers, delegates and other members of co-operative societies;

42- method of communicationg or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under the Act or the rules; and

43- the other matter which may be or is required to be prescribed.

वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के सम्बन्ध में उपबन्ध

129. (1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को विद्यमान हो तथा जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1955 अथवा उत्तरांचल राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा सकी उपविधियां जहां तक वह इस अधिनियम (या इसके अधीन बनाये नियमों) के व्यक्त उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक कि उन्हें (इस अधिनियम और इसके अधनी बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार) परिवर्तित या विखण्डित न कर दिया जाय,

(2) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (1) प्रवृत्त होती है और जो धारा 77 की अपेक्षाओं के अनुसार हो, अध्याय 11 के प्रयोजनों के लिए सहकारी कृषि समिति समझी जायगी,

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों को इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों में असंगत हो, निकाल देगी या संशोधित कर देगी और इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियां बनायेंगी जो आवश्यक हों,

(4) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अन्तर्गत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है,

(5) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त

अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके, किसी सहकारी समिति या, सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे, अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में जिसका समायोजन किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता, एक वर्ष की अवधि या बढ़ाई गयी अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायेगा कि उसने समिति की सदस्यता छोड़ दी है और उसके वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो।

(6) यदि सहकारी समिति उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबन्धक, नियत रीति से कमेटी संघटित करेगा।

(8) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबन्ध कमेटी का कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सदस्यता समायोजन या प्रबन्ध कमेटी के पुन: संघटन के समय तक समिति की सदस्यता या उसकी प्रबन्ध कमेटी का संघटन इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत था।

Provisions in regard to existing societies and their bye-laws

129. (1) Any co-operative society existing on the date of coming into force of this Act and registered under the U.P. Co-operative Societies Act. 1965 or under any other law relating to co-operative societies in force in the State of Uttaranchal shall be deemed to be registered under this Act, and its bye-laws shall, so for as the same are not inconsistent with the express provisions of this Act (or the rules made thereunder), continue in force unitil allered or rescinded according to the provisions of this Act (and the rules made thereunder).

(2) Any co-operative society to which sub-section (1) applies and which conforms to the requirements of Section 77 shall be deemed to be a co-operative farming society for the purposes of Chapter XI.

(3) Every co-operative society covered by sub-section (1) shall, within a period of one year from the date of coming into force of this Act, delete or amend such bye-laws as are inconsistent with the provisions of this Act and the rules and shall make such further bye-laws as may be necessary having regard to the provisions of this Act and the rules.

(4) In default of action on the part of any co-operative society as required by sub-section (3), the Registrar may make necessary amendment including deletions and additions in the bye-laws of the society.

(5) Every co-operative society shall within a period of one year form the date of coming into force of this Act or such further period as the Registrar may, for reassons to be recorded in wirting, allow for any co-operative society, adjust its membership according to the classification of members under this Act:

Provided that any existing member who cannot be adjusted into one or the other kinds of memberships shall be deemed on the expiry of the period of one year or the extended period, if any, to have withdrawn from the membership of the society with thew same rights and liabilities attached as if he had withdrawn from membership before the coming into force of this Act.

(6) Where a co-operative society fails to adjust membership as specified in sub-section (5), the Registrar may make the adjustment and direct as to who, if any, of the existing members shall be deemed to have withdrawn their membership under the provisions of sub-section(5).

(7) Every co-operative society shall within one year of the coming into force of this Act constitute its committee of management in accordance with the provisions of this Act and the rules and in default thereof the Registrar shall in the manner prescribed constitute the committee of management.

(8) Notwithstanding anything in this Act no act or proceeding of a co-operative society or its committee of management shall be invalid or questioned in court merely on the ground that up to the time of adjustment of membership or re-constitution of the committee of management in accordance with the procisions of this section the membership of the society or the constitution of its committee of management was inconsistent

with the provisions of this Act or the rules.

वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

130. (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद, अन्य कार्यवाही, जांच या निरीक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और तदनुसार जारी रखा जा सकता है।

(2) जिसे ऐसे अधिकार, कृत्य या कर्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन उस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो जाय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा जो अब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्तव्यों का प्रयोग सम्पादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबन्धक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिए नियत नीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

Other provisions in regard to existing societies

130. (1) Any suit, other proceeding, enquiry or inspection instituted or commenced under the U.P. Co-operative Societies Act 1965, shall so far as may be, be deemed to have been instituted or commenced under this Act and may be continued accordingly.

(2) Any power, function or duty required to be exercised, performed or discharged under this Act by an authority different from the authority provided for that purpose under the U.P. Co-operative Societies Act 1965,shell until such authority is constituted or appointed under this Act, continue to be exercised, performed or discharged by the Registrar who will have the power to take measures in the manner prescribed for the early constitution or appointment of the authority under this Act.

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

131. (1) राज्य सरकार समय-समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुषांगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

Power to remove difficulties

131. (1) The State Government may from time to time, by notification make such incidental and consequential order as may appear to it to be necessary or desirable for the removal of any difficulty in any matter under the provisions of this Act or rules made thereunder.

(2) An order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before the House of the State Assembly.

निरसन संशोधन तथा अधिनियमितियों का अन्वय लगाना

132. (1) उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एतद्द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश जनरल क्लाजेज एक्त, 1904 (यू0पी0 एक्ट सं0 1, वर्ष 1904) की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के निरसन पर प्रवृत्त होंगे।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्रति अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आये हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनया हो और जो तत्समय उत्तरांचल राज्य में प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के संगत उपबन्धों के अभिदेश समझे जायेंगे।

Repeals, amendment and construction of enactments

132. (1) The Co-operative Societies Act 1965 amended from time to time in its application to Uttaranchal is hereby repealed and the provisions of Section 6 and 24 of the U.P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act I of 1904), shall apply to the repeal of the U.P. Co-operative Societies Act 1965.

(2) All reterences to U.P. Co-operative Societies Act 1965, occurring in any enactment made by any authority in India and for the time being in force in the State of Uttaranchal shall, in its application to the said State, be construed as reference to the relevant procisions of this Act.

अध्याय-16
कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण
CHAPTER - XVI
TERM LOANS FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण का वितरण

133. यह अध्याय उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु वितरित किये जाने वाले अवधि के वितरण पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण-

वाक्यांश 'कृषि एवं ग्राम्य विकास' का अर्थ कृषि एवं विकास सम्बन्धी किसी कार्य निर्माण अथवा क्रिया से है जिसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित होंगे:-

(1) कुंओं और ट्यूब वेलों का निर्माण
(2) आयल इंजन, पम्पसेट एवं इलैक्ट्रिक मोटर साहित मशीनरी की स्थापना।
(3) पावर टिलर्स एवं ट्रैक्टर्स की खरीद।
(4) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग जैसे- दूध देने वाले जानवरों का क्रय, शंकर प्रजनित बछिया पालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर तथा कुक्कुट पालन एवं बैलों की खरीद, अंगोरा खरगोश, यातायात, पर्यटन, जड़ी-बूटी संकलन, कृषिकरण।
(5) उद्यानीकरण।
(6) वनीकरण।
(7) मछली पालन सहित मत्स्य पालन एवं उससे सम्बन्धित एवं सहायक सभी क्रियाओं समेत।
(8) रेशम विकास।
(9) बायोगैस प्लान्ट्स।
(10) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना।
(11) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन-निर्माण।
(12) अन्य ऐसे प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रयोजन घोषित करे।
(13) कृषि एवं ग्राम्य विकास की सभी नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट) द्वारा अनुज्ञात एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य क्रिया-कलाप।

Advancement of Term Loans for Agriculture & Rural Development

133. This Chapter shall apply to advancement of Term loans for Agriculture & Rural Development by the Uttaranchal State Co-operative Bank-

Explanation - Expression Agriculture & Rural Development wil mean any work, construction or activity pertaining to Agriculture & Rural Development which uncludes the following-

(1) Construction of wells & Tubewelis.
(2) Installation of Machinery including oil Engines, Pumpsets & Electric Motors.
(3) Purchase of Tractors and Power Tillers.
(4) Animal Husbandry & dairy farming such as purchase of Milch Cattle breeding, sheep and Goat rearing, Piggery, poultry farming and puchase of Rabit and transportation bulks & Mules.
(5) Horticulture and Herbs.
(6) Forestry.
(7) Pisciculture, including fisheries and all activities connected therewith or incidental therets.
(8) Serculture.
(9) Bio-gas Plants.
(10) Setting up of cottage and village industries.
(11) Construction of Dwelling houses in Rural Areas.

(12) Such other purposes as the State Government may, form time to time, by notification in the official Gazette declare to be Agricultural or Rural Development purposes &

(3) All other activities of Agriculture & Rural Development permitted by the NABARD and approved by the State Government.

कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की कार्यविधि, सीमा तथा प्रतिभूति

134. कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की सीमा, कार्यविधि, इस अध्याय के अन्तर्गत ऐसी होगी जैसा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा धारा- 135 उल्लिखित न्यासधारी के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट की जाय। ऋणों का वितरण अचल सम्पत्ति के बंधक अथवा प्रभार या चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधक अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर किया जाएगा।

Procedure of Advancement of Agriculture & Rural Development Loans, extent & Security

134. Extent & procedure of disbursement of Agriculture & Rural Development Loans under this chapter will be such as specified by the Committee of Management of Uttaranchal State Co-operative Bank from time to time in consultation with Trustee as referred to in section 135. Loans will be advanced against the mortgage of or the charge on immovable property or on hypothecation of movable property or against the guarantee of the State Government

न्यासधारी की नियुक्ति

135. निबन्धक सहकारी समितियां या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी ऋण-पत्र धारियों के प्रति उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी ऋण-पत्रों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

Appointment of Trustee

135. Registrar, Co-operative Societies or any other officer appointed by the State Government shall be the trustee for the purposes of securing the fuifilment of the obligations of the Uttaranchal State Co-operative Bank to the holders of debentures issued by the Bank.

न्यासधारी के अधिकार एवं कृत्य

136. न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अध्याय के उपबन्धों तथा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास संलेंख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य, सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिष्कृत या प्रतिस्थापित हो, शासित होंगे।

Powers & Functions of Trustee

136. The powers and functions of the trustee shall be governmed by the provisions of this chapter and by the insturment of Trust executed between Uttaranchal State Co-operative Bank and the Trustee as modified or substituted from time to time by their mutual agreement with the approval of State Government.

न्यासधारी एक एकल निगम होगा

137. धारा 135 के अधीन नियुक्त न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और एक सामान्य मुहर होगी। वह अपने निगमित नाम से उसके विरूद्ध वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा।

Trustee to be a corporation sole

137. The Trustee appointed under Section 135 shall be a corporation sole by the name of the Trustee and shall have perpetual succession and a common Seal and in his corporate name may sue and be sued.

ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

138. (1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक समय-समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर अंशत: धृत और अंशत: अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या दृष्टिबन्धक की अन्य सम्पत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जिसे दृष्टिकर समझे, जारी कर सकता है।

(2) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसके जारी किए जाने के दिनांक से बीस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाय जिसमें बैंक के लिए यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण-पत्र धारी को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात किसी ऋण-पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व

किसी भी समय प्रत्याहूत कर ले।

(3) उपधारा (1) के अधीन बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी:-

(क) बन्धक या प्रभार या दृष्टिबन्धक पर देय धनराशियों और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की अन्य परिसम्पतियों का मूल्य,

(ख) ऋण-पत्रा मोचन-निधि में संचयन,

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंकों में अतिशय और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार मूल्य, जो भी कम हो, और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।

Issue of Debentures

138. (1) With the previous sanction of the State Government and the Trustee and subject to such terms and conditions as the State Government may impose, Uttaranchal State Co-operative Bank may from time to time, issue debentures of one or more denominations, for such period or periods as it may dem expedient, against the guarantee by the State Government for repayment in full of the principal and payment of interest thereon or on the security of mortgages, charge or hypothecations party held and partly to be acquired and the properties and other assets of the bank.

(2) Such debentures may contain a term fixing a period not exceeding Twenty years from the date of issue during which period they shall be irredeemable, reserving to the Bank the right to call in at any time any of the debentures in adbance of the date fixed for redemption, after giving to the debenture-holders concerned not less that three months notice in writing.

(3) The total amount due on debentures issued by the Bank under sub-section (1) outstanding at any time shall not exceed the aggregate of-

(a) the amounts due on the mortgages or charges on hypothecation and other assets of Uttaranchal State Co-operative Bank.

(b) the accumulations in the Debenture Redemption Fund;

(c) the cash in hand and the balances with the banks and the book value or market value of securities under general funds, whichever is less; and

(d) such percentage of the amounts mentioned in clauses (a), (b), and (c) as may be prescribed.

न्यासधारी में सम्पत्ति का निहित किया जाना और परिसम्पत्तियों पर ऋण-पत्र धारियों का प्रभार

139. धारा 138 के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और बैंक द्वारा धृत बंधक ग्रस्त सम्पत्तियां और अन्य परिसम्पत्तियां न्यासधारी मं निहित होंगी और ऋण पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसम्पतियों और ऐसी प्रत्याभूति या बधकों के अधीन भुगतान कीगई और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।

Vesting of property in Trustee and debenture holders charge on the assets

139. Upon the issue of debentures under section 138 the benefit under the State Government guarantee and the mortgaged properties and other assets referred to in sub-section (3) of the said section and held by the Bank, shall vest in the Trustee and the holders of the debentures shall be entitled to the benefit of the guarantee of the State Government and shall also have a floating charge on all such mortgage and assets and amounts paid under such guarantee or mortgages and remaining in the hand of the Uttaranchal State Co-operative Bank or of the Trustee.

ऋण-पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना

140. (1) धारा 138 के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

Guarantee by State Government of Principal and interest on debentures

140. (1) The Principal of and interest on the debentures issued under Section 138 shall in respect of such maximum, amount as may be fixed by the State Government in this behalf, and subject to such conditions as it may think fit to impose therein, carry the guarantee of the State Government.

(2) The State Government may, subject to such conditions as may be prescribed increase the maximum amount of any guarantee given under sub-section (1)

सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना

141. इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी, बैंक, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकती है।

Borrowings from Govt. & Other Financial Institutions

141. Notwithstanding anything contained in this Act, the Bank may borrow money from the State Government or Govt. of India or National Bank for Agrucultural & Rural Development & other financial institutions, as may be approved by the Trustee.

कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वता

142. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक या सृजित किसी भी प्रभारत का किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन या प्रभारत के सृजन के पश्चात दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी।

Priority of mortgage over cartain claims

142. A mortgage executed in favour of the Uttaranchal State Co-operative Bank after the introduction of this Chapter under the Act shall have priority over any claim of the Government arising from a long granted, after the execution of such mortgage, or creation of such charge.

उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार

143. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को क्रय करना विधि पूर्ण होगा, और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विक्रय करके निस्तारण करेगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गई कोई भी बात जिसमें कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत की गई हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

(2)क. यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।

Right of Uttaranchal State co-operative Bank to purchase mortgaged property

143. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for uttaranchal State co-operative Bank to purchased shall be disposed of by such bank by sale within such period as may be fixed by the Trustee.

(2) Nothing in any other law for the time being in force, fixing a maximum limit of agricultural holding shall apply to the acquisition of land or other immovable property by Uttaranchal State Co-operative Bank under sub-section (1).

(2-A) If the bank has to lease out any land acquired by it under sub-section (1) pending sales thereof the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any other interest in that property, notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.

विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायेगा

144. (1) ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, 1882 (एक्ट संख्या 4, वर्ष 1882) में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या उसके पश्चात की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को स्पष्ट रूप में प्रदान किया गया हो तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध

समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक को उपलब्ध किसी अन्य प्रत्युत्पाय के अतिरिक्त बन्धक ग्रस्त या प्रभारित सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि–

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गई हो, निम्नलिखित पर तामिल न कर दिया गया हो–

(i) बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में से प्रत्येक;

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बैंक की जानकारी में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो;

(iii) बन्धक–ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति;

तथा

(iv) बन्धककर्ता का कोई ऋणदाता जिससे अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली हो।

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात उक्त बन्धक धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो, और

(ग) बैंक के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धकर्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपत्तियों को यदि कोई हो, सुनने के पश्चात ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(3) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गई कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभारत सृजन के पश्चात् के हक या दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन कृषि जोत य अन्य अचल सम्पत्ति उसमें किसी हित का विक्रय उत्तरांचल में तत्समय प्रचलित भूमि अधिनियम के अधीन होगा।

Powers of sale when to be exercised

144. (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act 1882, where a power of sale without the intervention of court is expressly conferred on Uttaranchal State Co-operative Bank by a declaration of charge made or mortgage deed executed before or after the commencement of this Act, the managing committee of the bank or any person authorized by such committee in this behalf shall, in case of default in payment of the money due under the mortgage or charge, or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the bank, to sell the propert (subject to any mortgage or charge) without the intervention of Court.

(2) No such power shall be exercised unless-

(a) a notice in writing requirig payment of such money has been served upon-

(i) the mortgagor or each of the mortgagors;

(ii) any person who has to the knowledge of the bank any interest in or charge upon the property mortgaged or right to redeem the same;

(iii) any surety for the payment of the mortgage debt or any part thereof; and

(iv) any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property;

(b) defeult in payment of such mortgage money or part thereof continused beyond three months after such service and

(c) the Bank has after hearing the objcetion if any, of the mortgagor or any other person mentioned in clause (a) authorized the expercise of such power,

(3) A sale under this dection shall be conducted such manner, as may be prescribed.

(4) Where any property sold under this Act, is in the occupancy of any person creating mortgage or charge or of some person on this behalf. or some person claiming title subsequent to the creation of such mortgage or charge in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, the collector shall on the application of the purchaser order delivery to be made by putting such purchaser or any person appointed by him in this behalf, in possession of the property.

(5) A sale under this dection of an agricultural holding or any other immovable property or any interest therein shall be subject to the provisions of Land Law prevailling in Uttaranchal State.

बन्धकग्रस्त सम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त होने पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के अधिकार

145. यदि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पास बन्धक रखी गई कोई सम्पत्ति पूर्णत: अथवा अंशत: नष्ट हो जाती है अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बन्धककर्ता को उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद व इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करें कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाये या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करें जो बैंक अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिपादन न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायेगा, और बैंक बन्धककर्ता के विरूद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी।

स्पष्टीकरण:-

इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायेगी जब तक बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बन्धक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो तो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

Power of Uttaranchal State Co-operative Bank where mortgaged property is destroyed or security becomes insufficient

145. Where any property mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the mortgagor, having been given a reasonable opportunity by the managing committee of Uttaranchal State Co-operative Bank of providing further security so as to ender the security sufficient or of repaying such portion of the loan as may be deternmined by the committee, has failed to provide such security or to repay such portion of the loan, the whole of the loan shall be deemed to fall due at once and the committee shall be entitled to take action against the mortgagor under this Act or any other law for the time being, in force for the recovery thereof.

Explanation- A security shall be deemed in sufficient within the meaning of this section if the value of the mortgaged property does not exceed the amount for the time being due on the mortgage by such proportion as may be specified in the fules of the regfulations made by the uttaranchal state Co-operative Bank.

अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायेगी

146. यदि धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाय तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि:-

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति की जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनाधिकृत अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, उत्तरांचल राज्य सहाकरी बैंक के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

Title of purchaser not to be questioned on grounds of irregularity etc.

146. Where any property is sold in the exercise or purported exercise of a power of sale under section 144, the title of the purchaser shall not be questioned on the ground that-

(a) the circumstances required for authorizeing the sale had not arisen, or

(b) due notice of the sale was not given, or

(c) the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised; but any person who has suffered any damage by an unauthorized, improper or irregular exercise of any such power shall have the right to claim

damages against the Uttaranchal State Co-operative Bank.

बन्धककर्ता के ऋण शोधाक्षम हो जाने के आधार पर निष्पादित बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायेगी

147. ऋण शोध क्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बन्धककर्ता के अन्य ऋण दाताओं पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

Mortgage not to be questioned on insolvency of mortgagor

147. Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency, a mortgage executed in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank shall not be called in question on the ground that it was not executed in good faith for valuable consideration or on the ground that it was executed in order to give the Uttaranchal State Co-operative Bank a preference over other creditors of the mortgagor.

प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकार

148. (1) बैंक स्वत: उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिए लिखित रूप में एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करके और उसकी उपज तथा आय को संग्रहीत करके अपने द्वारा वसूल किये गये धन से अपना प्रबन्ध व्यय, जिसमें उसका बैंक द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है- काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 69-ए की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

(2) बैंक स्वत: अथवा बन्धककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उप धारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रापक को हटा सकती है।

(3) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(4) इस धारा के किसी बात से बैंक को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

Appointment of receiver and his powers

148. (1) The Bank may on its own motion under circumstrances in which the power of sale without the intervention of court may be exercised under section 145 by the Bank, appoint in writing, a receiver of the mortgaged property or any part thereof and such receiver shall be entitled totake possession of the property, to collect its produce and income, to retain and money realized by him for the expenses of managaement including his remuneration, if any, as fixed by the Bank, and to apply the balance in accordance with the provisions of sub-section (8) of Section 69-A of the Transfer of Property Act, 1882 so far as applicable.

(2) The Bank may, either on its own motion or on an application made by the mortgagor, remove a receiver appointed under sub-section (1).

(3) A vacancy in the office of the receiver may be filled up by the Bank.

(4) Nothing in this sectio shall empower the Bank to appoint a receiver where the mortgaged property is already in possession of a receiver appointed by a civil court.

अनन्तणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना

149. राज्य सरकार उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन घृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार सम्मिलित है, निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रांट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के या रूढ़ी या परस्परा के होते हुए भी अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।

Vesting of right of allenation on agriculturists not having such rights

149. The State Governmentmay, by notification, vest, subject to such restrictions as may be specified in the notification all bhumidhars with transferabe rights and the Government lessees, with rights of alienation in land held under their tenure or any interest in such land including the right to create a charge on mortgage

on such land or interest in favour of Uttaranchel State Co-operative Bank for the purpose of obtaining loan from the bank and upon the issued of such notification, such bhumidhars and Government lessees shall notwithstanding any thing contained in any law for the time being in force or any custom or tradition, have a right of alienation in accordance with the terms of the notification.

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन

149. (क) (1) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो सम्यक रूप से स्टाम्पित-पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक में ऐसी सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक रख सकता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जैसी नियत की जाय बैंक के संतोषानुसार (जामेनदार) प्रस्तुत करने का वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिए गये प्रभारों और रखे गये बन्धकों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन दृष्टि बन्धक रखे गये चल सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

Creation of charge in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank

149-A (1) A person desirous of securing financial assistance from Uttaranchal State Co-operative Bank by hypothecation of movable property owned by him may make a declaration in writing on a duly stamped paper that he thereby hypothecates such property in favour of the Bank.

(2) When a person desirous of securing financial assistance from Uttaranchal State Co-operative Bank does not posses property of sufficient value to secure the loan financial assistance may be provided to him by the bank on furnishing sureties to the satisifaction of the bank subject to such condition if any, as may be prescribed.

(3) The Provisions of this Act and rules mde thereunder relating to charge and mortgage made under this Act shall mutatis mutandis apply to hypothecation of movable property made under this Act.

बन्धकग्रस्त एवं प्रभारित सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार

सृजित करने के बन्धककारित अधिकार

150. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धक किया गया हो, प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो, और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाय, तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक प्रभार या दृष्टि बन्धक सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक ध्यान में रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।

Mortgagors power to lease or to create other rights in the morgaged and charged property

150. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 or any other law for the time being in force, no property in respect of which a charge, hypothecation or mortgage has been made in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank shall be sold or otherwuse trabsferred by the person making the charge hypothecation or mortgage until the entire amount of loan or advance taken by him from the Uttaranchal State Co-operative Bank together with interest thereon is paid to the bank and any transaction made in contravention of this section shall be void:

Privided that, if a part of the amount borrowed by a member is paid, the Uttaranchal State Co-operative Bank may, on applicatrion from the member release from the mortgage charge or hypothecation created or

made in favour of the Bank, such part of the property or interest therein as it may deem proper with sue regard to the security of the balance of the amount remaining outstanding from the member.

बैंक के पक्ष में निष्पादित लेख्यों का रजिस्ट्रीकरण

151. (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात को होते हुये भी किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उसके निष्पादन दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा, बशर्त, बैंक निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लक्ष्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धन सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ उस उप-रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गई, सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बन्धित उप-रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अध ीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप-रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न त्रुटि की गई है, यहां लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेजकर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप-रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप-रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप-रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या-1 में उस प्रति की नत्थी करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बाते के होते हुए भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा किसी ऐसे संलेख के जिसका निष्पादन उसके अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा 58 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करें।

egistration of documents executed i favour of Uttaranchal State Co-operative Bank

151. (1) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 or any other law for the time being inforce a deed creating charge or mortgage in any land or interest therein or other immovable property executed by a borrower member in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank for the purpose of securing repayment of loan, shall be deemed to have been duly registered in accordance with that Act with effect from the date of its execution provided the Bank has sent to the Sub-Registrar within the loacal limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property charged, or mortgaged is situated within a period of three months from the date of execution, by registered post or hand delivery under acknowiedgement a copy of the document creating such charge or mortgage duly certified to be a true copy by an employee of the bank authorized to sign on its behalf, and the sub-registrar concerned shall file such copy or copies, as the case may be in his book No. 1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(2) Where the Sub-Registrar is of the opinion that the said document is not duly stamped or suffers from any defect arising out of the accidental slip or omission, has shall send the copy or the copies as the case may be, of the documents to the bank regfuiring it to get the deficiency in stamp duty the documents to the bank requiring it to get the deficiency in stamp duty made good on the original or to get the defect removed withi thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf, The bank shall get the deficiency made good or the defect removed, not withstanding anything contained in the Indian Stamps Act, 1899.

(3) After the deficiency in stamp duty has been made good or as the case may be, the defect has been removed, the bank shall send teh copy of the document again to the Sub-Registrar in the manner laid down in sub-section (1), and there upon the Sub-Registrar shall file the copy in Book No. 1 in accordance with the

provisions of sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 it shall not be necesary for the borrower member, the Trustee or for any officer of Uttaranchal State Co-operative Bank to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of the said Act.

प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिए राजस्व रजिस्ट्रार

152. जहां प्रभारत या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा 151 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गईहो यहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रतिज तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी के भी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी ऐसे प्रभार रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।

Revenue Register for noting of charge or mortgage

152. Where a copy of the document creating charge, or mortgage has been sent for registration under section 151, the bank shall also send a copy of such document to the Tehsildar or such other official as may be designated in this behalf by the State Government. The Tehsildar or other official shall make a note of the particulars of such charge. or mortgage in a register maintained for this purpose. The Register shall be in such form and inspection thereof shall be allowed and copies or extracts there from issued in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट 1882 की धारा 102, 103 और 104 का इस अध्याय के अधीन

नोटिस पर लागू होना

153. ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 102 और 103 के तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त एक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे।

Secton 102, 103 & 104 of the Transfer of Property Act, 1882, to apply to notices under this Act

153. The Provision of Section 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 and of any rules made by the High Court under section 104 of the said Act for carrying out the purposes of the said sections, shall apply, so far as may be, in respect of all notices to be served under this Act.

संयुक्त हिन्दी परिवारों के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक

154. (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बंधक पर नहीं वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गई बात के होते हुये भी, उस पक्ष पर होगा, जो उस बन्धक पर आपत्ति करे।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे।

(क) किसी धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे;

(ख) भूमि पर क्रय;

(ग) परिवार के लिए ग्रामीण निवास गृहों का निर्माण।

Mortgages executed by manager of Joint Hindu Familes

154. (1) Where a mortgage executed in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, whether before or after the commencement of the Act, is called in question on the ground that it was executed by the manager of a joint Hindu Family for a purpose not binding on the member thereof whether major or minor, the burden of proof shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, rest upon the

party which calls such mortgage in question.

(2) For the purpose of this section the following shall be regarded as purposes binding on members of a joint Hindu Family-

(a) the improvement of agricultural land or of the methods of cultivation or for financing any other means to raise the productivity of land;

(b) the purchase of land;

(c) construction of rural dwelling houses for the family.

परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की
धारा 8 इस अध्याय के अधीन बंधकों पर लागू होगी

155. हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 8 उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसको किया गया अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायेगी।

Modification subject to which section 8 of the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956
shall apply to the mortgages under this Act

155. Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 shall apply to mortgages in favour of Uttaranchal State Co-operative Bank, subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the collector or his nominee and the appeal against the order of th collector or his nominee shall lie to the commissioner.

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गा अभिदेश उत्तरांचल
राज्य सहकारी बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायेगा

156. किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

Reference to Uttar Pradesh Sahkari Gramya Vikas bank to be construed as a reference to Uttaranchal State co-operative Bank.

156. A reference to the Uttar Pradesh Sahkari Gramya Vikas Bank in any law or statutory instrument shall, with effect from the commencerment of the Uttaranchal State Co-operative Societies Act be construed as Uttaranchal

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी का विनियम बनाने का अधिकार

157. उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक नियमों एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गई हो-

(क) ऋण-पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना;

(ख) ऋण-पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण-पत्रों का प्रत्याहरण;

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(घ) एक वर्ग के ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(ङ) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के बही-खातों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण;

(च) ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई संपत्तियों का मूल्यांकन;

(छ) बन्धककर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों का विनियोजन तथा,

(ज) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध कमेटी समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, उपबन्ध बनाये जाने चाहिए:-

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 157 के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे।

Power of the Board of Uttaranchal State Co-operative Bank to make regutations

157. The Board of Uttaranchal State Co-operative Bank, may subject to the approvalof Trustee, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of Uttaranchal State Co-operavier Bank, providing for all or any of the follwing matters-

(a) fixing the period of debentures and the rate of interest payable thereon;

(b) calling the debentures after giving notice to debenture-holders;

(c) issue of new debentures in place of debentures damaged or destroyed;

(d) converting one class of debentures into another bearing a different rate of interest;

(e) valuation of properties offered as security for loans;

(f) investment of moneys realized from mortgagors; and

(g) generally for any other matter in respect of which the Board considers that the provisions should be made for carrying out the purpose of this Chapter;

Provided that the regulations framed under Section 157 shall be subject to the approval of State Government.

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार

158. (1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात् सामान्यतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है।

(2) विशेषतया तथा उप-धारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है-

(क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया,

(ख) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया।

(ग) बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा 136 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना,

(घ) वे शर्त, निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूमि की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है,

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया गया।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य, राज्य विधान सभा के समक्ष जब उसका सत्र हो, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगें।

Power of State Government to make rules

158. (1) The State Government may, after publication in Gazette, make rules generally for carrying out the purposes of this Chapter, including any rules prescribing fees in respect of any proceedings under this Chapter.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1) the State Government may make rules providing for all or any of thefollowing matters-

(a) the procedure for the distraint and sale of produce of land mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank;

(b) the procedure for sale of property mortgaged to Uttaranchal State Co-operative Bank;

(c) fixing the percentage under clause (c) of sub-section 3 of Section 136 for determining the limit of the debentures issued by the Bank;

(d) laying conditions under which the maximum amount of guarantee given by the State Government amy be increased, withdrawn restricted or modified;

(e) any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall as soon as may be, after they are made, be laid before the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than 14 days and shall take effect from the date of their publication in the Gazette.

न्यासधारी व अन्य लोक सेवक होंगे

159. न्यासधारी निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा सम्पत्ति के अभिग्रहण व विक्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति धारा 148 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

Trustee and others to be public Servants

159. The Trustee, the Registrar or any person authorixed by the Registrar to distrain and sell property or a Reveiver appoinied under Section 148 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

लोकसेवक विक्रय पर बोली नहीं लगायेगा

160. धारा-159 के अन्तर्गत वर्णित लोक सेवक इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी विक्रीत चल या अचल संपत्ति की नीलामी में बोली अथवा क्रय नहीं करेगा।

Public servants not to bid at sale

160. No Public Servant referred to in section 159 shall purchase or bid for any movable or immovable property sold under the provisions of this Act.

कतिपय हानियों को पूर्ण करने हेतु प्रत्याभूति निधियां

161. (1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों पर जिन्हें वह उचित समझें प्रत्याभूति निधि अथवा एक से अधिक प्रत्याभूति, निधियां उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा अचल संपत्ति के आगम (Title) पर दिये ऋण, जो आगे दोषपूर्ण पाये जाते हैं, के फलस्वरूप हो जाती है, या इस अध्याय में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि एक अलग प्रत्याभूति निधि का प्राविधान किया जाय।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर पर अंशदान, देगी जो नित की जायें तथा ऐसी निधियों का विधान, अनुरक्षण एवं उपयोग ऐसे नियमों से परिचालित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाएं।

Guarantee funds to meet certain losses

161. (1) It shall be competent for the State Goveriment to constitute one or more Guarantee funds on such terms and conditions as it may deem fit, for the purpose of meeting losses that might arise as a result of loans being made by the Uttaranchal State Co-operative Bank on titles to immovable property subsequently found to be defective or for any other purpose under this chapter, for which in the opinion of the State Government, it is necessary to provide for or create a separate Guarantee fund.

(2) The Uttaranchal State Co-operative Bank shall contribute to such funds at such rate as may be prescribed, and the constitution maintenance and utilization of such funds shall be governed by such rules, as may be made by the State Govenrment in this behalf.

आज्ञा से/By Order,

भरोसी लाल,

BHAROSI LAL,

सचिव/*Secretary*

क्रम संख्या-96 (घ)

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 30 जून, 2004 ई0

आषाढ़ 09, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग

संख्या 138/XIV-1/2004

देहरादून, 30 जून, 2004

अधिसूचना

प0आ0-113

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 128 के अधीन बनाई गई उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 1(2) के अधीन श्री राज्यपाल उक्त नियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is plased to order the publication of the following English translation of notification no. 138/XIV-1/2004, dated June 30,2004.

No. 138/XIV-1/2004
Dated Dehradun, June 30, 2004

NOTIFICATION

The Governor, under Rule 1(2) of the Uttaranchal Co-operative Societies Rules, 2004 framed under Section 128 of the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003, is pleased to accord sanction that these rules shall be effective from the date of their publication in the official Gazette.

उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली, 2014
THE UTTARANCHAL CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES, 2004

अध्याय -1
CHAPTER - I
प्रारम्भिक
PRELIMINARY

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -

(1) यह नियमावली उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली, 2004 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1. Short title and Commencement :

(i) These rules may be called the Uttaranchal Co-operative Societies Rules, 2004.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. परिभाषाएं :

जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2004 से है

(ख) ''शीर्ष समिति'' ,''शीर्ष स्तर समिति'' या ''राज्य स्तर सहकारी समिति'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तरांचल, देहरादून।

(3) कोई अन्य शीर्ष केन्द्रीय सहकारी समिति, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो -

(i) उसकी सदस्यता में कम से कम ऐसी अन्य केन्द्री सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यवसाय उसी प्रकार का हो, तथा

(ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल में हो, और

(iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में, उससे सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्य करने की सुविधा देना हो ;

(ग) ''कृषि समिति'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति से है जिसके अधिकांश साधारण सदस्य कृषि कार्य करते हों तथा ''कृषि ऋण समिति'' का तात्पर्य ऐसी ऋण समिति से है जिसके अधिकांश साधारण सदस्य कृषि कार्य करते हों :

स्पष्टीकरण - ''कृषि'' कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे

(1) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रक्रिया तथा क्रय विक्रय,

(2) औद्यानिकी, रेशम उत्पादन या पशुपालन जिसमें दुग्ध व्यवसाय के साथ-साथ, शूकर पालन, मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है

(घ) ''दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्य एक या अधिक ऐसे क्रियाकलापों में लगे हों जो दुग्ध उत्पाद के विक्रय या दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित हों :

(ड़) 'अपर निबन्धक' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समितियों के अपर निबन्धक के रूप में नियुक्त

अधिकारी से है;

(च) ''सहायक निबन्धक'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहायक निबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है तथा ''जिला सहायक निबन्धक'' का तात्पर्य किसी जिले में सहकारी कार्यों का प्रभार लेने के लिये नियुक्त किसी सहायक निबन्धक से है;

(छ) ''केन्द्रीय समिति'' या केन्द्रीय सहकारी समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है, जिसकी अपनी सदस्यता में साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो किसी प्रारम्भिक सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो;

(ज) ''ब्लाक यूनियन'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्यक्षेत्र जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण या उपभोक्ता के माल के संग्रह और वितरण का प्रबन्ध करना है और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति भी सम्मिलित है;

(झ) ''ऋण समिति'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधियां जुटाना हो;

(ञ) ''सहकारी ऋण एवं मितव्यय समिति'' का तात्पर्य वैतनिक वालों तथा मजदूरी अर्जित करने वालों की किसी ऐसी ऋण समिति से है जिसकी उपविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ अपने सदस्यों से अनिवार्य रूप से धनराशि जमा करने की व्यवस्था हो;

(ट) ''केन्द्रीय सहकारी बैंक'' का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (ह) में यथापरिभाषित किसी केन्द्रीय बैंक से है;

(ठ) ''उपभोक्ता भण्डार'' या ''उपभोक्ता समिति'' का तात्पर्य किसी प्रारम्भिक समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य साधारण रूप से अपेक्षित माल प्राप्त करना और फुटकर में बेचना है;

(ड) ''डिक्री धारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पक्ष में धारा 92 में निर्दिष्ट कोई अधिनिर्णय या आदेश दिया गया हो;

(ढ) ''उपनिबन्धक'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समितियों के उपनिबन्धक के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है अथवा मुख्यालय में कार्यरत उपनिबन्धक से है;

(ण) ''जिला सहकारी बैंक'' का तात्पर्य ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंक से है जिसका मुख्य कार्यालय जिले के मुख्यालय में हो अथवा पहले से कहीं अन्यत्र स्थापित हो;

(त) ''जिला सहकारी फैडरेशन'' का तात्पर्य ऐसी केन्द्रीय समिति से है-

(1) जो ऋण समिति न हो,

(2) जिसका मुख्य कार्यालय किसी जिले के मुख्यालय में हो, अथवा पहले से कहीं अन्यत्र स्थापित हो,

(3) जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी सदस्य समितियों या ऐसी सदस्य समितियों के सदस्यों अथवा ऐसी सदस्य समितियों से सम्बद्ध समितियों के सदस्यों द्वारा अपेक्षित माल की प्राप्ति, उनका उत्पादन, प्रसंस्करण या वितरण करना हो, और

(4) ऐसी समिति की अधिकांश सदस्य-समितियों के अधिकांश सदस्य कृषक हों;

(थ) ''आवास समिति'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था करना हो;

(1) भूमि, भवन सामग्रियों तथा/या अन्य सेवायें जो निवास गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक हो, या

(2) सीधी खरीद, किराया खरीद या किराये के आधार पर निवास गृह;

(द) ''औद्योगिक समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका उद्देश्य अपने आप माल निर्मित कराना या अपने सदस्यों द्वारा माल निर्मित करने की सुविधा प्रदान करना हो;

(ध) ''उम्मीदवार'' का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है -

(1) प्रतिनिधि के रूप में, या

(2) प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में, या

(3) सहकारी समिति के सभापति और उपसभापति के रूप में;

(न) ''प्रतिनिधि'' का तात्पर्य, यथास्थिति, सदस्यों के प्रतिनिधि या समिति के प्रतिनिधि से है;

(प) ''सदस्यों का प्रतिनिधि'' का तात्पर्य अलग-अलग सदस्यों के समूह द्वारा या किसी क्षेत्र के अलग-अलग सदस्यों द्वारा सहकारी समिति के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किसी एक सदस्य से है;

(फ) ''समिति के प्रतिनिधि'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे समिति की प्रबन्ध समिति इन नियमों के अधीन किसी अन्य सदस्य समिति के साधारण निकाय में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करे;

(ब) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य (1) प्रतिनिधियों या; (2) प्रबन्ध समिति के सदस्यों; या (3) किसी सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति के निर्वाचन से है;

(भ) ''निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे जिला मजिस्ट्रेट किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे;

(म) ''मतदान अधिकरी'' का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन कराने में अपनी सहायता के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(य) ''मतदाता'' का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है जो अधिनियम, नियम और उपविधियों के अधीन मतदान करने के लिए हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी समिति की प्रबन्ध समिति में अधिनियम की धारा 34 या नियम 415 के उपनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति और नियम 470 के अधीन आमेलित या नियम 471 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उनके नाम निर्वाचन के प्रयोजन के लिए तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हो;

(र) ''मतदाता सूची'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है -

(1) प्रबन्ध समिति के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में साधारण निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची,

(2) समिति के सभापति, उपसभापति, प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध समिति के निर्वाचित, आमेलित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची,

(3) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में उस क्षेत्र के या जहां सम्बद्ध समिति के साधारण निकाय में प्रतिनिधि ा निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(ल) ''प्रारम्भिक नगरीय सहकारी बैंक'' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रारम्भिक सहकारी समिति से है जिसके अधिकांश सदस्य अकृषक एवं नगरीय हों और जिसका प्राथमिक उद्देश्य निक्षेप (जमा करने) के लिए धन स्वीकार करना तथा निधियां जुटाना हो जिसे वह विनियोजित कर सकती हो और अपने सदस्यों को उधार दे सकती हो;

(व) ''निर्णीत ऋणी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट कोई अधिनिर्णय या आदेश दिया गया हो;

(स) ''श्रम संविदा समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम ठेके पर निर्माण कार्य करना या अपने सदस्यों के लिए यथा कर्मवृत्ति (पीस वेज) के आधार पर या समयवृत्ति (टाइम वेज) के आधार पर या अंशत: यथा कर्मवृत्ति के आधार तथा अंशत: समयवृत्ति के आधार पर सेवायोजन की व्यवस्था करना हो;

(ष) ''क्रय-विक्रय समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रारम्भिक समिति से है जिसका कार्यक्षेत्र किसी एक जिले का केवल एक भाग या एक से अधिक जिलों का कोई भाग हो, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने साधारण सदस्यों की कृषि उपज के क्रय-विक्रय की व्यवस्था करना हो;

(श) ''किसी व्यक्ति का निकट सम्बन्धी'' का तात्पर्य उसके निम्नलिखित सम्बन्धियों से है -

(1) पत्नी (2) पति (3) पुत्र (4) पुत्री (5) श्वसुर (6) सास (7) साली
(8) साला (9) ननद (पति की बहिन) (10) देवर, जेठ (पति का भाई) (11) पिता (12) माता
(13) पौत्र या पौत्री (14) बुआ (15) भाई (16) भतीजा (17) बहन (18) भान्जा
(19) ताऊ, चाचा (पिता के भाई) (20) मामा (21) दामाद (22) पुत्र बधू (23)जीजा (बहनोई);

(ह) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' का तात्पर्य उस नागरिक से है जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाय;

(क्ष) ''किसी सहकारी समिति की स्वाधिकृत पूंजी'' का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को यदि कोई हों निकाल देने के पश्चात् निम्नलिखित मदों के योग से है-

(1) दत्त अंश पूंजी,

(2) संचित आरक्षित निधि

(3) धारा 58 की उपधारा (1) (क) के खण्ड ख; में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर समिति की कोई अन्य निधि जो उनके लाभ से सृजित हो, और

(4) सरकारी अनुदानों से सृजित निधियां जिनकी व्यवस्था समिति के लिए निधियां या विशेष आरक्षित निधियां सृजित करने के प्रयोजनार्थ की जाय;

(त्र) ''उत्पादन तथा विक्रय समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है-

(1) जो ऋण समिति न हो, और

(2) जिसका मुख्य उद्देश्य माल पैदा करने, उसका उत्पादन या प्रसंस्करण करना और उसे बेचना अथवा अपने सदस्यों के माल पैदा करने, उसका उत्पादन या प्रसंस्करण करने में सहायता देना अथवा अपने सदस्यों द्वारा पैदा किये गये उत्पादित या प्रसंस्करण किये गये माल के बेचना हो;

(ज्ञ) ''प्रारम्भिक समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग या एक से अधिक जिलों का भाग हो प्रारम्भिक समिति होगी चाहे कोई अन्य सहकारी समिति उसकी साधारण सदस्य हो या न हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश (शेयर) किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन खरीद लिया हो, ऐसे अंश खरीदे जाने पर भी प्रारम्भिक समिति बनी रहेगी;

(कक) ''विक्रय अधिकारी'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन विक्रय अधिकारी के कृत्यों को करने के लिए निबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है;

(खख) ''प्रत्यादान अधिकारी'' (रिकवरी ऑफिसर) का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन प्रत्यादान अधिकारी के कृत्यों को करने के लिए निबन्धक के अधीनस्थ तथा निबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है;

(गग)''धारा'' का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2004 की धारा से है;

(घघ)''नगरीय केन्द्रीय बैंक'' का तात्पर्य किसी ऐसे केन्द्रीय बैंक से है जिसका मुख्य उद्देश्य नगरीय सहकारी समितियों का वित्त पोषण करना हो;

(चच) ''नगरीय सहकारी समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसके अधिकांश सदस्य अकृषक एवं नगरीय हों;

(छछ) ''निर्बल वर्ग'' का तात्पर्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियाकं एवं महिलाओं से है;

(जज) ''सहकारी समिति की कामकाज पूंजी'' का तात्पर्य उसकी स्वाधिकृत पूंजी और ऐसी निधियों से है जो वह निक्षेपों द्वारा उधार लेकर या किसी अन्य प्रकार से जुटायें ;

(झझ) ''थोक उपभोक्ता भण्डार'' का तात्पर्य किसी ऐसी केन्द्रीय समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसा माल प्राप्त करना अथवा बेचना हो जो उसके सदस्यों द्वारा अथवा ऐसी समिति से सम्बद्ध समितियों के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए साधारणत: अपेक्षित हो;

(टट)''स्वयं सहायता समूह'' का तात्पर्य ऐसे समूह से है जो किसी प्रारम्भिक सहकारी समिति अथवा बैंक से सम्बद्ध हो तथा जो अपने सदस्यों का बचत करने हेतु प्रोत्साहित एवं ऋण सुविधा प्रदान करता हो;

(ठठ)''परिवार '' का तात्पर्य आश्रित पिता, आश्रित अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा / तलाकशुदा आश्रित बहन से है।

2. Definition :

In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003;

(b) "Apex Society", "Apex Level Society" or "State Level Co-operative Society" means -

(1) Uttaranchal State Co-operative Bank Ltd. Haldwani,

(2) Uttaranchal State Co-operative Marketing Federation Ltd., Dehradun,

(3) Any other Central Co-operative Society, fulfilling the following conditions :-

(i) it includes in its membership at least one other Central Co-operative Society, in the same line of business or trade, and

(ii) its area of operation cover the whole of Uttaranchal, and

(iii) its primary objects is to facilitate the operations of the co-operative societies to it as ordinary members;

(c) "Agricultural Society" means a co-operative society, majority of the ordinary members whereof are engaged in agricultural occupation, and "Agricultural Credit Society" means a credit society majority of the ordinary members whereof are engaged in agricultural occupation;

Explanation-Agricultural occupation shall include-

(i) producation, processing or marketing of agricultural Crops,

(ii) horticulture, sriculture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and poultry farming, besides dairying;

(d) "Milk Producers society" means Co-operative Society, the ordinary members whereof are engaged in one or more activities concerning production, procurement and processing of milk or manufacturing of milk products, sale of milk products, or dairy developmentprogramme;

(e) "Additional Registrar" means an-officer appointed as Additional Registrar of Co-operative societies, under Sub-section (2) of Section 3;

(f) "Assistant Registrar" means a person appointed as Assistant Registrar under Sub-section (2) of Section 3 and "District Assistant Registrar" means an assistant Registrar appointed to hold charge of co-operative activities of a district;

(g) "Central Society" or "Central Co-operative Society" means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and which does not come under the category of a primary co-operative society;

(h) "Block Unions" means a co-operative society the area of operation whereof is only partof a district and the primary object whereof it to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilizere, pesticides, agricultural appliances or consumer goods and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member;

(i) "Credit Society" means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members;

(j) "Co-opedrative Credit and Thrift Society" means a credit society of salary earners or wage earners the bye-laws whereof inter alia provide for raising of compulsory deposits from its members;

(k) "Central Co-operative Bank" means a central bank as defined in clause (L) of Section 2;

(l) "Consumer Society" means a primary society the primary object whereof is to obtain and sell, in retail, goods generally required;

(m) "Decree Holder" means any person in whose favour an award or order referred to in Section 92, has been made;

(n) "Deputy Registrar" means an officer appointed as Deputy Regostrar pf Co-operative Societies under Sub-section (2) of Section 3;

(o) "District Co-operative Bank" means a central co-operative bank having its Head Office at the Headquartiers of a district or established elsewhere previously;

(p) "District Co-operative Federation" means a central society-

(i) which is not a credit society,

(ii) which has its Head Office at the headquarters of a district or established elsewhere previously,

(iii) the primary object of which is the procurement, production, processing or distribution of goods required by its member societies or by the members of such member-societies or by the members of the societies to such member - societies, and

(iv) the majority of the members of member-societies are agriculturists;

(q) "Housing Society" means a co-operative society the primary object whereof is to provide to its members-

(i) land, building materials and/or other services necessary for the construction of dwellin houses, or

(ii) Dwelling houses on outright purchase, hire-purchase or on rent;

(r) "Industrial Society" means a co-operative society the primary object whereof is to manufacture goods itself or to facilitate the manufacture ofgoods by its members;

(s) "Candidate" means a voter eligible under the Act, Rules and the Bye-laws ofthe society who files nomination paper to seek election-

(i) as delegate, or

(ii) as member of the Committee of Management or

(iii) as Chirman and Vice-chairman of Co-operative society;

(t) "Delegate" means delegate of members or delegate of Society, as the case may be;

(u) "Delegate of members" means an individual member elected by a group of individual members or he individual members of any area to represent them in general body of Co-operative Society;

(v) "Delegate of Society" means an individual appointed in accordance with these rules by the members of Committee of Management of a Co-operative Society to represent it in the general body of another Co-operative Society to which such Society is a member;

(w) "Election" means election of-

(i) delegates, or

(ii) member of the Committee of Management, or

(iii) Chairman, Vioc-chairman of a Co-operative Society;

(x) "Election Officer" means an officer of the State Government, whom the District Magistrate may appoint as Election Officer for a Co-operative Society or a class or classes of co-operative societies or for an area or areas in this behalf;

(y) "Polling Officer" means a person appointed by the Election Officer to assist him in conducting election in a particular area or areas at any polling station;

(z) "Voter" means a member/delegate entitled to vote under the Act, Rules and the Bye-laws and includes persons nominated under Section 34 of the act or Sub-rule (2) of Rule 415, as also persons co-opted under Rule 470 or nominated under Rule 471 on the Committee of Management of society and whose names appear in the final voters list of the concerned society or constituency prepared for the purpose of election;

(za) "Voters List" means-

(i) in the case of election of member of Commitee of Management the list of delegates, members of general body, as the case may be,

(ii) in the case of election of Chairman; Vice-chairman, or Delegates of Society the list of elected, co-opted and nominated members of the Committee of Management other than those who are Government servants,

(iii) in the case of election of Delegate or Member, the list of members of area or from where the delegate is to be elected to the general body of the concerned society;

(zb) "Primary Urban Co-operative Bank" means a primary co-operative society majority of members whereof are non-agriculturists or urbane and the primary object whereof is to accept deposits and to raise funds which it may invest and lend to its members;

(zc) "Judgment-Debtor" means any person against whom an awared or order referred to in Section 92, has been made;

(zd) "Labour Contract Society" means a co-operative society, the primary object whereof is to carry out labour contract works or to secure employment for its members on piece-wage basis or time-wage basis or on partly piece-wage basis and partly time-wage basis;

(ze) "MarketingSociety" means a primary society, the area of operation whereof is only a part of one district or a part of more than one district and the primary object whereof is to arrange for the marketing of the agricultural produce of its ordinary members;

(zf) "Near relation of a person" refers to his following relations :-

(i) wife, (ii) husband, (iii)son, (iv) daughter, (v) father-in-law, (vi) mother-in-law, (vii) wife's sister, (viii) wife's brother, (ix) husband's sister, (x) husband's brother, (xi) father, (xii) mother, (xiii) grand-son or grand daughter, (xiv) father's sister, (xv) brother, (xvi) brother's son, (xvii) sister, (xviii) sister's son (xix) father's brother, (xx) mother's brother, (xxi) son-in-law, (xxii) daughter-in-law, (xxiii) sister's husband;

(zg) "Other Backward Classes" of citizens shall have the meaning assigned to it by the State Government from time to time;

(zh) "Oened Capital of a co-operative society" means the total of the following items minus the accumulated losses. if any. of he society-

(i) paid up share capital of the society.

(ii) accumilated reserve fund of the society,

(iii) any other fund of the society [other than the co-operative education fund referred to in Clause (b) of Sub-section (1-A) of Section 58], for purposes created out of its profit and

(iv) fund created out of Givernment's grants provided to the society for purposes of creation of special reserves or for creation of funds;

(zi) "Production and Sale Society" means a co-operative society-

(i) which is not a credit society, and

(ii) the primary object whereof is to grow, produce or process goods and sell the same or to help its members in the growth, production or processing of goods or to sell the goodsss grown, produced or processed by its members;

(zj) "Primary Society" means a co-operative society, ordinary membership whereof is not open to any other co-operative society :

Provided that a co-operative marketing society, area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary member :

Provided further that a primary co-operative society, and share whereof has been purchased under Chapter VI of the Act, by the Central or Apex Society shall continue to be a primary society notwithstanding purchase of such shares;

(aa) "Sale Officer" means a percon empowered by the Registrar to carry out the functions of sale officer under these rules;

(bb) "Recovery Officer" means a person subordinate to the Registrar and empowered by the Registrar to carry out the functions of recovery officer under these rules;

(cc) "Section" means a section of the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003;

(dd) "Urban Central Ban" means a central bank, the primary object whereof is to finance urban co-operative societies;

(ee) "Urban Co-operative Society" means a co-operative society majority of members whereof are non-agriculturists or urbane;

(ff) "Weaker Section" means the section of the society comprising persons belonging to the Scheduled Casted, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and women;

(gg) "Working Capital of Co-operative Society" means its owned capital together with such funds as are raisedby it by deposits, borrowings, any other means;

(hh) "Wholesale Consumer Stores" means a central society, the primary object whereof is to obtain and sell such goods as re generally required for use by its members or by the members of the societies affiliated to such society;

(ii) "Self Help Groups" means a group which is affiliated to a primary co-operative society or Bank and which encourages saving activities amongst its members and provide loan facilities;

(jj) "Family" means dependent father, dependent mother, dependent minor son, dependent unmmarried daughter and widow/divorcee sister.

अध्याय -2

CHAPTER - II

पंजीकरण (निबन्धन)

REGISTRATION

3. किसी समिति के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दिया जायेगा। प्रपत्र-क में प्रार्थना-पत्र के साथ 50/- रूपये का शुल्क देने पर ऐसा प्रपत्र जिला सहायक निबन्धक से प्राप्त किया जा सकेगा।

3. An application for registration of a society shall be made in the form specified from time to time by the Registrar for the purpose. Such form shall be obtainable on a payment of a fee of Rs. 50 from the District Assistant Registrar on application in Form 'A'.

4. (1) नियम 3 में निर्दिष्ट पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसी आदर्श (मॉडल) उपविधियों की चार प्रतियां, जो प्रस्तावित समिति के लिए उपयुक्त हों, जिला सहायक निबन्धक से 100/- रूपये प्रति, प्रति का भुगतान करके प्राप्त की जा सकेगी। यदि ऐसी आदर्श उपविधियां उपलब्ध न हों, तो प्रार्थी अपनी प्रस्तावित उपविधियां बना सकता है।

(2) यदि आदर्श उपविधियां अपनायी जानी हों तो उन्हें उचित रीति से भरकर उनकी तीन प्रतियां प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। यदि आदर्श उपविधियों में संशोधन करना अपेक्षित हो तो ऐसे संशोधन उनमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किये जाने चाहियें और तब संशोधित उपविधियों की तीन प्रतियां प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी, यदि आदर्श उपविधियां उपलब्ध न हों और प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अपनी प्रस्तावित उपविधिया बनाये तो उस दशा में इस प्रकार प्रस्तावित उपविधियों की बनाई गई प्रतियों की मुद्रित या स्वच्छ रूप से टंकित अथवा तीन छाया प्रतियां तैयार की जायेंगी और वे प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी।

4. (1) Along with the application form forregistration referred to in Rule 3, four copies of model byelawas suitable for the proposed osciety shall be obtainable from the District Assistant Registrar on payment of rupees 100 per copy. In case such model bye-laws are not availabel, it will be open to the applicants to frame their own proposed bye-laws.

(2) If model bye-laws are sought to be adopted, the same may be suitably filled in the three copies may be submitted along with the application. If model bye-laws are sought to be modified, the modifications to be made shall be shown therein and three copies of the modified bye laws should be submitted along with the application. In case, no model bye-laws are available and the applicants frame their own proposed bye-laws as mentioned in sub-rule (1), three copies of the proposed bye-laws so framed shall be prepared in printed form or neatly typed or photocopy and submitted along with the application.

5. पंजीकरण के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी। प्रार्थना-पत्र का प्रथम हस्ताक्षरी वह व्यक्ति होगा जिसने प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के अनुमोदन से धारा 31 की उपधारा (4) के अनुसरण में अन्तरिम अवधि के लिए समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने का वचन दिया हो और उनमें से एक हस्ताक्षरकर्ता मुख्य प्रवर्तक के रूप में भी हस्ताक्षर करेगा जिसको निबन्धक पंजीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना दे सकेंगे।

5. Every application for registration shall conform to the requirements mentioned in Sub-section (2) of Section 6. The first signatory to the application shall be a person who, with the approval of the person signing the application, has undertaken to work as Member-Secretary of the society for the interim period under Sub-section (4) of Section 31, and one of the signatories shall also sign as a Chief Promoter with whom the Registrar may communicate in connection with the registration proposal.

6. पंजीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण प्रार्थना-पत्र निबन्धक को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा और पश्चातवर्ती दशा में प्रपत्र - ''ख'' में निबन्धक से रसीद ली जायेगी।

6. An application for registration complete in all respects shall be submitted to the Registrar either by Registered AD. post or personally and in the latter case acknowledgment in Form 'B' shall be obtained from the Registrar.

7. पंजीकरण का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निबन्धक पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के ब्यौरे को प्रपत्र-'ग' में रजिस्टर में दर्ज करेगा या दर्ज करायेगा और प्रार्थना-पत्र पर क्रम संख्या डाली जायेगी।

7. The Registrar shall, on receipt of the registration application, enter or cause to be entered particulars of the application in the Register in Form 'C' and a serial number will be given to the application.

8. यदि निबन्धक का पंजीकरण प्रस्ताव की समीक्षा करने पर और यदि आवश्यक हो तो जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि -

(क) पंजीकरण का प्रस्ताव धारा 6 की उपधारा (2) और धारा 7 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है;

(ख) व्यक्तियों के सम्बन्ध में समिति की साधारण सदस्यता जिन्हें समिति के उद्देश्यों का ध्यान है उन व्यक्तियों तक सीमित है जो उनकी राय में या तो -

(1) समिति द्वारा प्रस्तावित सेवाओं या उधार का उपयोग करते हों, या

(2) समिति द्वारा उत्पादित या मुहैया कराये गये माल के उपभोक्ता हों, या

(3) समिति द्वारा उपभुक्त या बेचे जाने वाले माल के उत्पादक हों, या

(4) समिति द्वारा उपभुक्त या बेचे जोने वाले माल की नियमित रूप से आपूर्ति करते हों, या

(5) समिति में कार्य करने वाले हों, या

(6) समिति के कारोबार के प्रकार पर निर्भर करते हुए ऐसे व्यक्तियों की एक से अधिक श्रेणी के हो;

(ग) प्रस्तावित समिति से राज्य में सहकारिता आन्दोलन की साधारण कार्यप्रणाली और उसके स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है;

(घ) प्रस्तावित समिति के नाम के साथ किसी व्यक्ति विशेष, सम्प्रदाय, जाति या पन्थ का नाम नहीं जुड़ा है; प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था, अधिष्ठान या व्यापारिक संस्था में कोई समिति बनाई जाय तो वह अपने नाम के साथ यथास्थिति ऐसी संस्था, अधिष्ठान या व्यापारिक संस्था का नाम सम्मिलित कर सकती है;

(ड़) प्रस्तावित समिति उन अपेक्षाओं तथा शर्तों की पूर्ति करती है जैसा कि परिशिष्ट-1 में साधारण रूप से समितियों के लिए और उस विशेष वर्ग के लिए, जिस वर्ग की प्रस्तावित समिति हो, निर्धारित है; वह समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

8. If the Registrar on scrutiny of the registration proposal and where necessary, after making enquiries, is satisfied that-

(a) the registration proposal conforms to the requirements of Sub-section (2) of Section 6 and of Subsection (1) of Section 7;

(b) the ordinary membership of the society in respect of individuals having regard to the object of the society is conformed to persons who, in his opinion, are either-

(i) users of services or credit offered by the society, or

(ii) consumers of goods produced or provided by the society, or

(iii) producers of goods consumed or marketed by the society; or

(v) workers in the society; or

(vi) who belong to more than one category of such persons depending upon the nature of business of the society;

(c) the proposed society is not likely to adversely affect the general working and pattern of the co-operative movement in the State;

(d) the proposed society does not associate with its name, the name of any individual. community caste or sect; Provided that where a society is formed in any institution, establishment or concern, it may include in its name the name of such institution, establishment or concern, as the case may be;

(e) the proposed society complies with the requirements or conditions as laid down in appendix- I for societies in general as well as for that particular class of societies to which the proposed society belongs, he shall register the society and its bye-laws.

9. निबन्धक, किसी समिति का पंजीकरण करने के पूर्व पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित उपविधियों में ऐसे

छोटे–मोटे परिवर्तन कर सकता है जो उसकी राय में वांछनीय हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परिवर्तन के लिए मुख्य प्रवर्तक या किसी अन्य प्रार्थी की, जो प्रार्थियों द्वारा प्राधिकृत हो, इस प्रयोजन के लिए लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय।

9. The Registrar amy, before retgistering a society, make such minor alterations in the proposed bye-laws submitted with the application for registration as, in his opinion, are desirable :

Provided that the written consent for such alteration is obtained from the Chief Promoter or any one of the other applicants whosoever has been authorized by the applicants for this purpose.

10. यदि किसी सहकारी समिति का धारा 7 के अधीन पंजीकरण किया जाये तो निबन्धक, प्रपत्र ''घ'' में पंजीकरण रजिस्टर में, समिति का पता जैसा कि प्रार्थना–पत्र के प्रपत्र में दिया गया हो, दर्ज करेगा या दर्ज करायेगा।

10. Where a co-operative society is registered under Section7, the Registrar, shall enter or cause to be entered into the registration register in Form 'D' the address of the society as given in the application form.

11. नियम 10 के अधीन उपबंधित कार्यवाही करने के पश्चात् निबन्धक समिति को निम्नलिखित भेजेगा –

(1) प्रपत्र ''ड'' में पंजीकरण की सूचना ;

(2) प्रपत्र ''च'' में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

(3) पंजीकृत उपविधियों की प्रमाणित प्रति।

11. After taking action as provided under Rule 10, the Registrar shall send to the society-

(i) intimation of registration in Form 'E';

(ii) a certificate of registration in Form 'F';

(iii) a certified copy of the bye-laws so registered.

12. यदि किसी सहकारी समिति को धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पंजीकृत समझा जाय तो निबन्धक नियम 10 और 11 में उपबंधित कार्यवाही करेगा।

12. Where a co-operative society is deemed to be registered under the proviso to Sub-section (1) of Section 7, the Registrar shall take action as provided in Rules 10 and 11.

अध्याय –3
CHAPTER - III
उपविधियां
BYE-LAWS

13. निबन्धक, समिति या समितियों के प्रत्येक वर्ग के लिए, आदर्श उपविधियां बना सकता है और समय–समय पर उनमें ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

13. Registrar may frame model bye-laws for each class of society or societies and make such change therein from time to time, as he may consider necessary.

14. आदर्श उपविधियां जो निबन्धक की राय में किसी समिति के लिए उपयुक्त हों, ऐसे संशोधनों के साथ यदि कोई हो, समिति द्वारा अंगीकार की जा सकती हैं जिन्हें समिति अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे।

14. The model bye-laws, as are appropriate for a society in the opinion of the Registrar, may be adopted by such society with such modifications, if any, as may be considered necessary by the society having regard to its requirements.

15. सहकारी समिति की उपविधियों में अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित बातें होंगी अर्थात –

(i) समिति का नाम और मुख्यालय ;

(ii) समिति का कार्य क्षेत्र ;

(iii) समिति के मुख्य उद्देश्य ;

(iv) समिति के गौण उद्देश्य ;

(v) निधि जुटाने की सीमा, रीति और शर्तें तथा अंशपूंजी की न्यूनतम और अधिकतम धनराशि, जिसे कोई सदस्य रख सकता है;

(vi) प्रयोजन जिसके लिए उसकी निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(vii) सदस्यता की अनुमति, उनकी शर्तें और अर्हतायें;

(viii) सदस्यता के लिए अनर्हतायें;

(ix) सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व, शर्त के रूप में किया जाने वाला भुगतान और अर्जित होने वाला हित और तत्पश्चात् किया जाने वाला भुगतान यदि कोई हो;

(x) नाममात्र के और सहयुक्त सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व;

(xi) किसी सदस्य द्वारा किसी देय धनराशि का भुगतान न करने के परिणाम;

(xii) सदस्य द्वारा उपविधियों का उल्लंघन करने के परिणाम;

(xiii) समिति के साधारण निकाय का गठन;

(xiv) सदस्यता वापस लेना, उससे हटाया जाना और निष्कासन;

(xv) प्रबन्ध समिति और उप-समितियों का भी, यदि कोई हो संघटन;

(xvi) साधारण निकाय, प्रबन्ध समिति और अन्य उप समितियों की, यदि कोई हो, बैठक बुलाना, ऐसी बैठकों के लिए नोटिस, कार्य और गणपूर्ति, ऐसी बैठकों को प्रास्थगित तथा स्थगित करने की शर्तें और रीति;

(xvii) समिति की प्रबन्ध समिति, उप-समितियों, सभापति, उपसभापति, सचिव और अन्य अवैतनिक या वैतनिक अधिकारियों के कृत्य, अधिकार तथा कर्तव्य;

(xviii) धारा 121, 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलम्बन, हटाया जाना और शास्ति;

(xix) दूसरी समिति की सदस्यता के लिए अनुमति और उससे सम्बद्ध विषय;

(xx) लेखा-बहियां और रजिस्टर रखना, विवरणियां तथा अपेक्षित विवरण-पत्र तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण;

(xxi) नकद धनराशि और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखना उनकी अभिरक्षा और अनुरक्षण;

(xxii) लाभ से अन्य निधियों का सृजन, अनुरक्षण और प्रयोग;

(xxiii) निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया और अन्य विषय;

(xxiv) विषय जो समिति के संगठन और कार्य प्रणाली तथा उसके कारोबार के प्रबन्ध से आनुषंगिक हों;

(xxv) कोई अन्य विषय जिसके लिए समिति को अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अधीन उपविधियां बनाना अपेक्षित हो।

15. The bye-laws of a co-operative society shall, subject to the provisions of the Act and the rules, cover the following matters, namely ;-

(i) The name and headquarters of the society:

(ii) the area of its operation;

(iii) the primary objects of the society;

(iv) the secondary objects of the society;

(v) the extent, manner and terms for raising of funds and the minimum and maximum amount of share capital which a member may hold;

(vi) the purposes for which its funds may be applied;

(vii) admission to membership, conditions and qualification for the same;

(viii) disqualifications for membership;

(ix) the payment to be made and interest to be acquired as a condition precedent to the exercise of right of membership and payment, fi any, to be made thereafter,

(x) the privileges, rights, duties and liabilities of members including nominal and associate members;

(xi) the consequences of default in payment of any sum due by a member;

(xii) the onsequences of breach of bye-laws by members;

(xiii) the constitution of the general body of the society;

(xiv) withdrawal, removal and expulsion from membership;

(xv) constitution of the committee of management and also of sub-committees, if any;

(xvi) convening of teh meetings of the general body, committee of management and other sub-committees, if any, notice, business and quorum for such meetings, conditions and manner of postponement and adjournment of such meetings;

(xvii) functions, powers and duties of committee of management, sub-committees and Chairman, Vice-chairman, Secretary and other honorary or paid officers of the society;

(xviii) appointment, suspension, removal and punishment of officers and employees of the society subject to the provisions of regulations framed under Sections 121 and 122;

(xix) admission to the membership of another society and matters connected thereto;

(xx) maintenance of accounts, books and registers, preparation and submission of returns and required statements;

(xxi) custody, maintenance and keeping of each and valuable documents;

(xxii) creation, maintenance and use of funds constituted out of the profits or otherwise;

(xxiii) procedure and other matters relating to elections;

(xxiv) matters which are incidental to the organization and working of the suciety and to the management of its business;

(xxv) any other matter on which the society is required to make bye-laws under the provisions of the Act or the Rules.

16. (क) सहकारी ऋण समिति की दशा में अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपविधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय भी होंगे –

(1) ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रयोजन प्रक्रिया, शर्तें और प्रतिभूति और वसूली की अवधि को बढ़ाना, उसे स्थगित करना और उसकी वसूली की रीति तथा परिस्थितयां जिनमें ऋण वापिस कराया जायेगा;

(2) सदस्यों के ऋण की सीमा निश्चित करना;

(3) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम ऋण;

(4) ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर;

(5) प्रतिभू, उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व;

(6) ऋण बकाया रह जाने अथवा उसके दुरूपयोग के परिणाम

(7) यदि समिति अपने सदस्यों को कृषि कार्यों की सुविधा दे और उसे राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिली हो तो एक निधि बनाना जो ''कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि'' कहलायेगी।

(ख) ऋण न देने वाली सहकारी समिति की दशा में, अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपविधियों में समिति के कार्य करने की रीति, जिसके अन्तर्गत उत्पादन, क्रय-विक्रय, स्टॉक रखना और अव्यापारिक कार्य-कलापों का संचालन, यदि कोई हो, भी है।

16.(a) In the case of a co-operative credit society the bye-laws shall, subject to the provision of the Act and the Rules, Cover the following matters also:-

(i) the purpose, procedure, terms, conditions and security for grant of loans and extension, postponement, mode of recovery and circumstances for recalling of loans;

(ii) fixation of credit limits of members;

(iii) maximum loan admissible to a member;

(iv) maximum rate of interest to be charged on loan

(v) surety, his duties and responsibilities;

(vi) consequences of default or misutilisation;

(vii) the constitution of a fund to be known as the Agricultural Credit Stabilization Fund in case the society facilitates the agricultural operations of its members and has received financial assistance from the State Government.

(b) In the case of a non-credit co-operative society, the bye-laws shall, subject to the provisions of the Act and the Rules, also provide for the manner of carrying on the business of the society icluding production, purchase and sale, stock-keeping and conducting non-commercial activities, if any.

17. जब किसी सहकारी समिति द्वारा उसके दायित्वों के स्वरूप या सीमा में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो संगत उपविधियों में संशोधन करने के लिए एक संकल्प नियम 24 से 27 तक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साधारण बैठक में पारित किया जायेगा। साधारण निकाय के ऐसे सदस्यों के नाम, जो संकल्प के पक्ष या उसके विपक्ष में मत दें, बैठक की कार्यवाहियों में अलग-अलग अभिलिखित किये जायेंगे और भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

17. When the form or extent of its liability is proposed to be change by a co-operative society, a resolution for amendment of the relevant bye-laws shall be passed in a general meeting in accordance with the procedure laid down in Rules 24 to 27. The names of the members of the General Body voting for or against the resolution shall be recorded separately in the proceedings of th meeting and each participant member shall sign against his name.

18. नियम 17 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति और धारा 11 की उपधारा (2) में उपबंधित नोटिस समिति के सभी सदस्यों ओर ऋणदाताओं को भेजी जायेगी और संकल्प की एक प्रति तथा नोटिस समिति के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी ओर उसकी दूसरी प्रति निबन्धक को भेजी जायेगी।

18. A copy of the resolution passed under Rule 17 shall be sent to all the members and creditors of the society along with the notice as provided in Sub-section (2) of Section 11 and a copy of the resolution and the notice shall also be exhibited on the notice- board of the society and another copy thereof shall be sent to the Registrar.

19. कोई सदस्य या ऋण दाता जो धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहे, तद्नुसार समिति को लिखित रूप में रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर या अभिस्वीकृति के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से देकर सूचित करेगा : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य जो नियम 17 में निर्दिष्ट बैठक में उपस्थित रहा हो और जिसने संकल्प के पक्ष में मत दिया हो, अपने अंशों या जमा की गई धनराशियों को वापस करने की मांग करने के कारण देगा।

19. Any member or creditor desiring to exercise his option under Sub-section (2) of Section 11 shall inform the society accordingly in writing by registered post or by personal delivery under acknowledgment provided that the member who attended the meeting referred to in Rule 17 and voted in favour of the resolution, shall give reasons for demanding withdrawal of his share or deposits.

20. धारा 11 की उपधारा (2) में उल्लिखित अवधि के भीतर समिति द्वारा विकल्प प्राप्त हो जाने के पश्चात् समिति वापिस लेने के विकल्पों के आधार पर दावों का क्रमबद्ध भुगतान करने के लिए प्रपत्र ''छ'' में एक योजना तैयार करेगी। समिति दायित्व से सम्बन्धित उपविधियों में प्रस्तावित परिवर्तन के साथ योजना, निबन्धक को प्रस्तुत करेगी, निबन्धक, योजना और उपविधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर जांच करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा -

(क) विकल्प सद्भावना से किये गये हैं;

(ख) योजना से समिति के अस्तित्व या समुचित रूप से कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

(ग) समिति के पास योजना के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधि है;

(घ) समिति के हित में कोई अन्य संगत तथ्य।

20. After the options have been received by the society within the period referred to in Sub-section (2) of Section 11, the society shall draw up in Form 'G' a scheme for orderly payment of the claims on the basis of the options of withdrawals. The scheme shall be submitted by the society to the Registrar along with the proposed change in the bye-laws relating to liability. In examining the scheme and the propesal for amendment of bye-laws the Registrar shall have regard to the following:-

(a) that the options have been made bona fide;

(b) that the scheme does not adversely affect existence or proper functioning of the society;

(c) that the society has sufficient funds to pay the claims under the scheme;

(d) any other relavant consideration in the interest of the society.

21. निबन्धक द्वारा योजना का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् तब समिति इस प्रकार अनुमोदित योजना के अनुसार ऋणदाताओं तथा सदस्यों को भुगतान करेगी और इस आशय की सूचना निबन्धक को देगी।

21. Where the Registrar has approved the scheme, the society shall make payments to the creditios and members in accordance with the scheme so approved and make a report to that effect to the Registrar.

22. अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपविधियों में संशोधन का प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक का यह समाधान न हो जाय कि धारा 11 और 12 और नियम 17 से 21 तक की अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है और समिति ने योजना के अनुसार भुगतान कर दिया है।

22. Without prejudice to the provisions of the Act and Rules, the proposal for amendment in the bye-laws shall not be accepted unless the Registrar is satisfied that the requirements of Sections 11 and 12 & Rules 17 to 21 have been complied with and the society has made the payments in accordance with the scheme.

23. उपविधियों में संशोधन का पंजीकरण करने पर निबन्धक तद्नुसार पंजीकरण रजिस्टर के दायित्व स्तम्भ में दर्ज करेगा या करायेगा और नियम 29 के अधीन उपबंधित कार्यवाही भी करेगा।

23. On registration of the amendment in the bye-laws, the Registrar shall make or cause to be made an entry in the liability column of the Retgistration Register accordingly and shall also take action as provided under Rule 29.

अध्याय–4

CHAPTER - IV

उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया

PROCEDURE REGARDING AMENDMENT OF BYE-LAWS

24. किसी सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन करने के प्रयोजन के लिए बुलायी गई किसी साधारण बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा सहकारी समति की उपविधियों में संशोधन किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण उपविधियों को नवीन उपविधियों से प्रतिस्थापित करना भी है–

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित आदर्श उपविधियों या संशोधन की दशा में अथवा ऐसे संशोधन के लिए जिन्हें करने के लिए निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करे, संकल्प केवल साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

24. An amendment in the bye-laws of a co-operative society including substitution of the entire set of bye-laws by new bye-laws may be made by a resolution passed by the votes of at least two-thirds of the members of the General Body of the society present and voting at the general meeting called for the purpose :

Provided that in case of mode bye-laws or amendment previously approved by the Registrar or amendment required by the Registrar to be made under Sub-section (1) of Section 14, the resolution may be passed by simple majority only.

25. उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित्त साधारण निकाय की एक साधारण बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसके साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति भी होगी –

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नयी उपविधियों द्वारा सम्पूर्ण उपविधियों को प्रतिस्थापित करके संशोधन करना हो या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में संशोधन करना हो तो समिति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह सदस्यों को बैठक के नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से समिति और उसके शाखा कार्यालयों में, यदि कोई हों, कार्यालय समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा और इस तथ्य की सूचना सदस्य को नोटिस के साथ या उसके माध्यम से दी जायेगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलायी जाये तो पन्द्रह दिन का नोटिस पर्याप्त होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि नियम 26 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धक की अनुज्ञा से कम की गई गणपूर्ति वाली

कोई बैठक बुलाई जाये तो ऐसी बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस पर्याप्त होगा।

25. Thirty days' notice for calling an ordinary meeting of General Body for consideration of amendment of bye-laws along with a copy of the proposed amendment shall be given to the members:

Provided that where amendment is sought to be made by substitution of the entire set of bye-laws by new by-laws, or where amendment is sought to be made in pursuance of an order received from Registrar under Sub-section (1) of Section 14, it shall not be necessary for the society to send a copy of the proposed amendment to the members along with the notice for the meeting, but the proposed amendment shall be made available for inspection from the date of issue of the notice during office hours at the office of the society and also at the branches, if any, of the society and this fact shall be intimated to the members through or along with the notice:

Provided further that fifteen days' notice shall suffice where a meeting has been called in pursuance of an order received from Registrar under Sub-section (1) of Section 14 :

Provided also that where meeting is summoned under proviso to Rule 26 with reduced quorum under Registrar's permission, 7 days' notice shall suffice for such a meeting.

26. ऐसी बैठक के लिए जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाय, सीमित दायित्व वाली समिति की दशा में, साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई की गणपूर्ति और अन्य सभी दशाओं में दो तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सीमित दायित्व वाली समिति की बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये, जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायेगी और सदस्यों को इस तथ्य की लिखित सूचना दे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित आदर्श उपविधियों या संशोधनों की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन यह अपेक्षा किये जाने पर कि उनमें समिति द्वारा संशोधन किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 की कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्यसूची के नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

26. In the case of a Limited Liability Society, a quorum of at least one-third, and in all other cases a quorum of two-thirds of the total number of members of the general body shall be required for meeting at which the amendment of any bye-law is considered :

Provided that if the requisite quorum cannot be obtained at a meeting of a Limited Liability Society, the Registrar may direct the society to call another meeting at which the required quorum will be reduced to one-fifth and also to inform the members in writing of the fact :

Provided further, that in case of model bye-laws or amendments previously approved by the Registrar or required by the Registrar under Sub-section (1) of Section 14 to be made by the society, the required quorum may be permitted by the Registrar to be further reduced to one-seventh, in case the meeting is not held for want of reduced quorum of one-fifthe. The fact that the meeting shall be held with further reduced quorum of one-seventh shall be mentioned in the notice of agenda for such meeting.

27. प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें किसी समिति ने उपविधियों के संशोधन के लिए संकल्प पारित किया हो, संशोधन के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र प्रपत्र ''ज'' में निबन्धक को ऐसी बैठक के, जिसमें संशोधन संकल्प पारित किया गया हो (जब तक कि निबन्धक विशेष कारणों के विलम्ब को क्षमा न कर दें), दिनांक से 15 दिन के भीतर दिया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित भी होंगे –

(क) प्रस्तावित संशोधन की तीन प्रतियां;

(ख) संशोधन के संकल्प की तीन प्रमाणित प्रतियां जिन पर सहकारी समिति की ओर से सचिव के हस्ताक्षर तथा बैठक के सभापति के हस्ताक्षर होंगे;

(ग) समिति की वर्तमान पंजीकृत उपविधियां और;

(घ) समिति के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।

27. In every case in which a society has resolved for amendment of bye-laws, an application in Form 'H' for registration of the amendment shall be *submitted* to the Registrar within fifteen days from the date of the meeting in which the amendment has been resolved (unless the Registrat, within fifteen days from the date of the meeting in which the amendment has been resolved (unless the Registrar, for special reasons, condoness the delay) shall be accompanied by-

(a) three copies of the proposed amendment;

(b) three certified copies of the resolution of amendment signed on behalf of he co-operative society by the Secretary and counter-signed by the Chairman of the meeting;

(c) existing registered bye-laws of the society; and

(d) Registration Certificate of the society.

28. (1) उपविधि के किसी संशोधन के पंजीकरण के प्रस्ताव की संवीक्षा करने पर यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाये कि –

(i) समिति की उपविधियों के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया गया है और,

(ii) प्रस्ताव –

(क) धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है;

(ख) समिति की उपविधियों के किसी अन्य उपबन्ध से असंगत नहीं है;

(ग) यदि समिति के नाम में परिवर्तन करने से सम्बन्धित हो तो वह ऐसा नहीं है जिससे कि वह समिति के उद्देश्यों , कार्य–कलापों या कार्य–क्षेत्र के सम्बन्ध में भ्रामक हो;

(घ) अन्य रूप से समिति के हित या लोक हित के प्रतिकूल नहीं है;

तो वह संशोधन का पंजीकरण कर सकता है।

(2) निबन्धक द्वारा संशोधन को पंजीकृत न करने का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समिति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये।

(3) उपविधियों का कोई भी संशोधन, उसके पंजीकरण के पूर्व कार्यान्वित न होगा।

28.(1) On scrutiny of the proposal for registration of an amendment of bye-law, if the Registrar is satisfied that-

(i) the prescribed procedure for amendment of bye-laws of the society has been duly observed; and

(ii) the proposal-

(a) conforms to the requirements of Sub-section (2) of Section 12,

(b) is not inconsistent with any other provision of the bye-laws of the society,

(c) where it related to change of name of society, it is not such as to be misleading in respect of objects, activities or area of operation of the society,

(d) is otherwise not against the interest of the society or public interest, he may register the amendiment.

(2) No order refusing to register an amendment of bye-laws shall be passed by the Registrar unless an opportunity of being heard has given to the society.

(3) No amendment of a bye-law shall be acted upon before it has been registered.

29. जब निबन्धक नियम 28(1) के अधीन कोई संशोधन को पंजीकृत करे तो वह–

(क) निम्नलिखित कार्य या तो स्वयं करेगा अथवा उसे करायेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा–

(1) पंजीकरण रजिस्टर के संगत स्तम्भ में संशोधन से सम्बद्ध प्रविष्टि,

(2) अपने कार्यालय में मूल उपविधियों की कार्यालय प्रति में संशोधन से सम्बद्ध पृष्ठांकन;

(ख) अपने कार्यालय के अभिलेख के लिए इस प्रकार पंजीकृत संशोधन की एक प्रतिलिपि रख लेगा;

(ग) पंजीकृत संशोधन की एक प्रमाणित प्रति प्रेषित करेगा–

(1) सम्बद्ध सहकारी समिति को,

(2) ऐसी केन्द्रीय समिति को, यदि कोई हो, जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, यदि उसकी राय में उक्त संशोधन केन्द्रीय समिति के लिए, किसी प्रकार महत्वपूर्ण हो;

(घ) समिति को –

(1) निबन्धक प्रमाण–पत्र पर उपविधि के संशोधन के पंजीकरण के दिनांक को लिखकर उसे, और

(2) संशोधन के सम्बन्ध में पृष्ठांकन सहित मूल उपविधियां लौटा देगा या लौटवा देगा।

29. Where the Registrar registers an amendment under Sub-rule (1) of Rule 28 or, he shall-

(a) make or cause to be made under his signature-

(i) an entry regarding amendment in the relevant column of the registration register,

(ii) an endorsement regarding amendment in the office copy of the original bye-laws in his office;

(b) retain for his office record one copy of the amendment so registered;

(c) send or cause to be sent a certified copy of the registered amendment-

(i) to the co-operative society concerned,

(ii) to the central society, if any, to which the society concemed is affiliated, if in his opinion the said amendment is of any significance to the central society;

(d) return or cause to be returned to the society-

(i) the registration certificate noting in the date of registration of amendment of bye-laws, and

(ii) the original bye-laws with endorsement regarding amendment.

30. निबन्धक जैसा कि धारा 14 में व्यवस्थित है किसी सहकारी समिति से अपनी उपविधियों में निम्नलिखित परिस्थितियों में संशाधन करने की अपेक्षा कर सकता है–

(क) यदि समिति का पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नाम उनके कार्य–कलाप, सदस्यता या कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में भ्रामक हो अथवा नियम 8 (घ) के उपबन्धों से असंगत हो;

(ख) यदि समिति की प्रबन्ध समिति ने स्वयं कोई संशोधन प्रस्तावित किया हो, किन्तु अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में साधारण निकाय की बैठक न होने के कारण साधारण बैठक में उस पर विचार न किया जा सका हो;

(ग) यदि संशोधन उपविधियों, अधिनियम, नियम अथवा विनियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी असंगति को दूर करने के लिए आवश्यक हो;

(घ) यदि संशोधन अधिनयम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार समिति के गठन में किसी दोष से बचने के लिए आवश्यक हो;

(ड़) यदि संशोधन ऐसे सहकारी कार्यकलापों के सम्बन्ध में, जिससे समिति सम्बद्ध हो, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो;

(च) यदि संशोधन सहकारी समितियों की निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधार करने या उसे सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो;

(छ) यदि समिति के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उसकी सदस्यता या उसके कार्यक्षेत्र के सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो;

(ज) यदि कोई संशोधन उसी वर्ग या श्रेणी, जिसकी समिति हो, की अन्य सहकारी समितियों द्वारा पहले से ही अंगीकार कर लिया गया हो;

(झ) यदि संशोधन समिति के साधारण निकाय द्वारा पहले से प्रस्तावित किया जा चुका हो, किन्तु जो पंजीकरण के लिये निबन्धक को प्रस्तुत न किया गया हो और निबन्धक संशोधन को लोकहित में या समिति के हित में आवश्यक समझें;

(ञ) यदि निबन्धक की राय में समिति में वर्ग विशेष का आधिपत्य हो अथवा उसमें दलबन्दी हो और संशोधन समिति को अपना कार्य उचित रूप से करने के लिए तथा उसे इस प्रकार के आधिपत्य अथवा दलबन्दी से बचाने के लिए आवश्यक हो।

30. The Registrar, as provided under Section 14, may, by order in writing require a co-operative society to make amendment in its bye-laws under the following circumstances:-

(a) where the registered name of the society is misleading in respect of its activity. membership or area of operation or is inconsistent with the provisions of Rule 8 (d);

(b) where the committee of management of the society has itself proposed ans amendment, but the same could not be considered in the general meeting due to the inability of the general body to meet for want of requisite quorum;

(c) where the amendment is necessary to avoid any defect in the constitution of the society in accordance with the provisions of the Act and theRules;

(e) where the amendment is necessary to implement any policy of Government of India or the State Government with regard to the co-operative activity with which the society is concerned;

(f) where the amendment is necessary to improve or rationalize the process of election in co-operative societies;

(g) where it is necessary to rationalize the membership or the area of operation of the society in relation to its activities;

(h) where the anebdnebt gas akreadt veeb adopted by other co-operative societies of the same class or category to which the society belongs;

(i) where the amendment had already been proposed by the General Body of the Society, but the same has not been submitted to the Registrar for registration and the Registrar considers the amendment necessary in public interest or in the interest of the society;

(j) where the society is, in the opinion of the Registrar, dominated by any particular interest or suffers from group rivalries and the amendment is necessary to save the society in the interest of its proper functioning from such domination or rivalries.

31. यदि निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी उपविधि का संशोधन करने के लिए आदेश जारी करें तो आदेश में निम्नलिखित बातें होंगी–

(क) प्रस्तावित संशोधन का मूल पाठ;

(ख) अवधि जिसके भीतर ऐसा संशोधन समिति द्वारा अंगीकार किया जाना अपेक्षित हो;

(ग) संशोधन के प्रस्ताव के कारण;

31. Where the Registrar issues an order for amendment of bye-law under Sub-section (1) of Section 14, the order shall contain-

(a) the taxt of proposed amendment;
(b) the period within which such amendment is required to be adopted by the society;
(c) reasons for proposing the amendment.

32. यदि समिति प्रस्तावित संशोधन के लिये आपत्ति करे तो निबन्धक समिति की आपत्तियों पर विचार करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि समिति की आपत्तियां ठीक हैं तो वह आगे की कार्यवाही बन्द कर देगा और यदि उसका समाधान न हो तो वह धारा 14 की उपधारा (2) में उपबंधित आगे की कार्यवाही करेगा।

32. If the society objects to make the proposed amendment, the Registrar shall consider the objections of the society and if satisfied that the objections of the society are correct, he any drop further proceeding, and if not satisfied, he shall take further action as provided under Section (2) of Section 14.

33. जब धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन किसी संशोधन का पंजीकरण किया गया हो तो उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र ''झ'' में रखे गये रजिस्टर में की जायेगी और इस प्रकार पंजीकृत संशोधन की एक प्रति सम्बन्धित सहकारी समिति को भेजी जायेगी। संशोधन के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (क), (ख) और (ग) में पंजीकृत कार्यवाही भी की जायेगी। यदि समिति ने पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथा मूल पंजीकृत उपविधियां निबन्धक को भेजी हों, तो नियम 29 के उपनियम ''घ'' के अनुसार भी कार्यवाही की जायेगी।

33. Where and amendment has been registered under Section (2) of Section 14, an entry thereof shall be made in the register maintained for the purpose in Form 'I' and a copy of the amendment so registered shall be sent to the co-operative society concerned. Action as provided in Sub-rules (a), (b) and (c) of Rule 29 shall also be

taken in regard to that amendment. If the society has sent registration certificate and original registered bye-laws to the Registrar, action as provided under Sub-rule (d) or Rule 29 shall also be taken.

34. निबन्धक प्रत्येक सहकारी समिति का नाम और पता नियम 10 में निर्दिष्ट पंजीकरण रजिस्टर में रखेगा।

34. The Registrar shall keep a record of name and address of every co-operative society on the registration register referred to in Rule 10.

35. (क) प्रत्येक सहकारी समिति अपना पूरा पता निबन्धक को लिखित रूप में सूचित करेगी जो समिति की पंजीकृत उपविधियों के संगत उपबन्धों से असंगत न होगा। समिति द्वारा इस प्रकार सूचित पते में जिले और ग्राम, टाउन, नगर, म्यूनिसिपल वार्ड, मोहल्ला, सड़क, गृह संख्या और डाक सर्किल का नाम भी होगा, जो सभी प्रकार से पूरे पते के लिए आवश्यक हो। उस पत्र पर जो पते में किसी परिवर्तन के लिए धारा 107 के अधीन निबन्धक को भेजा जाय सचिव द्वारा हस्ताक्षर तथा सभापति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(ख) निबन्धक उपनियम ''क'' के अधीन समिति से सूचना प्राप्त होने पर पुस्तकों में पहले से पंजीकृत पते में संशोधन करेगा और यदि वह समिति के कार्यकलापों, सदस्यता या व्यवसायिक सम्बन्ध को ध्यान मे रखते हुए विज्ञापित कराना आवश्यक समझे तो वह समिति से उसके क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र में उक्त संशोधन विज्ञापित करने की अपेक्षा कर सकता है।

35. (a) Every co-operative society shall communicate in writing to the Registrar its complete postal address which shall not be inconsistent with the relevant provisions of the registered bye-laws of the society. The address so communicated by the society shall mention the name of distruct and also of the village, town, city, municipal ward or mohalla, street, house number and postal circle as may be necessary for making the address complete in all respects. The communication for any change of address sent to the Registrar under Section 107 shall be signed by the Secretary and countersigned by the Chairman.

(b) The Registrar on receipt of a communication from the society under Sub-rule (a) shall amend the provious address registered in the books and may require the society to notify the change in leading newspapers of the area, if he thinks such notification necessary considering the activities, membership or business relationship of the society.

36. जब तक कि समिति द्वारा निबन्धक को नियम 35 के उपनियम (क) में निर्धारित रीति से पते में परिवर्तन की सूचना न दे दी जाय तब तक समिति के सचिव की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि समिति के अन्तिम ज्ञात पते पर सम्बोधित प्रत्येक पत्र समिति को प्राप्त हो जाय।

36. Until the change of address is communicated by the society to the Registrar in the manner laid down in Sub-rule (a) of Rule 35, if shall be the responsibility of the Secretary of the society to ensure proper delivery to the society of any communication dressed at the last known address of the society.

37. यदि कोई दो या अधिक सहकारी समितियां धारा 15 के अधीन समामेलन या विलियन के लिए प्रस्ताव करें अथवा कोई सहकारी समिति धारा 16 के अधीन अपने विभाजन का प्रस्ताव करे तो उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई जाने वाली साधारण बैठक की सूचना बैठक के दिनांक से पूरे 15 दिन पहले निबन्धक को प्रपत्र ''ज्ञ'' में रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी अथवा अभिस्वीकृति के अधीन व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी।

37. Where any two or more co-operative societies propose for amalgamation or merger under Section 15 or where a co-operative society proposes to divide itself under Section 16, fifteen clear days' notice before the date of the general meeting to be called for the purpose shall be given to the Registrar by registered post or by personal delivery under acknowledgment in Form 'J'.

अध्याय - 5

CHAPTER - V

सदस्यता

MEMBERSHIP

38. (1) (क) धारा 26-(क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहकारी समिति की सदस्यता पाने के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र

सचिव को दिया जायेगा जो प्रार्थना-पत्र को यथाशीघ्र समिति की उपविधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (जिसे आगे ''सक्षम प्राधिकारी'' कहा गया है) समिति की सदस्यता दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण-नाममात्र के या सहयुक्त सदस्य के रूप में सदस्यता पाने के किसी प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा समिति के किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी होने का प्राधिकार दिया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी सदस्यता पाने के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार करेगा और प्रार्थी को समिति की सदस्यता दिये जाने या न दिये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देगा। वह निर्णय, जब तक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो-

(i) नाममात्र के या सहयुक्त सदस्य की दशा में समिति को प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर यथाशीघ्र स्वीकार कर सूचित किया जायेगा, और

(ii) किसी अन्य दशा में, समिति को प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पैंतीस दिन के भीतर किया जायेगा। निर्णय की सूचना प्रार्थी को निर्णय लिये जाने के सात दिन के भीतर दी जायेगा।

(ग) यदि सदस्यता के लिए दिये प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय न लिया गया हो और उसकी सूचना प्रार्थी को-

(i) नाममात्र के या सहयुक्त की दशा में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तथा

(ii) साधारण सदस्य की दशा में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर,

न दी जाय, तो ऐसा प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति का सदस्य उस समय तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि-

(i) वह अधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में सदस्यता के लिए निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो;

(ii) उसने समिति की उपविधियों में निर्धारित रीति से समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र न दिया हो;

(iii) उसे समिति की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिए अनुमोदित न किया गया हो;

(iv) नाममात्र के तथा सहयुक्त सदस्य की दशा में सदस्यता के लिए उसका प्रार्थना-पत्र, समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत समिति के किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया गया हो।

38.(1)(a) Subject to the provisions of Section 26-A, every application for admission to the membership of a co-operative society shall be made to the Secretary who shall place such allocation as soon as possible, before the authority competent under the bye-laws of the society to take decision on the question of admission to the membership of the society (hereinafter referred to as the 'competent authority').

Explanation- For disposal of an application for admission as a nominal or associate member, an officer of the society may be authorised by the Committee of Management of the Society to be the competent authority.

(b) The competent authority shall consider the application for admission to membership and take final decision either admitting or refusing to admit the applicant to the membership of the society. Such decision shall, except when it does not become possible for some unavoidable reasons, be taken-

(i) in the case of nominal or associate membership. as early as possible after the receipt of the application in the society and will be communicated, and

(ii) in any other case, within thirty five days of the receipt of the application in the society. The decision shall be communicated to the applicant within seven days of the date of the decision.

(c) If the decision on the application for admission to membership is not taken and communicated to the applicant within-

(i) he fulfils the qualifications for membership as laid down in the Act, Rules and the Bye-laws of the society;

(ii) he has applied for membership of the society in the manner laid down in the Bye-laws of the society;

(iii) he has been approved for the membership in the bye-laws of the society;

(iv) in case of nominal and officiate membership his application shall be approved by the officer of the adhoc authorized committee assigned by the Management Committee.

39. यदि राज्य भाण्डागार निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन), कोई सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं0 21, 1860) के अधीन पंजीकृत या निगमित कोई समिति, प्रवृन्त किसी भी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत या निगमित कोई कम्पनी या निगमित निकाय, किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र दे तो सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो ऐसे निकाय के नियंत्रित करने वाली विधि या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम हो।

स्पष्टीकरण-शब्द ''उपविधि'' के अन्तर्गत सम्बद्ध निकाय के नियम या समवाय नियम (आर्टिकिल ऑफ एसोशिएशन) अथवा समवाय ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ एसोशिएशन) भी होंगे।

39. Where the State Warehousing Corporation, a Co-operative Society or a Society registered under Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860), company or other body corporate registered or incorporated under any law for the time being in force, applies for the membership of a co-operative society, the application for membership shall be made by such person or authority as may be competent to do so user the provision of law or bye-laws governing such body.'

Explanation- The term "bye-law" shall also include the Rules or Articles of Association or Memorandum of Association of the body concerned.

40. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने, किसी समिति के मृत सदस्य के अंश या हित को संयुक्त रूप से विरासत में पाया हो तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है। अंश या अंशों के सम्बन्ध में मतदान के अधिकार के लिए ऐसे व्यक्ति, घोषणा द्वारा अपने में से किसी एक को धारा 20 के अधीन मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेंगे, जिस पर समिति, अंश प्रमाण-पत्र में ऐसे व्यक्ति का नाम संयुक्त अंशधारियों में मुख्य नाम के रूप में लिखेगी। जो विधिक उत्तराधिकारी होगा और पूर्ण अंशदान के भुगतान किये जाने पर उसे सदस्यता मिलेगी। विधिक वारिस एक से अधिक होने की दशा में समिति समस्त या एक से अधिक वारिसों को सदस्यता प्रदान कर सकती है।

स्पष्टीकरण -

(1) यद्यपि मतदान के अधिकार का उपयोग केवल घोषणा में तथा अंश प्रमाण-पत्र में इस प्रकार उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा तथापि उक्त सभी व्यक्ति अधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार संयुक्त रूप से और अलग-अलग सम्पूर्ण दायित्वों के भागी होंगे।

(2) यह नियम केवल तब तक लागू होगा जब तक कि अंश संयुक्त रूप से धारित हों।

40. If two or more persons have jointly inherited the share or interest in the shares of a deceased member of a society, such person may be admitted to the ordinary membership of the society. As regards voting right in respect of the share or shares, such persons shall, by declaration, nominate any one from amongst themselves to exercise the right of voting under Section 20, whereupon the society shall enter in the share certificate the name of such person so as to head the name of the joint share holders, who shall be legal heir and will become member after paying his full contribution. In case of one or more legal heirs society may admit all or more than one heir as member.

Explanation- (i) Though the voting right shall be enjoyed only by the person so mentioned in the declaration and the share certificate, but all the liabilities shall be borne by all of them jointly and severally as provided under the Act, Rules and the Bye-laws of the society.

(ii) This rule will apply only so long as the share or shares are held jointly.

41. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी सहकारी समिति का, जो अपने सदस्यों को नकदी या जिन्स अथवा दोनों ही प्रकार का ऋण देती है, सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति अमुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) हो ;

(2) कोई भी व्यक्ति समिति का न तो साधारण सदस्य होगा और न बना रहेगा, यदि निबन्धक की राय में उसी प्रकार का कार्य करता हो जैसा कि समिति

41. (1) No individual person shall be a member of Co-operative Society which gives loans in cash or kind or both to its members, if such person is an undischarged insolvent;

(2) No individual person shall be or continue to be as an ordinary member of the society if, in the opinion of the Registrar, he carries on the same kind of business as is being carried on by the society.

42. (1) कोई भी व्यक्ति, जो पहले से ही किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य हो, जब तक कि उसे निबन्धक द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुज्ञा न दी जाय, किसी अन्य सहकारी ऋण समिति का सदस्य न होगा, सिवाय इसके कि ऐसी समिति कोई सहकारी बैंक हो जिसका मुख्य कार्य अपने सदस्यों की अचल सम्पत्ति बन्धक रखकर दीर्घावधि ऋण देना हो;

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उल्लंघन में दो ऋण समितियों का सदस्य हो गया हो तो वह दोनों में से किसी एक समिति की सदस्यता त्याग देगा तथा त्यागने के लिए कहे जाने से 45 दिनों के भीतर उसके ऐसा न करने पर समिति, जिसका वह बाद में सदस्य बना हो, उसे सदस्यता से हटा देगी।

42. (1) No individual person who is already a member of a primary co-operative credit society shall, unless permitted by the Registrar for reasons to be recorded, be a member of another primary co-operative credit society except where such society is a co-operative bank the main business of which is to advance long-term loan to its members on the mortgage of immovable property;

(2) If an individual has become a member of two credit societies in contravention of Sub-rule (1), he shall resign from membership of one of the two and on his failure to do so within 45 days of his being called upon to do so, the society of which he became a member later shall remove him from membership.

43. कोई भी व्यक्ति, जब तक कि निबन्धक द्वारा उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी आवास सहकारी समिति का सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही उसी शहर में किसी अन्य सहकारी आवास समिति का सदस्य हो।

43. No person shall, unless permitted by the Registrar for reasons to be recorded, be a member of a co-operative housing society, if such person is also a member of another co-operative housing society in the same town.

44. (क) किसी भी व्यक्ति को, जिसे नियम 51 के खण्ड ''ख'' के अधीन किसी सहकारी समिति की सदस्यता से निकाल दिया गया हो, निकाले जाने के आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के पूर्व, उसी समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा जैसा कि धारा 27 की उपधारा (5) में उपबंधित है।

(ख) किसी भी व्यक्ति को -

(1) किसी शीर्ष समिति या केन्द्रीय बैंक; या

(2) किसी ऐसी केन्द्री समिति का जिसकी कोई अन्य केन्द्रीय समिति साधारण सदस्य हो, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

(ग) यदि उपनियम (ख) में उल्लिखित किसी समिति में अधिनियम लागू होने के दिनांक को कोई व्यक्ति उसकी साधारण सदस्यता में हो तो वह समिति ऐसे दिनांक से एक वर्ष के या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसकी निबन्धक, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी भी सहकारी समिति के लिए अनुमति दे, समितिकी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार, धारा 18 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी अन्य वर्ग में अपनी सदस्यता समायोजित करेगी।

44. (a) No person who has been expelled from the membership of a co-operative society under Clause (b) of Rule 51 shall be admitted as a member of that society before lapse of a period of two years from the date the order of expulsion takes effect, as provided in Sub-section (5) of Section 27.

(b) No individual person, shall be admitted as an ordinary member in-

(i) an Apex Society or Central Bank; or

(ii) a Central Society which includes any other Central Society in its ordinary membership.

(c) If a society mentioned in Sub-rule (b) has on the date of coming into force of the Act, individuals as its ordinary members, the society shall within a period of one year from such date or such further period as the Registrar may, for reasons to be recorded, allow for any co-operative society, adjust its membership to any other class mentioned in Sub-section (1) of Section 18, in accordance with the provisions of the bye-laws of the society.

45. किसी भी संयुक्त स्टाक कम्पनी (Joint Stock Company) को निम्नलिखित का साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा -

(1) किसी प्रारम्भिक नगरीय सहकारी बैंक या नगरीय केन्द्रीय बैंक से भिन्न किसी शीर्ष या केन्द्रीय बैंक :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रारम्भिक नगरीय सहकारी बैंक या नगरीय केन्द्रीय में ऐसी कम्पनियों की कुल सदस्यता, निबन्धक के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे बैंक की कुल सदस्यता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(2) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति।

45. No Joint Stock Company shall be admitted as an ordinary member in-

(i) an Apex or Central Bank other than a Primary Urban Co-operative Bank or an Urban Central Bank :

Provided that the total membership of such companies in a Primary Urban Co-operative Bank or Urban Central Bank shall not, without the prior approval of the Registrar, exceed five percent of the total membership of such bank;

(ii) a Primary Agricultural Credit Society.

46. नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य केवल उतना प्रवेश शुल्क देगा जितना निबन्धक समय-समय पर इस हेतु अवधारित करे या समिति की उपविधियों के अन्तर्गत अपेक्षित हो, इनमें जो भी अधिक हो। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जायेगा न उस पर कोई ब्याज देय होगा।

46. A nominal or an associate member shall pay only such admission fees as may be required under the bye-laws of the society or the Registrar may decide for the purpose from time to time whichever is higher. The admission fee shall not be refundable nor shall it bear any interest.

47. किसी सहकारी समिति का कोई सहयुक्त या नाममात्र का सदस्य, भले ही समिति का दायित्व कुछ भी हो, समिति के समापित किये जाने पर उसकी परिसम्पत्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार न होगा, सिवाय किन्हीं ऐसे देयों के प्रतिदान के लिए जिनका वह अकेले व किसी अन्य ऋणदाता के साथ संयुक्त रूप से समिति का देनदार हो।

47. No associate or nominal member of a co-operative society shall, irrespective of the liability of the society, be liable to contribute to the assets of the society on its being wound up except repayment of any dues which he may be owing to the society singly or jointly with any other debtor.

48. किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए स्वीकृत किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य एक घोषणा-पत्र पर इस आशय का हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उपविधियों, और उसके किसी संशोधन को मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा घोषणा-पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

48. Every person before being admitted to the membership of a co-operative society shall sign a declaration that he will be bound by the existing bye-laws of the society, and by any amendment thereof. Such declaration shall be attested by two persons.

49. कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित होने के कारण पहले से ही सदस्य हो, उससे समिति के पंजीकरण के एक माह के भीतर, ऐसी समिति द्वारा नियम 48 में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि वह ऐसा न करे तो वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा।

49. A person who is already a member of a co-operative society by reason of his having joined in the application for the registration of the society shall, within one month of the registration of the society, be required by such society to sign the declaration referred to in Rule 48. If he fails to do so, he shall be liable for expulsion from the membership of the society.

50. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार न होगा, जब तक कि वह यथास्थिति नियम 48 या 49 में उल्लिखित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, और समिति को ऐसा भुगतान न कर दे जो सदस्यता के सम्बन्ध में आवश्यक हो या समिति में ऐसा हित अर्जित न कर ले जिसकी उस समिति की उपविधियों में व्यवस्था की जाय।

50. A member of a co-operative society shall not be entitled to exercise the rights of the membership unless he has signed the declaration mentioned in Rule 48 or 49, as the case may be, and has made such payment to the society as may be necessary in respect of membership or has acquired such interest in the society as may be provided in the bye-laws of the society.

51. किसी भी व्यक्ति को, नियमों में अधिलिखित रीति से-

(क) सहकारी समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि-

(1) वह उन अर्हताओं की पूर्ति न करता हो, जो समिति की सदस्यता के लिए अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में निर्धारित की गयी हैं, या

(2) वह अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया

हो, या

(3) वह विकृत-चित्त का हो जाय, या

(4) समिति के सम्बन्ध में उसकी सदस्यता नियम 8 (ख) के उपबन्धों से असंगत हो;

(ख) समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है-

(1) यदि उसने समिति की निधि या सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो अथवा समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता (इन्डियन पैनल कोड) 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो: प्रतिबन्ध यह है कि वह दोष सिद्ध आदेश के विरूद्ध अपील में दोषमुक्त किये जाने के पश्चात् जैसी भी दशा हो, उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा, या

(2) यदि उसने किसी समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो, या

(3) यदि समिति की उपविधियों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा या तो गलत पाई जाय या घोषणा में किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

51. A person may, in the manner laid down in the rules-

(a) be removed from the membership of a co-operative society, if-

(i) he has ceased to fulfil the qualification laid down under the Act, Rules or the Bye-laws of the society, for the membership of the society. or

(ii) he was admitted to the membership of the society, in contravention of the provisions of the Act, Rules or the Bye-laws of the society, or

(iii) he becomes of unsound mind, or

(iv) his membership of the society is inconsistent with the provisions of Rule 8 (b);

(b) be expelled from the membership of society-

(i) if he has misappropriated any funds or property of the society or has caused damage to the property of the society and has for that offence been convicted under the Indian Penal Code, 1860 :

Provided that he shall be eligible to become member of that or any other society after his acquittal in appeal or paid the fine, as the case may be, under the order of conviction, or

(ii) if he has caused detriment to the interest of the society by a breach of the bye-laws of the society, or

(iii) where a declaration made by a member in pursuance of any provisions of the bye-laws of the society is fund to be either false or there is suppression of any material information in the declaration and such falsehood or suppression has enabled the member to get undue benefit from the society or has pur the society to economic or a financial loss or other difficulties.

52. किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे नियम 51 के अधीन हटाना या निकालना हो, प्रबन्ध समिति नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगी कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से, यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय।

52. A person sought to be removed or expelled under Rule 51 shall be called upon by the Committee of Management to show cause within ten days of the receipt of the notice why he should not be removed or expelled, as the case may be, from the membership of the society.

53. (1) यदि नियम 52 में निर्दिष्ट नोटिस का जवाब उक्त नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त जवाब प्रबन्ध समिति की राय में सन्तोषजनक न हो, तो उक्त सदस्य को, प्रबन्ध समिति द्वारा, नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा, यथास्थिति, हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा।

(2) उपनियम 1 में उल्लिखित प्रयोजन के लिए बुलाई गई प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यसूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भेजी जायेगी जिसे हटाना या निकालना हो और संबंधित सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष, यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने मामले को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

53. (1) In case the notice referred to in Rule 52 in not replied within the time specified in that rule or the reply received unsatisfactory in the opinion of the Committee of Management, the member may be removed or

expelled, as the case may be, by the committee of Management by a resolution passed in a meeting held within fifteen days of the expiry of the period of the notice.

(2) A copy of the agenda of the meeting of the Committee of Management convened for the purpose mentioned in sub-rule (1) shall also be sent to the member whose removal or expulsion is sought and the member concerned shall have the right to state his case in person before such meeting, if he so chooses.

54. नियम 53 के अधीन पारित कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह मतदान में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित न किया गया हो।

54. No resolution passed under Rule 53 shall be effective unless it is carried by majority of two third of the members present and voting.

55. यदि किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य को हटाने या निकालने का कोई आदेश धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन निबन्धक से प्राप्त हो तो, प्रबन्ध समिति उक्त आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर नियम 52 और 53 में निर्धारित रीति से सदस्य को , यथास्थिति, हटा देगी या निकाल देगी।

55. Where an order requiring the removal or expulsion of a member of a co-operative society is received from the Registrar under Clause (a) of Sub-section (2) of Section 27, the Committee of Management shall, within thirty days from the date of receipt of he order, remove or expel the member, as the case may be, in the hammer laid down in Rules 52 and 53.

56. नियम 53 या नियम 55 में निर्दिष्ट बैठक के संकल्प की एक प्रति अथवा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति हटाये या निकाले जाने के लिए निबन्धक द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को रजिस्ट्री डाक से भेजी जायेगी।

56. A copy of the resolution of the meeting referred to in Rule 53 or in Rule 55 or copy of the order passed by the Registrar for removal or expulsion under Sub-section (2) of Section 27, as the case may be, shall be sent by registered post or by personal delivery under acknowledgment to the member concerned.

57. किसी व्यक्ति का, जो किसी सहकारी समिति की सदस्यता से धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा या नियम 53 या 55 के अधीन, किसी सहकारी समिति द्वारा हटाया जाय या निकाला जाय, इस प्रकार हटाये जाने या निकाले जाने पर भी, दायित्व जैसा कि धारा 25 में व्यवस्थित है, बना रहेगा और अपने ऋणों का समिति भुगतान करने का भी दायित्व बना रहेगा।

57. Any person removed or expelled from the membership of a co-operative society by the Registrar under Sub-section (2) of Section 27 or by a co-operative society under Rule 53 or Rule 55 shall, notwithstanding such removal or expulsion, continue to be liable as provided in Section 25 and shall also continue to be liable to pay his debt to the society.

58. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य-

(1) उसकी मृत्यु होने,

(2) समिति से हटाये जाने या निकाले जाने,

(3) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या

(4) उसके निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा धारित सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

58. A member of a co-operative society shall cease to be such member on-

(i) his death

(ii) his removal or expulsion from the society

(iii) his withdrawal from membership, or

(iv) retirement, transfer or forfeiture of all the shares held by him.

59. कोई सहकारी समिति किसी सदस्य को, लिखित रूप से अनुरोध करने और ऐसे शुल्क देने पर जो उसकी उपविधियों में निर्धारित किये जायें, निम्नलिखित किसी एक या अधिक दस्तावेजों की एक या अधिक प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे शुल्क दिये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देगी -

(क) किसी सदस्य को-

(1) समिति की पंजीकृत उपविधियों की एक प्रतिलिपि,

(2) प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची,

(3) अन्तिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और वार्षिक लाभ हानि के लेखे की एक प्रतिलिपि,

(4) किसी ऋण समिति की दशा में समिति के साथ अपने लेन-देन की और अन्य समिति की दशा में अपने उधार, लेन-देन की एक या अधिक अभिलेखों की दूसरी प्रतिलिपि ।

(ख) किसी साधारण सदस्य को-

(1) समिति के सदस्यों की एक सूची,

(2) समिति के साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति अथवा किसी अन्य की बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि देगी।

59. A co-operative society shall on a request in writing and on payment of such fees as may be laid down in its Bye-laws, give certified copies of any one or more of hte documents named below within one month from the date of the payment of such fees-

(a) to any member-

(i) a copy of the registered Bye-laws of the society,

(ii) a list of the members of the Committee of Management,

(iii) a copy of the last audited balance-sheet and annual profit and loss account,

(iv) duplicate copy of any one or more of the records of his transaction with the society in case of a credit society and of his credit dealings in case of any other society

(b) to an ordinary member-

(i) a list of members of he society

(ii) a copy of the proceeding of the meeting of the general body or of the Committee of Management or of any other committee of the society.

अध्याय - 6
CHAPTER - VI

अंश
SHARES

60. किसी सीमित दायित्व वाली सहकारी ऋण समिति की दशा में, कोई भी व्यक्ति धारा 22 में अधिलिखित पंजीकरणों के अधीन रहते हुए, समिति की अभिदत्त अंश पूंजी के दसवें भाग से अधिक धनराशि के अंश नहीं रखेगा।

60. In the case of a co-operative credit society of limited liability, no individual person shall, subject to the restrictions laid down in Section 22, hold shares of amount exceeding one-tenth of the subscribed share capital of the society.

61. धारा 25 के अधीन दायित्व सम्बन्धी प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 41 के अधीन प्रभारित और मुजराई (सैट ऑफ) करने के लिए कोई सहकारी समिति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन -

(1) धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड ''ख'' से ''ज'' तक किसी भी उल्लिखित सदस्य को सदस्य बनाये जाने के समय समिति तथा ऐसे सदस्य के बीच हुई, अंश सहभागिता सम्बन्धी सहमति की शर्तो औार निबन्धनों के अनुसार;

(2) किसी वेतनभोगी सहकारी समिति के किसी सदस्य को, उक्त समिति के कार्य संचालन के क्षेत्र से ऐसे सदस्य का स्थानान्तरण होने की दशा में या उसकी ऐसी सेवा के जिसके आधार पर वह समिति की सदस्यता धारण किये था, समाप्त हो जाने पर;

(3) किसी शिक्षा संस्था में संगठित किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य के, उक्त संस्था का छात्र या कर्मचारी वर्ग का सदस्य, जिस परिस्थिति के कारण वह समिति की सदस्यता धारण किये था, न रह जाने पर;

(4) किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य के, यदि वह नियम 44 के उपनियम (ग) के अधीन अन्य वर्ग में उसकी सदस्यता के समायोजन के कारण अंशधारी न रह गया हो, या यदि उसे नियम 51 के उपनियम (क) के अधीन सदस्यता से हटा दिया गया हो; अंशो को वापिस कर सकती है।

61. Without prejudice to the provisions for liability under Section 25, and for charge and set-off under Section 41, a

co-operative society may, under Sub-section (3) of Section 23, return the shares of-

(i) a member mentioned in any of the Clauses (b) to (h) of Sub-section (1) of Section 17 according to the terms and conditions of share-participation agreed to between the society and such member at the time of admission to membership;

(ii) a member in a salary earners co-operative society in the event of transfer of such member from the area of operation of the society or on cessation of his service by virtue of which he held membership of the society;

(iii) a member of a co-operative society organized in an educational institution, if the member ceases to be a student or a member of the staff of the institution by virtue of which position he was holding membership of the society;

(iv) a member of a co-operative society, if he has ceased to be a shareholder on account of adjustment of his membership to any other class under Sub-rule(c) of Rule 44 or if he has been removed from membership under Sub-rule (a) of Rule 51.

62. किसी व्यक्ति द्वारा किसी सहकारी समिति में धारित अंश किसी अन्य सहकारी समिति को, जिसमें उसकी सदस्यता स्थानान्तरित की गई हो, इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतरित किये जा सकते हैं।

62. The share held by a person in a co-operative society may, subject to he provisions of the Act and the Rules, be transferred to another co-operative society to which the membership of such person has been transferred.

63. सहकारी समिति सदस्यता छोड़ने वाले किसी सदस्य के अंश को, अंतरित होने तक अपनी अंश अन्तरण निधि से, यदि कोई हो, क्रय कर सकती है और बाद में वह धनराशि, उस सदस्य से वसूल कर सकती है जिसे ऐसा अंश अन्ततः अन्तरित किया जाय।

63. A co-operative society may, pending transfer of share of an outgoing member, purchase such share from its own share transfer fund, if any, and recover the amount subsequently from the member to whom the share is ultimately transferred.

64. निम्नलिखित के सिवाय केन्द्रीय सहकारी समिति में किसी सहकारी समिति द्वारा धारित अंश संक्रमणीय नहीं होंगे यदि–

(1) सहकारी समिति के 2 या 2 से अधिक समितियों में विभाजित होने की दशा में केन्द्रीय समिति, निबन्धक के अनुमोदन से, मूल समिति द्वारा धारित अंशों को ऐसे अनुपात में नई समितियों को अंतरित करेगी जो उचित समझा जाय; या

(2) दो से अधिक सहकारी समितियों के एक समिति के रूप में सम्मेलन या विलयन की दशा में केन्द्रीय समिति, निबन्धक के अनुमोदन से मूल समितियों द्वारा धारित समस्त अंश, समामेलन की दशा में नई समिति को तथा विलीन होने की दशा में चालू रहने वाली समिति को अन्तरित कर सकती हैं; या

(3) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक अंश हों, तो केन्द्रीय समिति ऐसे अंश (जो आवश्यकताओं से अधिक समझे जायें) ऐसी दूसरी समिति को जो उक्त केन्द्रीय समिति की सदस्य हो ऐसी शर्तों और पंजीकरणों पर जो अन्तरक समिति तथा अन्तरिती समिति के बीच सम्मत और केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित हों, संक्रमित कर सकती है।

64. Shares held by a co-operative society in a Central Co-operative Society shall not be transferable except when-

(i) the co-operative society is split up, in two or more societies, in which case the Central Society may, with the approval of the Registrar transfer such proportion of the shares held by the Original Society to the new societies as is considered equitable; or

(ii) any two or more co-operative societies are amalgamated or merged into one society in which case the Central Society may, with the approval of the Registrar, transfer all the shares held by the original societies to the new society in case of amalgamation and to the continuing society in case of merger; or

(iii) a co-operative society has more shares in the opinion of he Registrar than it needs in which case the Central Society may transfer such shares (as are considered to be in exces of the need) to another society which is a member of the same Central society, on such terms and conditions as may be agreed upon between the transferer society and the transferee society and approved by the Central Society.

65. इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई केन्द्रीय सहकारी समिति इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई और समिति के साधारण निकाय द्वारा स्वीकृत साधारण बैठक में एक योजना के अनुसार अपनी अंश पूंजी कम कर सकती है। ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(1) अदत्त अंशपूंजी के सम्बन्ध में, अपने भी अंशों का दायित्व समाप्त या कम करना, या

(2) किसी भी दत्त अंश पूंजी को रद्द करना,

(3) किसी भी दत्त अंश पूंजी को, जो केन्द्रीय समिति की आवश्यकता से अधिक हो, वापिस करना।

65. Subject to the provisions of the Act and the Rules, a Central Co-operative Society may reduce its share capital according to a scheme approved by the Registrar and adopted by the General Body of the society in the general meeting specially called for the purpose. Such a scheme may provide for-
(i) extinguishing or reducing the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up, or
(ii) canceling and paid-up share capital, or
(iii) paying back any paid-up share capital which is in excess of the need of the Central Society.

66. निबन्धक, किसी केन्द्रीय सहकारी समिति के, जो अपनी अंश पूंजी कम करना चाहती हो, प्रत्येक लेनदार को रजिस्ट्री डाक से नोटिस जारी करने का निर्देश दे सकता है। ऐसे लेनदार को नोटिस मिलने के दिनांक से, एक मास के भीतर प्रस्तावित कमी करने के विरूद्ध आपत्ति करने का अधिकार होगा।

66. The Registrar may direct a Central Co-operative Society desiring to reduce its share capital to issue a notice by registered post to every creditor who shall be entitled to object to the proposed reduction within one month from the date of the receipt of such notice.

67. यदि कोई लेनदार अंशपूंजी की प्रस्तावित कमी करने के लिए सहमति न दे तो निबन्धक, ऐसे लेनदार की सहमति के बिना काम चला सकता है, यदि केन्द्रीय सहकारी समिति ऐसे लेनदार के ऋण का भुगतान अथवा दावे की तुष्टि निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर कर दे।

67. If a creditor does not consent to the proposed reduction of the share capital, the Registrar may dispense with the consent of that creditor, in case the Central Co-operative Society secures payment of the debt of such creditor or satisfaction of the claim within the time specified by the Registrar.

68. यदि निबन्धक का ऐसी केन्द्रीय सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे लेनदार के सम्बन्ध में, जिसने कमी करने के विरूद्ध आपत्ति की हो यह समाधान हो गया हो कि या तो कमी करने के लिए उसकी सहमति ले ली गई है या जैसा कि ऊपर कहा गया है उसके ऋण या दावे का भुगतान हो चुका है या तुष्टि की जा चुकी है जैसा नियम 67 में प्राविधान है, तो वह (निबन्धक) ऐसी शर्तो पर कमी करने की स्वीकृति का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

68. The Registrar, if satisfied with respect to every creditor of such Central Co-operative Society, who has objected to the reduction, that either his consent to the reduction has been obtained or his debt or claim has been paid or satisfied as provided in Rule 67 may make an order approving the reduction of such terms and conditions as the Registrar may thinks fit.

69. किसी केन्द्रीय सहकारी समिति की अंशपूजी को कम करने का संकल्प उस दिनांक से प्रभावी होगा जब वह नियम 68 के अधीन निबन्धक द्वारा अनुमोदित कर लिया जाय।

69. The solution for the reduction of share capital of a Central Co-operative Society shall take effect from the date on which it is approved by the Registrar under Rule 68.

70. किसी सहकारी समिति में किसी सदस्य द्वारा धारित अंशों को, उसके द्वारा उस समिति से जिसका वह सदस्य हो भिन्न किसी व्यक्ति या निकाय से लिये गये किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में उसके द्वारा दृष्टिबन्धक नहीं रखा जायेगा।

70. Shares held by a member in a co-operative society shall not be hypothecated by him as a security for any loan taken by him from a person or body other than the society of which he is a member.

71. यदि धारा 72 के अधीन किसी सदस्य-समिति के समाप्ति करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जाय तो ऐसी समिति का अंश ऐसे देयों के सापेक्ष समायोजित कर दिया जायेगा जो समिति का अंश ऐसे देयों के सापेक्ष समायोजित कर दिया जायेगा जो समिति के ऊपर बकाया हो और शेष धनराशि, यदि कोई हो, समिति के नाम जमा कर दी जायेगी।

71. Where an order of winding up a member society passed under Section 72, has become final, the share of such society shall be adjusted against the dues which may be outstanding against the society and the balance, if any, shall be credited to the society.

72.(क) किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिसे,उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका अंश या हित अन्तरित किया जायेगा अथवा उसके मूल्य या नामांकन समिति द्वारा

उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा। ऐसा सदस्य ऐसे नामांकन को समय-समय पर रद्द कर सकता है या बदल सकता है।

(ख) जब कोई सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करे तो वह जहां व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप में प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या अन्तरित की जाने वाली धनराशि को विनिर्दिष्ट करेगा।

72 (a) A member of a co-operative society may mominate a person or persons to whom, in the event of his death, his share or interest in the capital of the society shall be transferred or the value thereof or any other money due to him from the society shall be paid. Such member may, from time to time, revoke or vary such nomination.

(b) If no dispute arises about the claim of the person who appears to the Committee of Management to be the heir or legal representative of the deceased member, the Committee of Management shall transfer the share or interest of the deceased member or pay the value of the share or interest and all other money due to the deceased member to such a person.

73.(क) किसी सदस्य द्वारा नियम 72 के अधीन नामांकन समिति द्वारा विहित प्रपत्र में घोषणा पर हस्ताक्षर करके या समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में विवरण देकर किया जायेगा। जब नामांकन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करके किया जाय, तो ऐसा घोषणा-पत्र सदस्य के जीवन काल में समिति के पास जमा कर दिया जायेगा। प्रत्येक दशा में नामांकन घोषणा-पत्र पर नामांकन करने वाले सदस्य का हस्ताक्षर होगा और उसे दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(ख) उपनियम (क) के अधीन किया गया नामांकन, उपनियम (क) में अधिलिखित रीति से किये किसी अन्य नामांकन द्वारा किया जा सकता है या बदला जा सकता है।

73. (a) A nomination under Rule 72, shall be made by a member by signing a declaration on the form prescribed by the society or by making a statement in any book kept for the purpose by the society. When a nomination is made by signing the declaration, such declaration shall be deposited with the society during the member's lifetime. In either case the nomination shall bear the signature of the member making nomination and shall be attested by two witnesses.

(b) The nomination made under Sub-rule (a) may be revoked or varied by any other nomination made in the manner laid down in Sub-rule (a).

74. धारा 24 के प्रयोजन के लिए नामित प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता और ऐसे नामांकन में कोई परिवर्तन या निरसन सहकारी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

74. The name and address of every person nominated for the purpose of Section 24 and any revocation or variation of such nomination shall be entered in the register kept by the co-operative ociety for the purpose.

75. (क) यदि किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य की नामित किये बिना मृत्यु हो जाय तो समिति, अपने कार्यालय में सार्वजनिक नोटिस लगाकर, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मृत सदस्य के उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि को उसके अंश या हित को प्रस्तावित अन्तरण अथवा अंश या हित के मूल्य का और मृत सदस्य को देय सभी अन्य धनराशियों का भुगतान करने के लिए दावे या आपत्तियां आमंत्रित करेगी।

(ख) यदि उस व्यक्ति के जो प्रबन्ध समिति को मृत सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, दावे के बारे में कोई विवाद न उठे तो प्रबन्ध समिति ऐसे व्यक्ति को मृत सदस्य का अंश या हित संक्रमित कर देगी अथवा अंश या हित का मूल्य और मृत सदस्य की देय सभी अन्य धनराशियों का भुगतान करेगी।

(ग) यदि उपनियम ''क'' में उल्लिखित नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा प्रस्तुत न किया जाय तो समिति धनराशि को तब तक अपने पास रखेगी जब तक कि दावे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के लिए परिसीमा अधिनियम (लिमिटेशन ऐक्ट), 1963 के अधीन अवधि समाप्त न हो जाय, उक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् समिति धनराशि को अंश अन्तरण निधि और ऐसी निधि के न होने पर, रक्षित निधि के नाम जमा कर देगी। अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भुगतान के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि किसी व्यक्ति के दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे कि वह मृत सदस्त का उत्तराधिकारी या विधि का प्रतिनिधि

है या नहीं तो समिति उत्पन्न हुए विवाद के तथ्य के बारे में दावेदारों को सूचित करेगी और सम्बद्ध पक्षों से धारा 24 के अनुसार विवाद निपटाने को कहेगी। यदि पक्ष समिति द्वारा उपर्युक्त सूचना के दिनांक से एक माह के भीतर अपना मामला निबन्धक को निर्दिष्ट न करे तो समिति स्वयं उक्त मामला निबन्धक को निर्दिष्ट करेगी और निबन्धक धारा 71 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(ड) मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य या अन्य देय धनराशियों का भुगतान समिति द्वारा उसके उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति अथवा विधिक प्रतिनिधि को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति को ऐसे भुगतान की रसीद, जो समिति के सदस्यों में से दो साक्षियों के रूप में यथाविधि प्रमाणित की गई हो, प्राप्त न हो जाय।

75. (a) When a member of co-operative society dies without making a nomination, the society shall, by a public notice exhibited at the office of the society, invite, within the time specified in the notice, claims or objections for the proposed transfer of the share or interest of the deceased member or payment of the value of the share or interest and all other moneys due to the deceased member to his heir or legal representative.

(b) If no dispute arises about the claim of the person who appears to the Committee of Management shall transfer the share or interest of the deceased member or pay the value of the share or interest and all other money due to the deceased member to such a person.

(c) If no claim is perferred within the time specified in the notice mentioned in Sub-rule (a), the society shall continue to hold the amount until the expiry of the period of limitation provided under the Limitation Act, 1963, for any action in respect of the claim. After the expiry of the said period of limitation, the society shall credit the amount to the share transfer fund and in the absence of such a fund, to the reserve fund. No claim for payment shall be entertained after the expiry of the period of limitation.

(d) If any dispute arises about the claim of any person to be the heir or legal representative of the deceased member, the society shall inform the claimants about the facts of the dispute having risen and shall ask the parties to have the dispute settled in accordance with Section 24. In case the parties fail to refer their case to the Registrar within one month from the date of the aforesaid communication from the society, the society shall itself refer the matter to the Registrar and Registrar will take action in accordance with Sec. 71.

(e) No payment of the value of the share or interest or other moneys due to a deceased member shall be made to his heir or nominee or legal representative by the society unless the society obtains receipt of such payment duly attested by two withnesses from amongst the members of the society.

76. (क) किसी भी सहकारी समिति के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को अंशों का संक्रमण तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि–

(1) वह अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार न किया जाय;

(2) समिति को लिखित रूप में पूरे 30 दिन का नोटिस न दे दिया जाय जिसमें प्रस्तावित अन्तरिती का नाम उसकी सहमति और सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र, जहां आवश्यक हो, और अन्तरिती द्वारा भुगतान करने के लिए प्रस्तावित मूल्य इंगित हो;

(3) समिति को देय, अन्तरक के सभी दायित्व उन्मोचित न कर दिये जायें; और

(4) संक्रमण समिति की बहियों में पंजीकृत न कर लिया जाय।

(ख) इस प्रकार के अन्तरित अंश पर समिति के पक्ष में कोई प्रभार तब तक बना रहेगा जब तक कि वह अन्य प्रकार से उन्मोचित न कर दिया जाय।

76. (a) No transfer of shares by a member of a co-operative society to any person shall be effective unless-

(i) it is made in accordance with the provisions of the Act, Rules and the Bye-laws of the society;

(ii) a clear thirty days' notice in writing is given to the society indicating therein the name of the proposed transferee, his consent and application for membership, where necessary, and the value proposed to be paid by the transferee;

(iii) all liabilities of the transferer to the society are discharged; and

(iv) the transfer is registered in the society.

(b) any charge in favour of the society on the share so transferred will continue unless discharge otherwise.

77. (1) यदि सहकारी समिति का कोई सदस्य न रह जाय तो उसे या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि की, यथास्थिति, समिति का अंश पूंजी में उसके अंश या हित का दिया जाने वाला मूल्य, ऐसे सदस्य द्वारा समिति को

भुगतान की गई वास्तविक धनराशि के बराबर होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को सहकारी समिति द्वारा कोई अंश आवंटित किया जाय अथवा सहकारी समिति के सदस्य द्वारा कोई अंश अन्तरित किया जाय और ऐसा अन्तरण समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित किया जाय तो ऐसे आवंटित या अन्तरित अंश के सम्बन्ध में अपेक्षित भुगतान, अंश के अंकित मूल्य से अधिक न होगा।

77. (1) Where a member of a co-operative society ceases to be such member, the value of his share or interest in the share capital of the society to be paid to him or his nominee, heir or legal representative, as the case may be, shall be equal to the actual amount paid by the member to the society.

(2) Where a person is allotted a share by a co-operative society or where a share is transferred by a member of a co-operative society and such transfer is approved by the Committee of Management of the society, payment required to be made in respect of such allotted or transferred share shall not exceed the face calue of the share.

अध्याय–7
CHAPTER-VII
सहकारी समितियों के साधारण निकाय का गठन
CONSTITUTION OF GENERAL BODY OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

78. किसी सहकारी समिति के साधारण सदस्य –

(1) यदि ऐसे व्यक्ति हों जिनमें 80 और धारा 81 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पागल सदस्यों के अभिभावक और अव्यस्क सदस्यों के विधिक संरक्षक भी सम्मिलित हैं तो वे समिति के साधारण निकाय में या तो स्वयं या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे;

(2) यदि व्यक्ति से भिन्न हों तो समिति के साधारण निकाय में धारा 20 के खण्ड ''ख'' और ''ग'' के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे।

78. Ordinary members of a co-operative society shall-

(i) if individuals in cluding curators of lunatic members and legal guardians of minor members referred to in Soction 80 and Sub-section (2) of Section 81 be represented on the General Body of the society personally or through delegates in accordance with the provisions of the rules;

(ii) if other than individuals, be represented on the General Body of the society according to the provisions of Clauses (b) and (c) of Section 20.

79. सहकारी समिति का साधारण निकाय, कृषि त्राृण सहकारी समितियों को छोड़कर, निम्नलिखित स्थिति में गठित किया जायेगा–

(1) उसके सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा–

(क) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या –

(1) कम से कम 500 हो, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड ''ग'' से ''ज'' में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों ;

(ख) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या –

(1) कम से कम 51 हो , और

(2) कम से कम एक सहकारी समिति हो, और

(3) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड ''ग'' से ''ज'' में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति हों , और समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राजस्व जिले में हों;

(ग) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में –

(1) सहकारी समिति हो, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड ''ग'' से ''ज'' में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति हों और समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राजस्व जिले में हो।

(2) उस समस्त व्यक्ति विशेष सदस्यों और समिति के प्रतिनिधियों द्वारा –

(क) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में–

(1) 50 से अधिक व्यक्ति न हों, और

(2) कम से कम एक सहकारी समिति हो, और

(3) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड ''ग'' से ''ज'' में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो;

(ख) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में–

(1) 20 से अधिक व्यक्ति न हों, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड ''ग'' से ''ज'' में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति यदि कोई हों।

79. The General Body of the Co-operative Society excluding agriculture credit co-operative society, ashall in the following cases be constituted-

(1) by delegates of its members-

(a) where the society has as its members-

(i) at least 500 individuals, and

(ii) othsr persons referred to in Clauses (c) to (h) of Sub-section (1) of Section 17, if any.

(b) where the co-operative society has as its members-

(i) at lest 51 individuals, and

(ii) at least one co-operative society, and

(iii) other persons referred to in Clauses (c) to (h) of Sub-section(1) of Section 17, if any, and the area of operation of the society extends to more than one revenue district.

(c) where the co-operative society has as its members-

(i) co-operative society has as its members-

(ii) other persons referred to in Clauses (c) to (h) of Sub-section (1) of Section 17, if any, and the area of operation of he society extends to more than one revenue district.

(2) by all the individual members and by delegated of other members of tje spcoetu-

(a) where the co-operative society has as its members-

(i) not more than 50 individuals, and

(ii) at least one co-operative society, and

(iii) other persons referred to in Clauses (c) to (h) of Sub-section (1) of Section 17, if any.

(b) where the co-operative society has as its members-

(i) not more than 20 individuals.

(ii) other persons referred to in Clauses (c) to (h) of Sub-section (1) of Section 17, if any.

Explanation- The term "members" used in this rule shall include an ordinary member but shall not include an associate member.

80. जहां कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो वहां पूर्ववर्ती समिति नियम 81 में निर्दिष्ट समितियों के सिवाय पश्चातवर्ती समिति के साधारण निकाय प्रतिनिधियों के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक या अधिक व्यक्तियों को, जैसा कि सम्बद्धकारी समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाय, नियुक्त कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति तक तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पूर्ववर्ती समिति के साधारण निकाय का सदस्य न हो और उसमें नियमों और समिति की उपविधियों में प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित कोई अनर्हता न हो:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां पश्चातवर्ती सहकारी समिति प्रबन्ध समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां अथवा महिलाओं के लिए स्थानोंके आरक्षण की व्यवस्था करती है, वहां पूर्ववर्ती समिति पश्चातवर्ती समिति के साधारण निकाय में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में से कम से कम एक प्रतिनिधि, यथास्थिति, अनुसूचित जाति/जनजाति,

अन्य पिछड़ी जाति अथवा महिला में से नियुक्त करेगी।

80. Where a co-operative society is affiliated to any other society, the former amy except in the case of societies referred in Rule 81 appoint any one or more persons as may be specified in the Bye-laws of the affiliating society as delegated to represent in the general body of the latter society:

Provided that no person shall be appointed as delegate unless he is a member of the General Body of the former society and does not suffer from any of the disqualifications laid down for delegates in the Rules and the Bye-laws of the society:

Provided further that where the latter co-operative society provides for reservation of seats for SC/ST, OBC and women in the Committee of Management, the former society shall, out of the number o delegated to be appoionted to the General Body of the latter society, appoint at least one delegate from SC/ST, OBC and women, as the case may be.

81. निम्नलिखित समितियां निम्ननुसार प्रतिनिधि रख सकती हैं-

(क) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकती है:

1- प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति	.....	6
2- ब्लॉक यूनियन	.....	4
3- क्रय-विक्रय सहकारी समिति	.....	4
4- जिला सहकरी परिसंघ (फैडरेशन)	.....	2
5- जिला/थोक उपभोक्ता भण्डार	.....	2
6- कोई अन्य समिति	.....	2

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त 1 से 6 तक में प्रत्येक में कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, या अन्य पिछड़े वर्गो या महिलाओं में से होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

(ख) जिला सहकारी फैडरेशन अपने साधारण निकाय में निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकता है:-

1- क्रय-विक्रय सहकारी समिति
2- ब्लॉक यूनियम
3- प्रसंस्ककरण समिति
4- कोई अन्य समिति

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कम से कम एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

(ग) जिला थोक उपभोक्ता भण्डार अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से 3 प्रतिनिधि रख सकता है, परन्तु प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में प्रतिनिधियों में कम से कम एक महिला होगी।

(घ) क्रय-विक्रय या प्रसंस्करण समितियां अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकती है:

1- प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति	.....	6
2- कोई अन्य समिति	.....	2

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

(ङ) ब्लॉक यूनियन अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की संख्या के बराबर प्रतिनिधि रख सकती है।

(च) जिला दुग्ध सहकारी संघ अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति के चार-चार प्रतिनिधि रख सकता है:
प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

(छ) शीर्ष दुग्ध सहकारी संघ अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य जिला दुग्ध सहकारी संघ से दो–दो प्रतिनिधि रख सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

(ज) खण्ड ''क'' से ''छ'' के अन्तर्गत न आने वाली सहकारी समिति, प्रत्येक सदस्य समिति से, समिति की उपविधियों के अनुसार, प्रतिनिधि रख सकती है और समिति की उपविधियों में कोई ऐसी व्यवस्था न होने पर, प्रतिनिधियें की संख्या निबन्धक के निर्देशानुसार होगी।

(झ) जहां किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों वहां अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी होगी जितनी समिति की उपविधियों में उपबन्धित की गई है और समिति की उपविधियों में ऐसा कोई उपबन्ध न होने पर, निबन्धक के निर्देशानुसार होगी।

(ञ) कोई भी सहकारी समिति, किसी दूसरी सहकारी समिति में, प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी यदि उस व्यक्ति में नियम 473 के किसी भी उपनियम ''क'', ''ख'', ''ग'', ''घ'', ''ङ'', ''च'', ''छ'', ''झ'', ''ञ'', ''ट'', ''ड'', ''ढ'', ''ण'', और ''त'' में निर्धारित कोई भी अनर्हता हो।

81. (a) The District/Central co-operative Bank may have following delegates in General Body:-

(i)	Primary Agricultural Credit Society	.....	Six
(ii)	Block Union	.....	Four
(iii)	Marketing Society	.....	Four
(iv)	District Co-operative Federation	.....	Two
(v)	District Wholesale Consumer Store	.....	Two
(vi)	Any other Society	.....	Two

Provided that in (i) to (vi) above at least one delegate each shall be from Scheduled Caste/ Scheduled Triber, other backwards classes and women in rotation.

(b) The District Co-operative Federation amy have delegates in the General Body as follows:-

(i)	Marketing Society	.....	Four
(ii)	Block Union	.....	Two
(iii)	Processing Society	.....	Two
(iv)	Any other Society	.....	Two

Provided that at least one delegate each shall be from Scheduled Caste/Scheduled Tribes, other backwards classes and women in rotation.

(c) The District Wholesale Consumer Store may have three delegates from each member society in its General Body provided that in the case of primary consumer store at least one of the delegates is a woman.

(d) Marketing or Processing Societies may have delegates from each member society in their General Boady as follows:-

(i)	Primary Agricultural Credit Society	.....	Six
(ii)	Any other Society	.....	Two

Provided that one the delegated shall be a member belongings to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, other backwards classes and women in rotation.

(e) Block Unions amy have delegates in their General Body from each member of society equal to the number of Gram Sabhas falling in the area of operation of each member society.

(f) District Co-operative Milk Union / Federation may have 4 delegates in their General Body from each member societies :

Provided that one of the delegates shall be a member belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribes, other backwards classes and women in rotation.

(g) Apex Co-operative Milk Union/Federation may have 4 delegates in their General Body from each member District Co-operative Milk Unions / Federations :

Provided that one of the delegates shall be a member belongng to Scheduled Caste / Scheduled Tribes, other backwards classes and women in rotation.

(h) A Co-operative society not covered in clause (a) to (g) may have delegated from each member society in accordance with the bye-laws of the society and in the absence of such provisions in the Bye-laws of the society the number of delegates shall be in accordance with the direction of the Registrar.

(i) Where the Genral Body of a co-operaitve society consists of delegates of individual members the number of delegates of individual members shall be such as may provided in the Bye-laws of the society and in the absence of such provision in the Bye-laws of the society the number of delegates shall be in accordance with the direction of the Registrar.

(j) No co-operative society shall appoint any person as its delegate to represent the society in another co-operative society if the person suffers from any of the disqualifications laid down in any of the clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) and (p) of Sub-rule (1) of Rule 473

प्रतिनिधियों का निर्वाचन

ELECTION OF DELEGATES

82. (क) समितियां के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो समिति के निदेशक मण्डल के लिए निर्धारित है।

(ख) निबन्धक प्रत्येक क्षेत्र या निर्वाचित क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से निर्वाचित किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ऐसी रीति से अवधारित करेगा कि ऐसी समिति के जिसके 500 से अधिक व्यक्ति सदस्य हों, और जिसके साधारण निकाय में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों, साधारण निकाय में प्रबन्ध समिति के सदस्यों के 3 गुने या उसके सदस्यों के 10वें भाग के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिनिधि हो जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधियों की कुल संख्या, यदि सदस्यता 1500 या इससे कम हो तो, 50 से अधिक नहीं होगी, और अन्य मामले में 100 से अधिक नहीं होगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग को समिति में उनकी सदस्यता के आधार पर साधारण निकाय में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

82. (A) The process of election of delegates of societies shall be the same as that of election of member of Committtee of Management.

(B) The Registrar shall determine the number of delegates to be elected from each area or constituency or class of members in such manner that the society having more than 500 individual members shall have delegates to General Body three times the member of Committee of Management or one tenth of its members whichever in greater:

Provided that total number of delegates of General Body of such society shall not exceed 50 if the membership is 1500 or less and in other case not more than 100:

Provided further that every constituency, area or class of members shall be given representation in the General Body on the basis of their membership in the society.

83. कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति का पहले से ही प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रतिनिधि नहीं रह जायेगा यदि-

(1) वह नियम 81 के उप नियम (ञ) में निर्दिष्ट कोई अनर्हता अर्जित कर ले; या

(2) वह उस समिति का जिसका वह प्रतिनिधि हो सदस्य न रह जाय; या

(3) वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधि हो, उस समिति का जिसमें उसका प्रतिनिधित्व हो, सदस्य न रहा जाय, या

(4) वह उस समिति का सदस्य न रह गया हो जो ऐसी समिति का सदस्य था जिसने उसे किसी दूसरी सहकारी समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना हो; या

(5) वह उस पद पर न रह जाय जिसके कारण वह समिति की उपविधियों की शर्तों के अनुसार समिति का प्रतिनिधि था; या

(6) वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधि था, धारा 72 के अधीन समापित कर दी जाय; या

(7) वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के साथ सम्मिलित कर दी जाय; या

(8) वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो एक या अधिक समितियों में विभाजित कर दी जाय; या

(9) वह ऐसे प्रतिनिधि के पद से त्याग-पत्र दे दे। त्याग-पत्र अध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा तथा स्वीकार प्रबन्ध समिति करेगी; या

(10) वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो अपना कार्यकाल समाप्त होने पर निर्वाचन नहीं कराती है।

83. A person who is already a delegate of a co-operative society shall cease to be such delegate if--

(i) he incurs any disqualification referred to in Rule 81, sub-rule (j): or

(ii) he ceases to be a member of the society from which he is delegate; or

(iii) the society of which he is a delegate, ceases to be a member of the society in which he is represented; or

(iv) he ceases to be a member of the socicty which was a member of such society by which he was clected as a delegate to another co-operative society; or

(v) he ceases to hold the office by virtue of which he was a delegate of the society in terms of the bye-laws of the society; or

(vi) the society of which he was delegate is wound up under Section 72; or

(vii) the society he represents is amalgamated with any other co-operative society or societies; or

(viii) the society he represents is divided into two or more societies; or

(ix) he resigns his office as such delegate. The resignation letter will be addressed to the Chairman and will be accepted by the Committee of Management; or

(x) the society he represents fails to hold election on completion of its term.

84. यदि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य भंडारागार निगम, सोसायटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत या निगमित कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो वह समिति के साधारण निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से या साधारण निकाय, कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, यथास्थिति, संकल्प से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

84. Where the State Government, the Central Government, the State Warehousing Corporation, a society registered under the Societies Registration Act, 1860, a company or other body corporate registered or incorporated under any other law for the time being in force, is member of a co-operative society, it may appoint a person or persons as its delegate to represent it on the General Body of the society by an order of competent authority or by a resolution of the General Body, Executive Committee or any other competent authority, as the case may be.

85. कोई प्रतिनिधि जो एक बार किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय में निर्वाचित किया जाय, उस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि या तो वह निकाय, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित न कर दे, या वहनियम 83 में उल्लिखित कोई अनर्हता अर्जित न कर ले या उक्त पद धारण करने के लिए उस सहकारी समिति की जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो या जिसमें उसका प्रतिनिधित्व किया जाय, उपविधियों के उपबन्धों के आधार पर अपना अधिकार न खो दें।

85. A delegate once elected on the General Body of a co-operative society shall continue to hold that office until either the body he represents elects another delegate in his place or he incurs any of the disqualifications mentioned in Rule 83 or forfeits his right to hold that office by virtue of the provision of the bye-laws of the co-operative society which he represents or in which he is represented.

अध्याय-8
CHAPTER-VIII

बैठक

MEETINGS

86. प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार अपनी वार्षिक साधारण बैठक करेगी यह बैठक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और धारा 64 के अधीन उसके लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु प्रारम्भिक समिति की स्थिति में 30 नवम्बर तक और केन्द्रीय और शीर्ष समिति की स्थिति में 31 दिसम्बर तक की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी समिति को, यथास्थिति, 30 नवम्बर या 31 दिसम्बर के पश्चत् भी अपनी वार्षिक साधारण बैठक करने की अनुमति दे सकता है, और उन स्थिति में वार्षिक साधारण बैठक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी, लेकिन बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

86. Every co-operative society shall hold its Annual General Meeting once in every co-operative year. Such meeting shall be held, as soon as may be, after the annual returns have been submitted and its accounts have been audited under Section 64, but not later than 30th November in case of primary societies and not later than 31st December in case of Central and Apex Societies:

Provided that the Registrar may for reasons to be recorded, allow any society to hold its Annual General Meeting beyond November 30 or December 31, as the case may be, and in that case the Annual General Meeting shall be held within the period so extended but the extended period in any case shall not exceed more than one year.

87. यदि किसी सहकारी समिति की वर्षिक साधरण बैठक, उसके लेखों का परीक्षण होने के पूर्व, किसी वर्ष में नियम 86 के अधीन हो तो धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड ''ग'', ''घ'' और ''च'' में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक साधारण बैठक में विचार किया जायेगा।

87. Where the Annual General Meeting of a co-operative society has, in any year, been held under Rule 86 before its accounts have been audited, the consideration of the matters mentioned in Clauses (c), (d) and (f) of Sub-section (1) of Section 32 shall be taken up in the next Annual General Meeting of the society.

88. धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड ''घ'' के अधीन गत सहकारी वर्ष की लेखा-परीक्षा पर विचार करने के लिए साधारण बैठक के समक्ष, लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा में उल्लिखित मुख्य टिप्पणियों आपत्तियों और अभ्युक्तियों का एक संक्षिप्त विवरण रखा जायेगा, यह संक्षिप्त विवरण नियम 89 में उपबंधित रीति से तैयार किया जायेगा। समिति के साधारण निकाय के सदस्य, समिति के कार्यालय में और कार्य के घण्टों में कार्यसूची जारी कर दिये जाने के पश्चात् और वार्षिक साधारण बैठक होने के दिनांक तक सम्पूर्ण लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का निरीक्षण कर सकेंगे।

88. For the purpose of consideration of the audit report of the previous co-operative year under Clause (d) of Sub-section (1) of Section 32 the audit certificate shall be placed in the Annual General Meeting along with a summary of the main observations, objections and remarks in the audit report, summary of which shall be prepared in the manner provided under Rule 89. The complete audit report shall be open to inspection of the members of the General Body of the Society in the office of the society during working hours after issue of the agenda and til the date of the Annual General Meeting.

89. नियम 88 में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण, समिति के सचिव की सहायता से, समिति की प्रबन्ध समिति द्वार या यदि समिति की उपविधियों में ऐसा उपबंधित हो तो इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष समिति द्वारा तैयार किया जायेगा और उस दशा में वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष रखने के पूर्व संक्षिप्त विवरण की जांच और उसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

89. The summary of the audit report referred to in Rule 88 shall, with the assistance of the Secretary of the society, be prepared by the Committee of Management of society or where the Bye-laws of the society so provide by a special committee constituted for the purpose, in which case summary shall be examined and approved by the Committee of Management before it is placed before the Annual General Meeting.

90. नियम 88 या 89 में दी गई किसी बात से किसी सदस्य के किसी ऐसे सारवान विषय के बारे में जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण से छूट गया हो, साधारण निकाय का ध्यान आकर्षित करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

और साधारण निकाय लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की मांग कर सकती है और उस विषय पर चर्चा कर सकती है।

90. Nothing contained in Rules 88 and 89 shall prejudice the right of a member to draw the attention of the General Body to any material point which has been omitted from the summary of the audit report and the General Body may call for the audit report and discuss that particular issue.

91. किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति या कार्यकारी समिति की बैठक साधारणत: समिति के मुख्यालय में होगी। प्रबन्ध समिति की बैठक विशेष परिस्थितियों में उसी स्थान अथवा अन्यत्र भी की जा सकती है।

स्पष्टीकरण– पदावली ''कार्यकारी समिति'' का तात्पर्य प्रबन्ध समिति द्वारा गठित किसी भी समिति या उप समिति से है जिसे प्रबन्ध समिति के समस्त या कोई भी अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित हों।

91. A meeting of the General Body or of the Committee of Management or of he Executive Committee of a co-operative society shall be held only at the headquarters of the society, under special circumstances Meeting of Management Committee can be held at the same or other place.

Explanation - The term "executive committee" shall mean any committee or sub-committee constituted by the Committee of Management to which all or any of the powers or functions of the Committee of Management are delegated.

92. बैठक की सूचना अधिनियम, नियमों य समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार दी जायेगी।

92. Notice of a meeting shall be given in accordance with the provision of the Act, the Rules or the Bye-laws of the society.

93. (क) धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन होने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति सभी सम्बद्ध समितियों की साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि इस गणपूर्ति के अभाव में साधारण बैठक स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक, 1/5 की ही गणपर्ति से भी हो सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध समितियों की साधारण निकाय के सदस्यों को गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना दी गई हो।

(ख) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन होने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि बैठक ऐसी गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई हो तो, वह स्थगित बैठक 1/5 की कम की गई गणपूर्ति से की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना साधारण निकाय के सदस्यों को दी गई हो।

93. (a) The quorum for a meeting under Sub-section (4) of Section 15 shall be one-third of the total number of members of the General Body of all the co-operative societies concerned and where the general meeting is adjurned for want of such quorum, the adjourned meeting may be held with the reduced quorum of one-fifth only:
Provided that the members of the General Body of the concerned societies have been informed in writing of the fact of the reduced quorum.

(b) The quorum for a meeting under Sub-section (4) of Section 16 shall be one-third of the total number of members of the General Body and where meeting is adjoumed for want of such quorum, the adjourned meeting may be held with the reduced quorum of one-fifth only:
Provided that the members of the General Body may have been informed in wroting of the fact of the reduced quorum.

94. समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता इस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

94. The Chairman of the society or in his absence the Vice-chairman or in the absence of both, a member elected by the members present at the meeting shall preside over the meeting.
Provided that no person including the Chairman or Vice-chairman shall preside over a meeting when matters in which he has a presonal interest are to be discussed.

95. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जो कार्य का शीघ्र और सन्तोषजनक ढंग से निस्तारण करने में सहायक हो और व्यवस्था के सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में करेगा।

95. The person presiding at the meeting shall conduct the proceedings in such manner as may be conducive to expeditious and satisfactory disposal of business and shall decide all points of order at the meeting.

96. कोई भी साधारण बैठक या प्रबन्ध समिति की बैठक तब तक न होगी और न उसकी कार्यवाही आगे चलाई जायेगी जब तक कि अधिनियम, नियम या उपविधियों में निर्दिष्ट गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों।

96. No general meeting or meeting of the Committee of Management shall be held or proceeded with unless the members required to form a quorum as specified in the AQct, the Rules and Bye-laws are present.

97. यदि बैठक के लिए निश्चित समय के एक घन्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार स्थगित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सदस्यों या प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो और यदि बैठक के लिए निश्चित समय से डेढ़ घन्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो ऐसी बैठक स्थगित की जा सकती है।

97. If within one hour of the time appointed for the meeting, the quorum is not complete, the meeting may be adjourned in accordance with the provisions of bye-laws of the society :

Provided that if the meeting has been called on the requisition of the members or of the delegates and if the requisite quorum is not complete within one and half hour of the time appointed for the meeting, the meeting may be dissolved.

98. यदि नियम 26 या नियम 93 में निर्दिष्ट बैठक से भिन्न कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक ऐसी कम गणपूर्ति से भी की जा सकती है जो मूल गणपूर्ति के 50 प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि समिति की उपविधियों में निर्धारित किया गया हो।

98. When a meeting other than a meeting referred to in Rule 26 or Rule 93 has been adjourned for want of quorum, the adjourned meeting may be held with such reduced quorum not being less than fifty percent of the original quorum as may be laid down in bye- laws of the society.

99. बैठक में, विषयों पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जैसा कार्यसूची में उल्लिखित हो, जब तक कि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित सदस्यों के बहुमत से क्रम में परिवर्तन करने के लिए सहमत न हो।

99. In a meeting the subjects shall be taken up for consideration in the order as mentioned in the agenda unless the person presiding over the meeting agrees to change the order with the concurrence of the majority of the members present.

100. धारा 33 की उपधारा 2 के अधीन निबन्धक द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई गई असाधारण साधारण बैठकों के वे सभी अधिकार होंगे और वह उन्हीं नियमों के अधीन होगी, जो समिति की उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक की हो।

100. An extraordinary general meeting called by the Registrar or by any person duly authorized by him in this behalf under Sub-section (2) of Section 33, shall have all the powers and be subject to the same rules for a meeting called according to the bye-laws of the society.

101. किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में तब तक निश्चित किये जायेंगे जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ि को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

101. All matters before a meeting shall be decided in the form of resolution passed by a majority of votes of the members present unless a specific majority is required under the provisions of the Act. Rules or the Bye-laws of the society. In case of equality of votes, the person presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

102. किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद होने पर कोई भी सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। यदि मतदान की मांग की जाय तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संकल्प कर मतदान करा सकता है।

102. When the members present in a meeting are divided on any resolution, any member may demand voting. When voting is demanded, the person presiding over the meeting may put the resolution to vote.

103. जब तक कि नियमों या समिति की उपविधियों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो मतदान हाथ उठाकर किया जा सकता है।

103. Voting may be by show of hands unless otherwise specified in the rules, or the bye-laws of the society.

104. यदि कार्यसूची के सभी कार्य उसी दिनांक को जब बैठक हो, पूरे न किये जा सकें तो बैठक किसी अन्य दिनांक के लिए जो कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निश्चित किया जाय या इस नियमावली अथवा समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किया गया हो, स्थगित की जा सकती है।

104. If all the business on the agenda cannot be transacted on the date on which the meeting is held, the meeting may be postponed to any other date as may be decided by the members present in the meeting or as may be specified in these rules or the bye-laws of the society.

105. ऐसे सदस्य, जो धारा 33 की उपधारा 2 के अधीन या नियम 110 के अधीन बैठक बुलाने के लिए अधियाचन करें, उन उद्देश्यों का एक विवरण देंगे जिनके लिए वे बैठक बुलाने का अधियचन कर रहे हों।

105. Members requisitioning a meeting under sub-section (2) of Section 33 or under Rule 110, shall give a statement of the objects for which the meeting is being requisitioned by them.

106. प्रत्येक सहकारी समिति, जब निबन्धक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, निबन्धक को साधारण निकाय की और प्रबन्ध समिति साधारण बैठक के नोटिस और कार्यसूची की एक प्रति भेजेगी। समिति नोटिस में अपना पूरा नाम, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का दिनांक लिखेगी।

106. Every co-operative society shall send to the Registrar a copy of notice and agenda of the general meeting of the General Body and also of the Committee of Management, when so-required by the Registrar by general or special order. The society shall mention in the notice, its complete name, registration number and date of registration.

107. निबन्धक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सहकारी समिति की बैठक को, जो उसके कहने पर बुलाइ गई हो, कार्यसूची के किसी विषय पर विचार स्थगित करने का निर्देश दे सकता है। निबन्धक के ऐसे आदेश का उल्लंघन करके बैठक में लिया गया कोई निर्णय अवैध तथा अपवर्तनीय होगा।

107. The Registrar for reasons to be recorded, may direct the meeting of a co-operaitve society called at his instance to postpone the consideration of any item of the agenda. Any decision of the meeting taken in contravention of such a direction of he Registrar shall be invalid and inoperative.

108. सभी बैठकों के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित किए जायेंगे और कार्यवृत्तों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

108. The minuted of the proceedings of all meetings shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the minutes shall be signed by the person presiding at the meeting as well as by the Secretary of the society.

अध्याय–9
CHAPTER- IX
प्रबन्ध समिति
COMMITTEE OF MANAGEMENT

109. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में ऐसे अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति की उपविधियों में निर्धारित किये जायें।

109. The Committee of Management of a co-operative society shall have such powers and duties as may, subject to the provisions of the Act and the Rules, be laid down in the Bye-laws of the society.

110. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के कोई भी तीन सदस्य उक्त समिति की बैठक बुलाने के लिए अधियाचन कर सकते हैं।

110. Any three members of the Committee of Management of a co-operative society may requisition the meeting of the said committee.

111. किसी सहकारी समिति के कार्यकलापें के संचालन में प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह बुद्धिमानी और मेहनत से कार्य करेगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो तथा अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में चूक नहीं करेगा।

111. In the conduct of the affairs of a co-operative society every member of the Committee of Management shall exercise prudence and diligence of an ordinary man of business, shall not perform any act contrary to the provisions of the Act, Rules or the Bye-laws of the society and shall not default in the performance of the duties entrusted under the Act, the Rules or the Bye-laws of the society.

112. (क) किसी सहकारी समिति के किसी अधिकारी का, सिवाय समिति की उपविधियों द्वारा दी गई अनुज्ञा के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से-

(1) समिति के साथ की गई किसी संविदा में,

(2) समिति द्वारा बेची गई या खरीदी गई किसी सम्पत्ति में,

(3) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी के लिए, यदि अधिकारी स्वयं वैतनिक कर्मचारी हो, समिति द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था से भिन्न, सहकारी समिति के किसी व्यवहार में कोई हित नहीं होगा।

(ख) किसी सहकारी समिति का कोई वैतनिक अधिकारी सहकारी समिति के देयों की वसूली में सहकारी समिति के किसी सदस्य की बेची जाने वाली किसी सम्पत्ति को न तो खरीदेगा और न अपने परिवार के सदस्य को खरीदने की अनुज्ञा देगा।

112. (a) No officer of a co-operative society shall, except as permitted by the bye-laws of the society, have any interest, directly or indirectly-

(i) in any contract made with the society

(ii) in any property sold or purchased by the society

(iii) in any transaction of a co-operative society other than theprovision of residential accommodation by the society to any paid employee of the society, if the officer himself is a paid employee.

(b) No paid officer of a co-operative society shall purchase or allow any of his family members to purchase any property of a member of a co-operative society sold for the recovery of dues of the co-operative society.

113. (क) यदि कोई सरकारी सेवक, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कोई नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य हो तो वह समिति के किसी पदाधिकारी य किसी प्रतिनिधि के चुनाव एवं अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी मामले में मतदान नहीं करेगा।

(ख) यदि प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य बहुमत की राय से सहमत न हो तो वह बैठक की कार्यवाहियों में अपनी असहमति की टिप्पणी लिखने को कह सकता है और बैठक की अध्यक्षता करने वाल व्यक्ति उक्त असहमति को कार्यवाही में लिखवायेगा।

113. (a) Where a Government servant is a nominated or an ex officion member of the Committee of Management of a co-operative society, he shall not vote i the matter of election and no confidence motion of an office-bearer or a delegate of the society.

(b) Where a member of the Committee of Management differs with the opinion of the majority, he may ask for recording his note of dissent in the proceedings of the meeeting and such dissent shall be recorded in the proceeding by the person presiding over the meeting.

114. धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय की राय प्राप्त करने के लिए, निबन्धक समिति के साधारण निकाय की एक साधारण बैठक बुलायेगा और इस प्रयोजन के लिए वह साधारण निकाय के उन सदस्यों को एक नोटिस भेजेगा जिनके नाम उस समिति द्वारा सूचित किये गये हों। किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न होने से ऐसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

114. For the purpose of obtaining the opinion of the General Body of a co-operative society under Sub-section (1) of Section 35, the Registrar shall call an ordinary general meeting of the General Body of the society, for which purpose he shall issue a notice to the members of the General Body whose names have been intimated to him by the society or ascertained by him from the records. Non-receipt of the notice by any members shall not invalidate the proceedings of such meeting.

115. नियम 114 के अधीन साधारण निकाय की साधारण बैठक की अध्यक्षता निबन्धक करेगा और इस साधारण बैठक की कार्यवाही के अलग कागज पर लिखी जायेगी तथा वह उस पर हस्ताक्षर करेगा।

115. The ordinary meeting of the General Body called under Rule 114 shall be presided over by the Registrar and the proceedings of this meeting shall be recorded on a separate sheet of paper and signed by him.

116. इस नियमावाली में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियम 114 के अधीन किसी बैठक की गणपूर्ति साधारण निकाय के कुल सदस्यों के आधे से अधिक होगी और निबन्धक का प्रस्ताव तभी पारित मना जायेगा जबकि उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसे समर्थन मिला हो।

116. Notwithstanding anything contained in these rule, the quorum for a meeting uner Rule 114 shall be more than one-half of the total number of members of the General Body nad the proposal of the Registrar shall be considered to have been passed only if it has a majority support of two third members present.

117. यदि धारा 35 की उपधारा (3) या उपधार (4) के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त किया जाय तो वह अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन सभापति के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

117. Where an Administrator is appointed under Sub-section (3) or Sub-section (4) of Section 35, he shall exercise all the powers of the Chairman under the Act, Rules and the Bye-laws.

118. धारा 35 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासकों को देय पारिश्रमिक उतना होगा जितना निबन्धक, समय-समय पर अवधारित करे और वह समिति की निधियों से देय होगा।

118. The remuneration payable the Administrator or Administrators appointed under Sub-section (3) or Sub-section (4) of Section 35 nad shall be such as the Registrar may, form time to time, determine and the same shall be payable from the funds of the society.

119. धारा 35 की उपधार (3) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त समिति, प्रशासकों द्वारा सहकारी समिति का प्रबन्धन करने के सम्बन्ध में किया जाने वाला व्यय समिति की निधियों से देय होगा।

119. The expenses incurred in connection with the management of the co-operative society by the Committee, Administrator or Administrators appoined under Sub-section (3) or Sub-section (4) of Section 35, shall be payable from the funds of the society.

अध्याय-9 (क)
CHAPTER- IX (A)
प्रशासन समिति
COMMITTEE OF ADMINISTRATORS

120. किसी सहकारी समिति की प्रशासन समिति की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

120. A meeting of the Committee of administrators of a Co-operative Society shall be held only at the headquarters of the society.

121. यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक या सचिव, प्रशासन समिति की जिसे आगे इस अध्याय में ''समिति'' कहा गया है, बैठक बुलायेगा और वह ऐसी बैठक के नोटिस अधिनियम, नियमों या प्रबन्ध में उसके अधीन बनाई गई समिति की उपविधियां के उपबन्धों के अनुसार देगा।

121. The Managing Director or the Socretary, as the case may be, shall convene the meeting of the Committee of Administrators (hereinafter in this Chapter called the Committee) and the notice of such a meeting shall be given by him in accordance with the provisions of the Act, the Rules or the Bye-laws of the society made thereunder relating to the Committee of Management.

122. समिति के 3 सदस्य उक्त समिति की बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं।

122. Any three members of the Committee may requisition the meeting of the said Committee.

123. समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक से या 3 सदस्यों से, जो भी अधिक हो, होगी।

123. THe quorum for a meeting of the Committee shall be more than one half of the total number of members of the Committee, or three members, whichever is greater.

124. साधारणत: समिति की बैठक बुलाने के लिए 7 दिन का नोटिस आवश्यक होगा। किन्तु किसी आपातिक बैठक की स्थिति में 3 दिन का नोटिस पर्याप्त होगा।

124. Generally seven days notice shall be necessary for convening the meeting of the Committee but in case of an emergent meeting three days' notice shall be sufficient. In both the cases the agenda of the meeting shall be sent along with such notice.

125. समिति का सभापति या उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जब उसमें ऐसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाना हो, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

125. The Chairman of the Committee or in his absence a member, elected by the members present at the meeting shall preside over the meeting:

Provided that no person shall preside over or participate in a meeting when matters in which he has a personl interest are to be discussed.

126. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से करेगा जिससे कार्य के शीघ्र और सन्तोषजनक निस्तारण करने में सहायता मिल सके और बैठक में व्यवस्था संबंधी समस्त प्रश्नों को विनिश्चित करेगा।

126. The person presiding at the meeting shall conduct the proceedings in such a manner as may be conducive to expeditious and satis factory disposal of business and shall decide all points of order at the meeting.

127. समिति की तब तक न तो कोई बैठक की जायेगी और न उसमें कोई कार्यवाही की जायेगी, जब तक कि गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों।

127. No meeting of the Committee shall be held or proceeded with unless the members required to form a quorum are present,

128. गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक कम से कम 3 सदस्यों के भाग लेने से की जा सकती है।

128. When a meeting has been adjourned for want of quorum, the adjourned meeting may be held with the participation of not less than three members.

129. बैठक में विषयों पर विचार कार्यसूची में यथा उल्लिखित क्रम से किया जायेगा, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से क्रम में परिवर्तन के लिए सहमत न हो।

129. In the meeting, the subjects shall be taken up for consideration in the order as mentioned in the agenda unless the person presiding over the meeting agrees to change the order with the concurrence of the majority of the members present.

130. किसी बैठक में समस्त मामलों का विनिश्चिय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संकल्प के रूप में किया जायेगा।

130. All matters in a meeting shall be decided in the form of a resolution by a majority of votes of the members presnt.

131. बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

131. In case of equality of votes the person presiding over the meeting shall have a cecond or casting vote.

132. यदि समिति किसी संकल्प पर विभाजित हो जाय तो उस समिति का कोई प्रशासक, मतदान की मांग कर सकता है। मतदान

की मांग किये जाने पर बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संकल्प पर मतदान करवा सकता है और मतदान हाथ उठाकर किया जा सकता है।

132. If the Committee is divided on a resolution, any Administrtor of the said Committee may demand voting. When a voting is demanded the person presiding over the meeting may put the resolution to vote and the voting may be by show of hands.

133. यदि कार्यसूची के समस्त कारोबार पर उस दिन कार्यवाही पूर्ण न की जा सके तो बैठक ऐसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित की जा सकती है, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विनिश्चित किया जाये।

133. If all the business of the agenda cannot be transacted on the date on which meeting is held, the meeting may be postponed for any other day as may be decided by the members present in the meeting.

134. बैठक का नोटिस एवं कार्यसूची की एक प्रति जब निबन्धक साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षा करे, उसे भेजी जायेगी।

134. A copy of the noitce and the agenda of the meeting, when so required by the Registrar, by general or special order, shall be sent to the Registrar.

135. निबन्धक ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कार्यसूची की किसी मद पर विचार स्थगित करने के लिए समिति को निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देश का उल्लंघन करके बैठक में लिया गया कोई विनिश्चिय अप्रवर्तनीय और अवैध होगा।

135. The Registrar for reasons to be recorded may direct the Committee to postpone the consideration of any item of agenda, Any decision of the meeting taken in contravention of such a direction shall be invalid and inoperative.

136. बैठक का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा और उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के, यथास्थिति, प्रबन्ध निर्देशक य सचिव द्वारा हस्ताक्ज्ञर किये जायेंगे।

136. The minuted of the proceedings shall be recorded in a book to be kept for the purpose and shall be signed by the person presiding at the meeting as well as by the Managing Director or the Secretary, as the case may be, of the society.

137. समिति के सभापति या किसी सदस्य को कोई मनदेय नहीं दिया जायेगा।

137. No honorarium shall be paid to the Chairman or any member of the Committee.

138. समिति के किसी सदस्य को उसकी अपनी समिति से, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा। यात्रा और दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में इस नियमावली के नियम 407, 408, 409, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित समिति के सदस्यों पर लागू होंगे।

138. A member of the Committee shall get traveling allowance from his own society for attending the meeting of the Committee and Rules 407, 408 and 409 of the said rules shall mutatis mutandis apply to the members of the Committee in regard to the traveling and daily allowances.

139. समिति का प्रत्येक सदस्य किसी सहकारी समिति के कार्यकलाप के संचालन में साधारण व्यक्ति के विवेक और अध्यवसाय का उपयोग करेगा, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करेगा, और अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में चूक नहीं करेगा।

139. In the conduct of the affairs of a co-operative society every member of the Committee shall exercise prudence and diligence of an ordinary man of business, shall not perform any act contrary to the provisions of the Act, rules or the bye-laws of the society and shall not default in the performance of the duties entrusted under the Act. rules or the bye-laws of the society and shall not default in the persormance of the duties entrusted under and Act, the rules or the bye-lows of the society.

अध्याय-10
CHAPTER- X
सचिव
SECRETARY

140. (1) कोई भी सहकारी समिति किसी ऐसे व्यक्ति को अपन सचिव नियुक्त नहीं करेगी जो धारा 120 में निर्धारित अर्हताएं

न रखता हो या जो उस धारा की अपेक्षानुसार प्रतिभूमि, यदि कोई हो, जमा न करे। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति धारा 121 या 122 के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, यदि कोई हों, के अधीन होंगी।

(2) यदि सरकार ने-

(क) किसी सहकारी समिति को अंशपूंजी मे कम से कम एक लाख रुपये अभिदत्त किया हो; या

(ख) किसी सहकारी समिति को ऋण दिया हो या अग्रिम की धनराशि दी हो; या

(ग) किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर मूल धन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी हो; या

(घ) किसी सहकारी समिति के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज तथा ऋणों और अग्रिम धनराशि के भुगतान की प्रत्याभूति दी हो;

तो ऐसी सहकारी समिति के सचिव की नियुक्ति नियम 141 में की गई व्यवस्था के अनुसार निबन्धक के पूर्वानमोदन से की जायेगी।

140. (1) No co-operative society shall appoint any person as its Secretary who does not possess the qualifications laid down under Section 120, or who fails to furnish the security as may, if any, be required under that section. Every such appointment shall be subject to the Regulations, if any, framed under section 121 or 122

(2) Where the Government-

(a) has subscribed to the share capital of co-operative society to the extent of not less than one lakh rupees; or

(b) has given loans or made advances to a co-operative society; or

(c) has guaranteed the repayment of principal and the payment of interest on debentures issued by a co-operative society; or

(d) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest and loans and advances to a co-operative society;

the, the appointment of the Secretary of such a co-operative society shall be made subject to the prior approval of the Registrar, as provided in Rule 141.

141. (1) निबन्धक के अनुमोदन के लिए सचिव के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजते समय सहकारी समिति, चयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख निबन्धक को प्रस्तुत करेगी और किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को चुनने का कारण भी देगी।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसका नाम उपनियम (1) के अधीन समिति द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किया गया हो निबन्धक द्वारा अनुपयुक्त समझा जाय, तो वह अपनी आपत्तियां समिति को सूचित करेगा।

(3) उपनियम 2 के अधीन निबन्धक से आपत्तियां प्राप्त होने पर समिति उसकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उक्त मामले पर पुनर्विचार करेगी और प्रार्थियों में से ऐसे दूसरे नाम का, जो सबसे उपयुक्त समझा जाय, सुझाव देगी। ऐसा करते समय समिति ऐसे दो और व्यक्तियों का भी उल्लेख करेगी जो समिति की राय में सचिव नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त है।

(4) निबन्धक ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति काअनुमोदन कर सकता है जो समिति द्वारा सबसे उपयुक्त बताया गया हो और यदि वह उक्त अभ्यर्थी को अनुपयुक्त समझे, तो वह अन्य दो अभ्यर्थियों में से किसी एक का अनुमोदन कर सकता है और अपना अनुमोदन कारणों सहित समिति को सूचित करेगा।

(5) यदि प्रार्थियों की संख्या एक या दो से अधिक न हो, तो निबन्धक समिति से रिक्ति को पुनः अधिसूचित करने की अपेक्षा कर सकता है अथवा वह समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ, कोई अभ्यर्थी निबन्धक द्वारा तभी अनुपयुक्त समझा जायेगा, यदि-

(1) अभ्यर्थी धारा 120 के अधीन निर्धारित अथवा धारा 121 अथवा धारा 122 के अधीन बनाये गये विनियमों

अथवा नियमों एवं उपविधियों के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अर्हताओं की पूर्ति न करे, अथवा

(2) शिक्षा, अनुभव तथा अन्य सुसंगत अर्हताओं का विचार करके, प्रार्थियों में से कोई स्पष्टतया अच्छा अभ्यर्थी, निबन्धक की राय में, नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो।

141. (1) While sending to the Registrar of his appoval the proposal of appointment of any person as its Secretary, the co-operative society shall submit to the Registrar entire records relating to the selection and shall also give reasons for selecting a particular candidate.

(2) If the person whose name has been submitted by the society to the Registrar under Sub-rule (1) is considered by the Registrar as unsuitable, he shall intimate his objections to the society.

(3) On receipt of the objections from the Registrar under Sub-rule (2), the society shall, in the light of his objection, reconsider the matter and suggest out of the applicants another name, which is considered as most suitable. While doing so, the society shall also mention two more persons who in the opinion of he society are fit to be appointed as Secretary.

(4) The Registrar amy approve for appointment the candidate described as most suitable by the society and if he considers such a candidate as unsuitable, he may approve one of the other two candidates and intimate his approval to the society with reasons.

(5) When the number of applicants does not exceed one or two, the Registrar may require the society to notify the vacancy again or he may approve the candidate selected by the society, as he may consider proper.

Explanation - For the purpose of this rule, a candidate will be considered unsuitable by the Registrar only if-

(i) the candidate does not fulfil the qualification laid down under Section 120 or under the regulations framed under Section 121 or Section 122 or under any other provisions of the rules and the bye-laws, or

(ii) having regard to the education, experience or other relevant qualifications, and obviously better candidate out of the applicants in the opinion of the Registrar, is available for appointment.

142. नियम 140 तथा 141 के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई सहकारी समिति–

(1) निबन्धक या उसके माध्यम से राज्य सरकार से, समिति के सचिव का पद धारण करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर या नि:शुल्क अथवा अंशसदान के आधार पर, समिति को विनिर्दिष्ट अवधि हेतु देने के लिए अनुरोध कर सकती है;

(2) किसी केन्द्रीय/शीर्ष समिति से, उसके किसी कर्मचारी की सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सहकारी समिति में सचिव का पद धारण करने हेतु समिति को प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए अनुरोध कर सकती है।

142. Notwithstanding the provision of Rules 140 and 141, a co-operative society may request-

(i) the Registrar or the state Government through the Registrar to lend for a specific period to the society on deputation or free or on contribution basis the services of any Government servant to hold the office of the Secretary of the society;

(ii) any Central / Apex Society to place the services of any of its employees on deputation with the co-operative society to hold the office of Secretary in the society for specific period.

143. (1) नियम 141 या 142 के अधीन सचिव की नियुक्ति होने तक, समिति की प्रबन्ध समिति धारा 120 के उपबन्धों के और धारा 121 या 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी उपयुक्त व्यक्ति को स्थानापन्न सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त स्थानापन्न सचिव 6 माह से अनधिक अवधि के लिए या नियम 141 या 142 के अधीन सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

143. (1) Pending appointment of a Secretary under Rule 141 or 142, the Committee of Management of the society may, subject to the provisions of Section 129 and the regulations framed under Section 121 or 122,

appoint any suitable person as Officiating Secretary.

(2) The Officiating Secretary appointed under Sub-rule (1) shall hold office for a period not exceeding six months or until the appointment of a Secretary under Rule 141 or 142, whichever is earlier.

144. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति नियम 140 एवं 141 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव को सहायता देने के लिए धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, यदि इस प्रकार की नियुक्ति कार्यभार के इतना अधिक होने के कारण आवश्यक हो जाय कि सचिव अपने कृत्यों का सम्पदन और कर्तव्यों का पालन अकेले दक्षतापूर्वक करने में असमर्थ हो और समिति ऐसी नियुक्ति में होने वाले वित्तीय भार का वहन कर सके। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सचिव के नियंत्रण, मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

144. The Committee of Management of co-operative society may under Sub-section (3) of section 31, appoint subject to the provisions of Rules 140 and 141 one or more persons to assist the Secretary, if such appointment is necessitated by the workloand being so hervy that the Secretary alone is unable to perform his functions and discharge his duties efficiently and the society is able to bear the financial burden involved in such appointment. The person or persons so appointed shall work under the overall control, guidance and supervision of the Secretary.

145. किसी सहकारी समिति का सचिव समिति की प्रबन्ध समिति का न तो सदस्य होगा और न उसे मत देने का अधिकार होगा, भले ही वह नियमों या ऐसी समिति की उपविधियों के अधीन गठित समिति की किसी अन्य समिति या उप समिति का सदस्य हो, जहां ऐसी समिति या उप समिति में समिति के साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य हो।

145. The secretary of a co-operative society shall not be a member of the Committee of Management of the society and shall have no right to vote even if he is a member of any other committee or sub- committee constituted under the rules or bye-laws of the society, where such a committee or sub- committee includes a member of the General Body or of the Committee of Management of the society.

146. (1) यदि सहकारी समिति के सचिव की यह राय हो कि–

(क) समिति की प्रबन्ध समिति अथवा साधारण निकाय द्वारा पारित कोई संकल्प, अथवा

(ख) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश–

समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत न आता हो या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो और उस दशा में जब ऐसे संकल्प या आदेश को कार्यान्वित किये जाने से रोका न जाय, तो उक्त संकल्प के रद्द करने अथवा आदेश के निरसित करने का आदेश, जो अन्ततः धारा 126 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया जाय, निष्फल हो जायेगा–

सचिव–

(i) समिति के सभापति से तुरन्त यह लिखित अनुरोध करेगा कि वह उक्त मामले को निबन्धक के पास उसके निर्णय के लिए भेजे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति सचिव के अनुरोध करने के 3 दिन के भीतर निर्दिष्ट न करे, अथवा सचिव को ऐसा निर्दिष्ट करने के लिए लिखित निर्देश न दे, तो सचिव स्वयं उक्त मामले को निबन्धक के निर्णय के लिए भेज सकता है।

(ii) निबन्धक का निर्णय प्राप्त होने तक, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के कार्यान्वयन को तुरन्त रोक देगा, यदि सचिव का, उन कारणों पर जो अभिलिखित किये जायें, समाधान हो गया हो, कि इस प्रकार की कार्यवाही करना समिति के हित में आवश्यक है।

(2) निबन्धक, यथाशीघ्र किन्तु उपनियम (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उक्त मामले की जांच करेगा और यदि वह ऐसा निर्णय करे कि जो संकल्प या आदेश सचिव ने उसके पास दोबारा भेजा है वह–

(क) धारा 126 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं है तो वह संकल्प या आदेश को प्रभावी बनाने का निर्देश देगा और सचिव तद्नुसार कार्य करेगा।

(ख) धारा 126 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो वह धारा 126 के अधीन कार्यवाही होने तक, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के कार्यान्वयन को रोक रखने के लिए सचिव को निर्देश देगा और सचिव तद्नुसार कार्य करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व समिति से संकल्प या आदेश पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा।

(3) जहां निबन्धक द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना निर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से, 35 दिन के भीतर सचिव को प्राप्त न हो, तो सचिव, यथास्थिति संकल्प अथवा आदेश के कार्यान्वयन को और नहीं रोकेगा।

146. (1) Where the Secretary of co-operative society is of the opinion that-

(a) a resolution passed by the Committee of Management, or the General Body of the society; or

(b) any order passed by an officer of co-operative society-

is not covered by the objects of the society or is in contravention of the provision of the Act, the rules or the bye-laws of the society and that in case the implementation of such resolution or order is not stayed the order of annulment of the resolution or cancellation of the order which may eventually be made by the Registrar under section 126, will become infructuous- the secretary shall forthwith-

(i) move the Chairman of the society in writing to refer the matter to the Registrar for his decision:

Provided that where the Chairman fails within three days of the receipt of Secretary's request to make the reference to the Registrar or to direct, in writing, the Secretary to make such reference, the Secretary may himself refer the matter to the Registrar for decision;

(ii) pending reference to and receipt of the decision of the Registrar, withhold the implementation of the resolution or the order, as the case may be, where the Secretart is satisfied for reason to be recorded, that such a course is necessary in the interest of the society.

(2) The Registrar shall, as soon as may be, but not later than 30 days after receipt of the reference under Sub-rule (1) examine the matter and if he decides the resolution or order rereference to him by the Secretary-

(a) is not covered by the provisions of Scetion 126, he shall directthe resolution or order to become operative and the Secretary shall accordingly comply;

(b) is covered by the provisions of Section 126, he shall direct the Secretary to continue to withhold implementation of the resolution or order, as sthe case may be, pending action under Section 126 and the Secretary shall act accordingly :

Provided that before passing such order he Registrar shall require the Society to reconside such resolution or order, as the case may be.

(3) Where no intimation of the decision taken by the Registrar hs been received by the Secretay within 35 days of the date on which the reference was made, the Secretary shall not further withhold the implementation of the resolution or the order, as the case may be.

147. नियम 146 की किसी बात से निबन्धक के धारा 126 के अधीन स्वयं अपने आप कार्यवाही करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

147. Nothing contained in Rule 146 shall prejudice the right of the Registrar to take action under Section 126, *suo motu.*

148. किसी सहकारी समिति का सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिनियम, नियमों एवं समिति की उपविधियों के अन्तर्गत समिति की प्रबन्ध समिति के नियंत्रण में कार्य करेगा।

148. The Managing Director of the society in respect of the Act, Rules and the Bye-laws of the society shall work under the control of Managing Committee.

अध्याय-11

CHAPTER- XI

सहकारी समितियें को राजकीय सहायता

STATE AID TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

149. धारा 44 के अधीन धनराशि देने के प्रयोजनाथ, राज्य सरकार-

(क) ऐसी शर्तों एवं पंजीकरणों को निर्धारित कर सकती है जिसे वह उचित समझे, तथा

(ख) ऐसी सहकारी समितियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसमें अंश क्रय किये जायेंगे।

149. For the purpose of providing money under Section 44, the State Government may-

(a) lay down such terms and conditions as it may think fit, and

(b) specify the co-operative societies in which shares have to be purchased.

150. (क) किसी सहकारी समिति के प्रार्थना-पत्र पर और निधि उपलब्ध होने पर राज्य सरकार, प्रार्थी समिति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए धारा 55 के खण्ड (घ) के अधीन वित्तीय सहायता दे सकती है-

(1) समिति के सदस्यों द्वारा माल के उत्पादन का निस्तारण में सुविधा देना:

(2) समिति द्वारा हाथ में लिये गये कृषि या औद्योगिक कार्यों के संचालन और विकास हेतु:

(3) पूर्व ऋण का मोचन, समिति के सदस्यों द्वारा भूमि के क्रय और सुधार अथवा अपने सदस्यों के लाभ के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किसी परियोजना का निर्माण करना:

(4) समिति अथवा उसके सदस्यों द्वारा निवास गृहों का निर्माण;

(5) समिति द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार पहले उधार लिये गये धन का प्रतिदान करने;

(6) समिति के दक्षतापूर्ण प्रबन्ध के लिए कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति;

(7) ऐसी गाड़ियां, मशीनें तथा उपस्कर खरीदने के लिये जो समिति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो; और

(8) कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार उचित समझे और जिसकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाय।

(ख) उक्त निमय (क) के अधीन किसी सहकारी समिति को स्वीकृत वित्तीय सहायता ऐसी शर्तों और पंजीकरणों के अधीन होगी जो राज्य सरकार, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

150. (a) The State Government may on the application of a co-operative society and subject to the availability of funds provide financial assistance under Clause(d) of Section 55 to the applicant society for any one or more of the following purposes :-

(i) facilitating the production or disposal of goods by the members of the society;

(ii) conducting and developing agricultural or industrial activities undertaken by the society;

(iii) redemption of prior debts, purchase and improvement of land by the members of the society or construction of any project for providing irrigation, facilities for the benefit of its members;

(iv) construction of dwelling houses by the society or by its members;

(v) repayment of money previously borrowed by the society in accordance with its bye-laws;

(vi) maintenance of staff for efficient management of the society;

(vii) purchase of vehicles, machinery and equipment that may be necessary for carrying out the objects of the society; and

(viii) any other object which the State Government may deem proper and which is provided in the bye-laws of the society.

(b) The financial assistance granted to a co-operative society under sub-rule (a) shall be subject to such terms and conditions as the State Government may from time to time lay down by a genral ro special order.

151. अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन वित्तीय सहायता की मांग करने वाली सहकारी समिति एसेी सूचना देगी तथा ऐसी

विवरणियां प्रस्तुत करेगी और अन्य औपचारिकतायें पूरा करेगी जिनकी निबन्धक या सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

151. A co-operative society seeking financial assistance under Chapter VI of the Act shall furnish such information and submit such returns and complete such other formalities as the Registrar or the GOvernment may at any stage require.

152. राज्य सरकार किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की पूंजी में राज्य की भागीदारी की मात्रा अवधारित करेगी। साधारणतया यह अंश समिति की अभिदत्त अंशपूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सहकारी चीनी के कारखानों, कताई तथा बुनाई की मिलों, दुग्ध उत्पादन समितियों, ऐसी समितियों की यूनियन या ऐसी यूनियन के परिसंघ (फैडरेशन) तथा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) स्थापित करने वाली अथवा प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियां या ऐसी अन्य औद्योगिक कार्यकलाप आरम्भ करने वाली सहकारी समितियों की दशा में, जिनके लिए राज्य सरकार की राय में समिति की अंश पूंजी में राज्य द्वारा उदारता से भग लेना अपेक्षित है, यह अंश समिति की अभिदत्त अंश पूंजी का 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकता है।

152. The State Government shall determine the quantum of State participation in the capital of a co-operative society or class of co-operative societies. Ordinarily, it shall not be more than fifty per cent of the subscribed share capital of the society. It may be sixty per cent or more of the subscribed share capital of the society in case of co-operative sugar factories, spinning and weaving mills, milk producers societies, union of such societies or federation of such unions, and in co-operative societies setting up cold storage or undertaking processing activities or such other industrial activities which, in the opinion of the State Government, require liberal State participation in the share capital of the society.

अध्याय–12
CHAPTER- XII
सहकारी समितियों की सम्पत्तियां और निधियां
PROPERTIES AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

153. समिति के लाभांश और बोनस के भुगतान तथा उसकी निधियों में निर्दिष्ट करने के प्रयोजनार्थ बांटने योग्य लाभों के अवधारण हेतु किसी सहकारी समिति के शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित छोड़ दिया जायेगा–

(1) सभी ब्याज जो अतिदेय (ओवरड्यू) हों;

(2) सभी अर्जित ब्याज, किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो, देय न हों;

(3) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ की सीमा।

153. The following items shall be excluded from the net profits of a co-operative society for determining the distributable profits for purposes of payments of dividend, bonus and allocation to the funds of the society-

(i) all interest which is overdue;
(ii) all interest earned, but not due from members from whom interest is overdue;
(iii) commission or profit margin earned on such credit, sales recovery of which is overdue.

154. नियम 87 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शुद्ध लाभ का कोई भाग, बकाया ब्याज व अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्राविधानों को छोड़कर वार्षिक साधारण बैठक के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जायेगा।

154. Without prejudice to the provisions of Rule 87, no part of the net profits except provision for overdue interest and bad and doubtful loans shall be appropriated except with the approval of the Annual General Meeting.

155. (1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से सहकारी शिक्षा निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर निम्न प्रकार अंशदान करेगी:–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समिति– 1,000/–रु0 प्रति वर्ष

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक/नगरीय सहकारी बैंक– 15,000/– रुपये प्रति वर्ष;

(ग) अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियां– 7,000/– रुपये प्रति वर्ष;

(घ) उत्तरांचल रज्य सहकारी बैंक– 1,50,000/–रुपये प्रति वर्ष;

(ङ) उपर्युक्त ''घ'' से भिन्न अन्य शीर्ष समितियां- 40,000/- रुपये प्रति वर्ष:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर उसे अंशदान कराने से पूर्णतया या अंशत: छूट दे सकता है।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत अथवा अधिकतम 5,000/- रुपये उस वर्ग की शीर्ष समिति मे जिससे वह समिति सम्बन्धित है, सृजित शोध एवं विकास निधि में अंशदान करेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि उस वर्ग की शीर्ष समिति का अंशदान 10,000/- रु0 से कम न होगा और अन्य वर्ग या वर्गों की समितियां भी ऐसा अंशदान कर सकती है जैसा कि निबन्धक द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

155. (1) Every co-operative society shall out of its net profits contribute towards the Co-operative Education Fund within one month of the end of the financial year as follows:-

(a) Primary Co-operative Society Rs. 1,000 per annum;
(b) District/ Central Co-operative Bank/Urban Co-operative Bank Rs. 15,000 per annum;
(c) Other Central Co-operative Societies Rs. 7,000 per annum;
(d) Uttaranchal Co-operative Bank, Rs. 1,50,000 per annum;
(e) Apex Societies other than (d) above Rs. 40,000 per annum;

Provided that Registrar may remit fully or partially the contribution from any co-operative society on the ground of its bad financial condition.

(2) Every co-operative society shall out of its net profits contribute one percent or maximum Rs. 5,000/- to wards the Research and Development Fund created in the Apex Society of the class which that society belongs to:

Provided that the contribution of the Apex Society of that class shall not be less than Rs. 10,000 and other class or classes may also contribute such sum to the fund as determined by the Registrar from time to time.

156. (1) सहकारी शिक्षा निधि का प्रबन्ध नियम 160 में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से गठित उप समिति की सिफारिशों पर उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जायेगा:-

(i) प्रत्येक शीर्ष स्तर की सहकारी समिति का उस समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;
(ii) गन्ना आयुक्त, उद्योग निदेशक और दुग्ध आयुक्त में से प्रत्येक का एक-एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति;
(iii) जिला सहकारी बैंकों के सभापतियों में से निबन्धक द्वारा चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि;
(iv) सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 का प्रबन्ध निदेशक।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 का सभापति ही सहकारी शिक्षा निधि के प्रबन्धन हेतु गठित उप समिति का पदेन सभापति होगा।

156. (1) The Co-operative Education fund shall be administered by the Uttaranchal Co-operative Marketing Federation in accordance with the regulation referred to in Rule 160 and on the recommendation of a sub-committee constituted as follows :-

(i) one representative of each apex level co-operative society nominated by the Committee of Management of the society concerried;
(ii) one nominee of the Cane Commissioner, Milk Commissioner and Director of Industries;
(iii) one nominee nominated by Registrar from amongst the Chairmn's of District Co-operative Banks for one year by rotation;
(iv) Managing Director of Uttaranchal Co-operative Marketing Federation to act as Member-Convener,

(2) Chairman of Uttaranchal Co-operative Marketing Federation will be ex-officio Chairman of the sub-committee.

157. उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 सहकारी शिक्षा निधि के प्रशासन और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए विनियम

तैयार करेगी। यह विनियम निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होंगे।

157. The Uttaranchan Co-operative Marketing Federation shall prepare regulations for the administration of the Co-operative Efucation Fund and matters connected therewith. These regulations shall be subject to the approval of the Registrar.

158. सहकारी शिक्ष निधि में नाम से जमा की जाने वाली सभी धनराशि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक या सम्बद्ध जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में रखी जायेगी।

158. All sums to the credit of the Co-operative Education Fund shall be kept with the Uttaranchal State Co-operative Bank or in the account of Central Co-operative Banks of the district concerned.

159. सहकारी शिक्षा निधि में धारित सम्पूर्ण धनराशि नियम 157 में निर्दिष्ट विनियमों में की गई व्यवस्था के सिवाय न तो व्यय की जायेगी और न उसका उपयोग किया जायेगा।

159. No amount held in Co-operative education Fund shall be spent or utilized except as provided in the regulations referred to in Rule 157.

160. सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग निबन्धक की अनुमति से निम्नलिखित सभी या किसी एक प्रयोजन के लिए किया जा सकता है:-

(1) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इन्डिया को अंशदान;

(2) सहकारिता के सिद्धान्तों और व्यवहारों में सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा;

(3) सहकारी शिक्षा के प्रसारण के लिए;

(4) सहकारी शिक्षा के लिए सहकारिता सम्बन्धी पुस्तकों तथा अन्य साधनों को तैयार करना, उनकी रचना और प्रकाशन;

(5) धारा 122 के अधीन बनाये गये प्राधिकारी को अंश दान; और

(6) निबन्धक की अनुज्ञा से उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

160. The Co-operative Education Fund may be utilized with the permission of the Registrar for all or any of the following purposes :-

(i) contribution to National Co-operative Union of India;

(ii) education of members of co-operative societies is co-operative principles and practies;

(iii) propagation of co-operative education

(iv) preparation, production and publication of co-operative literature and other media of co-operative education;

(v) contribution to the authority formed under Section 122, and

(vi) with the permission of the Registrar, for any other purpose conducive to the attainment of the aforesaid objects.

161. शोध एवं विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित से भिन्न मदों पर सम्बन्धित वर्ग की शीर्ष सहकारी समिति द्वारा नहीं किया जायेगा:-

(1) सहकारी आन्दोलन के विकास य समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के विकास के लिए कोई शोध कार्य;

(2) सहकारी आन्दोलन के विकास या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के विकास के लिए कोई क्रियाकलाप;

(3) समितियों को शोध परामर्श प्रदान करने का प्रयास करना जिसमें अध्ययन, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(4) कोई अन्य ऐसा कार्य जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता या वृद्धि कर सकें।

161. The Research and Development Fund shall not be utilized by the concerned class of Apex Co-operative Society on items other than the following:-

(i) to do any research for the development of Co-operative. Movement or the development of any class or classes of societies;

(ii) to undertake any activity for the development of Co-operative. Movement or the development of any class or classes of societies;

(iii) to endeavor to provide the research consultancy inducing studies if any, to the societies;

(iv) any other such work which may help or promote in achieving the objects.

162. शोध और विकास निधि के प्रयोजन के लिए नियम 156, 157, 158, 159, 164 और 165 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, मानों वे अनन्य रूप से शोध और विकास निधि के लिए तात्पर्यित हों।

162. For the purpose of Research and Development Fund, the provisions of Rules 156, 157, 158, 159, 164 and 165 shall mutats mutandis apply as if they were meant exclusively for the Research and Development Fund itself.

163. सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग, यथासम्भव सहकारी वर्ष की सभी तिमाही में समान रूप से किया जायेगा।

163. Utilization of the Co-operative Education Fund shall, as far as possible, be uniformly spread over all the quarters of a co-operative year.

164. सहकारी शिक्षा निधि का वार्षिक बजट इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि कुल व्यय उक्त सहकारी वर्ष में जिसमें निधि पहले स्थापित की गयी हो, अनुमानित प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो और अनुवर्ती सहकारी वर्ष में देय पिछले 31 मार्च को शेष धनराशि के 50 प्रतिश से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के आयोजन जैसे असाधारण कारणों के लिए किसी विशष सहकारी वर्ष में व्यय, राज्य सरकार की अनुज्ञा से, पिछले 31 मार्च को शेष धनराशि के 85 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

164. The yearly budget of the Co-operative Education Fund shall be so prepared that the total expenditure shall not exceed fifty per cent of the estimated receipts during the co-operative year in which the Fund is first established and in any subsequent co-operative year, the expenditure shall not exceed fifty per cent of the amount in balance on 31st March last :

Provided that for extraordinary reasons like the holding of a national or interenationa level conferrence in Uttaranchal, the expenditure in any particular co-operative year may with the permission of the State Government, in crease up to eighty five per cent of the amount in balance on 31st March last.

165. सहकारी शिक्षा निधि के लेखों की परीक्षा धारा 64 में की गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी, मानों वे किसी सहकारी समिति के लेखे हों।

165. The accounts of the Co-operative Education Fund shall be audited as provided in Section 64, as if the accounts were of a co-operative society.

166. असीमित दायित्व वाली कोई सहकारी समिति किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को किसी सहकारी वर्ष के लिए अंश के सम्बन्ध में लाभांश का भुगतान केवल तभी कर सकती है जब ऐसे अंशों के सम्बन्ध में पहली किस्त के प्राप्त होने के दिनांक से दस वर्ष व्यतीत हो गये हों।

166. A co-operative society with unlimited liability may pay dividend on the share of a member or a past member in respect of a co-operative year only after the expiry of ten years from the date of receipt of the first instalment of such share.

167. सीमित दायित्व वाली कोई सहकारी समिति प्रथम सहकारी वर्ष के कार्य पर लाभांश देना शुरु कर सकती है। कोई भी लाभांश किसी ऐसे अंश पर, जो ऐसे सहकारी वर्ष की, जिसके सम्बन्ध में लाभ का वितरण किया जाना हो, समाप्ति पर कम से कम 6 माह तक रखा गया न हो, प्रदत्त धनराशि पर देय नहीं होगा। एक वर्ष से कम और 6 माह से अधिक समय तक धारित अंशों पर लाभांश केवल 6 माह के लिए देय होगा।

167. A co-operative society with limited liability may start paying dividend on the first co-operative year's working. No dividend shall be payable on the amount paid up on any share which has not been held for at least six months at the close of the co-operative year for which profits are being distrivuted. On shares held for a period of less than a year and more than six months, dividend shall be payable only for six months.

168. किसी सहकारी समिति द्वारा धारा 58 की उपधारा 1 के खण्ड क के अधीन अपने शुद्ध लाभ स रक्षित निधि और सहकारी शिक्षा निधि के धनराशि आवंटित करने के बाद, उक्त शुद्ध लाभों के शेष को उक्त धारा की उपधारा 2 के खण्ड (क),

(ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के उपयोग में लाया जा सकता है:

प्रबन्ध यह है कि यदि अनुमानित अशोध्य अथवा संदिग्ध ऋणों को पूरा करने के लिए अशोध्य ऋण निधि पर्याप्त न हो तो शुद्ध लाभों केक शेष को उपरोक्त के अनुसार केवल तभी उपयोग में लाया जा सकता है। जब अशोध्य ऋण निधि में ऐसी आवश्यक धनराशि का अन्तरण कर दिया गया हो जिससे वह धनराशि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों को पूर करने के लिए पर्याप्त हो जाये।

स्पष्टीकरण- ''अशोध्य ऋण निधि'' के अन्तर्गत ''अशोध्य ऋण आरक्षण'' भी सम्मिलित होगा।

168. After allocations to Reserve Fund and Co-operative Education Fund have been made by a co-operative society from its netprofits under Sub-section (1-A) of Section 58, the balance of the net profits may be utilized by it for all or any of the purposes mentioned in Clauses (a), (b), (c) and (d) of Sub-section (2) of that section:

Provided that where the Bad Debt Fund is not adequate to meet the estimated bad or Doubtfurl debts, the balance of the net profits may be utilized as aforesaid only afte the necessary amount has been contributed to the Bad Debt Fund to make it sufficient to meet the band and doubtful debts.

Explanation- "Bed Debt Fund" shall include "Bad Debt Reserves"

169. किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिसकी कोई अंश पूंजी न हो, निधियों का कोई भाग लाभांश के रूप में सदस्यों में विभाजित नहीं किया जायेगा।

169. No part of teh funds of a co-operative society not having share capital shall be divided amongst members as dividend.

170. (1) सहकारी समिति द्वारा सदस्यों में विभाजित लाभांश का तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक किसी ऋणदाता को समिति द्वारा देय किसी ऐसे दावे के सम्बन्ध में जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन किय गये निरीक्षण में साबित हो गया हो, समाधान न हो गया हो, अथवा

(2) यदि धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन जांच जारी हो अथवा पूरी हो गई हो और निबन्धक को यह निर्देश दिया गया हो कि आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई भी लाभांश नहीं दिया जायेगा, समिति द्वारा किसी लाभांश की ऐसी अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया जायेगा।

170. (1) No dividend shall be paid by a co-operative society as long as any claim due from the society to any creditor as established in an inspection conducted under sub-section (1) of Section 66 is pending satisfaction, or

(2) Where enquiry under Sub-section (1) of Section 65 is in progress or has been completed and the Registrar has directed that no dividend shall be paid during the period specified in the order no dividend shall be paid by the society during such period.

171. अंश प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के कारण नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन देय लाभांश के सम्बन्ध में किसी अंशधारी के दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

171. Non-issue of share certificate shall not prejudice the claim of a share-holder to dividend due under the provisions of the rules and the bye-laws.

172. यदि कोई सहकारी समिति अपने वित्तपोषक बैंक की उस सीमा तक बाकीदार (Defaulter) हो जो ऐसी समिति द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के 15 प्रतिशत से कम न हो ता उक्त समिति अपने शुद्ध लाभ के किसी भाग का उपयोग धारा 58 की धारा 2 के खण्ड (क) से (घ) तक के अधीन उस वित्तपोषक बैंक की साधारण या विशेष अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकेगी।

172. If a co-operative society is in default to its financing bank to the extentof not less than fifteen per cent of the loan held by the society from the bank, such society shall not utilize any part of its profits for any of the purposes mentioned in Clauses (a) to (d) of Sub-section (2) of Section 58 without the general or special permission of such financing bank.

173. कोई नगरीय सहकारी समिति ग्राम सुधार निधि में अंशदान नहीं करेगी।

173. An urban co-operative society shall not contribute towards Rural Improvement Fund.

174. वेतन या मजदूरी अर्जित करने वालों को किसी सहकारी ऋण तथा मितव्ययिता समिति को निबन्धक लिखित रूप में अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 10 प्रतिशत रक्षित निधि में अंशदान करने की अनुज्ञा दे सकता है, यदि समिति–

(1) अपने ऋण की ब्याज दर को उस सीमा तक कम करने के लिए तैयार हो जो निबन्धक को स्वीकार हो या जिसका उसने सुझाव दिया हो, और

(2) उसने धारा 40 के अधीन ऋणगृहीता सदस्यों से उनके वेतन से अपने देयों की वसूली के लिए सहमति प्राप्त कर ली हो, जैसा कि धारा 40 के अधीन उपबंधित है।

174. A co-operative credit and thrift society of salary or wage-earners may be permitted in writing by the Registrar to contribute to the Reserve Fund not less than ten percent of its net profits, if the society-

(i) is prepared to reduce its rate of interest on lending to the extent acceptable or suggested by the Registrar, and

(ii) has obtained agreements from the borrowing members for recovery of its dues from their salary as provided under Section 40.

175. धारा 58 की उपधारा 3 के अधीन निबन्धक का प्रार्थना–पत्र देने वाली किसी सहकारी समिति को–

(1) यदि उसके अधिकांश सदस्य ऐसे छात्र या प्रशिक्षार्थी हों जिनके सम्बन्ध में यह सम्भावना हो कि वे अपना अध्ययन या प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर समिति को छोड़ देंगे, निबन्धक, रक्षित निधि में आवंटन शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत तक कम करने और लाभांश की दर 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है और उन्हें धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी भी या सभी निधियों में अंशदान करने से छूट भी दी जा सकती है;

(2) यदि वह कृषि समिति हो तो उसे निबन्धक धारा 58 की उपधारा 3 के अधीन लाभांश के प्रतिशत का 20 प्रतिशत तक बढ़ाने और सहकारी शिक्षा निधि में अपने अंशदान को नियम 155 में उल्लिखित साधारण दर के दसवें भाग तक कम करने की अनुज्ञा दे सकता है;

(3) यदि वह किसी अन्य प्रकार की समिति हो तो उसे निबन्धक, जब तक कि इस नियमावली के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय न हो, रक्षित निधि में अपने अंशदान का 20 प्रतिशत तक कम करने और अपने लाभांश के प्रतिशत को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की, अनुज्ञा दे सकता है।

175. A co-operative society applying to the Registrar under Sub-section (3) of Section 58, may-

(i) if the majority of its members are students or trainees who are likely to leave the society on the completion of their studies or training, be permitted by the Registrar to reduce allocation to Reserve Fund to ten per cent of the net profit and to enhance rate of dividend to 20 per cent and pay also be exempted from contributing to any or all of the funds mentioned under Clause (c) or Sub-section (2) of Section 58;

(ii) if it is a farming society, be permitted by the Registrar under Sub-section (3) of Section 58, to enhance the percentage of dividend up to twenty per cent and reduce its contribution to "Co-operative Education Fund" upto one-tenth of the general rate mentioned in Rule 155;

(iii) if it is a society of any other kind, be permitted by the Registrar to reduce its contribution to reserve fund to twenty per cent and enhance its percentage of dividend to 20 per cent unless otherwise permissible under these rules.

176. निबन्धक किसी भी सहकारी समिति की धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा यदि समिति–

(1) असीमित दायित्व वाली हो;

(2) अन्तिम लेखा–परीक्षा वर्गीकरण में वर्ग ''ग'' के नीचे रखी गई है;

(3) उसका सदस्यों के प्रति अतिदेय हो;

(4) उसका संचालन बाहरी ऋण या असदस्यों की जमा धनराशि से हो रहा हो;

(5) प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक को वित्तीय वचनबद्धता से अनुन्मुक्त हो; और

(6) उसकी पर्याप्त रक्षित निधि हो या रक्षित निधि समिति के कारोबार के बाहर उचित रूप से न लगाई गई हो।

176. No request of any co-operative society made under Sub-section (3) of Section 58 shall be granted by the Registrar where the society-

(i) is of unlimited liability;

(ii) was placed below 'C' class in last audit classification;

(iii) has overdue against members;

(iv) is working with outside borrowing or non-members' deposits;

(v) has undischarged financial commitment o the date of application; and

(vi) has inadequate reserve fund or the reserve fund is not properly invested outside the business of the society.

177. निबन्धक धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अनुरोध करने वाली सहकारी समिति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त समिति उसे सम्बद्ध सहकारी वर्ष के सम्पूर्ण लाभ को बांटने का प्रस्ताव प्रस्तुत करे और वह अपने विवेक से समिति के अनुरोध को या तो स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधनों के साथ स्वीकार कर सकता है।

177. A co-operative society making request to the Registrar under Sub-section (3) of Section 58, may be required by him to submit for his approval the netire profit distribution proposal for the co-operative year concerned and he may in his discretion accept or reject or accept with modifications the request made by the society.

178. धारा 58 की उपधारा 3 के अधीन निबन्धक द्वारा दी गई अनुज्ञा उस सहकारी वर्ष के लिए होगी जिसके लिए स्वीकृति दी जाय।

178. The permission accorded by the Registrar under Sub-section (3) of Section 58, shall hold good for the particular co-operative year for which the sanction is accorded.

179. नियमों में की गई व्यवस्था को छोड़कर निबन्धक द्वारा धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन किसी समिति को कोई अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

179. Except as provided in these rules, no permission will be accorded by the Registrar to any society under Sub-section (3) of Section 58.

180. प्रत्येक सहकारी समिति, धारा 58 की उपधार 2 के खण्ड (ग) में उल्लिखित निधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा निधि सृजित करेगी और यदि समिति उपभोक्ता भण्डार हो या क्रय-विक्रय करती हो तो मूल्य अस्थिरता निधि भी सृजित की जायेगी।

180. Every co-operative society shall, in addition to the funds mentioned in Clause (c) of Sub-section (2) of Section 58, create the National Defence Fund and if the Society is a Consumer Store or is engaged in marketing business, "Price Fluctuation Fund" shall also be created.

181. निबन्धक द्वारा जारी किये गये किन्हीं अनुदेशों के अनुकूल रहते हुए-

(1) ऐसी सहकारी समिति, जिसका मुख्य कार्य माल का उत्पादन, क्रय-विक्रय का वितरण हो अथवा कतिपय सेवाओं की व्यवस्था करना हो, अपने सदस्यों को समिति के साथ उनके बिना कर्जो वाले व्यवहारों पर धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन बांटने के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ की आधी धनराशि तक बोनस बांट सकती है।

(2) सहकारी कृषि समिति धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन बांटने के लिए उपलब्ध अपने शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत तक बोनस अपने सदस्यों को समिति के लिए उनकी भूमि और श्रम के रूप में किये गये अंशदान के सम्बन्ध में दे सकती है, ऐसे अंशदान का मूल्य उपविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

181. Consistent with any instructions issued by the Registrar-

(i) a co-operative society, the principal business where of is production, marketing or distribution of goods or providing of certain services, may distribute bonus to its members of the extent of half of title net profits availlable for distribution under Sub-section (2) of Section 58 on their non-credit dealings with the society;

(ii) a co-operative farming society amy pay bonus to the extent of seventy-five per cent of its net profits available for distribution under Sub-section (2) of Section 58, to its members in respect of their land and

balour contribution made to the society. The valuation of such contribution shall he determined i accordance with the procedure laid down in the Bye-laws.

182. कोई भी लाभ, जो अधिनियम, नियमों और सहकारी समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट रीति से विनियोजित न किया गया हो, रक्षित निधि में जमा किया जायेगा।

182. Any profits not appropriated in the manner specified in the Act, the rules and the Bye-laws of a co-operative society shall be credited to the reserve fund of the society.

183. किसी असीमित दायित्व वाली सहकारी समित की रक्षित निधि का उपयोग तब तक समिति के कारोबार के लिए किया जा सकता है जब तक कि निबन्धक विशेष आदेश द्वारा उसे नियम 192 में उल्लिखित रीति से निवेश करने के लिए निर्देश न दे, ऐसी दशा में यह उस प्रकार निवेशित हो जायेगी।

183. The reserve fund in a co-operative society with unlimited liability may be utilized in the business of the society unless the Registrar by a special order directs it to be invested in the manner mentioned in Rule 192 in which case it shall be so invested.

184. किसी सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति की निधि, नियम 192 में उल्लिखित किसी एक या अधिक रीतियों से विनियोजित की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति की रक्षित निधि उसकी चालू पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाये तो अधिक धनराशि का उपयोग निबन्धक की स्वीकृति से समिति के कारोबार में किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब किसी सहकारी समिति को अपनी उपविधियों के अन्तर्गत अपने सदस्यों या किसी अन्य से उधार लेने का निषेध हो और उसका कोई बाहरी दायित्व न हो तो निबन्धक समिति को उसकी रक्षित निधि का 75 प्रतिशत तक उसके कारोबार में उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है।

184. The reserve fund in co-operative society with limited liability shall be invsted in one or more of the modes mentioned in Rule 192:

Provided that where the reserve fund of a co-operative society exceeds twenty per cent of its working capital, the excess may, with the sanction of the Registrar, be utilized in the business of the society:

Provided further, that when a co-operative society is prohibited by its bye-laws from borrowing either from its members or from others and has no out-side liability, the Registrar may permit the society to utilize up to seventy-five per cent of its reserve fund in its business.

185. सहकारी समिति, निबन्धक की अनुज्ञा से अपनी रक्षित निधि का विनिर्दिष्ट भाग निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निवेश कर सकती है:-

(1) भूमि और भवन का अर्जन या खरीदना और निम्नलिखित के लिए भवनों का निर्माण

(क) अपने कार्यालय, कर्मचारी वर्ग और उपस्कर

(ख) अपनी मशीनों या संयंत्र का अधिष्ठापन या परिचालन;

(2) ऐसी मशीनों या संयंत्र खरीदना जो उसे अपने मुख्य कारोबार को चलाने के लिए अपेक्षित हो; और

(3) खण्ड 1 (क) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए और अपनी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने सदस्यों के लाभ के लिए भी, यदि समिति सहकारी आवास समिति हो, भूमि और भवनों का अर्जन या खरीदना और भवनों का निर्माण करना।

185. A co-operative society may, with the permission of the Registrar, invest a specified portion of its reserve fund for any one or more of the following purposes :-

(i) Acquisition or purchase of land and building and construction of building for-

(a) its office, staff and exuipments,

(b) installation or operation of its machinery or plant;

(ii) Purchase of machinery or plant which is required for its main business; and

(iii) acquisition or purchase of land and building and construction of buildings for purposes mentioned in

Clause (i) (a), and also for the benefit of its mambers in accordance with the provisions of its Bye-laws, if the society is co-operative housing society.

186. किसी सहकारी समिति की रक्षित निधि का उपयोग, निबन्धक की स्वीकृति से निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है :-

(1) अनपेक्षित हानि को पूरा करने के लिये;

(2) समिति के ऋणदाताओं के ऐसे दावों को पूरा करने के लिए जो अन्यथा पूरे नहीं किये जा सकते हों; और

(3) विशेष अभाव में अन्य वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिये।

186. The reserve fund in a co-operative society may, with the sanction of the Registrar, be utilized for any one or more of the following purposes:-

(i) to meet unforeseen losses;

(ii) to meet duch claims of the creditors of the society as cannot be otherwise met; and

(iii) to provide for other financial needs at the time of special scarcity.

187. नियम 186 के अधीन रक्षित निधि का उपयोग इस शर्त के अधीन होगा कि निकाली गई किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुवर्ती सहकारी वर्ष या वर्षों में होने वाले लाभ से, जैसा निबन्धक द्वारा निर्देश दिया जाय, की जायेगी। किन्तु, निबन्धक समिति की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह अनुज्ञा दे सकता है कि नियम 186 के खण्ड (2) और (3) के अधीन उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निकाली गई और उपयोग की गई रक्षित निधि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति न की जाय जैसा कि निबन्धक निर्देश दे।

187. The utilization of the reserve fund under Rule 186 shall be subject to the condition that any amount drawn shall be reimbursed from the profits accruing in subsequent co-operative year or years as directoed by the Registrar. The Registrar may, however, having regard to the special circumstances of the society, permit that the reserve fund drawn and utilized for purposes metioned under Clauses (ii) and (iii) of Rule 186 may not be reimbursed wholly or partially as the Registrar may direct.

188. कोई भी सहकारी समिति जिसकी रक्षित निधि नियम 192 के उपबन्धों के अनुसार अलग से विनियोजित या जमा की गई हो, ऐसी निधि मे से पहले से प्राप्त की गई निबन्धक की स्वीकृति के बिना न तो कोई धनराशि निकालेगी, न गिरवी रखेगी और न ही किसी अन्य प्रकार से उसका उपयोग करेगी।

188. No co-operative society whose reserve fund has been separately invested or deposited in accordance with the provisions of Rule 192 shall draw upon, pledge or otherwise employ such fund except with the sanction of the Registrar previously obtained.

189. किसी सहकारी समिति की रक्षित निधि अविभाज्य होगी और कोई सदस्य उसमें किसी विनिर्दिष्ट अंश के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा:

प्रबन्ध यह है कि किसी समिति के दो या दो से अधिक समितियों में विभाजन होने की दशा में मूल समिति की रक्षित निधि धारा 16, 16 (क) एवं 16 (ख) के उपबन्धों के अधीन नई समितियों के बीच बांटी जायेगी, इस प्रकार बांटी गई धनराशि सम्बन्धित समिति की रक्षित निधि में रखी जायेगी।

189. The reserve fund of a co-operative society shall be indivisible and no member shall have any claim to a specified share in it:

Provided that in the case of splitting up of a society into two or more societies, the reserve fund of the parent society shall be distributed between the new societies under the provisions of Section 16, 16(A) and 16(B). The amounts so distributed shall be placed in the reserve fund of the society concerned.

190. (1) किसी सहकारी समिति के समापन की दशा में, समिति की रक्षित निधि और अन्य निधियों का उपयोग सबसे पहले निम्नलिखित मद 1 से 6 तक में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार, समिति के दायित्वों का उन्मोचन करने के लिए किया जायेगा:-

(i) समिति के कर्मचारियों के देय वेतन और मजदूरी या अन्य भुगतान, यदि कोई हो;

(ii) कर्मचारी वर्ग की प्रतिभूति, जमा यदि कोई हो:

(iii) सरकार या उसकी गारन्टी पर लिया गया उधार, यदि कोई हो;

(iv) असदस्यों के जमा, यदि कोई हों तो;

(v) ऋण, यदि कोई हो; और

(vi) सदस्यों के जमा, यदि कोई हों।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित दायित्वों का उन्मोचन करने के बाद, शेष यदि कोई हो, का प्रयोग अदत्त अंशपूजी के पुनर्भुगतान के लिये और तत्पश्चात ऐसे लाभांश के भुगतान के लिए किया जायेगा जहां इसका भुगतान न किया गया हो।

(3) उपनियम 2 में किसी बात के होते हुए भी किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि समिति की उपविधियों में लाभांश के भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

190. (1) In the case of winding up of a co-operative society, the reserve fund and the other funds of the society shall be applied first in discharge of the liabilities of the society in accordance with the prioity specified in items (i) to (vi) below:

(i) salary and wages or other payments, if any, due to the employees of the society;

(ii) security deposits of staff, if any;

(iii) borrowings held from Government or on the guarantee of Government, if any;

(iv) deposits of non-members, if any;

(v) loans, if any; and

(vi) deposits of members, if any

(2) The balance, if any, after discharging the liabilities mentioned in Sub-rule (1) shall be applied to the re-payment of the paid-up share capital and thereafter to the payment of dividend where it has not been paid.

(3) Notwithstanding anythings contained in Sub-rule (2), not dividend shall be paid if the Bye-laws of the society do not provide for payment of dividend.

191. (1) नियम 190 में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात यदि अधिशेष धनराशि हो तो उसका अनुप्रयोग राष्ट्रीय रक्षा निधि या ऐसे धमार्थ प्रयोजनों या ऐसे सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिए किया जायेगा जिन्हें प्रबन्ध समिति चुने और जिनका निबन्धक अनुमोदन करे। यदि निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध समिति ऐसे उद्देश्य अथवा प्रयोजन न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हों तो निबन्धक अधिशेष निधियों का उपयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा नियम 155 में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान देने के लिए कर सकता है।

(2) किसी वित्तपोषक बैंक के समापित किये जाने की दशा में, अधिशेष निधियां किसी ऐसे अन्य वित्तपोषक बैंक या बैंकों की रक्षित निधियों में अभ्यपिर्तत की जायेंगी जिनसे समाप्त किये जाने वाले वित्तपोषक बैंक के कार्यक्षेत्र में कार्यरत समितियां सम्बद्ध हों। किसी वित्तपोषक बैंक के न होने की दशा में, धनराशि उस क्षेत्र में नये वित्तपोषक बैंक के बन जाने तक शीर्ष सहकारी बैंक में जमा कर दी जायेगी और उस दशा में धनराशि नये वित्तपोषक बैंक की रक्षित निधि के नाम में जमा कर दी जायेगी।

191. (1) Any surplus remaining after payments mentioned in Rule 190 shall be applied for contribution to National Defence Fund or to such charitable purposes or local objects of public utility as may be selected by the Committee of Management and approved by the Registrar. If within the time specified by the Registrar the Committee of Management fails to make any selection of such purpose, which is approved by the Registrar, the Registrar may use the surplus funds either in contributing to National Defencee Fund or Co-operative Education Fund referred to in Rule 155.

(2) In the case of a financing bank being wound up, the surplus funds shall be assigned to the Reserve Fund of any other financing bank or banks to which the societies working in the area of operation of the financing bank which is being wound up, are affiliated. In he absence of any financing bank, the amount shall be deposited in the Apex Co-operative Bank until a new financing bank is formed in such area in which case the amount shall be credited to the reserve fund of the new financing bank.

अध्याय-13
CHAPTER- XIII
निधियों का विनियोजन
INVESTMENT OF FUNDS

192. (1) कोई भी सहकारी समिति अपनी निधियां निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित अथवा जमा कर सकती है:-

(i) धारा 59 के खण्ड क से ग में उपबंधित किसी भी प्रकार;

(ii) डाकघर बचत बैंक;

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कोई बचत योजना;

(iv) किसी ऐसे निगम या अन्य निगमित निकाय के अंश में जिसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा दोनों का मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक अंश हो; और

(v) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा चालू किये गये ऋण पत्रों में यदि ऐसे ऋण पत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा गारन्टी दी गई हो।

(2) कोई सहकारी समिति, किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समितियों के अंशों में अपनी रक्षित निधि के एक चौथाई से अधिक और निबन्धक की सामान्य अथवा विशेष अनुज्ञा से आधे से अधिक धनराशि निवेश नहीं करेगी।

(3) कोई सहकारी समिति, निबन्धक की अनुज्ञा से, ऐसे अखिल भारतीय स्वरूप की किसी सहकारी समिति का अंश खरीद सकती है, जिस पर बहु एकक सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1942 (मल्टी यूनिट को-ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट 1942) (अधिनियम सं0 6, सन 1942) अथवा अखिल भारतीय स्वरूप की सहकारी समितियों से सम्बद्ध कोई अन्य अधिनियम लागू होता है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक अनुज्ञा देने से तब तक इन्कार नहीं करेगा जब तक उसके लिए ऐसे विशेष कारण न हों, जिन्हें ऐसी अनुज्ञा के इन्कार करने पर अभिलिखित किया जायेगा।

(4) कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक का उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक विधिक दायित्वों के रूप में रखी जाने वाली धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि का विनियोजन लाभप्रद मदों में, जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि या ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिये गये मापदण्डों और शर्तो के अधीन होगा, कर सकता है।

192. (1) A Co-operative Society may invest or deposit its fund in any one or more of the following modes:-

(i) any mode provided in part (a) to (c) in Section 59;

(ii) post office savings bank;

(iii) any saving scheme lunched by Central or State Government;

(iv) the shares of corporation or other body corporate in which the Central or the State Government or both hold moer than fifty percent of the shares; and

(v) the debentures floated by a corporation or a body corporate, if such debentures are guaranteed by the Central or the State Government or by Reserve Bank of India.

(2) A Co-operative Society shall not invest more than one fourth and, with the general or special permission of the Registrar, more than half of its reserve fund in the shares of any other co- operative society or societies.

(3) A Co-operative Society may, with the permission of Registrar purchase shares of any co-operative society of all India character to which the Multi Unit Co-operative Societies Act; 1942 (Act No. 6 of 1942) or any other enactment pertaining to Co-operative Societies of all India character applies :

Provided that the Registrar shall not refuse permission unless there are special reasons which shall be recorded, to refuse such permission.

(4) Any Central Co-operative Bank or the Uttaranchal Co-operative Bank may invest the amount excluding the amount to be kept by way of legal liability in profitable items subject to the norms and couditions laid down by Reserve Bank of India or National Bank for Agriculture and Rural Development.

193. केन्द्रीय या शीर्ष सहकारी बैंक अपनी निधियां किसी ऋण न देने वाली समिति के अंशों में, सिवाय उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया/निबन्धक इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, विनियोजित नहीं करेगा।

193. A Central or Apex Co-operative Bank shall not invest its funds in the shares of a non-credit society except to such extent and subject to such conditions as the Reserve Bank of India/Registrar Co-operative Societies may specify in this behalf.

194. कोई भी सहकारी समिति, असीमित दायित्वों वाली किसी अन्य सहकारी समिति के अंश नहीं खरीदेगी।

194. No. co-operative society shall purchase shares in another co-operative society with unlimited liability.

195. कोई सहकारी समिति, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से, अपनी सम्पूर्ण निधि या उसका कोई भाग भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने अथवा किसी ऐसे भवन को जो उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक हो, खरीदने, उसका निर्माण करने, विस्तार करने या फिरे से बनाने के लिए विनियोजित कर सकती है। इस प्रकार विनियोगित धनराशि की प्रतिपूर्ति ऐसी शर्तों पर की जायेगी जो निबन्धक द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित की जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित पर लागू न होगा–

(क) (i) समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिए उसके द्वारा प्राप्त किसी डिक्री आदेश या अधिनिर्णय (अवॉर्ड) के निष्पादन में की गई किसी डिक्री में, समिति द्वारा; अथवा

(ii) किसी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिए, उस समिति द्वारा (जब वह वित्तपोषक बैंक की ऋणी हो) प्राप्त किसीह डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के निष्पादन मे की गई डिक्री में या ऐसी समिति के परिसमापक द्वारा या उसकी ओर से डिक्री में किसी वित्तपोषण बैंक द्वारा क्रय की गई अचल सम्पत्ति पर;

(ख) भूमि खरीदने या पट्टे पर देने अथवा किसी ऐसी समिति के भवन खरीदने, उसका निर्माण करने या उसे फिरे से बनाने पर, जिसकी उपविधियों के अनुसार उसके उद्देश्य में इस प्रकार खरीदना, पट्टे पर देना, निर्माण या फिर से बनाना भी है; या

(ग) किसी समिति की रक्षित निधि के विनियोजन पर, यदि ऐसा विनियोजन नियम 184 और 185 द्वारा नियंत्रित हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के अधीन निवेशित धनराशि की प्रतिपूर्ति आवश्यक न होगी यदि निवेश–

(i) किसी समिति द्वारा अपने लाभ से गठित अपनी भवन निधि से, या

(ii) किसी सहकारी आवास समिति द्वारा, किया जाय।

195. A Co-operative society may, with the previous sanction of the Registrar, invest the whole or any portion of its fund in the purchase or lease of land or in the purchase, construction, extension or remodeling of any building that may be necessary to conduct its business. The amount of the funds so invested shall be recouped on such terms as may be determined in each case by the Registrar:

Provided that this rule shall not apply-

(a) to immovable property purchased-

(i) by a society at a sale held in execution of a decree, order or a ward obtained by it, for the recovery of any sum due to it, or

(ii) by a financing bank at sale held in execution of a decree, order or award obtained by a society (such society being indebted to the financing bank) for recovery of any sum due to such society or at a sale by or on behalf of the liquidator of such society;

(b) to the purchase or lease of land or purchase, construction or remodeling of buildings of a society, whose objects according to its Bye-laws include such purchase, lease, construction or remodeling; or

(c) to the investment of the reserve fund of a society, such investment being governed by Rules 184 and 185:

Provided further that no recoupment of the amount invested under this rule shall be necessary when the investment is made-

(i) by a society from its building fund constituted out of its profits, or

(ii) by a co-operative housing society.

196. कोई भी सहकारी समिति, कोई मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अपनी निधियों का प्रयोग न करेगी जब तक–

(1) किसी समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय का संकल्प पारित न कर दिया जाय और ऐसा संकल्प साधारण निकाय की पूर्व प्राधिकृत के अनुसार हो, और

(2) इस प्रकार की खरीद के लिए निबन्धक से पूर्व अनुज्ञा न प्राप्त कर ली जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की अनुज्ञा किसी मोटर परिवहन सहकारी समिति की दशा में आवश्यक नहीं होगी यदि मोटर गाड़ी की अपने परिवहन सम्बन्धी कारोबार को चालू रखने के लिए आवश्यकता हो।

स्पष्टीकरण– मोटर गाड़ी का तात्पर्य मोटर वैहिकल्स एक्ट, 1939 (एक्ट सं0 4, 1939) में यथा परिभाषित शब्द मोटर वैहिकल्स से है।

196. No co-operative society shall use its funds in the purchase of a motor vehicle unless-

(i) a resolution to this effect has been passed by the Committee of Management of the society and such resolution is in accordance with prior authorization of the General Body, and

(ii) Prior permission for such purchase has been obtained from the Registrar:

Provided that such permission shall not be necessary in the case of a motor transport co-oerative society, where the motor vehicle is required for the purpose of carrying on its normal transport business.

Explanation- Motor Vehichle shall mean a Motor Vehicle as defined in the Motor Vehicles Act. 1939 (Act 4 of the 1939).

4 पेज मिस हैं जो मूल प्रति में भी नहीं हैं।

अध्याय–14
उधार लेने पर प्रतिबन्ध

197. किसी सहकारी समिति का अधिकतम दायित्व उसकी वार्षिक साधारण बैठक में निश्चित किया जायेगा, किन्तु वह उसकी स्वाधिकृत पूंजी के 15 गुना से अधिक नहीं होगा वह या तो (1) उस केन्द्रीय सहकारी समिति के, जिससे सहकारी समिति सम्बद्ध हो, और ऋणी हो, अनुमोदन के अधीन होगा, या (2) यदि सहकारी समिति किसी केन्द्रीय सहकारी समिति से सम्बद्ध न हो अथवा यदि सम्बद्ध हो किन्तु केन्द्रीय समिति की ऋणी न हो तो निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सहकारी समिति एक से अधिक केन्द्रीय समितियों से सम्बद्ध हो और उनकी ऋणी हो तो, उसे केन्द्रीय सहकारी समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा जिसकी उक्त सहकारीसमिति अत्यधिक ऋणी हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सहकारी समिति का अधिकतम दायित्व विशेष परिस्थितियों में निबन्धक की विशेष स्वीकृति से उपर्युक्त निश्चित सीमा से अधिक हो सकती है।

198. निबन्धक, समय–समय पर किसी सहकारीसमितिया सहकारी समितियों के किसी वर्ग के अधिकतम दायित्व को गणना करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकता है।

199. निबन्धक, किसी समय किसी सहकारी समिति के अधिकतम दायित्व को, उन कारणों से जिनकी सूचना वह समिति को देगा, कम कर सकता है और कम से कम 4 माह की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर समिति निबन्धक के आदेश का अनुपालन करेगी।

200. कोई सहकारी समिति, सदस्य या असदस्य के नियम 197 और 198 के अनुसार निश्चित अधिकतम दायित्व या नियम 199 के अधीन कम किये गये दायित्व से अधिक धन जमा नहीं करेगी और न ऋण लेगी।

201. निबन्धक की साधारण य विशेष अनुज्ञा के बिना कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी केन्द्रीय बैंक की साधारण सदस्य हो, उक्त बैंक से भिन्न किसी अन्य स्रोत से ऋण (जमा स्वीकार करने को छोड़कर) तब तक नहीं लेगी जब तक कि बैंक ने उक्त समिति को वित्तपोषित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त न कर दी हो।

202. किसी केन्द्रीय बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति निबन्धक की साधारण या विशेष स्वीकृति के बिना किसी चालू या बचत लेखों में धनराशि जमा नहीं करेगी।

203. बैंकिंग लॉज अप्लीकेशन टू कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्त, 1965 (एक्ट संख्या 23 1965) द्वारा यथासंशोधित बैंकिंग

रेगुलेशन एक्ट 1949 से नियंत्रित कोई सहकारी समिति उक्त अधिनियम अपेक्षानुसार न्यूनतम शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्तियां रखेगी।

204. नियम 203 में उल्लिखित किसी सहकारी समिति से भिन्न सभी सहकारी समितियां जो ऋण और जमा स्वीकार करें और नकद ऋण दें निम्नलिखित मापमान के अनुसार न्यूतम शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्तियां रखेंगी:-

(1) चालू जमा का (जिसके अन्तर्गत ऐसी याचना और सावधि जमा भी है जो परिपक्व हो किन्तु निकाली न गयी हो) 40 प्रतिशत;

(2) बचत बैंक जमा का 25 प्रतिशत;

(3) ऐसी सावधि जमा का 25 प्रतिशत जो अगले तीन माह में परिपक्व होने वाली हो और ऐसी सावधि जमा का साढ़े बारह प्रतिशत जो उनके आगे 3 माह में परिपक्व होने वाला हो (जिसके अन्तर्गत समितियों की रक्षित निधि जमा भी है); और

(4) नकद ऋण के न निकाले गये भाग का और संघटकों को स्वीकृत अधिविकर्षों (ओवर ड्राफ्ट) का 40 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर ऊपर नियत किये गये शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्ति के प्रतिशत में परिवर्तन कर सकता है।

205. नियम 204 के प्रयोजनों के लिए शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्ति (लिक्विड कवर) का तात्पर्य ऐसी परिसम्पत्तियों से है, जिन्हें नकदी में शीघ्र बदला जा सके और उसके अर्न्तत निम्नलिखित भी है:-

(i) हस्तगत रोकड़ और शेष जो अनुमोदित बैंक में चालू तथा बचत बैंक लेखे में हो;

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों के (जिनके अन्तर्गत डाक, नकद प्रमाण-पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र भी है) अभार ग्रस्त भाग के बाजार मूल्य का 90 प्रतिशत;

(iii) औद्योगिक वित्त निगम के बन्ध पत्रों और अंशों के, न्यासी प्रतिभूतियों को तथा अनुमोदित बैंकों के पास सावधि जमा अभार ग्रस्त भाग के बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत;

(iv) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त नकद साख तथा अधिविकर्ष सीमा में से न निकाला गया भाग;

(v) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या किसी केन्द्रीय बैंक से आश्वासित नकद साख के न निकाले गये भाग का 50 प्रतिशत।

अध्याय-15
उधार देने पर प्रतिबन्ध

206. निबन्धक की अनुमति के बिना असीमित दायित्व वाली कोई भी सहकारी समिति अचल सम्पत्ति की, प्रतिभूति पर ऋण नहीं देगी।

207. सहकारी बैंक व्यक्तिगत सदस्यों को निम्नलिखित मामलों में ऋण दे सकता है:-

(1) सहकारी बैंक में यदि किसी अपने व्यक्तिगत सदस्य का चालू खाता हो तो, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उसे ऐसी शर्तों तथा निबनधनों के अधीन रहते हुए जो बैंक निर्धारित करें, छः मास से अनधिक अवधि के लिए अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) की अनुमति दी जा सकती है।

(2) यदि व्यक्तिगत सदस्य का सावधि या आवर्तक जमा खाता हो तो उसे जमा धनराशि की प्रतिभूति पर इस प्रकार धारित धनराशि के 90 प्रशित से अनधिक ऋण की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(3) कोई केन्द्रीय बैंक, धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह आरोपित करे, अपने असदस्य निक्षेपकों (जमा कटौतियां) को उनके निक्षेपों (जमा धनराशि) की प्रतिभूति पर ऋण दे सकता है।

(4) सहकारी बैंक अपने सदस्यों को जिनमें शासकीय निगम, स्वायत्तशासी संस्थायें, शासकीय विभाग तथा चीनी मिलें भी सम्मिलित होंगी, राज्य सरकार की गारन्टी पर, निबन्धक की अनुमति से नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ऋण दे सकेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऋण बैंक में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

208. (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 और जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 समय-सम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार आरोपित करे, कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए अलग-अलग नाम-मात्र के सदस्यों को ऋण दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे निबन्धन और शर्तों राज्य के निबन्धक या पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही वैध समझी जायेगी।

टिप्पणी- ''राज्य का निबन्धक'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निबन्धक से है।

(2) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक किसी निक्रिय या निश्चेष्ट सहकारी समिति के ऐसे सदस्यों को जो बाकीदार न हों, अल्पकालीन ऋण दे सकता है।

स्पष्टीकरण- (1) इस उपनियम में प्रयुक्त शब्द ''निश्चेष्ट'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो अपने पंजीकरण के छः मास के भीतर अपना कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहे।

(2) इस उपनियम में प्रयुक्त शब्द ''निक्रिय'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है-

(क) जहां साधारण सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के पंजीकरण के लिए धारा 6 में यथा उपबन्धित न्यूनतम से कम कर दी गई है; या

(ख) जहां निबन्धक की राय हो कि धारा 72 के अधीन समिति को समापित कर देना चाहिए; यो

(ग) जहां सहकारी समिति अपने उद्देश्यों का पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड ''घ'' की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

209. कोई भी सहकारी समिति निबन्धक की अनुज्ञा के बिना किसी असदस्य की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित बन्ध पत्र पर किसी सदस्य को ऋण न देगी।

210. प्रतिभूति की सहमति के बिना ऐसी अवधि, जिसके लिए किसी सहकारी समिति द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया हो, बढ़ाई नहीं जायेगी।

211. निबन्धक की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी केन्द्रीय बैंक सहकारी कृषि समितियों को दिये गये ऋणों पर अपने ब्याज की दर में कोई वृद्धि नहीं करेगा और न वह ऐसी समितियों से उधार लेने की अपनी औसत दर से 3 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज ही लेगा।

स्पष्टीकरण- ''उधार लेने की औसत दर'' का तात्पर्य ब्याज की उस दर से है जिसे कुल उधार को (अर्थात चालू लेखे में जमा धनराशि के अतिरिक्त अन्य समस्त ऋणों तथा जमा जनराशियों) और पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष में ऐसे उधारों पर प्रोद्भूत कुल ब्याज को हिसाब में शामिल करने के पश्चात् निकाला गया हो।

212. अपने सदस्य को ऋण देने वाली सहकारी समिति एक सीमा निश्चित करेगी जिससे अधिक किसी सदस्य के विरुद्ध कोई ऋण बकाया नहीं रहेगा। इस प्रकर निश्चित सीमा, किसी ऐसी सहकारी समिति की दशा में, जो किसी केन्द्रीय बैंक से उधार लेने वाली सदस्य हो, सम्बद्ध केन्द्रीय बैंक के अनुमोदन के अधीन होगी और अन्य समितियें की दशा में वह निबन्धक के साधारण या विशेष आदेश के अनुमोदन के अधीन होगी।

213. किसी केन्द्रीय बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति अपने सदस्यों से ऋण पर उस अधिकतम दर से, जो निबन्धक द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाय, अधिक दर पर ब्याज नहीं लेगी।

214. बैंकिग लॉज (अप्लीकेशन टु कोआपरेटिव सोसाइटीज) एक्ट, 1965 (एक्ट सं0 23, 1965) द्वारा यथासंशोधित बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसी शर्तों और निबन्धकों के अधीन रहते हुए जो निबन्धक द्वारा तदर्थ आरोपित किये जायें, निबन्धक सीमित दायित्व वाली किसी सहकारी समिति को अपनी निधियों का अपने सदस्यों के एसे बिलों मितिकाटे पर भुगतान करने या फिर से मितिकाटे पर भुगतान करने में और उनके बिलों तथा रेलवे रसीदों को एकत्र करने में उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है।

215. (क) वेतन या मजदूरी अर्जित करने वालों की किसी सहकारी समिति की दशा में, समिति अपने किसी भी सदस्य को तब तक ऋण नहीं देगी, जब तक कि सदस्य धारा 40 की उपधारा (1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित न कर दे।

(ख) सहकारी समिति, सदस्य को ऋण दिये जाने के एक पखवारे के भीतर, सदस्य द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की एक यथाविधि प्रमाणित प्रति सम्बद्ध सेवायोजक या वेतन संवितरण अधिकारी को उक्त अनुबन्ध के अधीन कटौती करने के लिए भेज देगी।

216. कोई भी सहकारी समिति जिसके मुख्य उद्देश्य में अपने सदस्यों को ऋण या वित्तीय सहायता देना नहीं है, निबन्धक की विशेष स्वीकृति के बिना किसी सदस्य को न तो ऋण देगी और न नकद उधार स्वीकृत करेगी।

217. कोई भी सहकारी समिति सिवाय अधिनियम, नियम या समिति के उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार या जब निबन्धक के साधाराण या विशेष आदेश से ऐसे व्यवहार के लिए पूर्वानुमोदन ले लिया जाय, किसी अन्य सहकारी समिति को न तो ऋण, अग्रिम धनराशि या जमा देगी और न उससे ऋण, अग्रिम धनराशि या जमा लेगी। निबन्धक के अनुमोदन से जिला सहकारी बैंक अन्य जिला सहकारी बैकों/शीर्ष बैंक से ऋण एवं जमा प्राप्त कर सकेंगे।

218. सिवाय धारा 60 और 61 और नियमों में की गई व्यवस्था के, कोई भी सहकारी समिति, किसी असदस्य के साथ सिवाय समिति की उपविधियों के अधीन या निबन्धक की साधारण या विशेष अनुमति के अधीन, समिति के कारोबार के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नहीं करेगी।

अध्याय-16
अंशदायी भविष्य निधि

219. (1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति जिसकी सेवा में भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कर्मचारी, पूर्णकालिक मौलिक नियुक्ति में हो, धारा 63 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगी।

(2) उक्त अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी शर्तो द्वारा नियंत्रित होगी जो समिति की उपविधियों में अधिलिखित हो।

220. किसी सहकारी समिति की अंशदायी भविष्य निधि के नाम में जमा किये जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगे:-

(1) किसी कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर वह होगी जो भविष्य निधि अधिनियम के प्राविधानों द्वारा अवधारित की जायेगी;

(2) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में समिति के अंशदान की दर कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के बराबर होगी जो समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित की जायेगी:

प्रबन्ध यह है कि किसी भी दशा में समिति का अंशदान कर्मचारी के अंशदान से अधिक नहीं होगा।

221. अंशदायी भविष्य निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग-अलग सम्बन्धित कर्मचारी के लेखे में, पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उसके नाम में शेष धनराशि के अनुपात में जमा किया जायेगा।

222. अंशदायी भविष्य निधि निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से विनियोजित की जायेगी:-

(1) इण्डियन ट्रस्ट एक्त, 1882 (एक्ट संख्या 2, 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति में; या
(2) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में; या
(3) डाकघर बचत बैंक में; या
(4) केन्द्री सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी बचत योजना में; या
(5) आयकर अधिनियम की धाराओं के प्राविधानों के अनुसार।

अध्याय-17
लेखा - परीक्षा

223. समिति, धारा 64 के अधीन निबन्धक या लेखा-परीक्षा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जांच और सत्यापन के लिए, जैसे और जब अपेक्षित हो वार्षिक और अन्य विवरणियां, जिनके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की अशोध्य तथा संदिग्ध परिस्पत्तियां भी आती हैं, और सभी बहियों, संगत लेखों, दस्तावेजों, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी और अन्य सम्पत्तियां उपलब्ध करायेगी।

224. नियम 388 में निर्दिष्ट लेखों और विवरणियों के लेखा-परीक्षित विवरण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां लेखा-परीक्षक (1) प्रत्येक लेखा परीक्षित सहकारी समिति, (2) उसके वरिष्ठ अधिकारी या अधिकारियों, (3) निबन्धक और, यदि निबन्धक द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाय, तो उस केन्द्रीय समिति को जिससे उक्त लेखा परीक्षित समिति सम्बद्ध हो, को भी प्रस्तुत करेगा। लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का उल्लेख होगा:-

(क) प्रत्येक संव्यवहार, जो लेखा-परीक्षक की राय में, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो;

(ख) प्रत्येक धनराशि जिसे समिति के लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए किन्तु उसे दर्ज नहीं किया गया हो;

(ग) किसी धनराशि की कमी या हानि जो लेखा-परीक्षक की राय में समिति के किसी अधिकारी की किसी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हो;

(घ) समिति की कोई धनराशि या सम्पत्ति जिसे, लेखा-परीक्षक की राय में, किसी व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोजित किया गया हो अथवा कपटपूर्वक रोक कर रखा गया हो;

(ङ) समिति की कोई भी परिसम्पत्ति जो लेखा-परीक्षक की राय में अशोध्य या संदिग्ध हो,

(च) यह तथ्य कि क्या अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों द्वारा अपेक्षित सभी लेखा बहियां समिति द्वारा उचित प्रकार से रखी गई हैं या नहीं;

(छ) यह तथ्य कि क्या लेखा-परीक्षक द्वारा परीक्षित तुलन-पत्र या लाभ हानि का लेखा समिति द्वारा रखी गई लेखा बहियों तथा विवरणियों से मिलता है या नहीं;

(ज) व्यय में या समिति के देयों की वसूली में कोई सारवान अनौचित्य या अनियमितता;

(झ) समिति तथा उसके अधिकारियों के बीच व्यवहारों के परीक्षण का परिणाम;

(ञ) कोई अन्य विषय जो लेखा-परीक्षक की राय में समिति की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक हो।

(f) the fact whether all the books of accounts as required by the Act, the Rules or by the Bye-laws of the society have been properly kept by the society;

(g) the fact whether the balance-sheet and profit and loss account examined by the auditor are in agreement with the books of accounts and returns and maintained by the society;

(h) any material impropriety or irregularity in expenditure or in the realization of the dues to the society;

(i) the result of examination of the transaction between the society and the officers of the society;

(j) any other matter which in the opinion of the auditor is essential for the economic well-being of the society.

225. लेखा-परीक्षक-

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की दशा में;

(2) किसी ऐसी अन्य प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में जिसकी कार्यकारी पूंजी 50,000/- से अधिक न हो; और

(3) निबन्धक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सहकारी समितियों के मामले में (चाहे वह प्रारम्भिक हों या नहीं) इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षक के अधियाचन पर बुलायी गई सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध समिति की बैठक के समक्ष ऐसी आपत्तियां रखेगा, जिनका प्रबन्ध समिति द्वारा तत्काल समाधान किया जा सके या जो दूर की जा सके और ऐसी मदों के सामने प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन ऐसी आपत्ति का समाधान किये जाने या दूर किये जाने के सम्बन्ध में दर्ज करेगा। लेखा-परीक्षा टिप्पणी की शेष आपत्तियां लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज रहेंगी

और समिति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उनका यथोचित रूप से समाधान करने के लिए सूचित किया जायेगा।

225. The auditor shall, in the case of-

(i) a primary agricultural co-operative credit society;

(ii) any other primary co-operative society whose working capital does not exceed rupees fifty thousand; and

(iii) such other co-operative societies (whether primary or not) as may be specified by the Registrar in this behalf, place before the meeting of the Committee of Management of the society concerned to be summoned for the purpose on a requisition from the auditor such objections as can be readily complied with or removed by the Committee of Management, and shall record, against such items, compliance or removal of such objection effected under resolution of the Committee of Management. The rest of the objections of the audit note shall be retained in the audit report and communicated to the society for due compliance within specfied period.

226. (1) लेखा-परीक्षक, नियम 225 में निर्दिष्ट प्रारम्भिक सहकारी समितियों और ऐसी अन्य समितियों के मामले में जिन्हें निबन्धक इस निमित्त निर्दिष्ट करें, लेखों और व्यवहारों का सदस्यों से, विशेष रूप से उन सदस्यों से जो अशिक्षित हों, मौखिम रूप से सत्यापन करेगा और अपना सत्यापन सदस्य की पास-बुक और खाते में दर्ज करेगा और अपने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे सत्यापन का उल्लेख करेगा।

(2) लेखा-परीक्षक जिन सदस्यों का मौखिक रूप से सत्यापन करने की अपेक्षा करे, उन्हें उसके सम्मुख प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व साधारणतया समिति के सचिव का होगा। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई होने की दशा में लेखा-परीक्षक सभापति से और सभापति के उपलब्ध न होने की दशा में मौखित रूप से सत्यापन करने के निमित्त सदस्यों को प्रस्तुत करने के लिए उपसभापति से सम्पर्क कर सकेगा।

226. (1) The auditor shall, in the case of audit of primary co-operative societies referred to in Rule 225 and such other societies as the Registrar may specify in this behalf, also make oral verification of accounts and transaction from the members particularly from those members who are illiterate, and shall record his verification on the members pass-book and ledger accounts relating to such members and shall make a mention of such verification in his audit report.

(2) It shall ordinarily be the responsibility of the Secretary of the society to produce before the auditor such members as may be required by the auditor for oral verification. In the event of any difficulty in this regard, the auditor may approach the Chairman and in case the Chairman is not available, the Vice-chairman for producing the required members before the auditor for oral verification.

227. नियम 225 में उल्लिखित सहकारी समितियों से भिन्न सहकारी समितियों की दशा में, लेखा-परीक्षक, लेखा-परीक्षा के दौरान समय-समय पर समिति के सचिव का अनुपालन हेतु अन्तरिम आपत्तियां अथवा ऐसी आपत्ति में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने के लिए जारी करेगा। सचिव अनुपालन-प्रतिवेदन के साथ अन्तरिम आपत्ति पत्र को लेखा-परीक्षक को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर वापिस कर देगा। लेखा-परीक्षक अनुपालन प्रतिवेदन की संवीक्षा करेगा और ऐसी आपत्तियां निकाल देगा जिनका उसकी राय में सन्तोषजनक ढंग से अनुपालन कर दिया गया हो और शेष आपत्तियों को, यथा स्थिति, अन्तिम या नियतकालीन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करेगा।

227. With regard to the co-operative societies, other than those mentioned in Rule 225 he auditor shall issue from time to time, during audit, interim objections to the Secretary of the society for compliance or explaining the defects or irregularities pointed out in such objections. the Secretary shall return the interim objection sheets along with the compliance report to the auditor within the time specified by the suditor. The auditor shall review the compliance report and waive such objections which in his opinion periodical audit report, as the case may be.

228. यदि लेखा-परीक्षक यह समझे कि समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक या अन्य विवरणियों में कोई संशोधन किया जाना चाहिए, तो वह समिति को उसकी सूचना इस आशय से देगा कि समिति की बहियों में ऐसी प्रविष्टियां करके, जो आवश्यक हो, उन्हें चालू सहकारी वर्ष के लेखे में समाविष्ट किया जाये।

228. If the auditor considers that any amendment should be made in the annual or other returns prepared by the society, he shall bring the same to the notice of the society for being incorporated in the accounts of the

current co-operative year by making such entries in the books of the society as may be necessary.

229. यदि ऐसे संशोधन जिनका सुझाव नियम 228 के अधीन दिया गया है, समिति द्वारा लेखा-परीक्षा के दौरान समाविष्ट कर लिये जायें तो लेखा-परीक्षक लेखों तथा विवरणियों का ठीक होना प्रमाणित करेगा और तुलन-पत्र के साथ उक्त आशय का एक प्रमाण-पत्र इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संलग्न करेगा।

229. In case the amendments suggested under Rule 228 are incorporatred by the society during audit, the auditor shall certify the accounts and returns as correct, attaching to hte balance sheet an audit certificate to that defect in the form specified by the Registrar for the purpose.

230. यदि सहकारी समिति लेखा-परीक्षा पूरी होने के पूर्व ऐसे संशोधन हो, जिसका सुझाव नियम 228 क अधीन दिया गया है, समाविष्ट न करे, तो लेखा-परीक्षक, लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र में नियम 228 के अधीन अपने द्वारा सुझाये गये संशोधन का उल्लेख करेगा और उसके लिए, यदि आवश्यक हो, अलग से एक पृष्ठ लगाया जा सकता है।

230. In case the co-operative society fails to incorporate the amendments suggested under Rule 228, before the audit is complete, the auditors shall qualify the audit certificate by mentioning therein amendments suggested by him under Rule 228, for which purpose a separate sheet may be attached. if necessary.

231. यदि किसी सहकारी समिति में लेखा-परीक्षा के दौरान ऐसी गम्भीर अनियमिततायें पायी जायें जिनके कारण निधियों या स्टॉक का गबन या दुर्विनियोग का पता चले या होने का संदेह हो तो लेखा-परीक्षक, लेखा परीक्षा बन्द किये बिना, गुप्त रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारी को, यदि कोई हो, निबन्धक और समिति के सभापति तथा सचिव को भी सूचित करेगा। यदि सभापति या सचिव को ऐसी सूचना देने से आगे जांच करने पर या समिति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

231. Where during the course of audit of a co-operative society serious irregularities leading to embezzlement or misappropriation of funds, or stocks are detected or suspected the auditor shall, without discontinuing the audit inform confidentially his superior officer, if any, the Registrar and also the Chairman or the Secretary of the society, if such information to the Chairman or the Secretary is not likely to be prejudicial to further enquiries in the matter or to the interest of the society.

232. (1) कोई ऐसी सहकारी समिति, जिसकी लेखा-परीक्ष्ज्ञक द्वारा लेखा-परीक्षा की गई हो, उसे उस बैठक की जिसमें उसके लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार किया जाना हो, कार्यसूची सम्बन्धी नोटिस की एक प्रति भेजेगी, चाहे ऐसी बैठक प्रबन्ध समिति की हो या साधारण निकाय की।

(2) लेखा-परीक्षक स्वत: ऐसी बैठक में उपस्थित हो सकता है और जब निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो उपस्थित होगा और उसे अधिकार होगा कि ऐसी बैठक में समिति को लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में उसके द्वारा की गई किसी अभ्युक्ति तथा अपत्ति के सम्बन्ध में उसकी बात सुनी जाय।

132. (1) A co-operative society audited by the auditor shall send to him a copy of the agenda notice of the meeting in which his audit report is to be considered whether such meeting is of the Committee of Management or of the General Body.

(2) The auditor may on his own motion and shall, when required by the Registrar, attend such meeting and shall be entitled to be haeard at such meeting in respect of any of the observations and objections made by him in the audit report of the society.

233. लेखा-परीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् लेखा-परीक्षक यथाशीघ्र निबन्धक को गोपनीय आवरण में, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट गम्भीर अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और गबन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत करेगा।

233. A special report on serious irregularities. misapporpriation and embezzlements incorporated in the audit report shall be separately submitted by the auditor to the Registrar under confidential cover as expeditiously as possible after the completion of the audit.

234. जब तक कि निबन्धक द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाय, ऐसी सहकारी समिति जिसके सम्बन्ध में धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश अन्तिम हो चुका हो, वार्षिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त एक बार समापित किये जाने का आदेश जारी करने के पश्चात् और दुबारा समिति का पंजीकरण रद्द करने के पूर्व लेखा-परीक्षा की जायेगी।

234. Unless otherwise directed by the Registrar, a co-operative society in respect of which an order of winding up

under Section 72 has become final, shall in addition to the annual audit be audited once after the issue of the order for winding up and again before the cancellation of the registration of the society.

235. किसी अन्य नियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(क) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति अपने लेखों की नियतकालिक या अन्य आधार पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी शर्तो पर भुगतान सहित आन्तरिक लेखा–परीक्षा किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है जो निबन्धक के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की जाय;

(ख) राज्य सरकार या निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो किसी सहकारी समिति की विशेष लेखा–परीक्षा या पुन: लेखा–परीक्षा की जायेगी;

(ग) यदि और जब निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की चालू लेखा–परीक्षा की जायेगी।

235. Without prejudice to any other rule-

(a) the Committee of Management of a co-operative society may arrange to have its accounts internally audited on a periodical or other basis by such persons and on such term (including payment of fees) as may be prescribed or approved by the Registrar by general or special order;

(b) special audit or re-audit of accounts of a Co-operative society shall be conducted when so required by the State Government or by the Registrar;

(c) running audit of a co-operative society or class of co-operative societies, shall be conducted, if and when required by the Registrar.

236. निबन्धक किसी सहकारी समिति की अधिलेखा–परीक्षा (सुपर ऑडिट) की भी व्यवस्था कर सकता है जिससे कि किसी लेखा–परीक्षक द्वारा की गई लेखा–परीक्षा की कोटि की जांच की जा सके।

236. The Registrar may also arrange for super audit of a co-operative society so as to check up the quality of audit conducted by an auditor.

237. निबन्धक समय–समय पर ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिसमें सहकारी समितियों के लेखा–परीक्षा वर्गीकरण के लिए स्तर निर्धारित करेगा। लेखा–परीक्षक प्रत्येक सहकारी वर्ग में ऐसे स्तर के अनुसार सहकारी समिति का वर्गीकरण करेगा और अपने द्वारा किये गये वर्गीकरण के लिए विस्तार से कारण देगा।

237. The Registrar shall, from time to time, issue instructions laying down the standards for audit classification of co-operative societies. The auditor shall, in each co-operative year, classify a co-operative society in accordance with such standards and mention detailed reasons for the classification made by him.

238. प्रत्येक सहकारी समिति ऐसी दर पर और ऐसे समय लेखा–परीक्षा शुल्क की देनदार होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जायेगा।

238. Every co-operative society shall be liable to pay audit fee at such rates and such terms as may be fixed by the State Government form time to time.

239. निबन्धक किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, समिति द्वारा या उसकी ओर से देय लेखा–परीक्षा शुल्क में पूर्णत: या आंशिक रूप से छूट दे सकता है।

239. The Registrar may on rhe request o a co-operative society and for reasons to be recorded remit wholly or partly the audit fee payable by or on behalf of the society.

240. किसी सहकारी समिति की लेखा–परीक्षा करने वाला व्यक्ति, लेखा–परीक्षा पूरी हो जाने पर समिति से प्रभार्य लेखा–परीक्षा शुल्क निर्धारित करेगा ऐसे निर्धारण से सम्बद्ध टिप्पणी लेखा–परीक्षा का भाग होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक ऋण समितियों के मामले में लेखा–परीक्षक ऐसी समितियों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के अन्त मे एक समेकित निर्धारण आदेश भी सम्बन्धित बैंक को भेजेगा और बैंक उनकी ओर से लेखा–परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेगा। सम्बन्धित समितियों से सूचना अथवा आपत्ति की सूचना पाने का लेखा

परीक्षा शुल्क जब तक अन्यथा व्यवस्था न हो, केन्द्रीय बैंक द्वारा इस प्रकार भुगतान किये जाने के बाद उसके द्वारा सम्बन्धित समितियों से वसूल किया जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सहकारी समिति का यह मत हो कि उसके विरुद्ध लेखा–परीक्षा शुल्क गलत ढंग से निर्धारित किया गया है तो वह उक्त निर्धारण टिप्पणी की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर निबन्धक को प्रत्यावेदन दे सकेगी। ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण होने तक, निबन्धक समिति से, उसके प्रत्यावेदन के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लेखा–परीक्षा शुल्क जमा करने की अपेक्षा कर सकता है, जिस पर समिति यह आपत्ति करते हुए कि उसके प्रतवेदन पर निर्णय दिये जाने के फलस्वरूप, जब ऐसी धनराशि का निर्धारण किया जायेगा, उसके वापिस पाने का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में उसका दावा बराबर बना रहेगा, उक्त लेखा–परीक्षा शुल्क जमा कर देगी।

240. The persons conducting the sudit of a co-operative society shall on completion of the audit, assess the audit fee chargeable from the society. The note of such assessment shall form part of the audit report:

Provided that in the case of primary credit societies, affiliated to a Central Bank, the auditor shall also send a consolidated assessment order at the end of each month in respect of such societies to the bank concerned and the bank may pay on their behalf audit fee. A after receiving an advice or "no objection' intimation from the societies concerned and the audit fees so paid by the Central Bank shall, unless otherwise provided in the rules, be rcoverable by the Central Bank from the society concerned:

Provided further that where a co-operative society is of he opinion that the audit fee has been wrongly assessed against it, the society may, within thirty days of the receipt of the note of assessment, make a representation to the Registrar. Pending disposal of such representation, the Registrar may require the society to deposit the audit fee, without prejudice to the result of its representation whereupon the society shall deposit the audit fee under protest subject to its right to claim refund or adjustment against subsequent assessment of such amount as may be due in consequence of the decision on its representation.

241. (क) निर्धारण टिप्पणी की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर सहकारी समिति, नियम 2040 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्थानीय कोषागार में या जिले के सहकारी केन्द्रीय बैंक में या जैसा भी निबन्धक निर्देश दे, देय लेखा–परीक्षा शुल्क जमा कर देगी।

(ख) यदि लेखा–परीक्षा शुल्क केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा यिा जाये या केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा नियम 240 के अधीन सम्बद्ध सहकारी समितिों की ओरे से अदा किया जाय तो लेखा–परीक्षा शुल्क की धनराशि केन्द्रीय बैंक में ''सहकारी समितियां, लेखा परीक्षा शुल्क सम्बन्धी लेखा'' के नाम से एक अलग खाते में जमा की जायेगी और इस खाते में जमा धनराशि निबन्धक के निर्देशों के अधीन स्थानीय कोषागार में जमा की जायेगी। ऐसा बैंक ''सहकारी समितियां, लेखा परीक्षा शुल्क सम्बन्धी लेखा'' नाम से पृथक खाता रखेगा जिसका परिचालन निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

241. (a) Within 60 days of the receipt of the note of the assessment, a co-operative society shall, without prejudice to the provisions of Rule 240, remit to the local treasury or to the Central Co-operative Bank of the district, as the Registrar may direct, the audit fee due from the society.

(b) Where th audit fee is remitted to the Central Co-operative Bank or is paid by th Central Co-operative Bank on behalf of affiliated Co-operative Credit Societies under Rule 240, the amount of audit fee shall be credited to a separate account in the Central Bank named as "Co-operative societies, audit fee accounts", and the amount at the credit of this account shall be remitted to the local treasury under instructions from the Registrar.

242. सहकारी समिति लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित दोषों को दूर करेगी और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर एक अनुपालन प्रतिवेदन निबन्धक का भेजेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति के अनुरोध करने पर 60 दिन की अवधि निबन्धक द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यदि निबन्धक का समिति के अनुपालन के सम्बन्ध में समाधान न हो तो वह समिति को अपने निर्देशों के अनुसार और आगे अनुपालन ऐसे समय के भीतर, जैसा वह निर्दिष्ट करे भेजने का निर्देश देगा, समिति तद्नुसार आगे अनुपालन करेगी और निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर उसे अनुपालन प्रतिवेदन भेजेगी।

242. A co-operative society shall remove the defects pointed out in the audit report and shall submit to the

Registrar a compliance report within 60 days from the date of receipt of the audit report by the Society. In special circumstances the period of 60 days may be extended by the Registrar on the request of the society. If the Registrar is not satisfied with the compliance made by the society, he shall direct the society to send further compliance on the lines so specified by the Registrar within such time as he may specify. The society shall make further compliance accordingly and shall submit compliance report to the Registrar within the time specified by him.

अध्याय–18
CHAPTER- XVIII
विवादों का निपटारा
SETTLEMENT OF DISPUTES

243. यदि धारा 70 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी समय से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो तो क्षुब्ध पक्ष निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत प्रपत्र पर, यदि कोई हो, निबन्धक का प्रार्थना–पत्र दे सकता है जिसमें वह विरुद्ध पक्ष या पक्ष के नाम तथा पते उल्लिखित करने के अतिरिक्त विवाद का सार और दावा उल्लिखित करेगा। यदि उक्त पक्ष विवाद को धारा 71 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना चाहे तो वह प्रार्थना–पत्र में मध्यस्थ मण्डल के लिए अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम भी उल्लिखित करेगा।

243. When a dispute relating to any matter referred to in Sub-section (1) of Section 70 arises, the aggrieved party shall, on the form, if any, prescribed for th purpose by the Registrar, apply to the Registrar stating the substance of the dispute and the claim, besides mentioning the name and address of the opposite party or parties. If the party desire the dispute to be decided by a Board of Arbitrators under Clause (c) of Sub-section (1) of section 71, if shall also mention in the application the name of its nominee for the Board of Arbitrators.

244. यदि नियम 243 में निर्दिष्ट प्रार्थना–पत्र से यह विदित हो कि प्रार्थी विवाद को मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना चाहता है तो निबन्धक प्रार्थना–पत्र में दिये गये पते या पतों पर विरोधी पक्षकार या पक्षों को रजिस्ट्री डाक से इस आशय का नोटिस देगा जिसमें सम्बद्ध पक्ष या पक्षों को नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ मण्डल के लिए नामित व्यक्ति का नाम सूचित करने के लिए कहा जायेगा।

स्पष्टीकरण– यदि एक से अधिक विरोधी पक्षकार हों तो उन सबसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे सब मिलकर मध्यस्थ मण्डल क लिए एक नामित व्यक्ति चुनें।

244. If the application referred to in Rule 243 discloses that the applicant desires the dispute to be decided by a Board of Arbitrators, the Registrar shall give a notice by registered post to the opposite party at the address or addresses given in the application, calling upon the said party or parties to intimate the name of one nominee on the Board of Arbitrators within 30 days from the date of receipt of the notice.

Explanation- If there are more than one opposite parties, all of them shall he required to make a common choice for one nominee to the Board of Arbitrators.

245. यदि नियम 244 में निर्दिष्ट नोटिस की अवधि के भीतर निबन्धक को विरोधी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा नामित व्यक्ति का नाम प्राप्त न हो या विरोधी पक्षकार अथवा किसी एक विरोधी पक्षकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हो कि विवाद का मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना वांछित नहीं है अथवा सब विरोधी पक्षकार एक व्यक्ति के नामांकन पर सहमत न हों तो निबन्धक या ता विवाद का निपटारा स्व्यं कर सकता है अथवा उसका निर्णय करने के लिए कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

245. If within the period of notice referred to in Rule 244, the Registrar does not receive the name of the nominee of the opposite party or parties or receives from the apposite party or any of the opposite parties, an intimation to the effect that it is not desired to have the dispute decided by a Board of Arbitrators, or the opposite parties, fail to agree on a comminee, the Registrar may decide the dispute himself or appoint an arbitrator to decide it.

246. यदि विवाद के पक्षों ने यह इच्छा व्यक्त की हो कि विवाद मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराया जाय और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम, नियम 244 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हो जायें तो निबन्धक तीसरे सदस्य के रूप में एक व्यक्ति

का नाम निर्दिष्ट करेगा जो उक्त मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

246. If the parties to the dispute have desired to have dispute decided by a Board of Arbitrators and the names of their nominees have been received within the period specified in Rule 244, the Registrar shall nominate a person as a third member to act as President of the said Board

247. (1) यदि विवाद सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश–

(क) जिला सहायक निबन्धक का किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिवीजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उपनिबन्धक या मुख्यालय के उपनिबन्धक को किया जायेगा:

अग्रेसर प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितिों के बीच हो तो निर्देश, क्षेत्रे (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उपनिबन्धक/ अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद अधिक मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तगत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो ता निर्देश धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(ग) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक, मुख्यालय, को किया जायेगा यदि विाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो: प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(घ) यदि निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।

(2) यदि विवाद प्रबन्ध समिति के गठन या किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बन्धित हो तो निर्देश–

(क) किसी शीर्ष सहकारी समिति के मामले में धारा 3की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक को किया जायेगा;

(ख) किसी शीर्ष समिति से भिन्न किसी सहकारी समिति की दशा में उस जिले के जिसकी समिति हो, जिला मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(3) यदि विवाद उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में न हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उपनिबन्धक/मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो

तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक को दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

247. (1) Where the dispute relates to property or money claim the reference shall-

(a) in case the value of the property or the amount of claim involved does not exceed rupees fifty thoudsnd, be made to the District Assistant Registrar:

Provided that where the dispute is between two or more co-operative societies, belonging to more than one district in the same division, the reference shall be made to the Deputy Registrar of the Division or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided further that where the dispute is between two or more co-operative societies belonging to more than one district in different divisions, the reference shall be made to the Deputy Registrar/ Additional Registrar, Headquarters hving jurisdiction over the region:

Provided also that wqhere the dispute is between two or more co-operative societies within the regions under jurisdiction of more than one Additional Registrar, the reference shall be made to the Registrar, Co-operative Societies appointed under Sub-Section (1) of Section 3.

(b) in case the value of the property or the amount of claim involved in the dispute exceeds rupees fifty thousand but does not exceed rupees two lakhs, be made to the Deputy Registrar of the Division or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided that where the dispute is between two or more co-operative societies belonging to the districts in different divisions, the reference shall be made to the Deputy Registrar / Additional Registrar, Headquarters having jurisdiction over the region concerned:

Provided further that where the dispute is between two or more co-operative societies within the regions under the jurisdiction of more than one Additional Registrar, the rference shall be made to the Registrar, co-operative Societies, appointed under Sub-section (1) of Section 3.

(c) in case the value of the property or the amount of claim involved inthe dispute exceeds rupees two lakhs but does not exceed rupees five lakh, be made to the Additional Registrar, Head quarters having jurisdiction over the region concerned:

Provided that where the dispute is between two or more Co-operative Societies within the regions under jurisdiction of more than one Additional Registrar, reference shall be made to the Registerar, Co-operative Societies appointed under Sub-section (1) of Section 3.

(d) in case the value of the property or the amount of claim involved in the dispute exceeds rupees five lakh, be made to the Registrar, Co-operative Societies appointed under Sub-section (1) of Section 3.

(2) Where the dispute related to the constitution of the Committee of Management or election or appointment of any office bearer or a delegate of a co-operative society, reference shall-

(a) in the case of an apex co-operative society, be made to the Registrar appointed under Sub-section (1) of Section 3;

(b) in the case of a co-operative society other than an apex Society, be made to the District Magistrate of the district to which the society belongs.

(3) Where the dispute relates to any matternot convered by Sub-rule (1) or Sub-rule (2), the reference shall be made to the Deputy Registrar of the Division/Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided that where the dispute is between two or more co-ioerative societies belonging to the districts within different division, the reference shall be made to the Additional Registrar having jurisdiction over the region concerned:

Provided further that where the dispute is between two or more co-operative societies within the regions under thejurisdiction of more than one additional Registrar, the reference shall be made to the Registrar. Co-operative Societies appointed under Sub-section (1) of Section 3

248. नियम 247 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर–

(क) जिला सहायक निबन्धक, विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है, किन्तु शर्त यह है कि–

(1) यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग–2 की श्रेणी से नीचे का न हो या जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग–2 के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो,

(2) यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक, किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक न हो, तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष व होगा, जो सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 की श्रेणी से नीचे का न हो, या जो सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ख) मण्डल का उप निबन्धक या मुख्यालय का उप निबन्धक, यथास्थिति, विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है, अथवा, यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है जो राज्य सरकार के समूह ''ख'' के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ग) अपर निबन्धक विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है अथवा यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के समूह ''क'' के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो या जो राज्य सरकार के समूह ''क'' के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो:

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया निबन्धक, सहकारी समिति विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है, अथव यथास्थिति, ऐसा मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष इसके लिए नियुक्त कर सकता है, जो अपर निबन्धक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो या जो अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी/अपन जिला मजिस्ट्रेट में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

248. On receipt of a reference under Rule 247-

(a) the District Assistant Registrar may decide the dispute himself or appoint an Arbitrator or President of the Board of Arbitrators, as the case may be, subject to the condition that-

(i) where the value of the property or the amount of claim involved does not exceed Rupees Twenty Five Thousand, the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, shall be of the rank, not below that of an Co-operative Inspector Group II, or be a person who retired as a Co-operative Inspector, Group II.

(ii) Where the value of the property or the amount of the claim involved in the dispute exceeds rupees 25 thousand but does not exceed rupees 50 thousand the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, shall be of the rank not below that of an Co-operative Inspector, Group I, or be a person who retired as a Co-operative Inspector, Group I;

(b) the Deputy Registrar of the region or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be,may decide the dispute himself or appoint an Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, an officer of the rank not below that of Group 'B' Gazetted Officer of teh State Government or a person who retired as a Group 'B' Gazetted Officer of the State Government;

(c) the Additional Reghistrar may decide the dispute himself or appoint an Arbitrator or President of the Board of Arbitrators, as the case may be, for the purpose, an officer of the rank not below that of Group 'A' Gazetted Officer of the State Government or a person who retired as a Group 'A' Gazetted Officer of the State Government:

Provided that where th dispute is covered under Sub-rule (2) of Rule 247, the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, shall not be a serving officer of the Drpartment concerned with the administration of the Apex Co-operative Society to which the dispute relates;

(d) the Registrar, Co-operative Societies, appointed under Sub-section (1) of Section 3, may decide the dispute himself or appoint an Arbitrator or President of the Board of Arbitrators, as the case may be, an officer of the rank, not below the rank of Additional Registrar or a person who retired as Additional Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal;

(e) the District Magistrate may decide the dispute himself or appoint any one of the Additional District Magistrates under him to act as Arbitrator or as President of Board of Arbitrators, as the case may be.

249. यदि यह प्रश्न उठे कि जिस प्राधिकारी के समक्ष विवाद विचाराधीन है, उस विवाद को निपटाने के लिए उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं तो उस प्रश्न का निर्णय धारा 70 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अपील करने के अधिकार को प्रभावित किये बिना, उसी प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

249. If question arises where the authority before which a dispute is pending has or has not the jurisdiction to decide the dispute, such question shall, without prejudice to the provisions of Sub-section (3) of Section 70, and without affecting the right of appeal, be decided by the same authority.

250. नियम 248 के अधीन मध्य स्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वाला शुल्क, वह होगा जो राज्य सरकार कि किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय।

250. The fee to be paid to a retired Government servant appointed to act as an Arbitrator or President of the Board of Arbitrators under Rule 248 shall be such as may, subject to the general or special order of the State Government, be fixed by the Registrar.

251. यदि धारा 71 के अधीन किसी विवाद के विचाराधीन रहते समय उक्त विवाद से सम्बन्धित पक्ष के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो यथास्थिति निबन्धक या मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष इस निमित्त प्रार्थना-पत्र देने पर, मृत व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि के नाम को एक पक्ष के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता है और ऐसे प्रतिस्थापित व्यक्ति को नये सम्मन जारी करने का आदेश दे सकता है। यदि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि आवश्यक हो तो निबन्धक अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष, उसकी आवश्यकता के बारे में समाधान हो जाने पर, किसी व्यक्ति को उस मामले केलिए सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908) (एक्ट संख्या 5, 1908) के अधीन उपबंधित रीति से उसका अभिभावक नियुक्त करेगा। यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि वह मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण निबन्धक अथवा यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

251. If during the pendency of a dispute under Section 71, any person who is a party to the dispute, dies, the Registrar or the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, on the application made in this behalf, substitute the name of nominee, heir or legal representative of the deceased person as a party and may order the issue of fresh summons to such subshituted person. When the nominee, heir or legal representative is a minor, the Registrar or the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators on being satisfied of the fact of his minority, shall appoint a person to be his guardian for the case in the mannor provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908). Where a question arises as to whether any person is or is not the legal representative of the deceased person, such question ahall be determined by the Registrar or the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be.

252. यदि मध्यस्थ मण्डल के किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाय या वह अक्षम हो जाय अथवा समुचित कारणों क बिना उपस्थित न हो या मध्यस्थ का कार्य करने से इन्कार करे तो मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष ऐसे मामले को निबन्धक को निर्दिष्ट करेगा जो धारा 71 की उपधारा (2) के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

252. Where one of the arbitrators on the board of arbitrators dies or is incapacitated or fails to attend without reasonable cause or refuses to work as an Arbitrator, the President of the Board of Arbitrators shall refer the case to the Registrar who may take action as provided under Sub-section (2) of Section 71.

253. विवाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष जो निबन्धक या मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष से किसी साक्षी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने की अपेक्षा करे, अग्रिम के रूप में ऐसे खर्चे जमा करेगा जिसके लिए ऐसी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निमित्त यथास्थिति, निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष द्वारा, निर्देश दिया जाय।

253. Any party to a dispute desiring the Registrar or the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators to issue summons for the attendance of a witness, whall deposit in advance such expenses as may be directed by the Registrar, Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, for securing such attendance.

254. निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष, यथास्थित, विवाद का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ सुनवाई का/के दिनांक, समय तथा स्थान निश्चित करेगा।

254. The Registrar, the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, shall for the purpose of deciding the dispute fix the date or dates and the time and place of hearing.

255. (क) जारी किये गये सम्मन लिखित होंगे और उस अधिकारी की जिसके द्वारा वह जारी किया जाय, मुहर से, यदि कोई हो, प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे प्राधिकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उसमें उस व्यक्ति से जिसे सम्मन जारी किया गया हो, उक्त प्राधिकारी के समक्ष निश्चित समय तथा स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी और उसमें यह भी निर्दिष्ट होगा कि क्या उसकी उपस्थित साक्ष्य देने, या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा दोनों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है। प्रतयेक विशेष दस्तावेज या जिससे उक्त प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, सम्मन में युक्तियुक्त रूप से ठीक-ठाक वर्णन किया जायेगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए बुलाये बिना, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बुलाया जाय, यह समझा जायेगा कि उसने सम्मन का अनुपालन कर दिया है, यदि वह ऐसे दस्तावेज को स्वयं प्रस्तुत करने के बजाय उसे प्रस्तुत करा दे।

(ग) सम्मन-

(1) रसीदी राजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या

(2) समिति के सचिव या वित्तपोषण या पर्यवेक्षण समिति के कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से देकर तामील किया जा सकता है।

(घ) यदि उपनियम (ग) में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार से सम्मन तामील न किा जा सके तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (एक्ट सं0 5, 1908) में उपबंधित किसी भी अन्य प्रकार से तामील किया जा सकता है।

255. (a) The simmons issued shall be in writing and authenticated by the seal, if any of the authority by whom it is issued and shall also be signed by such authority or by any person authorised by such authority in writing in the behalf. It shall require the person summoned to appear before the said authority at a stated time and place and shall specify whether his attendance is required for the purpose of giving evidence or to produce a document or for both purposes. Any particular document, the production of which is required for the purposes, whall be described in the summons with reasonable accuracy.

(b) Any person may be summoned to produce a document, whithout being summoned to give evidence, and any person summoned merely to produce a document, shall be deemed to have complied with the summons, if he causes such document to produced instead of attending personally to produce the same.

(c) The summons may be served-

(i) by registered (acknowledgment due) post, or

(ii) by personal service through the Secretary of the society or a member of the srtaff of the financing or supervising society.

(d) If the service of summons could not be effected by any of the modes specified under Sub-rule (c), if may be effected by any other mode provided in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908).

256. किसी समिति के सभापति या सचिव पर सम्मन की तामीली उक्त समिति पर तामीली समझी जायेगी।

256. Service of the summons on the Chairman, or the Srcretary of a co-operative society, shall be deemed to be the service on that society.

257. सम्मन या नोटिस की तामीली पर्याप्त रूप स की गई है या नहीं इसका निर्णय सम्मन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

257. The sufficiency or otherwise of the service of the summons or notice shall be decided by the authority which issued the same.

258. मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा निश्चित समय के भीतर, जो छः माह से अधिक नहीं होगा, अधिनिर्णय दिया जायेगा, ऐसा न होने पर निबन्धक, यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अनुरोध पर या तो समय बढ़ा सकता है जो छः माह से अधिक नहीं होगा या धारा 71 की उपधारा (2) के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल अधिकतम छः माह अथवा वह अवधि, जो निबन्धक द्वारा निश्चित की गई हो, परन्तु जो एक वर्ष स अधिक नहीं होगी, में अधिनिर्णय देगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी अधिनिर्णय निश्चित समय की समाप्ति के पश्चात् दिये जाने के कारण अवैध नहीं होगा, यदि समय बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र बाद में भी दे दिया जाय और वह निबन्धक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय।

258. The arbitrator or the board of arbitrators shall give an award within the Registrar which shall not exceed 6 months failing which Registrar may, either on the request of the arbitrator or the board of arbitrators, as the case may be, extend the time which shall not exceed 6 months or may take action as provided under Sub-section (2) of Section 71:

Provided that the arbitrator or the board of arbitrators so appointed shall give an award in maximum 6 months or the time fixed by the Registrar but it shall not be more than one year:

Provided further that no award shall be invalid by reasons of its being given after expiry of the time fixed, if an application for extension has been made even subsequently and has been granted by the Registrar.

259. किसी विवाद पर निर्णय देते समय निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल, उभय पक्षों और साक्षियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा और पक्षों द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् न्यास, साम्य और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार अधिनिर्णय देगा। कार्यवाहियों दिया गया प्रत्येक आदेश तथा अधिनिर्णय लिखित होगा।

259. The Registrar, the Arbitrator or the President of the Board of Arbitrators decidi9ng a dispute shall record a brief note of the evidence of the parties and the witnesses, and after consideration of any documnetary or oral evidence produced by the parties, shall give an award in accordance with justice equity and good conscience. Every order made in the proceedings and the award whall be in writing.

260. यदि विवाद का कोई पक्ष यथाविधि सम्मन तामील किये जाने के पश्चात् भी अनुपस्थित रहे तो विवाद पर एकपक्षीय निर्णय दिया जा सकता है किन्तु प्रतिवादी, यथास्थिति, निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल या अपीलीय अधिकारी, के समक्ष एकपक्षीय अधिनिर्णय या आदेश का इस आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना करता है कि सम्मन उसे सम्यक रूप से तामील नहीं हुआ है और जिसके लिए वह साक्ष्य देता है तो एकपक्षीय अधिनिर्णय या आदेश किसी या सभी प्रतिवादियों के संदर्भ में सम्बन्धित प्राधिकारों के बाद रद्द कर दिया जायेगा और एक दिनांक निश्चित किया जायेगा जब मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ होगी किन्तु विवाद के निस्तारण हेतु अवधि की गणना सुनवाई के पुनः प्रारम्भ होने के दिनांक से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि एक पक्षीय अधिनिर्णय को रद्द किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जा सकता, यदि एक पक्षीय अधिनिर्णय के विरुद्ध पहले से अपील की गई हो और वह सिवाय उस आधार पर कि अपीलकर्ता ने उसे वापिस ले लिया हो, खारिज कर दी गई हो।

260. If any of the parties under dispute remain absent despite after such pary has been duly served with a notice, the dispute may be decided *ex parte* but if the defendant applies before the Registrar, arbitrator; board of arbitrators or appellate authority, as the case may be, for the cancellation of the *ex parte* award of order on the ground that the summon has not been duly served on him and for which he produces evidence, the *ex parte* award or order after satisfaction of the authority concerned shall be cancelled with reference to any or all defendants and a date shall be fixed on which the hearing of the case shall re-commence but the time for disposal of the dispute shall be calculated from the date of recommencement of the hearing:

Provided that no application to cancel the *ex parte* award can be made if appeal against the *ex parte* award had already been filed and that appeal had been dismissed except on the ground that the appellant had

withdrawn it.

261. यदि विवाद का निर्णय मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया जाय तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

261. In case where the dispute is decided by a board of arbitrator the opinion of the majority shall prevail.

262. अधिनिर्णय में कारण दिये जायेंगे जिनके आधार पर निर्णय किया जाय और खर्चा, यदि कोई हो, तथा ब्याज जिसके अन्तर्गत भविष्य-ब्याज, यदि कोई हो, भी है, के सम्बन्ध में भी आदेश होगा और उसमें निर्देश की संख्या, पक्षों के नाम तथा विवरण और विवाद के विवरणों का भी उल्लेख होगा।

262. The award shall contain the reasons on which the decision is based and shall also contain an order as to costs, if any, and interest including future interest, if any, and shall also mention the number of the reference, the names and description of the parties and particulars of the dispute.

263. अधिनिर्णय की एक प्रति प्रत्येक पक्ष को भी दी जायेगी जो ऐसी रीति से प्रमाणित तथा मुहर लगी होगी जैसा निबन्धक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें।

263. A copy of the award shall be given to each party, certified and sealed, in such manner as the Registrar may direct by general or special order.

264. (क) किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिया गया अधिनिर्णय और विवाद के सभी पत्र आदि तथा उसकी कार्यवही यथास्थिति उसके द्वारा मध्यस्थ मण्ड के अध्यक्ष द्वारा निबन्धक को (जिसने उस मामले में मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो) अधिनिर्णय दिये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर भेजा जायेगा।

(ख) किसी पक्ष द्वारा दिया गया काई दस्तावेज या अभिलेख प्रार्थना-पत्र देने पर निम्नलिखित दशाओं में उस पक्ष को वापस कर दिया जायेगा।

(1) अपील के निस्तारण पर, यदि कोई हो, अथवा

(2) अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो और कोई अपील नहीं की गयी हो।

264. (a) Any awared made by an arbitrator or board of arbitrators shall be sent by him or by the President of the Board of Arbitrators, as the case may be, with all the papers and proceedings of the dispute to the Registrar (who appointed the Arbitratoror the President of the Board of Arbitrators in the case), within 15 days from the date on which the award is made.

(b) Any document or record tendered by a party may, on application, be returned to the party after-

(i) the disposal of appeal, if any, or

(ii) the period of filling appeal has expired and no appeal has been filed.

265. किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध धारा 97 और 98 के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि उनके साथ अधिनिर्णय की यथाविधि प्रमाणित एक प्रतिलिपि न हो।

265. No appeal against an award shall be entertained under Section 97 or Section 98 unless the appeal is accompanied by duly certified copy of the award.

266. किसी अधिनिर्णय का निष्पादन केवल इस आधार पर रुका नहीं रहेगा कि अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है या अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, लिखित आदेश द्वारा अधिनिर्णय का निष्पादन स्थगित कर सकता है।

266. The execution of an award shall not remain withheld merely because the period of filing an appeal against the award has not expired or because an appeal against the award has been filed. The appellate authority may, however, on an application moved by trhe appellant, stay the execution of the award by an order in writing.

267. यदि कोई पक्ष धारा 71 के अधीन दिये गये अधिनिर्णय से व्यथित हो तो वह अधिनिर्णय सूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर उचित अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनिर्णरू की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय 30 दिन की गणना करते समय निकाल दिया जायगा।

267. Any party considering itself aggrieved by the award made under Section 71 may file an appeal to the proper appellate authority within thirty days after the date of the communication of the award:
Provided that the time taken in obtaining a copy of the award shall be excluded while counting theperiod of thirty days.

268. मध्यस्थ कार्यवाहियों में या अपील की कार्यवाहियों में किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं करेगा, सिवाय उस दशा के जब किसी अपील का निस्तारण धारा 97 के अधीन या धारा 98 के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा हो।

268. In the arbitration proceedings or in the proceedings of appeal, no party shall be represented by any legal practition except where an appeal is being disposed of by the Tribunal under Section 97 or under Section 98.

269. यदि धारा 94 के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की के विरुद्ध कोई दावा या आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की गई हो कि ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्की नहीं की जा सकती तो, निबन्धक पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर दावा या आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब दावा या आपत्ति को सारहीन समझा जाय तो उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

269. Where any claim or objection has been preferred against attachment of any property under Section 94 on the ground that such property is not liable to such attachment, the Registrear shall decide the claim or objection on merits after affording to the parties a reasonable opportunity of being heard:
Provided that the claim or objection may be rejected summarily when it is considered frivolous.

अध्याय-19
CHAPTER- XIX
अपील और पुनर्विलोकन
APPEAL AND REVIEWS

270. 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से अधिक की डिक्री के विरुद्ध अपील न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट की जायेगी।

270. Appeal against decree above Rs. 50000 shall be referred to the Tribunal.

271. न्यायाधिकरण में निम्नलिखित तीन व्यक्ति होंगे:-

(क) जिला जज या उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई सेवा-निवृत्त या कार्यरत अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा; और

(ख) राज्य सहकारी सेवा समूह ''क'' का कोई सेवा निवृत्त या सेवारत अधिकारी- सदस्य

(ग) प्रशासनिक सेवा का कोई सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी जिसे उत्तरांचल में सहकारिता विभाग या गन्ना विभाग या उद्योग विभाग या सामुदायिक विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव हो- सदस्य

न्यायाधिकरण की गणपूर्ति (कोरम) कम से कम दो सदस्यों से होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपनी मूल सेवा से उक्त पद में नियुक्ति से पूर्व सेवानिवृत्त न हुआ हो तो वह-

(i) अपने मूल विभाग से सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन उपदान (ग्रेच्युटी) और सेवानिवृत्ततोतर अवकाश नगदीकरण एवं अपने भविष्य निधि खाते में अवशेष राशि उसी प्रकार आहरित कर सकेगा माना वह सेवानिवृत्त हो चुका हो:

(ii) नियम 273 के अनुसार वह अपने अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ततोतर अवकाश नगदीकरण का हकदार होगा जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

(1) समस्त धनराशियां तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार पुन: इस प्रकार आकलित की जायेंगी माना कि वह अपनी मूल सेवा से सेवानिवृत्त न हुआ हो और उसकी सेवायें बढ़ा दी गयी हों;

(2) उप-नियम (i) के अनुसार पूर्व में सेवानिवृत्ति के समय भुगतान की गयी धनराशि घटाकर अवशेष का भुगतान उसे कर दिया जायेगा।

271. The Tribunal shall consist of three persons as follows:-

(a) a District Judge or a retired or serving officer of Higher Judicial service who shall be the Chairman; and

(b) a retired or serving officer of State Co-operative Service Group "A" ..... Member;

(c) a retired or serving officer of the administrative services having experience of working of the Co-operative Department or Cane Department or Industries Department or Community Development Department of Uttaranchal

The quorum of the tribunal shall be of at least two persons :

Provided that if the Chairman or a Mamber had not already retried from his parent service before his appointment as such he shall-

(i) on retirement from his parent service, be entiled to draw his pension, gratuity and post-retirement leave encashment and withdraw the balance from his provident fund as if he has retired:

(ii) on his retirement from the post of the Chairman of Members in accordance with rule 273 be entitled to additional pension, gratuity and post-retirement leave encashment which shall be calculated as follows :-

(1) the amounts shall be recalculated according to the rules applicable on the date of such retirement as if he had never retired from his parent service and his service had stood extended;

(2) the amounts already paid to him under clause (i) on retirement from his parent service, shall be deducted and the difference shall be payable to him.

172. (क) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(ख) इस नियमावली के लागू होनें के समय वेतनमान निम्नवत् होंगे, जो वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे:-

(1) वेतन :

पद का नाम	वेतनमान
(क) अध्यक्ष	रु0 22850-500-24850
(ख) सदस्य	रु0 18400-22400

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये गये व्यक्ति का जो कि जिला जज के पद से अथवा राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, वेतन सेवानिवृत्त होने के समय उसके वेतन से कम नहीं होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का जो कि पेंशन के रूप में सेवानिवृत्त लाभों को प्राप्त कर हर है अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है उपर्युक्त वेतन, उसकी कुल पेंशन, राशि से जिसमें पेंशन राशिकरण का भाग भी यदि कोई हो, शामिल होगा, कम किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्य को महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी भांति देय होंगे, जिस प्रकार राज्य सरकार के श्रेणी 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य होते हैं।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को अवकाश तथा तत्सम्बन्धित अन्य लाभ उसी प्रकार अनुमन्य होंगे, जिस प्रकार राज्य सरकार दो श्रेणी ''क'' के अधिकारी को होते हैं।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किया जायेगा वह पेंशन उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए पात्र होगो, जैसा कि नियम 271 की भांति राज्य सरकार के समूह ''क'' के अधिकारी को अनुमन्य होंगे।

(5) अध्यक्ष अथवा सदस्य साधारण भविष्य निधि में इच्छानुसार कटौती कराने का पात्र होगा। यदि वह साधारण भविष्य निधि में इस प्रकार की कोई कटौती कराता है तो साधारण भविष्य निधि कटौती में समय-समय पर संशोधित किये गये साधारण भविष्य निधि नियम, 1985 के प्राविधान लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हे तो वह उन नियमों से नियंत्रित होगा जो कि उसके न्यायाधिकरण में योगदान से पूर्व उस पर लागू थे।

(6) यात्रा भत्ता-अध्यक्ष अथवा सदस्य को यात्रा अवधि में अथवा स्थानान्तरण (न्यायाधिकरण में योगदान करने पर की गई यात्रा अथवा न्यायाधिकरण से सेवा समाप्ति के पश्चात् अपने गृह नगर को वापसी यात्रा सहित) के समय यात्रा

भत्ता, घरेलू सामान ढुलान व्यय और अन्य भत्ते उसी दर से अनुमन्य होंगे जो कि राज्य सरकार के समूह ''क'' के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारी का अनुमन्य होते हैं।

(7) निवास–प्रत्येक व्यक्ति जो कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होगा उसे राज्य सरकार मे समकक्ष पदधारक अधिकारी को अनुमन्य श्रेणी के आवास के समान किराया मुक्त आवास उपलब्ध होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार का आवास राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य इस प्रकार के आवास की सुविधा का उपभोग नहीं करना चाहता, तो उसे वास्तविक किराया भत्ता अथवा अधिकतम रुपये 8000 (आठ हजार रुपय) प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य स्वयं के अथवा उसकी पत्नी/पति के आवास में निवास कर रहा हो, तो वह राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

(8) वाहन एवं टेलीफोन सुविधा–अध्यक्ष स्टॉफ कार के लिए अधिकृत होगा तथा प्रत्येक सदस्य को रु0 2500 (दो हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह का वाहन भत्ता एवं रुपये 2000 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह निवास एवं कार्यालय हेतु टेलीफोन भत्ता अनुमन्य होगा।

(9) चिकित्सा सुविधा–अध्यक्ष अथवा सदस्य राज्य सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अधिकृत होंगे।

(10) अन्य उपबन्ध–अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा शर्तों सम्बन्ध में इस नियमावली में यदि कोई स्पष्ट प्राविधान न हो तो वे नियम/प्राविधान लागू होंगे जो कि उसके सेवानिवृत्ति के समय अथवा राज्य सरकार के श्रेणी ''क'' के अधिकारी पर लागू होते हैं।

272. (a) The scales of pay admissible to the Chairman and the Mambers shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(b) The scales of pay at the commencement of these rules are as follows, which shall be determined by the State Government from time to time o the recommendation of the Pay Commission :-

(1) Pay :

Name of the post	Scale of Pay
(a) Chairman	Rs. 22850___500___24850
(b) Member	Rs. 18400____22400

Provided that the salary of a person appointed as the Chairman or a Mamber who has retired as a District Judge, or who has retired from service under the State Government shall not be less than the salary paid or payable to him at the tiem of such retirement:

Provided further that the a forementioned pay of a person referred to in the first proviso who is in receiot of or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, shall be reduced by the gross amount of pension, including commuted portion of pension, if any.

(2) The Chairman and a Member shall receive dearness allowance and other allowances appropriate to their pay at the rate admissible to Group 'A' Officers of the State Government.

(3) A person on appointment to the Tribunal as the Chirman or a Member shall be entitled to such leave and connected benefits as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government.

(4) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman or a Member shall be entitled to pension and gratuity as per rule applicable to Group 'A' Officer of the State Government read with the provision of Rule 271.

(5) The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of General Provident Fund Rules, 1985, as amended form time to time:

Provided that if a Chairman or a Member was Member of Higher Judicial Service or an All India Service immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately become joining the Tribunal.

(6) *Travelling allowances* - The Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, transportation of personal effects and other similar

matters at the same scales and ao the same rates as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government drawing similar pay.

(7) *Accommodation*- Every person appointed to the Tribunal as Chairman or a Member shall be provided with a rent free accommodation of a type admissible to an officer equivalent to his rank in the State Government.

Provided that if any such accommodation is not provided by the Government, or the Chairman or the Member does not avail himself of the accommodation referred to above, he shall be reimbursed actual house rent paid by him upto the maximum limit of Rs. 8000 per month:

Provided further that if the Chairman or a Member is residing in the accommodation owned by him or by his/her spouse, he shall be entitled to house rent allowane admissible as per rules of the State Government in this regard.

(8) *Facility of the conveyance and telephone*- The Chairman shall be entitled to a staff car and each member shall be entitled to conveyance allowance of Rs. 2500 per mensum. The Chairman and Member shall be entitled Rs. 2000 per mensem for residence and office telephone.

(9) *Facility of medical treatment*- The Chairman or a Member shall be entitled to medical facilities as admissible to an officer equivalent to his rank in the State Government.

(10) *Residuary provisions*- The condition of service of the Chairman or a Member for which there is no express provision in these rules shall be determined by the rules or orders for the time being applicable to him at the time of retirement or to Group 'A' Oficers of the State Government.

273. (क) न्यायालय का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से सात वर्ष के लिये पद पर बना रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसने:

(i) अध्यक्ष के मामले में 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो : और

(ii) सदस्य के मामले में 66 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(ख) यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिवर्षता की उम्र प्राप्त करने से पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो तो वह भले हीअपनी मूल सेवा से सेवा निवृत्त हो चुका हो, परन्तु न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 67 या 66 वर्ष की आयु तक जैसी भी स्थिति हो तक निरन्तर कार्य करता रहेगा और उसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) कोई अधिकारी, न तो न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किा जायेगा अथवा न बना रह सकेगा यदि वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का सभापति/प्रशासक उपसभापति हो या हो जाता है।

273. (a) The Chairman or a Member of the Tribunal shall hold office for a term seven years from the date on which he enters upon his office :

Provided that no Chairman or Member shall hold office as such after he attained :

(i) in the case of Chairman, the age of sixty-seven years; and

(ii) in the case of member, the age of sixty-six years.

(b) If any person is working as Chairman or Member in the Tribunal before he/she has reached the age of superannuation in his/her substantial service, he/she shall continue to work as Chairman or Member of the Tribunal till the age of 66 or 67. as the case may be. No fresh notification shall be required to be issued for this purpose.

(c) No officer shall be appointed or shall continue as the Chairman or a Member of the Tribunal if he is or becomes the Chairman / Administrator Vice-chairman of the Committee of Management of any Co-operative Society.

274. न्यायाधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण, विवाद के पक्षों की सुविधा के लिए, विवाद के निस्तारण के लिए, अपनी बैठकें राज्य में किसी अन्य स्थान पर करने का निश्चय कर सकता है।

274. The Headquarters of a Tribunal shall be at such place as is notified by the Government in the Gazette :

Provided that the Tribunal may, for the convenience of parties to the dispute, decide to have for the disposal of the dispute its sitting at other place of the State.

275. (क) अपील का ज्ञापन राज्य सरकार, न्यायाधिकरण या निबन्धक को अपीलार्थी या उसके यथाविधि प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा या तो कार्यालय समय में स्वयं दिया जायेगा या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(ख) प्रतयेक अपील के ज्ञापन के साथ ऐसे आदेश निर्णय या अधिनिर्णय की, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो, एक प्रमाणित प्रति होगी और उसके साथ अपील के ज्ञापन पत्रों की उतनी प्रतिां होंगी जितने पक्ष हों।

(ग) किसी अपील का ज्ञापन-

(1) या तो टाइप किया हुआ अथवा स्याही से लिखा हुआ सुपाठ्य होगा;

(2) उसमें अपीलार्थी या अपीलार्थियों के नाम और पता या पते होंगे और विरुद्ध पक्ष या पक्षों के, यथास्थिति नाम और पता या पते होंगे;

(3) उस प्राधिकारी का उल्लेख किा जायेगा जिसके द्वारा ऐसा अधिनिर्णय आदेश या निर्णय किया गया या दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है;

(4) उनमें उन कारणों का स्पष्ट रूप से दिया, उल्लेख किया जायेगा जिस पर अपील प्रस्तुत की गई है;

(5) उनमें ऐसा अनुतोष्ज्ञ जिसके लिए दावा किया गया है को ठीक-ठाक लिखा जायेगा; और

(6) उनमें ऐसे आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय का दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, अपीलार्थी को ऐसा आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय सूचित किये जाने का दिनांक भी लिखा जायेगा।

275. (a) The memorandum of appeal to the State Government, the Tribunal or the Registrar, shall be presented by the appellant or his duly authorised agent either in person during office hours or shall be sent by registered post under acknow ledgement.

(b) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a certified copy of the order, decisio or award against which the appeal s preferred and by as many copies of memorandum of appeal as there are parties.

(c) A memorandum of appeal shall-

(i) be either type-written or hand-written in ink legibly;

(ii) specify the name or names and the address or addresses of the appellant or appellants and also the name or names and address or addresses of the opposite party or parties, as the case may be;

(iii) state the authority by which the award, order or decision against which appeal is preferred, was made or given;

(iv) clearly state the grounds on which the appeal is preferred;

(v) state precisely the relief which is claimed; and

(vi) given the date of the order, decision or award appealed against as well as the sate of communication of such order, decision or award to the appellant.

276. **पत्रावलियों में लम्बित प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जायेगा-**

(1) यदि प्रार्थना-पत्र वाद की नियत तिथि को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे अध्यक्ष द्वारा नामित कार्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र वाद की सुनवाई की नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रार्थना-पत्र पेशकर (रीडर) द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) सभी लम्बित अपीलों के अभिलेख अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट कार्यालय के कर्मचारी के अनुरक्षण में रखे जायेंगे। वह कर्मचारी सभी अपीलों के अभिलेख नियत तिथि की सुनवाई के एक दिन पूर्व की संध्या को पेशकार को प्रेषित करेगा। इसी प्रकार पेशकार सभी अपीलों के अभिलेखों को कर्मचारी, जो कि अध्यक्ष द्वारा इन अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए नामित किया गया है, उस दिन की सायंकाल को वापस भेजेगा।

(4) न्यायाधिकरण का सचिव सभी नयी अपीलों को प्राप्त करेगा तथा उनमें अपनी संस्तुति/आख्या अंकित करेगा तथा उन्हें अध्यक्ष के सम्मुख आगामी दिवस को आदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अभिलेख कार्यालय के उस कर्मचारी को भेजे जायेंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(5) पेशकार अथवा अध्यक्ष द्वारा अभिहित कर्मचारी, जो कि इन अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है, लम्बित अपील प्राप्त होने पर उसे सूची-पत्र के अनुसार क्रमांकित करेगा तथा वाद उसके अनुरूप शब्द 'क' अथवा 'ख' अंकित करेगा तथा सूची-पत्र में अंकित करेगा। वे अभिलेख जिनको 'क' अथवा 'ख' क्रमांकित किया गया हो वाद क अनुरूप नत्थी 'क' अथवा नत्थी 'ख' में रखे जायेंगे।

निम्नलिखित अभिलेख नत्थी 'क' के अन्तर्गत रखे जायेंगे:-

(i) निर्धारित प्रारूप में सूची-पत्र;

(ii) आदेश-पत्र;

(iii) अपील ज्ञापन;

(iv) आदेश/अधिनिर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई हो;

(v) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख;

(vi) उच्चत्तर न्यायालयों के आदेश/निर्णय, यदि कोई हो;

(vii) न्यायाधिकरण का निर्णय;

(viii) कोई अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि अध्यक्ष अथवा सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभिलेख नत्थी 'ख' के अन्तर्गत रखे जायेंगे।

नत्थी 'क' में समाहित अभिलेख स्थायी होंगे तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा। नत्थी 'ख' के अन्तर्गत समाहित अभिलेखों को निर्णय के छः वर्ष पश्चात् अभिलेखपाल (रिकार्ड कीपर) द्वारा नष्ट किया जायेगा तथा अभिलेखपाल सूची-पत्र में लाल स्याही से यह अंकित करेगा कि नत्थी 'ख' कब नष्ट किये गये तथा उस पर हस्ताक्षर कर अपनी मोहर लगायेगा एवं सूची-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु न्यायाधिकरण के सचिव को प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई याचिका लम्बित हो तो उसके अभिलेख तक तक नष्ट नहीं किये जायेंगे जब तक कि याचिका लम्बित है।

276. The application in the pending files shall be received-

(1) if the application is being moved in a case fixed on the day the application is movedby an employee in the office designated by the Chairman.

(2) if the application is being moved in the case fixed for hearing on the day the application is moved by the Reader.

(3) The records of all the pending appeals shall be kept and maintained by an amployee in the office designated by the Chairman in this regard. He shall be responsible for sending records of all the appeals fixed for hearing on any day in the previous evening to the Reader. Likewise, the Reader shall send back all the records of the appeals fixed on any day by the evening of that day to the persons in the office designated by the Chirman for maintaining the records.

(4) The Secretary of the Tribunal shall receive all new appeals, make endorsement report on that appeal as prescribed, and shall place it before the Chairman latest by the followig day for obtaining his orders. The record shall then be sent to the office to the employee designated by the Chairman for maintaining the record.

(5) The Reader, or the employee in the office designated by the Chairman to maintain the records, on receipts of any application in the pending appeals, shall put the serial number on the application/ document in accordance with the Index Sheet, followed by the letters 'ka' or 'kha', as the case may be, and this serial no., alongwith the letter 'ka' or 'kha' shall be entered by him in the Index sheet, The documents marked 'ka' or 'kha' shall be kept in natthi 'ka' or natthi 'kha' as the case may be.

The following documents shall be placed in natthi 'ka' :-

(i) Index of papers (in the prescribed proforma);

(ii) Order Sheet;

(iii) Memorandum of appeal;

(iv) Copy of the order/award appealed against;

(v) Original documents filed by the parties;

(vi) Orders/Judgements of the higher courts, if any;

(vii) Judgement of the Tribunal;

(viii) Any other document considered important and of lasting value by the Chairman or the Members.

All other documents of the record shall be kept in natthi 'kha'.

The documents in natthi 'ka' shall form permanent record and shall not be weeded out. The documents in natthi 'kha' shall be weeded out by the Record Keeper after the expiry of six years from the date of the judgement by the tribunal, and the Record Keeper shall make a note in red ink on the Index Sheet, of the date when the natthi 'kha' has been weeded out, shall sign that endorsement and put his seal and then shall place it before the Secretary of the Tribunal for his counter signature :

Provided that if a writ petition is pending in any case, the record of that case shall not be weeded out so long the writ petition is pending.

277. (क) रजिस्टर जिनका न्यायाधिकरण द्वारा रख-रखाव किा जायेगा, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

(ख) न्यायाधिकरण के सभी कर्मचारियों के कार्य अध्यक्ष द्वारा अवधारित तथा सौंपे जायेंगे।

277. (a) The registers to be maintained shall be prescribed by the Chairman, Tribunal.
(b) Duties to all the employees of the Tribunal shall be determined and assigned by the Chairman.

278. प्रत्येक स्थगन प्रार्थना-पत्र पर 3 रु0 का कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा किया जायेगा। न्यायाधिकरण में लम्बित किसी वाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में रुपये 1.50 का कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा किया जायेगा।

278. A Court fee stamp of Rs. 3 only shall be affixed on every adjournment application. A court fee stamp of Rs. 1.50 shall be affixed on any other application moved in any case pending in the Tribunal.

279. अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी उस पर प्राप्ति का दिनांक लिखेगा। अपीलीय प्राधिकारी यथाशीघ्र उसकी परीक्षा करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि-

(1) उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार है;

(2) वह नियत कालावधि के भीतर की गई; और

(3) वह अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप है।

279. On receipt of the memorandum of appeal, the appellate authority shall endorse thereon the date of its receipt by it. The appellate authority shall, as soon as possible, examine it and satisfy itself that-

(i) the person presenting it has the authority to do so;
(ii) it is made within the prescribed time-limit; and
(iii) it conforms to the provisions of the Act and the Rules,

280. नियम 279 और 281 के अधीन कालावधि की गणना करने में लिमिटेशन एक्ट, 1963 (एक्ट सं0 36, 1963) की धारा 5 और 12 के उपबन्ध लागू होंगे।

280. The provisions of Sections 5 and 12 of the Limitation Act, 1963 (Act no. 36 of 1963) shall apply in computing the period of limitation under Rules 279 and 281.

281. यदि अपीलीय प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि प्रस्तुत की गई अपील अधिनियम या नियमों के संगत उपबन्धों के अनुरूप नहीं है तो वह इस आशय की एक टिप्पणी लिखेगा और अपीलार्थी से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दोषों को दूर करने के लिए कह सकता है या यदि यह प्रतीत हो कि अपील नियत कालावधि के भीतर या जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा क क्यों न यह अस्वीकृत कर दी जाय।

281. Where the appellate authority finds that the appeal presented before it does not conform to any of the relevant provisions of the Act or the rules, it shall make a note to that effect and may call upon the appellant to remove the defect within the specified period or in case the appeal appears not to have been presented

within the prescribed time or by a person competent to do so, to show cause within the specified period, why it should not be rejected.

282. (क) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इंगित दोष दूर कर दिये जायें अथवा अपीलार्थी कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण अपीलीय प्राधिकारी के समाधानानुसार दे दे, तो उक्त प्राधिकारी सुनवायी के लिए अपील ग्रहण कर सकता है।

(ख) यदि अपीलार्थी यह समाधान न कर सके कि अपील नियत कालावधि के भीतर या जो ऐसा करने में सक्षम हो उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कही गई अथवा इंगित दोषों का निर्दिष्ट अवधि के भीतर दूर न कर सके तो अपील अस्वीकृत की जा सकती है।

282. (a) If the defect pointed out by the appellate authority is removed or the show cause notice is explained by the appellant to the satisfaction of the rappellate authority, the later may admit the appeal for hearing.

(b) If the appellant fails to satisfy that the appeal has been presented within the prescribed time or by a person competent to do so or fails to remove the defects within the specified period, the appeal may be rejected.

283. यदि अपील ग्रहण कर ली जाय तो अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा और इस प्रकार निश्चित दिनांक की सूचना अपीलार्थी को देगा। इस प्रकार निश्चित दिनांक की सूचना अपील के ज्ञापन पत्र की प्राप्ति के साथ दूसरे पक्ष या पक्षों को भी भेजी जायेगी। उक्त सूचना रसीदी रजिस्टर्ड डाक द्वारा या ऐसे अन्य प्रकार से भेजी जायेगी। जिसे अपीलीय प्राधिकारी समुचित समझे।

283. Where the appeal is admitted the appellate authority shall fix a date for hearing and intimate the date so fixed to the appellant. An intimation of the date so fixed shall also be sent to the other party or parties along with a copy of the memorandum of appeal. The said intimation shall be sent by registered post under acknowledgment or by such other process as may be deemed appropriate by the appellant authority.

284. अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए निश्चित दिनांक को अभिलेख देखेगा और विवाद के पक्षों या उनके प्राधिकृत एजेन्टों को सुनेगा और अपील पर ऐसा आदेश देगा जो अपीलीय प्राधिकारी ठीक समझे। ऐसे दिये गये आदेश में वे कारण दिये जायेंगे जिन पर निर्णय आधारित हो और उसमें व्यय, यदि कोई हो, और ब्याज से सम्बन्ध में भविष्य ब्याज सहित, यदि कोई हो, भी आदेश होगा और उसमें अपील की संख्या व पक्षों के नाम और उनके विवरण भी होंगे।

284. On the date fixed for hearing of an appeal, the appellate authority shall go through the record and hear the parties to the dispute or their authorised agents and shall pass such order on the appeal as the appellate authority may deem just. The order passed shall contain the reason on which the decision is based and shall also contain an order as to costs, if any, and interest including future interest, if any, and shall also mention the number of appeal and the names and description of he parties.

285. अपीलीय प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी स्तर पर किसी अपील की सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर सकता है।

285. The appellate authority may, at its discretion, adjourn to any other date the hearing of any appeal at any stage.

286. अपीलीय प्राधिकारी का प्रत्येक निर्णय या आदेश लिखित होगा।

286. Every decision or order of the appellate authority shall be in writing.

287. धारा 99 क, 99 ख, 99 ग के अधीन पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ उस आदेश की, जिसका पुनव्रिलोकन किया जाना हो मूल या प्रमाणित प्रति भी होगी। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियां संलग्न होंगी जितनी पुनर्विलोकन किये जाने वाले आदेश मे पक्षकार हों।

287. An application for review of Section 99-A, 99-B and 99-C shall be accompanied by the original or a certified copy of the order sought to be reviewed. The said application shall also be accompanied by such additional number of copies as there are parties in the order sought to be reviewed.

288. पुनर्विलोकन का प्रार्थना-पत्र अपील प्राधिकारी द्वारा, जहां तक आवश्यक हो, ऐसी रीति से निस्तारित किय जायेगा जो वह

उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पक्ष के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे प्रत्यावेदन करने का और यदि आवश्यक हो तो, सुनवाई का भी अवसर न दे दिया जाय।

288. The application for review shall, so far as it may be necessary, be disposed of by the appellate authority in such manner as may be deemed fit by it:

Provided that no order prejusicial to any party shall be passed unless such party has been given an opportunity of making representation, and if necessary, also of being heard.

289. अपीलीय प्राधिकारी में कार्मिकों के परिवर्तन स निम्नलिखित से सम्बन्ध में उत्तराधिकारी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा–

(1) परिवर्तन होने से पहले विचाराधीन अथवा आंशिक रूप से सुनी गई ऐसी अपील का निस्तारण;

(2) परिवर्तन से पूर्व किसी मामले में दिये गये आदेश पर पुनर्विचार करना।

289. Any change in the personnel of the appellate authority shall not affect the right of the successor to-

(i) dispose of the appeal pending or part-heard before the change;

(ii) review the order passed in any case before the change.

290. निबन्धक, मध्यस्थ य मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिये गये आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय में अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों में कोई लिपिकीय अथवा गणित सम्बन्धी त्रुटियां अथवा उक्त आदेशों (जिनके अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के आदेश भी सम्मिलित हैं) निर्णयों या अधिनिर्णयों में होने वाली ऐसी अशुद्धियाँ जो किसी आकस्मिक चूक से या गलती से हो जायें, किसी भी समय, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या स्वत: अथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर ठीक की जा सकती है।

290. Clerical or Arithmetical mistake in orders, decisions, or awards made by the Registrar, Arbitrator or the Board of Arbithmetors or in the orders made by the appellate authority or errors arising in such orders (including the orders of appellate authority), decisions or awards from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the authority concerned, either of its own motion or the application moved by any of the parties to the dispute.

अध्याय–20
CHAPTER- XX
सहकारी समितियों का समापन और विघटन
WINDING UP AND DISSOLLTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

291. (क) निबन्धक, किसी सहकारी समिति को समापित करने का आदेश देने के पूर्व, सिवाय जब समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा उसे समापित किये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया जाय, समिति के सभापति या सचिव को रजिस्ट्री द्वारा भेजकर या अभिस्वीकृति के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से देकर एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे निर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा कि धारा 72 के अधीन समिति क्यों न समापित कर दी जाय।

(ख) समिति उपनियम (1) में उल्लिखित नोटिस पर विचार करेगी और नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसका उत्तर निबन्धक के पास भेजेगी।

(ग) यदि समिति नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर न भेजे या भेजा गया उत्तर सन्तोषजनक न हो तो निबन्धक समिति को समापित करने का आदेश दे सकता है।

291. (a) The Registrar, before passing an order directing a co-operative society to be wound up, shall except when an application has been made by not less than three forth of the members of the society for its being wound up, issue a notice by registred post or aby personal delivery under acknowledgment to the Chairman or Secretary of the Society to show cause within the time specified in the notice, as to why the society may not be wound up under Section 72.

(b) The society shall consider the notice mentioned in Sub-rule (a) and shall send reply to the Registrar

within the time specified in the notice.

(c) If the society fails to send the reply within the time specified in the notice or the reply received is unsatisfactory, the Registrar may pass order directing the society to be wound up.

292. धारा 72 के अधीन कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति समापित करने के निर्देश हों और धारा 73 की उपधारा 1 के अधीन किसी परिसमापक की नियुक्ति गजट में प्रकाशित करने और किसी परिसमापक को हटाने या बदलने का आदेश अथवा ऐसे समाचार–पत्र में जो समिति के कार्य क्षेत्र में प्रचलित हो, प्रकाशित की जायेगी और आदेश की प्रति समितिके पंजीकृत पते पर चिपकायी जाएगी।

292. Any order under Sectin 72, directing that a co-operative society be wound up, and an order, under Sub-sectin (1) of Section 73 appointing a liquidator and an order removing or changing a liquidator, shall be published in the Gazette or and in the newspaper having circulation in the area of operation of the society and copy of the order shall be affixed at the registered address of the society.

293. किसी परिसमापक को देय पारिश्रमिक समापन के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। समापक का व्यय समिति की परिसम्पत्तियों में से, अन्य सभी दावों की अपेक्षा प्राथमिकता से देय होगा।

293. The amount of remuneration payable to a liquidator shall be included in the costs of winding up. THe costs of winding up shall be payable out of the assets of the sociey in priority to all other claims.

294. (क) किसी परिसमापक के नियन्त्रणाधीन सभी निधियां डाकघर बचत बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या किसी ऐसे बैंक में, जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित किया जाय, जमा की जायेगी। ऐसे सभी लेखे परिसमापक द्वारा चलाये जायेंगे।

(ख) सहकारी समिति के परिसमापन के दौरान प्राप्त सभी धनराशियां उपनियम (क) में उल्लिखित लेखों में जमा की जायेंगी।

(ग) उपर्युक्त लेखों से सभी भुगतान परिसमापक द्वारा किये जायेंगे।

(घ) सभी प्राप्तियां तथा भुगतान परिसमापक द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गये अभिलेखों मे लेखांकित किये जायेंगे।

294. (a) All funds in the change of a liquidator shall be deposited in the post Office Savings Bank or in a Central Co-operative Bank or with any bank as may be approved by the Registrar. All such accounts shall be operative by the liquidator.

(b) All moneys reveived during the course of winding up of the co-operative society shall be deposited in the account mentioned in Sub-rule(a).

(c) All payments out of the aforesaid account shall be made by the liquidator.

(d) All receipts and payment shall be accounted for in the records maintained for the purpose by the liquidator.

295. परिसमापक, ज्यों ही किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश प्रभावी हो, जिस प्रकार दचित समझे, एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें समापित की जाने वाली सहकारी समिति के सभी दावों को नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। सहकारी समिति की बहियों में अभिलिखित सभी दायित्व इस नियम के अधीन यथाविधि प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

295. The liquidator shall, as soon as the order of winding up of a co-operative society takes effect, publish by such means as he thinks proper, a notice requiring all claims against the co-operative society which is being wound up, to be submitted to him within thirty days of the publication of the notice. All liabilities recorded in the books of the co-operative society shall be deemed to have been duly submitted to him under this rule.

296. तत्पश्चात् परिसमापक सहकारी समिति के दायित्व जैसे कि वे समापन आदेश दिये जाने के दिनांक को रहे हों, अवधारित करने की कार्यवाही करेगा तत्पश्चात् वह धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

296. The liquidator shall then proceed to determine the liabilities of the co-operative society as they stood on the date on which the order of winding up was passed. Thereafter he shall take action as provided in Clause (d)

of Sub-section (2) of Section 74.

297. (1) परिसमापक समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का जैसा कि वे धारा 72 के अधीन आदेश दिये जाने के दिनांक को रहे हों, अवधारित करने के पश्चात् धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (च) के अधीन अंशदान आदेश बनाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

(2) यदि आवश्यकता पड़े तो वह धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (च) के अधीन इस सम्बन्ध में अनुवर्ती आदेश भी दे सकता है और ऐसे आदेश मूल आदेश की तरह ही प्रवर्तनीय होंगे।

297. (1) The liquidator shall, after determining the assets and liabilities o the society as they stood on the date on which order under Section 72 was passed, proceed to make contribution order under Clauses (b) and (f) of Sub-section (2) of Section 74.

(2) If necessity arises, he may also make a subsidiary order or orders in this regard under Clause (b) or Clause (f) of Sub-section (2) of Section 74 and such orders shall be enforceable in the same manner as the original order.

298. परिसमापक, प्रत्येक सदस्य और भूतपूव्र सदस्य की सम्पत्ति और मृत सदस्यों की सम्पदाओं की सूची के साथ आपना अंशदान आदेश या अनुवर्ती आदेश अनुमोदन के लिए निबन्धक को भेजेगा और निबन्धक, यदि वह उचित समझे य तो आदेश में परिष्कार कर सकता है अथवा उसे और जांच के लिए अथवा अन्य कार्यवाही के लिए परिसमापक को वापस कर सकता है।

298. The liquidator shall submit his contribution order or subsidiary order together with list of the property of each member and past member and of the estates of the deceased members to the Registrar for approval and the Registrar may, if he thinks fit, modify the order or refer it back to the liquidator for further inquiry or other action.

299. निबन्धक साधारण अनुदेश जारी कर सकता है जिसमें वह ऐसे सिद्धान्त और रीति निर्धारित करेगा जिसके अनुसार अंशदान अवधारित किये जायेंगे और परिसमापक इन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

299. The Registrar may issue general instructions laying down the principles according to which and the manner in which the contributions shall be determined and the liquidator shall act according to these instructions.

300. परिसमापक ऐसी सभी धनराशियों और अन्य सम्पत्तियों की जिनकी सहकारी समिति हकदार हो और नियम 297 के अधीन उसके द्वारा बनाये गये तथा निबन्धक द्वारा अनुमोदित अशंदान आदेशों और अनुवर्ती आदेशों की धनराशि की भी वसूली करेगा। परिसमापक लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी ओर से वसूली करने तथा वैध रसीदें देने का अधिकार दे सकता है।

300. The liquidator shall recover all sums and other properties to which the co-operative society is entitled and also the amount of contribution orders and subsidiary orders made by him under Rule 297 as approved by the Registrar. The liquidator may, by order in writing, empower any person to make collections and to grant valid receipt on this behalf.

301. यदि आवश्यक हो तो निबन्धक के अनुमोदन से, परिसमापक अपने आदेश की एक प्रति स्थानीय क्षेत्राधिकार युक्त दीवानी न्यायालय में दायर कर सकता है जो उसी प्रकार लागू किया जायेगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

301. If necessary, a copy of the order of the liquidator, may, with the approval of the Registrar, be filled by the liquidator in the civil court having local jurisdiction to be enforced as if it was a decree of that court.

302. परिसमापक, किसी सहकारी समिति के समापन की कार्यवाही में अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य की एक संक्षिप्त और अपने द्वारा ग्रहीत दस्तावेजों की एक सूची रखेगा।

302. The liquidator sahl keep a summary of the evidence recorded by him and a list of the documents admitted by him in the proceedings regarding winding up of a co-operative society.

303. परिसमापक को किसी भी समय समापित की जाने वाली समिति के सदस्य या सदस्यों अथवा अन्तिम प्रबन्ध समिति के या साधारण निकाय के सदस्यों की बैठक अथवा ऋणदाताओं की बैठक अथवा ऋणदाताओं एवं सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक ऐसी रीति से बुलाई जायेगी तथा आयोजित और संचालित की जायेगी जैसा कि

परिसमापक उचित समझे।

303. The liquidator shall have power to call at any time any member or members or a meeting of the members of the last Committee of Management or of the General Boady or a meeting of the creditors or a joint meeting of the creditors and members of the society which is being wound up. Such meeting shall be called, held and conducted in such manner as the liquidator may thinks fit.

304. परिसमापक ऐसी बहियां और लेखे रखेगा और निबन्धक को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो निबन्धक द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

304. The liquidator shall keep such books and accounts and shall submit such periodical returns to the Registrar as may from time to time be prescribed by the Registrar.

305. सभी दायित्वों का (जिसके अन्तर्गत अंश पूंजी भी है) भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् निबन्धक सहकारी समिति के समापन के आदेश के दिनांक को अंशधारियों द्वारा धारित अंशों पर उनको देय अंशों के, यदि कोई हो, सम्बन्ध में लाभांश के वितरण की अनुज्ञा दे सकता है।

305. After all liabilities (including share capital) have been paid off, the Registrar may allow distribution of dividend if any, due to the shareholders on the shares held by them on the date of the order of winding up of co-operative society.

306. परिसमापक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, परिसमापक समिति के साधारण निकाय के सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा जिसमें परिसमापक अपनी कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा देगा जो समिति की असफलता के कारणों को इंगित करेगा और इस बात को बतायेगा कि समिति के सभी दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् कितनी धनराशि यदि कोई हो, शेष है। उस शेष धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में वह सभी सदस्यों की इच्छाओं को सुनिश्चित करेगा।

306. At the conclusion of the liquidation proceedings, a general meeting of the members of the General Body of the society shall be called by the liquidators, at which the liquidator shall summarize his proceedings, point out the cause of the failure of the society and report what sum, if any, remains in balance after meeting all the alabilities of the society. He shall ascertain the wishes of all the members as regards disposal of the balance.

307. (क) किसी सहकारी समिति की समापन कार्यवाहियां, समापन आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से साधारणतया तीन वर्ष के भीतर समाप्त कर दी जायेंगी जब तक कि निबन्धक द्वारा अवधि बढ़ायी न जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त अवधि नहीं बढ़ायेगा और इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि 5 (पांच) वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार की अनुमति से यह अवधि अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(ख) समापन सम्बन्धी कार्यवाहियां पूरी होते ही, निबन्धक सहकारी समिति का पंजीकरण रद्द करने का आदेश देगा।

307. (a) The winding up proceedings of a co-operative society shall ordinarily be closed within a period of three years from the date the order of winding up takes effect, unless the period is extended by the Registrar :

(b) As soon as winding up proceedings are completed, the Registrar shall pass orders concelling the registration of the co-operative society.

308. सहकारी समिति का पंजीकरण रद्द किये जाने के दनिांक से 3 (तीन) वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समिति की बहियां तथा अभिलेख निबन्धक के पर्यवेक्षण में नष्ट किये जा सकते हैं।

308. After expiry of three years from the date of the cencellation of the registration of the co-operative society, the books and records of the society may be destroyes under the supervision of the Registrar.

309. यदि किसी सहकारी समिति को धारा 72 के अधीन समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाय और कोई भी परिसमापक नियुक्त न किया जाय तो उसक समिति का/के जिसे परिसमापित किया जाना हो, अधिकारी आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बहियों तथा अभिलेखों को निबन्धक या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजेगा/भेजेंगे और शेष धनराशि को, यदि कोई हो, इस क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक में जमा

करेगा/करेंगे और इसकी सूचना निबन्धक को देगा/देंगे।

309. Where an order directing a co-operative society to be wound up is passed under Section 72 and no liquidator is appointed, the officer or officers of the society to be wound up shall, within fifteen days of the receipt of the order, send the books and records to the Registrar or to any other person authorised by him for this purpose and deposit the cash balance, if any, with the Central Co-operative Bank of the area or the Apex Co-operative Bank under intimation to the Registrar.

310. निबन्धक उन समितियों के जिनके पंजीकरण रद्द किये गये हों, परिसमापकों या अधिकारी अथवा अधिकारियों से प्राप्त सभी अधिशेष धनराशि (Surplus) का, यदि कोई हो, लेखा रखेगा।

310. The Registrar shall keep an account of all the surplus money, if any, received from the liquidators or officer of officers of the societies whose registration has been cancelled.

311. किसी सहकारी समिति की उपविधियों य धारा 121 अथवा धारा 122 के अधीन बनाये गये विनियमों में दी गई किसी प्रकिूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसे समापित किये जाने का आदेश दिया गया हो, सभी कर्मचारियों की सेवायें, समापन आदेश के निर्णायक होने के दिनांक से समाप्त हुई समझी जायेंगी। परिसमापक ऐसी शर्तो और पंजीकरणों पर और ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे निबन्ध के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समिति के किसी कर्मचारी को पुनः नियुक्त कर सकता है।

311. Notwithstanding anything contained to the contrary in the bye-laws of a co-operative society or in the regulation framed under Section 121 or Section 122, the service of all the employees of a co-operative society which has been ordered to be would up shall be deemed to have been terminated with effect from the date the order of winding up becomes final. The liquidator may re-employ any employee of the society, on such terms and conditions and for such period as he deems fit, subject to the approval of the Registrar.

अध्याय-21
CHAPTER- XXI
सहकारी कृषि समितियाँ
CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES

312. धारा 78 के खण्ड क तथा ख के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और किसी समिति के पंजीकरण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के अतिरिक्त सहकारी कृषि समिति के पंजीकरण के लिए प्रर्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:-

(क) अधिकार-अभिलेख के उद्धरण प्रार्थी द्वारा जो धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड के अधीन भूमि का समुच्चय (पूल) बनाना चाहता हो, समस्त धारित भूमि की अभिलिखित गाटा (प्लॉट) संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो।

(ख) समिति के पंजीकरण के सम्बन्ध में सहकारी कृषि प्रपत्र सं0-1 में 3 प्रतिलिपियों में सूचना जिसमें धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड क के अधीन समुच्च्य बनाये जाने भूमि का ब्यौरा दिया गया हो;

(ग) प्रस्तावित समिति के प्रक्षेत्र (फार्म) के नक्शे की दो प्रतिलिपियां जिसमें गाटों (प्लाट्स) की खसरा संख्यायें तथा प्रक्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट हो; तथा

(घ) निबन्धक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज या विवरण।

312. Without prejudice to the provisions of clauses (a) and (b) of Section 78 and in addition to the requirements laid down in the foregoing rules relating to the registration of a society, the application for registration of a co-operative farming shall be accompanied by:-

(a) an extract from the record of rights showing the total and recorded plot numbers of all land held by each of the applicants desiring to pool land under Clause (a) of Sub-section (1) of Section 77;

(b) a communication in form C.F.-1, in triplicate in connection with the registration of the society showing details of land to be pooled under Clause (a) of Sub-section (1) of Section 77;

(c) two copies of a map of the farm of the proposed society indicating the Khasra number of plots and the boundaries of the farm; and

(d) any other documents and particulars as may be required by the Registrar.

313. यदि सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन पंजीकृत हो तो निबन्धक, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि प्रेषित करते समय निम्नलिखित भी भेजेगा:-

(क) नियम 312 (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रतिलिपि; तथा

(ख) कोई भी अन्य सूचना, विवरण या दस्तावेज जिन्हें निबन्धक आवश्यक समझे।

313. Where a co-operative farming society is registered under section 77, the Registrar shall, while for warding a copy of the registration certificate to the Collector, under Sub-section (2) of Section 77, also send the following :-

(a) a copy of the document referred to in Rule 312 (b); and

(b) any other information particulars or documents as the Registrar may think necessary.

314. नियम 313 के अधीन निबन्धक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा अन्य लेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर कलेक्टर-

(1) सम्बद्ध अभिलेख में इस आशय की कि सदस्यों द्वारा समिति को अंशदत्त भूमि सहारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्धन में है; तथा

(2) सहकारी कृषि समिति के रजिस्टर में सहकारी कृषि प्रपत्र सं0-2 में प्रविष्टि करायेगा।

314. On receipt of the copy of the Registration Certificate and other documents from the Registrar under Rule 313, the Collector shall eauce an entry to be made-

(i) in the relevant record to the effect that the land contributed by the members to the society is under the possession, control and management of the co-operative farming society; and

(ii) in the register of co-operative farming societies in Form C.F.-2

315. जब सहकारी कृषि समिति पंजीकरण के पश्चात् कोई नया सदस्य बनाये तो उक्त समिति के सम्बन्ध मे निबन्धक को-

(1) नियम 312 (क) के अधीन अपेक्षित विवरण; तथा

(2) ऐसा सदस्य बनाये जाने के समिति के संकल्प की 2 प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ, सहकारी कृषि प्रपत्र सं0 (1) (क) में विवरण-पत्र की तीन प्रतिलिपियां भेजेगी। निबन्धक संकल्प तथा इस नियम के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट सदस्य के विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि कलेक्टर को नियम 314 के अधीन तथा उपबंधित कार्यवाही के लिए भेजेगा।

315. Where a co-operative farming society admits a new member afterits registration, the society shall send to the Registrarin respect of such member-

(i) particulars required under Rule 312 (a), and

(ii) statement in triplicate in Form C.F.-1 (A) alongwith two authenticated copies of the resolution of the society admitting such member. The Registrar shall send tothe collector one copy of there statement of the member feferred to in sub-clause (ii) of this rule for action as provided in Rule 314.

316. अन्य नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सहकारी कृषि समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में निबन्धक को, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी-

(क) वर्ष में बनाये गये सदस्यों द्वारा अंशदत्त भूमि तथा वर्ष में समिति द्वारा अन्यथा प्राप्त भूमि के ब्यौरे; तथा

(ख) समिति द्वारा धारित भूमि का नवीनतम नक्शा।

316. Without prejudice to the provisions of other rules, every co-operative farming society shall, at the close of each co-operative year, submit to the Registrar, if so required by him, the following :-

(a) details of the land contributed by members enrolled during the year and of the land otherwise obtained by the society during the year, and

(b) the latest map of the land held by the society.

317. (क) सहकारी कृषि समिति, धारा 79 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, किसी भूमिधर सदस्य को निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक उपकरणों के आधार पर उसके द्वारा समिति को अंशदान भूमि का वसीयत से भिन्न, कोई अन्य संक्रमण करने की अनुज्ञा दे सकता है-

(1) यदि वह अपनी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण भूमि न जोत सके;

(2) यदि उसे अपना ऋण चुकाना हो, जिन्हें वह अन्यथा न चुका सकता हो और वह ऋण उसके द्वारा समिति को भूमि

का अंशदान करने से पूर्व लिया गया हो;

(3) यदि वह समिति के प्रक्षेत्र के स्थान से बहुत दूर ऐसे स्थान पर रहना चाहता हो जहां से वह समिति के प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों में भाग न ले सकता हो;

(4) यदि वह कृषि से भिन्न कोई वृत्ति करना चाहता हो; तथा

(5) समिति के दो तिहाई सदस्यों की सहमति और निबन्धक के अनुमोदन से किसी अन्य कारण के आधार पर :

प्रतिबन्ध यह है कि केवल तभी अनुज्ञा दी जायेगी जब वह प्रस्तावित अन्तरिती समिति का सदस्य होने के लिए पात्र है और उसने ऐसी सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र भी दे दिया है।

(ख) यदि सहकारी कृषि समिति स्वयं ऐसे भूमिधर सदस्य की भूमि क्रय करना चाहती हो जो अपनी भूमि उपनियम (क) के अधीन निस्तारित करना चाहता हो तो समिति, उक्त भूमिधर सदस्य और समिति के बीच करार पाये गये मूल्य पर ऐसा करने की हकदार होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी भूमि, उपनियम (ग) में अधिलिखित रीति से गणना की गई धनराशि से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं की जायेगी।

(ग) भूमिधर सदस्य की भूमि के मूल्य की गणना निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

यह (मूल्य) ऐसी भूमि की मौरूसी दरों के मूल्यांकन के 35 गुने या देय भूमि-राजस्व के 70 गुने के, इसमें जो भी अधिक हो, बराबर होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भू राजस्व मौरूसी दरों पर मूल्यांकन की राशि से कम हो तो भू-राजस्व और मूल्यांकन के अन्तर के दस गुने के बराबर धनराशि मूल्य की धनराशि में बढ़ाई जायेगी।

317. (a) A co-operative farming society may, under the provisions of Sub-section (3) of Section 79, grant permission to a bhumidhar member for making any trnsfer other than testamentary disposition, of the land contributed by him to the society, on any one or more of the grounds mentioned herein below :-

(i) if he is unable to cultivate land on account of his physical or mental infirmity;

(ii) if he has to discharge his debts which he otherwise cannot do and the debt was contracted prior to the contribution of the land to the society by him;

(iii) if he intends to take up his residence at a place far away from the place where the farm of the society is situated and from where he will not be able to take part in the agricultural operations on the farm of the society;

(iv) if he intends to take up some profession other than agriculture; and

(v) on any other ground, with the consent of two-thirds of the members of the society and with the approval of the Registrar:

Provided that the permission shall be granted only when the proposed transferee is qualified to become a member of the society and has also applied for such membership.

(b) In case the co-operative farming society itself desires to purchase the land of a *bhumidhar* member desiring to dispose of under Sub- rule (a) his land, the society shall be entitled to do so at a price agreed upon between said *bhumidhar* member and the society :

Provided that no land shall be purchased without the prior approval of the Registrar at a price exceeding the amount calculated in the manner laid down under Sub-rule (c).

(c) The price of the land of the bhumidhar member shall be calculated in the manner laid below :-

It shall be equal to thirty-five times of the valuation at hereditary rates or seventy times the land revenue payable in respect of such land whichever is greater :

Provided that when the land revenue payable is less than the valuation at hereditary rates, an addition of an amount equal to ten times the difference between the valuation and the land revenue shall be made to the amount of the price.

318. (1) यदि कोई व्यक्ति सहकारी कृषि समिति का सदस्य न रह जाये, तो ऐसे बहिर्गामी सदस्य द्वारा अंशदान की गई, किन्तु धारा 82 में दिये गये कारणों से जो भूमि सदस्य को लौटायी न गई हो भूमि का मूल्य, समिति की भूमि से भूमि के

विनिमय अथवा उक्त बहिर्गामी सदस्य को प्रतिकर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए वह धनराशि होगी जो बहिर्गामी सदस्य तथा कृषि समिति के बीच तय हुई हो: प्रतिबन्ध यह है कि यदि धनराशि उपनियम (2) में निर्धारित रीति से परस्पर गणना की गई धनराशि से अधिक हो तो, यथास्थिति, भूमि के विनिमय में नकद प्रतिकर के भुगतान के पूर्व निबन्धक की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए भूमिधारी भूमि का मूल्य ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मौरूसी दरों पर मूल्यांकन की धनराशि का 35 गुना या देय भू-राजस्व की धनराशि का 70 गुना, इसमें जो भी अधिक हो और सीरदायी भूमि के मामले में यह ऐसे मूल्यांकन की धनराशि का 15 गुना होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमिधारी या सीरदारी भूमि के सम्बन्ध में दिया जाने वाला भू-राजस्व मौरूसी दरों पर मूल्यांकन से कम हो तो भूमिधारी भूमि की दशा में मूल्यांकन और भू-राजस्व के अन्तर के 10 गुने तथा सीरदारी भूमि, की दशा में ऐसे अन्तर के 5 गुने के बराबर धनराशि मूल्य में बढ़ाई जायेगी।

318. (1) Where a person ceases to be a member of a co-operative farming society, the value of the land contributed by such outgoing member but which is not given back to the member for reasons provided in Section 82, shall, for the purpose of exchange of land with the land of the society or for payment of compensation to the said outgoing member be the amount as may be agreed upon between the outgoing and the farming society :

Provided that where the mutually agreed amount exceeds the amount as calculated in the manner laid down in Sub-rule (2), sanction of the Registrar shall be necessary before exchange of land or payment of cash compensation, as the case may be.

(2) For the purpose of Sub-rule (1) the value of bhumidhar land shall be thirty-five times the valuation at hereditary rates or seventy times the land it shall be fifteen times of such valuation :

Provided that where the land revenue paid in respect of the *bhumidhar* or sirdari land is less than thevaluation at hereditary rates, an addition of an amount equal to ten times the difference between the valuation and the land revenue in case of *bhumidhar* land and five times such difference in case of *sirdari* land, whall be added to he value.

319. यदि सहकारी कृषि समिति, समिति के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से, समिति के प्रक्षेत्र से सटी कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहे तो वह उसे सम्बन्धित भूमिधर तथा समिति के बीच सम्मत मूल्य पर क्रय कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त भूमिधर तथा समिति के बीच समस्त मूल्य नियम 318 के उपनियम (2) में उपबंधित रीति से गणना की गई धनराशि से अधिक हो तो क्रय से पूर्व निबन्धक की स्वीकृति आवश्यक होगी।

319. Where a co-operative farming society intends to purchase cultivable land adjoining the farm of the society from person other than a member of the society, it may do so at a price agreed upon between the society and the land-holder concerned :

Provided that where the price mutually agreed upon between the society and the said land-holder exceeds the amount calculated in the manner provided in Sub-rule (2) or Rule 318, sanction of the Registrar prior to the purchase shall be necessary.

320. धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन कोई सहकारी कृषि समिति अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिए प्राथना-पत्र, सहकारी कृषि प्रपत्र सं0 3 में देगी।

320. An application by a co-operative farming society under Sub-section (2) of Section 84 for the consolidation of the land held by it shall be made in Form C.F.-3.

321. नियम 320 के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सहायक कलेक्टर ग्राम के शेष खातेदारों को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उनसे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न चकबन्दी जिसके लिए समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर देगा। किन्तु यदि प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने के लिए उचित कारण न हो तो वह ग्राम की भूमि प्रबन्ध समिति को आदेश के दिनांक से 3 (तीन) माह के भीतर भूमि की चकबन्छी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

321. On receipt of the application under Rule 320, the Assistant Collector shall issue a notice to the remaining tenureholders of the village requiring them to show cause within one month of the date of receipt of notice

as to why the consolidation applied for by the society may not be made. If after hearing the objections, if any, the Assistant Collector considers that the consolidation is inexpedient, he shall records the reasons thereof and reject the application for consolidation. If there are no reasonable grounds for such rejection, he shall direct the Land Management Committee of the village to put up proposals for consolidation of the land within three months of the date of the order.

322. लेखपाल और सम्बन्धित सहकारी कृषि समिति के अध्यक्ष की सहायता से भूमि प्रबन्धक समिति से सभी क्षेत्रों का जिनके विनिमय की सम्भावना हो, प्रथम मूल्यांकन खसरा सहकारी कृषि प्रपत्र संख्या- 4 में तैयार करेगी। यदि उस भूमि पर जिसके विनिमय की सम्भावना हो, कोई वृक्ष हों तो उनका मूल्य, मूल्यांकन खसरा के ''अभ्युक्ति'' स्तम्भ में लिखा जायेगा।

322. The Land Management Committee shall, with the assistance of thae Lekhpal and the Chairman of the co-operative farming society concerned prepare first valuation *khasra* in Form C.F.-4 for all the fields which are likely to be exchanged. If there are any trees on the land likely to be exchanged, their valuation shall be recorded in the 'remarks' column of the valuation *khasra.*

323. भूमि प्रबन्ध समिति नियम 322 के अधीन तैयार किये गये मूल्यांकन खसरा की सहायता से सहकारी कृषि प्रपत्र सं0-5 में चकबन्दी प्रस्ताव ऐसी रीति से तैयार करेगी कि लगभग समान मूल्य का भूमि विनिमय किया जाय।

323. The Land Management COmmittee shall, with the help of the valuation *khasra* prepared under Rule 322, prepare the consolidation proposals in Form C.E. - 5 in such a manner that land of approximately equal value shall be exchanged.

324. चकबन्दी प्रस्ताव 3 प्रतियों में सहायक कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रस्तावों के साथ मूल्यांकन खसरा और भूमि के नक्शे की दो प्रतियां होंगी, जिसमें से एक नक्शे में सहकारी कृषि समिति का प्रक्षेत्र, जैसे वह चकबन्दी के पूर्व रहा हो, दिखाया जायेगा और दूसरे नक्शे मे चकबन्दी प्रस्ताव के अनुसार स्थिति दिखायी जायेगी।

324. The consolidation proposals shall be submitted in triplicate to the Assistant Collector, the proposals shall be accompanied by the valuation *khasra* and two copies of the map of the land, one showing the farm of the co-operative farming society as it stood before consolidation and the other showing the farm of the co-operative farming society as it stood before consolidation and the other showing the position according to the consolidation proposals.

325. यदि भूमि प्रबन्धक समिति, नियम 324 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर चकबन्दी प्रस्ताव प्रस्तुत न करें तो सहायक कलेक्टर सम्बन्धित तहसीलदार को यह निर्देश देगा कि वह उक्त प्रस्ताव अपने पर्यवेक्षण में तैयार करायें और ऐसा निर्देश उसे प्राप्त होने के दिनांक से 30 (तीस) दिन के भीतर सहायक कलेक्टर को प्रस्तुत करें। सम्बन्धित तहसीलदार ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

325. Where the Land Management Committee fails to submit the consolidation proposals within the time specified in Rule 324, the Assistent Collector shall direct the *tehildar* concerned to have the said proposals prepared under his supervision and submitted to the Assistant Collector iethin thirty days of the receipt of such directions. The *Tehsildar* concerned shall comply with such directions.

326. नियम 324 या नियम 325 के अधीन चकबन्दी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहायक कलेक्टर एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें वह उद्घोषणा जारी किये जाने के दिनांक से 30 (तीस) दिन के भीतर चकबन्दी प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करेगा। प्रस्ताव की एक प्रति के साथ उद्घोषणा की एक प्रति सहायक कलेक्टर के न्यायालय के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर चिपकायी जायगी और इसी प्रकार दूसरी प्रति उस ग्राम में जहां पर सहकारी कृषि समिति का प्रक्षेत्र स्थित हो, किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जायेगी। उद्घोषणा की एक प्रति कृषि समितियों पर भी तामील की जायेगी।

326. On receipt of the consolidation proposals under Rule 324 or Rule 325 the Assistant Collector shall issue a proclamation inviting objections to the consolidation proposals within thirty days of the issue of the proclumation, one copy of the proclamation along with a copy of the proposal shall be affixed to the notice board of the court-room or the Assistant Collector and another such copy shall he pasted at some conspicuous place in the village where the farm of the co-operative farming society is situated. A copy of the proclamation shall also be served upon the farming society.

327. उद्घोषणा में निश्चित अवधि की समाप्ति पर, सहायक कलेक्टर आपत्तियों की, यदि कोई हो, सुनवाई करेगा और निर्णय

देगा तथा धारा 84 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भूमि की चकबन्दी के लिए अन्तिम आदेश देगा।

327. On the expiry of the period fixed in the proclamation, the Assistant Collector shall hear and decide objections, if any and subject to the provisions of Section 84. pass final orders for consolidation of the land.

328. चकबन्दी का आदेश, आदेश के ठीक बाद के फसली वर्ष के प्रारम्भ से लागू होगा, उन दशाओं, जिनमें धारा 84 के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना हो चकबन्दी के लिए सहायक कलेक्टर का आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि प्रतिकर का भुगतान न कर दिया जाये।

328. The order for consolidation shall take effect from the beginning of the Fasli year immediately following the order. In cases where compensation has to be paid under Sub-section (4) of Section 84, the order of the Assistant Collector for consolidation shall not take effect unless the compensation has been paid up.

329. ऐसी स्थिति में जब कोई ऋण भार विनिमय की जाने वाली भूमि से संलग्न हो तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश देगा कि उक्त ऋण भार उसे उन्मुक्त करने के लिए उत्तरदायी खातेदार द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि से संलग्न होगा।

329. In cases where any encumbrance is attached to the land to be exchanged, the Assistant Collector shall direct that the encumbrance shall attach to the land be received by the tenure-holder responsible for discharging the said encumbrance.

330. नियम 15 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सहकारी कृषि समिति की उपविधियों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जायेगी :-

(1) सदस्यों द्वारा भूमि, निधियों और अन्य सम्पत्ति का अंशदान, उनका मूल्यांकन, और समायोजन;

(2) समिति के प्रक्षेत्र पर कार्य करने वाले सदस्यों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक और मजदूरी:

(3) समिति के प्रक्षेत्र सम्बन्धी व्ययों और अन्य व्ययों का भुगतान;

(4) समिति की उपज का विवरण; और

(5) समिति के प्रक्षेत्र के कार्यकलापों और कार्यों का संचालन।

330. Without prejudice to the provisions of Rule 15 the bye-laws of a co-operative farming society shall provide for:-

(i) the contribution of land, funds and other property by members, their valuation and adjustment;

(ii) the remuneration and wages to be paid to members working on the farm of the society;

(iii) the payment of expenses and other dues of the farm of the society;

(iv) the distribution of the produce of he society; and

(v) the conduct of the affairs and the working of the farm of the society.

331. सहकारी कृषि समिति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 86 के अधीन भूमि का कब्जा दिये बिना बन्धक पर ऋण ले सकती है।

(1) जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जाय वह ऐसा हो जिससे कि समिति और उनके सदस्यों को सम्मिलित रूप से लाभ हो, या उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की अथवा मि्टटी के गुण का ह्रास या अपक्षय रोकने की बहुत सम्भावना हो अथवा बाढ़ की रोकथाम हो सकती हो:

(2) ऐसे ऋण का प्रस्ताव समिति के साधारण निकाय द्वारा अंगीकृत और निबन्धक द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो; और

(3) बन्धक रखने के लिए जिन सदस्यों का प्राधिकार प्राप्त किया जाना हो वे खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में और ऐसे प्रपत्र में जो निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, लिखित रूप में अलग-अलग सहमत हों। ऐसा प्राधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी या सहकारी विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो वर्ग-2 के निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अनुप्रमाणित किया जायेगा और वह अपने हसक्षर के नीचे मोहर लगायेगा।

331. A co-operative farming society may obtain loan on mortgage without possession of the land under Section 86, subject to the following conditions:-

(i) the purpose for which loan is obtained is such as is to be of common benefit to the society and to the member there of or is such as is most likely to increase agricultural production or to arrest deterioration

or decay of the properties of the soil or check inroad of floods;

(ii) the proposal for such loan has been adopted by the General Body of the society and approved by the Registrar; and

(iii) the members whose authorisation for mortgage is to be obtained have individually agreed in writing to the proposal referred to in Clause (ii) and in such term as may be specified by the Registrar. Such authorisation shall bear the attestation of a Gaztted Officer or an Officer of Co-operative Department not below the rank of Group II Inspector, who shall affix his stamp below his signature.

332. नियम 181 के अधीन किसी सहकारी कृषि समिति के किसी सदस्य को देय बोनस नकद या वस्तु के रूपम में अथवा आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में और एक मुश्त या किस्त में दिया जा सकता है और यदि कोई सदस्य समिति का ऋणी हो तो उसे बोनस से समायोजित किया जा सकता है।

332. Bonus payable to a member of a co-operative farming society under Rule 181 may be paid in cash or in kind or party in cash and party in kind and may be in lump sum or in instalments and where a member is indebted to the society, it may be adjusted towards the amount due from him.

अध्याय-22
CHAPTER- XXII
अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों तथा निर्णयों का निष्पादन
EXECUTION OF A WARDS, DECREES, ORDERS AND DECISIONS

333. (क) प्रत्येक डिक्रीधारी जो धारा 92 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन किसी अधिनिर्णरू या आदेश के निष्पादन की अपेक्षा करे, उसे प्रत्यादान (रिकवरी) अधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो जिसमें निर्णीत ऋणी रहता हो, या उसकी सम्पति हो, प्रार्थना-पत्र देगा और निष्पादन का सम्भाव्य व्यय, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाय, जमा करेगा।

(ख) प्रत्येमक ऐसा प्रार्थना-पत्र निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में दिया जायगा और उस पर डिक्रीधारी हस्ताक्षर करेगा। डिक्रीधारी यह इंतिग कर सकता है कि क्या वह उसके पास बंधक रखी गयाी अचल सम्पत्ति, यदि कोई है, या अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा चल सम्पत्ति की कुर्की चाहता है। यदि वह अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा चल सम्पत्ति की कुर्की चाहता है। यदि वह अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहे तो वह प्रार्थना-पत्र में ऐसी सम्पत्ति के ब्यौरे देगा जो उसकी पहचान के लिये पर्याप्त हों। यदि ऐसी सम्पत्ति किसी अधिकार अभिलेख, बन्दोबस्त या सर्वेक्षण में दी हुई सीमाओं या संख्याओं से पहचानी जा सकें तो ऐसी सीमाओं या संख्याओं को विशिष्टयां और ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत ऋणी के अंश या हित की विशिष्टयां प्रार्थना-पत्र में दिये जायेंगे।

(ग) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, प्रत्यादान अधिकारी, निबन्धक के कार्यालय में अभिलेखों से, यदि कोई हो, प्रार्थना-पत्र में दिये गये ब्यौरों की शुद्धता की जांच करेगा और निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में, दो प्रतियों में मांग का नोटिस तैार करेगा अथवा तैयार करायेगा जिसमें वह निर्णीत-ऋणी का नाम और देय धनराशि लिखेगा और उसे विक्रय अधिकारी के पास भेज देगा। मांग के नोटिस में व्यय भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगा और यह भी अपेक्षा की जायगी कि भुगतान निर्दिष्ट दिनांक तक कर दिया जाय। ऐसा न करने पर उक्त अचल सम्पत्ति, यथास्थिति, कुर्क कर ली जायगी और बेच दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रत्यादान अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि निर्णीत-ऋणी अपने विरूद्ध निष्पादन कार्यवाहियों में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाने के अभिप्राय से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निस्तारण करने वाला है अथवा उसे प्रत्यादान अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से हटाने वाला है तो निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति, मांग का नोटिस में दिये गये समय के होते हुये भी, तुरन्त कुर्क कर ली जायेगी।

333. (a) Every decree-holder requiring execution of an award or order under the provisions of Clause (b) of Section 92 shall apply to the Recovery Officer having jurisdication over the area in which the judgment-debtor resides or has property and shall deposit the probable cost of execution as may be fixed by such officer.

(b) Every such application shall be mde in the form specified by the Registrar and shall be signed by the decree-holder. The decree-holder may indicate whether he wishes to proceed against the immovable property mortgaged to him, if any,or other immovable property or to secure the attachment of movable property. Where he wishes to proceed against immovable property, he shall give in the application such description of the property as is sufficient for its identification. In case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of rights, settlement or survey, the specification of such boundaries or numbers and the specification of the judgment-debtor's share or interest in such property shall be given in the application.

(c) On receipt of such application, the Recovery Officer shall verify the correctness of the particulars set forth in the application with the records, if any, in the office of the Registrar and prepare or cause to be prepared a demand notice, in writing, in duplicate in the form specified by the Registrar setting forth the name of the judgment-debtor and the amount due and forward it to the Sales Officer. The demand notice shall include the expenses, if any, and shall require the payment to be made by a specified date failing which the immovable property, in question, shall be attached and sold or sold without attachment, as the case may be :

Provided that where the Regovery Officer is satisfied that the judgment-debtor with intent to delay or obstruct the execution proceedings against him is about to dispose of or remove from the jurisdiction of the Recovery Officer the whole or any part of his property, then the property of the judgment-debtor may, notwithstanding the time allowed in the demand notice, be attached forthwith.

334. निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि नियम 333 के अधीन डिक्रीधारी द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र में प्रार्थना की गयी हो और यदि उक्त आवेदन–पत्र में इसका उल्लेख न किया गया हो कि उक्त सम्पत्ति के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जाये, तो साधारणतया निष्पादन निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिए–

(1) सबस पहले निर्णीत–ऋणी की चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, किन्तु साथ ही सा थ उस दशा में जब कि चल सम्पत्ति से प्राप्त धनराशि डिक्रीधारी के कुल दावों को पूर्ण रूप से पूरा करने में पर्याप्त न होने की सम्भावना हो तो इससे अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी; और

(2) यदि कोई अचल सम्पत्ति न हो या यदि कुर्क की गयी और बेची गयी चल सम्पत्ति या सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि डिक्रीधारी के दावे को पूर्णत: पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो निर्णीत–ऋणी की अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

334. Property of the judgment-debtor shall be proceeded against as requested in the application made by the decree-holder under Rule 333 and where it is not mentioned in such application as in what order the property may be proceeded against, the execution should ordinarily be taken in the following manner :-

(i) movable property of the judgment-debtor shall be first proceeded against; but this shall not preclude the immovable property being proceeded against simultaneously in case the proceeds from the movable property are likely to be insufficient to meet in full the claims of the decree-holder; and

(ii) if there is no movable property or if the sale proceeds of the movable property or properties attached and sold are insufficient to meet in full the claim of the decree holder, the immovable property belonging to the judgment-debtor may be proceeded against.

खेत की फसलों सहित विशिष्ट चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री

Attachment ad Sale of Specific Movable Property including Crops of Land

335. विक्रय अधिकारी, डिक्रीधारी को पूर्व सूचना देने के पश्चात् यथास्थिति, निर्णीत–ऋणी के निवास स्थान या जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थित हो जायेगा, और नियम 333 के उपनियम (ग) के अधीन जारी किये गये मांग–नोटिस को निर्णीत–ऋणी पर, यदि वह मिले, तामील करेगा। यदि मांग–नोटिस निर्णीत ऋणी पर तामील किया जा चुका हो और वह मांग–नोटिस की देय धनराशि का भुगतान न करे तो, विक्रय अधिकारी चल सम्पत्ति की कुर्की करेगा और निर्णीत–ऋणी को कुर्क की गयी सम्पत्ति बेची जायेगी, यदि देय धनराशि का भुगतान उस दिनांक से पूर्व न कर दिया जाये, सूचना देगा। यदि निर्णीत–ऋणी न मिले तो विक्रय अधिकारी उक्त मांग–नोटिस की एक प्रति निर्णीत ऋणी के निवास स्थान के किसी

प्रमुख भाग पर चिपका देगा। उसके बाद वह कुर्की की कार्यवाही करेगा और कुर्क की गयी सम्पत्ति की सूची । तालिका उस स्थान पर चिपकायेगा जहां कि निर्णीत–ऋणी साधारणतया रहता हो और उस पर वह स्थान, जहां सम्पत्ति जमा की जाये या रखी जाये या रखी जाये और वह स्थान, दिनांक और समय भी लिखेगा जहां और जब बिक्री की जायेगी।

335. The Sales Officer shall, after giving provious notice to the decree-holder proceed to the place where the judgment-debtor resides, or where the property sought to be attached is situated, as the case may be, and serve the demand notice issued under Sub-rule (c) of Rule 333 upon the judgment-debtor, if available, If the notice of demand has been served on the judgment debtor and he fails to pay the amount due under the demand notice, the Sales Officr shall make the attachment of he movable property and shall immediately deliver to the judgment- debtor a list or inventory of the property attached and an intimation of the place, date and hour at which attached property whall be brought to sale, in case the amount due is not paid before such date. If the judgment-debtor is not availble the Sales Officer shall serve the demand notice on some adult male member of his family or on the authorised agent of the judgment-debtor and when service cannot be affected, the Sales Officer shall affix a copy of such demand notice on some conspicuous part of the judgment-debtor's residence. He shall then proceed to make attachment and shall fix the list or inventory of the property attached on the place where the judgment-debtor ordinarily resides and endorse thereon the place where the property may be lodged or kept and also the place, date and hour at which the sale shall be held.

336. कुर्की के पश्चात् विक्रय अधिकारी कुर्क सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए डिक्रीधारी के साथ या अन्यथा प्रबन्ध कर सकता है। यदि कुर्क सम्पत्ति पशुधन हो तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में पशुधन रखा गया हो उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसे भरण–पोषण के व्यय निर्णीत–ऋणी पर प्रभार्य होंगे। विक्रय अधिकारी, निर्णीत–ऋणी या किसी ऐसे व्यक्ति के अनुराध पर जो ऐसी सम्पत्ति में हित का दावा करें, उस सम्पत्ति) को उसी गांव या स्थान में जहां वह कुर्क की गयी हो– ऐसे निर्णीत–ऋणी या व्यक्ति के प्रभार में छोड़ देगा यदि वह निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एक या अधिक प्रतिभूओं के साथ (जो भी पर्याप्त समझे जाये) मांगने पर सम्पत्ति प्रस्तुत करने के लिए जमानत दें।

336. After the attachment is made, the Sales Officer may arrange for the custody of the property attached, with the decree holder or otherwise. If the attached property is live-stock, the person in whose custody the live-stock, has been placed shall be responsible for its maintenance, expenses on such maintenance being chargeable from the judgment-debtor. The Sales Officer may, at the instance of the judgment-debtor or of any person claiming an interest in such property, leave itin the village or place where it was attached in the charge of such judgment-debtor or person, if he enters into a bond in the form specified by the Registrar with one or more sureties (as may be considered sufficient for the production of the property) when called for.

337. नियम 335 या नियम 336 के अन्तर्गत कोई भी कुर्की सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जाएगी।

337. No attachment under Rule 335 or Rule 336 shall be made after sun-set and before sun-rise.

338. निर्णीत–ऋणी द्वारा देय धनराशि से अधिक मूल्य की कुर्की नहीं की जाएगी, अर्थात कुर्क की गई सम्पत्ति का मूल्य कुर्की और विक्रय के सभी प्रासंगिक व्ययों का मिलाकर निर्णीत–ऋणी द्वारा ब्याज सहित देय धनराशि के साधारणतया 10 (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

338. The attachment made shall not be excessive, that is to say, the property attached shall normally not exceed in value ten per cent above the sum duefrom the judgment-debtor together with the interest and all expenses incidental to the attachment and the sale.

339. यदि निर्णीत–ऋणी की भूमि की फसल या इकट्ठा की गई उपज कुर्क की जाए, तो विक्रय अधिकारी उसे उस समय बिकवा सकता है जब वह कटाई के या इकट्ठा करने के योग्य हो, या अपने विकल्प पर निर्णीत–ऋणी के खर्चे पर उचित मौसम में उसकी कटाई करा सकता है या इकट्ठा करा सकता है और बिक्री होने तक उसे उचित स्थान पर रखवा सकता है।

339. If the crops or ungathered produce of the land belonging to judgment-debtor are attached, the Sale oFficer may cause them to be sold when ift for reaping or gathering, or at his option, many at the cost of the judgment-debtor cause them to be reaped or gathered in due season and stored in proper place until sold.

340. विक्रय अधिकारी के लिए किसी अस्तबल, गौशाला, खत्ती, गोदाम, बहिगृह (आउट हाउस) या अन्य भवन को जबरदस्ती खोलना वैध होगा और वह किसी ऐसे निवास गृह के जनाने कक्ष या महिलाओं द्वारा रहने के काम में लाए जाने वाले कक्ष को जबरदस्ती खोलना या उसमें प्रवेश करना वैध न होगा।

340. It shall be lawful for the Sale Officer to force open any stable, cow-house, granary, godown, out-house or other building and he may also enter any dwelling house, the outer door of which may be open and may break open the door of any room in such dwelling house for the purpose of attaching property belonging to a judgment-debtor and lodged therein:

Provided always that it shall not be lawful for the officer to break open or enter into apartment in such dwelling house appropriated for the *zenana* or residence of women except as hereinafter provided.

341. यदि विक्रय अधिकारी के पास यह मान लेने का कारण हो कि किसी निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति ऐसे निवास गृह में हो जिसका बाहरी द्वार बन्द हो या महिलाओं के लिए निर्धारित किसी ऐसे कक्ष में रखी है, जो रूढ़ी या प्रथा से वैयक्तिक समझा जाता है, तो विक्रय अधिकारी इस तथ्य की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी को देगा। ऐसी सूचना पर उक्त स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी ऐसे निवास गृह के बाहरी द्वार को उसी रीति से जबरदस्ती खोल सकता है जिस प्रकार वह गृह के भीतर, जनाने कक्ष में भिन्न, किसी भी कमरे के द्वारा को तोड़ सकता है। विक्रय अधिकारी जनाने कक्ष के भीतर की महिलाओं को हटने का तथा विधि नोटिस देने के पश्चात् और समुचित रूप से उनके हटने के साधन प्रस्तुत करने के पश्चात् यदि वे ऐसी महिलाएं हों जो रूढ़ी या प्रथा के अनुसार परदे से बाहर न आती हों, जनाने कक्षों में निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति कुर्क करने के प्रयोजनार्थ, यदि कोई वहां रखी गई हो, किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थित में प्रवेश कर सकता है, किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति पायी जाय, तो वह तुरन्त ऐसे कक्षों से हटायी जाएगी और उसके बाद उन कक्षों को पहले की तरह इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया जाएगा।

141. When the Sale Officer may have reason to suppose that the property of a judgment-debtor is lodged within a dwelling house the outer-door of which may be shut or within any apartment appropriated to woman, which by custom or usage are considered private, the Sale Officer shall represent the fact to the Officer-in-charge of the nearest police station on such representation of Officer-in-charge of the said station shall send a Police Officer to the spot in whose presence the Sales Officer may force open the outdoor of such dwelling house, in like manner as he may force open the door of any room within the house, other than the *zenana*. The Sale Officer may also, in the presence of a Police Officer, after due notice given for the removal of woman within a *zenana* and after furnishing means for their removal in a suitable manner, if they be women who according to the custom or usage, cannot appear in public, enter the *zenana* apartment for the purpose of attaching the judgment-debtor's property, if any deposited therein but such property, if found, shall be immediately removed from such apartments which shall thereafter be left free for occupation as before.

342. विक्रय अधिकारी बिक्री के पूर्ववर्ती दिनांक तथा बिक्री के दिनांक को उस गांव में जहां निर्णीत-ऋणी रहता है तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिनमें प्रतदान अधिकारी बिक्री का उचित विज्ञापन करना आवश्यक समझे, की जाने वाली अभिप्रेत बिक्री के समय तथा स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवाकर कर सकता है। अभिप्रेत बिक्री का दिनांक, नियम 335 में निर्धारित रीति से बिक्री नोटिस तालीम करने या चिपकाये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत होने के पूर्व नहीं होगा: प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो या उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो अपेक्षाकृत कोई ऐसा पहले का दिनांक निश्चित किया जा सकता है जब विक्रय अधिकारी धनराशि का उसके पूर्व भुगतान न किये जाने की दशा में बेच सकेगा।

142. The Sale Officer shall on the day previous to and on the day of sale, cause proclamation of the time and plce of the intended sale to be made by beat of drum in the village in which the judgment-debtor resides and in such other place or places as the Recovery Officer may consider necessary to give due publicity to the sale. The date for intended sale shall not be earlier than fifteen days from the date on which the sale notice has been served or affixed in the manner laid down in Rule 335:

Provided that where the property seized is subject to speedy and natural decay or where the expense of keepting it in custody is likely to exceed its value, an earlier date may be fixed on which the Sales Officer

may sell it unless the amount is sooner paid.

343. नियम 342 के अधीन निश्चित समय पर सम्पत्ति, एक या एक से अधिक ढेरियों में, जैसा विक्रय अधिकारी उचित समझे, रखी जायेगी और सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को बेची जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सबसे ऊँची बोली को स्वीकार करने के पश्चात् बोली बोलने वाले को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह अवशेष धनराशि तीन दिन की अवधि में जमा नहीं करता है जो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी:

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी को, प्रस्तुत मूल्य अनावश्यक रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य कारणों से उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इन्कार करने का अधिकार होगा, यदि सम्पत्ति देय धनराशि से अधिक मूल्य पर बिके, तो ब्याज आदेशिका के व्यय तथा अन्य व्ययों को काटकर, ऐसी अधिक धनराशि का निर्णीत ऋणी को भुगतान किया जायेगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्यादान अधिकारी या विक्रय अधिकारी, विवेक से, उसे किसी निर्दिष्ट दिनांक तथा समय के लिये स्थगित कर सकता है और ऐसे स्थगन के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। यदि ऐसी स्थगित बिक्री सात दिनों से अधिक अवधि के लिए हो तो नियम 342 के अनुसार नवीन घोषणा की जायेगी, जब तक निर्णीत-ऋणी उसको अधित्याग करने की सहमति न दे दे।

143. At the time appointed under Rule 342 the property shall be put up in one or more lots, as the Sales Officer may consider advisable, and shall be disposed of to the highest bidder :

Provided that the highest bidder shall have to immediately deposit 25 per cent earnest money as security. If he does not deposit the remaining amount of the bid with in three days his earnest money or security shall be confiscated:

Provided that it shall be open to the Sales Officer to decline to accept the highest if the price offered appears to be unduly low or for other reasons. If the property is sold for more than the amount due, the excess amount, after deducting the interest and the expenses of process and other charges, shall be paid to the judgment-debtor:

Provided further that the Recovery Officer or the Sale Officer may, in his discretion adjourn the sale to a specified day and hour recording to his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned for longer period than seven days, a fresh proclamation according to Rule 342 shall be made unless the judgment-debtor consents to waive it.

344. बिक्री के समय सम्पत्ति के लिये भुगतान नकदी में किया जाय और क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग ले जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके लिये वह पूरा भुगतान न कर दे। यदि क्रेता क्रय की धनराशि का भुगतान करने में चूक करे तो सम्पत्ति की पुन: बिक्री की जायेगी।

344. The property shall be paid for in cash at the time of sale and the purchaser shall not be permitted to carry away any part of the property until he has paid for it in full where the purchaser fails to pay the purchase money, the property whall be re-sold.

345. यदि इस नियमावली के अधीन कुर्क कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या गुप्त रूप से हटायी गयी हो तो बिक्रय अधिकारी ऐसी सम्पत्ति की वापसीके लिये क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट का प्रार्थना-पत्र में कथित तथ्यों की सत्यता के विषय में समाधान हो जाय ता वह विक्रय अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति लौटाये जाने का आदेश दे सकता है।

345. Where any property which has been attached under these rules, has been forcibly or clandestinely removed by any person, the Sale Officer may apply to the Magistrate having jurisdiction for restoration of such property. Iv the Magistrate is satisfied about the truth of the facts as alleged in the application, he may order forthwith such property to be restored to the Sale Officer.

346. यदि बिक्री के पहले निर्णीत-ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कुर्क की गयी सम्पत्ति में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज सहित देय पूर्ण धनराशि का तथा सम्पत्ति कुर्क करने में उपगत अन्य व्ययों का भुगतान कर दे तो बिक्रय अधिकारी तुरन्त कुर्की का आदेश निरस्त करेगा और सम्पत्ति को मुक्त कर देगा।

346. Where prior to the sale, the judgment-debtor or any person acting on his behalf or any person claiming an

interest in the property attached pays the full amount due, including interest and other expenses incurred in attaching the property. the Sale Officer shall cancel the order of attachment and release the property forthwith.

347. धारा 39 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये चल सम्पत्ति, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर) 908 (1908 की संख्या 5) की धारा 60 के अधीन कुर्की किये जाने से मुक्त है इस नियमावली के अधीन न तो कुर्क की जा सकती है और न बेची जा सकेगी।

347. Subject toe the provisions of Section 39, the movable property which is exempted from attachment under Section 60, of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall not be liable to attachment or sale under these rules.

अन्य अचल चल सम्पत्ति की कुर्की

Attachment of other Movable Property

348. यदि कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति सरकार या रेलवे या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सेवक का वेतन या भत्ता या मजदूरी हो तो प्रत्यादान (रिकवरी) अधिकारी, विक्रय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश दे सकता है कि धनराशि, सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर) 1908 (1908 की संख्या 5) की धारा 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे वेतन या भत्ते या मजदूरी में से या तो एक बार के भुगतान के या मासिक किस्तों में जैसा उक्त प्रत्यादान अधिकारी निर्देश दे, रोक ली जाये और ऐसे आदेश का नोटिस मिलने पर ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका कार्य ऐसे वेतन, भत्तों या मजदूरी का वितरण करना हो तो, उक्त धनराशि रोक लेगा तथा विक्रय अधिकारी को, यथास्थिति, आदेश क अधीन देय धनराशि या मासिक किस्त भेज देगा।

348. Where the movable property to be attached is the salary or allowances or wages of an officer or servant of Government or Railway or local authority or a co-operative society, the Recovery Officer may on receiving a report from the Sales Officer, order that the amount shall, subject to the provisions of Section 60 fo teh Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908), be withheld from such shalary or allowances or wages, shall withhold and remit to the Sales Officer the amount due under the order or the monthly instalments, as the case may be.

349. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति निर्णीत-ऋणी का किसी ऐसी चल सम्पत्ति में अंश या हित हो तो निर्णीत - ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के सहस्वामित्व में हो तो कुर्की, निर्णीत-ऋणी को अपने अंश या हित का अतंरण करने या उसे भारित करने या किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन करने से निषिद्ध करने का नोटिस देकर की जायेगी।

349. Where the property to be attached consists of the share of interest of the judgment-debtor in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the judgment-debtor, prohibiting him from transferring the share or interest or charging or changing it in any way.

350. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कोई परक्राम्य लिखित हो, जो न तो किसी न्यायालय में जमा हो और न ही किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रखा गया हो, तो कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जायेगी और उक्त लिखत कुर्की का आदेश देने वाले प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय में लाया जाएगा जहां वह उसके अगले आदेश दिये जाने के अधीन रखा जाएगा।

350. Where the property to be attached is a negotiable instrument not deposited in a court, or in the custody of a police officer, the attachment shall be made by actual seizure and the instrument shall be brought to the office of the Recovery Officer ordering the attachment and be held subject to his further orders.

351. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में हो तो, कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को नोटिस देकर की जाएगी जिसमें यह प्रार्थना की जाएगी कि उक्त सम्पत्ति तथा कोई ब्याज या लाभांश को, जो उस पर देय हो गये हों, नोटिस जारी करने वाले प्रत्यादान अधिकारी के अगले आदेश दिये जाने के अधीन रहते हुये रोक लिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति किसी अन्य जिले के न्यायालय या प्रत्यादान अधिकारी की अभिरक्षा में हो, तो

डिक्रीधारी तथा निर्णीत-ऋणी से किसी भी अन्य व्यक्ति, जो ऐसी सम्पत्ति में, अभ्यपर्ण, कुर्की या अन्य किसी आधार पर दावा करता हो, के बीच प्राथमिकता हक या पूर्वता के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्न का अवधारण, यथास्थिति ऐसे न्यायालय या प्रत्यादान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

351. Where the property to be attached is in the custody of any Court or Public Officer, the attachment shall be made by a notice to such court or officer requesting that such property and any interestor dividend becoming payable thereon may be held subject to the further orders of the Recovery Offiicer issuing the notice :
Provided that where such property is in the custody of a Court or Recovery Officer of another district, any question of title or priority arising between the decree-holder and any other person not being the judgment-debtor claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise, shall be determined by such Court or Recovery Officer, as the case may be.

352. उस दशा में जब कि कोई सम्पत्ति किसी धनराशि के भुगतान या किसी बंधक अथवा प्रभार के आधार पर बिक्री के लिये दिये गये किसी अधिनिर्णय के निष्पादन में, अथवा ऐसे आदेश के निष्पादन में जब कि वह अधिनिर्णय हो या ऐसे आदेश के निष्पादन में जिसका उल्लेख धारा 92 में किया गया हो, कुर्क की जानी हो तो निबन्धक के आदेश से कुर्क की जाएगी।

352. Where the property ot be attached in execution of an award or order is an award or order referred to in Section 92 either for the payment of money or for sale in encorcement of a mortgage or charge, the attachment shall be made by an order of the Registrar.

353. यदि नियम 352 के अधीन कुर्की के लिये आदेश दिया गया हो, तो निबन्धक उस डिक्रीधारी के प्रार्थना-पत्र पर जिसने अधिनिर्णय या आदेश सम्बन्धी कुर्की कराई हो, कुर्की सम्बन्धी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिये आदेश देगा और निष्पादित किये जाने वाले अधिनिर्णय या आदेश की पूर्ति के लिये शुद्ध आय के उपयोग के भी आदेश होगा।

353. Where an order for attachment has been made under Rule 352 the Registrar shal, on the application of the decree-holder, who has got the award or order attached, make orders for the execution of the attached award or order and also for the application of the net proceeds in satisfaction of the award or order sought to be executed.

354. किसी ऐसे अधिनिर्णय या आदेश को, जिसे नियम 352 में विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी दूसरे अधिनिर्णय या आदेश की कुर्की करके निष्पादित करना हो, धारण करने वाले व्यक्ति को कुर्क दियेगये अधिनिर्णण या आदेश के धारक का प्रतिनिधि समझा जायेगा और वह कुर्क किये गये अधिनिर्णय या आदेश का अधिनियम और नियमों में दी गयी किसी रीति से निष्पादित करने का हकदार होगा :

354. The holder of an award or order sought to be executed by the attachment of another award or order of the nature specified in Rule 352, shall be deemed to be the representative of the holder of the attached award or order and to be entitled to execute such attached award or order in any manner provided in the Act and the Rules.

355. यदि किसी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादनमें कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति नियम 352 में निर्दिष्ट प्रकार के अधिनिर्णय या आदेश से भिन्न डिक्री हो तो कुर्की प्रत्यादान अधिकारी द्वारा ऐसे डिक्रीधारी को नोटिस जारी करके की जायेगी जिसमें उसे किसी भी प्रकार से उसका अन्तरण करने या उस पर किसी प्रकार पारित करने से निषिद्ध किया जाएगा।

355. Where the property to be attached in execution of an award or order is the decree other than an award or order of the nature referred to in Rule 352, the attachment shall be made by the issue of a notice by the Recovery Officer to the holder of such decree, prohibiting him from transferring or charging the same in any way.

356. नियम 352 से 355 के अधीन कुर्क किये गये अधिनिर्णय, आदेश या डिक्रीधारक अधिनिर्णय आदेश या डिक्री का निष्पादन करने वाले प्रत्यादान अधिकारी को ऐसी सूचना तथा सहायता देगा जो समुचित रूप से अपेक्षित हो।

356. The holder of an award or order or decree attached under Rules 352 to 355 shall give the Recovery Officer executing the award, order or decree such information and aid as may reasonably be required.

357. किसी ऐसे अधिनिर्णय या आदेश के, जिसे दूसरे अधिनिर्णय, आदेश या डिक्री की कुर्की करके निष्पादित किया जाना हो, धारक के प्रार्थना-पत्र पर निबन्धक, या प्रत्यादान अधिकारी, यथास्थिति, जो कुर्की का आदेश दे, उस निर्णीत-ऋणी का जो

अधिनिर्णय, आदेश या कुर्क की गयी डिक्री से बाध्य हो, ऐसे आदेश का नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पश्चात कुर्की के अधिनिर्णय, आदेश की डिक्री के सम्बन्ध में ऐसे आदेश का उल्लंघन करके निर्णीत-ऋणी द्वारा किया गया भुगतान या समायोजन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि कुर्की लागू रहे।

357. On the application of the holder of an award or order sought to be excuted by the attachment of another award, order or decree, the Registrar or the Recovery Officer, as the case may be, making an order of attachment, shall give notice of such order to the judgment-debtor bound by the award, order or decree attached; and no payment or adjustment of the attached award order or decree made by the judgment-debtor in contravention of such order after receipt of the notice thereof shall be recognised so long as the attachment remains in force.

358. (1) यदि कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति-

(क) निर्णीत ऋणी द्वारा देय ऋण हो;

(ख) किसी निगम की पूंजी में अंश या उसमें विनियोजित जमा हो; या

(ग) किसी दीवानी न्यायालय में जमा की गयी अथवा उसकी अभिरक्षा में सम्पत्ति को छोड़कर, ऐसी चल सम्पत्ति की जो निर्णीत-ऋणी के कब्जे में न हो, कुर्की प्रत्यादान अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त लिखित आदेश से की जाऐगी जिसमें-

(i) किसी ऋण की दशा में ऋणदाता को ऋण की वसूली से और ऋणी को उसका भुगतान करने से;

(ii) किसी अंश या जमा की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके नाम से अंश या जमा हो, अंश या जमा का अन्तरण करने या उस पर कोई लाभांश या ब्याज लेने से; और

(iii) उपर्युक्त को छोड़कर किसी अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह हो, निर्णीत-ऋणी को देने से; निषिद्ध किया जाएगा।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति, ऋण की दशा में, ऋणी को, अंश या जमा धनराशि की दशा में निगम के सम्यक् अधिकारी को, किसी न्यायालय में जमा की गयी या उसके अभिरक्षित सम्पत्ति को छोड़कर अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो, भेजी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट ऋण या उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट जमा की अवधि पूर्ण होने पर प्रत्यादान अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को उसे धनराशि भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अंश लौटाने योग्य न हो तो उक्त प्रत्यादान अधिकारी दलाल के माध्यम से उसे बेचने का प्रबन्ध करेगा। यदि अंश लौटाने योग्य न हो तो उक्त प्रत्यादान अधिकारी, दलाल के माध्यम से उसे बेचने का प्रबन्ध करेगा। यदि अंश लौटाने योगय हो तो उसके मूल्य का भुगतान, ज्यों ही वह देय हो जाय उक्त प्रत्यादान अधिकारी को किया जाएगा। उपरिलिखित उपनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उसे, ज्यों ही वह निर्णीत ऋणी को देय जो जाये, प्रत्यादान अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति जिससे प्रत्यादान अधिकारी को धनराशि देने या सम्पत्ति सौंपने की अपेक्षा की गयी हो, प्रत्यादान अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करेगा और प्रत्यादान अधिकारी को धनराशि का भुगतान किये जाने या सम्पत्ति सौंपे जाने के फलस्वरूप, वह व्यक्ति प्रभावी ढंग से उसी प्रकार मुक्त समझा जाएगा जैसे कि उसने उसे उसी पक्ष को भुगतान किया हो या सम्पत्ति सौंपी हो जो उसे प्राप्त करने का अधिकारी है।

358. (1) Where the movable property to be attached is -

(a) a debt to the judgment-debtor;

(b) a share in the capital of a corporation or a deposit invested therein; or

(c) other movable property not in the possession of the judgment-debtor, except property deposited in or in the custody of any court, the attachment shall be made by a written order signed by the Recovery Officer prohibiting-

(i) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof;

(ii) in the case of a share or deposit, the person in whose name the share or the deposit may be standing from transferring the share or deposit or receiving any dividend or interest thereon; and

(iii) in the case of any other movable property except a foresaid, the person in possession of it from giving it over to the judgment-debtor.

(2) A copy of such order shall be sent in the case of the debt, to the debtor in the case of the share or deposit, to the proper officer of the corporation and in the case of the other movable property, except property deposite in or in the custody of a court, to the person in possession of such property.

(3) As soon as the debt referred to in Clause (a) of Sub-rule (1) or the deposit referred to in Clause (b) of Sub-rule (1) matures, the Recovery Officer may direct the person concerned to pay the amount to him. Where the share referred to in clause (b) is not withdrawable, the said Recovery Officer shall arrange for its sale through a broker. Which the share is withdrawable, its value shall be paid to the said Recovery Officer as soon as it become payable. In the case of other movable proverty referred to in Clause (c) of Sub-rule (1) above, the same shall be placed inthe hands of the said Recovery Officer as soon as it becomes deliverable to the judgment-debtor.

(4) A person who has been required to pay the amount to Recovery Officer or to place the property in the hands of he Recovery Officer, shall comply with the orders of the Recovery Officer and the payment of the amount or delivery of the property to the Recovery Officer, shall discharge such person as effectually as the payment or delivery to the party entitled to receive the same.

अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री

Attachment and Sale of Immovable Property

359. (क) किसी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में कोई अचल सम्पत्ति तब तक नहीं बेची जाएगी जब तक कि ऐसी सम्पत्ति पहले कुर्क न की गयी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति के बन्धक होने के आधार पर अधिनिर्णय या आदेश प्राप्त किया गया हो तो उसकी कुर्की करना आवश्यक न होगा।

(ख) अचल सम्पत्ति को इस आशय के एक आदेश द्वारा कुर्क किया जाएगा जिसमें निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने या भारित करने में और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या भारित किये जाने से कोई लाभ उठाने से रोक दिया जाएगा।

359. (a) No immovable property shall, except as provided in the Act, be sold in execution of an award or order unless it has been proviously attached:

Provided that where the award or order has been obtained on the basis of a mortgage of such property, it shall not be necessary to attach it.

(b) Immovable property shall be attached by an order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge.

360. (क) विक्रय अधिकारी नियम 333 के उपनियम (ग) के अधीन जारी किये मांग-नोटिस की एक प्रति निर्णीत-ऋणी पर या, यदि वह उपलब्ध न हो, तो उसके परिवार केकिसी व्यस्क पुरूष सदस्य पर अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट पर तामील करेगा या तामील करायेगा अथवा इस प्रकार तामील किया जाना सम्भव न हो तो उसकी एक प्रति अचल सम्पत्ति के, जिसे यथास्थिति, कुर्क करना और बेचना हो अथवा कुर्क किये बिना बेचना हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकायेगा।

(ख) यदि निर्णीत-ऋणी विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान, मांग नोटिस की शर्तो के अनुसार न करे तो विक्रय अधिकारी मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट अचल सम्पत्ति को, यथास्थिति, कुर्क करने और बेचने या कुर्क किये बिना बेचने की कार्यवाही करेगा।

(ग) कुर्की के आदेश को कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति पर या उससे आसन्न किसी स्थान पर और ऐसे अन्य स्थान या

स्थानों पर जो प्रत्यादान अधिकारी बिक्री का उचित विज्ञापन करने के लिये आवश्यक समझे, डुग्गी पीटकर या अन्य प्रचलित रीति से उद्घोषित किया जाएगा और आदेश की एक प्रतिलिपित अचल सम्पत्ति के किसी प्रमुख भाग पर चिपकायी जाएगी।

(घ) कुर्की के आदेश की एक प्रतिलिपि निर्णीत-ऋणी पर भी व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी और यदि वह उपलब्ध न हो तो उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य या उसके प्राधिकृत एजेंट पर तामील की जाएगी और यदि इस प्रकार की तामील सम्भव न हो तो निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकायी जाएगी।

(ङ) बिक्री की उद्घोषणा, बिक्री के लिए निश्चित दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय और तहसील तथा खण्ड कार्यालय में नोटिस चिपकाकर की जाएगी। इसकी सूचना सम्बद्ध क्षेत्र में बिक्री से दो दिन पूर्व और बिक्री के दिन भी, बिक्री प्रारम्भ करने से पहले, डुग्गी पीटकर की जाएगी। यदि बिक्री के पूर्व कुर्की करना अपेक्षित हो तो ऐसी उद्घोषणा कुर्की हो जाने के पश्चात् की जाएगी। डिक्रीधारी तथा निर्णीत-ऋणी को भी नोटिस दिया जाएगा। उद्घोषणा में बिक्री का दिनांक समय और स्थान बताया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के सम्बन्ध में यथा सम्भव समुचित रूप से और ठीक-ठीक उल्लिखित होगा-

(1) बेची जाने वाली सम्पत्ति

(2) कोई भार जो सम्पत्ति पर हो

(3) वह धनराशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया हो, और

(4) प्रत्येक अन्य विषय जिसे विक्रय अधिकारी सम्पत्ति के प्रकार तथा मूल्य का क्रेता द्वारा अनुमान लगाने के लिए सारवान समझे।

(च) जब कोई अचल सम्पत्ति इन नियमों के अधीन बेची जाये तो बिक्री उस सम्पत्ति पर, पूर्व भार के, यदि कोई हो, अधीन होगी। जब वह धनराशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री की जाये, सौ रुपये से अधिक हो, तो डिक्रीधारी विक्रय अधिकारी को ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा या प्रतदान अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाये, बेची जाने वाली सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से या, नियम 359 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आने वाले मामलों की दशा में निष्पादन के प्रार्थना-पत्र के दिनांक से कम से कम 12 वर्ष पहले की अवधि की भारग्रस्तता प्रमाण-पत्र पंजीकरण विभाग से लेकर प्रस्तुत करेगा। भारग्रस्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का समय, यथास्थिति, विक्रय अधिकारी या प्रत्यादान अधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि समबद्ध अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने के कारण भारग्रस्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तो गांव के पटवारी (लेखपाल) का उन भारों के सम्बन्ध में, जो उसे मालूम हो, एक शपथ-पत्र जिसके साथ पंजीकरण विभाग का इस आशय का एक प्रमाण-पत्र होगा कि सम्बद्ध अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने के कारण भारग्रस्तता के प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जायेगा।

(छ) बिक्री, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी का यह अधिकार होगा कि सबसे ऊंची बोली को, इस कारण से कि दिया जाने वाला मूल्य अनावश्यक रूप से कम जान पड़ता है या अन्य किसी कारण से , अस्वीकार कर दे: और

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्यादान अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्वविवेक से स्थगन के कारणों को अभिलिख्ति करते हुये बिक्री को किसी विनिर्दिष्ट दिन और समय के लिये स्थगित कर सकता है। यदि बिक्री इस प्रकार सात दिन से अधिक अवधि के लिये स्थगित की जाये तो जब तक कि निर्णीत-ऋणी उद्घोषणा न करने के लिये लिखित सहमति न दे दें, खण्ड (ङ) के अधीन फिर से उद्घोषणा की जायेगी।

(ज) बिक्री उस दिनांक से, जब उद्घोषणा का नोटिस या प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय में चिपकायी जाये, कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् की जायेगी। बिक्री का समय, दिनांक और स्थान प्रत्यादान अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा और बिक्री उस स्थान पर जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति स्थित हो या उसके ऐसे निकटस्थ प्रमुख सार्वजनिक स्थान जिसे उक्त प्रत्यादान अधिकारी निश्चित करे, की जायेगी।

(झ) क्रेता नीलामी से खरीदी गयी अचल सम्पत्ति के मूल्य में पंद्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि खरीदने के समय विक्रय अधिकारी को भुगतान करेगा और ऐसा न करने पर, सम्पत्ति तुरन्त फिर से बेच दी जायेगी:

(ञ) क्रय-धन की शेष धनराशि और विक्रय प्रमाण-पत्र के निमित्त साधारण स्टाम्प के लिये अपेक्षित धनराशि का भुगतान बिक्री के दिनांक से पन्द्रह दिन तक बढ़ाया जा सकता है:

(ट) यदि उपनियम (ञ) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति तक क्रय धन की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तो-

(1) उपनियम (झ) के अधीन जमा धनराशि प्रतदान अधिकारी के विवेक से, बिक्री का व्यय देने के पश्चात् सरकार के प्रति जब्त कर ली जायेगी, और

(2) बाकीदार क्रेता का सम्पत्ति में अथवा धनराशि के किसी ऐसे भाग में, जिसके लिये वह सम्पत्ति बाद में बेची जाये, कोई दावा न होगा।

(ठ) खण्ड (ञ) में उल्लिखित धनराशि के भुगतान के लिये अनुमत अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर अचल सम्पत्ति की दुबारा बिक्री, इस नियम में बिक्री के लिये नियत रीति से और अवधि के लिये फिर से उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् की जायेगी।

(ड) यदि डिक्रीधारी सम्पत्ति का क्रय करे तो क्रय धन और अधिनिर्णय या आदेश के संबंध में देय धनराशि की मुनराई (सैट ऑफ) एक दूसरे की जायेगी और विक्रय अधिकारी अधिनिर्णय या आदेश की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से तुष्टि पश्चात् तद्नुसार प्रविष्टि करेगा।

360. (a) The sale Officer shall serve or cause to be served a copy of the demand notice issued under Sub-rule (c) or Rule 333 upon the judgment-debtor and if he is not available, upon some adult male member of his gamily or upon his authorised agent and if such service is not possible, a copy thereof shall be affixed on some conspicuous part of the immovable property sought to be attached and sold or sold without attachment, as the case may be.

(b) If the judgment debtor fails to pay the amount in terms of the demand notice, the Sale Officer shall proceed to attach and sell or sell without attachment, as the case may be, the immovable property specified in the demand notice.

(c) The order of attachment shall be proclaimed at some place on or adjacent to such property by beat of drum or other customary mode and at such other place or places as the Recovery Officer may consider necessary, to give due publicity to the sale and a copy of the order shall be affixed on some conspicuous part of the immovable property.

(d) A copy of the attachment order shall also be served upon the judgment-debtor personally and if he is not available, upon some adult male member of his family or upon his authorised agent and if such service is not possible, it shall be affixed at some conspicuous part of last known place of his residence.

(e) Where sale is to be held, the proclamation of sale shall be published by affixing a notice i the office of the Recovery Officer and in the Tehsil and Block Office at least thirty days before the date fixed for the sale. It shall also be published by beat of drum in the locality on two consecutive days previous to the date of sale and on the day sale prior to the commencement of the sale, Such proclamation shall, where attachment has been effected. Notice shall also be given to the decree-holder and the judgment-debtor. The proclamation shall state the date time and place of sale and specify as fairly and accurately as possible:-

(i) the property to be sold,

(ii) any encumbrance to which the property is liable,

(iii) the amount for the recovery of which sale is ordered, and

(iv) any other matter which the Sales Officer considers material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of the property.

(f) Where any immovable property is sold under these rules, the sale shall subject to the prior encumbrances, on the properly, if any. The decree-holder shall, when the amount for the realisation of which the sale is held, exceeds rupees one hundred, furnish to the Sale Officer within such time as may be fixed by him or by the Recovery Officer, an encumbrance certificate from the Registration

Department for the period of not less than twelve years prior to the date of attachment of the property sought to be sold or in cases falling under the proviso to Rule 359 prior to the date of the application for execution. The time for the production of the encumbrance certificate may be extended at the discretion of the Sale Officer or the Recovery Officer, as the case may be:

Provided that in case where an encumbrance certificate is not obtainable owing to the destruction of the connected records, an affidavit from the village patwari *(Lekhpal)* with regard to the encumbrances known to him supported by a certificate from the Registration Department that the encumbrance certificate cannot be granted owing to the destruction of the connected records, shall be accepted in the place of an encumbrance certificate.

(g) The sale shall be by public auction to the highest bidder, provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other reasons.

Provided also that the Recovery Officer or the StateOfficer may, at his discretion, adjourn the sale to a specified day and hour, recording his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned to a longer period than seven days, a firesh proclamation under clause (e) shall be made, unless the judgment-debtor consents in writing to waive it.

(h) The sale shall be after the expiry of not less than thirty days calculated from the date on which notice of the proclamation was affixed in the office of the Recovery Officer. The date time and place of sale shall be fixed by the Recovery Officer and the place of sale shall be the locality where the property to be sold is situated or such adjoining prominent public place as may be fixed by the said Recovery Officer.

(i) An amount equal to fifteen per cent of the price for which the immovable property is purchased in the aucion shall be paid by the purchaser to the Sales Officer at the time of purchase and in default of such deposit the property shall forthwith be resold:

Provided that where the decree-holder is the purchase money, the Sales Officer shall dispense with the requirements of the foregoing rule.

(j) The reminder of the purchase money and the amount required for the general stamp for the sale certificate shall be paid within fifteen days from the date of sale :

Provided that the time for payment of the cost of the stamp may, for good and sufficient reasons, be extended at the discretion of the Recovery Officer up to thirty days from the date of sale:

Provided further that in calculating the amounts to be paid under this clause, the purchaser shall have the advantage of any set-off to which be may he entitled under clause (i).

(k) If by the expiry of the period mentioned in clause (j), the entire amount of purchase money is not paid-

(i) the deposit paid under clause (i) shall, at the discretion of the Revocery Officer, be forfeited to the Government after defraying the expenses of sale, and

(ii) the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

(l) Every re-sale of immovable property in default of payment of the amount mentioned in clause (j) within the period allowes for such payment shall be made after the issue of a fresh proclamation

(m) Where a decree-holder purchases the property-the purchase money and the amount due on the award or order shall be set off against one another, and the Sale Officer shall enter up on satisfaction of the award or order in whole or in part accordigly.

361. (1) जब अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये आदेश दे दिये गये हों, यदि निर्णीत-ऋणी प्रत्यादान अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि यह विश्वास करने का कारण है कि बिक्री की धनराशि को बंधक या पट्टा या ऐसी सम्पत्ति के या उसके किसी भाग को या निर्णीत-ऋणी को किसी अन्य अचल सम्पत्ति की बिक्री गैर सरकारी विक्रय द्वारा बढ़ायी जा सकती है तो प्रत्यादान अधिकारी निर्णीत-ऋणी द्वारा आवेदन-पत्र देने पर आदेश में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ताकि निर्णीत-ऋणी धनराशि में वृद्धि कर सके।

(2) ऐसी दशा में प्रत्यादान अधिकारी निर्णीत-ऋणी को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर प्रस्तावित बंधक, पट्टा या विक्रय का प्राधिकार देने वाला एक प्रमण-पत्र प्रदान करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि बंधक, पट्टा या विक्रय के अधीन देय सभी धनराशियों का भुगतान निर्णीत-ऋणी को नहीं बल्कि प्रत्यादान अधिकारी ने इसकी पुष्टि न कर दी हो।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के अधीन कोई भी बंधक, पट्टा या विक्रय पूर्ण न होगा जब तक कि प्रतदान अधिकारी ने इसकी पुष्टि न कर दी हो।

(3) इस नियम में दी गयी कोई बात उस सम्पत्ति की बिक्री के लिये जिसे बंधक या प्रभार के प्रवर्तन के संबंध में अधिनिर्णय या विक्रय आदेश के निष्पादन के लिये बेचने के आदेश हों, लागू नहीं समझी जायेगी।

361. (i) Whrer an order for the sale of immovable property has been made, if the judgment-debotr satisfies the Recovery Officer that there is reason to believe that the amount of the decree may be raised by the mortgage or lease or private sale of such property or some part thereof or of any other immovable property of the judgment-debtor, the Recovery Officer may, on the application of judgment-debtor, postpone the sale of his property comprised in the order for sale on such terms and for such period as he thinks property comprised in the order for sale on such terms and for such period as he thinks proper, to enable the judgment-debtor to raise the amount.

(ii) In such case the Recovery Officer shall grant a certificate to the judgment-debtor authorising him within a period to be mentioned therein to make the proposed mortgage, lease or sale. Provided also that no mortgage, Lease or sale under this rule shall become absolute until it has been confirmed by the Recovery Officer :

(iii) Nothing in this rule shall be deemed to apply to a sale of property directed to be sold in execution of an award or order for sale, in enforcement of mortgage of, or charge on, such property.

362. यदि बिक्री के पूर्व, निर्णीत-ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति में जिसे बेची जानी हो, हित या दावा करने वाला कोई व्यक्ति बयज, सम्पूर्ण देय धनराशि और सम्पत्ति को बेचन में हुये व्यय जिसके अन्तर्गत कुर्की का, यदि कोई हो, व्यय भी है, दे दे तो विक्रय अधिकारी, यदि सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी हो, कुर्की का आदेश रद्द करने के पश्चात् सम्पत्ति तुरन्त छोड़ देगा।

362. Where prior to the sale, the judgment-debtor or any person acting on his behalf of any person claiming an interest in the property sought to be sold, tenders payment of the full amount due together with interest and the expenses incurred in bringing the property to sale, including the expenses of attachment, if any, the Sales Officer shall forthwith release the property after cancelling where the property has been attached, the order of attachment.

363. (1) यदि अचल सम्पत्ति बेच दी गयी हो तो कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी हो अथवा ऐसी बिक्री के पूर्व अर्जित किसी आगम के कारण उसमें हित रखता हो, प्रत्यादान अधिकारी के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करके बिक्री को रद्द करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है-

(i) क्रेता को भुगतान करने के लिये क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि; और

(ii) डिक्रीधारी को भुगतान करने के लिये, बिक्री की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया धनराशि जिकी वसूली के लिये बिक्री का आदेश दिया गया, और उस पर ब्याज और कुर्की का, यदि कोई हो और बिक्री का व्यय तथा ऐसी धनराशि के संबंध में अन्य व्यय, जिसमें से वह धनराशि कम कर दी जायेगी जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक के बाद डिक्रीधारी को प्राप्त हो जाये।

(2) यदि ऐसी जमा धनराशि और प्रार्थना-पत्र बिक्री के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जाय तो प्रत्यादान अधिकारी बिक्री को रद्द करने का आदेश देगा और क्रेता को अब तक जमा की गयी धनराशि और प्रार्थी द्वारा जमा की गयी पांच प्रतिशत धनराशि देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने इस उपनियम के अधीन धनराशि जमा की हो और प्रार्थना-पत्र दिया हो तो सबसे पहले जमा करने वाले का प्रत्यादान अधिकारी को दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी चल सम्पत्ति के विक्रय को रद्द करने के लिए नियम 364 के अधीन आवेदन पत्र

दिया हो तो उस नियम के अधीन आवेदन-पत्र देने का तब तक हकदार न होगा जब तक कि वह उक्त आवेदन-पत्र वापस न ले ले।

(4) इस नियम की किसी बात से निर्णीत-ऋणी बिक्री की उद्घोषणा के अन्तर्गत न आने वाले मूल्य और ब्याज के दायित्व से मुक्त न होगा।

363. (1) Where immovable property has been sold, the person either owning such property or holding an interest therein by virtue of a title acquired before such sale, may apply to have the sale set aside on his depositing with the Recovery Officer :-

(i) for payment to the purchaser, a sum equal to five per cent of the purchase money; and

(ii) for payment to the decree-holder, the amount of arrears specified in the proclamation of sale for the recovery of which the sale was ordered together with interest thereon and the expenses of attachment, if any, and of sale and other costs due in respect of such amount less the amounts which may since the date of such proclamation have been received by the decree-holder.

(2) If such deposit and application are made within thirty days from the date of the sale, the Revovery officer shall pass an order setting aside the sale and shall repay to the purchaser, the purchase money so far as it has been deposited together with the amount of five per cent deposited by the applicant :

(3) Where a person makes an application under Rule 364 to set aside the sale of his immovable property, he shall not, unless he withdraws the said application, be entitled to make an application under this rule.

(4) Nothings in this rule shall relieve the judgment-debtor from any liability he may be under in respect of costs and interest not covered by the proclamation of sale.

364. (क) किसी अचल सम्पत्ति के बिक्री ने दिनांक के तीस दिन के भीतर किसी समय डिक्रीधारी या कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार हो जिसके हितों पर बिक्री से प्रभाव पड़ता हो, बिक्री के सम्बन्ध में विज्ञापन या उसके संचालन में किसी सारवान अनियमितता या त्रुटि अथवा कपट के कारण उसे रद्द करने के लिए प्रत्यादान अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी बिक्री अनियमितता या त्रुटि अथवा कपट के कारण तब तक रद्द न की जायेगी जब तक प्रत्यादान अधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि प्रार्थी के हितों को ऐसी अनियमितता, त्रुटि या कपट के कारण पर्याप्त क्षति पहुंची है।

(ख) यदि प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया जाय तो उक्त प्रत्यादान अधिकारी बिक्री रद्द कर देगा और वह फिर से बिक्री करने का निर्देश दे सकेगा।

364. (a) At any time within thirty days from the date of the sale of an immovable property, the decree-holder or any person entitled to a share in the property or whose interest are affected by the sale, may apply to the Recovery Officer to set aside the sale on the ground of a material irregularity or mistake or fraud in publishing or conducting it :

Provided that no sale shall be set aside on the ground of irregularity or mistake or fraud unless the said Recovery Officer is satisfied that the applicant has sustained substantial injury to his interest by reason of such irregularity, mistake or fraud.

(b) If the application be allowed, the said Recovery Officer shall set aside the sale and may direct a fresh one.

365. (क) यदि नियम 363 या नियम 364 के अधीन बिक्री रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र न दिया गया हो अथवा यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया गया हो किन्तु वह अस्वीकार कर दिया गय हो तो बिक्री के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर उक्त प्रत्यादान अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसे ऐसा सोचने का कारण हो कि बिक्री रद्द करने के लिए भले ही कोई प्रार्थना-पत्र न दिया गया हो या किसी ऐसे प्रार्थना-पत्र में जो दिया गया हो और अस्वीकार्य कर दिया गया हो, अभिकथित कारणों से भिन्न कारण से रद्द कर दी जानी चाहिए तो वह उन कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् बिक्री रद्द कर

सकता है।

(ख) जब कभी किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि न की जाय अथवा वह रद्द कर दी जाये तो, यथास्थिति, जमा या क्रय धन क्रेता को वापस कर दिया जायेगा।

365 (a) On the expiration of thirty days from the date of the sale if no application to have the sale set aside, either under Rule 363 or Rule 364 is made or such application has been made and is rejected, the said Recovery Officer shall make an order confirming the sale :

Provided that if he has reasons to think that the sale ought to be set aside not with standing that no such application has been made or on grounds other than those alleged in any appliaction which has been made and rejected, he may after recording reasons in writing, set aside the sale.

(b) Whenever the sale of any immovable property is not confirmed or is set aside, the seposit or the purchase-money, as the case may be, shall be returned to the pruchaser.

366. बिक्रि की पुष्टि होने पर प्रत्यादान अधिकारी, क्रेता को अपनी मुहर लगाकर और हस्ताक्षर कर के बिक्री का प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसे प्रमाण-पत्र में बेची गई सम्पत्ति के ब्यौरे तथा क्रेता का नाम दिया होगा और वह ऐसे क्रेता को बेचे जाने के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

366. On the confirmation of a sale, the Recovery Officer shall grant a certificate of sale bearinghis seal and signature to the purchaser, and such certificate shall state the particulars of the property sold and the name of the purchaser and it shall be conclusive evidence of the fact of the sale to such purchaser.

367. यदि इन नियमों के अधीन कोई कुर्की की गयी हो तो कुर्क सम्पत्ति या उसमें किसी के हित का कोई भी व्यक्तिगत संक्रमण या निर्णीत-ऋणी को ऐसी कुर्की के विपरीत, किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनराशि का भुगतान कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय समस्त दावों के प्रति निष्प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी कुर्की के अधीन परिवर्तनीय दावों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का अनुपातिक रीति से वितरण भी है।

367. Where an attachment has been made under these rules, any private transfer or delivery of the property attachedor of any interest therein and any payment to the judgment-debtor of any debt, dividend or other moneys contrary to such attachment, shall be void as against all claims enforceable under the attachment.

Explanation - For the purpose of this fule claims enforceable under an attachment include claims for the rateable distribution of assets.

368. (क) यदि इस नियम के अधीन चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के सम्बन्ध में या अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री या कुर्की के बिना बिक्री के सम्बन्ध में उपगत लागत तथा प्रभार नियम 333 के उपनियम (क) के अधीन डिक्रीधारी द्वारा जमा की गयी लागत की धनराशि से अधिक हो तो ऐसी अधिक धनराशि, विक्रीत सम्पत्ति के विक्रय आगम या धनराशि डिक्रीधारी को उपलब्ध की जायेगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति ऐसी देय धनराशि का, जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, प्रत्यादान अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भुगतान करने पर उक्त धनराशि के लिए उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद पाने का हकदार होगा। रसीद में भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम तथा उस विषय का, जिसके सम्बन्ध में भुगतान किया गया हो, उल्लेख होगा।

368. (a) Where the costs and charges incurred in connection with the attachment and sale of movable property or the attachment and sale or sale without attachment of immovable proprty under the rules, exceeds the amount of the cost deposited by the decree-holder under Sub-rule (a) of Rule 333 such excess shall be deducted from the sale proceeds of the property sold or any money paid by the judgment-debtor, as the case may be, and the balance shall be made available to the decree-holder.

(b) Every person making a payment to theSale Officer or other officer empowered by the Recovery Officer in that behalf towards any money due for the recovery of whichapplication has been made under these rules, shall be entitled to a receipt for the amount, signed by such officer. Such receipt shall state the name of person making thepayment and the subject-matter in respect of which the payment is made.

369. (क) यदि इन नियमों के अधीन कुर्क सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत किया जाये या कुर्की के सम्बन्ध में इस आधार पर कोई आपत्ति की जाय कि ऐसी सम्पत्ति कुर्की करने योग्य नहीं है तो विक्रय अधिकारी उक्त दावे या आपत्ति की जांच करेगा और इसका गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी दावे की ंच करने से इंकार कर सकता है यदि वह यह समझे कि दावा सारहीन है अथवा वह बिक्री के लिए नियत दिनांक को या उसके पश्चात् दिया गया है।

(ख) यदि सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में दावा या आपत्ति हो, बिक्री के लिए विज्ञापित की गयी हो तो विक्रय अधिकारी उक्त दावे या आपत्ति की जांच होने तक बिक्री स्थगित कर सकता है।

(ग) यदि कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जाय, तो वह पक्ष जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया हो, विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आदेश के दिनांक से, 6 (छः) महीने के भीतर वाद संस्थित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए उक्त आदेश निश्चायक होगा।

369. (a) Where any claim is preferred to or any objection is made to the attachment of any property attached under these rule, on the ground that such property is not liable to such attachment, the Sale Officer shall inverstigate the claim or objection and dispose it of on merits :

Provided that the Sale Officer may refuse to investigate the claim if he considers that the claim & objection is frivolous or is made on or after the fixed date for sale.

(b) Where the property to which the claim or objection rclates has been advertised for sale, the Sale Officer may postpone the sale pending the investigation of the claim or objection.

(c) Where a claim or an objection is preferred, the party against whom an order is made may institute a suit within six months from the date of the order to establish the right which he claims to the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

370. (क) यदि क्रेता द्वारा चूक करने के कारण नियम 344 या नियम 360 के खण्ड (झ) तथा (ठ) के अधीन की गयी पुनः बिक्री के कारण मूल्य में कोई कमी हो जाये तो ऐसी कमी तथा ऐसी पुनः बिक्री से उत्पन्न समस्त व्यय विक्रय अधिकारी द्वारा प्रत्यादान अधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे और डिक्रीधारी या निर्णीत-ऋणी के अनुरोध पर चूक करने वाले क्रेता से वसूल किये जा सकेंगे। ऐसी वसूली के प्रासंगिक व्यय भी, यदि कोई हो, चूक करने वाले क्रेता को वहन करने होंगे।

(ख) यदि पुनः बिक्री पर सम्पत्ति, पहली बिक्री के मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर बेची जाये तो पहली बिक्री में चूक करने वाले क्रेता का ऐसे मूल्यांतर या वृद्धि में कोई दावा नहीं होगा।

370. (a) Any deficiency of price which may happen on a resale held under Rule 344 or Clauses (i) and (I) of Rule 360 by reason of the purchaser's default, and all expenses incurred such resal shall be certified by the Sale Officer to he Recovery Officer and shall at the instance of either the decree-holder or the judgment-debtor be revocerable from the defaulting purchaser.

(b) Where the property on second sale, is sold for a higher price than the first sale, the defaulting purchaser at the firstsale, shall have no claim to the difference of increase.

371. यदि किसी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में कोई सम्पत्ति कुर्क की गयी हो किन्तु डिक्रीधारी की चूक के कारण विक्रय अधिकारी या प्रत्यादान अधिकारी या निष्पादन के प्रार्थना-पत्र पर आगे कार्यवाही करने में असमर्थ हों, तो ऐसा अधिकारी या तो उक्त प्रार्थना-पत्र को रद्द कर देगा अथवा सिकी पर्याप्त कारण से कार्यवाहियों को आगामी दिनांक के लिए स्थगित कर देगा। ऐसे प्रार्थना-पत्र के रद्द होने पर कुर्की समाप्त हो जायेगी।

371. Where any property has been attached in excecution of an award or order but by reason of the decree-holder's default, the Sale Officer or Recovery Officer is unable to proceed further with the application for execution such officer shall either dismiss the application or for any sufficient reason adjourn the proceedings to a future date. Upon the dismissal of such application, the attachment shall cease.

372. जब परिसम्पत्तियां विक्रय अधिकारी के पास हो तथा ऐसी परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के पूर्व किसी निर्णीत-ऋणी क विरुद्ध अन्य अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए प्रार्थना-पत्र के अनुसरण में मांग का नोटिस एक से अधिक डिक्रीधारियों से प्राप्त हुआ हो, और डिक्रीधारियों का समाधान न हुआ हो तो विक्रय अधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियों वसूली के व्ययों को काटकर सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908) (एक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 73 में उपबंधित

रीति से समस्त ऐसी डिक्रीधारियों में आनुपातिक रीति से वितरित की जायेगी।

372. Where assets are held by the sale Officer and before receipt of such assets demand notices in pursuance of application for execution of another award or order against the same judgment-debtor have been received from more than one decree-holder and the decree- holders have ont obtained satisfaction, the assets after deducting the cost of realisation, shall be rateably distributed by the Sale Officer, among all such decree-holders in the manner, provided in Section 73 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908).

373. (क) यदि किसी निर्णीत-ऋणी की अधिनिर्णय या आदेश की पूर्णत: तुष्टि के पूर्व मृत्यु हो जाय तो नियम 333 के उप नियम (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र, मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध दिया या जारी रखा जा सकता है और तत्पश्चात् इस अध्याय के समस्त उपबन्ध सिवाय इस नियम में की गई व्यवस्था के, उसी प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा विधिक प्रतिनिधि ही निर्णीत-ऋणी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन आरम्भ करने के पूर्व, उसे कारण बताने का नोटिस जारी किया जाएगा और उसकी आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी।

(ख) यदि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अधिनिर्णय या आदेश निष्पादित किया जाय तो उसका उत्तरदायित्व मृतक की सम्पत्ति मे केवल उस सीमा तक होगा जो उसे प्राप्त हुई हो और यथाविधि निस्तारित न की गयी हो तथा ऐसा दायित्व सुनिश्चित करने के प्रयोगजन के लिए अधिनिर्णय या आदेश निष्पादित करने वाला प्रत्यादान अधिकारी स्वत: अथवा डिक्रिधारी के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को एसे लेखे प्रस्तुत करने को बाध्य कर सकता है जो वह उचित समझे।

373. (a) Where a judgment-debtor dies before the award ororder has been fully satisfied, an application under Sub-rule (a) of Rule 333 may be made by or continued against the legal representative of the deceased and thereupon all the provisions of this chapter shall, save as otherwise provided inthis rule, apply as if such legal representative were the judgmentdebtor:

Provided that a show-cause notice shall be issued to such legal representative and his objections heard, before execution is proceeded against him.

(b) Where the award or order is executed against such legal representative, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and not been duly disposed of and for the purpose of ascertaining such liability the Recovery Officer executing the award or order may, of his own motion or on the application of the decree-holder, compel such legal representative to produce such accounts as be thinks fit.

374. (1) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन निबन्धक धारा 94 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देने से पूर्व उन व्यक्तियों से जिनकी सम्पत्ति की कुर्की की जानी हो, ऐसी धनराशि की प्रतिभूति और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसका उल्लेख आदेश में किया गया हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति निबन्धक को समाधान के लिए इस बात का कारण बताने में असफल रहे कि उसे निबन्धक द्वारा नियम समय के भीतर प्रतिभूति क्यों जमा नहीं करनी चाहिए या प्रतिभूति जमा न करे तो निबन्धक यह आदेश दे सकता है कि उस उपनियम (1) में उल्लिखित सम्पत्ति की कुर्की कर ली जाय।

(3) निबन्धक उपर्युक्त उपनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत सम्पत्ति का सशर्त कुर्की करने का निर्देश भी दे सकता है।

(4) धारा 94 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की उपर्युक्त उपनियमों के अधीन उस रीति से ही की जाएगी जो नियम 335 से 369 तक में दी गई है।

374. (1) Subject to the provisions of Sub-rule (3), the Registrar may, the Registrar may, before directing attachment of property under Section 94, require the person whose property is sought to be attached to furnish security in such sum and within such time as may be specified in the order.

(2) Where the person fails to show cause to the satisfaction of the Registrar why he should not furnish security or fails to furnish the security required within the time fixed by the Registrar, the Registrar may order that the property referred to in Sub-rule(1) be attached.

(3) The Registrar may, also in the order under the sub-rule above, direct conditional attachment of the property.

(4) Attachment of property under Section 94 shall, subject to sub-rules above, be made in the manner provided in rules 335 to 369.

375. (1) नियम 374 के अधीन कुर्क सम्पत्ति में कोई दावा प्रस्तुत किया जाय तो ऐसे दावे की जांच नियम 369 में विनिर्दिष्ट रीति और प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 374 के अधीन की गयी सम्पत्ति की कुर्की निम्नलिखित दशाओं में वापस ले ली जाएगी:-

(i) यदि सम्बद्ध पक्ष अपेक्षित प्रतिभूति के साथ कुर्की के व्यय की प्रतिभूति प्रस्तुत करे; या

(ii) यदि धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन परिसमापक यह निश्चित करे कि सम्बद्ध पक्ष द्वारा कोई अंशदान देय नहीं है; या

(iii) यदि निबन्धक, धारा 68 के अधीन यह आदेश दे किस सम्बद्ध पक्ष को प्रतिकर के रूप में किसी भी धनराशि या सम्पत्ति की वापसी या पुन: स्थापन करना या समिति की परिसम्पत्ति में किसी धन का अंशदान करना आवश्यक नहीं है; या

(iv) यदि धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा उस पक्ष के विरुद्ध दिया गया अधिभार का आदेश, जिसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली गई हो, धारा 98 के अधीन की गई अपील में खारिज कर दिया जाय; या

(v) यदि धारा 71 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद का निर्णय उस पक्ष के विरुद्ध हुआ हो, जिसके अनुरोध पर कुर्की की गई थी।

(3) नियम 374 के अधीन की गई कुर्की का ऐसे व्यक्तियों के, जो कुर्की से सम्बन्धित कार्यवाहियों में कोई पक्ष न हो, कुर्की के पूर्व विद्यमान अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(4) यदि कोई सम्पत्ति नियम 374 के उपबन्धों के आधार पर कुर्की के अधीन हो और बाद में उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसकी सम्पत्ति कुर्क हो, कोई अधिनिर्णय या आदेश दिया जाय, तो ऐसे अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक न होगा।?

375. (1) Where a claim is preferred to property attached under Rule 374 shall be withdrawn-

(i) when the party concerned furnishes the security required, together with security for the costs of the attachment; or

(ii) when the liquidator determines under clause (b) of Sub-section (2) of Section 74 that no contribution is payable by the party concerned; or

(iii) when the Registrarpasses an order under Section 68, that the party concerned need not repay or restore any money or property or contribute any sum to the assets of the society by way of compensation; or

(iv) when the order of surcharge made by the Registrar under Sub-section (2) of Section 68 against the party whoseprpoerty has been attached set aside in appeal under Section 98; or

(v) when the dispute referred to in Sub-section (1) of Section 71 has been decided against the party at whose instance the attachment was made.

(3) Attachment made under Rule 374 shall not affect the rights, existing prior to the attachment, of persons not parties to the proceedings in connection with which the attachment was made.

(4) Where property is under attachment by virtue of the provisions of Rule 374 and an award or order is subsequently made against the person whose property is attached, it shall not be necessary upon an application for execution of such award or order to apply for attachment of the property.

अध्याय-23
CHAPTER- XXIII
शुल्क तथा व्यय
FEES AND EXPENSES

376. धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन किसी सहकारी समिति की जांच के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति – 25 रु0

(2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति – 100 रु0

(3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति – 500 रु0

(4) किसी अन्य सहकारी समिति – 100 रु0

376. An application for enquiry in co-operative society under Sub-section(2) of Section 65 shall be accompanied by fees at the rate specified below :-

(i) in case of an Agricultural Primary Credit Co-operative Society .....Rs. 25

(ii) in case of a District Level Central Co-operative Society .....Rs. 100

(iii) in case of an Apex Level Co-operative Society .....Rs. 500

(iv) in case of any other Co-operative Society .....Rs. 100

377. किसी सहकारी समिति के ऋणदाता द्वारा धारा 66 के अधीन निरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:–

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति – 25 रु0

(2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति – 100 रु0

(3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति – 500 रु0

(4) किसी अन्य सहकारी समिति – 100 रु0

377. An application by creditor of a co-operative society for inspection under Section 66 shall be accompanied by fees at the rate specified below :-

(i) in case of an Agricultural Primary Co-operative Society .....Rs. 25

(ii) in case of a District Level Central Co-operative Society .....Rs. 100

(iii) in case of an Apex Level Co-operative Society .....Rs. 500

(iv) in case of any other Co-operative Society .....Rs. 100

378. किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जा न तो सहकारी समिति का सदस्य हो और न उसका लेनदार हो, किसी सहकारी समिति का निरीक्षण करने या उसके कार्यों से सम्बद्ध मामलों की जांच करने के लिए दिए गए किसी प्रार्थना–पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे प्रार्थना–पत्र के साथ 500 रुपये का शुल्क न दिया गया हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए पद ''सदस्य'' में साधारण निकाय का एक सदस्य और समिति के प्रबन्ध समिति का एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।

378. No action shall be taken on any application for inspection of a co-operative society or renquiry into the affairs or matters relating to the affairs of a co-operative society, moved by a person who is nether a member of the co-operative society nor a creditor thereof unless such application is accompanied by of fee of rupees five hundred:

Explanation -The term "member" for the purpose of this rule shall include member of the General Body and also a member of the Committee of Management of the society.

379. किसी विवाद के निबटारे के लिए धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश के साथ–

(क) 50 रुपये (पचास रुपये) शुल्क अपेक्षित होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अंतर्गस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक न हो;

(ख) सम्पत्ति के मूल्य या निर्देश में अंतर्ग्रस्त दावे की धनराशि के एक प्रतिशत की दर पर शुल्क देय होगा, किन्तु 25,000 रु0 (पच्चीस हतार रुपये) से अधिक न होगा यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अंतर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अंतग्रस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक हो;

(ग) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क देय होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अंतर्ग त आता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ

मण्डल संगठित किया जाये, तो शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या 50 रुपये (पचास रुपये), इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा।

379. A reference under Sub-section(1) of Section 70 for settlement of a dispute shall-

(a) where the reference is covered under Clause (a) of Sub-rule(1) of Rule 247 and the value of the property or the amount of claim involved in the reference does not exceed Rs. 5,000 require a fee of Rs.50;

(b) where the reference is covered under clause (a), (b), (c) or (d) fo sub-rule(1) of Rule 247 and the value of the property or amount of claim involved in the reference exceeds Rs. 5,000, be accompanied by a fee at the rate of one percent of the value of the propopeny or the amount of claim involved in the reference but not exceeds Rs. 25,000;

(c) where the reference is covered under Sub-rule (2) or Sub-rule (3) of Rule 247, be accompanied by a fee of Rs. 500 provided that where a board of arbitrators is constituted under Sub-section(1) of Section 71 on the request of the plaintiff, the amount of fee shall be payable under the foregoing relevant clause with an additon either of 10 per cent thereof or Rs. 50 whichever is higher.

380. अपील का ज्ञापन के साथ–

(क) 50 रु0 शुल्क अपेक्षित होगा, यदि अपील धारा 98 की उपधारा (1) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निर्णय के विरुद्ध हो;

(ख) नियम 379 में विनिर्दिष्ट दर की दो गुनी दर पर शुल्क देय होगा, यदि अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में विर्निष्ट अधिनिर्णय के विरुद्ध हो;

(ग) अन्य सभी मामलों में–

(1) यदि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक या धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर निबन्धक या उपनिबन्धक अपीलीय प्राधिकारी हो, तो निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगा:–

(क) दावे की धनराशि का दो प्रतिशत यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा हो;

(ख) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा न हो;

(2) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क यदि राज्य सरकार अपीलीय अधिकारी हो;

(3) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क यदि सहकारी न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी हो;

(4) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क यदि खण्ड (एक) या खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न कोई प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी हो।

380. A memorandum of appeal shall-

(A) where the appeal is against the decision referred to in Clause(c) of Sub-section (1) of Section 98, requires of fee of Rs. 50/;

(B) where the appeal is against an aware referred to in Sub-section(1) of Section 97 or Clause (h) of Sub-section (1) of Section 98 of the Act be accompanied by a fee two times the rate specified in Rule 379;

(C) in all other cases-

(1) where the Registrar Co-operative Societies, appointed under Sub-section (1) of Section 3 or Additional Registrar or Deputy Registrar appointed under Sub-section (2) of Section 3 of the Act is the appellate authority, be accompanied by a fee at the following rates:-
(a) two percent of the amount of claim, if it is money or property claim,
(b) a fee of Rs. 200 if it is not a money or property claim;

(2) where the State Government is the appellate authority, a fee ofRs. 500;

(3) where the Co-operative Tribunal is the appellate authority, a fee of Rs. 500;

(4) where any authority other than that mentioned in Clause (i) or Clause (ii) or Clause (iii) is the appellate authority, a fee of Rs. 200.

381. धारा 99 क, 99 ख, तथा 99 ग, के अधीन पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ नियम 380 में अपील के लिए निर्दिष्ट दर का आधा शुल्क देय होगा।

381. An application for review under Section 99A, 99B and 99C shall be accompanied by a fee at half the rate specified for an appeal in Rule 380.

382. धारा 101 के अधीन किसी अपील के स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित दरों पर शुल्क देय होगा:-

(क) 400 रुपये (चार सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आता हो;

(ख) 400 रुपये (चार सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत आता हो;

(ग) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उपधारा (3) के अंतर्गत आता हो।

382. An application for transfer of an appeal under Section 101 shall be accompanied by fee at the following rates-

(a) where the application for transfer is covered under Sub-section (1) of Section 101, the fee shall be Rs. 400;

(b) where the application for transfer is covered under Sub-sectin (2) of Section 101, the fee shall be Rs. 400;

(c) where the application for transfer is covered under Sub-section (3) of Section 101, the fee shall be Rs. 200.

383. निष्पादन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क दिया जायेगा :-

(क) किसी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के निमित्त प्रार्थना-पत्र के लिए-

(1) यदि वसूल की जानी वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) या उससे कम हो - 10.00 रु0

(2) यदि वसूल की जाने वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) से अधिक हो, तो प्रति सौ रुपये या उसके भाग के लिए 10 पैसे की दर से अतिरिक्त शुल्क, किन्तु अधिक से अधिक 500 रु0 (पांच सौ रुपये) लिया जाएगा।

(ख) निष्पादन की कार्यवाहियों के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस के लिए - 10.00 रु0

(ग) प्रत्येक निर्णीत-ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिए - 25.00 रु0

(घ) प्रत्येक बिक्री हेतु बिक्री के पूर्व प्रतिदिन के विज्ञापन के निमित्त डुग्गी पीटने के लिए -20.00 रु0

(ङ) प्रत्येक बिक्री के लिए विक्रय-शुल्क -25.00 रु0

(च) बिक्री के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति-याचिका के लिए शुल्क -25.00 रु0

(छ) प्रत्येक निर्णीत-ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिए शुल्क -50.00 रु0

(ज) अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए शुल्क -50.00 रु0

383. In connection with the execution proceedings, the following fees shall be charged :-

(a) for an application for execution of an award or order-

(1) where the amount sought to be recovered is rupees one thousand or less Rs. 10.00

(2) where the amount sought to be recovered is more than rupees one thousand an additional fee at the rate of 10 paise per hundred rupees or part thereof subject to maximum of rupees five hundred.

(b)	for each notice under excution proceedings	Rs. 10.00
(c)	for the attachment of movable property of each judgment-debtor	Rs. 25.00
(d)	for beat of drum for publicity prior to sale per day for each sale	Rs. 20.00
(e)	sale fee for each sale	Rs. 25.00
(f)	fee for every objection petition against sale	Rs. 25.00
(g)	fee for the attachment of immovable property of each judgment-debtor	Rs. 50.00
(h)	fee for sale of immovable property	Rs. 50.00

384. अधिनियम या इन नियमों के अधीन शुल्क के रूप में या अन्यथा प्राप्त या वसूल की गयी कोई भी धनराशि, राज्य सरकार या निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट शीर्षक के अंतर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी। निबन्धक शुल्कों तथा अन्य धनराशियों के प्राप्त या वसूल करने की और उन्हें कोषागार में जमा करने की रीति भी निर्दिष्ट कर सकता है।

384. Any amount received or realized as fee or otherwise under the Act and these rules, shall be deposited in State Tr`easury under the head specified by the State Government or the Registrar from time to time Registrar may also specify the manner receipt or realization of fees and other amounts and of depositing the same in the Treasury.

अध्याय-24
CHAPTER- XXIV

सहकारी समिति द्वारा रखे जाने वाली लेखा-पुस्तक तथा रजिस्टर
ACCOUNT BOOKS AND REGISTERS TO BE KEPT BY A CO-OPERATIVE SOCIETY

385. (1) प्रत्येक सहकारी समिति निम्नलिखित रजिस्टर लेखा-पुस्तकें, समिति के व्यापार सम्बन्धी लेन-देन अभिलिखित करने के लिये ऐसे प्रपत्र में, जिसे निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करे, अद्यावधिक रखेगी:-

(क) समिति की साधारण निकाय प्रबन्ध समिति तथा किन्हीं अन्य समितियों या उपसमितियों की बैठकों की कार्यवाहियां अभिलिखित करने के लिए, कार्यवृत्त रजिस्टर;

(ख) समिति या सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, प्रार्थित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृति की दशा में प्रार्थी को सदस्यता की अस्वीकृति का निर्णय, सूचित करने का दिनांक दिया होगा;

(ग) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता, सदस्य होने का दिनांक, लिए गये अंश तथा ऐसे अंशों के लिए सदस्य द्वारा भुगतान की गयी धनराशि और उनकी सदस्यता समाप्त होने के दिनांक तथा सदस्यता समाप्ति के कारण दिखाये जायेंगे;

(घ) नामांकन (जो नियम, 72 के अधीन सदस्यों द्वारा किये गये हैं) रजिस्टर;

(ङ) सदस्यों के प्रतिनिधियों का रजिस्टर, यदि समिति की साधारण निकाय प्रतिनिधियों द्वारा संगठित हो;

(च) रोकड़-बही, जिसमें दैनिक प्राप्तियां और व्यय तथा अंत में प्रतिदिन की शेष धनराशि दिखाई जाएगी;

(छ) रसीद-बही;

(ज) समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए एक खाता-बही;

(झ) वाउचर पत्रावली, जिसमें समिति द्वारा किये गये व्यय के लिए समस्त प्रमाणक (वाउचर) क्रमवार संख्यांकित तथा कालक्रमानुसार रखे जायेंगे;

(ञ) साधारण खाता-बही, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न शीर्षकों (मदों) के अधीन प्राप्तियां तथा भुगतान और अदत्त धनराशियां दिखाई जायेंगी;

(ट) अधिकारियों तथा पदाधिकारियों का रजिस्टर, जिसमें नियुक्त किये गये प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं;

(ठ) लाभांश का रजिस्टर, सिवाय उन समितियों के जिनके पास कोई अंश पूंजी न हो;

(ड) ऐसी अन्य पुस्तकें और रजिस्टर जो निबन्धक द्वारा समय-समय पर विशेष सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग द्वारा संचालित किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए निर्दिष्ट किये जायें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सहकारी समिति

(i) जो ऋण लेती हो या जमा रखती हो, निम्नलिखित भी रखेगी :-

(क) उधार-खाता जिसमें जमा तथा अन्य सभी प्रकार के उधार दिखाये जायेंगे, तथा

(ख) तरल-साधनों का रजिस्टर;

(ii) जो ऋण लेती हो या जमा रखती हो तथा ऋण भी देती हो, निम्नलिखित भी रखेगी:-

(क) ऋण खाता-बही, जिसमें ऋण वितरण की संख्या तथा दिनांक, प्रयोजन जिसके लिए ऋण दिया हो तथा दिनांक जिस पर या जिन पर मूलधन की वापसी तथा ब्याज देय हो तथा उनका

प्रतिदान किया जाए, दिखाया जाएगा, तथा

(ख) दायित्व रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक सदस्य की समिति के प्रति ऋणग्रस्तता दिखाई जाएगी, चाहे वह सीधे उसी के द्वारा लिये गये ऋणों के लिए हो या किसी ऋण का प्रतिभू होने के कारण हो;

(ii) जो असीमित दायित्व वाली हो, वह ऐसा रजिस्टर भी रखेगी, जिसमें सदस्यों की सम्पत्ति संबंधी ऐसे विवरण-पत्र दिये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक साधारण सदस्य की उसके सदस्य होने के दिनांक पर, परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का और भूमि के गाटों (प्लाट्स) की खसरा संख्या सहित, सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दिया या हो। ये विवरण-पत्र जब भी आवश्यक हो और किसी भी दशा में, तीन सहकारी वर्षों में कम से कम एक बार यथाविधि सत्यापित किये जायेंगे।

(2) (क) कोई भी सहकारी समिति ऐसे किसी अधिकार-पत्र, अनुबन्ध-पत्र या ठेके के विलेख, प्रमाणक (वाउचर), लेखा-पुस्तक या अन्य किसी ऐसे अभिलेख की छंटनी नहीं करेगी, जो लेखा-परीक्षा, निरीक्षण या जांच के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो सकते हैं।

(ख) समिति की प्रबन्ध समिति उपखण्ड (क) में उल्लिखित अभिलेखों से भिन्न अन्य अभिलेखों की छंटनी, किसी संकल्प द्वारा, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति लेकर कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी अभिलेख की छंटनी नहीं की जाएगी, जो उस लेन-देन या व्यवहार से संबंधित हो, जो अभिलेखों की छटनी करने के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प के दिनांक से पूर्व, पांच वर्ष के भीतर किये गये हों।

(ग) निबन्धक, उपखण्ड (ख) के अधीन अभिलेखों की छंटनी करने के लिए अपनी स्वीकृति देने से पूर्व, संबद्ध क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लेगा कि उस अवधि के लिए जिससे अभिलेख संबंधित है, कोई लेखा-परीक्षा संबंधी अनुपालन शेष नहीं है।

385. (1) Every co-operative society shall keep and maintain up-to-date and in form as the registrar may specify from time to time the undermentioned account books and registers for recording the business transactions of the society :-

(a) minute-book or books for recording the proceedings of the meetings of the General Body, Committee of Management and of any other committees or sub-committees of the society;

(b) register of application for membership of the society containing the name and address of the applicant, the number of the shares applied for and in case of refusla, the date of communication fo the decision refusing admission to the applicant;

(c) register of members showing the name and address of each member, the date of admission, the shares taken and the amount paid by the member towardes such shares and the date of and the reasons for cessation of his membership;

(d) register of nominations made by members under Rule 72;

(e) register of delegates of the members where General Body of the society is constituted by delegates;

(f) cash book showing daily receipts and expenditure and the balance at the end of each day;

(g) receipt book;

(h) a ledger for each member of the society;

(i) voucher file containing all vouchers for expenditure made by the society numbered serially and filed chronologically;

(j) a general ledger showing receipts and disbursements and the outstandings under vari ous heads from day to day;

(k) register of officers and office-bearers including delegates appointed, if any;

(l) register of dividend except in societies having no share capital:

(m) such other books and registers as may be specified by the Registrar from time to time for a particular co-operative society or societies or class of co-operative societies or for a particular type of business conducted by a co-operative society or societies or class of co-operative societies :

Provided that a co-operative society--

(i) which takes loans or deposits shall also maintain--

(a) ledger of borrowings showing deposits and other borrowings of all kinds, and

(b) a register of fluid-resources;

(ii) which takes loans or deposits and also gives loans shall also maintain--

(a) loan ledger, showing the number and date of disbursement of loan, the purpose for which it is granted and the date or dates on which repayment of principal and interest becomes due and is made, and

(b) libility register showing the indebtedness of each member to the society, whether on account of loans taken directly by him or on account of loan for which he stands as surety;

(iii) with unlimited liability, shall also maintain a register containing property statements of members showing the assets and liabilities of each ordinary member on the date of this admission to membership, with full details of the property including khasra number of the plots of land. Such statements being duly verified as often as necessary and in any case, at least once in three co-operative years.

(2) (a) No co-operative society shall weed out any title deds, deeds of agreement or contrct, any vouchers, books of accounts or any other records which may be required for purpose of audit, inspection or enquiry.

(b) Rcords other than those mentioned in sub-section (a) may, by a resolution the Committee of Management of the society, be weeded out with the prior sanction of Registrar :

Provided that no such record shall be weeded out which relates to transaction or deals made within five years before the date of the passing of the resolution by the Committee of Management of weeding out records.

(c) The Register before giving his sanction for weeding the records under sub-section (b) shall ascertain from the Range Audit Officer concemed that no audit compliance for the paeriod to which the records related is pending.

386. निबन्धक, लिखित आदेश द्वारा, किसी सहकारी समिति को किसी भी या सभी लेखा–पुस्तकों तथा रजिस्टरों को, ऐसे दिनांक तक, प्रापत्र में तथा ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, पूरा करने का निर्देश दे सकता है। समिति द्वारा ऐसा न कर सकने की या चूक करने की दशा में, निबन्धक उक्त लेखा–पुस्तकों तथा रजिस्टरों को पूरा कराने में समिति के सचिव की सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

386. The Registrar may, by an order in writing, direct a co-operative society to get any or all of the account books and registers written up to such date, in such form and within such time, as may be specified in the order. In case of inability or failure on the part of the society to do so, the Registrar may depute any person to assist the Secretary of the society to have the account books and registers written up.

387. यदि नियम 386 के अधीन निबन्धक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति की सहायता से लेखा–पुस्तकें पूरी कराई जायें, तो उस दशा में निबन्धक उक्त कार्य में लगे समय और श्रम को देखते हुये ऐसे व्यय की धनराशि अवधारित करने के लिए सक्षम होगा, जिसका भुगतान सम्बन्धित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त व्यय की धनराशि के भुगतान में चूक करने की दशा में, उसे भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा और समिति को यह धनराशि उक्त व्यक्ति से पाने का अधिकार होगा जिसका कर्तव्य ऐसे लेखों को रखना हो।

387. In case the account books have been written up with the assistance of the person deputed by the Registrar under Rule 386, the Registrar shall be competent to determine, with reference to the time and labour involved in the work, the expenses, the same shall be recoverable as arrears of land revenue, the society

having in its turn a right to claim the amount from the person or persons whose duty it was to maintain such accounts.

अध्याय-25
CHAPTER- XXV

सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण-पत्र, प्रतिवेदन, विवरणियां तथा सूचना
STATEMENTS, REPORTS, RETURNS AND INFORMATION TO BE FURNISHED BY CO-OPERATIVE SOCIETIES

388. प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए निम्नलिखित तेयार करेगी:-
(क) एक राजस्व विवरण-पत्र जिसमें वर्ष के दौरान समिति की प्राप्तियां और संवितरण दिखाये जायेंगे;
(ख) तुलन-पत्र, जिसमें समिति की परिसम्पत्तियाँ और दायित्व, जैसे वे 31 मार्च को हों, दिखाये जायेंगे;
(ग) लाभ हानि का विवरण-पत्र जिसमें वर्ष के दौरान समिति का लाभ तथा हानि दिखाया जाएगा;
(घ) पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ के निस्तारण के संबंध में विवरण-पत्र; और
(ङ) ऐसे अन्य विवरण-पत्र या विवरणियां जो निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएं।

388. Every Co-operative Society shall prepare for each co-operaitve year-
(a) a revenue statement, showing the receipts and disbursements of the society during the year;
(b) a balance-sheet, showing the assets and liabilities of the society as they stood on 31st March;
(c) a profit and loss statement showing the frofit and loss of the society during the year;
(d) a statement regarding the disposal of net profit of the last year; and
(e) such other statements or returns as may be specified by the Registrar from time to time.

389. सहकारी समिति नियम 388 में उल्लिखित विवरण-पत्र तथा विवरणियां, उस सहकारी वर्ष की, जिससे संबंधित विवरण-पत्र तथा विवरणियां हों, समाप्ति के एक माह के भीतर तैयार करेगी।

389. A co-operative society shall prepare the statements and returns mentioned in Rule 388 within one month of the close of the co-operative year to which the statements and returns relate.

390. प्रत्येक सहकारी समिति, नियम 388 और 389 में उल्लिखित विवरण-पत्र तथा विवरणियों की प्रतियां निबन्धक को ऐसे प्रपत्र और उतनी संख्या में तथा उस दिनांक तक जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय, प्रस्तुत करेगी:
प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रारम्भिक सहकारी समितियों की दशा में, जो केन्द्रीय बैंक की सदस्य हों, उक्त विवरण-पत्रों तथा विवरणियों की प्रतियां केन्द्रीय बैंक को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें निबन्धक द्वारा नियम प्रपत्र में समेकित करेगा और उक्त समेकन निबन्धक को प्रस्तुत करेगा।

390. Every co-operaitve society shall submit copies of the statements and returns mentioned in Rules 388 and 389 to the Registrar in such form and number and by such date as may be fixed by the Registrar. Provided that in case of Primary Co-operative Societies which are members of a Central Bank, the copies of the said statements and returns shall be submitted to the Central Bank which will have the same consolidation in a form prescribed by the Registrar and shall submit the said consolidation to the Registrar.

391. पूर्ववर्ती नियमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए, निबन्धक को ऐसे समय के भीतर, जो उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, ऐसी नकद धनराशि और स्टॉक की (जो सहकारी वर्ष की समाप्ति पर हो) निबन्धक द्वारा निर्धारित रीति से, यदि कोई हो, की गयी जांच का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी।

391. Without prejudice to the foregoing rules, every co-operative society shall submit to the Registrar for each co-operative year within such time as may be specified by him a statement of verification of cash and stock (as at the close of the co-operative year) conducted in the manner, laid down by the Registrar.

392. सहकारी समिति, निबन्धक या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जैसा निबन्धक समय-समय पर निर्देश दे, ऐसे अन्य विवरणी-पत्र, प्रतिवेदन या विवरणियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक तक जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाये, भी प्रस्तुत करेगी।

392. A co-operative society shall also submit to the Registrar or to such other authority as th Registrar may from time to time direct such other statements, reports and returns in such form and by such dates as may be

fixed by the Registrar.

393. किसी सहकारी समिति द्वारा पूर्ववती नियमों में निर्दिष्ट कोई विवरण-पत्र, प्रतिवेदन या विवरणी प्रस्तुत करनें लिए निश्चित समय के भीतर, प्रस्तुत करने पर, निबन्धक आवश्यक विवरण-पत्र, प्रतिवेदन या विवरणियां तैयार करने के लिए कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्त कर सकता है। ऐसी दशा में नियम 387 के उपबन्ध लागू होंगे।

393. In case of failure by any co-operative society to submit any statement, report or return specified in the forgoing rules within the time fixed for their submission, the Registrar may depute a person to prepare the necessary statements, reports or returns. In such a case the provisions of Rule 387 shall apply.

अध्याय-26
CHAPTER- XXVI

दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना
INSPECTION OF DOCUMENTS AND GRANTING OF CERTIFIED COPIES THEREOF

394. (क) किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को, निबन्धक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज का, जिसके अन्तर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर 50 रुपये (पचास रुपये) का शुल्क देने का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायगी।

(ख) उप-नियम (क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा प्रार्थना-पत्र निबन्धक को न दिया गया हो जिसम निरीक्षण किये जाने वाले दस्तावेजों और निरीक्षण करने का प्रयोजन न दिया गया हो और निबन्धक का इस बात से समाधान न हो जाये कि निरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाला व्यक्ति किसी मामले में किसी भी बात के निवारण के लिए या किसी अन्य वैध प्रयोजन के लिए निरीक्षण करना चाहता है, जिसमें उसका हित है।

394. (a) Any member of the public may be permitted, on payment of a fee of rupees fifty, on each occasion of inspecting, to inspect for any lawful purpose, any public document exclusive of public documents privileged under Sections 123, 124,129 and131 of the Indian Evidence Act, 1872, filed in the office of he Registrar.

(b) No permission for inspection under Sub-rule(a) shall be granted unless an application stating the particulars of the document to be inspected and the purpose of such inspection has been made to the Registrar and the Registrar is satisfied that the person applying for inspection wants to make the inspection to seek redress in any matter in which he has an interest or for any other lawful purpose.

395. (क) कोई भी व्यक्ति उपनियम (घ) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क का भुगतान करके, निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक दस्तावेज के अन्तर्गत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल या अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के निर्णय, आदेश या अधिनिर्णय भी होंगे।

(ख) उपनियम (क) के अधीन तब तक कोई प्रतिलिपि नहीं दी जाएगी जब तक कि यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल क अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक का यह समाधान न हो जाए कि ऐसी प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाला व्यक्ति, उस ऐसे किसी मामले में, जिसमें उसका हित है, किसी प्रकार के निवारण के लिए या किसी अन्य विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए अपेक्षा करता हो।

(ग) इस नियम के अधीन दी गयी प्रमाणित प्रतिलिपि पर, यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक की मुहर होगी और हस्ताक्षर होंगे।

(घ) इस नियम के अधीन दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जाएगा:-

(1) किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 50 रु0

(2)	किसी सहकारी समिति के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र	50 रु0
(3)	किसी सहकारी समिति की पंजीकृत उपविधियां	5 रु0 प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम 100 रुपया
(4)	किसी सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन	10 रु0 प्रति संशोधित उपविधि किन्तु कम से कम 50 रु0
(5)	कोई अन्य दस्तावेज	2 रु0 प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम 25 रु0

395. (a) Any person may, on payment of fees at the rate specified in Sub-rule (d), obtain a certified copy of any public document filed in the office of the Registrar, Arbitrator, Board of Arbitrators, appellate authority or the liquidator, Public document shall include decision, order or award by Registrar, Arbitrator or Board of Arbitrators or appellate authority or the liquidator.

(b) No copy shall be granted under Sub-rule (a) unless the Registrar, Arbitrator, President of the Board of Arbitrators, the appellate authority or the liquidator, as the case may be, is satisfied that the person applying for such a copy requires it to seek redress in any matter in which he has an interest or for any other lawful purpose.

(c) The certified copy aranted under this rule shall bear the seal and the signature of the Registrar, Arbitrator, President of the Board of Arbitrators, the appellatc authority or the liquidator, as the case may be.

(d) The rates of fee to be charged for obtaining a copy of document under this rule shall be as under :-

(i)	application for registration of a co-operative society	Rs. 50.00
(ii)	certificate of registration of a co-operative society	Rs. 50.00
(iii)	registered bye-laws of a co-operative society	Rupees 5.00 per page subject to a minimum of Rupees 100.00
(iv)	amendment of bye-laws of a co-operative society	Ruoees 10.00 per bye-law amended subject to a minimum of Rupees 50.00
(v)	any other document subject to a minimum of	Rupees 2.00 per page Rupees 25.00

396. धारा 43 (ग) के प्रयोजन के लिए किसी सहकारी समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां सम्यक् रूप से प्रमाणित समझी जायेंगी, यदि समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य द्वारा या उसके निर्देशाधीन तैयार की जायें और उसके द्वारा तथा समिति के सभापति या उपसभापति या सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाये कि प्रविष्टियों की प्रति सही है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि पर समिति की मुहर अवश्य होगी। समिति ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियां जारी करने के लिए ऐसे शुल्क ले सकती है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हों।

396. Copies of entries in the books of a co-operative society shall, for the purpose of Section 43 (C), be considered as duly certified, if made by or under the direction of a member of the Committee of Management authorised by the society in this behalf and certified as correct by him and by the Chairman, Vice-chairman or the Secretary of the society :

Provided that such certified copy shall invariably bear the seal of the society. The society may charge such fees as may be laid down in the bye-laws of the society for the issue of such certified copies.

397. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, किसी कार्यालय समय में समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देकर और समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट दर पर समिति को शुल्क देकर, या तो स्वयं अथवा किसी एजेन्ट द्वारा, जो समिति का सदस्य होगा, और तदर्थ लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत होगा, समिति के लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है, जहां तक उनका संबंध समिति के साथ प्रार्थी सदस्य के व्यवहारों का हो।

397. Any member of a co-operative society may, at any time during office hours, by making an application to the secretary of the society and on payment of fees to the society at the rate specified in the bye-laws of the society, either by himself or by an agent who shall be a member of the society and duly authorised in writing in this behalf, inspect the accounts and records of the society only in so far as they relate to the transactions of the member with the society.

अध्याय–27
CHAPTER- XXVII

अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबंधकों के कर्तव्य तथा कृत्य और भत्तों तथा मानदेय का भुगतान
DUTES AND FUNCTIONS OF HONORARY ORGANISERS AND HONORARY MANAGERS AND PAYMENT OF ALLOWANCES AND HONORARIUM

398. अवैतनिक आयोजक किसी समिति के गठन के दौरान अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक धनराशि के लिए वैध रसीद देगा। वह आय तथा व्यय का उचित लेखा रखेगा और सभी प्राप्तियां निबन्धक के आदेशानुसार स्थानीय जिला तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा करेगा। वह अपने द्वारा या अपन आदेश के अधीन प्राप्त ऐसी धनराशि के लिए, जिसका उचित रूप से लेखा न रखा गया हो, जिम्मेदार होगा।

398. An honorary orgainser shall grant a valid receipt for every amount received by him during the course of organisation of a society. He shall keep proper account of income and expenditure and shall deposit all receipts in the local district or Central Co-operative Bank according to the instructions of the Registrar. He shall be liable for any amount received by him or under his orders, but not properly accounted for.

399. कोई अवैतनिक आयोजक किसी समिति के गठन के दौरान अपने द्वारा की गयी सेवाओं या अपने वैयक्तिक श्रम के लिए कोई धनराशि, सिवाय ऐसी धनराशि के जो समिति के निबन्धक के पश्चात् निर्मित प्रबन्ध समिति निबन्धक के अनुमोदन से स्वीकृत करे, नहीं लेगा। समिति के गठन के दौरान किया गया कोई व्यय तब तक वैध नहीं होगा जब कि वह उपर्युक्त समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। अवैतनिक आयोजक ऐसी व्यय की गयी धनराशि को, जो उपर्युक्त प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित न हो, वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा।

399. An honorary organiser shall not charge any amount for services rendered by him or for his personal labour during the organisation of a society except such amount as is sanctioned with the approval of the Registrar by the Committee of Management formed after the registration of the society. No expenditure incurred during the course of organisation shall be valid unless it is approved by such committee as aforesaid. The honorary organiser shall be liable to refund any amount spent, but not approved by the Committee of Management as aforesaid.

400. कोई अवैतनिक आयोजक प्रस्तावित समिति की ओर से न तो कोई कारोबार करेगा और न समिति की ओर से कोई दायित्व लेगा।

400. An honorary organiser shall not carry on any business on behalf of the proposed society nor shall he incur any liability on behalf of the society.

401. कोई अवैतनिक आयोजक, पूर्ववर्ती नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(1) समिति के पंजीकरण के लिए प्रार्थना–पत्र का प्रपत्र और समिति द्वारा अंगीकार (एडॉप्ट) की जाने वाली उपविधियां प्राप्त करेगा;

(2) उन व्यक्तियों को जो समिति के सदस्य बनने के इच्छुक हों, प्रस्तावित समिति क उद्देश्य तथा उसकी योजना और सहकारिता के मुख्य सिद्धान्त स्पष्ट करेगा;

(3) समिति की उपविधियों, उसकी कार्य योजना पर चर्चा करने और उसे अंगीकार करने के लिये और पंजीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने के निमित्त मुख्य प्रवर्तक तथा प्रथम हस्ताक्षरी को नियुक्त करने के लिये इच्छुक सदस्यों की समिति के गठन संबंधी बैठक या बैठकें आयोजित करेगा:

(4) पंजीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र भरेगा और उसके संबंध में संगठन प्रतिवेदन और अन्य प्रमाण–पत्र तैयार करेगा जो समिति के पंजीकरण के लिय आवश्यक हो;

(5) निबन्धक को ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जो संगठन प्रक्रिया के दौरान तथा विवरणियों में निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो;

(6) समिति के पंजीकरण के पश्चात् गठित प्रबन्ध समिति की आय तथा व्यय के लेखे प्रस्तुत करेगा; और

(7) प्रस्तावित समिति के सभी पत्रादि तथा सम्पत्ति, यदि कोई हो, का भार नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रथम हस्ताक्षरी को सौंपेगा।

401. An honorary organiser shall, without prejudice to the provisions of the foregoing rules-

(i) obtain form of application for registration of the society and the bye-laws to be adopted by the society;

(ii) explain to he persons who intend to become members of the society the objects and scheme of the proposed society and the main principles of co-operation;

(iii) hold the organisational meeting or meetings of intending members for discussion and adoption of the bye-laws the scheme of working of the society and for appointment of Chief Promotor and first signatory for signing the application for registration;

(iv) fill up the application form for registration and the organisation report and other statements and returns as may be necessary for the registration of the society;

(v) submit to the Registrar such other information as may he required by the Registrar from him during and concerning the organisational process;

(vi) submit the amount of receipt and expenditure to the Committee of Management formed after the registration of the society; and

(vii) handover charge of all the papers and property, if any, of he proposed society to the first signatory referred to in rule 5.

402. जब कोई व्यक्ति किसी सहकारी समिति का अवैतनिक प्रबन्धक नियुक्त किया जाये तो उसकी नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति के आदेश में निर्दिष्ट होंगी। वह प्रबन्धक के रूप में समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट या समिति के साधारण निकाय अथवा उसकी प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन समिति के सचिव के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन करेगा।

402. Where a person is appointed as Honorary Manager of a co-operative society, his term of appointment shall be specified in the order of appointment. He shall perform all the duties and functions specified in the bye-laws of the society or laid down by trhe General Body or the Committee of Management of the society for Manager. He shall work under the control and superintendence of the Secretary of the society.

403. कोई अवैतनिक प्रबन्धक समिति के लिये की गयी अपनी सेवाओं के प्रति न तो कोई नियमित पारिश्रमिक लेगा और न स्वीकार करेगा किन्तु वह उस मानदेय का हकदार हो सकता है जो समिति के अधिकारियों को अधिनियम, इस नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन ग्राह्य हो। ऐसा अवैतनिक प्रबन्धक न तो समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होगा और न ही उसे समिति की सेवा में समझा जायेगा।

403. The Honorary Manager shall not charge or accept any regular remuneration for the services rendered by him to the society, but may be entitled to honoratium as may be admissible to the officers of the society under the provisions of the Act, the Rules or the Bye-laws of the society. Such Honorary Manager shall not be a member of the Committee of Management of the society nor shall be deemed to be in the service of society.

404 (क) किसी समिति के सभापति, उपसभापति या प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

(ख) जिला सहकारी बैंक एवं नगरीय सहकारी बैंकों की स्थिति में अध्यक्ष समिति का निम्नलिखित सुविधायें उपब्ध होंगी-

(1) 50 लाख रुपये वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष हेतु 1,500 रुपये प्रतिमाह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 1,000 किमी0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग करने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु दो करोड़ से कम वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष हेतु 2000 रु0 प्रति माह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 1,500 किमी0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग

करने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(3) दो करोड़ रुपये से अधिक किन्तु पांच करोड़ से कम वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष हेतु 2,500 रु0 प्रतिमाह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 2,000 किमी0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग करने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) पांच करोड़ रु0 से अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष हेतु 2,500 रु0 प्रति माह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 2.500 किमी0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग करने की सुविधा अनुमन्य होगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हानि में चलने वाली समितियों में उक्त सुविधा केवल 500 रू0 प्रतिमाह दूरभाष एवं 200 किमी0 प्रतिमाह क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन उपयोग करने की सुविधा अनुमन्य होगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि क्षेत्र से बाहर की यात्रायें (अखिल भारतीय सहकारी संस्थाओं की साधारण निकाय की बैठकों व अन्य बैठकों को छोड़कर) निबन्धक की अनुमति से किये जाने पर ही उपरोक्त वाहन उपयोग की सीमा में वृद्धि की जा सकती है।

(ग) शीर्ष सहकारी समितियों की दशा में एक करोड़ रु0 से कम वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियें में समिति अध्यक्ष को 6,000 रु0 प्रतिमाह कार्यालय एवं निवास दूरभाष हेतु एवं 5,000 किमी0 प्रतिमाह राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत वाहन उपयोग की सुविधा अनुमन्य होगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में निबन्धक द्वारा उक्त सीमा में कटौती की जा सकती है।

404. (a) No honorarium shall be paid to the Chairman Vice-chairman or any other member of the Committee of Management of a society.

(b) In the case of Chairman, District Co-operative Banks/Urban Co-operative Bank, following facilities will be available :-

(i) Rs. 1500 per month for office and residencial telephone and facility to use official vehicle in the area of the society upto 1,000 Km. if the net annual profit is less than Rs. 50 Lakhs.

(ii) Rs. 2,000 per month for office and residential telephone and facility to use official vehicle upto 1,500 Km. if the net annual profit is more thean Rs. 50 Lakhs and less than Rs. 2 Crores.

(iii) Rs. 2,500 per month for office and residencial telephone and facility to use official vehicle upto 2,000 Km. if the net annual profit is more than Rs. 2 Crores but less than Rs. 5 Crores.

(iv) Rs. 2,500 per month for office and residencial telephone and facility to use official vehicle upto 2,500 Km. if the net annual profit is more than Rs. 5 Crores :

Provided that in the societies which are running in loss only Rs. 500 per month for office and residencial telephone and facility to use official vehicle upto 200 Km. will be admissible:

Provided further that the limit can be enhanced to use official vehicle in journeys beyond the area of the societies (except for General Body meetings of All India Co-operative Societies) with the permission of the Registrar.

(c) In the case of Chairman of Apex Society Rs. 6.000 per month for office and residencial telephone and facility to use official vehicle up to 5,000 Km. within the area of the State, if the net annual profit is less than Rs. 1 Crore :

Provided that in case of societies running in losses Registrar may restrict the above facilities.

405. किसी सहकारी समिति (शीर्ष संस्था को छोड़कर) के कर्मचारी अथवा उसकी प्रबन्ध समिति के सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को सिवाय निबन्धक की साधारण अथवा विशेष अनुज्ञा के, समिति की प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिये यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

405. No person other than an employee of a co-operative society (except Apex Institution) or a member of the Committee of Management of a co-operative society shall, except with general or special permission of the Registrar, be paid travelling allowance for attending the meeting of the Committee of Management of the society.

406. किसी सहकारी समिति का प्रतिनिधि उस सहकारी समिति के, जिसकी सदस्य उसकी समिति हो, साधारण निकाय की

बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी समिति ये यात्रा भत्ता पायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उसे यात्रा भत्ता तभी दिया जायगा जब समिति द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाय की वह साधारण निकाय की उक्त बैठक में उपस्थित हुआ था।

406. A delegate of co-operative society shall get travelling allownace from his own society for attending the meeting of the General Body of the Co-operative Society of which his society is a member:

Provided that the T.A. shall be paid only after it is certified by the society that he attended the said meeting of the General Body of the Society.

407. कोई भी सहकारी समिति किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारी को यात्रा भत्ता की तब तक अनुज्ञा न देगी जब तक कि यात्रा-भत्ता बिल निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट प्रपत्र में यथाविधि प्रस्तुत न किया जाय और जब तक कि उसके साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र न हों।

407. No co-operative society shall allow travelling allowance to any member delegate or officer unless the travelling allowance bill has been duly submitted on the form specified by the Registrar for the purpose and is accompanied by necessary certificates.

408. (क) यात्रा भत्ता के दावे में निम्नलिखित होगा:-

(1) जिस श्रेणी में वास्तव में यात्रा की जाय उसका किराया, किन्तु उस श्रेणी से अधिक का नहीं जिसके लिये दावेदार उपनियम (ग) के अधीन हकदार हो;

(2) प्रासंगिक व्यय जो उस श्रेणी के जिसके लिये दावेदार उपनियम (ग) के अधीन हकदार हो, किराये के आधे के बराबर धनराशि, यदि यात्रा हवाई जहाज द्वारा अथवा वातानुकूलित यान (ए0सी0) में रेल द्वारा अथवा कार द्वारा न की जाय;

(3) दैनिक भत्ता जैसा नियम 409 में उपबंधित।

(ख) उप-नियम (क) के खण्ड (2) में की गयी प्रासंगिक व्यवस्था के कारण रेलवे/बस स्टेशन से कैम्प की और वहां से वापसी के लिये सड़क भत्ते के लिये कोई व्यय नहीं दिया जायेगा।

(ग) निबन्धक के पूर्वानुमोदन क अधीन रहत हुये कोई सहकारी समिति अपनी वित्तीय स्थिति और कार्यकारी पूंजी को ध्यान में रखकर ही उस श्रेणी को निश्चित करेगी जिसमें उसकी प्रबन्ध समिति के सदस्य, प्रतिनिधि तथा अधिकारी सहकारी वर्ष के दौरान यात्रा करने के हकदार होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि वह श्रेणी निम्नलिखित से ऊंची न होगी:-

(1) द्वितीय श्रेणी, शयनयान या बस, उस सहकारी समिति की दशा में, जिसकी कार्यकारी पूंजी पूर्ववर्ती 31 मार्च को एक करोड़ रुपये से कम हो;

(2) प्रथम श्रेणी, रेल अथवा समकक्ष किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नियम 409 के उपनियम (ख) के खण्ड (1) के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समिति अपने अधिकारियों को वातानुकूलित कोच या हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकती है;

(3) यदि समिति हानि में कार्य कर रही है तो उसे द्वितीय श्रेणी का रेल किराया/बस का किराया ही देय होगा।

(घ) यदि यात्रा किसी ऐसी गाड़ी में, जिसक लिये किराया दिया गया हो, सड़क से की गयी हो तो व्यक्ति उप-नियम (क) के खण्ड (2) में उल्लिखित प्रासंगिक व्यय के अतिरिक्त किराये का जिसके लिये वह उप-नियम (ग) के अधीन हकदार हो, हकदार होगा।

(ङ) यात्रा भत्ता या ता उसका दावा करने वाल व्यक्ति द्वारा वास्तव में की गयी यात्रा की दूरी या बैठक के स्थान और उसके निवास-स्थान के बीच की दूरी, इसमें जो भी कम हो, के लिये दिया जायेगा।

(च) इस नियमावली में की गयी व्यवस्था क सिवाय किसी सदस्य को ऐसी समिति की जिसका वह सदस्य हो, साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित होने के लिये कोई यात्रा भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-शब्द ''श्रेणी'' का तात्पर्य उस श्रेणी से है, जिसमें रेल/बस द्वारा यात्रा की जाय।

408 (a) Claim for travelling allowance shall include -

(i) fare of the class in which actually travelled but not higher than the class to which the claimant

is entitled under Sub-rule (c);

(ii) INcidental charges amounting to one half of the fare of the class to which the claimant is entitled under Sub-rule (c) of the journey not performed by air or by rail in airconditioned class or car;

(iii) daily allowance as provided under Rule 409.

(b) No charges shall be admissible for road mileage from railway/bus station to camp or back in view of the incidental provided under Clause (ii) of Sub-rule (a).

(c) Subject to prior approval of the Registrar, a Co-operative Society shall, having regard to its financial position and working capital, determine the class in which the members of its Committee of Management, Delegates, and Officers shall be entitled to travel during the co-operative year:

Provided that such class shall not be higher than-

(i) sleeper class Reilway fare/Vus fare in case of a co-operative society which o 31st March preceding, had a working capital of less than Rs. 1 Crore;

(ii) first class railway fare or equivalent in any other co-operative society:

Provided further that a co-operative society falling in Clause (i) of Sub-rule (b) or Rule 409 may allow its officers to travel by air-conditioned reilway coach or by air.

(iii) If the society is running in loss then only sleeper class Railway fare or Bus fare wil be admissible.

(d) Where journey has been performed by road in a conveyance for which hire or propulsion charges have been paid, the person shall be entitled to the fare to which he is entitled under Sub-rule (c), besides the incidentals mentioned in Clause (ii) of Sub-rule (a).

(e) Travelling allowance shall be for the distnce either actually travelled by the person claiming travelling allowance or the distance between the place of meeting all his residence, whichever is shorter.

(f) Save as provided in these rules, no travelling allowance shall be admissible to any member for attending the meeting of the General Body of the seciery of which he is a member.

Explanation - The word "class" means the class in which journey is performed by Rail/Bus.

409. (क) किसी सहकारी समिति द्वारा प्रत्येक दिन के कार्य के लिय ऐसी दर पर, जो उप-नियम (ख) में निर्दिष्ट दरों स अधिक न हो, दैनिक भत्ते की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(ख) उपनियम (क) के प्रयोजन के लिये दैनिक भत्ते की दर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होगी:-

(1) शीर्ष सहकारी समिति और ऐसी अन्य समिति की दशा में जिसे निबन्धक उसके वित्तीय तथा कारोबार की दशा को ध्यान में रखकर और कारणों को अभिलिखित करते हुए शीर्ष समिति के समतुल्य अधिसूचित करें 200 रुपये प्रतिदिन, यदि समिति का वार्षिक शुद्ध लाभ एक करोड़ रु0 से कम है अन्यथा 400 रु0 प्रतिदिन: प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष समिति की दशा में कारोबार के पूर्ववर्ती दिन या पश्चात्वर्ती दिन के लिए भी दैनिक भत्ता उक्त दर पर अनुमन्य होगा;

(2) केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक/नगरीय सहकारी बैंक की स्थिति में 150 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा। यदि समिति का शुद्ध वार्षिक लाभ एक करोड़ रु0 प्रतिवर्ष से कम, 200 रु0 प्रतिदिन, यदि शुद्ध लाभ एक करोड़ से दो करोड़ रु0 के मध्य प्रतिवर्ष, 250 रु0 प्रतिदिन, यदि शुद्ध लाभ दो करोड़ से पांच करोड़ के बीच प्रतिवर्ष और 300 रु0 प्रतिदिन, यदि शुद्ध लाभ पांच करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक हो;

(3) कृषि प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में, 100 रुपये प्रतिदिन
प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 50 रु0 प्रतिदिन

(4) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में, 100 रुपये प्रतिदिन
प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 50 रुपये प्रतिदिन अनुमन्य होगा।

(ग) यदि यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिए समिति को किसी श्रेणी के बारे में कोई संदेह हो ता निबन्धक की राय अन्तिम होगी।

409. (a) Daily Allowance may be allowed by a co-operative society for each day of business at a rate. of not exceeding the rate specified in sub-rule (b).

(b) The rate of daily allowance for the purpose of Sub-rule (a) shall be subject to the following maximum limits:-

(i) in the case of an Apex Co-operative Society, and such other society, as the Registrar may, in view of its financial and business conditions and for reasons to be recorded, noticfy as at par with an Apex Society, Rupees 200 per day, if the annual net profit is below Rs. One Crore otherwise Rs. 400 per day :

Provided that in case of an apex society the daily allowance for a day preceding or follwing the day of business shall also be admissible at the said rare;

(ii) in the case of Central/District Co-operative Bank/Urban Co-operative Bank Rupees 150 per day, fi the annual net profit is below Rs. 1 Crore, Rs 200 per day, if annual net profit is between Rs. 1 to 2 Crores, Rs 250, if annual net profit is between Rs. 2 to 5 Crored and Rs 300 per day, if annual net profit is more trhan Rs. 5 Crores:

(iii) in case of an agricultural primary co-operavice society, rupees 100 per day :

Provided that in case of loss, Rs 50 per day.

(iv) in case of any other co-operative society, rupees 100 per day :

Provided that in case of loss, Rs 50 per day.

(c) In case of any dubt about any category of society for purposes of travelling allowance the opinion of the Registrar shall be final.

410. (क) किसी भी यात्रा के लिए एक से अधिक स्रोत ये यात्रा भत्ता, जिसमें दैनिक भत्ता सम्मिलित है, अनुज्ञेय नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो किसी विशिष्ट सहकारी समिति से यात्रा भत्ता का दावा करे, यात्रा भत्ता बिल के साथ इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने उसी श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिए बिल में प्रभारित किया गया है और बिल में उल्लिखित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का न तो दावा किया गया है और न किसी अन्य स्रोत से लिया गया है।

(ख) कोई अन्य विषय जो यात्रा और दैनिक भत्ते से सम्बन्धित हो और इन नियमों के अन्तर्गत न आता हो, इस विषय पर संगत सहकारी नियमों से नियंत्रित होगा।

410. (a) For any journey, travelling allowance including daily allowance shall not be permissible from more than one source, A person claiming travelling allowance from a partifular co-operative society shall furnish a certificate alongwith the travelling allowance for the journey mentioned in the bill has not been claimed or obtained from any other source.

(b) Any other matter relating to travelling allowance and daily allowance not covered by these rules shall be governed by relevant Government rules on the subject.

ध्याय–28
CHAPTER- XXVIII
विविध
MISCELLANEOUS

411. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके धारा 122 के अधीन प्राधिकारियों का गठन कर सकती है।

411. The authority or authorities under Section 122 may be constituted by the State Government by Notification published in the Official Gazette.

412. राज्य सरकार राज्य की समस्त शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों के सभापतियों से परामर्श करने के पश्चात् धारा 123 के प्रयोजन के लिए गजट में विज्ञप्ति द्वारा–

(क) प्रत्येक ऐसी शीर्ष स्तर समिति को उन समितियों के सम्बन्ध में जो शीर्ष समिति से (या ऐसी समिति से सम्बद्ध हो जो शीर्ष समिति से सम्बद्ध हो) और जो राज्य सरकार की राय में उसी प्रकार का कारोबार या कार्य करती हो जैसा शीर्ष समिति का हो, सहकारी संघीय प्राधिकारी के रूप में; या

(ख) (1) उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 को समस्त कृषि ऋण समितियों (जिसके अन्तर्गत उनके केन्द्रीय

बैंक भी हैं) के लिए और ऐसी अन्य समितियों या समितियों के वर्ग के लिए भी, जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय, सहकारी संघ प्राधिकारी के रूप में; और

(2) एक या अधिक समुचित शीर्ष स्तर की समितियों को सहकारी संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों के रूप में, मान्यता दे सकती है।

412. The State Government after consulting the Chairman of all the Apex Level Co-operative Societies of the State, may for purpose of Section 123, by notification in the Gazette, recognise--

(a) every such Apex Society as a Co-operative Federal Authority in respect of the societies which are affiliated to that Apex Society (or to such co-operative society which is affiliated to the Apex Society) and which, in the opinion of the State Government, are in the same line of business or activity as is that of the Apex Society; or

(b) (i) the Uttanchal Co-operative Marketing Federation as a Co-operative Federal Authority in respect of all agricultural credit societies (including their Central Bank) and also for such other societies or clas of societies as may be mentioned in the notification, and

(ii) One or more appropriate Apex Level Societies as Co-operative Federal Authority or authorities in respect of the rest of the societies.

413. (क) निबन्धक धारा 123 की उपधारा (2) के अधीन, समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में व्यय के लिए सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान निश्चित कर सकता है यदि ऐसा अंशदान (जिसे आगे पर्यवेक्षण शुल्क कहा गया है) किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध सहकारी समितियों द्वारा किया जाय तो निबन्धक केन्द्रीय बैंक को सम्बद्ध समितियों की ओर से पर्यवेक्षण शुल्क देने का आदेश दे सकता है। तदुपरान्त बैंक ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा।

(ख) यदि कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक उक्त उपनियम (क) के अधीन ऐसी सहकारी समितियों की ओर से, जो उससे सम्बद्ध हो, पर्यवेक्षण शुल्क दे तो ऐसा बैंक सम्बद्ध सहकारी समितियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसे वसूल करने का हकदार होगा–

(1) किसी ऐसी समिति से जिसकी पिछले 31 मार्च को स्वाधिकृत पूंजी अपनी चालू पूंजी के 60 प्रतिशत से कम हो, कोई भी पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक आदेश द्वारा और उन कारणों से जो भी अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी अवधि के लिए जैसा वह आदेश में निर्दिष्ट करें, ऐसी समितियों से पर्यवेक्षण शुल्क वसूल करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसकी स्वाधिकृत पूंजी अपनी कार्यकारी पूंजी अपनी कार्यकारी पूंजी के 30 प्रतिशत से कम न हो;

(2) लिये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्क की दर पिछले सहकारी वर्ष के दौरान में ऐसी समिति द्वारा अर्जित ब्याज के बीसवें भाग से अधिक न होगी; और

(3) ली गयी धनराशि बैंक द्वारा दी गयी धनराशि से अधिक न होगी।

(ग) निबन्धक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग पर लगाये गये पर्यवेक्षण शुल्क का पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान करने से छूट दे सकता है, तदुपरान्त बैंक छूट प्राप्त धनराशि वसूल नहीं करेगा।

413. (a) The Registrar may, under Sub-section (2) of Section 123, fix the amount of contribution to be paid by a co-operative society or class of co-operative societies towards expenditure in respect of supervision of the societies and where such contributions (hereinafter referred as supervision fees) are to be paid by a co-operative society affiliated to a Central Co-operative Bank, the Registrar may order the bank to pay supervision fees on behalf of the affiliated society, where upon the bank shall pay such fees.

(b) Where a Central Co-operative Bank pays, under Sub-rule (a) above, supervision fees on behalf of a co-operative society affiliated to it, such bank shall be entitled to recover the same from the affiliated society subject to the conditions laid down below :-

(i) No supervision fees shall be charged from a society, the owned capital of which was less than sixty per cent of its working capital on 31st March last :

Provided that the Registrar may, by order and for reasons to be recorded permit for such a period as he may specify in the order, recovery of supervision fees from society, the owned capital of which is not less than thirty per cent of its working capital;

(ii) the rate of supervision fees to be charged shall not exceed one-twentieth of the interest earned by such society during the preceding co-operative year: and

(iii) the amount charged shall not exceed the sum paid by the bank.

(c) The Registrar may, for reasons to be recorded, grant total or partial exemption from the payment of supervision fees levied against any co-operative sociiety or class of co-operative societies, whereupon the amount exempted shall not be recovered by the bank.

414. (क) यदि कोई सहकारी समिति धारा 129 की उपधारा (7) के अधीन प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन करने में असफल होता है तो निबन्धक, समिति को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत अपनी प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों में से जो नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए पात्र हो, नामांकन द्वारा समिति की प्रबन्ध समिति का गठन कर सकता है।

(ख) यदि प्रबन्ध समिति उपनियम (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाय तो निबन्धक ऐसे नाम निर्देशन के 6 माह के अन्दर समिति के लिए उतनी संख्या में सदस्यों के जितने समिति की उपविधियों के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित हों, निर्वाचन के लिए समिति के साधारण निकाय की साधारण बैठक बुलायेगा, इस प्रकार हुए निर्वाचन के परिणाम स्वरूप पुनर्गठन प्रबन्ध समिति उपनियम (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नामित समिति का स्थान लेगी।

(ग) उपनियम (क) के नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति नियम 463 में निर्धारित रीति से अपनी प्रथम बैठक में अपने में से समिति का एक सभापति तथा उप सभापति निर्वाचित करेगी। इस प्रकार निर्वाचित सभापति तथा उप सभापति का कार्यकाल उतना ही होगा जितना नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का है।

414. (a) Where a co-operative society fails to reconstitute its Committee of Management under Sub-section (7) of Section 129, the Registrar shall after affording an opportunity to the society to revonstitute its Committee of Management within the time specified by him, constitute by nomination a Committee of Management of the society from amongst such persons as under the bye-laws of the society and the rules are qualified for the membership of the Committee of Management.

(b) Where the Committee of Management is nominated by the Registrar under Sub-rule (a), the Registrar shall, within six months of such nomination, call or cause to be called a general meeting of the General Body of the society for relecting such number of members for the committee as are required to be elected under the bye-laws of the society. The Committee of Management reconstituted as a consequence of the elections so held shall forthwith replace the committee nominated by the Registrat under Sub-rule (a).

(c) The Committee of Management nominated under Sub-rule (a) shall, in the manner laid down in Rule 463, elect a Chairman and a Vice-Chairman of the society from amoungst themselves in their first meeting. The term of the Chairman and Vice-Chairman so elected shall be co-extensive with the term of the nominated Committee of Management.

415. (1) कोई सहकारी समिति (शीर्ष समिति को छोड़कर) अपनी प्रबन्ध समिति में उतने सदस्य रख सकती है जितने के लिये उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो किन्तु सदस्यों की संख्या 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी। शीर्ष सहकारी समिति में उक्त संख्या अधिकतम 17 तक हो सकती है। समिति की कोई अन्य समिति या उप समिति उसकी प्रबन्ध समिति से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी समिति या उप समिति में 07 (सात) से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में तीन स्थान जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये, एक अन्य पिछड़े वर्गों एवं एक महिला के लिये आरक्षित होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय और प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थिति में तीन स्थान, जिनमें से दो महिलाओं के लिये और एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये चक्रानुक्रम में आरक्षित होगा।

(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी समिति, किसी भी कारण से प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों का निर्वाचन न कर सके, जितने के लिये स्थान आरक्षित हैं या यदि उनमें कोई रिक्ति होती है, वहां प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसे वर्ग के पात्र व्यक्तियों का ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में सहयोजित करके, यथास्थिति, रिक्ति या कमी को भरा या पूरा किया जा सकता है।

415. (1) A Co-operative Society other than an apex society may have as many persons on its Committee of Management as may be provided in its bye-laws, subject to a maximum of 15 persons. In the case of an apex society the manimum number may be 17 persons. Any other committee or sub-committee of the society shall be smaller than its Committee of Management and in no case, such committee, or sub-cimmittee shall consist of more than 7 Members:

Provided that in the Committee of Management of every co-operative society 3 seats shall be reserved of which one shall be reserved for Scheduled Caste or Scheduled Tribe, one for other backward classes of citizen and one for woman:

Provided further that in the case of Central and Primary Consumer Co-operative Societies 3 seats shall be reserved of which two shall be reserved for women and one forperesons belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens by rotation.

(2) Where a Co-operative Society referred to in Sub-rule (1) for any reasons, whatsoever, fails to elect on the Committee of Management such number of persons for whom seats are reserved or the vacancy occurs amongst them the vecancy on the deficiency shall be made good or filled, as the case may be, by the Committee of Management by co-opting from the General Body eligible persons belonging to such class on the Committee of Management of such society.

416. इस नियमावली या समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी किन्तु, नियम 473 के अधीन रहते हुये यदि नियम 415 के उपनियम (1) क प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को, यथास्थिति, निर्बल वर्ग के उतने व्यक्ति या उतनी महिलायें नहीं हैं जितना उपर्युक्त नियम में निर्दिष्ट किया गया है तो प्रबन्ध समिति ऐसी समितियों की प्रबन्ध समिति में उतने व्यक्ति सहयोजित करेगी जितने नियम 415 के उपनियम (1) के उक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रतिनिधित्व करने के लिये आवश्यक हों और इस प्रकार सहयोजित कर दिये जाने पर सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध समिति पर्ची उठाकर उतनी संख्या में व्यक्तियों को निवृत्त (रिटायर) करेगी जिससे कि प्रबन्ध समिति के ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को स्थान दिया जा सके।

416. Notwithstanding anything contained in these rules or the bye-laws of the society but subject to Rule 473, if the Committee of Management of a co-operative society referred to in the proviso to Sub-rule (1) of Rule 415, on the date of commencement of this rule does not have as many persons as are referred in the above sub-rule of weaker sections or women, as the case may be, the Committee of Management shall co-opt on the Committee of Management of such societies as many persons as may be necessary to provide representation to the extent specified in the said proviso to Sub-rule (1) of Rule 415, and upon the co-option so made, the Committee of Management of the concerned society shall retire the required number of persons by draw of lots so as to accommodate such co-opted persons on the Committee of Management.

417. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त न हुआ हो और ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्ति नहीं है जितने की व्यवस्था उपर्युक्त नियमावली में की गयी है तो प्रबन्ध समिति ऐसी समिति की उपविधियों में किसी बात के हेतु हुए भी, उसकी प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों को सहयोजित करेगी जितने ऊपर निर्दिष्ट नियम में विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये आवश्यक हो और इस प्रकार नाम निर्देशन कर दिये जाने पर सम्बन्धित समिति की प्रबन्ध समिति पर्ची उठाकर अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को निवृत्त करेगी, जिससे कि सहयोजित व्यक्तियों को स्थान दिया जा सके।

417. Where the term of the elected members of the Committee of Management of a co-operative society has bot expired on the date of commencement of these rules and the Committee of Management of such society does not have such number of persons as provided in the aforesaid rules the committee of management shall, notwithstanding anything contained in the bye-laws of such society, co-opted on the Committee of Management thereof such number of persons as may be necessary for providing representation to such persons to the extent specified in the above referred rule and on the co-option being so made, the Committee of Management of the concerned society shall retire the required number of persons by draw of lots so as to accommodate such co-opted.

418. किसी सहकारी समिति की साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति द्वारा पारित कोई भी संकल्प, यथास्थिति, ऐसी साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त संकल्प पारित होने के दिनांक से 6 महीने के भीतर निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना विखंडित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जायेगा।

418. No resolution passed by the general body or the Committee of Management of a co-operative society shall, without the previous section of the Registrar, be rescinded, altered or amended by such general body or Committee of Management, as the case may be, within 6 months from the date of passing of such resolution.

419. अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या आदेशिका लिखित होगी तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा या उक्त प्राधिकारी द्वारा यथाविधि इन निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर, यदि कोई हो, लगाकर अधिप्रमाणित की जाएगी।

419. Every notice or process issued by an authority under the Act or the rules shall be in writing and shall be signed by such authority or by any person duly authorised by the said authority in the behalf and authenticated by the seal, if any, of the authority by whom it is issued.

420. कोई भी सहकारी समिति, समिति के किसी भी परिसर या उसके भाग को जो समिति के कारोबार के लिये हो ऐसे कारोबार या उससे सम्बद्ध कार्यों से भिन्न किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये न तो प्रयुक्त करेगी और न प्रयुक्त करने की अनुमति देगी।

420. No co-operative society shall, use or allow to be used any premises or portion thereof, which is meant for the business of the society, for any purpose other than such business or action related to such business.

421. कोई भी सहकारी समिति निबन्धक की पूर्व स्वीकृति बिना किसी सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी नहीं करेगी। भागीदारी की शर्तें भी अनुबन्ध निष्पादित करने के पूर्व निबन्धक से अनुमोदित करानी होगी। निष्पादित भागीदारी अनुबन्ध की एक प्रतिलिपि निबन्धक को प्रस्तुत की जाएगी।

421. No co-operative society shall, except with the prior approval of the Registrar, enter into partnership with any person. The terms of partnership shall also be got approved from the Registrar before the execution of the partnership deed. A copy of the partnership deed as executed shall be filed with the Registrar.

422. धारा 103 की उपधारा (1) के खण्ड (व) के अधीन, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन यह एक अपराध होगा, यदि-

(क) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या प्रबन्ध समिति का सदस्य किसी उपविधि के प्रस्तावित संशोधन पर नियम 28 के उपनियम (ग) का उल्लंघन करके कार्य करे;

(ख) किसी सहकारी समिति द्वारा पता बदल दिये जाने की स्थिति में समिति का सचिव नियम 35 के उपनियम (क) या (ख) के अधीन अपेक्षित कार्यवाही करने में विफल रहे;

(ग) कोई व्यक्ति नियम 358 के उपनियम (4) के अधीन वसूली अधिकारी (रिकवरी ऑफिसर) द्वारा किये गये आदेशों का पालन न करें;

(घ) सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य नियम 450 के उपनियम (3) और नियम 438 के अधीन सूचना देने में विफल रहे;

(ङ) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति का चुनाव लड़ना चाहे, कपट या मिथ्या निरूपण से नामांकन-पत्र दाखिल करे;

(च) समिति का कोई अधिकारी निर्वाचन के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान करने में विफल रहें,

(छ) सचिव या प्रबन्ध निदेशक नियम 451 के उपनियम (4) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित सूची तैयार करने में विफल रहे।

422. It is hereby declared under Clause (viii) of Sub-section (1) of Sectin 103 that it shall be an offence under the Act if--

(a) an officer or member of the Committee of Management of a co-operative society acts on a proposed amendment of bye-law, in contravention of Sub-rule3 of Rule 28;

(b) the secretary of the society fails to take action as required under Sub-rule (a) or (b) of Rule 35, in case of change of address by a co-operative society;

(c) any person fails to comply with the orders of the Recovery Officer made underSub-rule (4) of Rule 358;

(d) an officer or member of co-operative society fails to furnish information under Sub-rule (3) of Rule 450 and of Rule 438;

(e) any person who seeks election to a co-operative society files nomination papers by fraud or mis-representation:

(f) an officer of the society fails to make payment of expenses incurred in connection with the election;

(g) the Secretary or Managing Director fails to prepare the lists pertainning to the election, within specified period as directed by the Election Officer under Sub-rule (4) of Rule 451.

423. किसी सहकारी ऋण समिति का कोई सदस्य अथवा कोई व्यक्ति जा किसी सहकारी ऋण समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थी हो, ऐसी समिति को अपनी वित्तीय स्थिति की सूचना ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय और जब कभी वह अपनी अचल सम्पत्ति अंतरित या हस्तान्तरित करे, उसकी सूचना भी तुरन्त समिति को देगा।

423. A member of a co-operative credit society and a person who is an applicant for the membership of a co-operative credit society shall furnish to such society information about his financial position in such form as may be prescribed by the Registrar and shall inform the society forthwith whenever he transfers or alienates his immovable property.

424. कोई भी समिति अपने उद्देश्यों में या विचारार्थ अथवा विमर्श हेतु ऐसे विषय को सम्मिलित न करेगी जिससे सदस्यों या समिति तथा सदस्यों के बीच कोई साम्प्रदायिक, धार्मिक या राजनैतिक विवाद उत्पन्न हो जाने की सम्भावना हो।

424. No society shall include in its objects or take up for consideration or discussion any matter which is likely to involve the society or its members in communal, religious or prolitical controversy among the members or between members and the society.

425. कोई भी सहकारी समिति किसी भी कार्यवाही या वाद के व्ययों को वहन नहीं करेगी, जब तक–

(i) समिति उसमें स्वयं पक्ष न हो, और

(ii) इस प्रकार की कार्यवाहियों और वाद के फलरूवरूप समिति के हितों पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

425. No co-operative society shall defray the expenses of any proceedings or suit unless--

(i) the society itself is a party to such proceedings, and

(ii) the interest of the society is likely to be affected by such proceedings or suit.

अध्याय–29
CHAPTER- XXIX

सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम
RULES FOR ELECTION IN CO-OPERATIVE SOCIETIES

भाग–1
PART - I

पंजीकरण के पश्चात् बैठक और निर्वाचन
POST REGISTRATION MEETING AND ELECTION

426 (1) किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के दिनांक से 90 (नब्बे) दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर, जिसके लिये निबन्धक द्वारा लिखित रूप में अनुज्ञा दी जाय, समिति अपनी प्रथम साधारण बैठक करेगी जिसमें

केवल वे व्यक्ति भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने समिति के पंजीकरण के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किये हों।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बैठक के प्रयोजन के लिये कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्य-सूची उल्लिखित होगी, उस व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जिसने नियम 5 में निर्दिष्ट प्रथम हस्ताक्षरी के रूप में पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किय हों।

426. (1) Within a period of ninety days from the date of the registration of a co-operative society or within such extended period as may be permitted in writing by the Registrar, the society shall hold its first general meeting wherein only such persons as had joined in the application for registration of the society shall be entitled to participate.

(2) For the purposes of the meeting referred to in Sub-rule (1), at least fifteen days notice mentioning the date, time, place and agenda of the meeting shall be given by the person who signed the application for the registration as the first signatory (referred to in Rule 5).

427. यदि प्रथम हस्ताक्षरी उपर्युक्त बैठक बुलाने अथवा बुलाये जाने के लिये उपलब्ध न हो ता वह निबन्धक या उसके साधारण या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई जाएगी।

427. Where the first signatory is not available to convence the meeting or he fails to convene the meetings as aforesaid it shall be convened by the Registrar or any person authorised by the Registrar by a general or special order.

428. नियम 426 में निर्दिष्ट प्रथम साधारण बैठक में, निम्नलिखित क्रम से कार्य सम्पादित किया जाएगा:-

(1) बैठक की अध्यक्षता करने के लिये व्यक्ति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठाकर किया जाएगा);

(2) समिति के गठन के दिनांक से बैठक के दिनांक तक लेखों के विवरण-पत्र पर विचार करना;

(3) नियम 426 के उन नियम (1) में की गयी व्यवस्था के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्तियों में से, अस्थायी प्रबन्ध समिति का गठन;

(4) अस्थायी समिति के सदस्यों में से समिति के सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन;

(5) समिति द्वारा प्रथम वार्षिक साधारण बैठक तक लिये जाने वाले अधिकतम दायित्व निश्चित करना;

(6) नये सदस्य बनाना; और

(7) कोई अन्य विषय जा समिति की उपविधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो।

428 At the first general meeting referred to in the Rule 426, the following business shall be transacted in the order given below :-

(i) election of the person to preside over the meeting (election to be held by show of hands);
(ii) consideration of the staterment of accounts, since the organization of the society to the date of meeting;
(iii) constitution of a provisional Committee of Management from amongst the persons entitled to participate in the meeting as provided in Sub-rule (i) of Rule 426;
(iv) election of Chirman and Vice-chairman of the society from amongst the members of the provisional committee;
(v) fixation of maximum liability to be incurred by the society till the first annual general meeting of the society;
(vi) admission of new members; and
(vii) any other mater which may be necessary in view of the bye-laws of the society.

429. नियम 456 में दी गयी प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 428 के खण्ड (4) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजन के लिये लागू होगी।

429. The provedure laid down in Rule 456 shall mutatis mutandis apply for purposes of election uner Clause (iv) of Rule 428.

430. नियम 428 के खण्ड (3) के अधीन गठित अस्थायी प्रबन्ध समिति और उस नियम के उपनियम (4) के अधीन निर्वाचित

सभापति और उप सभापति तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि क्रमश: प्रबन्ध समिति सम्यक् रूप से संगठित न हो जाय और सभापति या उप सभापति का निर्वाचन न हो जाय।

430. The provisional Committee of Management constituted under Clause (iii) of Rule 428 and the Chairman and the Vice-chairman elected under Sub-rule (iv) of that rule shall hold office till the Committee of Management is duly constituted and the Chairman and Vice-chairman are duly elected, respectively.

भाग–2
PART - II
सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम
ELECTION RULES IN RESPECT OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

431. किसी सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह नयी प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार कराये। समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के चार माह पूर्व उस जिले के, जिसमें समिति का रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय स्थिति है, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों को अथवा उस अधिकारी को, जिसे समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय, लिखित रूप से, समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण के लिये अनुरोध करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों के मामले में, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां या प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के पूर्व, नियम 450 में विहित रीति से निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा। प्रारम्भिक समितियों से भिन्न समितियों के मामले में निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण मण्डल के उप निबन्धक, सहकारी समितियां/उप निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्यालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जिनके कार्य क्षेत्र में समिति का मुख्यालय स्थित है, किया जाएगा।

431. It shall be the duty of the Registrar to reconstitute the new Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, Rules and Bye-laws before the expiry of the term of elected Committee of Management of any co-operative society. It shall be the duty of the secretary or the Managing Director of the Society to inform four months prior to the date of expiry of the term of elected Committee of Management to the District Assistant Registrar, Co-operative Societies of the district in which the registered headquarters of the society is situated or the officer authorized by the Registrar for such purpose for a class or classes of societies, in writing about the date on which the term of the elected Committee of Management of the society is to expire and he shall make request to determine the constituencies :

Provided that in case of primary co-operative societies, the District Assistant Registrar, Co-operative Societies or authorize officer shall determine the constituencies in the manner prescribed in Rule 450 before the declaration of the election programmes and in case of societies other than primary societies, the constituencies shall be determined by the Deputy Registrar, Co-operative Societies of the Division/Deputy Registrar, Head Quarters or the authorised officer in whose jurisdiction the headquarters of the society is stituated.

432. निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिय समिति का सचिव अथवा, यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनायें अथवा तथ्य, जिनकी अपेक्षा जिला सहायक निबन्धक अथवा मण्डल के उप निबन्धक, सहकारी समितियां; उप निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्यालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाये, उपलब्ध करायेगा।

432. For the determination of the consitituencies the Secretary of the society or the Managing Director as the case may be, shall make available all such information or facts which are required by the District Assistant Registrar or Divisional Deputy Registrar/Deputy Registrar, Headquarters, Co-operative Societies or the authorised officer.

433. समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय–समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिसमें नामों के सम्मुख अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों में वर्णित कोई

अनर्हता, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और इस सूची में निर्वाचन के दिनांक के 120 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामांकित साधारण सदस्य ही सम्मिलित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि जिन समितियों के साधारण निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों एवं समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची नियम 85 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गयी मतदाता सूची अनन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध समिति के सभापति के हस्ताक्षर और मुहर होंगी।

433. The Secretary or the Managing Director of the society shall in accordance with the direction given by the Registrar from time to time or the provision for time being in force prepare a list of all the voters against rules name the disqualification, if any, as described in the Act, Rules or Bye-laws shall be mentioned in the list and the members, ordinary duly enrolled 120 days before the date of election, shall only be included:

Provided in case of the societies where General Body is constituted by individual members and delegated of the societies or only by the delegated of the societies, the voter list shall be prepared under Rule 85 and the voter list, so prepared, shall be called the provisional voter list which will bear the signature and seal of the Secretary or the Managing Director and the Chairman of the Committee of Management.

434. नियम 433 के अनुसार तैयार की गयी अन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित किया जाय, प्रदर्शित की जायेगी।

434. The provisional voter list prepared in accordance with Rule 433 shall be displayed by the Election Officer on the date and time and place as notified in the election programme.

435. जिला सहायक निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी जिले के जिला मजिस्ट्रेट का समितियों की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पूर्व उन समितियों की सूची उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित समिति के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध करेगा।

435. The District Assistant Registrar or the Authorised Officer shall make available to the District Magistrate of the district, the list of societies, the term, 60 days before the expiry of term of the Committee of Management and shall request to appoint Election Officer for election in the concerned societies.

436. (1) उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी समिति या समितियें या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा और उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहां समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांक को निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाएं मांग सकता है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों की स्थिति में जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक जिले में हो, उस जिले से जो ऐसी समिति के कार्य क्षेत्र में पड़ता हो, किसी सदस्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचान आयोजित करने का प्राधिकार का प्रयोग सम्बद्ध जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, इस नियमावली एवं समिति की उप विधियों में अधिलिखित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये और उसका संचालन करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्वाचन और उसके परिणाम की घोषणा, बहिर्गामी प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम 15 दिन पूर्व कराया जायेगा ताकि कार्यकाल समाप्ति के तत्काल बाद नव-निर्वाचित प्रबन्ध समिति बहिर्गामी प्रबन्ध समिति का स्थान ग्रहण कर ले। निर्वाचन अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन कराये के लिए आवश्यक हों। अपरिहार्य परिस्थितियों में और अकाट्य कारणों से जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के दौरान बदल सकता है, ऐसे मामले में वह व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी के रुप में उत्तराधिकारी हो, निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन करायेगा।

436. (1) Notwithstanding anything contained in the bye-laws, the election of any co-operative society or societies or class or classes of co-operative societies shall be held in accordance with the provisions of the Act and the Rules and the District Magistrate of the district in which thevheadquarters of the society is situated shall take steps to hold the election on the appointed date and for this purpose the services of any Government servant or official may be requisioned by him and if any such orders have been issued by the District Magistrate in respect of any official or employee, failure to comply with such orders shall be deemed to be an offence, which if proved, shall be punishable with a fine which may extend to Rs. 1,000 or imprisonment which may extend to three months or with both:

Provided that in case of societies of which area of operation extends to more than one district, an authority to organise the election of delegates of a member from the district falling within the area of operation of such society shall be exercised by the District Magistrate of the district concerned or his nominee.

(2) It shall be the duly of the Election Officer to hold and conduct election in the manner laid down in the Act. these Rules and the Bye-laws of the society :

Provided that such election shall be held and results thereof shall be declared at least fifteen days before the expiry of the term of the outgoing Committee of Management, so that the newly elected Committee of Management should replace the outgoing Committee of Management immediately after the expiry of the term. The Election Officer shall exercise all such powers and perform all such duties as may be necessary for the conduct of election. Under unavoidable circumstances and for cogent reasons, the District Magistrate may change the Election Officer during the course of election, and in that case, the person who succeeds as Election Officer shall conduct the election as per election programme.

437. (1) किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जिसे निबन्धक आदेश द्वारा नियत करे और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नियत किये गये दिनांक को, इस प्रयोजन के लिए एक या अधिक निर्वाचन अधिकारी या समिति के भिन्न-भिन्न वर्ग या वर्गों के लिए या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न अधिकारी नियुक्त करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का, जो समिति के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी ऐसे सस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन उसे विहित किये जाएं या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई मतदान अधिकारी, जिस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का पालन करेगा।

(3) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र के लिए ऐसे सरकारी सेवकों में से जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिए मतदान अधिकारी नियुक्ति कर सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी उतनी संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जितनी संख्या में मतदान केन्द्र/मतकक्ष (बूथ) हों और उनके लिए मतपेटियों, मतपत्रों, अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति और अन्य ऐसे उपसाधनों की व्यवस्था करेगा, जो निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो।

437. (1) The Election in a co-operative society or societies or a class or classes of Co-operative Societies shall be held on such date or dates, as the Registrar may by order fix and the District Magistrate concerned shall, on such dates being so fixed appoint by order, one or more Election Officers or different Election Officers for different class or classes of societies or for different areas for this purpose :

Provided that non Officer of the Department which is concerned with the management and administration of the society shall be appointed as Election Officer.

(2) The Election Officer shall perform all such functions as are enjoined upon him under these Rules or as may be incidental to or necessary for the discharge of duties, but in the absence of an Election Officer any Polling Officer who has been authorised by the District Magistrate to do so, sall perform

the function of the Election officer.

(3) Notwithstanding anythings contained in these rules, the Election Officer for each constituency may depute a Polling Officer from amongst Government servants who are not concerned with the management and administration of societies to assist him in the conduct of elections.

(4) Subject to Sub-rule (iii), the Election Officer shall appoint as many Polling Officers as there are polling stations/booths and shall provide each of them with ballot-boxes, ballot paper, copy of the fiinal voters list and such other accessories as may be necessary for the conduct of elections.

438. सम्बन्धित समिति की प्रबन्धक समिति, उसका सचिव और प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिय बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे, जिनकी निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपेक्षा करे।

438. The Committee of Management and every officer of the co-operative society concerned shall be bound to render every assistance to the Electon Officer in the conduct of the elections and shall make available every record that may be required by the Election Officer for this purpose.

439. यदि किसी अभ्यर्थी की जिसका नामांकन नियम 451 एवं 456 के अधीन विधिमान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु की सत्रूता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट (Countermand) कर देगा और इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिये जो मतदान के प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् नामांकन दाखिल करने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे प्रत्यादिष्ट के पश्चात् उस दिनांक को होगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय।

439. If a candidate whose nomination is found valid under rule 451 and 456 and who has not withdrawn his candidature, dies and the information of his death has reached before the polling, then the Election Officer, after satisfying himself about the facts of the death of the candidate, shall countermand the poll of the concerned constituency and shall inform the District Magistrate and the Registrar and the nominations for that person who was the candidate for the election at the time of counteramanding of the poll and such person who had withdrawn his candidature brfore such countermand shall not be disqualified to file nomination after such countermand, and the polling after such countermand, shall be held on the date as fixed by the Registrar.

440. यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य अकाट्य कारण से किसी स्थान पर निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिये नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को दी जायेगी जिस पर निबन्धक निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा।

440. If polling or any proceedings of election get disrupted due to riots or open violence at the place of polling or holding election is not possible at any place due to any natural calamity or any other cogent reasons, the Election Officer appointed for such election, shall declare postponement of election till next date to be notified later. The information of such postponement shall be given to the District Magistrate and the Registrar immediately on which the Registrar shall fix the new date for the election.

441. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है तो, वह निबन्धक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगी और तत्पश्चात् निबन्धक निर्वाचन स्थगित करेगा और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन कर लिये गये हैं और चिन्हों का आवंटन कर लिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे

चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा, जो निबन्धक नियत करे।

441. Where the State Government is satisfied that circumstances exist which render it difficult to hold the election on the date fixed by the Registrar, it may direct the Registrar to postpone the election and therecupon the Registrar shall npostponce the clection and all proceedings with reference to election shall be commenced afresh in all respects :

Provided that if nominations have been finalised and symbols have been allotted, the process of election shall continue and poll shall be held on such date as the Registrar may fix.

442. कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध समिति के एक से अधिक पद के लिये साथ-साथ चुनाव लड़न के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नामांकन-पत्र वैध पाये जायें ता उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नामांकन-पत्र वापस लेना होगा। नामांकन वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो उसके समस्त नामांकन-पत्र अवैध हो जायेंगे। एक चुनाव क्षेत्र में एक प्रत्याशी, एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होगा। वह किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक नहीं होगा।

442. A cendidate shall not be eligible to contest simultaneously for more than one office of the Committee of Management. If nomination papers for more than one office are found to be valid, he shall opt only for one office and withdraw his nomination for the rest. If he fails to exercise his option, before the date fixed for the withdrawl, his nomination papers shall become invalid. In a constituency one proposer and one seconder will be for one candidate only, the same will not be eligible to propose or secod other candidate.

443. प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिये या मतपत्रों की गणना के लिये नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो इसे प्राप्त करने के लिये विधिक रूप से प्राधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

443. Each polling shall be held by secret ballot paper and any officer, staff or person who has been appoiinted for conduct of polling or counting of votes shall not give any such information to such person or persons who are not legally authorised to receive it or he shall do no such act which may affect the secrecy of the polling.

444. नियम 443 के उल्लंघन में किया गया कोई कृत्य या जानकारी देना, प्रकट करना अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाय, उनको 6 (छः) माह के कारावास या जुर्माने, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

444. Any act done or any information imparted or divulged in contravention of Rule 443 shall be deemed to be an offence and any person or persons against whom such offence is proved shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with a fine which may extend to Rupees one thousand or with both.

445. (1) कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिये नियुक्त किया गया है या किसी समिति को कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो

(2) उपनियम (1) के उल्लंघन में किया गया कोई आचरण या कृत्य यदि सिद्ध हो जाता है तो दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और जो पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

445. (1) No person who is an Election Officer or has been appointed to conduct an election or is an Officer of Society or a Police Officer appointed to assist conducting of the election shall, during the election process, commit any such act or influence any voter or candidate in such manner as may enhance or diminish the chance of the condidate's success in the election.

(2) Any conduct or act in contravention of Sub-rule (1) shall, if proved, be deemed to be an offence punishable with fine which may extend to Rupees five thousand.

446. प्रत्येक निर्वाचन में, मतदान समाप्त होने के पश्चात्, मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 454 में विहित रीति से करायी जायेगी और प्रत्येक प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेन्ट) और गणना अभिकर्ता का यह अधिकार होगा

कि वे गणना के समय उपस्थित रहें।

446. In every election after the close of the poll counting of votes shall be held by the Election Officer in the manner prescribed in Rule 454 and every candidate, his election agent and his counting agent shall have the right to be present at such counting.

447. अधिनियम के उपबन्ध और अधिनियम के अधीन जारी किये गये नियम और आदेश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मूल मतदान के लिये लागू होते हैं।

447. The provision of the Act and the Rules or Orders issued under the Act shall be applicable to every repoll in the same manner as they are applicable for the original poll.

448. यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या विहित गणपूर्ति से कम पाई जाती है तो रिक्त स्थानों के लिये चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियम 415 के उप नियम (1) के अधीन आरक्षित स्थान से भिन्न अन्य किसी एक या अधिक स्थानों के लिये कोई वैध नामांकन प्राप्त न हो, तो ऐसी रिक्ति, नियम 470 और 471 के अधीन दी गयी रीति से, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी।

448. If the number of elected membrs to the Committee of Management of any society after election is found to be less than the Quorum prescribed, the election shall be held for the vacant seats as early as possible:

Provided that if no valid nominations are received for any one or more seats other than those reserved under Sub-rule (1) of Rule 415, such vacancy shall be filled by co-option in the manner laid down under Rules 470 and 471.

449. यदि किसी कारण से जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से जहां पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी, जैसा कि निबन्धक विनिश्चित करें;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन-पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका हो और चिन्हों का आवंटन कर लिया गया हो तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा, जो निबन्धक नियत करें ।

449. If for any reason the election of any society has been disrupted by the District Magistrate, or the Election Officer, the process of election shall commence from the stage at which it is disrupted or from a stage prior to that or de novo as the Registrar may decide :

Provided that if nominations have been finalised and symbols have been alloted, the process of election shall continue and poll shall be held on such date as the Registrar may fix.

450. (1) जिस वर्ष किसी सहकारी समिति का निर्वाचान किया जाना हो, उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें समिति या समितियों का मुख्यालय स्थित हो, निबन्धक के आदेश के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन निम्न प्रकार से कराने की व्यवस्था करेगा।

(क) उन प्रारम्भिक समितियों से, जिनका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जिले से अधिक जिलों में हो, भिन्न प्रारम्भिक समिति के मामले में प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और अन्य समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधि;

(ख) इस नियम के खण्ड (ग) से (ङ) मं निर्दिष्ट क्रय-विक्रय समितियों, ब्लॉक यूनियन और केन्द्रीय समितियों से भिन्न अन्य क्रय-विक्रय समितियों, ब्लॉक यूनियन और केन्द्रीय समितियों की स्थिति में, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि और ऐसी समितियों के मामले में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो और जिनमें अलग-अलग सदस्यों की सदस्यता हो, साधारण निकाय के लिए अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि;

(ग) केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक से भिन्न अन्य जिला सरकारी परिसंघ (फेडरेशन) और अन्य जिला स्तर की समितियों की स्थिति में, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि;

(घ) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थिति में प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के

साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि और शीर्ष समितियों से भिन्न अन्य समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि;

(ङ) किसी अन्य समिति की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति सम्मिलित है, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और साधारण निकाय के लिए शीर्ष समिति के प्रतिनिधि :

प्रतिबन्ध यह है कि उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें उक्त समितियों की शाखा/शाखायें या ऐसी समितियों का, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों है, उप कार्यालय स्थित हो, ऐसी समितियों के साधारण निकाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को की जायेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि निबन्धक द्वारा विशेष परिस्थितियों में, उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों या सिकी क्षेत्र या क्षेत्रों की सहकारी समितियों के लिए, समय सारणी में ऐसी वृद्धि अधिनियम की धारा 29 के उपबन्धों के अधीन होगी।

(2) जिला सहायक निबन्धक या निबन्धक के अधीनस्थ उसके द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी ऐसी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जिनका मुख्यालय उस जिले में स्थित हो, ऐसे प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय, जिसमें साधारण निकाय की प्रबन्ध समिति और समिति के प्रतिनिधियों के गठन से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) किसी सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त ऐसी सूचना और विवरण निबन्धक या निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करे, जिसकी वह समय-समय पर अपेक्षा करे।

(4) सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के या, यथास्थिति, सहकारी समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निबन्धक, समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग के निर्वाचन के लिए नियम 451 के उपनियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने के पूर्व अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातें अवधारित करेगा:-

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जिनमें समिति का कार्य क्षेत्र विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा;

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या;

(घ) निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या।

(5) तदुपरान्त निबन्धक उपनियम (4) के अधीन आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए की गयी अनन्तिम अवधारणा का किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा जिसे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के भीतर किया जा सकेगा। उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी समीक्षा के लिए भेजी जाएगी।

(6) निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मानदण्ड निम्नलिखित में से एक या अधिक पद आधारित हो सकता है, अर्थात-

(1) राजस्व क्षेत्र;

(2) सदस्यता का/के वर्ग;

(3) समिति के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्कसंगत आधार:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भि कृषि ऋण समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव, समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम सभा होगी।

(7) उपनियम (5) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर निबन्धक द्वारा ऐसे प्रकाशन के तरहवें दिन विचार किया जाएगा और तदुपरान्त वह निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की कुल संख्या और उपनियम (4) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अन्तिम रूप से अवधारित करेगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों का अन्तिम अवधारण ऐसे प्रकाशन के 15वें दिन स्थानीय दैनिक

समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

(9) यदि अधिनियम की धारा 34अ की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन किये जाने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः अवधारण आवश्यक हो तो, निबन्धक उस समय जब प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, इस नियम में निर्धारित रीति से निर्वाचन क्षेत्र पुनः अवधारित करेगा।

450. (1) In the year in which electin of a co-operative society is to be held the District Magistrate of the District in which the headquarters of the society or societies is situated whall, subject to the order of the Registrar arrange holding of election in a co-operative society or class or classes of co-operative societies as given below:-

(a) Committee of Management, Chairman, Vice-chairman and Delegates to General Body of another society in case of primary society other than those which have area of operation extending to more than one revenue district;

(b) Committee of Management, Chairman, Bice-chairman and Delegates to General Body of another society in case of marketing societies, block unions and central societies other than referred to in Clause (c) to (e) of this Rule, and of the Delegates of individual members to the General Body in case of societies having area of operation of more than one revenue district and having membership of individual members;

(c) Committee of Management, Chairman, Vice-chairman, and Delegates to General Body of another society in case of District Co-operative Bank;

(d) Committee of Management, Chairman, Vice-chairman and Delegates to the General Body of another society in case of societies other than apex societies having area of operation extending to more than one revenue district;

(e) Committee o Management, Chairman, Vice-chairman and Delegates of an apex society to the General Body of any other societies including National level Co-operative Society:

Provided that the District Magistrate of the district in which the branch/branches or the sub-office of such societies having area of operation extending to more than one revenue district is situated shall arrange the election of Delegated fo members to the general body of such societies on the date specified by the Registrar:

Provided further that the Registrar may, in special circumstances after recording reasons therefor, allow extension in time scheduled of a co-operative society or class or classes of co-operative societies or of co-operative societies of any area or areas but such extensions in time scheduled shall be subject to the provisions of Section 29 of the Act.

(2) The District Assistant Registrar or any other Gazetted Officer subordinate to the Registrar authorised by him shall maintain a register, showing necessary oarticulars relating to constitution of General Body, Committe of Management and Delegates of society, in respect of such co-operative societies having headquarters in the district in such form as may be prescribed by the Registrar.

(3) It shall be the duty of the Secretary/Managing Director of a co-operative society to furnish all such information and particulars pertaining to the election to the Registrar of Election officer as may be required by him from time to time.

(4) For purpose of election of members of Committee of Management of a co-operative society, or as the case may be, of Delegates to General Body of a co-operative society, the Registrar shall, notwithstanding anything contained in the by-laws of the society before the issue of notice under Sub-rule (2) or Rule 451 for election of a Co-operative Society, or as the case may be, of a class of co-operative society determine providionally:-

(a) the number of constituencies in which the area of operation of the society shall be divided;
(b) the extent of area of each constituency;
(c) the total number of seats allotted to each constituency;
(d) the number of seats reserved for weaker sections.

(5) The Registrar shall thereupopn publish in local daily newspaper, the provisional determin made under Sub-rule (4) for inviting objections within seven days from the date of such publication. A copy thereof shall also be sent to the concerned society for its comments.

(6) The criteria for determination of constituency may be any one or more of the following, namely:-

(i) revenue area or areas;

(ii) class or classes of membership;

(iii) other rational basis in relation to area of operation of society:

Provided that the unit of determination in case of primary agricultural credit society shall as far as possible be one or more Gram Sabhas falling in the area of operation of the society.

(7) The objectons and comments received under Sub-rule (5) shall be considered by the Registrar on the thirteenth day of such publication and thereafter he shall finally determine the constituencies, total number of seats and the number of seats reserved for the weaker sections as referred in Clauses (a) to (d) of Sub-rule (4).

(8) The final determination of the constituencies under Sub-rule (7) shall be published in the local daily newspaper on the 15th day of such publication and a copy thereof shall be sent to the concerned society and the District Magistrate concerned.

(9) Where by virtue of nomination made by the State Government under Sub-section (1) of Section 34 of the Act, it becomes necessary to re-determine the constituency, the Registrar shall re-determine the constituency in the manner laid down in this rule at the time when election of elected members of the Committee of Management is to be held.

451. (1) निर्वाचान अधिकारी अपनी अधिकारिता के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों की समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की या सहकारी समितियों के किसी समूह (ग्रुप) या समूहों के निर्वाचन का/के दिनांक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में अधिसूचित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक से तीस दिन से अनधिक कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस निम्नलिखित को देगा जिसमें उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दी जायेगी।

(i) व्यक्तिगत सदस्यों का या तो साधारण निकाय में व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति मे या ऐसी सहकारी समितियों में जिनका व्यक्तिगत सदस्यों का साधारण निकाय हो, प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की स्थिति में,

(ii) प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों के मामले में जिनके साधारण निकाय में, यथास्थिति, व्यक्तिगत सदस्यों या समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों,

(iii) व्यक्तिगत सदस्यों और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों के मामले में जिनके साधारण निकाय में निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार से व्यक्तिगत सदस्य और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, अर्थात-

(क) व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृति लेकर

(ख) डाक प्रमाणित पत्र द्वारा

(ग) डुग्गी पीटरकर उद्घोषणा द्वारा

(घ) स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन के द्वारा

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) या (3) के अन्तर्गत आने वाली समितियों की स्थिति में निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम मतदान से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व ऐसे स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा, जिनका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो।

(3) निर्वाचन अधिकारी, समिति के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा-

(1) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(2) आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक, समय और स्थान

(3) अन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक।

(4) नाम-निर्देशन दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान।

(5) नाम-निर्देशन पत्रों पर आपत्ति एवं आपत्तियों का निस्तारण, प्राप्त करने का दिनांक, समय और स्थान,

(6) नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक, समय और स्थान।

(7) नाम-निर्देशन वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान।

(8) चुनाव चिन्ह आवंटित करने और अन्तिम नाम-निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक,

(9) मतदान का दिनांक, समय और स्थान।

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय/मुख्यालय होगा। उन कारणों से जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे, वह समिति के कार्यालय/मुख्यालय से यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है और जिसे कार्यक्रम के नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

(10) वह स्थान जहां मतदाता द्वारा मतदान सूची का निरीक्षण किया जा सकता है।

(11) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।

(4) सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक व्यक्तिगत सदस्यों की सूची तैयार करायेगा-

(1) उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग-अलग सदस्य हों या उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों; और

(2) उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग-अलग सदस्य और समितियों के सदस्य सम्मिलित हों।

अलग-अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा, जिसमें उस दिनांक को जो निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता, यदि कोई हो, दिखाया जायेगा (जिसे आगे अन्तिम सूची कहा गया है) और सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:-

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की स्थिति में ग्राम सभावार,

(ख) नगर-क्षेत्रों में प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की स्थिति में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में निबन्धक के निदेशानुसार,

(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार/क्षेत्रवार या किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर जो निबन्धक द्वारा विनिश्चित किया जाये, और उसे खण्ड (1) के अन्तर्गत आने वाली समिति की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्रू अन्य समितियां या खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाली समितियां हों, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम सहित या यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व न प्राप्त हुए हों तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक के पूर्व जिले में स्थित समिति के मुख्यालय में और अन्य मामलों में शाखाओं के कार्यालय में अनन्तिम मतदाता सूची प्रदर्शित करेगा।

(6) अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में, आपत्तियां, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुनी जायेंगी और उनका विनिश्चय किया जायगा।

(7) मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाएगी और उसे निर्वाचन स्थान और समिति के मुख्यालय में, यदि जिले में स्थित हों, और अन्य स्थिति में समिति की शाखा या उपकार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची की एक प्रति निबन्धक को भेजी जायेगी। मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत मूल्य का भुगतान करने पर विक्रय के लिए यथास्थिति, समिति या शाखा के कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जायगी।

451. (1) The Election Officer shall notify in the local daily newspaper the date or dates of election for class or classes of societies or of a group or groups of co-operative societies of any area or areas of his jurisdiction.

(2) The Election Officer shall give notice of not more than thirty days but not less than fifteen days from the date of poll intimating the programme of election as specified in Sub-rule (3) to--

(i) individual members either in the case of election of delegates of individual members to General

Body of individual members,

(ii) delegates in case of societies of which General Body consist of delegates of individual members or society members, as the case may be,

(iii) individual members and delegates of society members in case of societies of which General Body consists of individual members and delegates of society members; in one or more of the following modes, viz. :-

(a) by personal delivery under acknowledgment

(b) by post under certificate of posting

(c) by proclamation through beat of drum,

(d) by publication through local daily newspaper :

Provided that the notice and the programme of election shall also be published in a local daily newspaper having circulation in the area of operation of the society at least fifteen days before the poll in case of societies covered in Clauses (ii) and (iii).

(3) The Election Officer shall display at the notice board of the society the following programme of election :-

(i) the date for display of provisional voters' list,

(ii) the date, time and place for filling objections and their disposal.

(iii) the date for display of final voters list,

(iv) the date, time and place for scrutiny of nominations,

(v) the date, time and place of scrutiny of nominations.

(vi) the date, time and place of scrutiny of nominations

(vii) the date, time and place for withdrawal of nominations.

(viii) the date, time and place for allocation of election symbols and display of final nominations,

(ix) the date, time and place of poll :

Provided that the place of poll shall be the office/ headquarters of the society unless for reasons to be recorded by the Election Officer it may be some public place as near the office/headquarters of the society as may be possible and notified in the programme of notice.

(x) the place at which voters lis can be inspected by any voter,

(xi) the names of the constituencies, including reserved constituency and the number of persons to be elected.

(4) The Secretary / Managing Director of the concerned society shall get a list of individual members prepared--

(i) in case of societies having individual members in their General Body or of societies, of which General Body consistes of delegates of individual members; and

(ii) in case of societies of which General Body consists of individual members and society members in triplicate indicating therein the name, parentage, address noted in the books of the society, disqualification, if any (hereinafter referred to as the provisional voters' list) on such date as may be specified by the Registrar and it shall be prepared :-

(a) gram sabha wise in case of primary agricultural credit societies,

(b) mohalla wise/ward wise in a case of primary consumers society in urban areas and in areas other than urban, in accordance with the direction of the Registrar,

(c) constituency wise/area wise or any other rational basis as may be decided upon by the Registrar in case of other societies and the same shall be submitted to Election Officer in case of society covered under Clause (i):

Provided that in case of a co-operative society having societies as its member or societies covered under Clause (ii) such list shall be submitted to Election Officer alongwith the names of the elected delegates of the society or of the existing delegates if names of elected delegates are not received before the publication of voters' list.

(5) The Election Officer shall display the provisional voters' list at the headquarters of the society situated in the district and in other cases at the office of the branches, prior to the date of poll.

(6) Objections, if any, to the provisional voters' list shall be heard and decided by the Election Officer on the date, time and place fixed by him.

(7) The voters' list shall be caused to be prepared by the Election Officer and displayed at the place of election and headquarters of the society if situated i the district and in other cases at the branches of sub-office of the society. A copy of voters' list shall also be sent to the Registrar. The voters' list shall also be made available in the office of the society or branch, as the case may be for sale on payment of the cost prescribed by the Election Officer.

452. (1) कोई प्रत्याशी निम्नलिखित शुल्क देकर नामांकन-पत्र (प्रपत्र ''ट'') निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:-

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों के लिये-	100 रु0
(ख) जिला सहकारी बैंक से भिन्न केन्द्रीय समितियों, जिला संघ और क्रय-विक्रय समितियों के लिये	250 रु0
(ग) जिला सहकारी बैंक एवं नगरीय बैंक के लिये	300 रु0
(घ) शीर्ष सहकारी समितियों के लिये-	500 रु0
(ङ) अन्य समितियों के लिये-	200 रु0

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त शुल्क निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहकारी बैंक में खोले गये जिला सहकारी समिति निर्वाचन खाते में जमा की जाएगी, जिसका विवरण निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक निबन्धक को निर्वाचान परिणाम के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन में नामांकन-पत्र दाखिल नहीं करेगा, यदि-

(i) वह मतदान के लिए पात्र न हो,

(ii) वह अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो।

(4) नामांकन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र ''ट'' में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। नामांकन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जानी चाहिए।

(5) उम्मीदवार अपना नामांकन-पत्र व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, नितान्त कालानुक्रम में की जायेगी और मांगे जाने पर उसकी रसीद भी दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य मतदाता होगा।

(6) रजिस्टर में निम्नलिखित बातें प्रदर्शित की जायेगी-

(1) उम्मीदवारों का नाम;

(2) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम;

(3) नामांकन-पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) निर्वाचन अधिकारी नामांकन-पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नामांकन-पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक क्षैतिज रेखा (Horizontal line) खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नामांकन) समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपने हस्ताक्षर करेगा। समय समाप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, नामांकन की एक सूची, समिति के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जायगी।

(8) निर्वाचन अधिकारी नामांकन-पत्रों की संवीक्षा का कार्य वर्णमाला क्रम में विनिर्दिष्ट दिनांक को करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तवक या अनुमोदक संवीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(9) नामांकन की संवीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी-

(क) नामांकन-पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपीकीय भूल को मतदाता सूची में तत्स्थानी प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहां आवश्यक हो, यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों पर ध्यान न दिय जाये।

(10) संवीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन-पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में विनियम पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार किया जाय, वह निर्वाचन अधिकारी को पांच रुपये शुल्क देकर अस्वीकरण आदेश की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी इस धनराशि को सम्बद्ध समिति में जमा कर देगा।

(11) नामांकन वापस लेने के लिए आवेदन-पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(12) नामांकन वापस लेने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी नामांकन को अन्तिम रूप देने के उपरान्त, निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह, चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक वैध नामांकन के लिए आवंटित करेगा और यदि वैध नामांकन की संख्या निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, उनसे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धककारी होगा।

(13) अन्तिम नामांकनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम उनके अपने-अपने चिन्ह और नाम-निर्देशिन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये हों, मतदान के दिनांक के पूर्व समिति के मुख्यालय पर, यदि जिले में स्थित हो, और अन्य स्थिति में शाखा के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

452. (1) A candidate may obtain nomination Form (Form "k") from Election Officer on payment of fee as follows:-

(a) Rs 100 in case of primary co-operative societies,

(b) Rs. 250 in case of central societies other than District Co-operative Banks and in case of Marketing Societies/District Bhesaj Sangh.

(c) Rs. 300 in case District Co-operative Banks and Urban Co-operative Banks;

(d) Rs. 500 in case of Apex Co-operative Societies,

(e) Rs. 200 in case of other societies.

(2) The fees received under Sub-rule (1) shall be deposited in the District Co-operative Election Account opened in the Co-operative Banks, details of which shall be furnished by the election Officer to the DistrictAssistant Registrar together with the election results.

(3) No person shall file nomination paper for election to fill a seat if--

(i) he is ineligible to vote,

(ii) he is disqualified under the provisions of the Act, Rules or the Bye-laws of the siciety.

(4) Proposal for nomination shall be addressed to Election Officer in Form "k". Objection to nomination shall also be addressed to him and such objections must be from a voter.

(5) The candidate shall present his nomination to the Election Officer in person or through his authorised agent adn ..n entry thereof shall be made by the Election Officer in the register strictly in chronological order and he will also acknowledge receipt, if demanded:

Provided that the proposer and seconder to the nomination shall be a voter other than the candidate himself.

(6) The register will show-

(i) the name of the candidates ;

(ii) the name nof the proposer and seconder;

(iii) the date and time of receipt of nomination paper and shall be signed by the Election Officer.

(7) The Election Officer shall, after the expiry of the time for filing nomination-papers, draw up a horizontal line underneath the entry of the nomination-paper in the register write thereunder in words (nomination closedd) and affix his signture with date and time. A list of nominations shall be displayed on the notice board of the society as soon as may be after the expiry of time.

(8) The Election Officer shall take up scrutiny of nomination-papers in alphabetical order on the date specified and the candidate, his proposer or seconder may be present at the time of scrutiny.

(9) While scrutinising the nomination, the Election Officer May--

(a) permit any clerical error in the nomination-papers in regard to the names or number to be corrected in order to bring them in conformity with the corresponding entries in the voters' list;

(b) where necessary direct that any printing error in the said entries may be overlooked.

(10) At the time of serutiny, the Election Officer shall endorse on each nomination paper the decision regarding acceptance or rejection. In case of rejection he will record in writing a brief statement of his reason for such rejection. The candidate whose nomination is rejected may obtain a copy of the order of rejection on payment of fees of Rupees five to the Election Officer, who shall deposit the amount in the society concerned.

(11) Application for withdrawal of the nomination shall be made to the Election Officer in person on the prescribed form, only by the candidate concerned.

(12) Where the Election Officer finalises the nomination after withdrawal of the nomination he shall also allot a symbol from the list of symbols approved by the Registrarin the same order of the symbol, as is serially indicated in the approved list to each valid nominations and in case the number of valid nominations exceeds the number of symbols approved by the Registrar, the Election Officer may allot any other symbol which may be different but may resemble the symbols approved by the Registrar. The symbol so allotted shall be binding on the candidates concerned.

(13) The list of final nominations containing the names of candidates in Hindi alphabetical order indicating their respective symbols and the address as given in the nomination-papers shall be displayed at the headquarters of the society if situated in the district and in other cases at the office of the branch before the date of poll.

453. (1) यदि वैध नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो, निर्वाचन अधिकारी केवल मतदान के दिनांक के पश्चात् उन्हें सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्य नामांकनों की संख्या उस क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर हो, और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में विधिमान्य नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नामांकन निर्वाचित किय जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर प्राप्त हुए हों, परिणाम अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो जाने के पश्चात् घोषित करेगा।

(2) यदि विधिमान्य नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो निर्वाचन अधिकारी नियत दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक मत-पत्र दिया जायेगा जो या तो निबन्धक के निर्देशानुसार मुद्रित, टंकित या छाया चित्र किया हुआ या हसतलिखित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हस्तलिखित/मुद्रांकित नाम जिस पर उनके नाम के सामने चिपकाया गया, मुद्रित, स्याही से खींचा गया या मोहर लगा हुआ उनका (चुनाव) चिन्ह होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों क नाम के सामने जिन्हें वह मतदान करना चाहें, एक चिन्ह (X) अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) मत-पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मुहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा होगा, मतदान उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहते हैं, एक चिन्ह (X) लगायेगा और मत-पत्र को गुप्त रूप से मत पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के सामने उतने मत होंगे जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता मत पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए 5 रुपये (पांच रुपये) का शुल्क देकर मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में

आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की सरसरी तौर पर जांच करेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं है तो वह आपत्ति करने वाले व्यक्ति को मत-पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''आपत्तिकृतमत'' पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन मत-पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो, तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन मत-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति मत-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और मत-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मत-पत्र के लिये आवेदन करता है तो उसे उसकी पहचान के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना समाधान करने के पश्चात् एक मत-पत्र दिया जायेगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''निविदत्त मत-पत्र'' पृष्ठांकित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मत-पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो, अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन मत-पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति निविदत्त मत-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त मत-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

453. (1) Wher the number of valid nominations does not exceed the number of persons to be elected, the Election Officer shall declare them to have been duly elected only after the date of poll :

Provided that where the number of valid nominations for any particular constituency is equal to the number of persons to be elected from that constituency and in other constituencies the number of valid nominations exceeds the number of persons to be elected, the Election Officer shall declare the result of that constituency which receives the nominations equal to the number of persons to be elected after the poll is taken in other constituencies.

(2) Where the number of valid nominations exceeds the number of persons to be elected, the Election Officer shall arrange for the polling on the date fixed.

(3) Every voter shall be given a ballot paper, either printed, typewritten or cyclostyed or hand written, according to the instructions of the Registrar, containing hand-written/stamped names of contesting candidates arranged in Hindi alphabetical order with their respective symbol pasted, printed, stretched with ink or stamped against their respective names. It shall also contain a blank column for the voter to inscribe a mark (x) against the name or names of persons to whom he wants to vote.

(4) The ballot paper shall be serially numbered and shall also bear the seal of the society and initials of the Election Officer/Polling Offcer of the concemed polling station.

(5) The voting shall be by secret ballot, the voter shall put a cross mark (x) against the name of candidate for whom he desires to vote and then put the ballot-paper into the ballot-box with secrecy.

(6) Every voter shall hve as many votes as there are persons to be elected but no voter shall give more than one vote to any one candidate.

(7) Any contesting candidate or his authorised agent may challenge the identity of the voter before the issue of the ballot-paper on payment of fee of Rs. 5 for each challenge to the election Officer.

(8) The Election Officer shall make a summary enquiry of the challenge and if after such enquiry, he is of the opinion that the challenge is not established, he shall give to the person challenged a ballot-paper which shall be endorsed on the back with the words "Challenged Bote" by the Election officer in his own hand-writing and signed by him.

(9) Every such person shall before being supplied with ballot paper under Sub-rule (3) sign his name of affix his thumb impression, if the is illiterate, against the entry relating to him in a list in the specified form.

(10) On receipt of ballot-paper under Sub-rule (8) the person concerned shall record his vote on ballot-paper by putting a cross0mark (x) against thename of candidate for whom he wants to vote with secrecy and hand over the ballot paper to Election Officer who shall forthwith place it in a cover specially kept for the purpose.

(11) If a person representing himself to be particular voter named in the voters' list applies for a ballot-paper after another perso has already voted as such voter, he shall, on satisfying his identity to the election Officer, be supplied with a ballot-papoe which shall be endorsed on the back with the words "tendered ballot-paper" by the Election Officer in his own handwriting and signed by him.

(12) Every such person shall before being supplied with a tendered ballot-paper, sign his name or affix his thumb-impression, if the is illiterate, against the entry relating to him in a list in the specified form.

(13) On receipt of ballot-paper under Sub-rule (11), the person shall record his vote on the tendered ballot-paper by putting a cross mark (x) against the name of candidate for whom he wants to vote with secrecy and handover the tendered ballot-paper to the Election Officer who shall forthwith place it in a cover specially kept for the purpose.

454. (1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो मत पेटियां निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुहरबन्द कर दी जायेंगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेंगी। मत पेटियों पर उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मुहर, यदि चाहे तो, लगा सकता है।

(2) मत-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि-

(i) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(ii) उस पर समिति की मुहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हों,

(iii) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(iv) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(3) यदि किसी मत-पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार लगाया/लगाये गये हों जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, मतगणना पूरी हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में मामले का निर्धारण पर्ची डालकर किया जायेगा। जिस उम्मीदवार के नाम की पर्ची उठाई जायेगी वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी, जिसे वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक या नियम 450 के उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को और सम्बन्धित समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भी भेजी जायगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त मत-पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या बॉक्स (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें मुहरबन्द करेगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या बक्से को समिति के सचिव/प्रबन्धक निदेशक को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति रसीद देगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद निबन्धक को निर्दिष्ट न किया जाय तो वह दो मास तक उसकी निरापद अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने के व्यय की धनराशि निबन्धक द्वारा विशेष या साधारण आदेश से अवधारित की जायेगी और यह धनराशि उस समिति द्वारा जिसका निर्वाचन किया जाना हो, अपनी निधि से देय होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी और निर्वाचन दल के अन्य सदस्यों का कोई यात्रा/दैनिक भत्ता समिति की निधि से देय न होगा।

(10) सम्बन्धित समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक, निबन्धक के आदेश पर समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर धनराशि निबन्धक द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र पर सम्बद्ध समिति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

454. (1) The counting of votes will take place immediately after the close of the poll and in case it is not possible to count votes immediately after the close of the poll the ballot-boxes shall be sealed by the Election Officer and kept in the safe custody at the nearest police station. The candidate or his agent. if so desire, may also affix their seals.

(2) A ballot-paper shall be rejected, if--

(i) it bears any signature to identify the voter.

(ii) it does not bear the seal of the society and initials of the Election Officer/Polling officer of the concerned polling station,

(iii) it contains no marks indicating a vote,

(iv) it contains more marks than the number of seat/seats to be filled.

(3) if a ballot-paper contains mark or marks for a candidate or candidates in such manner that it is ambiguous as to which of the candidates the vote is given to, it shall be rejected.

(4) The Election Officer shall announce the result of election as soon as the counting is completed indicating the number of votes secured by each candidate.

(5) In the event of equality of votes, the matter shall be decided by draw of lots, picked lot will be declared elected.

(6) The Election Officer shall display the list of elected candidates on the notice board of the society and also at such public place as he may deem fit.

(7) A copy of the list prepaared under Sub-rule (6) shall be sent to the District Assistant Registrar concerned or an Officer authorised under Sub-rule (2) or Rule 450 and also to Secretary/ Managing Director of the Society concerned.

(8) Used ballot-papers and other records pertaining to election shall be put in a cover or container and shall be sealed by the Election Officer/Polling Officer. Any candidate may also affix his seal thereon, if he so desires. The cover or container so sealed shall be entrusted by the Election Officer/Polling Offiver to the Secretary/Managing Director of the society who shall acknowledge the receipt and be responsible for its safe custody for two months, if no dispute to election is refereed to the Registrar.

(9) The amount of expenses for holding election in a co-operative society or a class or classes of co-operative societies shall be determined by the Registrar by special or general order and the same shall be payable by the society of which election is to be held from its fund:

Provided that no T.A./D.A. for the Election Officer/Polling Officer and other members of the election party shall be payable from the funds of the society.

(10) The Secretary/Managing Director of the society concerned shall, on the direction of the Registrar, make payments in respect of expenditure incurred in connection with the election of the society failing which the amount shall be recovereble from the concemed society as arrears of land revenue on the certificate given by the Registrar.

455. (1) (क) प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार अवधारित की जायेगी। कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध समिति में अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में की गयी व्यवस्था के अनुसार सदस्य निर्वाचित करेगी;

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से प्रबन्ध समिति के लिए या समिति के साधारण निकाय में प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग के साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि क्रय-विक्रय समिति/जिला थोक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में समिति के अलग-अलग सदस्य और प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति में अपने सम्बन्धित सदस्यों का निर्वाचन पृथक-पृथक रूप से करेंगे।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्य साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी नियम 450 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अधीन निर्बल वर्गों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के, जहां से प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम द्वारा उस सीमा तक किया जायेगा, जहां तक स्थान आरक्षित हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हिन्दी वर्णानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो तो ऐसे मामलों में आरक्षण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(4) (क) क्रय-विक्रय प्रक्रिया समिति की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(1) सदस्य समिति से दस प्रतिनिधि, यदि समिति के अलग-अलग सदस्य प्रतिनिधि तीन हों।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाती है तो समिति में सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या में उस सीमा तक वृद्धि की जायेगी जिस सीमा तक समिति में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कमी हो।

(2) अलग-अलग सदस्यों के उतने प्रतिनिधि जितने इस नियम के उपनियम (5) में दिये गये हैं, किन्तु तीन से अधिक न हों।

(3) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों के स्थान निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति में दो स्थान और अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि की स्थिति में एक स्थान, यदि अलग-अलग सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक से अधिक हो, निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों में से आरक्षित स्थानों की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितनी अलग-अलग सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों में कमी होती है।

(ख) जिला थोक उपभोक्ता भण्डार को छोड़कर जिला सहकारी परिसंघ (फेडरेशन/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(1) सदस्य समितियें के ग्यारह प्रतिनिधि

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या शून्य हो जाये या कम हो जाये तो समिति में सदस्य समिति के स्थान की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितने अलग-अलग सदस्यों के स्थानों की संख्या में कमी होती है।

(2) अलग-अलग सदस्यों के दो प्रतिनिधि;

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए स्थान निबन्धक के निर्देशानुसार प्रबन्ध समिति के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्बल वर्ग के लिए कम से कम तीन स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(ग) जिला थोक उपभोक्ता भण्डार की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(1) अलग-अलग सदस्यों के सात प्रतिनिधि

(2) सदस्य समितियों के छः प्रतिनिधि

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति, यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न

हो तो राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के स्थान निबन्धक के निर्देशानुसार प्रबन्ध समिति के अन्य प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि अलग-अलग सदस्यों की स्थिति में तीन स्थान और प्रारम्भिक समितियों के प्रतिनिधियों के मामले में दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(5) (i) क्रय-विक्रय समिति

(ii) ब्लॉक यूनियन

(iii) जिला सहकारी परिसंघ (फेडरेशन), और

(iv) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक के अलग-अलग सदस्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन होंगे और अपनी-अपनी समितियों का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित रूप से करेंगे-

(1) एक प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 50 या उससे कम है;

(2) दो प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 50 से अधिक किन्तु 500 से अधिक नहीं है; और

(3) तीन प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 500 से अधिक है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला सहकारी परिसंघ की प्रबन्ध समिति में अलग-अलग सदस्य प्रतिनिधियों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(6) ऐसी समितियों का, जो उपनियम (1) के अधीन न आती हो और जिनमें अलग-अलग सदस्य हों, प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व समिति की उपविधियों के अनुसार या यदि समिति की उपविधियों में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न हो तो निबन्धक के निर्देशानुसार होगा।

(7) शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(क) सदस्य समितियों के तेरह प्रतिनिधि जिनमें से तीन प्रतिनिधि निर्बल वर्ग के होंगे;

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के दो नामित सदस्यों में से एक गैर सरकारी तथा एक शीर्ष समिति का प्रबन्ध निदेशक होगा, यदि राज्य सरकार अंशधारी हो;

(ग) शीर्ष सहकारी समिति का प्रबन्ध निदेशक;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित उस वित्तीय संस्था का एक प्रतिनिधि जो सहकारी समिति को वित्त पोषित करने वाली हो।

455. (1) (a) The number of members on the Committee of Management shall be determined according to the Act, Rules and Bye-laws of the society. A co-operative society shall elect such number of persons on its Committee of Management as may be provided in the Act, Rules and the Bye-laws of the society.

(b) A person seeking election to the Committee of Management or a Delegate in the General Body of the society from a particular area or constituency or class of members shall be elected by the members of the General Body of that area/constituency or class of members, as the case may be :

Provided that in case of Marketing Society/District Wholesale Consumers Store, individual members and delegate of the society shall separately elect their respective members on the Committee of Management.

(2) Notwithstanding anything contained in Clause (b) of Sub-rule (1) the members of the Committee of Management of a primary consumers society shall be elected by the members of the General Body, jointly.

(3) The Registrar or the authorised officer shall, under provisions of Sub-rule (6) of Rule 450, reserve constituenceies/areas for weaker sections and such reservation shall be mde to the extent of the seats reserved by rotation in Hindi alphabetical order of the names of constituency/areas from which members of the Committee of Management are to be elected:

Provided that the constituencies so reserved shall be allotted to scheduled castes/scheduled tribes, backward classes of citizens and women respectively in Hindi alphabetical order :

Provided further that where the first alphabet in the names of more than one constituency is the same, reservation in such cases shall be regulated by the next alphabet in the names of such

constituencies.

(4) (a) The Committee of Management of Marketing/Processing society shall consist of-

(i) ten representatives from member-societies, if the representatives of individual members of the committee are three:

Provided that in case the number of representatives of individual members on the committee decreases, the number of representatives of member societies on the committee shall increase to the extent of the decrease of representatives of individual members on the committee;

(ii) such number of representatives, from individual members as are laid down in Sub-rule (5) of this rule but not more than three;

(iii) two nominees of the State Government if the Stte Government is a share-holder. In case the State Government shall be allocated to elected representatives :

Provided that two seats in case of elected representative of member societies and one seat in case of representatives of individual members, if the representation of individual members is more than one, shall be reserved for weaker scctions :

Provided further that number of seats reserved from amongst member societies shall increase to the extent of decrease in number of seats reserved for individual members.

(b) District Co-operative Federation/District Central Co-operative Bank except District Wholesale Consumers store, shall consist of-

(i) eleven representatives from member societies:

Provided that in case the number of representatives of individual members become nil, or decreases, the seats of member-society on the committee shall increase to the extent of decrease of the seats meant for individual members;

(ii) two representatives of individual members;

(iii) two nominees of State Government if the State Government is share-holder. In case State Government is not a share-holder, the seats meant for the nominees for state Governemtn shall be allocat to other elected representative on the Committee of Management according to the directions of the Registrar:

Provided that not less than three seats shall be reserved for the weaker section.

(c) District Wholesale Consumers store shall consists of

(i) seven representative from individual members;

(ii) six representatives from member-societies;

(iii) two nominees of State Government, if State Government in a share-holder. In case State Goverrnment is not share-holder, the seats meant fro the State Government nominee shall be allocated to other representatives on the committee according to the direction of the Registrar:

Provided that three seats in case of individual members and two seats in case of representatives from primary societies shall be reserved for women.

(5) The individual members of-

(i) Marketing society

(ii) Block Union

(iii) District Co-operative Federation, and

(iv) District/Central Co-operative Bank shall be subject to Clause (b) of Sub-section (2) of Section 18 of the Act represented on the Committee of Management of their respective societies as follows :-

(1) One representative, if the membership is 50 or less;

(2) Two representatives, if the membership is above 50 not more than 500;

(3) Three representatives if the membership is above 500 :

Provided that the total representatives of individual members on the Committee of Management of District/Central Co-operative Bank/District Co-operative Federation should not exceed more than two.

(6) The societies not covered under Sub-rule (1) and having induividual members shall be represented on the Committee of Management according to the bye-laws of the society or in accordance with the direction of the Registrar, in case bye-laws of the society or in accordance with the direction of the Registrar, in case bye-laws of the societies do not contain any provision in this respect.

(7) The Committee of Management of an Apex Co-operative Society shall consist of -

(a) 13 representatives from member societies out of which trhree shall be from weaker sections and women;

(b) subject to the provisions of Section 34, two nominees of the State Government, if the State Government is a share holder;

(c) Managing Director of the Apex Co-operative Society ;

(d) one representative of the financial institution financing the co-operative society, to be nominated by the State Government.

सभापति और उपसभापति का निर्वाचन

Election of Chairman and Vice-Chairman

456. (1) सभापति, उपसभापति और अन्य पदाधिकारियों के, यदि कोई हो, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध समिति का निर्वाचन अधिकारी सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् यथाशीघ्र समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक के परामर्श से प्रबन्ध समिति के सदस्यों की पहली बैठक बुलायेगा।

(2) निर्वाचन-अधिकारी, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम के साथ-साथ सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन का दिनांक, कार्यक्रम भी सूचित करेगा और वह स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां उनका निर्वाचन होगा।

(3) (i) सभापति, उपसभापति और अन्य पदाधिकारी प्रबन्ध समिति के निर्वाचित एवं गैर सरकारी नामित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(ii) प्रबन्ध समिति के निर्वाचत एवं गैर-सरकारी नामित सदस्य अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह समिति सदस्य हो, साधारण निकाय में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन साधारण निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए बुलाई गयी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होगी।

(4) नियम 452 से 454 में निर्धारित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगी।

456. (1) For the purpose of electing Chairman, Vice-Chairman, and other office-bearera, if any, the Election Officer of the concerned society shall, as far as possible, immediately after the declaration of the result of members of the Committee of Management of the concerned society, convene, with the consultation of Secretary/Managing Director of the society, the first meeting of the members of the Committee of Management.

(2) The Election Officer shall alongwith the notice and programme of election of members of the Committee of Management also intimate the date, programme of election of Chairman, Vice-Chairman or delegates and also specify the place where such election shall be held.

(3) (i) The Chairman and other office bearers shall be elected from amongst the elected and nominated non official members of the Committee of Management.

(ii) The elected members and nominated non official member, from amongst the qualified members of the General Body :

Provided that quorum for the election of the Chairman, Vice-Chairman and the Delegates shall be more than half the number of members having voting rights.

(4) The procedure as laid down in Rule 442 to 444 shall *mutatis mutandis* apply for election of Chairman, Vice-Chairman or Delegates.

457. (1) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में, मध्यस्थ द्वारा या अन्य प्रकार से, सिवाय निम्नलिखित आधार के, चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(क) यदि भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के अत्यधिक अभिभावी होने के कारण निर्वाचन निष्पक्ष न हुआ हो, या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा हो-

(1) किसी नामांकन-पत्र का अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना, या

(2) मतदाताओं को अनुचित रूप से ग्रहण, या ग्रहण करने से इन्कार करना या मत रद्द किया जाना,

(3) अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक की गई हो।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होंगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

457. (1) The election in a co-operative society shall not be called in question either by arbitration or otherwise except on the ground that--

(a) the election has not been a fair election by reasons that corrupt practice, bribery or undue in fluence has extensively prevailed at the election, or

(b) the result of the election has been materially affected-

(i) by improper acceptance or rejection of any nomination, or

(ii) by improper reception, refusal or rejection of voters, or

(iii) by gross failure to comply with the provisions of the Act, the Rules or the Bye-laws of the Society.

Explanation- For the purpose of this rule corruption, bribery or undue influence shall have the meaning assigned to each under Section 123 of the Representation of People Act, 1951.

(2) A dispute relating to election shall be referred by the aggrieved party within 45 days of the declaration of the result.

458. इस नियमावली में दिये गये किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के होते हुए भी किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

458. The provisions relating to election in a co-operative society or a class or classes of co-operative societies as contained in these rules shall, notwithstanding the provisions of the bye-laws of such society, apply for conductin election in a co-operative society.

भाग-तीन
PART-III
समामेलन, विभाजन, अधिक्रमण तथा अन्य आकस्मिकताओं की दशा में प्रबन्ध समिति का गठन
CONSTITUTION OF COMMITTEE OF MANAGEMENT IN CASE OF AMALGAMATION, DIVISION AND SUPERSESSION AND OTHER CONTINGENCIES

459. एक या अधिक सहकारी समितियों के किसी अन्य सहकारी समिति में विलयन की स्थिति में पश्चातवर्ती समिति की प्रबन्ध समिति अधिनियम, नियमावली और समिति की उपविधियों के अनुसार नयी समिति गठित किये जाने तक पद धारण किये रहेगी।

459. In case of merger of one or more co-operative societies into another co-operative society, the Committee of Management of the latter society shall continue to hold office until a new committee is constituted in accordance with the Act. Rules and Bye-laws of the society.

460. यदि दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से एक नयी सहकारी समिति बनाई जाय तो निबन्धक नई समिति और

उसकी उपविधियों का पंजीकरण करते समय, प्रबन्ध समिति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक अन्तरिम प्रबन्ध समिति भी नामित करेगी जब तक कि नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध समिति का गठन न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्तरिम प्रबन्ध समिति इस प्रकार गठित की जायेगी कि यथासम्भव समामेलित होने वाली सभी समितियों का उमें सम्यक् प्रतिनिधित्व हो सके।

460. In case of a new co-operative society has been formed by amalgamation of two or more co-operative societies, the Registrar, while registering the new society and its bye-laws shall also nominate an interim Committee of Management to perform the duties of its office, until a regular Committee of Management is constituted in accordance with the rules and bye-laws of the society:
Provided that the interim committee shall be so constituted that as far as may be, all amalgamating societies may have their due representation on such committee.

461. यदि किसी सहकारी समिति का दो या अधिक समितियों में विभाजन किया जाय, तो निबन्धक, नई समितियों और उनकी उपविधियों का पंजीकरण करते समय, ऐसी प्रत्येक समिति की अन्तरिम प्रबन्ध समिति भी नामित करेगा। किसी समिति की अन्तरिम समिति तब तक कार्य करेगी जब तक कि नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध समिति का गठन न हो जाय।

461. Where a co-opeartive society is divided into two or more societies, the Registrar, while registering the new societies and the bye-laws thereof shall also nominate interim Committee of Management for each such society. The interim Committee of Management of a society shall function till the regular Committee of Management of the society is constituted in accordance with the rules and the bye-laws of the society.

462. जहां कोई समिति–

(1) धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त की गई हो और सदस्यों की संख्या दो से अधिक हो; या

(2) नियम 460 या नियम 461 के अधीन निबन्धक द्वारा नामित की गई हो तो प्रत्येक ऐसी समितियों के सदस्य, नियम 463 में व्यवस्थित रीति से अपने में से सभापति और उप सभापति का नर्वाचन करेंगे।

462. Where a Committee-

(i) has been appointed by the Registrar under Clause (a) of Sub-section (3) of Section 35 and the number of members exceeds two; or

(ii) has been nominated by the Registrar under Rule 460 or Rule 461, be appointed or as the case may be, nominated non-official members of each of such committees shall elect in the manner provided in Rule 463 from amongst themselves the Chairman and the Vice-Chairman.

463. नियम 462 के अधीन सभापति तथा उप सभापति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नामांकन बैठक मे ही आतंत्रित किये जायेंगे। नाम वापस लेने के पश्चात्, यदि कोई हो, निर्वाचन हाथ उठाकर होगा। बराबर–बराबर मत होने की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता इस प्रयोजन के लिए चुना गया समिति का कोई एक सदस्य करेगा।

463. For purposes of election of the Chairman and the Vice-Chairman under Rule 462, nominations of candidates shall be invited in the meeting itself Election after withdrawals, if any, shall be held by show of hands. In the event of equality of votes the issue shall be decided by drawing of lots. The meeting shall be presided over by one of the members of the committee to be chosen for the purpose.

464. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति न रह जाय या कार्य करना बन्द कर दे या धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 100 के अधीन समिति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए विवाद कालीन आदेश पारित होने के फलस्वरूप अन्तरिम व्यवस्था करना अपेक्षित हो और आदेश के अनुसरण में निबन्धक द्वारा कोई अन्तरिम समिति नियुक्त की गई हो तो, वहां ऐसी अन्तरिम समिति नियम 463 के उपबन्धों के अनुसार एक सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करेगी।

464. Where the Committee of Management of a co-operative society ceases to exist or to function or an interlocutory order passed under Sub-section (3) of Section 71 or under Section 100 requires an interim arrangement to

be made for the management of the affairs of the society, and an interim committee in pursuance of the order is appointed by the Registrar, such interim committee shall elect a Chairman and Vice-Chairman in accordance with the provisions of Rule 463.

465. यदि नियम 460, 461 या 464 के अधीन कोई अन्तरिम प्रबन्ध समिति नियुक्त की जाय तो, उस अन्तरिम प्रबन्ध समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर निर्वाचित प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन की व्यवस्था करे और ऐसी निर्वाचित प्रबन्ध समिति गठन के तुरन्त बाद अन्तरिम प्रबन्ध समिति का स्थान लेगी।

465. Where an interim Committee of Management is appointed under Rules 460, 461 or 464, it shall be the responsibility of such interim Committee of Management to arrange for reconstitution of an elected Committee of Management within six months of its appointment and such elected Committee of Management shall, immediately on its constitution, replace the interim Committee of Management.

भाग–चार
PART-IV

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल
TERMS OF OFFICE OF THE COMMITTEE OF MANAGEMENT

466. नियम 430, 459, 460 और 461 में अन्यथा उपबधित के सिवाय, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा प्रबन्ध समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगा।

466. Except as otherwise provided in Rules 430, 459, 460, and 461 the term of the Committee of Management of a Co-operative Society shall be five years. The term of the office of an elected manber of the Committee of Management shall be cotermious with the term of the Committee of Management.

467. प्रबन्ध समिति का कोई नामित सदस्य नामित करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

467. A nominated member of the Committee of Management shall hold office during the plasure of the authority which nominated him.

468. प्रबन्ध समिति का कोई सहयोजित सदस्य–

(1) यदि समिति की उपविधियों के अनुसरण में सहयोजित किया जाए तो उपविधियों में व्यवस्थित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) यदि नियम 448 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन सहयोजित किया जाये तो प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

(3) यदि नियम 470 के अधीन समायोजित किया जाये तो वह उस व्यक्ति के, जिसकी रिक्ति में उसका सहयोजन किया पद धारण करेगा।

468. A co-operative member of the Committee of Manangement shall-

(i) if co-opted in pursuance of the bye-laws of the society hold office for the period provided in the bye-laws;

(ii) if co-opted under proviso to Rule 448, hold office till the completion of the term of the other members of the Committee of Management;

(iii) if co-opted under Rule 470, hold office for the unexpired term of the person against whose vacancy co-option has been made.

469. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कोई पदेन सदस्य, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति में तब तक रहेगा जब तक कि वह ऐसा पद धारण किये रहे जिनके कारण वह ऐसी सदस्य के रूप में नियुक्त या नामित किया गया था।

469. An ex-officio member, if any, of the Committee of Management of a cooperative society, shall continue on the Committee of Management for as long as he holds the office by virtue of which he was appointed or nominated as such member.

470. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो प्रबन्ध समिति के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो समिति की सदस्यता के लिए पात्र हों, सहयोजन द्वारा अवशेष

अवधि के लिए पूरी की जायेगी।

470. If any casual vacancy occurs amongst elected or co-opted members of the Committee of Management of a co-operative society, if shall be filled up by co-option by remaining members of the Committee of Management, from amongst those who are qualified for the membership of the Committee of Management.

471. यदि प्रबन्ध समिति नियम 470 के अधीन रिक्ति को सहयोजन द्वारा न भरे तो, निबन्धक समिति की ऐसी रिक्तियां 30 दिन के भीतर पूरी करने का नोटिस दे सकता है और यदि समिति ऐसा न करे तो निबन्धक समिति की सदस्यता के लिए अर्ह व्यक्तियों में से नामित करके रिक्ति पूरी कर सकता है।

471. If the Committee of Management fails to fill up the vacancy by co-option under Rule 470, the Registrar may give thirty days notice to the society to fill up the vacancy within such period and if the society fails to do so, the Registrar shall fill up the vacancy by making nomination from amongst persons qualified for the membership of the committee.

472. सभापति और उप सभापति का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समान होगा।

472. The term of office of Chirman and Vice-chirman shall be co-extensive with the term of the Committee of Management.

भाग-पाँच
PART-V

प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हता
DISQUALIFICATION FOR MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE OF MANAGEMENT

473. (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि-

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो; (छात्राओं/छात्रों की समिति को छोड़कर)

(ख) यदि वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत-चित्त या बहरा या गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;

(घ) उसे निबन्धक की राय में नैतिक अधमता, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसके विरुद्ध अपील रद्द न की गयी हो;

(ङ) निबन्धक की राय में, उसके परिवार को कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य-क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा समिति करती हो;

(च) अधिनियम या नियमों अथवा समितति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) समिति या किसी अन्य समिति के, जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, अधीन कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह पंजीकरण के ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू होगा जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा द दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लोने की व्यवस्था कर सकती है;

(ज) समिति के साधारण निकाय का सदस्य न हो;

(झ) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक स पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।

(ञ) ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः माह से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) एक समय में तीन सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों का पूर्व से ही सदस्य हो यथा एक प्रारम्भिक, एक केन्द्रीय एवं एक शीर्ष समिति, किन्तु वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति हेतु

निर्वाचनअ योग्य होगा। उसके निर्वाचन की स्थिति में यदि वह उपर्युक्त उल्लिखित तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति हेतु निर्वाचित हो जाय तो उसे इस प्रकार की समिति अथवा समितियों की प्रबन्ध समिति से एक माह के अन्तर्गत त्याग-पत्र देना होगा, जिससे कि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध समिति से एक माह के अन्तर्गत त्याग-पत्र देना होगा, जिससे कि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध समिति का सदस्य न रह जाय। यदि वह निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। तो यह माना जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति, एक केन्द्रीय समिति एवं एक प्रारम्भिक समिति को छोड़कर जिसमें वह अन्त में निर्वाचित घोषित हुआ है अन्य सभी समितियों से त्याग-पत्र दे दिया है।

(ड) राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या बेईमानी करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) किसी ऐसी सहकारी समिति के पंजीकरण के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध समिति का सदस्य रहा हो जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि समिति का पंजीकरण कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत तथा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसाद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य जो प्रबन्ध समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध समिति का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहारी समिति की प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति की सदस्यताके लिए चुनाव लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाये, सहयोजन का नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी।

(i) खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हतायें प्रबन्ध समिति के किसी नामित या पदेन सदस्य पर और प्रबन्ध समिति के ऐसे सहयोजित सदस्यों पर लागू नहीं होगी जिनके सहयोजन के लिए साधारण निकाय की सदस्यता समिति की उपविधियों के अधीन एक शर्त न रही हो;

(ii) खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में निर्धारित अनर्हता, दोषसिद्धि के अधीन, अर्थ दण्ड देने या दोषसिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के, यथास्थिति, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

(iii) खण्ड (ठ) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकरी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति पर नामित किया गया हो।

473. (1) No person shall be eligible to be or to continued as a member of the Committee of Management of any co-operative society, if-

(a) he s under 21 years of age; (except in case of societies of students)

(b) he is declared insolvent;

(c) he is of unsound mind, or is deaf and dumb, or blind or suffers from leprosy;

(d) he has been convicted for any offence involving in the opinion of the Registrar, Moral turpitude, such conviction not having been set aside in appeal;

(e) he, or in the opinion of the Registrar, member of his family enters into or carries on, without the permission of the Registrar, member of his family enters into or carries on, without the permission of the Registrar, within the area of operation of the society, the same kind of business as done by the society itself;

(f) he enters into any transaction or contract with the society against the provisions of the act or the Bye-laws of the society.

(g) he accepts or holds any office of profit under the society or under any society affiliated to

such society :

Provided that this restriction shall not apply in case of such producers or workmen's society as have been permitted by the State Government to provide in their by-laws for the participation of employees in the management of the society;

(h) he is not a member of the General Body of the society;

(i) he has been convicted of any offience under the Act or the Rules, unless a period of 5 years has elapshed from the date of the conviction;

(j) he is a person against whom an order under Section 91 has been obtained by a co-operative society and is pending satisfaction;

(k) he is in default (at least for a period of six months), to the society in respect of any loan taken by him, or he is a judgment-debtor of the society;

(l) if he is already a member of the Committee of Management of three co-operative societies, i.e. one primary, one central and one apex society at a time but he shall be entitled to contest for the membership of the Committee of Management of more than three co-operative societies. In case of his election to the Committee of Management of more than three societies as specified above, he shall have to resign from the Committee of Management of such society or societies within one month so that he may not remain member o the Committee of Management of more than three societies. In case he fails to resign within the specified period then at the expiry of such period he shall be deemed to have resigned from all except one apex society and one central society and one primary society to which he has been elected last ;

(m) he had been dismissed for practicing fraud, or bd or dishonest conduct from Government service or from service of a co-operative society or of a body corporate, such order of dismissal not having been set aside in appeal;

(n) he joined in the application for the registration of, or was a member of the Committee of Management of a co-operative society which was subsequently wound up by Registrar under Clause (a) of Sub-section (2) of Section 72 on the ground that the registration of the society was obtained by fraud, such order of the Registrar not having been reversed in appeal;

(o) he is otherwise disqualified under any of the provisions of the Act or the Rules or the Bye-laws of the society;

(p) he becomes a member of Gram Panchayat, Kshetra Panshayat, Nagar Panchayat, Zila Panchayat, or any other local body, Member of Parliament or State Legislative Assembly.

(2) A member of the Committee of Management of a co-operative society who absents himself from three consecutive meetings of the Committee of Management without reasonable cause shall not be entitled to continue as a member of the Committee of Management

(3) The provisions of Sub-rule (2) shall not apply to an ex-officio member of the Committee of Management of a co-operative society.

(4) Any person who has contested for election to the membership of the Committee of Management of a co-operative society, but has lost such election, shall not be eligible to become such member by co-option or nomination.

(5) The disqualification laid down under Sub-rule (1) shall apply subject to the following conditions:-

(i) The disqualification laid down in Clause (h) shall not apply to a nominated or an ex-officio member of the Committee of Management or to such co-opted member of the Committee of Management for whose co-option membership of the General Body was not a condition under the bye-laws of the society;

(ii) the disqualification laid down in Clause (d) or Clause (m) shall cease to operate on the expiry of five years after the payment of fine under the conviction or after he has served out the sentence under the conviction or after the order of dismissal, as the case may be;

(iii) the disqualification laid down in Clause (1) shall not apply to a Governmet servant nominated on the Committee of Management of a co-operative society under Secton 34.

474. कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समितिसे सम्बद्ध हो, किसी ऐसे व्यक्ति का जो पश्चातवर्ती समिति के

साधारण निकाय में किसी सहकारी समिति का सदस्य हो या सदस्य रहा हो, नियुक्त नहीं करेगी, यदि

(1) वह साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति का सदस्य न रह जाय, या

(2) वह पश्चातवर्ती समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने के लिए नियम 473 में निर्धारित कोई अनर्हता प्राप्त कर ले।

474. A co-operative society which is affiliated to any other co-operative sociey shall not appoint any person who is or has been delegate of any co-operative society in the General Body of the latter society, if -

(i) he ceases to be a member of the General Body or the Committee of Management or

(ii) he incurs any of the disqualifications for being the member of the Committee of Management of the latter society as laid down in rule 473.

475. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध समिति के सदस्य का पद धारण न किये रहे। जैसे ही यह तथ्य प्रबन्ध समिति की जानकारी में आये कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसा सदस्य होने के पूर्व या उसक पश्चत् अनर्ह हुआ हो, तो समिति इस विषय पर इस प्रयोजन के लिए बुलायी गयी बैठक में विचार करेगी। ऐसी बैठक की कार्य-सूची की एक प्रति उस सदस्य को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायेगी। यदि सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण समिति की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी भी अन्य प्रकार से प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा, वह व्यक्ति एसी कार्यवाही से व्यथित हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

475. It shall be the duty of the Committee of Management of a co-operative society to ensure that no person incurring any of the disqualifications continues to hold office of a member of the Committee of Management. As soon as the fact that a member is subject to any disqualification whether it was incurred prior or subsequent to his being such member, comes to the knowledge of the Committee of Management, the committee shall condisder the matter in a meeting to be called for the purpose. A copy of the agenda of such meeting shall be served on the member (against whom action is proposed) either personally or by registered (acknowledgment due) post. Where resolution for removal of the person concerned from the membership of the Committee has been passed for reasons of such disqualifications, a copy of such resolution shall also be sent to the person concerned by registered (acknowledgement due) post and thereupon such member shall not be allowed to attend any meeting of the Committee of Management or to funcition as the member of the committee of Management in any other way The office held by such member shall be declared vacant. It that person feels aggrieved by such action be may, within thirty days from the date of the receipt of the notice, seek arbitration under the provisions of the Act and the Rules.

476. यदि निबन्धक के संज्ञान में आता है कि समिति की प्रबन्ध समिति ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है जो कि अधिनियम या नियमया समिति की उपविधियों के अनुसार अनर्ह हो गया है तो निबन्धक समिति की प्रबन्ध समिति को लिखित रूप में 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है और प्रबन्ध समिति तद्नुसार कार्यवाही करने को बाध्य होगी।

476. If it comes to the notice of the Registrar that the Management Committeec of the socicty is not taking action against the person incurring disqualifications laid down in the Act or the Rules of the Bye-Laws of the society, the Registrar will direct the Management Committee of the society in writing to take action within 30 days and the Management Committee shall be bound to act accordingly.

477. यदि समिति की प्रबन्ध समिति नियम 476 के अनुसार कार्यवाही नहीं करती है तो निबन्धक सुनवाई का उचित अवसर देकर सम्बन्धित व्यक्ति को समिति की प्रबन्ध समिति की सदस्यता से निकाल सकता है।

4.77. If the Management Committee fails to take action in accordance with Rule 476, the Registrar may remove the concerned member from the Committee of Management of the society giving proper opportunity of hearing.

भाग–छः
PART-VI
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सभापति या उप सभापति का हटाया जाना
REMOVAL OF CHAIRMAN OR VICE-CHAIRMAN BY VOTE OF NO-CONFIDENCE

478. किसी सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में अविश्वास प्रकट करने का संकल्प–

(क) इस नियमावली में अधिलिखित रीति से अन्यथा, और

(ख) यथास्थिति सभापति या उप सभापति के निर्वाचन के दिनांक से 12 माह समाप्त होने के पूर्व नियम 488 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति कि बिना प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

478. No resolution expressing want of confidence in any person elected as Chairman of Vice-chairman of a co-operative society shall-

(a) be moved except in the manner laid down in these rules, and

(b) where twelve months have not elapsed after the date of his election as Chirman or Vice-chairman, as the case may be, be moved except with the prior permission of the authority specified in Rule 488.

479. अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस नियम 488 मे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को (जिसे आगे 'विनिर्दिष्ट प्राधिकारी' कहा गया है) सम्बोधित किया जायेगा, जिसमें ऐसे प्रस्ताव को लाने के कारणों को स्पष्ट रूप से दिया जायेगा और उस पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक के हस्ताक्षर होंगे।

479. Notice for no-confidence motion shall be addressed to the authority specified in Rule 488 (hereinafter referred to as the "specified authority") stating clearly the grounds on which such motion is proposed to be moved and shall be signed by at least fifty per cent members of the Committee of Management.

480. प्रबन्ध समिति के कम से कम तीन सदस्य जो अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, स्वयं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को नोटिस प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का शपथ–पत्र होगा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर हैं वे हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा नोटिस की अन्तर्वस्तुओं को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किये गये हैं।

480. At least three members of the Committee of Management signing the notice of no-confidence motion shall personally present to the specified authority the notice together with an affidavit signed by him to the effect that the signatures on the no-confidence motion are genuine and have been made by the signatiories after hearing or reading the contents of the notice.

481. (1) अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने पर जैसा नियम 478 तथा 479 में व्यवस्था है, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव के विचारार्थ बैठक बुलाने के लिए ऐसा समय, दिनांक और स्थान निर्धारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(2) उपनियम (1) के अधीन बैठक बुलाने के नोटिस में यह भी व्यवस्था की जायेगी कि अविश्वास प्रस्ताव के यथाविधि रिक्त हो जाने की दशा में यथास्थिति, नये सभापति या उप सभापति का निर्वाचन भी इसी बैठक में किया जायेगा।

481. (1) On receipt of the notice of no-confidence as provided in Rules 478 and 479, the specified authority shall fix such time, date and place as he may consider suitable for holding a meeting for the purpose of consideration of the proposed no- confidence motion :

Provided tht, such meeting shall be held within 30 days of the receipt of the notice.

(2) The notice for meeting under Sub-rule (1), shall also provide that in the event of the no-confidence motion being duly carried, election of the new Chirman of Vice-chairman, as the case may be, shall also be held in the same meeting.

482. (1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस बैठक के जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाये, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी राजपत्रित सरकारी सेवक को (जो सम्बन्धित समिति के पर्यवेक्षण और प्रशासन से सम्बन्धित विभाग का अधिकारी न हो) नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रबन्ध समिति की ऐसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) प्रबन्ध समिति के मताधिकार प्राप्त कुल सदस्यों के दो तिहाई से अधिक होगा।

482. (1) The specified authority shall also nominate any Gazetted Government Servant (other than an Officer of Department which is concerned with the supervision and administration of the Society concerned) to act as a Presiding Officer of the meeting in which the resolution for no-confidence shall be considered.

(2) The quorum for such a meeting of the Committee of Management shall be more than two third of the total number of Members of the Committee having voting right.

483. अविश्वास का संकल्प, यदि वह उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाय, स्वीकार कर लिया गया समझा जायेगा।

483. The resolution for no-confidence shall be deemed to be caried, if passed by at least the two third of the members present having voting right.

484. अविश्वास का संकल्प स्वीकार किए जाने पर सभापति और उप सभापति, जिनके विरुद्ध वह स्वीकार किया जाय, तुरन्त उक्त पद से हट जायेंगे और उनका स्थान उनका उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप सभापति, सभापति निर्वाचित हो जाता है तो उप सभापति उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

484. When a resolution for no-confidence is carried, the Chairman or Vice-chairman against whom it is carried shall cease to hold that office forthwith and shall be succeeded by his successor, who shall be elected by another resolution in the same meeting.

Provided that, if the Vice-Chairman is elected Chairman, the Vice-chairman shall be elected by another resolution in the same meeting.

485. नियम 484 के अधीन, यथास्थिति नये सभापति या उप सभापति का निर्वाचन (अध्याय 29 के अन्य उपबन्धों के होते हुए भी) नियम 482 में निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जायेगा–

(क) यथास्थिति, सभापति या उप सभापति प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा;

(ख) प्रत्याशियों का नामांकन और अनुमोदन इसी बैठक में किया जायेगा। नाम वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर किया जायेगा;

(ग) निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जायेगा। समान मत पड़ने की दिशा में निर्वाचन का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा;

485. Election of the new Chairman or Vice-chairman as the case may be, under Rule 484, shall (notwith standing other provisions of chapter XXIX) be conducted in the meeting under the chairmanship of the presiding officer referred to in Rule 482 in the following manner -

(a) the Chairman of Vice-chairman ,as the case may be, shall be elected from amongst the members of the Committee of Management;

(b) Nomination of candidates shall be proposed and seconded in the meeting itself. Election after withdwrawal, if any, shall be held by show of hands;

486. नियम 484 के अधीन निर्वाचित नया सभापति या उप सभापति अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाये गये सभापति या उप सभापति के केवल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

486. The new Chairman of Vice-chairman elected under Rule 484 shall hold office only up to the remainder of the term of the Chairman or Vice-chairman removed by the vote of no-confidence.

487. यदि अविश्वास का प्रस्ताव गणपूर्ति न होने अथवा बैठक में अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो तो अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कोई अनुवर्ती बैठक पिछली बैठक के दिनांक से 6 माह के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

487. If the motion for no-confidence fails for want of quorum or lack of requisite majority at teh meeting no subsequent meeting for considering the motion of no-confidence shall be held within six months of the date of the prrvious meeting.

488. इस भाग के नियमों में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट होगा जहां समिति का मुख्यालय स्थित हो।

488. The specified authority referred to in the rules of this part shall be District Magistrate of the district where the headquarters of the society is situated.

भाग–7

PART-VII

प्रबन्ध समिति के सदस्यों का त्याग–पत्र

RESIGNATION OF MEMBERS OF COMMITTEE OF MANAGEMENT

489. किसी भी समिति की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निदेशक मण्डल को सम्बोधित करेगा एवं त्याग–पत्र समितिका सचिव/प्रबन्ध निदेशक प्रस्तुत करेगा जो उसे प्रबन्ध समिति की बैठक में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा। प्रबन्ध समिति उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

489. The Chairman of the Management Committee will address his resignation to the Managing Committee of the society and will submit his resignation to the Secretary / Managing Director of the society who will produce it in the meeting of the Managing Committee at the earliest. The Committtee of Management will act accordingly.

490. प्रबन्ध समिति के अन्य सभी सदस्य अपना त्याग–पत्र समति के अध्यक्ष को सम्बोधित करेंगे जो उसे प्रबन्ध समिति की बैठक में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा। प्रबन्ध समिति उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

490. All other members of the Committee of Management will address their resignation to the Chirman of the society who will produce it in the meeting of the Managing Committee at the earliest. The Committee of Management will act accordingly.

491. यदि प्रबन्ध समिति त्याग–पत्र दिये जाने के तीस दिन के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो सम्बन्धित व्यक्ति निबन्धक को प्रत्यावेदन देगा जो प्रबन्ध समिति को उक्तानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है अथवा व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरान्त स्वयं निर्णीत कर सकता है।

491. If the Committee of Management fails to act within 30 days of submission of resignation the concerned person will represent to the Registear who may direct the Management Committee to act accordingly or he may himself decide the matter giving proper opportunity to the aggrieved person.

अध्याय–30

CHAPTER - XXX

दीर्घावधि ऋण

LONG TERM LOAN

भाग–1

PART - I

ऋण–पत्रों का जारी किया जाना

ISSUE OF DEBENTURES

492. धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों पर देय सम्पूर्ण अदत्त धनराशि, किसी भी समय धारा 138 की उपधारा (3) के खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित धनराशियों के योग से और उसके 10 प्रतिशत से अधिक न होगी।

492. The total amount due on the debentures issued by the Board under sub-section (1) of Section 6 outstanding at any time shall not exceed the aggregate of the amounts mentioned in Clauses (a) and (b) of Sub-section (3) of Section 138 and 10 per cent of such aggregate.

493. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि धारा 140 की उपधारा (1) क अधीन राज्य सरकार द्वारा दी गयी

प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि में वृद्धि करना उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के हित में न्यायसंगत तथा आवश्यक है तो–

(क) मण्डल द्वारा ऐसी वृद्धि के लिये जो पर्याप्त कारणों के साथ सम्यक् रूप से समर्थित हो, अनुरोध किये जाने तथा–

(ख) न्यासधारी द्वारा इस आशय की राज्य सरकार से विशेष सिफारिश किये जाने के पश्चात् ऐसी वृद्धि की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बढ़ाई गई प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि समय–समय पर गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(2) धारा 140 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अर्थ में ऋण–पत्रों द्वारा पहले से ही धारित प्रत्याभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार ऋण पत्रों के मूलधन की प्रत्याभूति तथा उसके ब्याज की धनराशि को समाप्त अथवा कम या उसका परिष्कार कर सकती है, यदि राज्य सरकार की उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक ने–

(क) न्यास विलेख की शर्तों का पालन करने;

(ख) अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन करने;

(ग) बन्धककर्ताओं के अधिकार का उचित सत्यापन करने में यथाचित सावधानी तथा सतर्कता बरतने;

(घ) जारी किये गये ऋण–पत्रों के संबंध में पर्याप्त प्रत्याभूति का अनुरक्षण करने; और

(ङ) ऋण–पत्रधारियों के प्रति बैंक के दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में न्यासधारी के अनुदेश का पालन करने में चूक की हो।

493. (1) The maximum amount of guarantee give by the State Government under Sub-section (1) of Section 140 may, if the State Government is satisfied that such an increase is justified and is necessary in the interest of Uttaranchal Co-operative Bank be increased after-

(a) the Board has made a request to the State Government for such an increase duly supported by sufficient reasons, and

(b) a special recommendation to this effect is made to the State Government by the Trustee. The maximum amount of the guarantee so increased by the Strate Government shall be notified in the Gazette from time to time.

(2) Subject to the provisions of Sub-section (3) of Section 140 and without prejudice to the guarantee already carried by earlier debentures in term of proviso to that sub-section the State Government may withdraw or restrict or modify the amount of the guarantee of principal and interest on debentures, where in the opinion of the State Government, the Uttaranchal State Co-operative Bank has failed-

(a) to observe the conditions of he Trust Deed;
(b) to observe the provisions of the Act and the Rules;
(c) to exercise due care and caution in the proper verification of the title of mortgagors;
(d) to maintain adequate security on the debentures issued; and
(e) to observe the instruction of the Trustee to fulfil the obligation of the Bank to the holders of the debentures.

भाग–2
PART - II

प्रत्याभूति निधि
GUARANTOR FUND

494. (1) राज्य सरकार ऐसे दिनांक से, जो निश्चित किया जाय, अधिनियम की धारा 161 के उपबन्धों के अनुसार एक प्रत्याभूति निधि स्थापित कर सकती है। उक्त निधि में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक किसी सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के दौरान दिये गये प्रत्येक 100 रुपये के ऋण पर एक पैसे की दर से धनराशि का वार्षिक अंशदान करेगा।

(2) राज्य सरकार भी उक्त निधि में समय-समय पर उतनी धनराशि अंशदान कर सकती है, जितनी वह उचित समझे।

494. (1) With effect from such date, as may be fixed, the State Government may constitute a Guarantee Fund in accordance with the provisions of Section 161 of the Act. The Uttaranchal State Co-operative Bank shall contribute to such fund annually within three months of the close of a co-operative year a sum at the rate of one paisa per hundred rupees of the loan advanced during the proceeding co-operative year.

(2) The State Government may also contributed to the Fund from time to time such amount as it may deem fit.

495. **निधि का अनुरक्षण तथा अर्जित ब्याज को जमा करना**- यह निधि वित्त विभाग, उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्य लेखे के लोक लेखा अनुभाग में रखी जायेगी और ऐसी निधि में किये गये समस्त अंशदान तथा निधि से किये गये निवेशों पर अर्जित ब्याज सीधे निधि में जमा किया जायेगा।

495. **Maintenance of Fund and Deposit of interest earned-** The Fund shall be maintained by the Finance Department of the Government of Uttaranchal in the Public Accounts Section of the State Accounts and all contributions to the Fund and interest earned on investment from the Fund shall be credited direct to the Fund.

496. प्रत्याभूति निधि से हानि की पूर्ति की प्रक्रिया, शर्तें और प्रतिबन्ध- राज्य सहकारी बैंक द्वारा बन्धकों की प्रतिभूति पर दिये गये ऋण के कारण, जो निम्नलिखित परिस्थितिवश पूर्णत: वसूल न हुआ हो, हानियों की पूर्ति धारा 161 के अधीन स्थापित प्रत्याभूति निधि से की जायेगी-

(क) यदि बन्धककर्ता की सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसका अधिकांश भाग नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाये अथवा ऐसी सम्पत्ति के संबंध में उसके अधिकार पूर्णत: या अधिकांशत:, दैवी आपदाओं अथवा किसी अन्य कारण से, जिस पर उसका वश न हो, समाप्त हो जाय, जिससे वह बैंक को ऋण का प्रतिदान न कर सके।

(ख) यह सहकारी बैंक द्वारा यथोचित सावधानी और सतर्कता बरतने के बावजूद, निबन्धक द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा, जो सहायक निबन्धक के पद से निम्न पद का न हो, सम्यक् रूप से सत्यापित बन्धककर्ता का अधिकार बाद में दोषपूर्ण पाया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी भी हानि की तब तक पूर्ति न की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव की समीक्षा त उसकी संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये पांच से अनधिक व्यक्तियों द्वारा जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक के सभापति और न्यासधारी भी हैं, गठित किसी समिति द्वारा न की गयी हो और राज्य सरकार का भी यह समाधान हो गया हो कि बैंक अपने संसाधनों से ऐसी हानि को पूर्णत: या अंशत: पूरा करने की स्थिति में नहीं है और बैंक के स्थायित्व के लिये यह आवश्यक है कि उक्त हानियों की पूर्ति प्रत्याभूति निधि से की जाये।

496. Procedure, conditions and restrictions to meet losses out of he Guarantee Fund- The losses on account of loans advanced by a State Co-operative Bank on the security of mortgages not being fully recovered because of the following circumstances shall be met out of the Guarantee Fund constituted under Section 161:-

(a) Where the whole or substantial portion of the property of the mortgagor is destroyed or damaged or the rights in respect of his property are wholly or substantially exinguished because of natural calamities or any other reason beyond his control rendering him incapable of repaying the loan to the Bank.

(b) Where despite due care and caution taken by the State Co-operative Bank the mortgagor's title duly verified by an officer not below the rank of an Assistant Registrar appointed by the Registrar is subsequently found to be defective:

Provided that no such loss shall be met unless the proposal is scrutinized and recommended by a committee of not more than five persons including the Chairman of the State Co-operative Bank and the Trustee Constituted by the State Government for the purpose and the State Government is satisfied that the Bank is not in a position to meet the loss wholly or in part out of its own resources and that it is necessary for the stability of the Bank to meet such losses out of the Guarantee Fund.

भाग–3
PART - III

खड़ी फसल सहित बन्धक भूमि की उपज के अधिहरण (डिस्ट्रेन्ट) तथा विक्रय की प्रक्रिया

PROCEDURE OF DISTRAINT AND SALE OF PRODUCE OF MORTGAGED LAND INCLUDING STANDING CROPS THEREON

497. किसी बैंक की प्रबन्धक समिति प्रपत्र 1 में, अपने सचिव अथवा शाखा प्रबन्धक (ब्रांच मैनेजर) अथवा भूमि मूल्यांकन अधिकारी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे प्रबन्धक समिति ने इस प्रयोजन के लिये यज्ञाविधि प्राधिकृत किया हो, निबन्धक को प्रार्थना–पत्र दे सकती है।

497. The managing committee of a bank may make an application to the Registrar in Form I through its Secretary or Branch Manager or Land Valuation Officer or whosoever is duly authorised for this purpose by the managing committee.

498. नियम 497 के अधीन प्रार्थना–पत्र होने पर, निबन्धक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि प्रार्थना–पत्र में दर्ज किये गये ब्यौरे सही हैं तथा प्रार्थी ने इस नियमावली के अनुलग्नक में इंगित मापमान के अनुसार कुर्की तथा विक्रय की लागत जमा कर दी है तो वह प्रपत्र 2 में मांग का नोटिस, तीन प्रतियों में तैयार करेगा या तैयार करवायेगा। ऐसी मांग की नोटिस की दो प्रतियां संबंधित विक्रय अधिकारी को अग्रसारित की जायेंगी;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रार्थना–पत्र पर जिसके साथ कुर्की तथा विक्रय की लागत न हो तथा प्रबन्धन समिति के संकल्प की वह प्रति न हो जिसमें नियम 497 के अधीन किसी अधिकारी को ऐसे प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, विचार नहीं किया जायेगा।

498. On the receipt of an application under Rule 497, the Registrar or any other person authorised by him in this behalf in writing shall, if he is satisfied that the particulars entered in the application are correct and the applicant has deposited the Required costs of distraint and sale on the scales indicated in Annexure to these rules, prepare or cause to be prepared a demand notice shall be forwarded to the Sale Officer concerned:

Provided that an applicatrion not accompanied by the cost o distraint and sale and a copy of the resolution of the Managing Committee authorising an officer under Rule 497 to sign such application, shall not be considered.

499. विक्रय अधिकारी बाकीदार को अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके साधारण निवास स्थान पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) को मांग के नोटिस की एक प्रति देकर उसे तामील करेगा या तामील करवायेगा अथवा यदि उसकी इस प्रकार तामील न की जा सके तो वह मांग के नोटिस की एक प्रति उसके निवास स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकवाकर तामील करवायेगा

499. The Sale Officer shall serve or cause to be served upon the defaulter the notice of demand by delivering a copy of the same to him or to any adult male member of his family at his usual place of residence or to his authorised agent, or when such service cannot be effected, by affixing a copy of the demand notice on some conspicuous part of his residence.

500. यदि बाकीदार पर मांग का नोटिस तामील कर दिया गया हो और वह मांग के नोटिस के अधीन देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो विक्रय अधिकारी बन्धक भूमि के उपज का अभिहरण करेगा तथा उसे तुरन्त ही अभिगृहीत सम्पत्ति की एक सूची या तालिका देगा तथा उसे उस स्थान, दिनांक तथा समय की भी सूचना देगा जहां पर, उस दशा में, जबकि ऐसे दिनांक के पूर्व देय धनराशि का भुगतान न किया जाय, अभिगृहीत सम्पत्ति बिक्री के लिये लाई जायेगी तथा किसी भी दशा में अभिगृहीत सम्पत्ति की सूची या तालिका को उस मकान पर भी चिपकायेगी जिसमें बाकीदार साधारणतया रहता हो तथा उसमें उस स्थान को भी पृष्ठांकित करेगा जहां पर सम्पत्ति रखी गयी हो तथा बिक्री का स्थान, दिनांक और समय का भी उल्लेख करेगा।

500. If the notice of demand has been served on the defaulter and he fails to pay the amount due under the demand notice, the Sale Officer shall distrain the produce of the mortgaged land and shall immediately

deliver to he defaulter a list of inventory of the property distrained and an intimation of the place, date and hour at which the distrained property shall be brought to sale in case the amount due is not paid before such date, and in any case shall also affix the list of inventory of the property distrained on he house where the defaulter ordinarily resides and endorse thereon the place where the property may be lodged or kept and also the place, date and hour at which the sle shall be held.

501. विक्रय अधिकारी अधिहरण तथा विक्रय के मध्य अन्तराल के दौरान अधिहरित सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिरखा के लिये उपयुक्त प्रबन्ध करेगा। प्रार्थी बैंक का कोई अधिकारी, यदि बैंक ने उसे तदर्थ प्राधिकृत किया हो, विक्रय अधिकारी द्वारा अपेखा किये जाने पर अधिहरित सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिरक्षा का दायित्व लेगा। यदि बाकीदार की भूमि पर खड़ी फसलें अथवा बिखरी उपज को अभिहृत किया जाय तो विक्रय अधिकारी यह निर्देश द सकता है कि जब वे काटन अथवा एकत्र करने के उपयुक्त हो जायं तो उन्हें बेच दिया जाय अथवा स्वविवेक से, किन्तु बाकीदार की लागत पर, उन्हें उपयुक्त मौसम में कटवा सकता है अथवा एकत्र करा सकता है तथा बेचे जाने तक उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखवा सकता है। विक्रय अधिकारी, बाकीदार अथवा ऐसी सम्पत्ति में हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर, उसे उसी गांव अथवा उसी स्थान पर जहां उसे कुर्क किया गया हो, उक्त बाकीदार अथवा व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ सकता है, यदि वह यथापेक्षा सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के निमित्त निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एक या एकाधिक प्रतिभूओं सहित एक बन्ध-पत्र कर दें:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिगृहीत सम्पत्ति तुरन्त तथा सहज नष्ट होने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो एक ऐसा शीघ्रतर दिनांक निश्चित किया जा सकता है जिस पर बिक्रय अधिकारी उसे, जब तक कि धनराशि उसके पूर्व जमा न कर दी जाय, बेच सकता है।

501. The Sale Officer shall make proper arrangement for the custody and preservation of the distrained property during the interval between its distraint, and sale. The applicant bank or an officer of the State Co-operative Bank concerned, if he is authorised in this behalf by it shall, if required by the Sale Officer, undertake the custody and preservation of propery distrained. If standing crops or ungathered produce of the land belonging to a defaulter are distrained the Sale Officer may direct trhem to be sold when fit for reaping or gathering, or at his option, may at the cost of the defaulter cause them to be reaped or gathered in due season and stored in proper place until sold. The Sale Officer may, at the instance of he defaulter or of any person claiming an interest in such property, leave it in the village or place where it was attached in the charge of such defaulter or person, if he enters into a bond in the form specified by the Registrar with one or more sureties as may be considered sufficient for the production of the property when required :

Provided that where the property seized is subject to speedy and natueral decay or where the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, an earlier date may be fixed on which the Sale Officer may sell it unless the amount is sooner paid.

502. नियम 500 के अधीन कोई अधिहरण सूर्यास्त के उपरान्त तथा सूर्योदय के पूर्व नहीं किया जायेगा।

502. No distraint under Rule 500 shall be made after sunset and before sunrise.

503. विक्रय अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी भी घुड़साल, गौशाला, भण्डार, गोदाम, उपगृह अथवा अन्य किसी भवन में बलपूर्वक प्रवेश करे तथा वह किसी ऐसे निवास गृह में भी प्रवेश कर सकता है जिसका बाहरी दरवाजा खुला हो तथा वह बन्धक भूमि की उपज को अधिहरित करने के प्रयोजन से निवास गृह के किसी भी कमरे का दरवाजा लोड़कर घुस सतका है, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि एतद्पश्चात की गयी व्यवस्था के सिवाय विक्रय अधिकारी के लिए वह वैध न होगा कि वह ऐसे निवास गृह के ऐसे प्रकोष्ठ (एपार्टमैंट) को तोड़ या उसमें प्रवेश करे जो जनाना अथवा महिलाओं के निवास के लिये उपयुक्त होता है।

503. It shall be lawful for the Sale Officer to force open any stable, cow-house aganary, godown, out house or other building and he may also enter any dwelling house, the outer door of which may be open and to break open the door of any room in such dwelling house, for the purpose of distraining the produce of the mortgaged land lodged therein, provided always that is shall not be lawful for such Sale Officer to break open or enter into any apartment in such dwelling house appropriated for the zanana or residence of woman except as hereinafter provided.

504. यदि विक्रय अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो कि बन्धक भूमि की उपज ऐसे निवास गृह में रखी है जिसका बाहरी दरवाजा बन्द किया जा सकता है अथवा ऐसे प्रकोष्ठ में है जो जानने के उपयुक्त होता है और जिसमें देश की प्रथा अथवा रूढ़ि के अनुसार निजी (प्राइवेट) माना जाता है तो विक्रय अधिकारी इस तथ्य को निकटत थाने के प्रभारी अधिकारी को तथ्य प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्रतिवेदन पर निकटतम थाने का प्रभारी अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को मौके पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे निवास-स्थान का बाहरी दरवाजा वलात खोला जा सकता है।

प्रतिबन्ध है कि विक्रय अधिकारी को बन्धक भूमि की उपज के अधिगृहण के लिये महिलाओं के प्रकोष्ठ में प्रवेश करना आवश्यक हो, जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वहां उपज रखी गयी है, तो वह ऐसे प्रकोष्ठ में पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की कम से कम एक महिला गवाह की उपस्थिति में महिलाओं को वहां से चले जाने के अथवा हट जाने के निमित्त उचित नोटिस देने के उपरान्त ही प्रवेश करेगा तथा यदि वांछित सम्पत्ति मिल जाती है तो उसे तत्काल ही विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकोष्ठ से हटा लिया जायेगा और तदुपरान्त उस प्रकोष्ठ का महिला अध्यासियों के लिये खाली छोड़ दिया जायेगा।

504. When the Sale Officer may have reason to believe that the produce of the mortgaged land is lodged within a dwelling house the outer door of which may be shut or within any apartment appropriated for the zanana which by custom or usage of the country is considered private the Sale Officer shall represent the fact to the Officer Incharge of the nearest police station. On such representation the Officer Incharge of the nearest police station. On such representation the Officer Incharge of the nearest police station shall send a police officer to the spot in whose presence the Sale Officer may force open the outer door of such dwelling house:

Provided that whrer it is necessary for the Sales Officer to enter into the appartments of womeen for the purpose of distraining the produce of the mortgaged land. which is believed to be deposited therein he shall enter into such apartments only in the presence of the police officer and at least one female witness of the locality after giving due notice for retirement or removal of women and if the property sought for is found it shall be immediately removed by the Sale Officer from such apartment after which the apartments shall be left free to the women occupants.

505. विक्रय अधिकारी विक्रय के एक दिन पूर्व तथा विक्रय के दिन उस गांव जिसमें बाकीदार रहता हो अथवा जिसमें उपज रखी गयी हो और ऐसे अन्य स्थान तथा स्थानों पर जिन्हें विक्रय अधिकारी विक्रय का यथोचित प्रचार करने के निमित्त आवश्यक समझे, डुग्गी पिटवाकर अभीष्ट विक्रय के दिनांक तथा स्थान की घोषणा करवायेगा।

505. The Sale Officer shall, on the day previous to and on the day of sale cause proclmation of the time and place of the intended sale to be made by beat of drum in the village in which the defaulter resides or the produce is kept and at such other place or places as teh Sale Officer may consider necessary to give due publicity to the sale.

506. यदि बाकीदार पर मांग का नोटिस तामील होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर, वह उस धनराशि का भुगतान नहीं करता हे जिसके निमित्त अभिगृहण किया गया था तो विक्रय अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति को अथवा उसके ऐसे भाग को जो उसकी राय में मांग सहित अभिगृहण तथा विक्रय के व्ययों की भरपाई करने के लिये आवश्यक हो, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलन वाले के हाथ बेच सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि बन्धक भूमि को ऐसी खड़ी फसल अथवा उपज को जो तुरन्त तथा सहज नष्ट होने वाली हो , अभिहरण के उपरान्त मांग के नोसि में इंगित देय धनराशि को जमा करने के लिये बाकीदार को 15 दिन का समय देना आवश्यक न होगा तथा बिक्री शीघ्रतर सम्पन्न की जा सकती है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी सबसे ऊंची बोली को यदि प्रस्तावित मूल्य अनुचित रूप से कम हो अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से भी, अस्वीकार कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि विक्रय अधिकारी, स्वविवेक से, ऐसे विक्रय को किसी विनिर्दिष्ट दिनांक तथा समय तक के लिये, ऐसे स्थगन के कारणों को अभिलिखित करते हुये, स्थगित कर सकता है। यदि कोई बिक्री 7 दिन से अधिक अवधि के लिये स्थगित की जाय तो नियमानुसार फिर से उद्घोषणा आवश्यक होगी जब तक कि बाकीदार उस घोषणा के अभित्यजन से सहमत न हो।

506. If within fifteen days of the date of service of the demand notice on the defaulter he does not pay the amount for which the distraint was effected, the Sale Officer may sell in public auction to the highest bidder the distrained property or such part thereof as may, in his opinion be necessary to satisfy the demand together with the expenses of the distraint and sale:

Provided that after the distraint of standing crop or produce of the mortgaged land which is subject to the speedy and natural decay it shall not be necessary to allow the time of fifteen days to the defaulter to deposit the money due as indicated in the demand notice and the sale may be conducted earlier :

Provided further that the sale officer may decline the highest bid if price offered appears to be unduly low or for other adequate reasons :

Provided also that the Sale Officer may, in his discretion, adjourn the sale to a specified day and hour recording his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned for a period longer than seven days, a fresh proclamation under the rules shall be made unless the defaulter consents to waive it.

507. सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान बिक्री के समय नकद किया जायेगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग तब तक नहीं ले जाने दिया जायेगा जब तक कि उसने पूरा भुगतान न कर दिया हो।

507. Cash payment of the price of the property shall be made at the time of sale and the purchaser shall not be permitted to carry away any pat of the propertry until he has paid for it in full.

508. यदि क्रेता क्रय धन का भुगतान न करे तो सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी तो पुनः बिक्री की धनराशि को एतद् पश्चात् उपबंधित रीति से प्रयुक्त किया जायेगा।

508. If the purchaser fails to pay the purchase money, the property shall be re-sold and the proceeds of such re-sale shall be applied in he manner hereinafter provided.

509. अभिगृहण तथा बिक्री में उपगत व्ययों की बिक्री की धनराशि से कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि को, यदि कोई हो, उन देयों के लिए प्रयुक्त किया जायेगा जिनके निमित्त अभिगृहीत और बिक्री की गई थीं अधिशेष धनराशि, यदि कोई हो, बाकीदार को दे दी जायेगी तथा उसे मांग के नोटिस में दर्शित आपत्ति तक दायित्व से उन्मुक्त होने के निमित्त रसीद दी जायेगी।

509. After the deduction of the expenses incurred in distraint adn sale from the proceeds of sale the balance, if any, shall be applied to the discharge of the dues for which the distraint and sale were made. The surplus, if any, shall be delivered to the defaulter and he shal be given a receipt for the discharge of his liability to the extent shown in the demand notice.

510. यदि इन नियमों के अधीन बन्धक सम्पत्ति की उपज की बिक्री और अभिगृहण से संबंधित उपगत व्यय, बैंक द्वारा जमा किये गये व्यय से बड़ जाता है तो ऐसा बढ़ा हुआ व्यय, यथास्थिति, बेची गयी सम्पत्ति की बिक्री की आय या बाकीदार द्वारा जमा की गयी धनराशि से काट लिया जायेगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, बैंक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

510. Where the expenses incurred in connection with the distraint and sale of the produce of the mortgaged property under these rules exceed the expenses deposited by the Bank, such excess shall be deducted from the sale proceeds of the property sold or the moneys paid by the defaulter as the case may be and the balance, if any, shall be made available to the Bank.

511. यदि बिक्री के पहले बाकीदार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो बाकीदार के माध्यम से अभिगृहीत सम्पत्ति में हित का दावा करता हो, ब्याज सहित सम्पूर्ण देय धनराशि और अभिगृहण तथा बिक्री के संबंध में उपगत व्यय का अदा करता है तो विक्रय अधिकारी बिक्री की कार्यवाही नहीं करेगा और सम्पत्ति को अभिगृहण से तुरन्त उन्मुख कर देगा।

511. Where prior to the sale, a defaulter, or any person acting on his behalf or any person claiming through the defaulter an interest in the property distrained pays the full amount due including interest and other expenses incurred in connection with distraint and sale. The Sale Officer shall not proceed with the sale and shall release the property forthwith from distraint.

भाग–4
PART - IV
बन्धक सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया
PROCEDURE IN THE SALE OF MORTGAGED PROPERTY

512. यदि कोई व्यक्ति बन्धक धन अथवा उसके किसी भाग का भुगतान, मांग का नोटिस जारी किये जाने के एक महीने के भीतर करने में चूक करे तो प्रबन्ध समिति अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति धारा 144 की उपधारा (2) के अनुसार बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिये कार्यवाही करेगा।

512. Where a person commits default in making payment of the mortgage money or any part thereof within one month of the issue of notice of demand, the Managing Committee or any person authorised by it in this behalf, shall take steps to bring the mortgaged property to sale in accordance with sub-section (2) of Section 144.

513. प्रबन्ध समिति अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, नियम 512 के अधीन विक्रय के लिये कार्यवाही करते समय लिखित रूप से एक नोटिस, जिसमें नोटिस तामील करने में उपगत व्यय सहित बैंक द्वारा दावा की गई धनराशि तथा विक्रयार्थ सम्पत्ति के ब्योरे दिये जायेंगे। धारा 144 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों को देगा जिसमें उनसे नोटिस में उल्लिखित धनराशि को उक्त नोटिस के तामील किये जाने से एक माह के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

513. While taking steps for sale under Rule 512 the Managing Committee or any person authorised by it in this behalf shall give a notice in writing stating therein the amount claimed by the bank including expenses incurred by it in the service of notice and the particulars of the property sought to be sold, to all persons referred to in Clause (a) of Sub-section (2) of Section 144, requiring them to pay the amount stated in the notice within one month of service of such notice.

514. यदि नियम 513 के अधीन जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान नोटिस में उल्लिखित अवधि के अन्दर न किया जाय तो प्रबन्ध समिति या तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त नोटिस में निर्दिष्ट बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु मण्डल से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

514. If the amount specified in the notice issued underRule 513 is not paid within the period stated therein, the Managing Committee or any person authorised in this behalf shall seek permission from the Board for the sale of the mortgaged property specified in the notice.

515. मण्डल, नियत 514 के अधीन निर्देश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करेगा जिसके लिये मण्डल धारा 144 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धककर्ता और किसी भी अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके द्वारा उसे नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक महीने से अनधिक का समय देगा।

515. The Board shall within one month of the receipt of reference under Rule 515 invite objection regarding the proposed sale of the mortgaged property for which the Board shall issue notice to the mortgagor and any other person mentioned in Clause (a) of Sub-section (2) of Section 144, give them time not exceeding one month from the date of its service on them.

516. मण्डल, नियम 515 में उल्लिखित नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपत्तियों का यदि कोई हो, निस्तारण, आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई करने के उपरान्त करेगा।

516. The Board shall after the expiry of the period of notice mentioned in Rule 515 dispose of the objections, if any, after hearing the objectors.

517. यदि मण्डल नियम 516 के अधीन प्राप्त आपत्तियों को अस्वीकार कर दे अथवा यदि कोई भी आपत्ति प्राप्त न हो तो मण्डल विक्रय अधिकारी को बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिये प्राधिकार देगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा विक्रय नियम 514 के अधीन जारी किये गये नोटिस के तामील होने के दिनांक स तीन मास की समाप्ति के पूर्व नहीं किया जायेगा।

517. Where the Boare rejects te objections received under Rule 516 of where no objection is received, it shall authorise the Sale Officer for the sale of the mortgaged property, provided that such sale shall not take place

before the expiry of three months from the date of service issued under rule 514.

518. (1) विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु निश्चित दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व विक्रय की घोषणा पूरे ब्यौरे के साथ ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका क्षेत्र में परिचालयन हो, विज्ञापन द्वारा और बन्धकग्रस्त सम्पत्ति तथा निम्नलिखित कार्यालयों में से दो या उससे अधिक कार्यालयों के किसी प्रमुख भाग पर लगाकर अधिसूचित की जायेगी।

(1) सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय;

(2) सम्बन्धित तहसील;

(3) यथास्थिति, राज्य सरकारी बैंक अथवा सम्बद्ध राज्य सहकारी बैंक की शाखा का कार्यालय, सहायक जिला निबन्धक, सहकारी समिति तथा सम्बन्धित जिले के प्रत्यादान (वसूली) अधिकारी का कार्यालय।

(2) उक्त उद्घोषणा में विक्रय का दिनांक, समय और स्थान बताया जायेगा और उसमें निम्नलिखित का यथासम्भव उचित रुप से और ठीक-ठीक उल्लेख किया जायेगा-

(क) बेची जाने वाली सम्पत्ति;

(ख) कोई भार जो सम्पत्ति पर हो;

(ग) राजस्व जो उसके सम्बन्ध में देय हो;

(घ) धनराशि जिसकी वसूली हेतु विक्रय आदेश दिया गया हो;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विक्रय अधिकारी सम्पत्ति के प्रकार तथा मूल्य का क्रेता को अनुमान लगाने के लिए सारवान समझे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी घोषणा की सूचना (नोटिस) बाकीदार को भी दी जायेगी।

(3) विक्रय अधिकारी उपनियम (2) में उल्लिखित ब्यौरों सहित घोषणा विक्रय के दिनांक के पहले लगातार दो दिन तक और विक्रय के दिन भी, बिक्री प्रारम्भ होने के पूर्व, उस गांव में जहाँ विक्रय हेतु सम्पत्ति स्थित हो, डुग्गी पिटवा कर करायेगा।

518. (1) Not less than fifteen days before the date fixed for sale a proclamation of sale shal be noticied by the Sale Officer by Advertisement with full details in a newspaper having circulation in that area and by affixing one cop at some conspicuous part of the mortgaged property itself and at two or more of the following offices :-

(i) Block Development Office concerned;

(ii) Tehsil concerned;

(iii) The Office of the Uttaranchal State Co-operative Bank or the branch of the Uttaranchal State Co-operative Bank concerned, as the case may be.

(2) The proclamation shal state the date, time and place of sale and specify as fairly and accurately as possible :-

(a) The property to be sold;

(b) The encumbrance to which the property is liable;

(c) The revenue payable in respect thereof;

(d) The amount for the recovery of which sale is ordered;

(e) Every other thing which the Sale Officer considers material for a purchaser to know inorder judge the nature and value of the property.

Proviced that a notice of such proclamation shall also be given to thedefaulter.

(3) Proclamation containing the particulars mentioned in Sub-rule (2) shall also be made by the Sale Officer on two consecutive days previous to the date of sale and on the day of sale, prior to the commencement of the sale, by the beat of drum in the village where the mortgaged property to be sold is situated.

519. (1) जब कोई बन्धकग्रस्त सम्पत्ति इन नियमों के अधीन बेची जाय तो ऐसी बिक्री उस सम्पत्ति पर, पूर्व भार के, यदि कोई हो अधीन होगी सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा विक्रय अधिकारी को, बन्धक के दिनांक से कम से कम बारह वर्ष पहले की अवधि की भारग्रस्तता का प्रमाण–पत्र, जिसके अधीन सम्पत्ति का बेचने का प्रस्ताव हो, निबन्धन विभाग से लेकर प्रस्ताव करेगा।

(2) विक्रय, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलने वाले, को किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सबसे ऊंची बोली को, इस कारण से कि दिया जाने वाला धन अनावश्यक रूप से कम जान पड़ता है या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से अस्वीकार कर दे, और प्रतिबन्ध यह भी है कि विक्रय अधिकारी, स्वविवेक से, स्थगन के कारणों को अभिलिखित करते हुए, विक्रय को किसी अन्य निर्दिष्ट दिन और समय के लिए स्थगित कर सकता है। यदि विक्रय, इस प्रकार सात दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया जाय तो, जब तक कि बन्धककर्ता उद्घोषणा न करने के लिए लिखित सहमति न दे दे, फिर से घोषणा की जायेगी।

519. (1) When any mortgaged property is sold under these rules, the sale shall be subject to prior encumbrances on the property. if any Encumbrance certificate form the Registration Department for the period of not less than twelve years prior to the date of mortgage under which it is proposed to be sold shall be furnished to the Sale Officer by the State Co-operative Bank concerned.

(2) The sale shall be by public auction to the highest bidder provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other adequate reasons, and provided also that the Sale Officer may, at his discretion, adjourn the sale to some other specified day and hour, recording his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned to period longer than seven days, a fresh proclamation shall be issued unless the mortgagor consents in writing to waive it.

520. यह विक्रय अधिकारी पर निर्भर होगा कि वह बन्धकग्रस्त भूमि को एक या एकाधिक ढेरियों में, जैसा वह उचित समझे, बेचे और बन्धकग्रस्त भूमि के केवल उतने ही भाग को बेचा जायेगा जिसे विक्रय अधिकारी ब्याज सहित देय धनराशि से ऋण मुक्त होने तथा बिक्री के व्ययों को पूरा करने के लिए यथेष्ट समझे।

520. It shall be open to the Sale Officer to put the mortgaged land to sale in one or more lots as he may consider advisable and only as much portion of the mortgaged land shall e sold as may be considered by the Sale Officer sufficient to discharge the amount due with interest and expenses of sale.

521. यदि विक्रीत सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति के दखल में हो जो धारा 150 के अधीन उस पर दखलदार का हकदार हो और उस सम्बन्ध में विक्रय का प्रमाण–पत्र दिया गया हो तो विक्रय अधिकारी, क्रेता के प्रार्थना–पत्र पर और ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात ऐसी सम्पत्ति के किसी प्रमुख भाग में विक्रय के प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि लगवाकर उक्त नीलामी क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा और किसी सुविधाजनक स्थान पर डुग्गी पिटवाकर या अन्य प्रचलित प्रथा द्वारा दखलदार व्यक्ति को उद्घोषणा द्वारा यह बतायेगा कि बन्धककर्ता के अधिकार, आगम और हित उक्त क्रेता को संक्रमित कर दिये गये हैं।

521. Where tge property sold is in the occupancy of a person entitled to occupy the same under Section 150 and the sale certificate has been granted in respect of it, the Sale Officer shall, on the application of the purchaser and after notice to such other prson, put the auction purchaser into possession of such prepery by affixing a copy of sale certificate in conspicuous place on the property and proclaiming to the occupant by beat of drum or other customery mode at some convenient place, that the right, title and interest of the mortgagor have been transferred to the purchaser.

522. (1) सबसे ऊंची बोली बोलने वाला, जिसकी बोली स्वीकार की जाये, अन्तिम बोली समाप्त हो जाने और उसकी बोली स्वीकार किए जाने की घोषणा के पश्चात् तुरन्त विक्रय स्थल पर ही नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत विक्रय अधिकारी के पास जमा करेगा और शेष धनराशि उक्त बोली बोलने वाले के द्वारा नीलामी समाप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सम्बद्ध बैंक की शाखा में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।

(2) यदि सबसे ऊंची बोली बोलने वाला नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके, तो उसे ऐसी सम्पत्ति अथवा ऐसे किसी भी धनराशि पर जो उसने नीलामी की धनराशि के आंशिक भुगतान के रूप में किया हो, कोई भी अधिकार नहीं होगा और विक्रय अधिकारी को दूसरी उच्चतम बोली स्वीकार करने का अधिकार होगा, परन्तु यह कि द्वितीय उच्चतम बोली की धनराशि उच्चतम बोली के 95 प्रतिशत से कम या बैंक द्वारा दावा की गयी धनराशि से, जिसमें उपगत व्यय भी सम्मिलित है, कम न हो।

द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी बोली स्वीकार की जाये, अपनी बोली स्वीकार किये जाने की घोषणा के पश्चात् तुरन्त विक्रय स्थल पर ही नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत विक्रय अधिकारी के पास जमा करेगा और शेष धनराशि उक्त बोली बोलने वाले के द्वारा नीलामी समाप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर सम्बन्धित बैंक की शाखा में नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।

(3) क्रेता के लिखित अनुरोध पर, मण्डल उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित 75 प्रतिशत धनराशि को जमा करने की अवधि 7 दिन तक बढ़ा सकता है यदि उसका समाधान हो जाये कि अपरिहार्य कारणों से क्रेता उसे समय स जमा नहीं कर सका।

(4) यदि द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला भी नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके तो उसे ऐसी सम्पत्ति या ऐसी किसी धनराशि पर जो उसने नीलाम की धनराशि के आंशिक भुगतान के रूप में किया हो, कोई अधिकार न होगा।

(5) यदि सबसे ऊंची बोली बोलने वाला नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके और द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकार न की जाय, यदि उपनियम (2) के अधीन द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकार की जाये और द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके तो सम्पत्ति को तत्काल पुन: नीलाम किया जायेगा।

522. (1) The highest bidder whose bid may be accepted, shall deposit 25% of the auction money at the spot with the Sale Officer immediately after the fall of the hammer and announcement of the acceptance of the bid, while the rest of the amount shall be deposited by the bidder with concerned branch of the bank in cash or through Bank Draft within fifteen days from the date of conclusion of the auction.

(2) Where the highest bidder fails to pay the amount of 25 per cent of the auction money, he shall have no right to the property or any sum paid by him as part payment of the auction money and the Sale Officer shall have right to accept the second highest bid or lesser than the amount claimed by the Bank including expenses incurred. Such second highest bidder whose bid may be accepted shall deposit 25 per cent of auction money at the spot with the Sale Officer immediately after announcement of the acceptance of his bid, while rest of the amount shall be deposited by the bidder with concerned branch of Bank in cash or through Bank Draft within fifteen days from the date of conclusion of the auction.

(3) On the request in writing of the purchaser, the Board may extend the period of deposit of the balance amount of 75 per cent mentioned in Sub-rules (1) and (2) by 7 days, if it is satisfed that due to unavoidable reasons the purchaser could not deposit it to time.

(4) Where the second highest bidder also fails to pay the amount of 25 per cent of the auction money he shall have no right to the property or any sum paid by him as part payment of the auction money.

(5) Where the highest bidder fails to pay the amount of 25 per cent of the auction money and the second highest bid is not accepted or where the second highest bid is accepted under Sub-rule (2) and the second highest bidder fails to pay the amount of 25 per cent of the auction money the property shall be re-auctioned.

523. यदि राज्य सहकारी बैंक, जिसके कहने पर सम्पत्ति बेची जाय, क्रेता हो तो विक्रय अधिकारी नियम 522 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करेगा। तत्पश्चात् विक्रय अधिकारी बन्धक धनराशि की पूर्णत: या अंशत: भरपाई, यथास्थिति किये जाने के बारे में दर्ज करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रय धनराशि दावे की धनराशि से अधिक हो तो शेष धनराशि का भुगतान बाकीदार का विक्रय की

पुष्टि से पन्द्रह दिन के भीतर, नियम 530 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

523. Where the State Co-operative Bank at whose instance the propert, is sold is the purchaser, the Sale Officer shall dispense with the requirement of Rule 522. The Sale Officer shall then enter the satisfaction of the mortgage mney in full or part. as the case may be :

Provided that in case purchase money exceeds the amount of the claim, the reminder of the amount shall be paid to the defaulter, subject the provision of Rule 530 within fifteen days of the confirmation of the Sale.

524. यदि क्रेता नियम 522 के अनुसरण में नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत जमा कर देता है तथा तदन्तर्गत अपेक्षित धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि तथा सम्पत्ति के प्रति अथवा उस धनराशि के किसी अंश के प्रति जिस पर कि सम्पत्ति बाद में किसी समय बेची जाये, दावा जब्त हो जायेगा। जब्त की गई धनराशि विक्रय सभी लागतों, परिव्ययों तथा व्ययों का कटौतियां करन के उपरान्त शेष धनराशि बैंक को दे दी जायेगी।

524. Where the purchaser at the auction sale has deposited 25 per cent of the auction money in pursuance of Rule 522 and fails to pay the balance of the price as required therein, he shall forfeit the money paid as well as all claims to the property or to any of the sum for which the property at any time subsequently be sold. The forfeited money shall after defraying al costs, charges and expenses of sale be made over to the Bank.

525. क्रय धनराशि के भुगतान के निमित्त अनुमत अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को दुबारा बिक्री बिक्री इस नियमावली में ऐसे बिक्री के लिए एतद्पूर्व निर्धारित रीति से अवधि के लिए उद्घोषणा जारी करने के पश्चात की जायेगी।

525. Every resale of mortgaged property in default of payment of the purchase money within the period allowed for such payment, shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner or for the period hereinbefore laid down in these rules for sale.

526. यदि बिक्री के पूर्व बन्धककर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति देय पूरी धनराशि जिसके अन्तर्गत ब्याज तथा अन्य लागत और सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में उपगत परिव्यय तथा व्यय भी है, को अदा कर देता है तो विक्रय अधिकारी बिक्री सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करेगा।

526. Where prior to the sale, the mortgagor or any person on his behalf or any person claiming an interest in the mortgaged propery tenders payment of the full amount due, including interest and other cost, as well as charges and expenses incurred in connection with the sale of the property, the Sale Officer shall not proceed with the sale.

527. अधिनियम की धारा 144 के अधीन किये गये प्रत्येक विक्रय की धनराशि प्रथमत: विक्रय अथवा विक्रयों के प्रयास के सम्बन्ध में हुई समस्त लागतों, प्रभागों तथा व्ययों का भुगतान करने में द्वितीयत: ऐसे बन्धक के मद्दे देय किसी का सम्पूर्ण ब्याज के भुगतान के लिये जहां बंधक सम्पत्ति का विक्रय किया गया था उसके क्रमानुसार मूल बन्धक के कारण देय, जिसके अन्तर्गत वसूली की आनुषंगिक लागत तथा प्रभार भी हैं, भुगतान करने में प्रयुक्त की जायेगी।

विक्रय की धनराशि में से यदि कुछ बचा रहता है तो बन्धककर्ता को यदि वह जीवित हो, और यदि वह मृत हो तो उसके हितधारियों को वापस कर दिया जायेगा।

527. The proceeds of every sale effected under Section 144 of the Act, shall be applied first in payment of all costs, charges and expenses incurred in connection with the sale or attempted sales, secondly, in payment of any or all interest due on account of the mortgage in consequence whereof the mortgaged property was sold and thirdly in payment of the due on account of the mortgage inculding costs and charges incidental to the recovery.

If there remains any balance from the proceeds of sale, the same shall be paid to the mortgagor, if he is alive, and if, he is dead, to his successors in interest.

528. (1) यदि बन्धकग्रस्त सम्पत्ति बेच दी गयी हो तो वह व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति पर स्वामित्व रखता हो अथवा विक्रय से पूर्व अर्जित आगम के परिणाम स्वरूप उसमें हित रखता हो, सम्बन्धित बैंक के पास निम्नलिखित प्रकार से धनराशि जमा करके बिक्री को रद्द करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है-

(क) क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रेता द्वारा जमा की गई वास्तविक धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि; और

(ख) बिक्री की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाये की धनराशि जिसकी वूसली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया था उस पर ब्याज, और ऐसी धनराशि के सम्बन्ध मं देय, बिक्री का व्यय तथा अन्य लागतें जिसमें से यह धनराशि घटा दी जायेगी जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक के पश्चात् राज्य सहकारी बैंक को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट जमा सहित प्रार्थना-पत्र बिक्री रद्द करने के लिए बिक्री के दिनांक से तीन तीन दिन के भीतर दिया जाये तो विक्रय अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर प्रबन्ध समिति बिक्री को रद्द कर देगी तथा नीलामी क्रेता को उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि और इस प्रकार जमा की गयी धनराशि की पांच प्रतिशत धनराशि का भुगतान करगी अथवा करायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपनियम के अधीन एकाधिक व्यक्ति धनराशि जमा कर तथा आवेदन करे तो उस जमाकर्ता का प्रार्थना-पत्र ही ग्रहण किया जायेगा, जिसने सबसे पहले धनराशि जमा की।

528. (1) Where the mortgaged property has been sold, the person either owning such property or holding an interest therein by virtue of title acquired before sale, may apply to have the sake set asude ib gus deoisutubg wutg tge vabj cibcerbed :-

(a) A sum equal to five per cent of the actual amount deposited by purchaser for payment to the purchaser; and

(b) The amount of arrears specified in he actual proclamation of sale for the recovery of which sale was ordered together with interest therein, and the expenses of sale and other costs due in respect of such amount, less the amount with might since the date of such proclamation have been received by the State Co-operative Bank.

(2) If an application for setting aside the sale accompanied by a deposit as referred to in Sub-rele (1), is made within thirty days of the date of sale, the Managing Committee on reference made by the Sale Officer shall set aside the sale and make or cause to make payment to the auction purchaser the amount deposited by him together with a sum of five per cent of the amount so deposited :

Provided that if more than one person have made deposit and applied under this sub-rule, the application of the first depositor shall be entertained.

529. बिक्री के दिनांक से तीन दिन व्यतीत होने पर, यदि विक्रय को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र न दिया गया हो अथवा यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया गया हो किन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया हो, तो मण्डल बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश जारी करेगा और तदुपरान्त बिक्री आत्यान्तिक हो जायेगी।

529. On the expiry of thirty days from the date of sale, if no application to have the sale set aside is mde or if such application has been made and rejected, the Board shall make an order confirmig the sale whereupon the sale shall become absolute.

530. जब कभी बन्धक भूमि की बिक्री की पुष्टि न की जाये तो किया गया विक्रय धन ऐसी जमा की गयी अवधि में भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता के लिए प्रचलित ब्याज की दर से ब्याज सहित क्रेता को वापस की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रेता की किसी त्रुटि के कारण बिक्री की पुष्टि न की जा सके तो उसे कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।

530. Whenever the sale of the mortgaged land is not confirmed, the purchase money deposited shall be returned to the purchaser along with interest st the rate prevailing in the State Bank of India for Saving Bank Account during the period of such deposit :

Provided that no interest shall be allowed to the purchaser if the sale in not confirmed for any fault of trhe purchaser.

531. किसी की समाप्ति पर विक्रय अधिकारी प्रपत्र में बिक्री के परिणाम के सम्बन्ध में निबन्धक तथा सम्बन्धित बैंक को प्रतिवेदन भेजेगा।

531. The Sale Officer shall, on the conclusion of the sale, make a report in Form III to the Registrar and the State Co-operative Bank concerned regarding the result of the sale.

532. जब बन्धकग्रस्त सम्पत्ति की बिक्री पूर्ण हो गयी हो तो राज्य सहकारी बैंक ने विक्रय की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली हो, तो क्रेता से अपेक्षित साधारण स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र होने पर राज्य सहकारी बैंक क्रेता को प्रपत्र 4 में विक्रीत सम्पत्ति, विक्रय विक्रय धन, विक्रय का दिनांक, उस व्यक्ति का नाम जो विक्रय के समय क्रेता घोषित किया जाय तथा वह दिनांक जब विक्रय पूर्णत: सम्पन्न हुआ, प्रमाणित करते हुए विक्रय का प्रमाण-पत्र देगा। विक्रय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति क्रेता को दी जायेगी और उसकी एक प्रति भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त सब-रजिस्ट्रार को अग्रसारित की जायेगी। ऐसे विक्रय प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर सब-रजिस्ट्रार, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग स्थित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में ऐसे प्रमाण-पत्र की अन्तर्वस्तुओं को दर्ज करेगा।

532. Where a sale of the mortgaged property has become absolute and the sale proceeds have been received full by the State Co-operative Bank on application from the purchaser accompanied by the amount required for general stamp, the Uttaranchal State co-operative Bank shall grant a sale certificate to the purchaser in Form IV certifying the property sold, the sale price, the date of sale, the name of the person who at the time of the sale is declared to be the purchaser and the date on which the sale become absolute original copy of the sale certificate shall be given to the purchaser and a copy of the same shall be forwarded to Sub-registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908. Upon the production of such certificate, the Sub-registrar within the limits of whose property indicated in the certificate or a part of it is existed under Section 51 of India Registration Act, 1980 will register the items in Book No. 1.

भाग-5
PART - V
वित्तीय सहायता तथा प्रतिभूति
FINANCIAL ASSISTANCE AND SURETIES

533. प्रतिभू देने पर वित्तीय सहायकता की शर्तें- यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 148-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रतिभू देकर वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक है, तो उसे वांछित सहायता दी जायेगी, यदि वह-

(i) बैंक को समाधान के अनुसार अपेक्षित वित्तीय सहायता के लिए दो प्रतिभू पेश कर देता है;

(ii) अपेक्षित राशि के स्टाम्प पेपर पर यह वित्तीय सहायता से सृजित परियोजना तथा अपनी अन्य परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार की घोषणा करता है;

(iii) प्रतिभूओं द्वारा बैंक के हक में निष्पादित प्रत्याभूति (गारन्टी) अभिलेख कि वे उसके द्वारा चूक होने पर राशि को अदा करने की गारण्टी देते हैं।

533. **Conditions for financial assistance on furnishing sureties -** A person desirous of securing financial assistance from the Bank on furnishing sureties under Sub-section (2) of Section 149-A of the Act shall be provided with the desired assistance, if he--

(I) Furnishes two sureties to the satisfactio of the Bank for the required financial assistance;

(II) Executes a declaration of first charge on the project created from the financial assistance and other assets belonging to him on stamp paper of requisite value;

(III) Furnishes a Guarantee Deed executed by sureties in favour of the Bank guaranteeing the repayment in case of his default.

534. प्रतिभू पेश करने पर प्राप्त किये गये ऋण के बकाया की वसूली-

(1) किसी ऋण या उसकी किस्त के बकाया होने पर उसकी वसूली के आवेदन पर व उसके द्वारा उक्त ऋण के सम्बन्ध में विवरण देने पर निबन्धक तथा जांच करने पर, यदि वे ऐसा करना उचित समझें, वे देय राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं;

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र देय के सम्बन्ध में अन्तिम तथा निश्चायक माना जावेगा और वह राशि बकाया मालगुजारी प्रतिभुओं तथा ऋणी से वसूल किया जा सकेगा।

534. Recovery of arrears of loans secured on furnishing sureties :-

(1) The Registrar may on an application made in this behalf for the recovery of arrears of any loan or any instalment thereof on furnishing a statement accounts in respect of such loans and after making such enquiries, if any, as he thinks fit, issue a certificate for recovery of the amount due;

(2) A certificate issued by the Registrar under Sub-rule (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be recoverable as arrear of land revenue from the sureties and the borrower jointly and severally.

प्रपत्र–क

(नियम 3 के अधीन)

पंजीकरण के आवेदन–पत्र आदि के प्रपत्र के लिए अधियाचन

जिला सहायक निबन्धक,

सहकारी समिति, उत्तरांचल।

महोदय,

हमारा अभिप्राय एक सहकारी समिति संगठित करने का है, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं। कृपया मुझे/पत्रवाहक को–

(1) संगत आदर्श उपविधियों की चार प्रतिलिपियां, तथा

(2) निबन्धक के प्रार्थना–पत्र के प्रपत्र का एक सेट दिया जाय,। पश्चातवर्ती का मूल्य जो पांच सौ रुपये है, एतद्द्वारा भेजा जाता है।

दिनांक..... भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम तथा पूरा पता.....

(1) प्रस्तावित समिति का नाम.....

(2) मुख्यालय तथा पूरा पता.....

(3) प्रस्तावित समिति के उद्देश्य/कारोबार का प्रकार.....

(4) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र.....

(5) सदस्यता किस प्रकार की है.....

(6) पंजीकरण हेतु आवेदन में सम्मिलित होने के लिए सम्भावित व्यक्तियों की संख्या.....

टिप्पणी:- 1. अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों में निर्धारित अन्य शर्तो क अधीन रहते हुए किसी परिवार का एक से अधिक सदस्य किसी ऋण/निवास समिति में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

2. अधियाचन पर प्रपत्र एवं उपविधियां पूर्ति करने से निबन्धक, उक्त प्रस्तावित समिति का पंजीकरण करने या उसकी

सदस्यता, उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र का अनुमोदन करने के लिए वचनबद्ध नहीं है।

3. प्रपत्र शुल्क किसी भी दशा में प्रतिदेय या संक्रमणीय नहीं होगा।

4. यदि उपयुक्त आदर्श उपविधियां न हों तो केवल पंजीकरण का प्रपत्र प्रदान किया जायेगा तथा उपविधियां स्वयं प्रार्थियों द्वारा तैयार की जायेंगी। (नियम 4 देखिये)

अधियाचनानुसार प्रतिमान उपविधियों तथा पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्रों के प्रपत्रों का एक सेट प्राप्त हुआ।

प्रार्थी के या प्रार्थी की ओर से हस्ताक्षर

निम्नलिखित प्रविष्टियां, सहायक निबन्धक के कार्यालय से सम्बद्ध लिपिक द्वारा भरी जायेगी-

1. 500 रु0 की नकद रसीद की संदर्भ संख्या तथा दिनांक.....

2. उपलब्ध कराई गई आदर्श उपविधियों का संदर्भ.....

3. अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजी गई किसी सूचना का संदर्भ.....

सम्बन्धित सहायक के हस्ताक्षर

FORM-A

(Under Rule 230

Requistion for Form of Registration Application, etc.

District Assistant Registrar,

Co-operative Societies, Uttaranchal.

Sir,

We intend to organise a Co-operative Society details of which are given below. Please supply me/per bearer--

(i) four copies of relevant mode bye-laws. and

(ii) a set of application forms for registration. The price of the latter being Rs 500/ is sent herewith

Date.....

Yours faithfully,

Signature.....

Name and full address.....

(1) Name of the proposed society.....

(2) Headquarters and full address.....

(3) Object/nature of the business of proposed society.....

(4) Proposed area of operation.....

(5) Type of membership.....

(6) Number of persons expected to join the application for registration.....

N.B.:

1. Not more than one member from a family subject to other conditions laid down in the Act, rules and the bye-laws may join a credit/housing society.

2. Supply of forms and bye-laws against this reguisition does not amount to any commitment on the part of Registrar for registration of the proposed society or approval of its membership, objects or area of operation stated above.

3. Forms fee shall not be refundable or transferable in any case.

4. If appropriate model bye-laws are not available, only registration form shall be supplied and the bye-laws may by framed by the applicants themselves (vide Rule 41).

Received model bye-laws and set of forms for registration application as per requision.

Signature of/or for applicant

The following entries shall be filled in by the clerk concerned in the office of District Accistant Registrar :-

(1) Reference number and date of cash rceipt of Rs. 500.....

(2) Reference of model by-laws supplied.....

(3) Reference of any advice sent to subordinate staff.....

Signature of Dealing Assistant.

प्रपत्र–ख

(नियम 6 के अधीन)

पंजीकरण के आवेदन–पत्र की अभिस्वीकृति

श्री.....से दिनांक (अंकों में).....(शब्दों में).....को.....

(प्रस्तावित समिति का नाम) के संबंध में पंजीकरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ। आवेदन–पत्र रजिस्टर की क्रम संख्या.....

पंजीकरण

प्राधिकारी की .....

कार्यालय मोहर। प्राप्ति या सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

FORM - B

(Under Rule 6)

Acknowledgement of registration application

Received from Sri.....registration proposal in respect of.....

(Name of the proposed society)

on (date in figure).....(date in words) .....(serial no. of Application Register.....).

Office Seal
of
Registering Authority. .....

Signature or Receipt of Dealing Clerk.

प्रपत्र–ग

(नियम 7 के अधीन)

पंजीकरण प्राधिकारी (निबन्धक/उप निबन्धक) के कार्यालय में प्राप्त पंजीकरण आवेदन–पत्रों का रजिस्टर

क्र.सं.	प्रस्तावित समिति तथा मुख्य प्रवर्तक के नाम	समिति का पूर्ण पता	प्राप्ति का दिनांक तथा किस प्रकार प्राप्त हुआ	निर्गमित अभिस्वीकृति का दिनांक तथा संदर्भ संख्या	संदर्भ जिनके द्वारा अतिरिक्त सूचना या जांच अपेक्षित हो
1	2	3	4	5	6

दिनांक जब तक अतिरिक्त सूचना या जांच अपेक्षित हो	दिनांक जब पर अतिरिक्त सूचना या जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई	निबन्धक	अस्वीकृत	आद्याक्षर	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

टिप्पणी:- (1) स्तम्भ 2 में प्रस्तावित समिति का नाम और तत्पश्चात् मुख्य प्रवर्तक का नाम जिसके पहले शब्द ''द्वारा'' लिखे जायें।

(2) स्तम्भ 5 में प्रार्थी को जारी किये प्रपत्र संख्या ख का संदर्भ दिया जाय।

FORM - C

(Under Rule 7)

Register of Application for Registration, received in the OFfice of Registering Authority (Registrar/Deputy Registrar)

Serial No.	Name of the proposed society and Chief Promotor	Complete address of the society	Date of receipt and how received	Date and reference No.	Reference by which additional of acknowledge ment issued information or enquiry required
1	2	3	4	5	6

Date by which additional iformation or enquiry	Date on which additional information or inquiry report Received	Initial	Refusal	Registration	Remarks

required

7	8	9	10	11	12

NOTE :- (1) In Column 2 mention the name of proposed society and thereafter the name of the Chief Promotor to be preceded by the word "through".

(2) In Column 5 mention the Reference No. of Form No. 'B' issued to applicant.

प्रपत्र–घ

(नियम 10 के अधीन)

पंजीकृत सहकारी समितियों का रजिस्टर

जिला.....

पंजीकरण का दिनांक	क्रम संख्या/ पंजीकरण संख्या	समिति का नाम	पंजीकृत समिति का पता	समिति का वर्ग (उपवर्ग समिति)	दायित्व
1	2	3	4	5	6

पंजीकरण पत्रावली का संदर्भ	पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर	संशोधन, यदि कोई हो		सम्बन्धित केन्द्रीय समिति का नाम	अभ्युक्ति
		पंजीकरण का दिनांक	संशोधित उपविधियों का संदर्भ		
7	8	9	10	11	12

टिप्पणी:- (1) स्तम्भ 5 में समिति का पंजीकरण वर्गीकरण लिखा जाय।

(2) स्तम्भ 6 में स्पष्ट किया जाय कि दायित्व अंशों के गुणित तक सीमित है या असीमित है।

(3) स्तम्भ 7 में, उस पत्रावली का संदर्भ दिया जाय जिसमें पंजीकरण का आवेदन–पत्र, इस विषय पर समस्त पत्र व्यवहार तथा सूचनायें तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र, उपविधियों की एक प्रतिलिपि तथा पंजीकरण की सूचना की एक प्रतिलिपि होनी चाहिये।

(4) यदि समिति का पंजीकरण, धारा 7 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश के अधीन किया गया हो और समिति का समापन आदेश या संदर्भ, जब समिति का समापन, अधिनियम की धारा 72 के अधीन किया गया हो, तो स्तम्भ 12 में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

FORM - D

(Under Rule 10)

Register of Co-operative Society Registered

Date of registration	Serial No./ registration No,	Name of society	Regisered address	Class of societ with sub-class)	Livility
1	2	3	4	5	6

Amendment, if any

Reference of Registration File	Signature of registering authority	Date of registration	Reference of bye-laws amended	Name of Central Society concerned	Remarks
7	8	9	10	11	12

NOTE :- (1) In Column 5, mention the registration classification of the society.

(2) In Column 6, mention whether thev liability is limited to shares or limited to multiple of shares or is unlimited.

(3) In Column 7, mention the reference of file which should contain the registration application all correspondence/ communications on this matter and a copy of registration certificate, bye-laws and copy of registration intimation.

(4) In Column 12, mention may be made if the society has been registered under the direction from State Government issued under proviso to Section 7 and reference or order of winding up, if the society has been wound up under Section 72 of the Act.

प्रपत्र–ङ

(नियम 11 के अधीन)

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल

संख्या.....

श्री..... दिनांक.....

मुख्य प्रवर्त/सचिव,

.....

महोदय,

.....के पंजीकरण/.....की उपविधियों के संशोधन के लिये दिनांक.....के आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त समिति को/उपविधियों के संशोधन को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण के प्रमाण–पत्र तथा पंजीकृत उपविधियां/उपविधियों का संशोधन आपको सहायक निबन्धक के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

भवदीय

निबन्धक/उप निबन्धक

सहकारी समितियां, उत्तरांचल

प्रतिलिपि निम्नलिखित संलग्नकों के साथ, सहायक निबन्धक.....को प्रेषिक–

1.

2.

3.

प्रतिलिपि, प्रबन्धक/सचिव, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड.....को प्रेषित।

निबन्धक/उप निबन्धक,

सहकारी समितियां, उत्तरांचल।

जिला	समिति का नाम	पंजीकरण की संख्या	पंजीकरण का दिनांक	निबन्धक का वर्गीकरण	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी:- (1) एक प्रपत्र का उपयोग केवल एक मामले के लिये किया जाना चाहिये।

(2) यदि स्तम्भ संख्या 1 से स्पष्ट न हो कि समिति का कार्य किस प्रकार का है उस दशा में अभ्युक्ति स्तम्भ में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है। यदि कोई समिति, समामेलन या विभाजन द्वारा निर्मित की गई हो तो अभ्युक्ति स्तम्भ में मूल समिति या समितियों के नाम, पंजीकरण संख्या और दिनांक का भी उल्लेख किया जाना चाहिये।

(3) जो अनावश्यक हो उसे काट दिया जाय।

(4) उपविधियों के संशोधनों के पंजीकरण की दशा में- (क) समिति का वर्गीकरण यदि वह अपरिवर्तित हो, देना आवश्यक नहीं है; (ख) इस सूचना की प्रतिलिपि, जब तक कि प्रतिलिपि, जब तक कि यह ऐसे सारवान परिवर्तन का मामला न हो जिससे केन्द्रीय बैंक या केन्द्रीय समिति के साथ समिति के संबंधों या दायित्व पर प्रभाव पड़ता हो, सम्बन्धित केन्द्रीय बैंक या केन्द्रीय समिति को भेजना आवश्यक नहीं है; (ग) संशोधित उपविधियों में खण्डों का संदर्भ अभ्युक्ति स्तम्भ में दिया जा सकता है।

(5) यदि केन्द्रीय समिति, जिससे प्रश्नगत समिति सम्बद्ध हो या सम्बद्ध की जानी हो, केन्द्रीय बैंक से भिन्न हो, तो प्रतिलिपि सम्बन्धित केन्द्रीय समिति को पृष्ठांकित की जानी चाहिये न कि केन्द्रीय सहकारी बैंक को।

FORM - E

(Under Rule 11)

Office of the Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal

No. ..... Dated.....

Sri.....

Chief Promoter/Secretary,

.....

Sir.

With reference to your application, dated.....for registration of. .....amendment of bye-laws.....you are informed that the said society/amendment of bye-laws has been registered as per particulars given below The registration certificate and registered bye-lawas/amendment of bye-laws are being sent to you through the Assistant Registrar.

Yours faithfully,

.....
Registrar/Deputy Registrar
Co-operative Societies, U.A.

Copy to Assistant Registrar.....alongwith the following address :-

1.
2.
3.

Copy to the Manager/Secretary, District Co-operative Bank Ltd. .....

.....
Registrar/Deputy Registrar
Co-operative Societies. U.A.

District Society	Name of registration	Number of registration	Date of classification	Registration	Remarks
1	2	3	4	5	6

NOTE :- (1) One form should be used for one case only.

(2) In the remarks column mention may be made of the nature of work of a society in case it is not clear from Column No. 1. If a society has been formed by amalgamation of splitting up, the name and registration no. and date of the original society or societies should also be mentioned in the remarks column.

(3) What is unnecessary should be scored out.

(4) In case of registration of amendments to bye-laws (a) classification of society need not be given if it is unchanged; (b) copy of this intimation need not be sent to the Central Bank or Central Society concerned unless it is a case of material change which affects the relationship or obligation of the society to the Central Bank or Central society; (c) reference to clauses of bye-laws amended may be given in 'remarks' column.

(5) If any Central Society to which the society, in question, is or is to be affiliated is other than Central Bank, a copy should be endorsed to the Central Society and not to the Central Co-operative Bank

प्रपत्र-च

(नियम 11 के अधीन)

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 5, 2003) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया)

प्रमाणित किया जाता है कि.....को सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण करने के लिये श्री.....तथा अन्य द्वारा, उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 5, 2003) की धारा 8 के अधीन दिया गया आवेदन-पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति (पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र के साथ प्रेषित उप-विधियों सहित), उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त आवेदन-पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम के अधीन बनी नियमावली और जारी किये गये साधारण या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए..... .....जिले की संख्या.....पंजीकृत की गयी है।

निबन्धक/उप निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तरांचल

दिनांक.....20.....

उपविधियों के संशोधन के सम्बन्ध में पृष्ठांकन

संशोधन उपविधि का संदर्भ	संशोधन के पंजीकरण दिनांक	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4

टिप्पणी:- 1. प्रस्तावित समिति का पूरा नाम उल्लिखित किया जाय।

2. रिक्त स्थान समिति का संशोधन नाम अभिलिखित करने के लिये है, यदि नाम परिवर्तन धारा 10 के अधीन किया जाये।

FORM - F

(Under Rule 11)

Certificate of Registration

[ISSUED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 8 OF THE UTTARANCHAL

Certified that the application made by.....and others under sub-section (1) of Section 6 of the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003 (Act NO. 5 of 2003) for registration of.....as co-operaitve society has been accepted and the said society (alongwith the bye-laws accompanying the registration application) ahs been registered as no..... of.....district under the said Act subject to the conditions stated in the said application and the provisions of the said Act, and the rules made and general or special orders issued thereunder and bye- laws of the said society.

.....

(Seal) *Registrar/Deputy Registrar*
Co-operative Societies. Uttaranchal

Dated the.....20.....

Endorsement regarding amendments of bye-laws

Reference of amended bye-laws	Date of registration of amendment	Signature	Remarks
1	2	3	4

NOTE :- (1) Full name of th proposed society to be mentioned.

(2) The blank space is meant for recording amended name of the society if it is made under Section 10.

प्रपत्र–छ

(नियम 20 के अधीन)

नियम 20 के अधीन अपेक्षित दावों के क्रमबद्ध भुगतान की योजना

क्र.सं.	सूचना प्राप्त होने का दिनांक	सदस्य या ऋण दाता का नाम	जिसका दावा किया गया है	दावे का प्रकार अर्थात अंश, जमा ऋण	समिति की पुस्तकों के अनुसार उसके द्वारा वापिस की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6

विशेष/साधारण बैठक में उपस्थित हुआ या नहीं	यदि विशेष/साधारण बैठक में उपस्थित हो तो मतदान संकल्प के पक्ष में किया या विपक्ष में	वापसी के कारण	क्या समिति दावे का भुगतान करने की स्थिति में है या नहीं	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है तथा समिति के अभिलेख से मिलती है।

सचिव सभापति

टिप्पणी :- स्तम्भ 6 में धनराशि अवधारित करते समय धारा 41 के उपबन्धों को ध्यान में रखा जाये और ऐसी दशा में गणना अभ्युक्ति स्तम्भ में दी जायेगी।

FORM - G

(Under Rule 20)

Scheme for orderly payment of claims as required under Rule 20

Seril No.	Date of receipt of the intimation	Name of the member or creditor	Amountq claimed loal	Nature of claim i.e. share, deposit per books of	Amount due to him for repayment as the society
1	2	3	4	5	6

Whether Present in the special/general meeting or not	If present in the special general meeting whether voted in favour of the resolution or against	Reasons for withdrawal	Whether the society is in a position to pay the claim	Remarks
7	8	9	10	11

Certified that the above information is correct and tallies with the records of the society.

Secretary Chairman:

NOTE :- Provisions of section 41 be kept in mind while determining the amount in Column 6 and calculation in such case be given in remarks column.

प्रपत्र-ज

(नियम 27 के अधीन)

उपविधियों के संशोधन के पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. सहकारी समिति का नाम.....
2. पंजीकरण की संख्या तथा दिनांक.....
3. साधारण बैठक का दिनांक जिसमें संशोधन पारित किया गया.....
4. साधारण बैठक बुलाने के लिये दिये गये नोटिस के दिनों की संख्या.....
5. ऐसी बैठक के दिनांक को समिति के सदस्यों की कुल संख्या.....
6. गणपूर्ति करने वाले सदस्यों की संख्या (नियम 26 देखिये).....
7. बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या.....
8. सदस्यों की संख्या जिन्होंने संशोधन के पक्ष में मतदान किया.....
9. सदस्यों की संख्या जिन्होंने संशोधन के पक्ष में मत दिया.....
10. अभ्युक्ति.....

सचिव.....

सभापति.....

प्रार्थना पत्र का दिनांक सहकारी समिति.....

संलग्नक :

1. प्रस्तावित संशोधन की तीन प्रतिलिपियां।
2. संकल्प की तीन प्रमाणित प्रतिलिपियां
3. समिति की पंजीकृत उपविधियां
4. पंजीकरण प्रमाण–पत्र
5. बैठक की कार्य सूची की सूचना (नोटिस) की प्रतिलिपि।
6. नियम 26 के अधीन जारी किये गये निबन्धक के आदेश की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि।

टिप्पणी – (1) प्रार्थना–पत्र उस बैठक के जिसमें संशोधन को संकल्पित किया गया हो, दिनांक के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा (देखिये नियम 27)।

(2) यदि बैठक, एक तिहाई गणपूर्ति से कम पर की गयी हो तो इस बात का उल्लेख करना चाहिये कि क्या निबन्धक ने 1/5 या 1/7 की कम गणपूर्ति से बैठक करने का निदेश किया था।

(3) स्तम्भ 10 में संशोधन के लिये विशेष कारणों के विषय में, यदि कोई हों, उल्लेख किया जा सकता है।

FORM - H

(Under Rule 27)

Form of application for registration of amendment of bye-laws

1. Name of the co-operative society.....
2. Number and date of registration.....
3. Date of genetal meeting at which the amendment was passed.....
4. Number of days of notice given for the general meeting.....
5. Total number of members of the society on the date of such meeting.....
6. Number of members formed the quorum (See Rule 26).....
7. Number of members present at the meeting.....
8. Number of members who exercised their voters at the meeting.....
9. Number of members who voted for the amendment.....
10. Remarks.....

Secretary.....

Date of application Chairman.....

Co-operative Society.....

Enclosures:

1. Three copies of the proposed amendment.
2. Three certified copies of the res01 ution.
3. Registred Bye-laws of the society
4. Registration certificate
5. Copy of the agenda-notice of the meeting
6. Copy of Registrar's order, if any, issued under Rule 26.

N.B. :- (1) This application is to be submitted, within 15 days of the sate of the meeting in which the amendment

was resolved vide Rule 27.

(2) If the meeting was held with less than one-third quorum, it may be stated whether the Registrar had directed holding of meeting with reduced quorum of one- fifth or one seventh.

(3) IN Column 10 mention may be made about the special reasons, if any, for the mendment.

प्रपत्र–झ

(नियम 33 के अधीन)

अधिनियम की धारा 14 के अधीन संशोधनों का पंजीकरण

क्र.सं.	सहकारी समिति का नाम	पूरा पता	समिति की पंजीकरण सं0 तथा दिनांक	संशोधित उप–विधियों का संदर्भ	धारा 14(1) के अधीन जारी आदेश का संदर्भ
1	2	3	4	5	6

धारा 14 (2) के अधीन सरकारी अनुमोदन का संदर्भ	धारा 14 (2) के अधीन जारी आदेश का संदर्भ	संशोधन के पंजीकरण का दिनांक	निबन्धक/अपर निबन्धक/उप निबन्धक हस्ताक्षर	अभ्युक्ति*
7	8	9	10	11

*अभ्युक्ति स्तम्भ में सम्बन्धित पत्रावली का संदर्भ उल्लिखित किया जाय।

FORM - I

(Under Rule 33)

Registration of amendments under Section 14 of the Act

Seril No.	Name of the Co-operative Society	Full Address	Registration number of the society and date of its retistration	Reference of bye-laws amendment Section 14(1)	Reference of order issued under
1	2	3	4	5	6

Reference of Government approval under Section 14(2)	Reference of order issued under Section	Date of registration of amendment	Signature of the Registrar/ Additional Registrar/ Deputy Registrar	*Remarks
7	8	9	10	11

*In the remarks column mention the reference of the file concerned.

प्रपत्र–ञ

(नियम 37 के अधीन)

अभिस्वीकृति के अधीन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजना या व्यक्तिगत रूप से देना

संख्या.....

दिनांक.....

निबन्धक/उप निबन्धक
सहकारी समिति, उत्तरांचल

महोदय,

आपको यह सूचित किया जाता है कि .....सहकारी समिति पंजीकरण संख्या..... दिनांक.....की सामान्य बैठक, समामेलन/विलियन/विभाजन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये..... को.....(स्थान) पर किये जाने के लिये बुलायी गयी है। कार्य सूची तथा प्रस्तावित संकल्प की एक प्रतिलिपि, जिसमें परिसम्पत्तियें तथा दायित्वों के संक्रमण/विभाजन सहित समामेलन/विलियन/विभाजन के समस्त ब्यौरे निहित हैं, संलग्न है।

यह पत्र उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 15/16 के अधीन नोटिस के रूप में समझा जाय।

भवदीय,
सभापति/सचिव
सहकारी समिति, उत्तरांचल

संलग्नक :

1. कार्यसूची।
2. आवश्यक ब्यौरों सहित प्रस्तावित संकल्प।

प्रतिलिपि, संलग्नकों की प्रतिलिपि सहित जिला सहायक निबन्धक को प्रेषित।

भवदीय,
सभापति/सचिव
सहकारी समिति, उत्तरांचल

FORM - J

(Under Rule 37)

By Registered Post or Personal Delivery under Acknowledgement

No. .....
Dated.....

Registrar/Deputy Registrar,
Co-operative Society, U.A.

Sri.....

This is to inform you that a general meeting of.....Co-operatve Society (Registration No, ...dated.....has been called on.....to be held at (place).....to consider the proposal of amalgamation/ merger/division including transfer/division of assets and liabilities are enclosed herewith.

This letter may be treated as notice under Section 15/16 of the Uttaranchal Pradesh Co-operative Societies Act, 2003

Yours Faithfully,
Chairman/Secretary
Co-operative Society Uttaranchal

Enclosure :

1. Agenda
2. Proposed resolution with necessary particulars

Copy with a copy of enclosures also forwarded to the District Assistant Registrar.

Yours Faithfully,
Chairman/Secretary
Co-operative SocietyUttaranchal

(नियम 440, 448 तथा 452 (1) के अधीन नामांकन-प्रपत्र)

1. पद का नाम जिसके लिये निर्वाचन किया जायेगा.....

2. पद से सम्बन्धित सहकारी समिति का पूरा पंजीकृत नाम.....

3. उम्मीदवार की-

   (1) मतदाता सूची में क्रम संख्या.....

   (2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो).....

   (3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....
   अथवा

   (4) क्या वह किसी सम्बद्ध समिति/निकाय या प्राधिकारी का कोई प्रतिनिधि है.....

   यदि ऐसा हो तो ऐसी सम्बद्ध समिति/निकाय या प्राधिकारी का नाम.....

4. (1) पिता का नाम (पुरुष उम्मीदवार तथा अविवाहित महिला उम्मीदवार की दशा में).....

   (2) पति का नाम (विवाहित महिला उम्मीदवार की दशा में).....

5. प्रस्तावक की-

   (1) मतदाता सूची में क्रम संख्या.....

   (2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो).....

   (3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....
   अथवा

   (4) क्या वह किसी सम्बन्धित समिति, निकाय या प्राधिकारी का कोई प्रतिनिधि है.....यदि ऐसा हो तो सम्बन्धित समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम.....

   (5) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

6. अनुमोदक की-

   (1) मतदाता सूची में क्रम संख्या.....

   (2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो).....

   (3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....
   अथवा

   (4) क्या वह किसी सम्बद्ध समिति, निकाय या प्राधिकारी का कोई प्रतिनिधि है.....यदि ऐसा हो तो ऐसी सम्बद्ध समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम.....

   (5) हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.....

उम्मीदवार की घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं निर्वाचन में खड़े होने के लिये इच्छुक हूं और मैं उस पद के लिये जिसका कि मैं एक उम्मीदवार हूं, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार चुनाव लड़ने के लिये अर्ह हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी:- (1) उम्मीदवार एक पद के लिये केवल एक ही प्रपत्र का उपयोग करेगा।

(2) यदि उम्मीदवार के प्रस्तावक, अनुमोदक अशिक्षित हों, तो उनके अंगूठे के निशान, समिति के शिक्षित अधिकारी या

विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हेने चाहिये।

(3) इस प्रपत्र में निर्दिष्ट मतदाता सूची का तात्पर्य, आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अन्ततः तैयार की गयी मतदाता सूची से है।

FORM - K

[Nomination Form under Rules 440, 448 and 452 (1)]

1. Name of the office for which election is sought.....
2. Full registered name of the co-operative society to which the office relates.....
3. Candidate's -
   (i) Serial number in the voters' list.....
   (ii) Full name *as i the voters' list).....
   (iii) Whether he is an individual member of the co-operative Society.....
   .....or
   (iv) Whether he is a representative of any affiliated society/body or authority.....
   .....
   If so, name of such affiliated society/body/authority.....
4. (i) Fathers' name (in case of male candidate and unmarried female condidate)
   (ii) Husband's name (in case of married female candidate).....
5. Proposer's -
   (i) Serial number in the voters' list.....
   (ii) Full name (as in the voters' list).....
   (iii) Whether he is an individual member of the Co-operative Society.....or
   (iv) Whether he is a representative of any affiliated society/body or authority.....
   .....
   If so, name of such affiliated society/body/authority.....
   (v) Signature of thumb-impression.....
6. Seconder's -
   (i) Serial numbr in he voters' list.....
   (ii) Full name (as in the voters' list).....
   (iii) Whether he is an individual member of the co-operative Society.....or
   (iv) Whether he is a representative of any affiliated society/body or authority.....
   .....
   If so, name of such affiliated society/body/authority.....
   (v) Signature of thumb-impression.....

Candidate's Declaration

I hereby declare that I am willing to stand for election and that I am eligible according to the rules and bye-lows of the society to contest for the office to which I am a candidate.

Signature or thumb-impression of candidate

NOTE - (1) One or is to be used only for one candidate and for one office.

(2) If the candidate/ proposer/seconder is illiterate, his thumb-impression should be attested by the officer of the society or by an officer of the Department.

(3) Voters' list referred to in this form means voters' list as finalized after disposal of objection.

सहकारी कृषि प्रपत्र-1

(नियम 312 (ख) देखिये)

सेवा में,

निबन्धक/उप निबन्धक
सहकारी समिति
उत्तरांचल।

महोदय,

हम गांव समाज.....डाकखाना.....परगना..... तहसील.....जिला.....के अधोहस्ताक्षरी सदस्य जिन्होंने.....सहकारी कृषि समिति (जिला).....के पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है और जिसके आस-पास.....मंडल (सर्किल) की.....एकड़ भूमि में भूमिधरी तथा सीरदारी अधिकार है, अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सहकारी कृषि समिति बनाने के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि का समुच्चय बनाना चाहते हैं, और एतद्द्वारा सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों के सभी संगत उपबन्धों का पालन करने के लिये सहमत हैं।

उपर्युक्त भूमि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

प्रार्थियों की क्रम संख्या	खातेदारों के नाम (पिता के नाम सहित प्रार्थियों के नाम, निवास-स्थान तथा आयु)	खाते के प्रकार	जोत में खेतों की खसरा संख्या जिसके साथ एकड़ों या मानक बीघों में क्षेत्रफल हर (डिनोमिनेटर) के रूप में दिखाया जायेगा	जोत का कुल क्षेत्रफल	जोत का कुल भू-राजस्व	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय
प्रार्थियों के हस्ताक्षर

1..... 6.....
2..... 7.....
3..... 8.....
4..... 9.....
5..... 10.....

संलग्नक : सबसे निकटतम वर्ष के अधिकार

FORM C.F. - 1

[See Rule 315(2)]

To,

The Registrar/Deputy Registrar,
Co-operative Society, U.A.
.....

Sir,

We he undersigned members of the Co-operative Farming Society..... hold Bhumidhari and Sirdari right in lands details of which are given below.

We have agreed to pool the said land with the Co-operative Farming Society..... and we shall abide by all the relevant provisions of Co-operative Society Act, Rules and the Bye-laws etc.

Serial number of Applicants	Name of tenure holders (applicants with parentage residence and age)	Nature of tenure	Khasra numbers of fields in the holding with area in acres of standard bighas show as denominator	Total area of the holding	Total land revenue of the holding	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Signature of members **Your's faithfully**

1.....3.....5.....7.....9

2.....4.....6.....8.....10

Enclosure : A copy of th certified extracts from the recored-of-rights of the most recent year.

सहकारी कृषि प्रपत्र-1 (क)

(नियम 315 (2) देखिये)

सेवा में,

निबन्धक/उप निबन्धक,

सहकारी समिति, उत्तरांचल।

महोदय,

हम सहकारी कृषि समिति.....के अधोहस्ताक्षरी सदस्यों के निम्नलिखित ब्यौरों की भूमि में, भूमिधरी तथा सीरदारी अधिकार है।

हम सहकारी कृषि समिति.....में उक्त भूमि का समुच्चय बनाने के लिये सहमत हैं और हम सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों आदि के संगत उपबन्धों का पालन करेंगे।

प्रार्थियों की क्रम संख्या	खातेदारों के नाम (पिता के नाम सहित प्रार्थियों के नाम, निवास-स्थान तथा आयु)	खाते के प्रकार	जोत में खेतों की खसरा संख्या जिसके साथ एकड़ों या मानक बीघों में क्षेत्रफल हर (डिनोमिनेटर) के रूप में दिखाया जायेगा	जोत का कुल क्षेत्रफल	जोत का कुल भू-राजस्व	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

प्रार्थियों के हस्ताक्षर

1_____ 4_____

2_____ 5_____

3_____ 6_____

संलग्नक : सबसे निकटतम वर्ष के अधिकार अभिलेखों से प्रमाणित उद्धरण की एक प्रतिलिपि।

FORM C.F. - 1(A)

[See Rule 315(2)]

To,

The Registrar/Deputy Registrar,
Co-operative Society, U.A.
.....

Sir,

We he undersigned members of the Co-operative Farming Society..... hold Bhumidhari and Sirdari right in lands details of which are given below.

We have agreed to pool the said land with the Co-operative Farming Society..... and we shall abide by all the relevant provisions of Co-operative Society Act, Rules and the Bye-laws etc.

Serial number of Applicants	Name of tenure holders (applicants with parentage residence and age)	Nature of tenure	Khasra numbers of fields in the holding with area in acres of standard bighas show as denominator	Total area of the holding	Total land revenue of the holding	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Signature of members **Your's faithfully**

1.....3.....5.....

2.....4.....6.....

Enclosure : A copy of the certified extracts from the record-of-rights of the most recent year.

सहकारी कृषि प्रपत्र –2

(नियम 314 देखिये)

सहकारी कृषि समितियों का रजिस्टर

सहकारी कृषि समिति का नाम.....

सहकारी कृषि समिति का पता.....

पंजीकरण का दिनांक.....

क्र.सं.	परगना	तहसील	ग्राम	सदस्य का नाम, सैकड़ेदारी तथा निवास स्थान	खेतों की खसरा सं0	क्षेत्रफल	भू–राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM C.F. - 2

[See Rule 314]

Register of Co-operative Farming Societies

Name of Co-operative Farming Society..... .....Address of Co-operative Farming Society..... Date of Registration.....

Sl. No.	Pargana	Tehsil	Village	Name of the Members with percentage and residence	Khasra number of land	Area	Land revenue
1	2	3	4	5	6	7	8

सहकारी कृषि प्रपत्र–3

(अधिनियम की धारा 84 तथा नियम 247 देखिये)

सेवा में,

सहायक कलेक्टर,

प्रभारी परगना.....

जिला.....

महोदय,

सहकारी कृषि समिति.....के अन्तर्गत खेत अलग–अलग है;

कृपया उनकी यथासम्भव एक सुसम्बद्ध खण्ड में चकबन्दी की जाये। उक्त प्रक्षेत्र (फार्म) में समाविष्ट खेतों के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं:–

ग्राम, परगना और तहसील का नाम	प्रक्षेप (फार्म) के अन्तर्गत खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या मानक बीघों में खेतों का क्षेत्रफल	खातेदार का नाम	खाते का वर्ग	भूमि का अभिलिखित राजस्व	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

FORM C.F. - 3

(See Rule 247 and Section 84 of the Act)

To,

The Assistant Collector,

Incharge of Sub-Division.....

District.....

Sir,

The fields comprised in the Co-operative Farming Society..... .....are scattered they may please be consolidated as far as possible in a compact block. The details of fields comprised in the farm are given below :-

Name of Village with pargana and tehsil	Khasra numbers of fields comprised in the farms	Area of fields in acres or in standard bighas	Name of tenure-holder	Class of tenure	Recorded land revenue of land	Remerks
1	2	3	4	5	6	7

Your's faithfully

Secretary
Co-operative Farming Society

सहकारी कृषि प्रपत्र-4
(नियम 322 देखिए)

सहकारी समिति का नाम.....

मूल्यांकन खसरा ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या मनक बीघों में खेतों का क्षेत्रफल	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	अभिलिखित भू-राजस्व या लगानन	अंतिम बन्दोबस्त या रोस्टर क्रियाओं में अवधारित मिट्टी का वर्ग	स्वीकृत मौरूसी दर	मूल्यांकन मौरूसी दर पर (स्तम्भ 2ग स्तम्भ 6)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM C.F. - 4

(See Rule 322)

Name of Co-operative Farming Society_____

Valuation Khasra of Village_____

Pargana_____

Tehsil_____

District_____

Khasra No. of fields	Area of fields in acres or in stand and bighas	Name of renure-holder with class of tenure	Recorded land revenue or rent	Class of soil as determined at the last settlement or roster operations	Sanctioned hereditary rate	Valuation at hereditary rate (Col. 2 x Col. 6)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

सहकारी कृषि समिति प्रपत्र-5

(नियम 323 देखिए)

ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

भूमि जो एक पक्ष द्वारा विनिमय में दी जायेगी

खेतों की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5

भूमि जो दूसरे पक्ष द्वारा विनिमय में दी जायेगी

खेतों की खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	अभियुक्ति
6	7	8	9	10

FORM C.F. - 5

(See Rule 323)

Consolidation proposal

Village.....
Pargana.....
Tehsil.....
District.....

Land to be given in exchange by one party

Khasra number of fields	Area	Valuation	Name of tenure-holder with class of tenure	Remarks
1	2	3	4	5

Land to be given in exchange by nother party

Khasra number of fields	Atea	Valuation	Name of tenure-holder with class of tenure	Remarks
6	7	8	9	10

परिशिष्ट-1

(नियम 8 में निर्दिष्ट)

1. साधारण शर्तें :-

(1) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पंजीकरण के लिये आवेद-पत्र सम्मिलित होने वाले साधारण सदस्यों की कुल संख्या उतनी होगी जितने से निबन्धक का पंजीकरण प्रस्ताव की उपयुक्तता के बारे में समाधान हो जाय, और निबन्धक की राय में, समिति की सदस्यता तथा कारोबार के संदर्भ में कार्य क्षेत्र उपयुक्त है।

(2) किसी समिति की उपविधियों में इस प्रकार का प्रतिबन्ध होगा कि उसकी प्रबन्ध समिति को कोई सदस्य किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करें जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

2. समितियों के विशिष्ट वर्ग के संबंध में शर्तें :-

(1) ऋण समितियां-

(क) यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिये पात्र हों, तो उपविधियों में, सिवाय वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति की दशा में, इस प्रकार का प्रतिबंध होगा कि ऐसे परिवार के केवल एक ही सदस्य को ऋण स्वीकृत किया जा सके किन्तु अन्य ऐसी शर्तो का प्राविधान किया जायेगा जिनके आधीन ऋण स्वीकृत किया जा सके। प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि सहांशभागियों के रूप में किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो ऐसे सभी सहांशभागी अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार ऋण के लिये पात्र हो सकते हैं।

(ख) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में, प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा अपने लिये या उन समितियों के लिये जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हों, जैसी भी दशा हो, अनुपात में अत्यधिक ऋण स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध बचाव का प्रावधान होगा।

(2) ऋण तथा मितव्ययिता समितियां-

ऐसी समिति की उपविधियों में, उस समिति के प्रत्येक सदस्य या सदस्यों द्वारा अनिवार्यत: जमा करने की व्यवस्था होगी।

(3) उत्पादन तथा विक्रय समिति-

किसी ऐसी समिति की उपविधियों में एक शर्त यह होगी कि प्रत्येक साधारण सदस्य, यदि वह स्वयं उत्पादक हो, अपने विक्रय योग्य सम्पूर्ण अधिशेष या उसका कम से कम एक विनिर्दिष्ट भाग समिति को या उसके माध्यम से बेचेगा और यदि साधारण सदस्य कोई दूसरी समिति को जो पश्चातवर्ती यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसका निस्तारण पूर्ववर्ती समिति को या उसके माध्यम से किया जाय, अपने सदस्यों पर इसी प्रकार का दायित्व आरोपित करेगी।

(4) उपभोक्ता समितियां-

(क) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में सदस्यों पर ऐसा दायित्व आरोपित करने की व्यवस्था होगी कि वे अपनी ऐसी आवश्यकताओं के संबंध में जो समिति के पास उपलब्ध हों, अपनी समिति को संरक्षण दें और इस संबंध में सदस्यों को उनके असहयोग के लिये बोनस या लाभांश न देकर अथवा समिति के अन्य व्यवहार में प्रतिबंध लगाकर या ऐसी अन्य अनर्हताओं से जिनकी उपविधियों में व्यवस्था की जाय, दण्ड दिया जायेगा।

(ख) उपविधियों में सदस्यों को उधार बेचने का निषेध होगा, सिवाय जहां सदस्य वेतन भोगी हों और सदस्यों से धारा 40 के अनुसार उनके वेतन या मजदूरों से कटौती करने के लिये अनुबन्ध निष्पादित करा लिया गया हो अथवा अनुवर्ती उधार विक्रय को पूरा करने के लिये सदस्यों से व्यापार संबंधी धनराशि जमा करा ली गयी हो।

(5) आवास समितियां-

(क) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में प्लाटों का यथासम्भव समान वितरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी और उसमें किसी ऐसे सदस्य को जिसके पास पहले से ही समिति के कार्य-क्षेत्र के नगर-क्षेत्र में भूमि का प्लाट या मकान हो, भूमि आवंटित करने या भूमि अथवा मकान बेचने के विरुद्ध व्यवस्था होगी, सिवाय इसके कि जब विशेष परिस्थितियों में, जैसा समिति की उपविधियों में अधिलिखित हो, अन्यथा अनुज्ञेय हो।

(ख) उपविधियों में ऐसी शर्तें होंगी जिनके अधीन भूमि का संक्रमण उसकी बिक्री अथवा उसे बन्धक रखने या निवास

गृह को व्यापार अथवा कारोबार के लिये दुकान, गोदाम या कर्मशाला में बदलने पर प्रतिबन्ध होगा, सिवाय उपविधियों में अधिलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये समिति की अनुज्ञा से रूकावट होगी।

(ग) उपविधियों से निम्नलिखित के संबंध में शर्त होगी :-

(1) जिसमें समिति किसी सदस्य द्वारा प्लाट को जिसे उसने समिति से खरीदा हो फिर से बेचने पर प्राप्त लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत पाने के लिये हकदार हो;

(2) जिसमें वह अवधि जिसके भीतर, समिति से या उसके किसी सदस्य से प्लाट खरीदने के पश्चात निर्माण कार्य किया जाय और यदि ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन न किया जायेगा, तो उसका क्या परिणाम होगा।

(6) औद्योगिक समितियां-

समान उद्देश्यों वाली किसी ऐसी समिति की उपविधियों में किसी व्यक्ति का, जो पहले से ही दूसरी समिति का भी सदस्य हो, सदस्यता पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था होगी।

(7) कृषि समितियां-

किसी कृषि समिति की उपविधियों में यह व्यवस्था होगी कि कोई भी व्यक्ति उसका तब तक सदस्य न होगा जब तक कि वह-

(क) समिति द्वारा समय-समय पर तैयार कीगयी योजना और कार्यक्रम के अनुसार समिति की कृषि संबंधी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्यकलापों में भाग लेने के लिये सहमत न हो;

(ख) ऐसा भूमिधर हो जो समिति द्वारा संयुक्त रूप से खेती और प्रबन्ध करने के प्रयोजन से अपनी भूमि देने के लिये सहमत हो;

(ग) भूमिहीन मजदूर हो और समिति की कृषि संबंधी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्यकलापों में भाग लेने के लिये सहमत हों; या

(घ) ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कृषि औद्योकि व्यवसाय में लगा हो।

APPENDIX - I

(Referreed to in Rule 8)

1. General Conditions :-

(i) Subject to the provisions of Clause (d) of Sub-section (2) of Section 6, the number of ordinary members joining an application for registration shall be such as would satisfy the Registrar suitability of the registration proposal and that the area of operation is in the opinion of the Registrar appropriate with reference to the membership and business of the society.

(ii) The bye-laws of a society shall restrict a menber of its Committee of Management from voting in meeting on any matter in which he has personal interest.

2. Conditions in respect of particular class of societies :-

(i) **Credit Societies -**

(a) Where more than one person from a family is eligible for the membership of a co-operative society, the bye-laws shall, except in the case of salary earner co-operative credit society, restrict advancement of loan only to one member of such family and provide for other conditions subject to which loans may be granted provided that where land is held jointly by more than one member of a family as co-sharers, all such co-sharers may be eligible for loans according to their requirements.

(b) The bye-laws of such a society shall contain safeguared against grant to unproportionately theavy loans to the members of the Committee of Management for themselves or for the societies they

represent, as the case may be.

(ii) **Credit and thrift Societies -**

The bye-laws of such a society provide for raising of compulsory deposits from every member or members of such a society.

(iii) **Production and Sale Society -**

The bye-laws of such a society shall contain a condition that every ordinary member if himself a producer, shall sell whole or at least a specified protion of his maretable surplus to or through the society and if the ordinary member is another society, the latter shall impose a similar obligation on its members to ensure disposal to or through the former society.

(iv) **Consumers' Societies -**

(a) The-laws of such a society shall cost an obligation on the members to patronize their society in respect of such of their requirement as and members' disloyalty in this regard shall be punishable with denial of bonus or dividend or restriction on transaction with the society or with suche other disqualifications as may be provided in the bye-laws.

(b) Bye-laws shall prohibit sales to members, except where mambers are salary earners and agreement has been got executed from the members for deduction from their salary or wages in accordance with Section 40 or where trade deposits have been obtained from members in advance to cover up subsequent credit sales.

(v) **Housing Societies -**

(a) Bye-laws of such a society shall contain provision to ensure equitable distribution of plots amongst members as far as possible and shall provide restriction against allotment of land or sale of land or house to a member who already owns a plot of land or house in an ubban locality within the area of operation of the society except where otherwise permitted in special circumstances as laid down in the bye-laws of the society.

(b) The bye-laws shall contain conditions restricting transfer, sale or mortgage of land or conversion of residential house into shops, godowns or workshop for trade or business except with the permission of the society subject to the conditions laid down in the bye-laws.

(c) The bye-laws contain a condition :-

(i) whereby the society shall be entitled to get a specific percentage of profit earned by a member on re-sale of the plot which he had purchsed from the society;

(ii) as so the period within which, after the purchase of the plot from the society or from a member of the society, the construction shall be raised and the consequences arising out of non-compliance of such requirement.

(vi) **Industrial Societies -**

The bye-laws of such a society shall provide restriction against membership of a person who is already a member of another society with same objects.

(vii) Farming Societies -

The bye-laws of a society shall provide that no person shall be a member thereof unless he-

(a) agrees to participate in the farm operations or other approved activities of the society in accordance with the plan and programme derawn up by the society from time to time;

(b) is a landholder who agrees to pool his land for joint cultivation and joint management by the society; or

(c) is a landles labourer and agrees to participate in farm operations or other approved activities of the society; or

(d) is a person engaged in any agro-industrial occupation.

अनुलग्नक-1
(नियम 498 देखिए)

शुल्कों का मापमान :

(क) बन्धक भूमि की उपज के अधिहरण तथा विक्रय के लिये प्रार्थना-पत्र के निमित्त, एक रुपया प्रति सैकड़ा की दर स किन्तु अधिकतम शुल्क एक सौ रुपये होगा;

(ख) कार्यवाहियों के अधीन प्रत्येक नोटिस के निमित्त 10 रुपया;

(ग) प्रत्येक बाकीदार की चल सम्पत्ति के अधिहरण के लिये 50 रुपया;

(घ) प्रत्येक बिक्री के लिये विक्रय के पूर्व प्रचारार्थ डुग्गी पीटने के निमित्त प्रतिदिन के लिये 20 रुपया;

(ङ) प्रत्येक बिक्री के लिये विक्रय शुल्क 25 रुपया।

ANNEXURE - I

(See Rule 498)

Scale of Fees :		Rs.
(a)	For an application for the distraint and sale of the produce of the mortgaged land at the rate of Rs. 1 per hundred rupees subject to a maximum of rupees one hundred	
(b)	For each notice under the proveedings	10.00
(c)	For the distraint o movable property of each defaulter	50.00
(d)	For beat of drum for publicity prior to sale per day for each sale	20.00
(e)	Sale fee for each sale	25.00

प्रपत्र-1
(नियम 497 देखिए)

1. बाकीदार का नाम
2. देय धनराशि, जिसके सम्बन्ध में कुर्की तथा विक्रय प्रार्थित है:

	रुपया	पैसा
मूलधन		
ब्याज		
लागत		
योग -		

3. देय किस्त का दिनांक
4. सम्पत्ति के ब्यौरे:
   (क) स्थिति और विनिर्देश
   (ख) खड़ी फसल है अथवा उपज खेत में पड़ी है या वह भण्डार में है। इन सबकी ठीक-ठीक स्थिति बताइए-
5. सम्पत्ति का मूल्य

सचिव/शाखा प्रबन्धक/भूमि मूल्यांकन अधिकारी
(उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0) के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि बैंक में रखे गये के आधार पर लेखे के सम्बन्ध में उपर्युक्त वक्तव्य ठीक है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

FORM - I

(See Rule 497)

1. Name of defaulter
2. Amount due for which distratint and sale is sought-

	Rs.	P.
Principal		
Interest		
Costs		
Total		

3. Due date of the instalment
4. Particulars of the property:
   (a) location and specification
   (b) Whether standing crop
   Or
   Produce laying in field
   Or
   in the store with exact location
5. Value of the property

Signature of Secretary/Branch Manager/
Land Valuation Officer UttaranchalState Co-operative Bank Ltd.

Certified that the above statement of accounts is correct on the basis of records maintained in Ban.

Signature
Designation

प्रपत्र–2
(नियम 498 देखिए)

मांग के नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय।

1. बाकीदार का नाम, आत्मज और पता
2. देय धनराशि–

	रुपया	पैसा
(क) मूलधन		
(ख) ब्याज		
(ग) लागत		
योग –		

दिनांक – हस्ताक्षर.....

प्रतिलिपि–

(1) प्रत्यादान (वसूली) अधिकार

(2) बाकीदार

को प्रेषित –

हस्ताक्षर

दिनांक–

पदनाम

FORM - II

(See Rule 498)

Demand Notice should specify

1. Name of the defaulter.....s/o.....with address

2. Amount due-

	Rs.	P.
Principal		
Interest		
Costs		
Total		

Dated

Copy to -

(1) .....Recovery Officer.

(2) .....Defaulter.

Dated :

Signature

Designation

प्रपत्र–3

(नियम 531 देखिए)

सेवा में,

निबन्धक,

अधोहस्ताक्षरी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिये निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता है :

1. राज्य सहकारी बैंक का नाम
2. उधार लेने वाले सदस्य का नाम
3. सदस्य के प्रति देय धनराशि:
   (क) मूलधन
   (ख) ब्याज
   (ग) दाण्डिक ब्याज
   (घ) अन्य
   (ङ) योग
4. अतिदेय धनराशि की वसूली के लिये विक्रीत (प्लॉट)
5. गांव, परगना, तहसील का नाम
6. खसरा संख्या और क्षेत्रफल
7. उपरोक्त गाटों (प्लॉटों) की बिक्री से प्राप्त धनराशि
8. बिक्री किये जाने का दिनांक
9. क्रेता का नाम, पिता का नाम और पूरा पता

विक्रय अधिकारी के हस्ताक्षर।

FORM - III

(See Rule 531)

To,

The Registrar,

The undersigned submit the following information for further necessary action-

1. Name of the State Co-operative Bnnk
2. Name of the borrower member
3. The amount which is due against the member :
   (a) Principal
   (b) Interest
   (c) Penal interest
   (d) Other
   (e) Total
4. The plots sold for recovery of overdue amount
5. Name of Village, Pargana, Tehsil
6. Khasra Number and Area
7. The amount received from the sale of the above plots
8. The date on which sale affected
9. The name of the purchaser with parentage and full address

Signature of Sales Officer

प्रपत्र-4

(नियम 532 देखिए)

भूमि के विक्रय का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... आत्मज श्री.....निवासी..... माह.....20.....को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय के अवसर पर नीचे वर्णित भूमि का क्रेता घोषित किया गया है और उपरोक्त विक्रय पूर्ण हो गया है।

1. विक्रय प्रमाण-पत्र संख्या
2. नीलामी क्रेता का नाम (पूरा पता सहित)
3. विक्रय का दिनांक
4. विक्रय पूर्ण होने का दिनांक
5. विक्रय मूल्य
6. बाकीदार ऋणगृहीता सदस्य/सदस्यों का/के नाम -

   .....आत्मज.....

   .....आत्मज.....

   .....आत्मज.....

   .....आत्मज.....
7. सार्वजनिक नीलाम में विक्रीत सम्पत्ति का विवरण :-

क्र.सं.	गांव का नाम	परगना	तहसील	जिला	काश्तकारी का अधिकार किस प्रकार का है	खसरा नं0	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8

आज.....दिनांक.....200.....को मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की मुहर के अधीन जारी किया गया।

(पदनाम और मुहर)

प्रतिलिपि उप निबन्धक (पंजीकरण) को प्रेषित

जिला

दिनांक

(पदनाम और मुहर)

प्रतिलिपि- राज्य सहकारी बैंक लि0 को भी प्रेषित।

(पदनाम और मुहर)

आज्ञा से,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव।

FORM - IV
(See Rule 532)
Certificate of Sale of Land

This is to certify that Shri.....s/o.....resident of.....P.O.....District.....has been declared the purchaser at a sale by public auction on the.....day of.....20..... of the land described below and that the said sale has become absolute. The purchaser shall be entitled to have possession over the auctioned land from the date of issue of sale certificate.

1. Sale certificate No.
2. Name of the auction purchaser (with full address)
3. Date of sale
4. Date of sale becoming absolute
5. Sale price
6. Name(s) of defaulter loanee member (with full address)-

   .....s/o.....

   .....s/o.....

   .....s/o.....

   .....s/o.....

7. Description of the property sold by sublic auction :-

Serial No.	Name of village	Pargana	Tehsil	District	Kind of Tenancy right	Khasra	Area
1	2	3	4	5	6	7	8

Given under my hand and seal of the office. This.....day of.....20.....

Designation and seal

Copy to the Sub-Registrar (Registration), District.....Dated....., 20.....

Designation and seal

Copy also to the Uttaranchal State Co-operative Bank.

Designation and seal

By Order,

VIBHA PURI DAS
Principal Secretary